सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
स्थानीय निकाय
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 7

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

स्थानीय निकाय

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 7

विषय सूची

	कण्डिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन	.	vii
विहंगावलोकन	.	ix
भाग अः पंचायती राज संस्थाएं		
अध्याय 1: पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदित प्रकरणों पर विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
पंचायती राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना	1.2	1
पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली	1.3	2
लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.4	4
लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर प्रतिक्रिया	1.5	6
सामाजिक लेखापरीक्षा	1.6	7
वित्तीय प्रतिवेदित मुद्दे	1.7	8
राजस्व के स्रोत	1.7.2	8
पंचायतीराज संस्थाओं के बजटीय आवंटन एवं व्यय	1.7.3	9
अध्याय 2: निष्पादन लेखापरीक्षा		
73वें संविधान संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन	2.1	11
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण का कार्यान्वयन	2.2	85
अध्याय 3: अनुपालन लेखापरीक्षा		
जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के विकल्प पर कराये गये अद्योसंरचना कार्य	3.1	133

भाग (ब) नगरीय स्थानीय निकाय		
अध्याय 4: नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यप्रणाली पर विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	4.1	151
नगरीय स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा	4.2	151
नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यकलाप	4.3	152
स्वीकृत पद संख्या की तुलना में जनशक्ति की कमी	4.3.1	154
सर्विस लेवल बेंचमार्क पर प्रदर्शन	4.3.2	155
लेखापरीक्षा व्यवस्था	4.4	156
लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया	4.5	159
नगरीय स्थानीय निकायों का बजटीय आवंटन और व्यय	4.6	161
चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान	4.7	161
नगरीय स्थानीय निकायों को निधियों का अंतरण	4.8	163
कर राजस्व/गैर-कर राजस्व की वसूली न होना	4.9	164
अध्याय 5: अनुपालन लेखापरीक्षा		
मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी कंपनियाँ	5.1	165
नगरीय स्थानीय निकायों में प्राप्तियों (संपत्ति कर एवं किराया) पर अनुपालन लेखापरीक्षा	5.2	200
नगरीय स्थानीय निकायों में जल आपूर्ति प्रबंधन	5.3	217

परिशिष्ट		
परिशिष्ट	**विषय**	**पृष्ठ सं.**
2.1.1	11वी अनुसूची (अनुच्छेद 243-छ) में दर्शित कार्यो एवं उनके विभागों की सूची	247
2.1.2	चयनित पंचायती राज संस्थाओं की सूची	249
2.1.3(i)	मार्च 2021 तक कार्यों/गतिविधियों, अमले एवं निधियों के हस्तान्तरण की स्थिति का विवरण	250
2.1.3(ii)	मार्च 2021 तक कार्यों/गतिविधियों, अमले एवं निधियों के हस्तांतरण की स्थिति का विवरण	264
2.1.4	आयोजित जिला योजना समिति की बैठकों और उसमें कमी का विवरण	272
2.1.5	अनुदान संख्या-53 के अंतर्गत बजट नियंत्रण अधिकारी के मुख्य शीर्ष, योजना शीर्ष का वर्षवार आवंटन के विवरण की सूची	274
2.1.6(i)	अनुदान संख्या-53 के लघु शीर्ष 196 के तहत कृषि विभाग को जिलेवार आवंटन का विवरण	291
2.1.6(ii)	अनुदान संख्या-53 के लघु शीर्ष 196 के तहत पशु चिकित्सा विभाग को जिलावार आवंटन का विवरण	292
2.1.6(iii)	अनुदान संख्या-53 के लघु शीर्ष 196 के तहत शिक्षा विभाग को जिलेवार आवंटन का विवरण	293
2.1.6(iv)	अनुदान संख्या-53 के लघु शीर्ष 196, 197 तथा 198 के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को जिलेवार आवंटन का विवरण	294
2.1.7(i)	आयोजित वार्षिक ग्राम सभा व कोरम का विवरण	295

2.1.7(ii)	आयोजित त्रैमासिक ग्राम सभा व महिला सदस्यों की भागीदारी का विवरण	302
2.1.8	पंचायती राज संस्थाओं के अमले को सौंपी गई शक्तियों और उत्तरदायित्वों का विवरण	309
2.1.9(i)	जिला पंचायतों में स्वीकृत, कार्यरत पद एवं मानव शक्ति की कमी का विवरण	311
2.1.9(ii)	जनपद पंचायतों में स्वीकृत, कार्यरत पद एवं मानव शक्ति की कमी का विवरण	314
2.2.1	चयनित जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत की सूची	315
2.2.2	ग्राम पंचायतों की सूची जहां दिशा-निर्देशों के अनुसार वरीयता निर्धारण नहीं किया गया था	318
2.2.3	पीएमएवाई-जी लाभार्थियों का विवरण जिनके पास योजना के अंतर्गत आवास की स्वीकृति से पूर्व दो/तीन/चार पहिया वाहन थे	320
2.2.4	पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्मित और पूर्ण आवासों का विवरण जिनका आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था	467
2.2.5	आवास सॉफ्ट के अनुसार पूर्ण किए गए और संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान अपूर्ण पाए गए आवासों को दर्शाने वाला विवरण	469
2.2.6	पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के स्वीकृत आवास एवं संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान उनके स्वामित्व में 2/3/4 पहिया वाहन को दर्शाये जाने वाला विवरण	471
3.1	आवंटन और व्यय का विवरण अवधि 2017-18 से 2019-20	475
3.2	जीपीडीपी में शामिल नहीं किये गये कार्यो का विवरण	476

3.3	स्वीकृत, पूर्ण और अपूर्ण कार्यों का विवरण अवधि 2017-18, 2018-19 (नवम्बर 2020 तक)	480
3.4	उन कार्यों का विवरण जिनमें विलम्ब सुनिश्चित नहीं किया जा सका और कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ	481
3.5	उन कार्यों का विवरण जिनमें प्रयोगशाला परीक्षण नही किया गया	487
3.6	उन कार्यों का विवरण जिनके माप-पुस्तिका में विस्तृत माप दर्ज नहीं किया गया	493
3.7	उन कार्यों का विवरण जिनमें जियोटैग फोटोग्राफ पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये थे	497
4.1	नगरीय स्थानीय निकायों को कार्यों के हस्तांतरण को दर्शाने वाला विवरण	502
4.2	नगरीय स्थानीय निकायों को दर्शाने वाला विवरण जिनमें कार्यरत पद स्वीकृत पद से अधिक हैं	503
4.3	राज्य सरकार द्वारा निकाली गयी और यूएलबी को स्थानांतरित की गयी धनराशि की स्थिति और विलंब पर ब्याज दर्शाने वाला विवरण	505
5.1.1	कार्य की धीमी प्रगति एवं विलम्ब के लिए शास्ति का न लगाया जाना	507
5.1.2	अनुचित आकलन	511
5.1.3	जमा/कटौती नहीं किए गए रॉयल्टी शुल्कों को दर्शाने वाला विवरण	515
5.2.1	वार्षिक किराया मूल्य/कर योग्य संपत्ति मूल्य की त्रुटिपूर्ण गणना	518
5.2.2	संपत्ति कर के बकाया की वसूली न होना	519
5.2.3	बोर्ड/निगम कार्यालयों के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर संपत्ति कर का अनारोपण	520
5.2.4	केंद्र सरकार की संपत्तियों पर सेवा प्रभार का आरोपण न किया जाना	521
5.2.5	खुली भूमि/भूखंडों पर संपत्ति कर का अनारोपण	522

5.2.6	दुकानों का प्रीमियम वसूली हेतु बकाया रहना	523
5.2.7	किराए के बकाया राशि की वसूली न होना	524
5.3.1	आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई	525
5.3.2	कौगुलांट के उपयोग में अनियमित्तायें	526

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में राज्य के पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के साथ संबंधित विभागों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

प्रतिवेदन में 2019-21 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये प्रकरणों के साथ-साथ उन प्रकरणों को जो पूर्व वर्षों में प्रकाश में आये थे लेकिन विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप आयोजित की गयी है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में पाँच अध्याय हैं। पहला अध्याय पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदित मुद्दों और चौथा अध्याय नगरीय स्थानीय निकायों (यूएलबी) की कार्यप्रणाली पर विहंगावलोकन प्रस्तुत करते हैं। दूसरे अध्याय में पंचायती राज संस्थाओं पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सम्मिलित हैं। तीसरे और पांचवें अध्याय में चार अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, एक पंचायती राज संस्थाओं पर और तीन नगरीय स्थानीय निकायों पर सम्मिलित हैं। इस विहंगावलोकन में महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत है।

अध्याय 1: पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदित प्रकरणों पर विहंगावलोकन

- स्थानीय निधि संपरीक्षा (एलएफए) के वर्ष 2019-21 के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्य प्रदेश को एक से पांच माह के विलंब से अग्रेषित की गयी। साथ ही 2019-21 के मध्य प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्य प्रदेश के कार्यालय में एलएफए द्वारा भेजे गए और जांचे गए **102** निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) में से केवल 36 नि.प्र. पर एलएफए द्वारा कार्यवाही की गयी।

(कंडिका 1.4.1)

- जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों को जारी लेखापरीक्षा कंडिकाओं में से निस्तारण हेतु शेष कंडिकाओं के अनुपालन/उपचारात्मक कार्यवाही करने के संबंध में पत्रों को जारी करने के पश्चात भी, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) के 2,693 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 11,726 कंडिकाएं 31 मार्च, 2021 तक निस्तारण हेतु शेष थीं।

(कंडिका 1.5)

- 2019-21 के दौरान ग्राम पंचायतों में आवश्यक संख्या में सामाजिक संपरीक्षा (आवश्यक 91,236 में से केवल 36,995) नहीं की गयीं। साथ ही, 17 जिलों के 2286 सामाजिक संपरीक्षा प्रकरण (₹ 1.11 करोड़) निस्तारण हेतु शेष थे।

(कंडिका 1.6)

- तीसरे राज्य वित्त आयोग की राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अनुशंसा के अनुसार, वित्त विभाग ने 2019-21 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग (रा.वि.आ.) के अनुदान के रूप में ₹ 2440.73 करोड़ हस्तांतरित नहीं किए।

(कंडिका 1.7.2)

- पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई) राज्य शासन द्वारा आवंटित निधि का उपयोग नहीं कर सकीं और 2019-21 के दौरान बचत 5 से 24 *प्रतिशत* के मध्य थी।

(कंडिका 1.7.3)

अध्याय 2: निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 73**वें संविधान संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन**

- नमूना जांच किए गए चार विभागों के कार्यकलाप, कोष और अमले का हस्तान्तरण नहीं हुआ। आगे, चार विभागों (नमूना जांच किए गए विभागों के अलावा) ने हस्तान्तरित किये गए कार्य, कोष और अमले को 1998-2014 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं से वापस लिया।

(कंडिका 2.1.7.1 और 2.1.7.2)

- मध्य प्रदेश शासन ने तीसरे, चौथे और पांचवें राज्य वित्त आयोग का गठन क्रमशः सात महीने, डेढ़ वर्ष और एक महीने 23 दिनों के विलम्ब से किया। हमने पाया कि तीसरे और चौथे राज्य वित्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन क्रमशः दो वर्ष छः माह और चार वर्षों के विलम्ब से प्रस्तुत किया।

(कंडिका 2.1.8.1)

- पर्याप्त कोष की उपलब्धता के बावजूद पंचायती राज संस्थाओं के 3.92 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों और 28,150 कार्मिकों के प्रशिक्षण के लक्ष्य के विरुद्ध 70 *प्रतिशत* निर्वाचित प्रतिनिधियों और 97 *प्रतिशत* कार्मिकों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

(कंडिका 2.1.8.3)

- चयनित जिलों में अवधि 2016-21 के दौरान 35 *प्रतिशत* (आवश्यक 200 में से 71) जिला योजना समिति की बैठकें आयोजित की गईं। चयनित जिलों के किसी भी जिला योजना समिति ने पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों की विकास योजनाओं को समेकित करते हुए जिला विकास योजना तैयार नहीं की।

(कंडिका 2.1.8.4)

- कुल प्राप्तियाँ राशि **₹** 20,985.04 करोड़ में से, पंचायती राज संस्थाएँ केवल दो *प्रतिशत* सृजित कर सकीं और शेष प्राप्तियाँ राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान था।

(कंडिका 2.1.9.1)

- मध्य प्रदेश शासन ने पंचायती राज संस्थाओं को बजट उपलब्ध कराने हेतु अनुदान मांग संख्या 53 का सृजन किया। वित्त विभाग द्वारा 2016-21 के दौरान अनुदान मांग संख्या 53 के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/पीआरआई को निधि **₹** 79,693.06 करोड़ तथा संविधान की अनुसूची 11 में उल्लिखित 29 कार्यों से संबंधित क्रमशः 33 से 42 एवं 32 से 57 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु **₹** 43,542.26 करोड़ अन्य विभागों के बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ)को आवंटित की गयी।

(कंडिका 2.1.9.2)

- वर्ष 2016-17 को छोड़कर, मध्य प्रदेश शासन ने विभाज्य कर राजस्व का, चार *प्रतिशत* राशि पीआरआई को आवंटित नहीं किया और 2017-21 के दौरान आवंटन निरंतर तीन *प्रतिशत* से घटकर एक *प्रतिशत* से भी कम हो गया।

(**कंडिका** 2.1.9.5)

- पंचायती राज संस्थाओं को 2017-21 के दौरान केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान विलम्ब से जारी करने के कारण, मध्य प्रदेश शासन द्वारा परिहार्य ब्याज की राशि **₹** 19.83 करोड़ का भुगतान किया गया।

(कंडिका 2.1.9.6)

- चयनित ग्राम पंचायतों में 2016-21 के दौरान ग्राम सभा की 57 *प्रतिशत* (400 में से 229) त्रैमासिक एवं 82 *प्रतिशत* (100 में से 82) वार्षिक बैठकें, आवश्यक गणपूर्ति के बिना आयोजित की गईं।

(कंडिका 2.1.10.2)

- चयनित किसी भी पीआरआई ने अपने लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुशंसित प्रारूपों मे तैयार नहीं किये और पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड नहीं किये, जिसके कारण संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा (डीएलएफए) द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लेखों का प्रमाणीकरण नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1.10.5(क) और 2.1.10.5(ख)i)

- मध्य प्रदेश शासन ने पंचायत संवर्ग का सृजन, जैसा कि भारत शासन के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित है, नहीं किया। इसके अलावा, चयनित जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों में क्रमशः 60 और 45 *प्रतिशत* कार्मिकों की अत्यधिक कमी देखी गई।

(कंडिका 2.1.11.1 और 2.1.11.2)

- चयनित 75 *प्रतिशत* (20 में से 15) जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों में निरीक्षण रोस्टर/प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया, जो अप्रभावी अनुश्रवण तंत्र को दर्शाता है।

(कंडिका 2.1.12.1)

2.2 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन

- मध्य प्रदेश शासन ने राज्य समेकित निधि से भारत सरकार का अंश ₹13,937.21 करोड़ राज्य नोडल खाते (एसएनए) में 3 दिन से 11 माह के विलम्ब से हस्तांतरित किया। राज्य के तदनुरूपी अंश ₹ 8,989.89 करोड़ भी, एसएनए में एक दिन से 11 माह के विलम्ब से जारी की गई थी।

(कंडिका 2.2.6.1(क))

- सहायता राशि की प्रथम किस्त 53 *प्रतिशत* (13,18,233 लाभार्थियों) एक दिन से 4 वर्ष के मध्य विलम्ब से जारी की गई, 14 *प्रतिशत* (3,48,319) लाभार्थियों को जारी नहीं की गई और 33 *प्रतिशत* (25,04,876 में से 8,38,324) लाभार्थियों को निर्धारित समयावधि में जारी की गई।

(कंडिका 2.2.6.1(ख))

- चयनित जिलों में, 1,555 लाभार्थियों को पीएमएवाई-जी के अंतर्गत ₹15.66 करोड़ की सहायता जारी की गई, जिनके पास आवास स्वीकृति से पहले 2/3/4 पहिया वाहन थे और जो योजना अंतर्गत अपात्र थे।

(कंडिका 2.2.6.2(ग))

- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 64 प्रकरणों में, एक ही लाभार्थी को दो बार आवास स्वीकृत किया गया था। 98 प्रकरणों में, एक आवास वास्तविक लाभार्थी को स्वीकृत किया गया था और दूसरा आवास उसके परिवार के सदस्यों को स्वीकृत किया गया, जिनको एसईसीसी डेटा के अनुसार पीएमएवाई-जी योजना के लिए चिन्हित नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.2.6.2(घ))

- चयनित पांच जिलों (अलीराजपुर, धार, ग्वालियर, मंडला एवं रतलाम) की अपीलीय समिति द्वारा अपात्र घोषित किये गये 317 लाभार्थियों को ₹ 2.74 करोड़ की सहायता जारी की गयी। इसके अतिरिक्त, तीन चयनित जिलों (धार, रतलाम एवं ग्वालियर) के 36 लाभार्थियों को ₹ 42.20 लाख की सहायता प्रदान की गई, जिन्हें संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा पक्का आवास, मुख्यमंत्री आवास/इन्द्रा आवास योजना (आईएवाई) के आधार पर अपात्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

(कंडिका 2.2.6.2(ङ)) एवं (कंडिका 2.2.6.2(च))

- 90 प्रकरणों (नमूना जांच किये गए 140 में से) में अवयस्कों को पीएमएवाई-जी आवास स्वीकृत किया गया और उनके रिश्तेदारों को लाभ प्रदान किया गया, जिनके नाम एसईसीसी 2011 सूची में नहीं थे।

(कंडिका 2.2.6.3(च))

- 14 *प्रतिशत* (2016-20 के दौरान स्वीकृत 18.28 लाख में से 2.51 लाख) आवासों को पूरा करने में एक दिन से तीन वर्ष तक का विलम्ब होने के कारण, लक्षित समय के भीतर आवास उपलब्ध कराने के योजना के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 2.2.6.4 (क)ii)

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 2016-21 के दौरान स्वीकृत 23.98 लाख आवासों का प्रथम निरीक्षण 31 मार्च 2021 तक किया जाना था। हमने पाया कि 18 *प्रतिशत* (4.20 लाख) प्रकरणों में कोई निरीक्षण नहीं किया गया था और 23 *प्रतिशत* (5.52 लाख) प्रकरणों में निरीक्षण तीन माह बाद, एक दिन से 4 वर्ष के विलम्ब से किया गया, जिससे लाभार्थियों को निर्माण कार्य निरंतर रखने के लिए आवश्यक दूसरी किस्त जारी करने में विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.2.6.5(क))

- आवास सॉफ्ट पर निर्माण चरण की फोटोग्राफ अपलोड करने के आधार पर, लाभार्थी को सहायता जारी की जानी थी। हमने देखा कि 70 प्रकरणों में केवल पूर्णता स्तर के फोटोग्राफ आवास सॉफ्ट में अपलोड किए गए थे। 2262 प्रकरणों में दूसरी किस्त जारी की गई, जिसमें प्लिंथ स्तर के फोटोग्राफ अपलोड नहीं किए गए थे। 710 प्रकरणों में तीसरी किस्त जारी की गई, जिसमें लिंटल स्तर तक के निर्माण का फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.2.6.5(ख))

अध्याय 3: अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1 जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के विकल्प पर कराये गये अधोसंरचना कार्य

- वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य वित्त आयोग अनुदान के अन्तर्गत आवंटित ₹ 552.50 करोड़ में से ₹ 475.56 करोड़ (86 *प्रतिशत*) की राशि, योजना के नवीन दिशा-निर्देशों के जारी होने तक नए कार्यों को प्रारम्भ करने पर विभाग द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अप्रयुक्त रही। आगे, पंचायत राज संचालनालय द्वारा जिला पंचायतों(जि.पं.)/जनपद पंचायतों (ज.पं.) को कोषागार प्रणाली के माध्यम से जारी की गई योजना राशि को अन्य योजनाओं की राशि के साथ बैंक खातों में रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप जि.पं./ज.पं. द्वारा रा.वि.आ. अनुदानों के लिए पृथक बहीखाता एवं खाता न संधारित करने के कारण योजना निधि पर अर्जित ब्याज को पृथक नहीं किया जा सका।

(कंडिका 3.3)

- राज्य वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग सुनिश्चित किए बिना, उन्हें जारी कर दिया गया। वर्ष 2017-20 के लिए 14 चयनित जि.पं./ज.पं. में से केवल पांच जि.पं./ज.पं. ने आवश्यक 42 उपयोगिता प्रमाण पत्रों में से, कुल 12 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए।

(कंडिका 3.3.1)

- चयनित 163 अधोसंरचना कार्यों में से केवल 31 कार्य ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में सम्मिलित थे तथा शेष 132 कार्यों के लिए संबंधित जि.पं./ज.पं. द्वारा जारी की गई प्रशासनिक स्वीकृति योजना के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध थी।

(कंडिका 3.4.1)

- चयनित 163 कार्यों में से केवल 14 कार्य (8.6 *प्रतिशत*) निर्धारित समयावधि के भीतर पूरे किए गए थे। 68 कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति एवं कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र में पूर्णता अवधि का उल्लेख न होने से, कार्यों में पूर्ण होने में हुए विलम्ब का निर्धारण नहीं किया जा सका, जो कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब पर विभाग का कोई नियंत्रण न होना दर्शाता है।

(कंडिका 3.4.2)

- 88 *प्रतिशत* (163 में से 143) कार्यों की राशि ₹ 9.12 करोड़ की गुणवत्ता जांच नहीं की गई। 79 कार्यों का विस्तृत माप पुस्तिका में दर्ज किया जाना नहीं पाया गया।

(कंडिका 3.4.3 और 3.4.4)

- ग्वालियर जिले की ग्राम पंचायत सुपावली और विदिशा जिले की ग्राम पंचायत डंगवाड़ा ने चारे की भूमि और आबादी भूमि का टाइटल बदलकर शांतिधाम की चहरदीवारी के निर्माण पर क्रमशः ₹ 7.25 लाख और ₹ 12.00 लाख व्यय किया।

(कंडिका 3.4.5 और 3.4.6)

- निष्पादित किए जा रहे 95 कार्यों (व्यय ₹ 5.58 करोड़) की जियो-टैग की गई फोटोग्राफ को निर्माण के किसी भी चरण में पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया। जियो-टैग किए गए फोटोग्राफ अपलोड न करने से ऑनलाइन निगरानी का उद्देश्य विफल हो गया।

(कंडिका 3.4.7)

- योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायतों ने राशि ₹ 32.50 लाख की पांच पुलियों के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। ₹ 1.58 करोड़ की लागत के 24 सीमेंट कान्क्रीट (सीसी) सड़क निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति सड़कों की मोटाई का उल्लेख किए बिना प्रदान की गई थी।

(कंडिका 3.4.8.1 और 3.4.8.2)

- कार्यों के भौतिक और ऑनलाइन पोर्टल विवरण मेल नहीं खाते थे, और 2017-20 के दौरान वास्तव में निष्पादित कार्यों से 240 कार्यों का अन्तर था।

(कंडिका 3.5.1)

अध्याय 4: शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली पर विहंगावलोकन

- शहरी स्थानीय निकायों को समय-समय पर सेवा स्तर बेंचमार्क पर प्रदर्शन रिपोर्ट तैयार करनी होती है और प्रदर्शन प्रबंधन के लिए प्रणाली को संस्थागत बनाना होता है। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 401 नगरीय स्थानीय निकायों में से 312 (77.81 *प्रतिशत*) अभी भी 100 *प्रतिशत* जल कनेक्शन प्राप्त करने के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं। 151 नगरीय स्थानीय निकाय (37.66 *प्रतिशत*) शौचालयों की कवरेज प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहे। 248 (61.85 *प्रतिशत*) और 207 (51.62 *प्रतिशत*) नगरीय स्थानीय निकाय क्रमशः ठोस कचरे को अलग करने और ठोस कचरे से पुन: उपयोग/पुनर्नवीनीकरण सामग्री प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहे।

(कंडिका 4.3.2)

- 2016-21 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार को मार्च 2021 तक भारत सरकार से 14वें (2015-20) और 15वें (2020-2026) वित्त आयोग अनुदान के रूप में क्रमशः ₹ 3,226.33 करोड़ और ₹ 1,768.50 करोड़ प्राप्त हुए। हालाँकि, राज्य सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने में देरी की और 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों को किश्तों के साथ ₹ 13.77 करोड़ ब्याज जारी नहीं किया गया।

(कंडिका 4.7)

- संभवतः 14वें वित्त आयोग द्वारा प्रदर्शन संबंधी सिफारिशों के अनुपालन में कमी के कारण राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को परफार्मेंस अनुदान के रूप में ₹ 602.55 करोड़ कम जारी किए गए थे ।

(कंडिका 4.7)

- तीसरे राज्य वित्त आयोग (तृतीय रा.वि.आ.) ने सिफारिश की (फरवरी 2010 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गई) कि राज्य सरकार के विभाज्य कर राजस्व का एक

प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। हालाँकि, 2016-21 के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों को ₹ 226.50 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ था ।

(कंडिका 4.8)

अध्याय 5: अनुपालन लेखापरीक्षा

5.1 मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी कंपनियों की अनुपालन लेखापरीक्षा

- पैन-सिटी पहल के रूप में गैर-सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) परियोजनाओं को जोड़ने की अनुमति नहीं है। स्मार्ट सिटी कंपनियों, भोपाल और इंदौर ने पैन-सिटी मॉडल के तहत 'स्मार्ट' संपत्ति बनाने के लिए कुल ₹ 91.33 करोड़ रुपये खर्च किए। हालाँकि, बनाई गई स्मार्ट संपत्तियों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) घटक नहीं थे ।

(कंडिका 5.1.5.3)

- स्मार्ट सिटी कंपनियों, भोपाल और इंदौर ने योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पैन-सिटी विकास के तहत ₹ 29.11 करोड़ का नवीनीकरण कार्य किया ।

(कंडिका 5.1.5.3)

- स्मार्ट सिटी कंपनी, इंदौर ने दोषपूर्ण निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए ऐसे ठेकेदार को कार्य दिया, जो कार्य पूर्ण करने में सक्षम नहीं था। परिणामस्वरूप, ठेकेदार कार्य पूर्ण नहीं कर सका और अनुबंध समाप्त कर दिया गया (जुलाई 2021)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.38 करोड़ की राशि का निरर्थक व्यय हुआ। इसके अलावा, स्मार्ट सिटी कंपनी ने ₹ 2.03 करोड़ (कार्य के निष्पादन से पूर्व ठेकेदार द्वारा जमा की गई) की बैंक गारंटी को भुनाकर कार्य पूर्ण करने में विफलता के लिए ठेकेदार को दंडित नहीं किया है।

(कंडिका 5.1.6.4)

- स्मार्ट सिटी कंपनी, इंदौर ने इंटीग्रेटेड स्मार्ट रोड नेटवर्क चरण-पांच (जून 2018) के विकास के कार्य के लिए एक एनआईटी जारी की, जिसकी अनुमानित लागत ₹ 48.51 करोड़ है। केवल एक ठेकेदार ने बोली में भाग लिया। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों का

उल्लंघन करते हुए, ठेका ₹ 60.58 करोड़ में दिया गया (सितंबर 2018), जो दरों की अनुसूची से 24.90 *प्रतिशत* अधिक था ।

(कंडिका 5.1.6.5)

- स्मार्ट सिटी कंपनियों, भोपाल एवं इंदौर के 18 कार्यों में यह पाया गया कि ठेकेदारों ने विभिन्न मात्रा में गौण खनिजों का उपयोग कर निर्माण कार्य किये, जिसके लिए कंपनियों द्वारा न तो रॉयल्टी की उचित कटौती की गई और न ही आवश्यकतानुसार अंतिम भुगतान करने से पहले ठेकेदारों से 'रॉयल्टी का अदेयता प्रमाण पत्र' प्राप्त किया गया। इससे सरकार को ₹ 10.62 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ ।

(कंडिका 5.1.6.11)

5.2 नगरीय स्थानीय निकायों में प्राप्तियाँ (संपत्ति कर एवं किराया) पर अनुपालन लेखापरीक्षा

- नमूना-जाँच में शामिल 16 नगरीय स्थानीय निकायों में से 12 के आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारियों ने 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान परिषद/निगम को मसौदा प्रस्ताव तैयार और प्रस्तुत नहीं किया था और वार्षिक किराया मूल्य/कर योग्य संपत्ति मूल्य के निर्धारण के लिए पुरानी दरों को अपनाया था।

(कंडिका 5.2.5.1)

- नमूना-जाँच में शामिल 16 नगरीय स्थानीय निकायों में से 15 में, विभाग ने 1,14,030 संपत्ति मालिकों से बकाया संपत्ति कर के रूप में ₹ 347.98 करोड़ (जनवरी 2022 तक) वसूल नहीं किये थे। इन मामलों में, प्रत्येक संपत्ति पर बकाया ₹ 5,000 से अधिक था।

(कंडिका 5.2.5.3)

- नमूना-जाँच में शामिल 16 नगरीय स्थानीय निकायों में से छः में, नीलाम की गई 94 दुकानों के विरुद्ध प्रीमियम के रूप में ₹ 12.10 करोड़ की राशि बकाया थी।

(कंडिका 5.2.6.1)

- नमूना-जाँच में शामिल 16 नगरीय स्थानीय निकायों में से 12 में, 3,396 दुकानों के किराए के रूप में ₹ 18.60 करोड़ की राशि वसूली के लिए बकाया थी। इन मामलों में, प्रत्येक प्रकरण में बकाया ₹ 10,000 से अधिक था।

(कंडिका 5.2.6.2)

5.3 नगरीय स्थानीय निकायों में जल आपूर्ति प्रबंधन

- 135 एलपीसीडी की अनुशंसित प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति के मुकाबले, 2018-19 और 2020-21 की अवधि के दौरान आबादी को आपूर्ति की गई वास्तविक पानी, ग्वालियर नगर निगम में 32.11 और 35.22 एलपीसीडी के बीच जबलपुर नगर निगम में 95.93 और 98.60 एलपीसीडी के बीच और विदिशा नगर परिषद में 96.33 से 100.68 एलपीसीडी के बीच थी।

(कंडिका 5.3.7.3)

- परीक्षण किए गए सभी नगरीय स्थानीय निकायों में दृश्यमान और अदृश्य रिसाव का पता लगाने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी।

(कंडिका 5.3.7.6)

- नगरीय विकास मंत्रालय की सर्विस लेवल बेंचमार्क की हैंडबुक के अनुसार, सभी घरों को जल कनेक्शन नेटवर्क में लाया जाना है। ग्वालियर नगर निगम में 1.70 लाख घर (53.97 *प्रतिशत*), जबलपुर नगर निगम में 1.24 लाख घर (44.93 *प्रतिशत*) और विदिशा नगर परिषद में 8,837 घर (26.98 *प्रतिशत*) जल कनेक्शन नेटवर्क से बाहर थे।

(कंडिका 5.3.7.7)

- नमूना-जाँच में शामिल सभी नगरीय स्थानीय निकायों में, बिना किसी गुणवत्ता परीक्षण के बोरवेल से पानी की आपूर्ति की गई थी।

(कंडिका 5.3.8.2)

- ओवर हेड टैंक की सफाई के लिए सीपीएचईईओ संचालन एवं अनुरक्षण जल आपूर्ति प्रणाली मैनुअल, 2005 के प्रावधानों का नमूना-जाँच में शामिल किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय में पालन नहीं किया गया था।

(कंडिका 5.3.8.4)

- पानी की आपूर्ति के लिए उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली के संबंध में दिशानिर्देश और गजट अधिसूचना का अनुपालन नमूना-जाँच में शामिल नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा नहीं किया जा रहा था, और पानी के उपयोग के लिए उपयोगकर्ता शुल्क ग्वालियर नगर

निगम द्वारा ₹ 150 प्रति माह, जबलपुर नगर निगम द्वारा ₹ 170 प्रति माह और विदिशा नगर परिषद द्वारा ₹ 100 प्रति माह की तदर्थ दर पर लगाया गया था।

(कंडिका 5.3.9.1)

- मार्च 2021 तक जल शुल्क की वसूली के लिए ग्वालियर नगर निगम में ₹ 16.93 करोड़, जबलपुर नगर निगम में ₹ 126.20 करोड़ और विदिशा नगर परिषद में ₹ 18.81 करोड़ बकाया थे। नमूना-जाँच में शामिल नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रावधानों के अनुसार बकाया वसूली की कार्यवाही नहीं की गई।

(कंडिका 5.3.9.2)

भाग-अ

अध्याय-1

पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदित प्रकरणों पर विहंगावलोकन

अध्याय 1: पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदित प्रकरणों पर विहंगावलोकन

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदत्त करता है और अन्य बातों के साथ ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन, निर्धारित कार्यकाल, नियमित निर्वाचन, स्थानीय स्व-शासन प्रणाली की स्थापना हेतु राज्य विधान मंडल द्वारा पंचायतों को शक्तियां एवं उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान करता है। फलस्वरूप, मध्य प्रदेश राज्य विधान सभा ने त्रि-स्तरीय प्रणाली क्रमशः ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत स्थापित करने के लिए *मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993* (इसके पश्चात् पीआरआई अधिनियम कहा गया) अधिनियमित किया। मार्च 2021 की स्थिति मे राज्य में 51 जिला पंचायत (जि.पं.) 313 जनपद पंचायत (ज.पं.) और 22809 ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) है ।

राष्ट्रीय औसत आकड़ों की तुलना में मध्य प्रदेश के जनसांख्यकी की जानकारी नीचे दी गयी है:

विवरण	इकाई	मध्यप्रदेश	सम्पूर्ण भारत
जनसंख्या	करोड़	7.26	121.08
ग्रामीण जनसंख्या	करोड़	5.26	83.37
ग्रामीण जनसंख्या का भाग	प्रतिशत	72.45	68.85
ग्रामीण शिक्षा दर	प्रतिशत	63.94	67.80
ग्रामीण लिंगानुपात (प्रति हजार पुरूषों पर महिलायें)	अनुपात	936/1000	949/1000

(स्रोतः जनगणना आकड़ें 2011)

1.2 पंचायती राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक और नियामक प्राधिकरण है।

पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक संरचना

अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (अ.प्र.स., पं.एवं ग्रा.वि.वि.)

↓

आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय (पं.रा.स.)

↓

	जिला पंचायतें	जनपद पंचायतें	ग्राम पंचायतें
प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मु.का.अ.)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मु.का.अ.)	सचिव
निर्वाचित प्राधिकारी	अध्यक्ष	अध्यक्ष	सरपंच

पीआरआई अधिनियम की धारा 46 और 47 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों से जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों की निम्नलिखित स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान है।

ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियां
अ सामान्य प्रशासन समिति
ब निर्माण एवं विकास समिति
स शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति

जिला एवं जनपद पंचायतों की स्थायी समितियां
अ सामान्य प्रशासन समिति
ब कृषि समिति
स शिक्षा समिति
द संचार एवं संकर्म समिति
य सहकारिता एवं उद्योग समिति

1.3 पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-छ के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विधानमंडल, विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगी, जैसा कि वे उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्व संबंधी हस्तांतरण के प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।

1.3.1 पीआरआई अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्य होंगे, जिन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है। अध्यक्ष, जिला पंचायत के संकल्पों पर कार्रवाई करने एवं अभिलेखों और रजिस्टरों के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने, भुगतानों को अधिकृत करने, चेक जारी करने और रिफंड की मंजूरी आदि के लिए राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी है। पीआरआई अधिनियम में राज्य शासन द्वारा जिला पंचायत स्तर पर एक मु.का.अ. और एक या एक से अधिक अतिरिक्त मु.का.अ. की नियुक्ति के लिए भी प्रावधान है।

जिला पंचायतें, जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करने एवं उनका समन्वयित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह ज.पं. द्वारा तैयार की गई योजनाओं का सम्पूर्ण पर्यवेक्षण, समन्वयन तथा समेकन के साथ-साथ केंद्र शासन अथवा राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई निधियों को जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को पुनः आवंटित करना सुनिश्चित करेगी।

1.3.2 जनपद पंचायतें (ज.पं.) ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर हैं। प्रत्येक ज.प. मे निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। ज.पं. के अध्यक्ष की शक्ति एवं उतरदायित्व, जिला पंचायत के अध्यक्ष के समान होती है। पीआरआई अधिनियम की धारा 69 (2) के अनुसार, राज्य शासन ज.पं. के लिए मु.का.अ. और एक या एक से अधिक अतिरिक्त मु.का.अ. नियुक्त करेगी। ज.पं. का मु.का.अ. अपने क्षेत्राधिकार में सामुदायिक विकास ब्लॉक और आदिम जाति विकास ब्लॉक के प्रशासन का पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण करता है। राज्य शासन द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन में, ऐसे ब्लॉकों को सौंपे गए कृत्यों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन जनपद पंचायत के अधीक्षण, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में किया जाता है।

आगे, पीआरआई अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत, ज.पं. का यह दायित्व है कि वह ग्राम पंचायतों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के संबंध में वार्षिक कार्ययोजना पर विचार करे और उसे समेकित कर जिला पंचायत को प्रस्तुत करे।

1.3.3 ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.), जमीनी स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं का अंतिम स्तर है, जिसमें निर्वाचित पंच और सरपंच शामिल होते हैं, जो ग्राम पंचायत के संकल्पों को लागू करती हैं और राज्य शासन के निर्देशों का पालन करती हैं। ग्राम पंचायत का यह दायित्व है कि वे किसी भी विधि द्वारा या केंद्र/राज्य शासन अथवा जिला/जनपद पंचायत द्वारा सौंपी गई योजनाओ, संकर्मों तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें। पीआरआई अधिनियम की धारा 49-क के अनुसार, ग्राम पंचायत का यह दायित्व है कि वह आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक कार्ययोजना तैयार करे और उसे जनपद पंचायत की कार्ययोजना के साथ एकीकृत करने के लिए जनपद पंचायत को प्रस्तुत करे।

1.4 लेखापरीक्षा व्यवस्था

1.4.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

राज्य शासन ने संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा (डीएलएफए) को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए प्राथमिक लेखापरीक्षक के रूप में (नवंबर 2001) नियुक्त किया, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता के अंतर्गत कार्य करता है। तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता के मानक निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखाओं की ऐसी नमूना जांच करने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणी करने और अनुपूरक करने का अधिकार होगा, जैसा वह उचित समझे। आगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उनके प्रतिनिधि, अपने विवेक से लेखापरीक्षा परिणामों को राज्य विधान सभा को प्रतिवेदित करने का अधिकार रखते है।

संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता

लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन 2007 की धारा 152 तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन 2020 की धारा 120 में पंचायती राज संस्थाओं को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता के लिये निम्नलिखित व्यवस्थायें की गई हैं:

- स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना तैयार करेगा और इसे राज्य के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित करेगा।
- स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के लिए प्रक्रिया और लेखापरीक्षा क्रियाविधि, राज्य शासन द्वारा बनाये गये विभिन्न अधिनियमों और परिनियम तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।
- स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा चयनित स्थानीय निकायों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रणाली में सुधार करने हेतु सुझाव के लिए अग्रेषित की जाएगी।
- स्थानीय निधि संपरीक्षा, सुझाव और निगरानी के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में विवरणी प्रस्तुत करेगा।
- स्थानीय निधि संपरीक्षा, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के परामर्श से अपने संगठन में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित करेगा।

- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्मिकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण भी करेंगे।

स्थानीय निधि संपरीक्षा ने वर्ष 2019-21 की वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्य प्रदेश को एक से पांच माह के विलंब से अग्रेषित किया ।

स्थानीय निधि संपरीक्षा ने वर्ष 2019-21 के दौरान 102 निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम) मध्य प्रदेश को पुनरीक्षण हेतु भेजे। हालांकि, स्थानीय निधि संपरीक्षा ने 102 पुनरीक्षित निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 36 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कार्यवाही की।

स्थानीय निधि संपरीक्षा ने निरीक्षण प्रतिवेदनों की गुणवत्ता में सुधार के लिए आठ कार्यालयों[1] में आंतरिक नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना की। आंतरिक नियंत्रण प्रकोष्ठ ने 2019-20 के दौरान जिला और जनपद पंचायत के 64 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर एडवाइजरी जारी किया, तथापि, 2020-21 के दौरान कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई।

आगे, स्थानीय निधि संपरीक्षा ने 2019-20 और 2020-21 के दौरान गबन, गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और अभिलेखों के अप्रस्तुत रहने के मामलों के विरूद् कार्रवाई करने हेतु क्रमशः 29 और 67 पत्र जारी किया।

वर्ष 2019-21 के दौरान 28 प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन कार्यक्रम आयोजित कर 440 स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन किया गया।

1.4.2 स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की कंडिका 10.121 में उल्लिखित है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ-साथ संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे। तद्नुसार, पीआरआई अधिनियम की धारा 129 को जुलाई 2011 में संशोधित किया गया था, जिसके अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा की पंचायतों पर वार्षिक लेखापरीक्षा

[1] ***संचालनालय स्तर पर एक एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर सात।***

प्रतिवेदन के साथ राज्यपाल को प्रस्तुत किया जायेगा, जो इन प्रतिवेदनों को विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु भेजेगें।

मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा ने स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति (एलबीपीएसी) का गठन (जुलाई 2015) में किया गया, जो संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का **परीक्षण करने के साथ-साथ** स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने और निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों को प्रदान किए गए सहायता अनुदान और ऋण के उपयोग की जांच करेगी।

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जुलाई 2017 में राज्य विधान सभा में रखा गया था। आगे, 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के संदर्भ में, स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन जून 2018 में राज्य विधानसभा में रखी गई। 31 मार्च 2017 और 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन 21 सितंबर 2020 को राज्य विधानसभा में रखा गया तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन 11 मार्च 2021 को राज्य विधानसभा में रखा गया। स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन एवं वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन पर कृत कार्यवाही नवंबर 2022 तक अपेक्षित है।

1.5 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया

तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कुछ पंचायती राज संस्थाओं की नमूना जाँच करेंगे। पंचायती राज संस्था द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के अनुसरण हेतु नमूना जांच प्रतिवेदन स्थानीय निधि संपरीक्षक को भेजा जाएगा।

तथापि, 31 मार्च 2021 तक प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के 2,693 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 11,726 कंडिकाऐं[2] निराकरण हेतु लंबित थी, जैसा कि **तालिका 1.1** में वर्णित है-

[2] ***वर्ष 2019-20 के दौरान इंदौर, शहडोल, सागर एवं उज्जैन संभाग में आयोजित उच्च प्राधिकार समिति द्वारा निर्णीत 1,384 कंडिकाओं को सम्मिलित करते हुए।***

तालिका-1.1: 31 मार्च 2021 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति

वर्ष	प्रारंभिक शेष और वर्ष के दौरान शामिल				वर्ष के दौरान निराकृत		अन्तिम शेष	
	नि.प्र का प्रा.शेष	शामिल नि.प्र.	कंडिकाओं का प्रा. शेष	शामिल कंडिकायें	नि.प्र. की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	नि.प्र. की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
2019-20	2862	121	12610	1218	103	1002	2880	12826
2020-21	2880	02	12826	13	189	1113	2693	11726

(स्रोतः-प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) म.प्र., ग्वालियर के अभिलेख)

आगे, लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं के अनुपालन/सुधारात्मक कार्यवाही प्रस्तुत करने हेतु पत्र संबंधित जिला पंचायत और जनपद पंचायत को जारी किए गए ।

1.6 सामाजिक लेखापरीक्षा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना की संपरीक्षा नियमावली, 2011 में उल्लिखित है कि राज्य शासन छः माह में कम से कम एक बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत कराये गए कार्यों के सामाजिक संपरीक्षा करायेगी। फलस्वरूप, मध्य प्रदेश शासन ने (जनवरी 2013) सामाजिक संपरीक्षा इकाई "म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति" ग्राम सभा को सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में दक्ष करने हेतु जनवरी 2013 में स्थापित किया।

वर्ष 2019-21 के दौरान, आयोजित 91,236 सामाजिक संपरीक्षा के विरुद्ध, मात्र 36,995 *(41 प्रतिशत)* सामाजिक संपरीक्षा की गई थी, जैसा कि ***तालिका 1.2*** में वर्णित है-

तालिका-1.2: मनरेगा योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति

वर्ष	राज्य मे ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	वर्ष में की जाने वाली सामाजिक लेखापरीक्षा की कुल संख्या	वर्ष में की गयी सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	वर्ष में सामाजिक लेखापरीक्षा में कमी	कमी का प्रतिशत
2019-20	22809	45618	14186	31432	69
2020-21	22809	45618	22809	22809	50
योग		**91236**	**36995**	**54241**	**59**

(स्रोतः संचालक, म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी)

आगे, **17** जिलों में प्रकाश में आये **6562** मुद्दे **₹ 146.50** लाख में से, **2286** मुद्दे **₹ 111.37** लाख निधि के दुरुपयोग से संबंधित थे जो पूर्वोक्त अवधि में निराकरण हेतु लंबित थे।

1.7 वित्तीय प्रतिवेदित मुद्दे

1.7.1 कार्य, कोष और अमले का हस्तांतरण

73 वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में कार्य, कोष और अमला के हस्तानान्तरण की स्थिति की चर्चा आगामी अध्याय में की गयी है।

1.7.2 राजस्व के स्रोत

पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व के दो स्रोत, यथा शासकीय अनुदान एवं उनके स्वयं के राजस्व हैं। शासकीय अनुदानों में (I) 14वें और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत सौंपे गए अनुदान तथा (II) राज्य शासन द्वारा तीसरे राज्य वित्त आयोग (तृतीय रा.वि.आ.) की स्वीकार (फरवरी 2010) की गई अनुशंसाओं के अनुसार राज्य शासन के पूर्व वर्ष के विभाज्य कर राजस्व[3] का चार प्रतिशत का हस्तांतरण।

तथापि, वित्त विभाग ने राज्य शासन द्वारा स्वीकार की गई राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को अनुशंसित अनुदान हस्तांतरित नहीं किया, जैसा कि **तालिका 1.3** में वर्णित है:

तालिका-1.3: पंचायती राज संस्थाओं को निधियों का हस्तांतरण

(राशि ₹ करोड़ मे)

वर्ष	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाने वाला रा.वि.आ. अनुदान	वास्तविक रूप से पंचायती राज संस्थाओ को हस्तांतरित रा.वि.आ. अनुदान *(प्रतिशत)*	रा.वि.आ. अनुदानों का कम हस्तांतरण *(प्रतिशत)*
2019-20	1473.77	381.26 *(26)*	1092.51 *(74)*
2020-21	1677.84	329.62 *(20)*	1348.22 *(80)*
योग	**3151.61**	**710.88 *(23)***	**2440.73 *(77)***

(स्रोतः वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

तालिका-**1.3** से यह स्पष्ट है कि **2019-21** के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को केवल **23** प्रतिशत राज्य वित्त आयोग अनुदान हस्तांतरित किया गया।

[3] *पिछले वर्ष के कुल कर राजस्व में से संग्रहित करों पर हुए दस प्रतिशत व्यय एवं पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय नगरीय निकायों को सौंपें गए राजस्व को घटाकर।*

1.7.3 पंचायती राज संस्थाओं को बजटीय आवंटन एवं व्यय

वर्ष 2019-20 से 2020-21 के दौरान राज्य बजट के माध्यम से राज्य शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित निधियों (राज्य के कर राजस्व का अंश एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुदान) को **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है:

तालिका-1.4: आय एवं व्यय दर्शाये जाने वाला विवरण

(राशि ₹ करोड़ मे)

वर्ष	सहायता अनुदान			वास्तविक व्यय			अव्ययित राशि	अव्ययित राशि *प्रतिशत मे*
	राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग		
1	2	3		4	5	6	7	8
2019-20	28215.68	4524.30	32739.98	20599.75	4063.63	24663.38	8076.60	25
2020-21	21369.60	4115.28	25484.88	21005.15	3189.18	24194.33	1290.55	05
योग	**49585.28**	**8639.58**	**58224.86**	**41604.90**	**7252.81**	**48857.71**	**9367.15**	

(स्रोतः वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के विनियोजन लेखे की मांग संख्या 30, 53, 59 एवं 62)

उपरोक्त **तालिका 1.4** से स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2020-21 के दौरान वर्ष 2019-20 की तुलना में अनुदान के आवंटन में 22 *प्रतिशत* की कमी हुई। तथापि, पंचायती राज संस्थाएं संपूर्ण आवंटित निधि का उपयोग नहीं कर सकी और बचत पांच से 25 *प्रतिशत* के मध्य रही हैं ।

अध्याय-2

निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन

2.2 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का कार्यान्वयन

अध्याय-2: निष्पादन लेखापरीक्षा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

2.1 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

भारत सरकार (भा.स.) ने पंचायतों में स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 अप्रैल (1993 से प्रभावी) लागू किया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं प्रत्येक ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत संरचना स्थापित करना है; पंचायतों में प्रत्येक पांच वर्ष में नियमित निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करना; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आनुपातिक स्थान आरक्षण; और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा का गठन करना है। साथ ही, जिले की व्यापक योजना के लिए जिला योजना समिति (जि.यो.स.) का गठन करना भी है।

मध्य प्रदेश शासन (मध्य प्रदेश) ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जनवरी 1994 से अस्तित्व में आये मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (इसके पश्चात पीआरआई अधिनियम कहा जाएगा) को लागू किया, जो प्रत्येक पंचायती राज संस्था स्तर पर बजट, वार्षिक लेखा और विकास योजनाओं की तैयारी के लिए स्थायी समिति के गठन; विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाओं के लिए जिला पंचायत (जि.पं.) और जनपद पंचायत (ज.पं.) को पर्यवेक्षी शक्ति एवं ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) को कार्यान्वयन शक्ति प्रदान करता है। आगे, संविधान के अनुच्छेद 243-छ की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 कार्यों का पंचायतों को हस्तांतरण के परिप्रेक्ष्य में, मध्य प्रदेश शासन ने पंचायतों को कार्यक्रम, गतिविधियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए विभागों को मार्गदर्शी सिद्धांत जनवरी 1997 में जारी किया।

वर्ष 2016-21 तक की अवधि को शामिल करते हुए, निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) चार चयनित विभागों के संचालनालयों (पंचायत राज संचालनालय के अतिरिक्त) और इसकी जिला इकाइयों, 10 जि.पं. (प्रत्येक संभाग से एक जि.पं.), 10 ज.पं. (प्रत्येक चयनित जि.पं. से एक ज.पं.) और 20 ग्रा.पं. (प्रत्येक चयनित ज.पं. से दो ग्रा.पं.) के

अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा की गयी, जिससे निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

- नमूना जांच किए गए चार विभागों के कार्यकलाप, कोष और अमले का हस्तान्तरण नहीं हुआ। आगे, चार विभागों (नमूना जांच किए गए विभागों के अलावा) ने हस्तान्तरित किये गए कार्य, कोष और अमले को 1998-2014 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं से वापस लिया।

(कंडिका 2.1.7.1 और 2.1.7.2)

- मध्य प्रदेश शासन ने तीसरे, चौथे और पांचवें राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन क्रमशः सात महीने, डेढ़ वर्ष और एक महीने 23 दिनों के विलम्ब से किया। हमने पाया कि तीसरे और चौथे राज्य वित्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन क्रमशः दो वर्ष छः माह और चार वर्षों के विलम्ब से प्रस्तुत किया।

(कंडिका 2.1.8.1)

- पर्याप्त कोष की उपलब्धता के बावजूद पंचायती राज संस्थाओं के 3.92 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों और 28,150 कार्मिकों के प्रशिक्षण के लक्ष्य के विरुद्ध 70 *प्रतिशत* निर्वाचित प्रतिनिधियों और 97 *प्रतिशत* कार्मिकों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

(कंडिका 2.1.8.3)

- चयनित जिलों में अवधि 2016-2021 के दौरान 35 *प्रतिशत* (आवश्यक 200 में से 71) जिला योजना समिति की बैठकें आयोजित की गईं। चयनित जिलों के किसी भी जिला योजना समिति ने पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों की विकास योजनाओं को समेकित करते हुए जिला विकास योजना तैयार नहीं की।

(कंडिका 2.1.8.4)

- कुल प्राप्तियाँ राशि **₹ 20,985.04** करोड़ में से, पंचायती राज संस्थाएँ केवल दो *प्रतिशत* सृजित कर सकीं और शेष प्राप्तियाँ राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान था।

(कंडिका 2.1.9.1)

- मध्य प्रदेश शासन ने पंचायती राज संस्थाओं को बजट उपलब्ध कराने हेतु अनुदान मांग संख्या **53** का सृजन किया। वित्त विभाग द्वारा **2016-21** के दौरान अनुदान

मांग संख्या **53** के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/पीआरआई को निधि **₹ 79,693.06** करोड़ तथा संविधान की अनुसूची **11** में उल्लिखित **29** कार्यों से संबंधित क्रमशः **33** से **42** एवं **32** से **57** योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु **₹ 43,542.26** करोड़ अन्य विभागों के बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) को आवंटित की गयी।

(कंडिका 2.1.9.2)

- वर्ष **2016-17** को छोड़कर, मध्य प्रदेश शासन ने विभाज्य कर राजस्व का, चार *प्रतिशत* राशि पीआरआई को आवंटित नहीं किया और **2017-21** के दौरान आवंटन निरंतर तीन *प्रतिशत* से घटकर एक *प्रतिशत* से भी कम हो गया।

(कंडिका 2.1.9.5)

- पंचायती राज संस्थाओं को **2017-21** के दौरान केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान विलम्ब से जारी करने के कारण, मध्य प्रदेश शासन द्वारा परिहार्य ब्याज की राशि **₹ 19.83** करोड़ का भुगतान किया गया।

(कंडिका 2.1.9.6)

- चयनित ग्राम पंचायतों में **2016-21** के दौरान ग्राम सभा की **57** *प्रतिशत* (**400** में से **229)** त्रैमासिक एवं **82** *प्रतिशत* (**100** में से **82)** वार्षिक बैठकें, आवश्यक गणपूर्ति के बिना आयोजित की गईं।

(कंडिका 2.1.10.2)

- चयनित किसी भी पीआरआई ने अपने लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुशंसित प्रारूपों मे तैयार नहीं किये और पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड नहीं किया, जिसके कारण संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा (डीएलएफए) द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लेखों का प्रमाणीकरण नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1.10.5(क) और 2.1.10.5 (ख)i)

- मध्य प्रदेश शासन ने पंचायत संवर्ग का सृजन, जैसा कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित है, नहीं किया। इसके अलावा, चयनित जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों में क्रमशः 60 और 45 *प्रतिशत* कार्मिकों की अत्यधिक कमी देखी गई।

(कंडिका 2.1.11.1 और 2.1.11.2)

- चयनित 75 *प्रतिशत* (20 में से 15) जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों में निरीक्षण रोस्टर/प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया, जो अप्रभावी अनुश्रवण तंत्र को दर्शाता है।

(कंडिका 2.1.12.1)

2.1.1 प्रस्तावना

स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने के लिए, भारत सरकार ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 लागू किया, जो अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया। संविधान के अनुच्छेद 243-छ को दृष्टिगत रखते हुए, मध्य प्रदेश शासन ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम,1993 (पीआरआई अधिनियम के रूप में विदित है) को अधिनियमित किया, जो जनवरी 1994 से अस्तित्व में आया और शक्तियों एवं उत्तरदायित्व के हस्तांतरण के प्रावधान किए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम राज्य शासन को मध्य प्रदेश में अनुच्छेद 243-छ की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 कार्यों से संबंधित 20 विभागों ***(परिशिष्ट-2.1.1)*** को हस्तान्तरण करने का अधिकार देता है।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों हस्तांतरित करने को नीचे सारांशीकृत किया गया हैः

- ग्रामों में ग्राम सभा का गठन।
- ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत का गठन।
- पंचायतों की सभी स्थानों पर सीधे निर्वाचन ।
- पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु इक्कीस वर्ष का होना।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान का आरक्षण।
- पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर कुल स्थान में से, एक तिहाई स्थान के लिए का महिलाओं का लिए आरक्षण।
- पंचायतों के लिए निर्धारित कार्यकाल पांच वर्ष।
- पूर्ण मताधिकार के साथ मध्यवर्ती (ब्लॉक) और जिला स्तर पर संसद के सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों (विधायकों) और विधान परिषद के सदस्यों (एमएलसी) को प्रतिनिधित्व देना।

पीआरआई अधिनियम, 1993 में जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों के सुचारू कामकाज हेतु प्रावधानों की परिकल्पना की गई है। जिला स्तर पर, जिला पंचायतों को जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों के अनुश्रवण हेतु शक्तियां सौंपी गयी हैं। ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत का कार्य, इन्हें सौंपी गई योजनाओं, कार्यों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का कार्य सामाजिक-आर्थिक वार्षिक आयोजना तैयार करना और भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करना है।

इसके अतिरिक्त, जिला स्तर पर समग्र विकास हेतु पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समिति और पंचायती राज संस्थाओं के लिए विकास योजना, बजट और वार्षिक लेखा तैयार करने के लिए स्थायी समितियों के गठन के प्रावधान हैं।

2.1.1.1 मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों की रूप रेखा

मध्य भारत में स्थित मध्य प्रदेश, देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का क्षेत्रफल 3.08 लाख वर्ग किमी है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र 3.00 लाख वर्ग किमी है। 2011 की जनगणना के अनुसार, मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल जनसंख्या (7.26 करोड़) का 72.31 *प्रतिशत* (5.25 करोड़) निवास करता है।

मध्य प्रदेश शासन ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत 23,173 पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किया है। पंचायती राज संस्थायें, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत काम कर रही हैं। श्रेणीवार विवरण **तालिका-2.1.1** में दर्शाया गया हैः

तालिका-2.1.1 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का विवरण

स.क्र.	पंचायती राज संस्थाओं का विवरण	इकाईयां	स्थिति
1.	जिला पंचायत (जि.पं.)	संख्या	51
2.	जनपद पंचायत (ज.पं.)	संख्या	313
3.	ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) मार्च 2021 की स्थित में	संख्या	22,809
	योग		**23,173**

(स्रोतः पीआरआई-2020-21 का प्रशासनिक प्रतिवेदन और संचालक, मध्य प्रदेश रा.सा.सं.स. के आंकड़े)

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों को वार्डों, ग्रामों और ब्लॉकों में विभक्त कर अधिसूचित किया गया है।

2.1.2 पंचायती राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना

अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज संस्थाओं के समग्र पर्यवेक्षण के लिए प्रशासनिक विभाग है। आयुक्त की अध्यक्षता में दिसंबर 2007 में स्थापित पंचायत राज संचालनालय, को जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मु.का.अ.), जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर मु.का.अ., जनपद पंचायत और ग्राम स्तर पर सचिव, ग्रा.पं. द्वारा सहयोग किया जाता है। साथ ही, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु विकास आयुक्त का कार्यालय भी स्थापित किया गया है।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने आकलन करने का लक्ष्य रखा:

(**क**) पंचायती राज संस्थाओं को उनके उत्तरदायित्वों के प्रभावी निर्वहन हेतु पर्याप्त रूप से सशक्त किया गया है;

(**ख**) पर्याप्त एवं समय से आवंटित की गयी निधियां पंचायती राज संस्थाओं को दी गयी;

(ग) हस्तान्तरित कार्यों को करने के लिए आवश्यक अमले को पंचायती राज संस्थाओं के निस्तारण पर पदस्थापित किया गया है; और

(घ) अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का हस्तांतरण किया गया है।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

हमने लेखापरीक्षा मानदंड के स्त्रोत लिये हैं:

- 73वां संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1992;
- मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 और उसके अन्तर्गत सम्मिलित नियम;
- मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995;
- केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें; और
- भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र, आदेश और निर्देश।

2.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा में बहु-चरण नमूना चयन पद्धति[1] का उपयोग करते हुए 2016-21 की अवधि को समाहित किया गया है। जैसा कि, भारत सरकार जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर निधियां स्वीकृत करती हैं, वही मानदंड जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों के चयन के लिए अपनाया गया है। हमने लेखापरीक्षा हेतु चयन किया:

- 10 जिला पंचायत (प्रत्येक संभाग से एक जिला पंचायत);
- 10 जनपद पंचायत (प्रत्येक चयनित जिला पंचायत से एक जनपद पंचायत); और
- 20 ग्राम पंचायतें (प्रत्येक चयनित जनपद पंचायत से दो ग्राम पंचायतें)।

चयनित पंचायती राज संस्थाओं का विवरण ***परिशिष्ट-2.1.2*** में दर्शाया गया है। नूमना चयन का भौगोलिक प्रतिनिधित्व नीचे दिए गए **मानचित्र-2.1.1** में दर्शाया गया है:

मानचित्र-2.1.1

---

[1] *नमूना प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए बहु-चरण नमूना चयन प्रक्रिया बड़ी आबादी को चरणों में विभाजित करता है। सभी जिला पंचायतों को 10 संभागों के समूह में रखा गया है और प्रत्येक संभाग से अधिकतम जनसंख्या के आधार पर एक जिला पंचायत/जनपद पंचायत को चयनित किया गया है।*

हमने हस्तांतरण की स्थिति के आकलन के लिए 29 कार्यो/गतिविधियों में से चार[2] की जांच किया।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान अपनाई गई कार्यप्रणाली में चयनित विभागों के संचालनालय और जिला इकाइयों, जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों और जिला योजना समिति के कार्यालय में अभिलेखों की संवीक्षा करना था। हमने केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत जारी किए गए स्वीकृतियों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को अपनाने से संबंधित अभिलेखों, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम[3] (पेसा) को अपनाये जाने, पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों/गतिविधियों, अमले और कोष के हस्तांतरण से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा की। हमने आगे ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), वार्षिक लेखों और अन्य प्रासंगिक मुद्दों से संबंधित अभिलेखों की जांच की।

प्रमुख सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के साथ 24 अगस्त 2021 को ऑनलाइन आगम सम्मिलन आयोजित किया गया था, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यप्रणाली एवं मानदंड और चयनित इकाइयों के नाम पर चर्चा की गई थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के साथ 28 अक्टूबर 2022 को निर्गम सम्मिलन आयोजित किया गया। निर्गम सम्मिलन में विभाग ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया है, जिसे संबंधित कण्डिकाओं में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान एकत्र किए गए अभिलेखों और आंकडों का विश्लेषण करने के बाद निम्नलिखित मुद्दे पायेः

---

[2] ***कृषि, जिसमें कृषि विस्तार, पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन, शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित और परिवार कल्याण।***

[3] ***संविधान के अनुच्छेद 243-ङ में प्रावधान है, कि संसद, कानून द्वारा, अपने प्रावधानों को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों तक बढ़ा सकती है। पेसा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को स्वशासन केंद्र बनाकर आदिवासी आबादी को शोषण से बचाना है और ग्राम सभा को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।***

73वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

2.1.6 राज्य स्तरीय विधानों की 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के साथ तुलना

73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243-छ के अनुसार, राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्व-शासित के रूप में प्रभावी संस्थान बनाने के लिए पर्याप्त शक्तियां और उत्तरदायित्व सौंपने का अधिकार है। पंचायतों को ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों/गतिविधियों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने और उनके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। लेखा परीक्षा ने देखा कि मध्य प्रदेश शासन ने पीआरआई अधिनियम, अधिनियमित (जनवरी 1994) किया। आगे, प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए और पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों को प्रशासनिक और कार्यान्वयन सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के लिए, पंचायती राज संचालनालय का गठन (दिसंबर 2007) किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के साथ राज्य विधान की तुलना की स्थिति नीचे **तालिका-2.1.2** में दी गई हैः

तालिका-2.1.2: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के साथ राज्य के विधान की तुलना

संविधान के प्रावधान		मध्य प्रदेशपंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधान	
अनुच्छेद	**शीर्षक**	**धारा**	**नियम एवं उसका शीर्षक**
अनुच्छेद 243-क	ग्राम सभा को शक्तियों का हस्तांतरण एवं कार्यक्षेत्र	3, 5क, 6(क, ख, ग) 7 और 129 (ख और ग)	• मध्य प्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम, 2001 • मध्य प्रदेश ग्राम सभा (स्थायी समितियों का गठन, कामकाज के संचालन की प्रक्रिया तथा संबद्ध विषय) नियम, 2012
अनुच्छेद 243-ख	पंचायतों का गठन	8 से 13, 27, 125,127, 29-जिला पंचायत	मध्य प्रदेश पंचायत (ग्रा.पं. के सरपंच तथा उप सरपंच, ज.पं. और जि.पं. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां तथा उत्तरदायित्व) नियम, 1994
अनुच्छेद 243-ग	पंचायतों की संरचना	22, 112	मध्य प्रदेश पंचायत (सीमाओं का परिवर्तन, मुख्यालयों का विस्थापन या बदला जाना) नियम, 1994
अनुच्छेद 243-घ	सीटों का आरक्षण	13 (4,6) (ग्रा.पं.),17, 23 और 25 (ज.पं.), 30(जि.पं.), 32, 129ख(4) और 129ड.(3)	मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995

संविधान के प्रावधान		मध्य प्रदेशपंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधान	
अनुच्छेद	**शीर्षक**	**धारा**	**नियम एवं उसका शीर्षक**
अनुच्छेद 243-ड	पंचायतों की अवधि	9, 20, 34 (37 के साथ पठित)	इसके लिये कोई नियम नहीं बनाये गये हैं
अनुच्छेद 243-च	सदस्यता के लिये अयोग्यता	7-ग्राम सभा 21-ग्रा.प., 28-ज. पं. 35-जि.पं.(36के साथ पठित) 39 और 40-सभी स्तर	मध्य प्रदेश पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उप-सरपंच,जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव) नियम, 1994
अनुच्छेद 243-छ	पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व	7,(2, 2क एवं 3), 38, अध्याय-5 एवं 6, 6क धारा 89, 129घ और 129च	• मध्य प्रदेश पंचायत (ग्रा.पं. के सरपंच तथा उप सरपंच, ज.पं. और जि.पं. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां तथा उत्तरदायित्व) नियम, 1994 • मध्य प्रदेश पंचायत (स्थावर संपत्ति का अंतरण) नियम, 1994 • मध्य प्रदेश जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्थायी समितियां (सदस्यों की निर्वाचन निर्वाचन, उनकी शक्तियां, कृत्य और सदस्यों के कामकाज के आचरण की प्रक्रिया) नियम 1994
अनुच्छेद 243-ज	कर आरोपण करने की शक्ति एवं पंचायत की निधियां	7ञ, 110, 115, 116, 123, 124 अध्याय 7 एवं 9	• मध्य प्रदेश ग्राम सभा वैकल्पिक कर एवं फीस (शर्ते और अपवाद) नियम, 2001 • मध्य प्रदेश पंचायत (कराधान, कर निर्धारण, संग्रहण और विनियमन) नियम, 1995 • मध्य प्रदेश जनपद पंचायत (कृषि भूमि पर विकास कर का अधिरोपण) नियम, 1999
अनुच्छेद 243-झ	वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन	मध्य प्रदेश वित्त आयोग अधिनियम 1994	कोई नियम नहीं बनाये गए हैं
अनुच्छेद 243-ञ	पंचायतों के लेखाओं की लेखापरीक्षा	7ट, 33क, 73 एवं 129	• मध्य प्रदेश ग्राम सभा (संपरीक्षा) नियम, 2001 • मध्य प्रदेश सामाजिक संपरीक्षा नियम, 2013 • मध्य प्रदेश पंचायत संपरीक्षा नियम, 1997 • मध्य प्रदेश जिला पंचायत (लेखा) नियम 1999

संविधान के प्रावधान		मध्य प्रदेशपंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधान	
अनुच्छेद	**शीर्षक**	**धारा**	**नियम एवं उसका शीर्षक**
अनुच्छेद 243-ट	पंचायतों के चुनाव	17(18 के साथ पठित), 19, 23, 25, 30 और 32, (41 के साथ पठित) अध्याय 4, 47ख, 121 और 122	मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995
अनुच्छेद 243-ण	निर्वाचन मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप की रोक	धारा 121	मध्य प्रदेश पंचायत (निर्वाचन अर्जिया, भ्रष्टाचार और सदस्यता के लिए निरर्हता) नियम, 1995
अनुच्छेद 243-यघ	जिलायोजना समिति	मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995	मध्य प्रदेश जिला योजना समिति (कार्य करने की प्रक्रिया) नियम, 1995 और अधिसूचना 1999

(स्रोतः पीआरआई अधिनियम)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, पंचायती राज अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किये गये थे। आगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में प्रभावी कार्यपालन के लिए नियम भी बनाए गए हैं। इस संबंध में, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन ने विभागों को कार्यक्रम, गतिविधियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किया (जनवरी 1997), जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः

- त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की रूपरेखा के अनुरूप सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम शीघ्रता से उठाए जाने चाहिए;
- "जिला सरकार" बनाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक संरचना और अमला जिला पंचायत और जनपद पंचायत को मुख्य कार्यान्वयन इकाइयों के रूप में दिया जाना चाहिए;
- ग्राम पंचायत को ग्रामों में जिला पंचायत/जनपद पंचायत के सभी कार्यक्रमों/गतिविधियों की कार्यान्वयन इकाई के रूप में विकसित किया जाना चाहिए;
- आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए नियोजन एवं कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व पंचायतों का होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विभागों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को बजट और अमला उपलब्ध कराया जाना चाहिए;

- पंचायती राज संस्थाओं को अमले का हस्तान्तरण, कार्यक्रम/गतिविधियों का हस्तान्तरण किया जाना चाहिए; तथा
- जैसा कि विभागों का कार्य पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाना था, योजनाओं/कार्यक्रमों का बजट, स्थापना पर किये गये व्यय को छोड़कर, पंचायत को हस्तान्तरित किया जाना चाहिए था।

आगे, विभागों ने कार्य, कोष एवं अमले को स्थानान्तरित करने के निर्देश एवं आदेश जारी किये। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने भी समय-समय पर (1995-2011) पीआरआई अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश जारी किए। लेखापरीक्षा ने पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की चयनित पंचायती राज संस्थाओं में जारी निर्देशों की नमूना जाँच किया और चयनित चार गतिविधियों/कार्यों में पाए गये मुद्दों पर चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गयी है।

2.1.7 कार्यों के हस्तांतरण की वास्तविक स्थिति

73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243-छ की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों/गतिविधियों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किये जाने की स्थिति की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफ में की गई है:

2.1.7.1 राज्य स्तर पर कार्य, कोष और अमले का हस्तांतरण

लेखापरीक्षा ने राज्य स्तर और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग स्तर पर कार्यों/गतिविधियों, अमले और कोष के हस्तांतरण से संबंधित, जारी किए गए आदेशों/निर्देशों एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों से संबंधित नस्तियों की नमूना-जांच किया। कार्यों/गतिविधियों, कोष और अमले के हस्तांतरण के संबंध में स्थिति नीचे **तालिका-2.1.3** में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.3: कार्यों, कोष और अमले के हस्तांतरण की स्थिति

स.क्र.	हस्तांतरण की घटना के लिये कार्यक्रम	कृत कार्यवाही	टिप्पणियां
1	कार्यों/गतिविधियों के हस्तांतरण के लिए अधिसूचना का जारी किया जाना।	कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।	मध्य प्रदेश शासन को अधिसूचित करने की आवश्यकता हैं।

2	संबंधित विभाग द्वारा दिशा निर्देश एवं आदेशों का जारी किया जाना।	मध्य प्रदेश शासन ने प्रासंगिग आदेश जारी करने हेतु संबंधित विभागों को वर्ष 1997 में दिशा-निर्देश जारी किया।	चार[4] विभागों ने हस्तांतरण आदेशों को वापस लिया।
3	भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश शासन की संयुक्त घोषणा अनुसार गतिविधियों का मानचित्रण।	गतिविधियों मानचित्रित की गयी।	--
4	हस्तांतरण के लिए रोड मैप	तैयार नहीं किया गया	रोड मैप तैयार किया जाना है
5	समीक्षा समिति द्वारा हस्तांतरण की स्थिति की समीक्षा (मध्य प्रदेश शासन द्वारा तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर कृत कार्यवाही के अनुसार)।	एक उप-समिति का गठन (अक्टूबर 2007) में किया गया।	कोई कार्य/गतिविधियां पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं की गई हैं।
6	पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों के हस्तांतरण की आवश्यकता पर पुनर्विचार और तीन महीने के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।	एक समिति का गठन (अक्टूबर 2016) में किया गया।	कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है।
7	कार्य, कोष और अमला के हस्तांतरण की स्थिति।	कार्य, कोष और अमला के हस्तांतरण की स्थिति की समीक्षा हेतु बैठक अगस्त 2019 में आयोजित की गयी ।	नौ विभागों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित कार्यों की संवीक्षा की गयी। चार विभागों[5] ने ई-टेंडरिंग/लेन-देन की ऑनलाइन की प्रक्रिया होने और अन्य प्रशासनिक कारणों से कार्यों को हस्तांतरित करने में असमर्थता व्यक्त की।

(स्रोतः पीआरडी के अभिलेख)

---

[4] ***खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण (मार्च 2014), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अप्रैल 1998), राजस्व विभाग (अप्रैल 2007) और महिला एवं बाल कल्याण (जुलाई 2007)।***

[5] ***मत्स्य, खनन, राजस्व एवं स्कूल शिक्षा विभाग।***

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि मध्य प्रदेश शासन ने कार्य, कोष और अमला के हस्तांतरण के संबंध 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243-छ के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2022) कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने संबंधित समस्त विभागों को वर्ष 2003 के बाद प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों/योजनाओं एवं बनाए गए प्रशासनिक अमले के सन्दर्भ में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका निर्धारित कर, निर्देश जारी करने हेतु अगस्त 2019 एवं मई 2020 में आदेशित किया है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि संबंधित किसी भी विभागों द्वारा अमले का हस्तांतरण पंचायत राज संस्थाओं को नहीं किया गया है। संबंधित विभागों ने जारी निर्देशों का कोई अनुपालन नहीं किया है।

2.1.7.2 चयनित विभागों के संचालनालयों पर कार्य, कोष और अमले का हस्तांतरण

लेखापरीक्षा ने तथ्यात्मक स्थिति का सत्यापन किया और पाया कि चयनित विभागों में से, किसी ने भी पंचायती राज संस्थाओं को कार्य, कोष और अमले को हस्तांतरित नहीं किया है। चयनित चार विभागों के चार संचालनालयों में हस्तांतरण की स्थिति नीचे **तालिका-2.1.4** में दर्शाई गई हैः

तालिका-2.1.4: पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कार्यों, कोष और अमले की स्थिति का विवरण

स.क्र.	विवरण	कृषि, स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और पशुपालन	टिप्पणी
1	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांरित कार्य/गतिविधियां।	पंचायती राज संस्थाओं को कोई भी कार्य/गतिविधियां हस्तांरित नहीं किये गये।	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृषि एवं पशुपालन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कोई कार्य/गतिविधि सौंपी नहीं गई थी।
2	अमले का स्थनान्तरण।	पंचायती राज संस्थाओं को अमले का स्थानान्तरण नहीं किया गया।	किसी भी विभाग ने अमले को पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं किया।
		शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2008-2018 की अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को शिक्षकों की नियुक्ति प्रत्यायोजित की गई थी। तथापि, ग्राम पंचायतों (अगस्त 2019) के माध्यम से	शिक्षा विभाग ने पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के शिक्षा विभाग में विलय हेतु मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा

		₹ 15.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के लिए विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गई थी। अभिलेख में आगे कोई प्रगति नहीं पाई गई।	(शिक्षण संवर्ग), सेवा शर्त एवं भर्ती नियम, 2018 अधिसूचित (जुलाई 2018) किया।
3	पंचायती राज संस्थाओं को निधियों का स्थानान्तरण।	वित्त विभाग द्वारा बजट संबंधित विभागों के बी.सी.ओ. को हस्तांतरित किया गया।	

(स्रोतः संबंधित संचालनालयों के अभिलेख)

लेखापरीक्षा ने स्वीकृतियों, खाता बही, कर्मचारियों के वेतन बिलों की नमूना जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किए गए विभागों में से केवल एक[6] विभाग ने कुछ कार्यों/गतिविधियों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया। शेष तीन विभागों ने पुष्टि की, कि पंचायती राज संस्थाओं को किसी भी कार्य, कोष एवं अमले को हस्तांतरित नहीं किया गया था।

विभाग ने इस मुद्दे पर उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

2.1.7.3 जिला स्तर पर कार्यों, कोष और अमले का हस्तांतरण

उपरोक्त गतिविधि मानचित्रण के आधार पर, लेखा परीक्षा ने चार नमूना-जाँच किए गए विभागों के जिला कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जाँच की और पाया, कि आहरण और संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को मध्य प्रदेश शासन/विभागों की ओर से पीआरआई को कार्यों, कोष और अमला स्थानांतरित करने का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए, कोई कार्य, कोष और अमले का हस्तांतरण नहीं किया गया था। विभागवार स्थिति नीचे **तालिका-2.1.5 (क) और (ख)** में दर्शाई गई हैः

तालिका-2.1.5 (क): नमूना जांच किये गये जिलों की गतिविधियों की स्थिति

क्र.सं.	विभाग	गतिविधियां/कार्य	गतिविधियों/कार्यक्रमों की स्थिति
1	उप निदेशक कृषि	बजट	डीडीओ ने विभाग के बजट नियंत्रण अधिकारियों (बीसीओ) से निधि प्राप्त की और बजट का उपयोग किया।
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	कर्मचारियों का स्थानांतरण	पंचायती राज संस्थाओं को कोई कर्मचारी स्थानांतरित नहीं किया गया। स्टाफ डीडीओ के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन था।
		संपत्तियों, गोदामों	कोई गोदाम/स्कूल/लोक स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि

[6] ***शिक्षा विभाग; ग्राम पंचायतों में पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति।***

	अधिकारी	का स्थानांतरण	पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं किए गए थे। सभी संपत्तियां विभागों के पास थी।
3	जिला शिक्षा अधिकारी	सामग्री की खरीद, वितरण और गुणवत्ता परीक्षण	सभी खरीद/वितरण/गतिविधियां संबंधित विभाग द्वारा की गई। लेखापरीक्षा ने पाया, कि राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिला परियोजना समन्वयकों (डीपीसी) को आगे संबंधित ब्लॉकों और स्कूलों के ब्लॉक रिसोर्स कोर्डिनेटर को वितरण के लिए किताबें/साइकिलें प्रदान कीं। विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के बाद पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति उनके बैंक खातों में वितरित की।
4	पशु चिकित्सा सेवाओं के उप निदेशक		
		निरीक्षण और निगरानी	संबंधित विभागों द्वारा निरीक्षण किया गया ।
		कार्यक्रम कार्यान्वयन	सभी योजनाएं/कार्यक्रम/गतिविधियां विभाग द्वारा संचालित किये गये।

तालिका-2.1.5 (ख): नमूना जाँच किये गये जिलों के अन्य मुद्दों एवं गतिविधियों की स्थिति

क्र.सं.	गतिविधियां/कार्य	कार्यों/गतिविधियों की स्थिति, सामग्री की खरीद
1	दौरा और प्रदर्शनियां	कृषि विभाग ग्राम पंचायतों के किसानों के दौरे, प्रदर्शनियों का आयोजन करता है।
2	दवाओं की खरीद	कृषि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी (सीएम एंड एचओ) और पशु चिकित्सा सेवाओं के उप संचालक (डीडीवीएस) द्वारा आवश्यकतानुसार दवाएं/कीटनाशक खरीदे जा रहे थे और उनका गुणवत्ता परीक्षण लाइसेंस प्राप्त दुकानों/प्रयोगशालाओं के माध्यम से किया जा रहा था।
3	पुस्तकों/साइकिलों एवं छात्रवृतियों का वितरण	जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ)/खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) द्वारा निःशुल्क पुस्तकें एवं साइकिल उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा छात्रों के पंजीकरण के बाद बैंक खातों में छात्रवृत्तियां उपलब्ध करा रहे थे।
4	टीकाकरण	सीएम एंड एचओ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के कर्मचारियों के माध्यम से टीकाकरण का संचालन करा रहे थे।

(स्रोतः संबंधित विभाग के नमूना जांच किए गए जिला कार्यालयों के अभिलेख)

अनुच्छेद 243-छ की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित समस्त 29 कार्यों, कोष और अमले के हस्तांतरण की वर्तमान स्थिति **(परिशिष्ट-2.1.3(i) एवं 2.1.3(ii)** में दर्शाई गई है), जिसे निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता हैः

- 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत 12 विभागों ने पंचायती राज संस्थाओं को कार्य, अमले और कोष के हस्तांतरण के आदेश जारी किया और पंचायत

एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं के पक्ष में, इस प्रकार के हस्तांतरण के लिए तीन आदेश जारी किए।

- चार कार्य (चार विभाग[7]) पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए थे, लेकिन बाद में संबंधित विभागों द्वारा वापस ले लिए गए;
- पंचायती राज संस्थाओं के पास किसी भी स्तर पर कार्यों के हस्तांतरण के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था और इसके अलावा, नमूना जांच किए गए विभागों में भी अभिलेखों के अनुसार कोई हस्तांतरण होना नहीं पाया गया, क्योंकि संबंधित विभागों द्वारा अमलों, कार्यों और संपत्तियों का कोई हस्तांतरण नहीं किया गया था। अधिकांश कार्य जो पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए थे, संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे थे और व्यय भी विभागों द्वारा किया जा रहा था। इस प्रकार, इस संबंध में आदेश जारी होने के बाद भी अन्य विभागों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों और उत्तरदायित्वों का कोई वास्तविक हस्तांतरण नहीं हुआ।
- दो[8] अन्य विभागों के साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/पंचायत राज संचालनाय के पास सात[9] कार्यों का होना पाया गया ।

लेखापरीक्षा कथन के उत्तर में संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवा ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि कार्यों, अमलों एवं कोष के हस्तांतरण का प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन को प्रेषित (जुलाई 2020) किया गया था। अन्य विभागों द्वारा कार्यों, कोष और अमले के हस्तांतरण न होने के कारणों के सम्बन्ध में दिसम्बर 2022 तक की स्थिति में सूचित नहीं किया गया।

इस प्रकार, मध्य प्रदेश शासन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने में, अधिनियम को अपनाने के 27 वर्ष बाद भी विफल रही।

विभाग ने इस मुद्दे पर उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

---

[7] ***खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण (1), लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (1), राजस्व (1), और महिला एवं बाल कल्याण (1)।***

[8] ***मत्स्य तथा आदिवासी एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।***

[9] ***(i) छोटे तालाब (मत्स्य पालन), (ii) ग्रामीण आवास (iii) सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन (iv) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (v) बाजार और मेले (vi) सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव (vii) कमजोर वर्गों का कल्याण, और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आदिवासी और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग)।***

2.1.8 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संस्थागत सशक्तिकरण

73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243-(झ),(ञ) और (ट) में पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावी और सुचारू कामकाज के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें संस्थानों के गठन द्वारा वित्तीय, सार्वजनिक भागीदारी, सामाजिक संपरीक्षा और क्षमता बर्धन के प्रावधान शामिल हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का अनुच्छेद 243 यघ जिले की व्यापक योजना के लिए एक जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान करता है। पंचायती राज संस्थाओं के अमले के लिये प्रशिक्षण पर राज्य की नीति (1998) के माध्यम से राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) को भी सुदृढ़ किया गया था। उपरोक्त व्यवस्थाओं को **चार्ट-2.1.1** में दर्शाया गया है:

चार्ट-2.1.1: पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए संस्थागत अधिकारिता

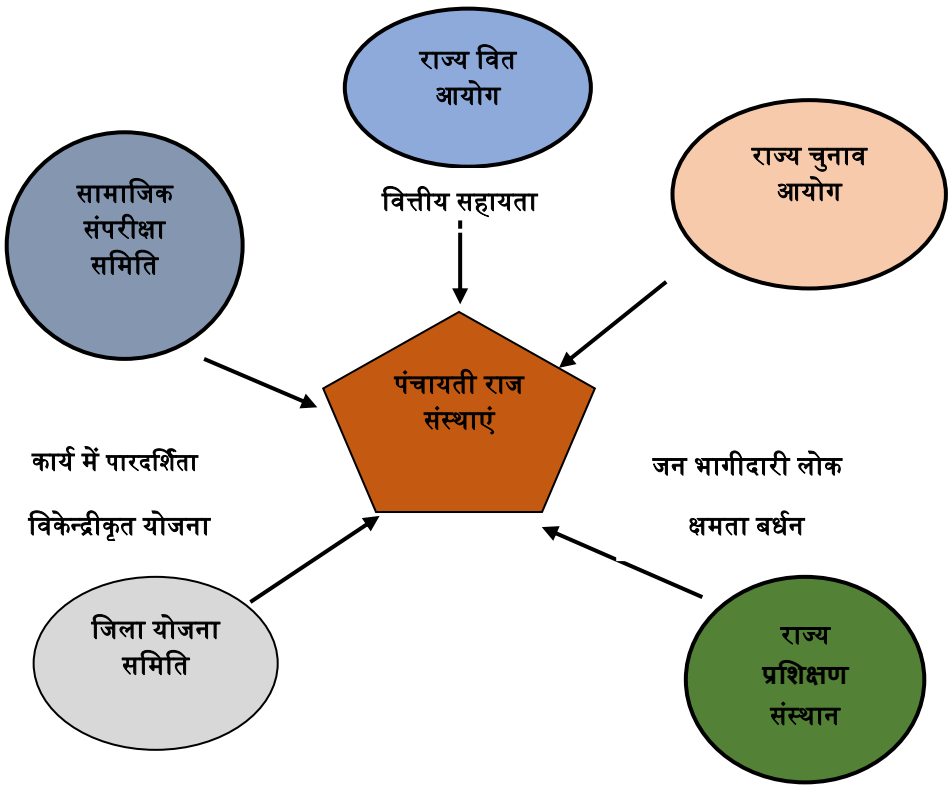

73वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गठित संस्थानों की स्थिति और उनके कामकाज की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है:

2.1.8.1 राज्य वित्त आयोगों का गठन

संविधान के अनुच्छेद 243-ञ के अनुसरण में, मध्य प्रदेश शासन ने जून 1994 से पांच राज्य वित्त आयोगों का गठन किया है। राज्य वित्त आयोगों के गठन की स्थिति,

अनुशंसाओं को प्रस्तुत करने और मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृति का विवरण नीचे **तालिका-2.1.6** में दिया गया हैः

तालिका-2.1.6: राज्य वित्त आयोग की स्थिति, रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण और मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुशंसाओं की स्वीकृति

एसएफसी	रा.वि.आ. के गठन की निर्धारित दिनांक	गठन की वास्तविक दिनांक	विलंब दिनों में	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की दिनांक	रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का दिनांक	रा.वि.आ. की सिफारिशों की स्वीकृति पर लिया गया समय (दिनों में)	काल अवधि
प्रथम	17.06.1994	17.06.1994	निरंक	07.04.1995	20.09.1995	167	1996-2001
द्वितीय	17.06.1999	10.06.1999	निरंक	31.12.2003	14.03.2005	439	2001-2006
तृतीय	10.12.2004	12.07.2005	215	31.10.2008	05.02.2010	462	2006-2011
चतुर्थ	12.07.2010	27.01.2012	565	31.01.2017	20.07.2017	170	2011-2016
पंचम	27.01.2017	20.03.2017	53			**कार्य जारी**	2020-2025

(स्रोतः रा.वि.आ. के अभिलेख)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वित्त विभाग ने 53 से 565 दिनों के विलम्ब से राज्य वित्त आयोग का गठन किया तथा तीसरे और चौथे राज्य वित्त आयोग ने क्रमशः 945[10] और 1462[11] दिनों के विलम्ब से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आगे, वित्त विभाग ने रिपोर्ट राज्य वित्त आयोग के प्रस्तुत किये जाने के बाद, मध्यप्रदेश शासन को कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में 167 से 462 दिन का समय लिया।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा, कि तीसरे राज्य वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के विभाज्य राजस्व का चार *प्रतिशत* की दर से वित्तीय सहायता की अनुशंसा किया और मध्य प्रदेश शासन तदनुसार, आज तक आवंटन कर रही है। चौथे राज्य वित्त आयोग ने 5.5 *प्रतिशत* की दर से हस्तांतरण की अनुशंसा किया है। तथापि, मध्य प्रदेश शासन ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया, यद्यपि अगले वित्त आयोग की रिपोर्ट के साथ चौथे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर विचार करने का निर्णय लिया है। पहले से तीसरे राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के कार्यान्वयन से संबन्धित मुद्दों पर **पैराग्राफ 2.1.9.4** में चर्चा की गई है।

---

[10] ***तीसरे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट 01.04.2006 को प्रस्तुत की जानी थी, इसलिए विलंब की गणना - 01.04.2006 से 31.10.2008=945 दिन तक की गई।***

[11] ***चौथे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट 31.01.2013 को प्रस्तुत की जानी थी, इसलिए विलंब की गणना 31.01.2013 से 31.01.2017= कुल 1,462 दिन तक की गई।***

चौथे राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर आयोग की अवधि[12] समाप्त होने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और पांचवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएँ भी आयोग के गठन से पांच वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी आज तक प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

लेखापरीक्षा का निष्कर्ष है कि राज्य वित्त आयोग के गठन और उनकी अनुशंसाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब ने राज्य वित्त आयोग के गठन के उद्देश्य को विफल किया है, क्योंकि शासन द्वारा उनकी अनुशंसाओं को समय पर लागू नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाएं राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई संभावी अनुकूल अनुशंसाओं से वंचित रहा।

विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2022) कि पांचवें राज्य वित्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन माननीय राज्यपाल को 30 अप्रैल 2019 को प्रस्तुत किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग अपने उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सका। इसके अलावा, विभाग ने राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार करने में विलम्ब होने का कोई कारण नहीं बताया।

2.1.8.2 राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकाय)

73वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान 243-ट के अनुसरण में, मध्य प्रदेश शासन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पंचायती राज संस्थाओं का नियमित निर्वाचन कराने के लिए मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन (फरवरी 1994) किया।

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचन 2014-15 में हुआ था और पिछले निर्वाचित निकायों के पांच साल पूर्ण होने के बाद निर्वाचन 2019-20 में प्रतीक्षित था। तथापि, यह देखा गया कि सामान्य पंचायत निर्वाचन 2019-20 के लिए फरवरी 2019 में अधिसूचना जारी की गई थी और वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया मई 2019 में शुरू की गई थी। जि.पं./ज.पं. और ग्रा.पं. के सदस्यों के लिए तीन चरणों में निर्वाचन कराए जाने थे। जबकि, दिसंबर 2021 तक कोई निर्वाचन नहीं कराया गया था। आगे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं के नवीन निर्वाचित निकायों के गठन तक

---

[12] ***अवधि जिसके लिए अनुशंसाएं की गई हैं।***

नियमित कामकाज करने के लिए अस्थायी उपाय के रूप में जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक समितियों का गठन करने के लिए आदेश (अप्रैल 2020) जारी किया।

लेखापरीक्षा कथन के उत्तर में, राज्य चुनाव आयोग ने बताया (मार्च 2022) कि परिसीमन प्रक्रिया, कोविड-19 महामारी और पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्षों के स्थान आरक्षण के कारण, पंचायत चुनाव नहीं कराए जा सका। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगे बताया (मार्च 2022) कि मध्य प्रदेश शासन से आरक्षण प्रक्रिया की जानकारी मांगी (सितंबर 2021) गई थी।

लेखापरीक्षा का निष्कर्ष है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण प्रक्रिया एवं परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण, निर्वाचन न होने से, पिछले दो वर्षों में स्थानीय शासन में जनभागीदारी नहीं हो सकी।

निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं के अमले का क्षमता वर्धन

2.1.8.3 राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी)

एसआईआरडी, जबलपुर का गठन और पंजीकरण (1987) मध्य प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों और त्रिस्तरीय पंचायतों (जि.पं./ज.पं./ग्रा.पं.) के अमले के प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन के लिए किया गया था। यह मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा नियंत्रित एक स्वायत्त निकाय है। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित छः[13] क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों (आरटीसी)/ विस्तारित प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी) के साथ कार्य करता है। इन केन्द्रों को, जन प्रतिनिधियों और अमले के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम प्रारूप बनाना, वार्षिक कैलेंडर तैयार करना और तदनुसार, प्रशिक्षण देना था। आगे, प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद प्रतिभागियों का मूल्यांकन प्राप्त किया जाना था। राष्ट्रीय क्षमता वर्धन फ्रेम वर्क (एनसीबीएफ) के अंतर्गत कार्य योजना (2015) के अनुसार, मध्य प्रदेश शासन ने प्रशिक्षण दिये जाने हेतु निर्वाचित प्रतिनिधि और अमले को चिन्हित किया। चिन्हित जन प्रतिनिधियों और विभिन्न श्रेणियों के अमले को **तालिका-2.1.7** में दर्शाया गया हैः

[13] ***भोपाल, ग्वालियर, राऊ (इंदौर), सिवनी, उज्जैन और नोगांव (छतरपुर)।***

तालिका-2.1.7: प्रशिक्षण के लिए चिन्हित अभ्यर्थियों का विवरण (फरवरी 2015)

क्र.स.	प्रशिक्षणार्थी की श्रेणी	स्तर/पद	संख्या
1	निर्वाचित प्रतिनिधि	ज.प. के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	626
		ज.प. के सदस्य	5,912
		सरपंच और उप सरपंच	45,438
		ग्रा.प. के पंच	3,39,804
		योग	**3,91,780**
2	कार्मिक	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मु.का.अ.), जि.पं.	51
		परियोजना अधिकारी (पीओ) और सहायक परियोजना अधिकारी (एपीओ)	102
		मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मु.का.अ.), ज.पं.	313
		खण्ड विकास अधिकारी (ख.वि.अ.)/जिला विकास अधिकारी (जि.वि.अ.)	626
		पंचायत समन्वय अधिकारी	4,018
		पंचायत सचिव	23,040
		मास्टर प्रशिक्षक	500
		योग	**28,650**
		कुल योग	**4,20,430**

(स्रोतः एन.सी.बी.एफ. कार्य योजना)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि एसआईआरडी, आरटीसी और ईटीसी को चयनित निकायों के गठन (फरवरी 2015) के एक वर्ष के भीतर 4.20 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिको को प्रशिक्षण देना था।

2.1.8.3(अ) प्रशिक्षण

लक्षित समूहों के प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए) के माध्यम से प्राप्त प्रशिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की डिजाइनिंग, प्रशिक्षण कैलेंडर/कार्य योजनाओं में सम्मिलित की जायेंगी। प्रशिक्षण कार्य योजनाओं/कैलेंडरों को प्राप्त करने के प्रमुख घटक फ्लो **चार्ट-2.1.2** में दिखाए गए हैं:

चार्ट-2.1.2: प्रशिक्षण कैलेंडर/कार्ययोजना में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रारूप

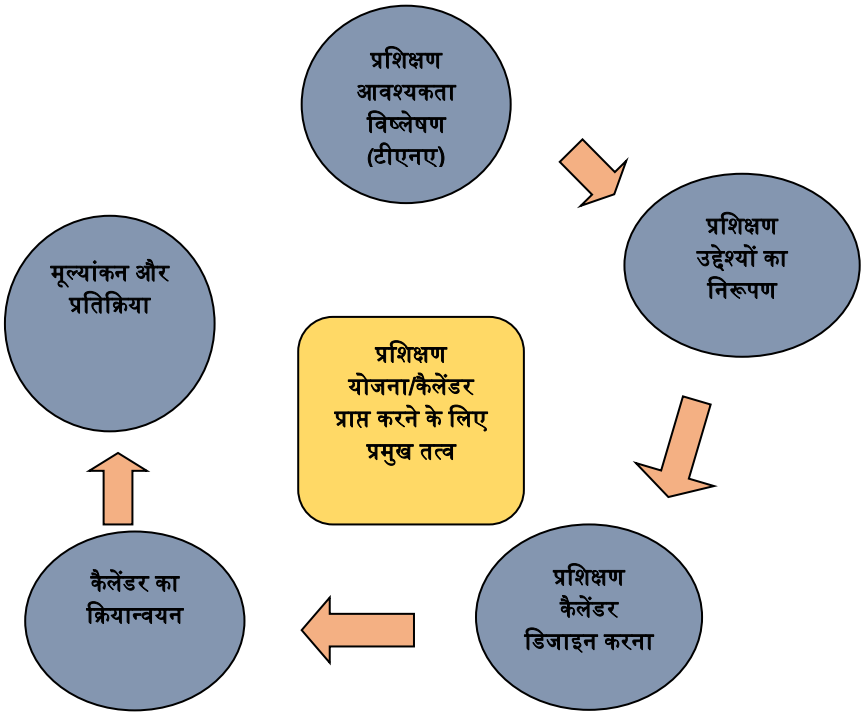

लेखापरीक्षा ने प्रशिक्षण की आवश्यकता हेतु विश्लेषण (टी.एन.ए.), कैलेंडर और प्रदान किए गए वास्तविक प्रशिक्षण के प्रगति प्रतिवेदन की तुलना की और निम्न कथन पाया:

2.1.8.3(ब)i निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण

एनसीबीएफ की कार्य योजना (2015) के अंतर्गत, समस्त निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित होने के एक वर्ष के अंदर बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाना था। पंचायतीराज संस्थाओं (2015) के निर्वाचन में, 3.92 लाख जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए। संचालक/प्राचार्य (एसआईआरडी/ईटीसी/आरटीसी) प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करने और चयनित प्रतिनिधियों को निर्वाचन के एक वर्ष के अंदर प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2016-21 के दौरान, तथापि, नियोजित 16 प्रशिक्षण के विरूद् 17 प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे, लेकिन 3.92 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से केवल 1.19 लाख (30 *प्रतिशत*) निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक से पांच दिवस का प्रशिक्षण दिया जा सका। आगे, लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 2016-17 के दौरान, केवल 210 निर्वाचित प्रतिनिधियों और 2018-19 में, 1.19 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया था। तथापि, निधि और संकायों की उपलब्धता के बावजूद 2017-18 के दौरान कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, चयनित प्रतिनिधियों को एक वर्ष के भीतर पंचायतों के कामकाज, शक्तियों और उत्तरदायित्व के बारे में बुनियादी ज्ञान प्रदान करने का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका। नीचे दिए गए छायाचित्रों में चयनित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण को दर्शाया गया है :

चयनित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षणों के फोटोग्राफ

विभाग ने लेखापरीक्षा कथन को स्वीकार किया और बताया (अक्टूबर 2022) कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में राज्य द्वारा जारी आदेश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक अनुमोदन और स्पष्टता के अभाव में प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा सका। आगे, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा होने, संभावित निर्वाचन वर्ष और कोविड-19 महामारी के कारण भी आवश्यक प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका।

2.1.8.3(ब)ii प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण(टीओटी)/ मास्टर प्रशिक्षक

राष्ट्रीय क्षमता वर्धन फ्रेमवर्क के अनुसार, बड़ी संख्या में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अमले को प्रशिक्षण देने हेतु विकेंद्रीकृत प्रशिक्षण का तरीका प्रभावी है, जिसमें प्रशिक्षण कई स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं। आवश्यकता को पूरा करने के लिए एसआईआरडी ने टीओटी/मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया।

लेखापरीक्षा ने एसआईआरडी/आरटीसी/ईटीसी के प्रशिक्षण कैलेडर और प्रगति प्रतिवेदनो से देखा कि 2016-21 के दौरान, 3.92 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि और 0.29 लाख पंचायतीराज संस्थाओं के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए लक्षित 18,159 मास्टर प्रशिक्षकों के विरूद्ध, कुल 11,128 मास्टर प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) और ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया। टीओटी की वर्ष-वार स्थिति **तालिका-2.1.8** में दी गई हैः

तालिका-2.1.8: मास्टर प्रशिक्षकों को दिए गए प्रशिक्षणों का वर्षवार विवरण

स.क्र.	वर्ष	एसआईआरडी		ईटीसी/आरटीसी		टी.ओ.टी. द्वारा दिये गये प्रशिक्षणों की स्थिति
		लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	
1	2016-17	1,576	505	9,180	3,296	जिलों पर, ई. टी. सी., आर. टी. सी. तथा एस. आई. आर. डी. में मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के संबंध में कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था।
2	2017-18	270	271	1,658	1,647	
3	2018-19	2,058	1,863	0	0	
4	2019-20	671	860	0	0	
5	2020-21	2,746	2,686	0	0	
	योग	**7,321**	**6,185**	**10,838**	**4,943**	

(स्रोतः एस.आई.आर.डी., ई.टी.सी. और आर.टी.सी. पचमढ़ी के अभिलेख)

आगे, एसआईआरडी/ईटीसी ने मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के समर्थन में कोई अभिलेख संधारित नहीं किया। अभिलेखों के अभाव में, मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण की वास्तविक स्थिति, लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित नही की जा सकी। विभाग ने बताया (अक्टूबर 2022) कि मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेख जनपद पंचायत स्तर पर संधारित किए जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि चयनित जनपद पंचायतों में प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया था।

2.1.8.3 (ब)iii प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षण नहीं दिया जाना

लेखापरीक्षा ने एसआईआरडी/आरटीसी/ईटीसी द्वारा दिए गए प्रशिक्षण कैलेंडर तथा प्रशिक्षण की वास्तविक स्थिति की नमूना जाँच किया और देखा, कि प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण केलेण्डर के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सके। 2016-21 के दौरान कैलेंडर में प्रस्तावित प्रशिक्षण एवं वास्तव में दिए गए प्रशिक्षण की तथ्यात्मक स्थिति को नीचे **तालिका-2.1.9** में दर्शाया गया हैः

तालिका-2.1.9: प्रशिक्षण कैलेंडर और वास्तव में दिए गए प्रशिक्षण

स. क्र	प्रशिक्षण का विवरण	एसआईआरडी जबलपुर				ईटीसी (राउ, नोगांव और सिवनी)				क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र पचमढ़ी			
		कैलेंडर		वास्तविक		कैलेंडर		वास्तविक		कैलेंडर		वास्तविक	
		संख्या	प्रतिभागी	संख्या	प्रतिभागी	संख्या	प्रतिभागी	संख्या	प्रतिभागी	संख्या	प्रतिभागी	संख्या	प्रतिभागी
1	बुनियादी	5	356	6	625	46	3,654	6	835	0	0	0	0
2	कम्प्यूटर	15	3,828	6	207	9	3,221	5	254	0	0	0	0
3	जीपीडीपी	8	1,457	15	29,447	12	6,830	10	5,148	190	6,840	7	136

स. क्र	प्रशिक्षण का विवरण	एसआईआरडी जबलपुर				ईटीसी (राउ, नोगांव और सिवनी)				क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र पचमढ़ी			
		कैलेंडर		वास्तविक		कैलेंडर		वास्तविक		कैलेंडर		वास्तविक	
		संख्या	प्रतिभागी	संख्या	प्रतिभागी	संख्या	प्रतिभागी	संख्या	प्रतिभागी	संख्या	प्रतिभागी	संख्या	प्रतिभागी
4	पेसा	2	480	1	618	7	545	4	382	0	0	1	47
5	ग्रा.पं. में करारोपण	4	1,025	0	0	0	0	0	0	0	0	8	365
	योग	**34**	**7,146**	**28**	**30,897**	**74**	**14,250**	**25**	**6,619**	**190**	**6,840**	**16**	**548**

(स्रोतः एसआईआरडी, ईटीसी और आरटीसी पचमढ़ी के अभिलेख)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है, कि एसआईआरडी कंप्यूटर और कराधान पर प्रशिक्षण के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। आगे, 28,150 पंचायत कर्मियों (मास्टर प्रशिक्षकों को छोड़कर) को प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक कार्य योजना (2015) प्रस्तावित की गई थी, तथापि, उपरोक्त अवधि के दौरान केवल 939[14](तीन *प्रतिशत*) पंचायत कर्मियों को ही प्रशिक्षण दिया गया था। इसके अतिरिक्त, जीपीडीपी की तैयारी के लिए 22,812 ग्राम पंचायतों के सचिव और 1,18,115 पंचायत कर्मियों को ऑफ कैंपस प्रशिक्षण दिया गया।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2022) कि वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर में सम्मिलित नहीं किये गये विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों सम्बन्धी प्रशिक्षण, राज्य शासन के आदेशों एवं बजट के अनुसार आयोजित किये गये थे। इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, जिन्हें प्रशिक्षण कैलेंडर में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पहले से तय नहीं होते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रशिक्षण कैलेंडर एसआईआरडी द्वारा संशोधित नहीं किये गये थे।

2.1.8.3(स) प्रशिक्षण निधि का उपयोग न किया जाना

भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन निर्वाचित प्रतिनिधियों, कर्मियों एवं टीओटी के प्रशिक्षण के लिए एसआईआरडी और ईटीसी को निधि प्रदान करते हैं। तदनुसार, एसआईआरडी और ईटीसी ने प्रशिक्षण योजना तैयार किया और प्रशिक्षण आयोजित किया।

लेखापरीक्षा ने एसआईआरडी जबलपुर, तीन[15] ई.टी.सी. तथा एक आर.टी.सी. पचमढ़ी के अभिलेखों[16] से देखा कि एसआईआरडी एवं चयनित ई.टी.सी. ने प्रशिक्षण आयोजित करने

---

[14] ***एसआईआरडी-104, ईटीसी नोगांव-342, ईटीसी सिवनी-48 और ईटीसी राउ-445।***

[15] ***ईटीसी सिवनी, नोगांव (छतरपुर) और राऊ (इंदौर)।***

के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत निधि प्राप्त की। वर्ष 2016-21 के दौरान प्राप्त निधि, उनके उपयोग और बचत की वर्ष-वार स्थिति नीचे **तालिका-2.1.10** में दर्शाई गई है:

तालिका-2.1.10: प्राप्त निधि, उपयोग और बचत का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वर्ष	एसआईआरडी जबलपुर			ई.टी.सी.			आर.टी.सी पचमढ़ी		
		प्राप्ति	व्यय	बचत	प्राप्ति	व्यय	बचत	प्राप्ति	व्यय	बचत
1.	2016-17	54.37	39.19	15.18	14.52	0.73	13.79	0.17	0.13	0.04
2.	2017-18	30.25	39.27	-9.02	17.64	1.92	15.72	0.23	0.06	0.17
3.	2018-19	10.08	9.55	0.53	6.07	1.13	4.94	6.08	00	6.08
4.	2019-20	2.13	1.29	0.84	5.89	0.91	4.98	2.13	0.01	2.12
5.	2020-21	7.00	0.78	6.22	9.60	7.26	2.34	5.40	0.03	5.37
	योग	**103.83**	**90.08**	**13.75** *(13%)*	**53.72**	**11.95**	**41.77** *(78%)*	**14.01**	**0.23**	**13.78** *(98%)*

(स्रोतः नमूना जांच किये गये प्रशिक्षण केन्द्रों के अभिलेख)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रशिक्षण संस्थानों ने आवंटित बजट ₹171.56[17] करोड़ के विरूद्ध ₹ 102.26[18] करोड़ (60 *प्रतिशत*) व्यय किया था।

आगे, पंचायतराज संचालनालय ने 2016-21 के दौरान एसआईआरडी को ₹ 30.98 करोड़ (30 *प्रतिशत*) और आरटीसी पचमढ़ी को ₹ 10.28 करोड़ (73 *प्रतिशत*) निधि आवंटित किया और आगे एसआईआरडी ने प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए वर्ष के अंत (2016-21 के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के जनवरी माह से मार्च माह में) में ईटीसी को ₹ 31.18 करोड़ (58 *प्रतिशत*) आवंटित किया। इस प्रकार, पंचायतराज संचालनालय द्वारा निधि जारी करने में विलम्ब, और तत्पश्चात, एसआईआरडी द्वारा किए गए विलम्ब के कारण ₹ 69.30[19] करोड़ (40 *प्रतिशत*) की राशि अप्रयुक्त रह गई।

आरटीसी पंचमढ़ी द्वारा व्यय कम होने के सम्बन्ध में सूचित (मार्च 2022) किया गया कि 2016-17 के दौरान प्रतिभागियों के नहीं आने और प्रशिक्षण संस्थान में स्टाफ की कमी के कारण, वांछित प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये जा सके। इसके अलावा, एसआईआरडी ने सूचित किया (जुलाई 2022) कि जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों और

---

[16] ***खाताबही, रोकड़ बही; निधियों का उपयोग; और चयनित प्रतिधियों, कर्मचारियों, संसाधन व्यक्तियों और मास्टर प्रशिक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण।***

[17] ***₹103.83 करोड़ + ₹ 53.72 करोड़ + ₹14.01 करोड़ = ₹171.56 करोड़।***

[18] ***₹ 90.08 करोड़+ ₹11.95 करोड़ + ₹ 0.23 करोड़ = ₹102.26 करोड़***

[19] ***₹13.75 करोड़ + ₹ 41.77 करोड़ + ₹ 13.78 करोड़ =₹ 69.30 करोड़।***

ग्राम पंचायतों से प्रशिक्षुओं की कम भागीदारी के कारण वांछित संख्या में प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये जा सके।

लेखापरीक्षा का निष्कर्ष है कि प्रशिक्षणों को आयोजित ना किया जाना, विभाग के पहल एवं उचित निगरानी में कमी होने के कारण था।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2022) कि 2020-21 से पूर्व के प्रशिक्षणों पर किया गया व्यय, एसआईआरडी की प्रशासनिक समिति द्वारा निर्धारित की गई प्रशिक्षण पारिश्रमिक दर के अनुसार, जो आरजीएसए के लागत मानदंडों की तुलना में कम था, जिसके आधार पर प्रशिक्षण के लिए बजट प्रावधान किया गया था। आगे, कार्मिकों की कमी एवं प्रशिक्षुओं की कम भागीदारी के कारण वांछित संख्या में प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए गए।

2.1.8.4 जिला योजना समिति (जि.यो.स.)

संविधान के अनुच्छेद 243-यघ के अनुसरण में, राज्य विधानसभा द्वारा जिला योजना समिति अधिनियम 1995 को 23 मई 1995 को अधिनियमित किया गया था। जि.यो.स. का गठन मध्य प्रदेश शासन द्वारा नामित दो सदस्यों सहित जिला पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के 10 से 20 निर्वाचित सदस्यों से किया जाना था। जि.यो.स. का नेतृत्व जिले के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष के रूप में करेंगे। जि.यो.स. पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं को समेकित करने और एकजाई जिले के लिए एक विकास योजना का मसौदा तैयार करने के लिए उतरदायी है। जिला कलेक्टर, जि.यो.स. के सचिव होने के नाते समस्त अभिलेख संधारित करने, बैठकों के कार्यक्रम तैयार करने, जिले का डेटाबेस और पंचायतीराज संस्थाओं में विद्यमान सुविधाओं की सूची संधारण के लिये उत्तरदायी होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि.पं/ज.पं. और सचिव ग्रा.पं. क्रमश: जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी)/ ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) और ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने के पश्चात् सामान्य निकाय/ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात् जिला योजना समिति को भेजेंगे। जिला योजना समिति को जिलों में लागू योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करनी चाहिए और राज्य शासन को नियमित प्रगति प्रतिवेदन भेजना चाहिए।

चयनित 10 जिलों में लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि, जिला योजना समिति का गठन तो किया गया था, परंतु वे उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रही थीं। जिन मुद्दों का पालन नहीं किया गया, वे नीचे दिए गए हैं:

- वर्ष 2016-21 के दौरान आवश्यक 200 बैठकों के विरुद्ध, केवल 71[20](36 *प्रतिशत*) जिला योजना समिति की बैठकें आयोजित की गईं। इस प्रकार, 64 *प्रतिशत* बैठकें आयोजित नहीं की गयीं। जिला योजना समिति के पास बैठकों में कमी के कारण उपलब्ध नहीं थे। आयोजित बैठकों की जिलेवार स्थिति और उनकी कमियों को ***परिशिष्ट-2.1.4*** में दर्शाया गया है।
- चयनित किसी भी जिला योजना समिति ने सुविधाओं[21] और डेटाबेस की सूची तैयार नहीं किया।
- चयनित जिलों में किसी भी जिला योजना समिति ने पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त विकास योजनाओं के समेकन के बाद, जिला विकास योजना तैयार नहीं किया। केवल जिला पंचायत पन्ना ने जिला योजना समिति को समेकित विकास योजना (ग्राम/जनपद/जिला पंचायत) प्रेषित किया। तथापि, जिला योजना समिति ने विभिन्न विभागों के उपलब्ध संसाधनों से अपने स्तर पर कार्य योजना तैयार किया।
- पांच[22] जिला योजना समिति में शासन ने सदस्यों को नामित किया, और दो[23] जिला योजना समिति में सदस्यों के नामांकन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन नामांकन के प्रस्तावों के अनुमोदन के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। तीन[24] जिला योजना समितियों ने मध्यप्रदेश शासन को प्रस्ताव ही नहीं भेजा था।
- किसी भी जिला योजना समिति ने जिलों में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा के बाद प्रगति प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन को नहीं भेजा, क्योंकि सभी जिलों में नियमित बैठकें नहीं हो रही थीं।

---

[20] ***24(2016-17), 21(2017-18), 13 (2018-19), 13 (2019-20) और शून्य (2020-21)।***

[21] ***नलकूप, हैंडपंप, डिस्पेंसरी और अपशिष्ट निपटान, प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधन से संबंधित डेटा।***

[22] ***बैतूल, छिंदवाड़ा, रीवा, शहडोल और उज्जैन।***

[23] ***अशोकनगर और खरगोन।***

[24] ***मुरैना, पन्ना और सीहोर।***

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि पांच[25] जिलों के जिला योजना समिति ने लेखापरीक्षा कथन को स्वीकार किया, तथापि, शेष पांच जिलों[26] के जिला योजना समिति ने विभाग को कोई उत्तर नहीं दिया।

इस प्रकार, जिला कलेक्टर अपेक्षित संख्या में बैठकें आयोजित करने में विफल रहे और स्थानीय आवश्यकता तथा पंचायती राज संस्थाओ के सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दों के अनुसार विकेंद्रीकृत आयोजन का उद्देश्य विफल रहा।

2.1.8.5 सामाजिक लेखापरीक्षा समिति

संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243-ञ में प्रावधान है कि राज्य, विधि द्वारा, पंचायतों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए प्रावधान कर सकता है। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया और मध्य प्रदेश सामाजिक संपरीक्षा नियम 2013 बनाये (दिसंबर 2013) गये। मध्य प्रदेश शासन ने सामाजिक संपरीक्षा आयोजित करने के लिए ग्राम सभाओं की क्षमता वर्धन तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्यों के अभिलेखों के सत्यापन की सुविधा के लिए एक मध्य प्रदेश राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति (म.प्र.रा.सा.सं.स.) की स्थापना (जनवरी 2013) किया। म.प्र.रा.सा.सं.स. का नेतृत्व अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग करते हैं। आगे, मध्य प्रदेश सामाजिक संपरीक्षा नियम, 2013 में प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में छह माह में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा, जिसके लिए राज्य स्तर पर एक वार्षिक कलैण्डर तैयार किया जाना था और आवश्यक व्यवस्था बनाने के लिए सभी जिला कार्यक्रम समन्वयकों को परिचालित किया जाना था तद्नुसार, ग्राम स्तर पर गठित ग्राम संपरीक्षा समितियों द्वारा सामाजिक संपरीक्षा की जानी थी। म.प्र.रा.सा.सं.स. द्वारा जारी (जून 2017) परिपत्र के अनुसार, सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदन के मुद्दों पर 15 दिनों के भीतर सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी और कार्रवाही की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

---

[25] ***अशोकनगर, बेतूल, छिन्दवाड़ा, खरगौन और उज्जैन।***

[26] ***पन्ना, मुरैना, रीवा, सीहोर, और शहडोल।***

2.1.8.5 (अ) सामाजिक लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा ने देखा कि म.प्र.रा.सा.सं.स. ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत में निष्पादित कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक सामाजिक संपरीक्षा कैलेंडर तैयार किया। वर्ष 2016-21 के दौरान नियोजित एवं निष्पादित सामाजिक संपरीक्षा की स्थिति नीचे **तालिका-2.1.11** में दी गई हैः

तालिका-2.1.11: सामाजिक लेखापरीक्षा की आयोजना, निष्पादन एवं कमी की स्थिति

स.क्र.	वर्ष	ग्रा.पं. की संख्या*	सामाजिक संपरीक्षा करने के लिये लक्ष्य	लक्ष्य के विरूद्व नियोजित संपरीक्षा *प्रतिशत* के साथ	लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि प्रतिशत के साथ	लक्ष्य के विरूद्व कमी प्रतिशत के साथ
1	2016-17	22819	45,638	7,988 (18)	5,917 (74)	39,721 (87)
2	2017-18	22813	45,626	11,064 (24)	9,970 (90)	35,656 (78)
3	2018-19	22810	45,620	12,284 (27)	11,701(95)	33,919 (74)
4	2019-20	22797	45,594	18,576 (41)	14,186 (76)	31,408 (69)
5	2020-21	22779	45,558	22,809 (50)	22,809 (100)	22,749 (50)
	योग		2,28,036	72,721 (32)	64,583 (89)	1,63,453 (72)

(स्रोतः म.प्र.रा.सा.सं.स.के रिकॉर्ड) *सोशल ऑडिट पोर्टल से लिए गए ग्राम पंचायतों की संख्या ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि म.प्र.रा.सा.सं.स. ने मानदण्ड के अनुसार आवश्यक 2.28 लाख ग्राम पंचायतों के सामाजिक संपरीक्षा के विरूद्ध, 72,721 (32 *प्रतिशत*) ग्राम पंचायतों की सामाजिक संपरीक्षा की आयोजना बनाया। आगे, ग्राम संपरीक्षा समिति ने आयोजना के विरूद्ध, 64,583 सामाजिक संपरीक्षा की गयी। इस प्रकार, वर्ष 2016-21 के दौरान लक्ष्यों के विरूद्ध 72 *प्रतिशत* सामाजिक संपरीक्षा नहीं की जा सकी। इसके अलावा, हमने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (एनआरईजीए) पोर्टल पर सोशल ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने की स्थिति की नमूना जांच किया और देखा कि पोर्टल पर, केवल 27,588[27](43 *प्रतिशत*) सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदन अपलोड किये गए थे। परिणामस्वरूप, योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

उत्तर में, म.प्र.रा.सा.सं.स. ने कहा कि कार्मिकों की कमी (142[28] पद), कोविड महामारी और चुनाव आचार संहिता लागू होने आदि के कारण चिन्हित ग्रामों में ग्राम संपरीक्षा समिति द्वारा मानदंडों के अनुसार सामाजिक संपरीक्षा नहीं किया जा सका। तथापि, कार्मिकों की पूर्ति हेतु प्रक्रिया चल रही है।

---

[27] ***शून्य (2016-17), 4,610 (2017-18), 9,811 (2018-19), 13,167 (2019-20) और शून्य (2020-21)।***

[28] ***राज्य समन्वयक-2, जिला समन्वयक-7 एवं खण्ड समन्वयक-133***

विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2022) कि वर्ष 2018-22 के दौरान आयोजना के विरुद्ध 95 *प्रतिशत* सामाजिक संपरीक्षा किया गया था। आगे, संपरीक्षित 64 *प्रतिशत* संपरीक्षा प्रतिवेदन भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर अपलोड किया गया था।

विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा अवधि से संबंधित नहीं है। आगे, यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने ग्राम पंचायतों में मध्य प्रदेश सामाजिक संपरीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार सामाजिक संपरीक्षा हेतु लक्ष्य का आयोजन नहीं किया गया।

2.1.8.5 (ब) सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही

लक्ष्यों के आधार पर, ग्राम संपरीक्षा समिति (ग्रा.स.स.) ग्राम पंचायतों की सामाजिक संपरीक्षा करेगी और सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदन के मुद्दों पर 15 दिनों के भीतर सुधारात्मक कार्यवाही करेगी और की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन को पोर्टल पर अपलोड किया जाना था।

राज्य स्तर पर, हमने देखा कि सामाजिक संपरीक्षा (2016-21) के दौरान, ₹ 1.51 करोड़ की राशि के कुल 6,604 मुद्दे पाए गए थे, जिनमें से 4,306 मुद्दों के संबंध में ₹ 0.36 करोड़ की राशि ही वसूल की जा सकी थी। मुद्दे, वसूली योग्य राशि, लंबित मुद्दे और उनकी राशि का वर्ष-वार विवरण नीचे **तालिका-2.1.12** में दर्शाया गया हैः

तालिका-2.1.12: 2016-21 की सामाजिक संपरीक्षा के दौरान उठाये गए एवं निपटाए गए मुद्दों की स्थिति

(₹ लाख में)

स.क्र.	वर्ष	मुद्दे	राशि	वसूल की गई राशि	निपटान किये गये मुद्दे	लंबित मुद्दे	शेष
1	2016-17	10	2.46	0.21	0	10	2.25
2	2017-18	8	0.96	0.58	7	1	0.38
3	2018-19	24	0.69	0.29	23	1	0.40
4	2019-20	1,646	87.14	21.91	1,291	355	65.23
5	2020-21	4,916	59.37	13.22	2,985	1,931	46.15
	योग	**6,604**	**150.62**	**36.21**	**4,306**	**2,298**	**114.41**

(स्रोतः म.प्र.रा.सा.सं.स.द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ₹ 1.51 करोड़ में से ₹ 0.36 करोड़ (24 *प्रतिशत*) की राशि मार्च 2021 तक वसूल की जा सकी और 2,298 मुद्दों की ₹ 1.14 करोड़ (76 *प्रतिशत*) की राशि वसूल नहीं की जा सकी।

इस प्रकार, मानदंडों के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा करने में कमी और सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदन में उठाए गए मुद्दों का निपटान न होने के कारण, सामाजिक संपरीक्षा का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि सामाजिक संपरीक्षा में उठाए गए मुद्दों पर सुधारात्मक कार्यवाही जिला पंचायत/जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा 15 दिनों के भीतर की जाती है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उठाए गए मुद्दों के निपटान और वसूली में क्रमशः 35 *प्रतिशत* से 76 *प्रतिशत* की कमी थी।

2.1.8.5 (स) पंचायती राज संस्थाओं में चयनित ग्राम पंचायतों की सामाजिक संपरीक्षा

सामाजिक संपरीक्षा नियम, 2013 के नियम 6 के साथ पठित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार किया जाना था। इस प्रयोजन के लिए एक ग्राम स्तर पर ग्राम संपरीक्षा समिति का गठन किया जाना था। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद, सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदन के साथ-साथ, उस पर की गई सुधारात्मक कार्यवाही प्रतिवेदन को 15 दिनों के भीतर को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए, संबंधित जनपद पंचायत/जिला पंचायत को भेजा जाना था।

नमूना-जांच की गई 20 ग्राम पंचायतों में हमने पाया, कि यद्यपि, चयनित ग्राम पंचायतों में सामाजिक संपरीक्षा करने के लिए ग्राम सभा समितियों का गठन किया गया था, लेकिन 200[29] सामाजिक संपरीक्षा के लक्ष्यों के विरुद्ध, 2016-21 के दौरान ग्राम सभा समितियों द्वारा केवल 40 सामाजिक संपरीक्षा की गई थी। आयोजित सामाजिक संपरीक्षा के लक्ष्यों एवं उपलब्धि का वर्षवार विवरण **तालिका-2.1.13** में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.13: नमूना जांच की गयी ग्राम पंचायतों में सामाजिक संपरीक्षा के लक्ष्य एवं उपलब्धि की स्थिति

स.क्र.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि *प्रतिशत* के साथ	कमी *प्रतिशत* के साथ	सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदन की पोर्टल पर अपलोडिंग की स्थिति
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	2016-17	40	11(27)	29(73)	0
2	2017-18	40	03(07)	37(93)	4

[29] ***प्रत्येक ग्राम पंचायत का छह महीने में एक सामाजिक अंकेक्षण।***

स.क्र.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि *प्रतिशत* के साथ	कमी *प्रतिशत* के साथ	सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदन की पोर्टल पर अपलोडिंग की स्थिति
3	2018-19	40	12(30)	28(70)	4
4	2019-20	40	11(27)	29(73)	9
5	2020-21	40	03(07)	37(93)	0
	योग	**200**	**40(20)**	**160(80)**	**17**

(स्रोतः नमूना-जांच की गई ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि चयनित ग्राम पंचायतों में, मानदंडों के अनुसार आवश्यक 200 सामाजिक संपरीक्षा के विरुद्ध, केवल 40 सामाजिक संपरीक्षा आयोजित किए गए थे, जिसमें से, केवल 17 (43 *प्रतिशत*) सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड किया गया था। तथापि, संबंधित ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में कोई भी सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदन स्वीकृत नहीं किया गया था। आगे, जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों ने ग्राम पंचायतों से प्राप्त सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही के प्रतिवेदनों से संबंधित अभिलेखों का संधारण नहीं किया।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि कार्मिकों की कमी, कोविड-19 महामारी और चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण सामाजिक संपरीक्षा का लक्ष्य कम निर्धारित किया गया था। आगे, मनरेगा पोर्टल पर तकनीकी मुद्दों के कारण सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदन अपलोड नहीं किये गए थे, जिसकी सूचना समय-समय पर भारत सरकार को दी गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सामाजिक संपरीक्षा नियमावली 2013 के अनुसार सामाजिक संपरीक्षा के आवश्यक लक्ष्य के विरूद्ध, सात से 30 *प्रतिशत* की कमी कोविड-19 महामारी से पूर्व की थी। साथ ही, सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदन ग्राम सभा में स्वीकृत न होने के कारण पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई थी।

2.1.9 पंचायती राज संस्थाओं की राजस्व रूपरेखा

भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 (ज) पंचायतों को कर अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान करता है और यह भी परिकल्पना करता है कि राज्य शासन सहायता अनुदान प्रदान करेगी और राजस्व भी सौंपेगी, जो शुल्क, चुंगी और फीस के रूप में संग्रहित किया जाता है, जैसा विधि द्वारा विनिर्दिष्ट हो। आगे, केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग ने भी पंचायती राज संस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए अनुदान प्रदान करने की अनुशंसा की। वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने पंचायती राज संस्थाओं के

लिए विशेष रूप से अनुदान संख्या-53 सृजित किया और संबंधित विभागों के प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 196, 197 और 198 के अंतर्गत विभिन्न विभागों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की।

भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन को निधि जारी करती है और मध्य प्रदेश शासन उसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/पंचायती राज संचालनालय को जारी करती है तथा पंचायत राज संचालनालय विभिन्न प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को निधि जारी करती है। निधि प्रवाह को प्रवाह **चार्ट-2.1.3** के माध्यम से दिखाया गया है:

प्रवाह चार्ट-2.1.3: भारत सरकार से पंचायती राज संस्थाओं को निधि प्रवाह

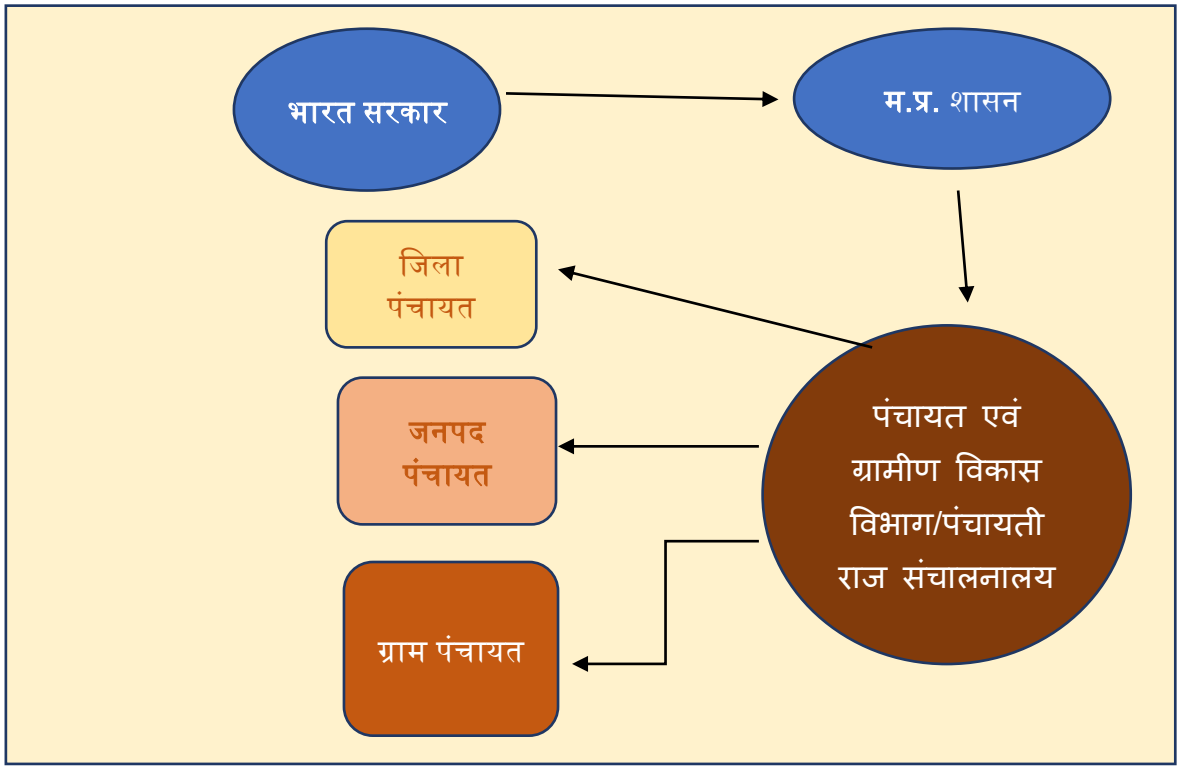

2.1.9.1 राजस्व के स्रोत

पंचायती राज संस्थाएँ समय-समय पर गठित केंद्रीय वित्त आयोग (के.वि.आ.) और राज्य वित्त आयोग (रा.वि.आ.) की अनुशंसाओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा, पंचायती राज संस्थाएँ पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर और शुल्क के रूप में अपना स्वयं का राजस्व संग्रहित करती हैं। 2016-21 की अवधि के दौरान पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता और राजस्व के स्रोतों की स्थिति नीचे **तालिका-2.1.14** में दर्शाई गई है:

तालिका-2.1.14: 2016-21 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को, के.वि.आ., रा.वि.आ. द्वारा जारी अनुदान एवं स्वयं के राजस्व की स्थिति

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वर्ष	कुल राजस्व के विरुध्द के.वि.आ. अनुदान प्रतिशत के साथ	रा.वि.आ. अनुदान	स्वयं का राजस्व	योग
1	2016-17	2,026.62*(59)*	1,414.01*(41)*	पंचायत राज संचालनालय के पास कोई कर डेटा उपलब्ध नहीं है। पंचायत दर्पण पोर्टल से लिया गया डेटा	3,440.63
2	2017-18	2,341.57*(66)*	1,214.15*(34)*		3,555.72
3	2018-19	2,708.78*(63)*	1,597.04*(37)*		4,305.82
4	2019-20	3,660.14*(74)*	1,285.00*(26)*		4,945.14
5	2020-21	3,984.00*(91)*	393.62*(09)*		4,377.62
		पोर्टल राशि अक्टूबर 2021 के अनुसार		360.11	360.11
	योग	**14,721.11 *(70)***	**5,903.82 *(28)***	**360.11 (02)**	**20,985.04**

(स्रोतः पीआरआई संचालनालय के रिकॉर्ड)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि कुल प्राप्त राशि ₹ 20,985.04 करोड़ में से, पंचायती राज संस्थायें कुल प्राप्तियों का मात्र दो *प्रतिशत* ही संग्रहित कर सकी और शेष प्राप्तियां के.वि.आ. और रा.वि.आ. अनुदान से था। आगे, पंचायती राज संस्थाओं की कुल राजस्व स्थिति को नीचे **पाई चार्-1** के माध्यम से दर्शाया गया हैः

पाई चार्ट-1 पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति

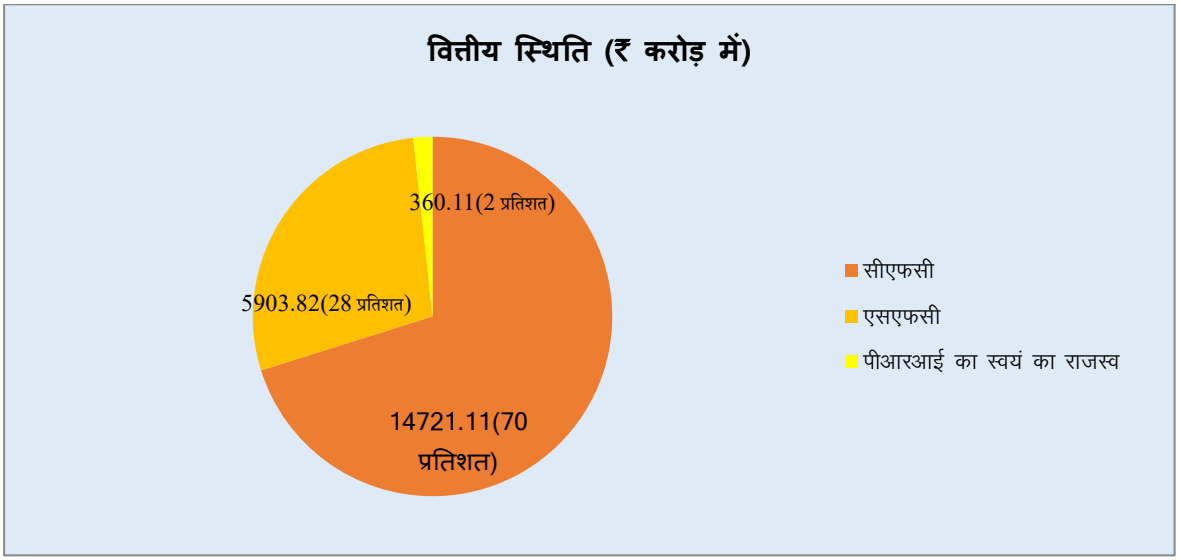

(स्रोतः संचालनालय, पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेख एवं पंचायत दर्पण)

आगे, पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व में ग्राम पंचायतों द्वारा जल कर (71.41 *प्रतिशत*), संपत्ति कर (22.16 *प्रतिशत*) और स्वच्छता कर (6.43 *प्रतिशत*) का संग्रहित किया जाना शामिल है।

लेखापरीक्षा का निष्कर्ष है कि राजस्व का प्राथमिक स्रोत के.वि.आ./रा.वि.आ की अनुशंसाओं के अनुसार भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी अनुदान है, जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के लक्ष्यों द्वारा संचालित है।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि ग्राम पंचायत के स्वयं के राजस्व में वृद्धि करने के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली विकसित की गई थी और लगभग सभी ग्राम पंचायतों द्वारा इस प्रणाली का उपयोग कर रहे थे।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू करने के बावजूद पंचायती राज संस्थाओं का स्वयं का राजस्व कुल प्राप्तियों का दो *प्रतिशत* था।

2.1.9.2 राज्य शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान की गयी वित्तीय सहायता

मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार विभिन्न विभागों के कार्यों को हस्तांतरित करने के निर्देश (जनवरी 1997) दिए थे। आगे, इन विभागों की योजनाओ का बजट, कार्यक्रम आदि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किया जाना था। मध्य प्रदेश शासन ने विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं को बजट उपलब्ध कराने के लिए अनुदान संख्या-53 सृजित किया।

अभिलेखों की संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि अनुदान संख्या-53 के अन्तर्गत वर्ष 2016-21 के दौरान, जिन विभागों के कार्यों/गतिविधियों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किया जाना था, उन विभागों के बजट नियंत्रण अधिकारीयों (ब.नि.अ.) को ₹ 1,23,235.32 करोड़ की राशि जारी की गई। ब.नि.अ. को जारी की गई वर्षवार निधि नीचे **तालिका-2.1.15** में दी गई हैः

तालिका-2.1.15 : वर्ष 2016-21 के दौरान ब.नि.अ. को जारी की गई निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.	वर्ष	पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान की गई निधि		अन्य विभागों के ब.नि.अ. को उपलब्ध करायी गई निधि		योग
		ब.नि.अ. संख्या	राशि *प्रतिशत* के साथ	ब.नि.अ. संख्या	राशि *प्रतिशत* के साथ	
1	2016-17	2	10,560.83*(54)*	11	9,008.29*(46)*	19,569.12
2	2017-18	2	18,672.31*(63)*	12	10,758.98*(37)*	29,431.29
3	2018-19	2	17,450.85*(58)*	13	12,428.36*(42)*	29,879.21
4	2019-20	2	16,533.48*(68)*	13	7,736.21*(32)*	24,269.69
5	2020-21	2	16,475.59 *(82)*	13	3,610.42*(18)*	20,086.01
	योग		**79,693.06 *(65)***		**43,542.26 *(35)***	**1,23,235.32**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा)

यह स्पष्ट है कि संविधान की 11 वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों से संबंधित 32 से 57 योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कुल बजट का 35 प्रतिशत, अन्य विभागों के ब.नि.अ. को वर्ष 2016-21 के दौरान आवंटित किया गया था ***(परिशिष्ट-2.1.5)***।

आगे, 2017-20 के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (ब.नि.अ.-3402) को नलकूपों/हैंडपंपों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए ₹ 424.34 करोड़ के पुर्नआवंटन से, यह भी परिलक्षित हुआ, कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्मिकों का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा का निष्कर्ष है कि मध्य प्रदेश शासन ने अनुदान संख्या-53 के अंतर्गत अन्य विभागों को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की 11वीं अनुसूची और पीआरआई अधिनियम में उल्लिखित कार्यों के निष्पादन के लिए निधि आवंटित किया था। इस प्रकार, अनुदान संख्या-53 के अंतर्गत अन्य विभागों को जारी की गई निधि तथा पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए कार्यों के लिए संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे व्यय के कारण पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों का हस्तांतरण अपर्याप्त एवं अप्रभावी था।

विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2022) कि कार्यों के निष्पादन का उत्तरदायित्व विभागों को सौंपा गया था, क्योंकि उनके पास ग्राम पंचायतों की तुलना में बेहतर तकनीकी ज्ञान और अनुभव था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अधिनियमन से लगभग 29 वर्षों के बीत जाने के बावजूद, पंचायती राज संस्थायें स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए कार्मिकों के साथ-साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों का क्षमता वर्धन नहीं कर सकी, क्योंकि 2016-21 के दौरान केवल तीन *प्रतिशत* कार्मिकों और 30 *प्रतिशत* निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही प्रशिक्षण दिया गया था।

2.1.9.3 अनुदान संख्या-53 के अंतर्गत जारी निधियां

वित्त विभाग से लघु शीर्ष 196, 197 और 198[30] के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं और नमूना जांच किए गए विभागों के लिए निधि प्रवाह फ्लो **चार्ट-2.1.**4 के माध्यम से नीचे दिखाया गया हैः

---

[30] ***196-जिला पंचायत को वित्तीय सहायता, 197-जनपद पंचायत को वित्तीय सहायता और 198- ग्राम पंचायत को वित्तीय सहायता/***

फ्लो चार्ट-2.1.4: पंचायती राज संस्थाओं और चयनित विभागों के मध्य निधि प्रवाह

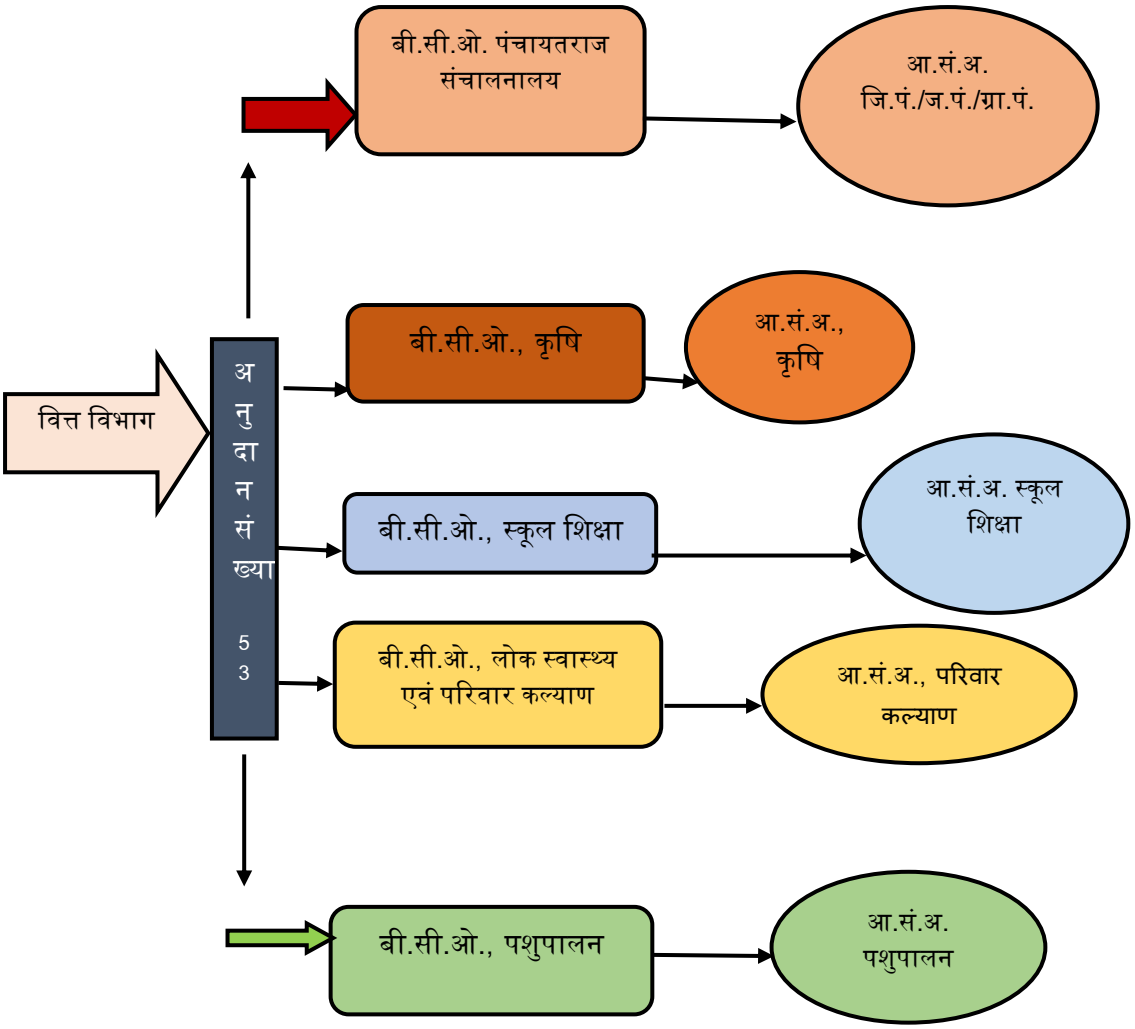

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2016-21 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन ने एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के माध्यम से कथित तौर पर पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए कार्यों/ गतिविधियां के कार्यान्वयन के लिए लघु शीर्ष 196, 197 और 198 के अंतर्गत समस्त 52 जिलों के नमूना-जांच किए गए चार विभागों के ब.नि.अ. को वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 39,732.15 करोड़ प्रदान किए। आगे, हमने संबंधित विभागों के संचालनालयों में स्वीकृतियों/बजट शीटों की नमूना जांच की और पाया, कि राशि संबंधित विभागों के आहरण संवितरण अधिकारी (आ.सं.अ.) को जारी की गई थी।

हमने चयनित विभागों के 40 चयनित आ.सं.अ. की भी नमूना जांच की और पाया, कि आ.सं.अ. को लघु शीर्ष 196, 197 और 198 के अंतर्गत वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 1,872.53[31] करोड़ की राशि प्राप्त हुयी ***(परिशिष्ट-2.1.6)(i) से (iv))***।

लेखापरीक्षा ने नमूना जांच किए गए विभागों के चयनित आ.सं.अ. के व्यय प्रमाणकों की भी नमूना जांच की और पाया कि आ.सं.अ. ने जारी वित्तीय सहायता के विरुद्ध व्यय किया।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम की दृष्टि से, इन विभागों के आ.सं.अ. को हस्तांतरित कार्यों के अंतर्गत आने वाली योजनाओं/कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए पंचायती राज संस्थाओं को लघु शीर्ष 196, 197 और 198 के अंतर्गत निधि हस्तांतरित करना आवश्यक था। तथापि, आ.सं.अ. ने पंचायती राज संस्थाओं को निधि हस्तांतरित करने के बजाय स्वयं निधि का उपयोग किया।

विभाग ने लेखापरीक्षा कथन को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2022) कि उपरोक्त विभागों के बजट नियंत्रण अधिकारी को तकनीकी रूप से सुदृढ़ होने और निर्धारित समय में कार्यों को पूरा करने के लिए निधि जारी की गई थी।

इस प्रकार, हस्तांतरित कार्यों के अंतर्गत आने वाली योजनाओं/कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए पंचायती राज संस्थाओं को निधियां जारी नहीं की गई थी।

2.1.9.4 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा की गयी कार्यवाही

पैराग्राफ 2.1.8.1 में की गयी चर्चा अनुसार, राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग (रा.वि.आ.) के गठन, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं, स्वीकृतियों और अनुपालन को **तालिका-2.1.16** में दर्शाया गया हैः

तालिका-2.1.16: मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर की गयी कार्यवाही

राज्य वित्त आयोग क्रमांक	वित्तीय अनुशंसायें	स्वीकृति की स्थिति
प्रथम	• राज्य शासन की निवल स्व राजस्व प्राप्तियों का 2.91 *प्रतिशत* पंचायती राज संस्थाओं को	

[31] ***कृषि विभाग ₹ 13.63 करोड़, शिक्षा ₹ 1161.37 करोड़, परिवार कल्याण ₹ 677.91 करोड़ एवं पशु चिकित्सा ₹ 19.62 करोड़।***

राज्य वित्त आयोग क्रमांक	वित्तीय अनुशंसायें	स्वीकृति की स्थिति
	हस्तांतरण । • सामान्य प्रयोजन के लिए, जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों को ₹1.50 करोड़ प्रदान करना और प्रति वर्ष 10 *प्रतिशत* की वृद्धि करना।	स्वीकृत
द्वितीय	• राज्य शासन की निवल स्व राजस्व प्राप्तियों का 2.93 *प्रतिशत* पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण । • परिसम्पत्तियों के रख-रखाव तथा सामान्य प्रयोजन हेतु जिला पंचायतों को क्रमशः ₹ दो करोड़ तथा जनपद पंचायतों को ₹ 14.65 करोड़ प्रदान किया जाना।	
तृतीय	• पंचायती राज संस्थाओं को राज्य शासन की विगत वर्ष की निवल स्व राजस्व प्राप्तियां के 4 *प्रतिशत* का हस्तांतरण । • जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को सामान्य प्रयोजन के लिए क्रमशः ₹ 20 करोड़ और ₹ पांच करोड़ प्रति वर्ष दिया जाना।	
चतुर्थ	• राज्य की निवल स्व राजस्व का 5.5 *प्रतिशत* पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण • राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि जिला पंचायतों को ₹ दो करोड़ वार्षिक और जनपद पंचायतों को ₹ एक करोड़ वार्षिक आवंटित किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों को पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी।	मध्य प्रदेश शासन ने निर्णय लिया कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर पांचवें राज्य वित्त आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन के साथ विचार किया जाएगा।

(स्रोतः राज्य वित्त आयोग अधिसूचना और प्रतिवेदन)

स्वीकार एवं पूरी की गई अनुशंसाओं में से लेखापरीक्षा ने तृतीय और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन की स्थिति की नमूना-जांच की और पाए गए मुद्दों पर चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई हैः

2.1.9.5 पंचायती राज संस्थाओं को निधियों का कम हस्तांतरण

तीसरे राज्य वित्त आयोग (अवधि 2006-11) की अनुशंसाओं के अनुसार मध्य प्रदेश शासन को पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के रूप में मध्य प्रदेश शासन के विगत वर्ष के विभाज्य कर राजस्व[32] का चार *प्रतिशत* प्रदान करना था। यही फॉर्मूला 2016-17 के लिए भी लागू है, क्योंकि चौथे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रस्तुत (जनवरी 2017) करने में विलंब हुआ जैसा कि कंडिका 2.1.8.1 में चर्चा की गई है। निधियों के हस्तानांतरण का विवरण नीचे **तालिका-2.1.17** में दिया गया हैः

तालिका-2.1.17: पंचायती राज संस्थाओं को निधियों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मध्य प्रदेश शासन की विभाज्य निधि	विभाज्य कर राजस्व के 4 *प्रतिशत* की दर से *हस्तानांतरण* योग्य निधि	हस्तांतरित निधि	हस्तानांतरित निधि का *प्रतिशत*
2016-17	29,196.58	1,167.86	1,217.10	4.17
2017-18	31,960.82	1,278.43	1,099.96	3.44
2018-19	32,110.17	1,284.41	923.68	2.88
2019-20	36,844.25	1,473.77	381.26	1.03
2020-21	41,946.02	1,677.84	329.62	0.79
योग		6,882.31	3,951.62	

(स्रोतः वित्त विभाग एवं पंचायत राज संचालनालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)

मध्य प्रदेश शासन ने यद्यपि, विभाज्य कर राजस्व का चार *प्रतिशत* हिस्सा हस्तांतरित करने के लिए रा.वि.आ. की अनुशंसा को स्वीकार किया था, फिर भी, वर्ष 2016-17 को छोड़कर, पंचायती राज संस्थओं को हस्तांतरण में निरंतर गिरावट आई और 2016-21 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को अनुशंसा के विरूद्ध ₹ 2,930.69 करोड़ निधि कम हस्तांतरण हुई, जो पंचायती राज संस्थओं को सुदृढ करने के लिए रा.वि.आ. की अनुशंसाओं के अनुसार हस्तांतरण के लिए मध्य प्रदेश शासन की प्रतिबद्धता की कमी को इंगित करता है।

---

[32] ***पिछले वर्ष का कुल कर राजस्व - करों के संग्रह का 10 प्रतिशत और पीआरआई और यूएलबी को सौंपे गए राजस्व की कटौती। वर्ष 2015-16 का कर राजस्व ₹ 40,240.43 करोड़ - (10 प्रतिशत) ₹ 4,024.04 करोड़ - ₹ 7,019.81 (स्थानीय निकायों को नियत कर) = ₹ 29,196.58 करोड़, निवल राज्य राजस्व की विभाज्य निधि का चार प्रतिशत अर्थात ₹ 1,167.86 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं के लिए।***

इस प्रकार, मध्य प्रदेश शासन ने रा.वि.आ. की स्वीकृत अनुशंसाओं का अनुपालन नहीं किया।

आगे, 14वें वित्त आयोग ने 2016-20 की अवधि के लिए मध्य प्रदेश के पंचायती राज संस्थओं को ₹ 1355.64[33] करोड़ के निष्पादन अनुदान की अनुशंसा की। तथापि, भारत सरकार द्वारा 2016-17 और 2017-18 की अवधि के लिए, केवल ₹ 562.48 करोड़ जारी किए गए। वर्ष 2015-16, 2018-19 एवं 2019-20 में भारत सरकार द्वारा कोई निष्पादन अनुदान जारी नहीं की गई। यद्यपि, संबंधित वर्षों के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा ₹793.16 करोड़ निष्पादन अनुदान की अनुशंसा की गई थी, लेकिन जारी नहीं की गई थी। इस प्रकार, 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित दो शर्तों (i) अंकेक्षित खातों के माध्यम से सभी प्राप्तियों और व्यय पर विश्वसनीय डेटा उपलब्ध कराना; और (ii) स्वयं के राजस्व में बढ़ोत्तरी, के निष्पादन से संबंधित अनुपालन की कमी के कारण राज्य के पंचायती राज संस्थाओं को निष्पादन अनुदान के रूप में ₹ 793.16 करोड़ कम जारी किए गए थे।

विभाग ने इस मुद्दे पर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

2.1.9.6 केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदानों के विलंब से जारी होने से परिहार्य ब्याज का भुगतान

भारत सरकार ने 14वें और 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग (के.वि.आ.) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। स्वीकृति आदेशों के अनुसार, राज्य को भारत सरकार से निधि प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, स्थानीय निकायों को अंतरित करना है। विलंब की स्थिति में, राज्य सरकार का दायित्व है कि वह विलम्ब के दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर पर ब्याज का भुगतान करे।

पंचायतराज संचालनालय स्तर पर स्वीकृतियों, फाइलों और जारी आदेशों की संवीक्षा में, लेखापरीक्षा ने पाया, कि मध्यप्रदेश शासन ने वर्ष 2017-18 और अवधि 2019-21 के मध्य केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुदानों को विलम्ब से जारी करने के कारण पंचायती राज संस्थाओं को ₹19.83 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया था। भुगतान किए गए ब्याज का वर्ष-वार विवरण नीचे **तालिका-2.1.18** में दिया गया हैः

---

[33] ***2015-16: शून्य, 2016-17: ₹ 265.84 करोड़, 2017-18: ₹ 300.83 करोड़, 2018-19: ₹ 341.63 करोड़, 2019-20: 447.34 करोड़।***

तालिका-2.1.18: पंचायती राज संस्थाओं को भुगतान किए गए ब्याज का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रं.	वर्ष	पंचायत राज संस्थाओं को जारी के.वि.आ. अनुदान	अनुदान जारी करने में विलम्ब (दिनों में)	विलम्ब के कारण ब्याज का भुगतान
1	2017-18	1,170.79	01-02	0.01
2	2019-20	1,830.07	01-04	0.27
3	2020-21	996.00	37-42	7.82
4		996.00	37-38	7.63
5		996.00	22-23	4.10
योग				**19.83**

(स्रोतः पंचायतराज संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख)

यदि मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय पर निधि जारी की जाती, तो विलम्ब के कारण किए गए ब्याज के भुगतान से बचा जा सकता था। समय पर निधि जारी न करने के कारण मध्य प्रदेश शासन को परिहार्य ₹ 19.83 करोड़ की हानि हुई।

विभाग ने लेखापरीक्षा कथन को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2022) कि वित्त विभाग द्वारा अनुमति प्रदान करने में विलंब होने के कारण, पंचायती राज संस्थाओं को निधि जारी करने में विलंब हुआ।

2.1.9.7(क) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा करों का अधिरोपण एवं संग्रहण

अनुच्छेद 243-ज के अनुसरण में, पी.आर.आई. अधिनियम में संशोधन किया गया और जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों को उनके अधिकार क्षेत्र में करों के अधिरोपण और संग्रहण करने का अधिकार प्रदान करने के लिए पी.आर.आई. अधिनियम में धारा 74 और 75 को सम्मिलित किया गया।

पीआरआई अधिनियम की धारा 77(2), वैकल्पिक कर तथा फीस (शर्तें एवं अपवाद) नियम, 1996 के साथ पठित ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार कर अधिरोपित करने एवं परिवारों से संग्रहित करने का प्रावधान करती है।

चयनित पंचायती राज संस्थाओं के रोकड़ बही, मांग एवं संग्रहण पंजी, राजस्व वसूली की प्राप्ति तथा वार्षिक लेखाओं की नमूना-जांच से परिलक्षित हुआ कि पंचायती राज संस्थाओं ने वर्ष 2016-21 के दौरान स्वयं का राजस्व (संपत्ति कर, भवनों का किराया, पट्टा एवं विकास शुल्क) ₹ 1.19 करोड़ (जिला पंचायत/जनपद पंचायत ₹ 82.62 लाख, एवं ग्राम

पंचायत ₹ 36.52 लाख) संगृहीत किया था। नमूना जांच किए गए जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों में वर्षवार राजस्व संग्रहण की स्थिति नीचे **तालिका-2.1.19(क)** में दर्शाई गई है:

तालिका-2.1.19(क) नमूना जांच किये गए जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों द्वारा वर्षवार राजस्व संग्रहण की स्थिति

(₹ लाख में)

क्र.	वर्ष	सम्पत्ति पर कर		सम्पत्ति का किराया		भवन एवं तालाब से पट्टा किराया		विकास शुल्क/कर	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2016-17	0	0	52	5.99	41	6.48	5	0.90
2	2017-18	0	0	61	5.19	43	6.90	6	0.95
3	2018-19	1	0.51	61	9.10	39	6.89	7	1.84
4	2019-20	1	0.09	48	5.58	43	6.83	7	4.50
5	2020-21	1	0.28	59	9.70	36	6.69	18	4.20
	योग	**3**	**0.88**	**281**	**35.56**	**202**	**33.79**	**43**	**12.39**
							महायोग	**₹ 82.62**	

(स्रोत: नमूना जांच किये गये जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों के अभिलेख)

चयनित 20 ग्राम पंचायतों में से चार[34] ग्राम पंचायतों में लेखापरीक्षा ने पाया, कि वर्ष 2016 से 2021 के दौरान राजस्व के रूप में ₹ 36.52 लाख संगृहीत किया गया था जैसा कि नीचे **तालिका-2.1.19(ख)** में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.19(ख) चार ग्राम पंचायतों द्वारा वर्षवार राजस्व संग्रहण की स्थिति

(₹ लाख में)

क्र.	वर्ष	परिवारों की संख्या	सम्पत्ति कर		सम्पत्ति से किराया		प्रकाश कर	
			संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2016-17	10,210	-	1.11	1	0.90	.-	0.03
2	2017-18		49	3.84	0	0	49	0.67
3	2018-19		85	3.47	0	0	85	1.16
4	2019-20		157	9.14	4	1.09	157	2.15
5	2020-21		192	9.20	3	0.88	192	2.88
	योग		**483**	**26.76**		**2.87**	**483**	**6.89**
						महायोग	**₹ 36.52**	

(स्रोत: नमूना जांच किये गये ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

लेखापरीक्षा ने देखा कि चार ग्राम पंचायतों में 10,210[35] परिवारों में से केवल 483 परिवार ही संपत्ति कर का भुगतान कर रहे थे। शेष 16 ग्राम पंचायतों ने संपत्ति कर,

[34] *इकलहरा, मडावड़ा, मेहतवाड़ा और उमरेठ।*

व्यापार कर, प्रकाश कर तथा अन्य वैकल्पिक करों के अधिरोपण एवं संग्रहण की शक्ति का प्रयोग नहीं किया। इस प्रकार, ये ग्राम पंचायतें अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कर और शुल्क अधिरोपित करने में विफल रहीं।

हमारा निष्कर्ष है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में कर लगाने की शक्ति का प्रयोग करने में निष्क्रियता के कारण, राज्य शासन द्वारा संबंधित अधिनियम/नियमों के माध्यम से किया गया हस्तांतरण प्रभावी नहीं था और इस प्रकार के हस्तांतरण का उद्देश्य विफल रहा है।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि ग्राम पंचायतों को स्वयं के राजस्व को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली विकसित की गई थी और लगभग सभी ग्राम पंचायतें इस प्रणाली का उपयोग कर रही थीं।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन निगरानी प्रणाली प्रारंभ होने के बावजूद, 80 *प्रतिशत* चयनित ग्राम पंचायतें अपने स्वयं के राजस्व कर का अधिरोपण एवं संग्रहण करने में विफल रहीं।

2.1.9.7(ख) जल प्रभार का संग्रहण

वैकल्पिक कर तथा फीस (शर्त एवं अपवाद) नियम, 1996 के नियम 4(ङ-1) के अनुसार, जिन ग्राम पंचायतों में जलापूर्ति योजना का संचालन एवं अनुरक्षण किया जा रहा था, वे ग्राम पंचायतें जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु, पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए व्यय के अनुपात में निर्धारित जल प्रभार अधिरोपित एवं संगृहित करेंगी। तृतीय राज्य वित्त आयोग ने भी यह अनुशंसा की, कि उन ग्राम पंचायतों में जहां नल-जल योजना कार्यान्वयन में थी और जल प्रभार ग्राम पंचायतों द्वारा संग्रहित किया जा रहा था, वहां राज्य वित्त आयोग अनुदान से विद्युत की बकाया राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। ग्राम पंचायत द्वारा करों के अधिरोपण एवं संग्रहण के संबंध में मांग और संग्रहण पंजी का रखरखाव करने का उत्तरदायित्व सचिव, ग्राम पंचायत का है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2016-21 के दौरान, 20 चयनित ग्राम पंचायतों में से, केवल तीन[36] ग्राम पंचायतों ने जल प्रभार[37] लगाया और पंजीकृत उपभोक्ताओं से वसूल की जाने

---

[35] ***इकलेहरा (3,079), मडावड़ा (1,523), मेहतवाड़ा (2,497) और उमरेठ (3,111)।***

[36] ***इकलेहरा (3,079), गोगावां (4,100) एवं उमरेठ (3,111)।***

वाली राशि ₹ 66.43 लाख के विरूध्द ₹ 21.38 लाख (32 *प्रतिशत*) वसूल किया। जल प्रभारों की वर्षवार वसूली की स्थिति **तालिका-2.1.20** में दी गई है:

तालिका-2.1.20: जल प्रभार की वर्षवार वसूली की स्थिति

(₹ लाख में)

वर्ष	परिवारों की संख्या	पंजीकृत उपभोक्ताओं की संख्या	मांग की गयी राशि	वसूल की गयी राशि
1	2	3	4	5
2016-17	10,290	1,164	5.80	3.28 *(57)*
2017-18		2,797	15.60	4.16 *(27)*
2018-19		2,736	15.23	2.86 *(19)*
2019-20		2,722	15.15	4.58 *(30)*
2020-21		2,641	14.66	6.50 *(44)*
योग		**12,060**	**66.44**	**21.38 *(32)***

(स्रोत: नमूना जांच की गयी ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि तीन ग्राम पंचायतों ने 1,164 से 2,736 (10 *प्रतिशत* से 24 *प्रतिशत*) परिवारों से इन ग्राम पंचायतों में रहने वाले 10,290 परिवारों (2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार) के विरुद्ध जल प्रभार संगृहित किया।

किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा कर अधिरोपित एवं संगृहित न करने के कारणों के सम्बन्ध में दिसंबर 2022 तक अवगत नहीं कराया गया।

इस प्रकार, ये ग्राम पंचायतें जल का कनेक्शन लेने एवं जल आपूर्ति के लिए जल प्रभार का भुगतान करने हेतु परिवारों को प्रोत्साहित नहीं कर सकीं।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि ऑनलाइन निगरानी प्रणाली, ग्राम पंचायतों का स्वयं का राजस्व बढ़ाने के लिए विकसित की गयी थीं तथा लगभग सभी ग्राम पंचायतें इस प्रणाली का उपयोग कर रही थीं।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन निगरानी प्रणाली प्रारंभ करने के बावजूद 85 *प्रतिशत* चयनित ग्राम पंचायतें जल प्रभारों के आरोपण एवं संग्रहण में विफल रहीं।

[37] ***ग्राम पंचायत उमरेठ द्वारा ₹ 50 प्रति माह, ग्राम पंचायत इकलेहरा द्वारा ₹ 30 प्रति माह एवं ग्राम पंचायत गोगावां द्वारा ₹ 60 प्रति माह की दर से।***

2.1.9.8 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना

केन्द्रीय वित्त आयोग (के.वि.आ.) और राज्य वित्त आयोग (रा.वि.आ.) द्वारा जारी स्वीकृति आदेशों के अनुसार, जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की अनुदान राशि पिछले वर्ष के अनुदान के 70 *प्रतिशत* और पिछले वर्षों से पूर्व वर्षों के 100 *प्रतिशत* ब्याज सहित, यदि कोई हो, के उपयोग के अधीन जारी की जानी थी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का है। आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय को पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों से उपयोगिता प्रमाणपत्र एकत्र किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रेषित किये गए उपयोगिता प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में अभिलेख संधारित करना चाहिए। आगे, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी (जून 2017) किया कि प्रत्येक जिला पंचायत और जनपद पंचायत एकल बैंक खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित करेंगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2016 से 2021 के दौरान, के.वि.आ. और रा.वि.आ. के अंतर्गत क्रमशः ₹ 14,721.11 करोड़ और ₹ 5,903.82 करोड़ अनुदान जारी किया गया। के.वि.आ./रा.वि.आ. के अंतर्गत जारी राशि और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की स्थिति नीचे **तालिका-2.1.21** में दी गई है:

तालिका-2.1.21: के.वि.आ./रा.वि.आ के अन्तर्गत जारी निधि एवं प्रस्तुत किये गए उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.	वर्ष	के.वि.आ. (14 वें व 15 वें के.वि.आ.) अनुदान	के.वि.आ. द्वारा जारी की गयी निधि के विरुद्ध जमा किये गये उपयोगिता प्रमाणपत्र की राशि	रा.वि.आ. अनुदान	जारी की गई निधि के सापेक्ष रा.वि.आ. के लिए जमा किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र
01	2016-17	2,026.62	2,026.62	1,414.01	पंचायतराज संचालनालय स्तर पर, रा.वि.आ. के अन्तर्गत जारी राशि के संबंध में कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे।
02	2017-18	2,341.57	2,341.57	1,214.15	
03	2018-19	2,708.78	2,708.78	1,597.04	
04	2019-20	3,660.14	3,660.14	1,285.00	
05	2020-21	3,984.00	1,992.00	393.62	
	योग	**14,721.11**	**12,729.11**	**5,903.82**	

(स्रोत: पंचायतराज संचालनालय के अभिलेख)

लेखापरीक्षा में देखा गया कि पंचायत राज संचालनालय ने वर्ष 2016-21 के दौरान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को भारत सरकार से प्राप्त राशि ₹ 14,721.11 करोड़ के के.वि.आ. अनुदान के विरूद्ध, राशि ₹ 12,729.11 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायती राज संस्थाओं को जारी अनुदान का वास्तविक उपयोग सुनिश्चित किये बिना प्रेषित किये। शेष ₹ 1,992.00 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु लंबित थे। इसके अलावा, पंचायती राज संस्थाओं से उनके द्वारा उपयोग की गयी निधियों के संबंध में प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में पंचायतराज संचालनालय पर कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था। इसके अलावा, पंचायतराज संचालनालय के स्वीकृति आदेशों के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं को रा.वि.आ. के अंतर्गत जारी की गई राशि के संबंध में प्रत्येक माह के अंत में व्यय की प्रगति और प्रत्येक वर्ष के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायतराज संचालनालय को प्रस्तुत करना था। तथापि, यह देखा गया कि न तो पंचायती राज संस्थाओं ने पंचायतराज संचालनालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये, और न ही पंचायतराज संचालनालय ने पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की स्थिति की निगरानी की। परिणामस्वरूप, जारी की गई राशि के उपयोग की तथ्यात्मक स्थिति लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

विभाग ने लेखापरीक्षा कथन को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2022) कि पंचायती राज संस्थाओं को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये जायेंगें और पंचायत दर्पण पोर्टल पर रा.वि.आ. अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्रावधान करने की भी कार्यवाही की जाएगी।

2.1.10 पंचायतीराज संस्थाओं में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को अपनाए जाने के संबंध में चयनित पंचायती राज संस्थाओं की नमूना जांच की और पाए गये मुद्दों की चर्चा नीचे दिये गये पैराग्राफ में की गई हैः

2.1.10.1 निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रथम बैठक

पंचायत राज अधिनियम की धारा 20, 27 और 34 के साथ पठित धारा 37 में परिकल्पित है, कि पंचायती राज संस्थाओं की प्रथम बैठक निर्वाचन परिणाम के प्रकाशन

की तारीख से 30 दिवसों के भीतर होनी चाहिये। इसके अलावा पीआरआई अधिनियम की धारा-34 के नीचे टीप(3) में अपेक्षित है, कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को पंचायती राज संस्थाओं की प्रथम बैठक की तारीख से पांच वर्षों के लिए पंचायती राज संस्थाओं में अपने पद धारण करना चाहिए, उसके बाद नहीं। आगामी निर्वाचन, चुनाव अवधि पूर्ण होने से पूर्व या निकाय के विघटन की स्थिति में, छः माह के भीतर होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 40 चयनित पंचायती राज संस्थाओं में से पांच[38] पंचायती राज संस्थाओं में पहली बैठक चार से 60 दिवसों के विलंब से आयोजित हुई। हालांकि, दो[39] ग्राम पंचायतों के मामले में प्रथम बैठकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। शेष 33 पंचायती राज संस्थाओं में प्रथम बैठक आयोजित करने में कोई विलंम्ब नही हुआ। आगे, लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रथम बैठकों के दिनांक के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं ने मार्च 2020 तक या उसके पूर्व कार्यकाल पूर्ण कर लिया था, इस प्रकार नियमानुसार मार्च 2020 में निर्वाचन आयोजित कराए जाने थे। तथापि दिसम्बर 2021 तक कोई निर्वाचन नहीं कराया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा कथन को स्वीकर किया और कहा (अक्टूबर 2022) कि पंचायती राज संस्थाओं की समस्त प्रथम बैठकों को समय पर आयोजित कराने के निर्देश जारी किए जाऐंगें।

2.1.10.2 ग्राम पंचायतों में आयोजित बैठकें

73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 234-क के साथ पठित पीआरआई अधिनियम की धारा-6 एवं 7 ग्राम सभा को अपना कामकाज करने की शक्ति प्रदान करता है। पीआरआई अधिनियम की धारा-129-क(क) के अनुसार ग्राम सभा एक ऐसा निकाय है, जिसमें ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, जिनका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूची में शामिल होता है। इसके अलावा पीआरआई अधिनियम की धारा-6(1) में परिकल्पित है कि ग्राम सभा की बैठके त्रैमासिक (जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर) आयोजित की जानी चाहिये और अधिनियम की धारा-7(2) के अनुसार वार्षिक ग्राम सभा बैठक आगामी वित्तीय वर्ष से कम से कम तीन माह पूर्व आयोजित किया जाना चाहिये। वार्षिक ग्राम सभा बैठक के दौरान वार्षिक लेखा, आगामी वर्ष के लिये बजट और

---

[38] ***तीन जिला पंचायत (अशोकनगर-60 दिन, छिंदवाड़ा-4 दिन और रीवा-33 दिन), एक जनपद पंचायत (परासिया-6 दिन) और एक ग्राम पंचायत (खेडी सांवलीगढ-11 दिन)।***

[39] ***ग्राम पंचायत बडोरा एवं उमरी।***

पूर्व वर्ष से संबंधित ग्राम पंचायत के प्रशासनिक प्रतिवेदन पर चर्चा की जाएगी। ग्राम सभा की बैठक के लिये आवश्यक गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा, 50 *प्रतिशत* महिला सदस्यों की अनिवार्य भागीदारी के साथ है।

चयनित 20 ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा में पाया गया, कि 2016-21 के दौरान 400 त्रैमासिक और 100 वार्षिक बैठकें आयोजित की जानी थी, परंतु केवल 229 त्रैमासिक और 82 वार्षिक बैठके गणपूर्ति के उपर्युक्त प्रावधानों के बिना अनुपालन के आयोजित की गयी।

वर्ष 2016-21 के दौरान आयोजित त्रैमासिक एवं वार्षिक बैठकों का वर्षवार विवरण **तालिका-2.1.22** में दिया गया है:

तालिका-2.1.22: आयोजित त्रैमासिक और वार्षिक बैठकों का वर्षवार विवरण

क्र.	वर्ष	निर्धारित बैठकों की संख्या		आयोजित बैठकों की संख्या		बैठकों में कमी *प्रतिशत* के साथ		बैठक में उपस्थिति		50 *प्रतिशत* से अधिक महिला सदस्यों की भागीदारी की बैठकों की संख्या	
		त्रैमासिक	वार्षिक	त्रैमासिक	वार्षिक	त्रैमासिक	वार्षिक	त्रैमासिक	वार्षिक	त्रैमासिक	वार्षिक
1	2	3	4	5	6	7 (3-5)	8(4-6)	9	10	11	12
1	2016-17	80	20	45	14	35(44)	6(30)	24	9	1	0
2	2017-18	80	20	56	17	24(30)	3(15)	33	12	1	0
3	2018-19	80	20	52	18	28(35)	2(10)	32	10	3	2
4	2019-20	80	20	50	18	30(38)	2(10)	37	12	5	2
5	2020-21	80	20	26	15	54(68)	5(25)	17	10	2	2
	योग	**400**	**100**	**229 (57)**	**82 (82)**	**171 (43)**	**18(18)**	**143**	**53**	**12**	**6**

(स्रोत: नमूना जांच की गयी ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि 2016-21 के दौरान ग्राम पंचायतों ने केवल 57 *प्रतिशत* त्रैमासिक और 82 *प्रतिशत* वार्षिक बैठकें आयोजित की। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में बैठकों के कार्यवृत्त से निम्नलिखित विसंगतियां पायी गई:

- 229 त्रैमासिक एवं 82 वार्षिक बैठकों में से, केवल 143 त्रैमासिक एवं 53 वार्षिक बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण ग्राम पंचायतों में उपलब्ध था।

- आयोजित की गयी बैठकों में से, किसी भी बैठक में आवश्यक गणपूर्ति नहीं थी।
- 18 (12 त्रैमासिक और छः वार्षिक) बैठकों में उपस्थित सदस्यों में महिलाओं की उपस्थिति 50 *प्रतिशत* से अधिक थी। शेष 178[40] बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति एक से 44 *प्रतिशत* के मध्य रही।
- 82 वार्षिक बैठकों में से, 64 वार्षिक बैठक, सात से 276 दिनों के विलंम्ब से आयोजित की गयी ***(परिशिष्ट-2.1.7(i) और (ii)।***

इस प्रकार, ग्राम पंचायतों ने ना तो समय पर आवश्यक गणपूर्ति के साथ अपेक्षित संख्या में बैठकें आयोजित की, ना ही ग्राम की योजना और विकास में महिला प्रतिभागियों की भागीदारी सुनिश्चित की गयी। ग्राम पंचायतें वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देंने, बजट के अनुमोदन, प्रशासनिक प्रतिवेदन और जीपीडीपी तैयार करने के अनिवार्य कार्यों को निष्पादित करने में भी विफल रहीं, क्योंकि इनके अनुमोदन/प्रतिवेदन के संबंध में बैठकों के कार्यवृत्त में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

विभाग ने लेखापरीक्षा कथन को स्वीकर किया और कहा (अक्टूबर 2022) कि ग्राम सभा की समस्त बैठकों को समय पर आयोजित कराये जाने के निर्देश जारी किये जायेंगें।

2.1.10.3 पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का आरक्षण

73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243-घ पीआरआई अधिनियम की धाराओं [41]के साथ पठित, पंच/सरपंच के प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए ब्लाक में सम्बंधित ब्लाक की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला और पिछड़ा वर्ग के स्थान आरक्षण का प्रावधान करता है। ग्राम के सभी वार्डों में चक्रानुक्रम के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से ग्राम पंचायतों में कुल आरक्षण कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 50 *प्रतिशत* महिला प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चयनित पंचायती राज संस्थाओं (जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायतों) में कुल 861 निर्वाचित प्रतिनिधियों में से, 513 निर्वाचित प्रतिनिधियों को आरक्षित श्रेणी का होने की आवश्यकता थी जैसा कि नीचे **तालिका-2.1.23** में दर्शाया गया हैः

---

[40] ***(त्रैमासिक-143+वार्षिक-53)-(त्रैमासिक 12+वार्षिक-6)=178।***

[41] ***13(4,6), 17, 13 एवं 25, 30, 32,129 ख (4) एवं 129 ङ (3,4)।***

तालिका-2.1.23: जिलों में आरक्षित निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्थिति

क्र.	इकाई	कुल संख्या	आरक्षण नीति के अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या				निर्वाचित प्रतिनिधियों की वास्तविक संख्या				निर्वाचित प्रतिनिधियों का श्रेणीवार प्रतिशत			
			सामान्य	अनु.जाति/ अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	सामान्य	अनु.जाति/ अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	सामान्य	अनु.जाति /अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला
1	जिपं	204	79	90	35	105	70	90	44	109	34	44	22	53
2	जपं	242	91	100	51	124	79	101	62	132	33	42	26	55
3	ग्रापं	415	178	139	98	209	159	141	114	212	38	34	28	51
	योग	**861**	**348**	**329**	**184**	**438**	**308**	**332**	**220**	**453**	**36**	**39**	**26**	**52**

(स्रोतः नमूना-जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेख)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि कुल 861 निर्वाचित प्रतिनिधियों में से अनु.जाति/अनु.ज.जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचित प्रतिनिधियों का *प्रतिशत* क्रमशः 39, 26 एवं 52 था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनु.जाति/अनु.ज.जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें निर्धारित मानदण्डों के अनुसार थीं। लेखापरीक्षा ने ग्राम पंचायतों की नियमित बैठकों और राष्ट्रीय उत्सवों में महिलाओं की भागीदारी का भी सत्यापन किया और पाया कि महिलाओं ने 292 बैठकों (वार्षिक एवं त्रैमासिक) में भाग लिया, जिसमें उनकी उपस्थिति एक से 44 *प्रतिशत*[42] तक थी। तथापि, नमूना जांच की गयी ग्राम पंचायत गोगांवा एवं रूपेटा में महिला सरपंचों ने राष्ट्रीय त्यौहारों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिला सरपंचों द्वारा ध्वजारोहण को दर्शाये जाने वाले छायाचित्र नीचे दिए गए है:

महिला सरपंचों द्वारा ग्राम पंचायतों में ध्वजारोहण को दर्शाने वाले छायाचित्र

(स्रोत: ग्राम पंचायत फाइल फोटो)

[42] ***एक से 20 प्रतिशत (97 बैठकें), 21 से 40 प्रतिशत (59 बैठकें) और 41 से 44 प्रतिशत (06 बैठकें)।***

2.1.10.4 जनपद पंचायतों के गठन के लिए चक्रानुक्रम

पीआरआई अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, प्रत्येक जनपद पंचायत (ज.पं.) का गठन निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों, राज्य विधान सभा के सदस्यों, जिनके निर्वाचन क्षेत्र ज.पं.के भीतर आता है और ज.पं. के क्षेत्र के सरपंचो का पांचवा भाग भी शामिल होंगे, जो एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम के आधार पर सदस्य बनेंगे। जो सरपंच परिच्छेद के अंतर्गत इस समिति का सदस्य है, वह धारा 47 के अंतर्गत गठित अन्य समितियों का सदस्य नहीं होंगे।

नमूना जांच की गई ज.पं. में, लेखापरीक्षा ने पाया कि ज.पं. का गठन तो किया गया पर किसी भी ज.पं. में सरपंचों के लिए चक्रानुक्रम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। प्रावधानों के अनुसार सदस्यों के चक्रानुक्रम के बजाय ज.पं. के क्षेत्र में सरपंचों में से नामित सदस्य पांच साल के पूरे कार्यकाल के लिए बने रहे। इस प्रकार, ज.पं. के क्षेत्र में सभी सरपंचों का प्रतिनिधित्व उनके अधिकार क्षेत्र में योजना और विकास में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए नहीं किया गया था।

विभाग ने ज.पं. के गठन के लिए सरपंचों के चक्रानुक्रम के प्रावधान के पालन पर अपना अभिमत नहीं दिया।

2.1.10.5 लेखो की तैयारी और पंचायत लेखो की लेखापरीक्षा

73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243-ञ में पंचायतों द्वारा लेखो के रखरखाव और लेखो की लेखापरीक्षा का प्रावधान है। आगे, पीआरआई अधिनियम की धारा 7(ट), 73 और 129 में परिकल्पित है कि पंचायतों की लेखापरीक्षा करने के लिए मध्य प्रदेश शासन के अधीन पृथक और स्वतंत्र लेखापरीक्षा संगठन होगा। चयनित जिलों में अभिलेखों की संवीक्षा में निम्न कथन पाये गए:

2.1.10.5(अ) पीआरआई द्वारा लेखों की तैयारी

अनुच्छेद 243 (ञ) के अनुसरण में, मध्य प्रदेश शासन ने पंचायती राज संस्थाओं में लेखों के रखरखाव के लिए पीआरआई अधिनियम में ज़ि.पं./ज.पं./ग्रा.पं. (बजट अनुमान) नियम, 1997 और ज़ि.पं./ज.पं./ग्रा.पं. (लेखा) नियम, 1999 को सम्मिलित किया ।

11वें केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने 2002 में बजट और लेखा प्रारूप (आठ[43]) की अनुशंसा की। पंचायत राज मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन ने पंचायती राज संस्थाओं में कार्यान्वयन के लिए क्रमशः 2007 और 2010 में इन लेखा प्रारूपों को स्वीकार किया।

आगे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत दर्पण पोर्टल ***(prd.mp.gov.in)*** विकसित (अप्रैल 2014) किया और पंचायतों को केवल कैश बुक और निर्माण पंजी के संबंध में प्रविष्टियां करनी थीं तथा वित्तीय लेखों के लिए समस्त योजनावार विवरण एवं सीएजी की वैधानिक रिपोर्ट पोर्टल द्वारा सृजित किया जाना था। वेब पोर्टल निगरानी उद्देश्य के लिए निर्धारित आठ प्रारूपों में रिपोर्ट सृजित करने और आय एवं व्यय विवरण की सुविधा भी देता है। आगे, 13वें केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के कंडिका 10.111 में परिकल्पना की गई है, कि पंचायती राज संस्थाओं के लेखे निर्धारित प्रारूप में रखे जाने थे।

राज्य स्तर पर, हमने देखा कि नमूना जाँच की गयी किसी भी पंचायती राज संस्थाओं ने पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपने लेखे आठ लेखा प्रारूपों में अपलोड नहीं किए। इसके अलावा पंचायत राज संचालनालय ने निर्धारित लेखा प्रारूपों में तैयार लेखों की प्रति भी प्रस्तुत (अक्टूबर 2021) नहीं की ।

हमने देखा कि किसी भी चयनित पंचायती राज संस्थाओं ने किसी भी स्तर पर वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये। यद्यपि, जि.पं./ज.पं./ग्रा.पं. पंचायत दर्पण पोर्टल पर ई-लेनदेन अपलोड कर रहे थे।

परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। मु.का.अ., जि.पं. और ज.पं. एवं सचिव, ग्रा.पं. निर्धारित प्रारूप में लेखों को तैयार करने और अपलोड करने के लिए उत्तरदायी थे।

विभाग ने लेखापरीक्षा कथन को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2022) कि पंचायती राज संस्थाओं को लेखे अपलोड करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

---

[43] ***बैंक समाधान पत्रक, बैलेंस शीट, समेकित सार का प्रारूप, मांग और संग्रह का प्रारूप, इन्वेंटरी रजिस्टर, मासिक / वार्षिक रसीदें और भुगतान खाते, चल संपत्ति का प्रारूप, प्राप्य और देय का विवरण/प्रारूप।***

2.1.10.5(ब) लेखों की लेखापरीक्षा

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा (डीएलएफए) और कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम[44]) मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा की जा रही थी। डीएलएफए और कार्यालय प्रधान महालेखाकार द्वारा किए गए लेखापरीक्षा की स्थिति की चर्चा आगामी पैराग्राफ में की गई है:

2.1.10.5(ब)i संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा (डीएलएफए) द्वारा लेखापरीक्षा

संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा (डीएलएफए) पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के लिए प्राथमिक लेखापरीक्षक है। डीएलएफए ऑडिट अधिनियम, 1973 के अनुसार डीएलएफए को स्थानीय निकायों के लेनदेन और प्रमाणन लेखापरीक्षा करना था और लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मुद्दों पर अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा ने डीएलएफए द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) के कार्यालय को प्रस्तुत ऑडिट प्लान से देखा गया, कि डीएलएफए ने 2016-21 के दौरान राज्य में मौजूद 23,176[45] पंचायती राज संस्थाओं में से, नियोजित 19,968[46] के विरूद्ध, 11,361[47] पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा की और वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया, जो 21 सितंबर 2020 को विधान सभा में प्रस्तुत किए गए थे। डीएलएफए के लक्ष्य और उपलब्धि की वर्षवार स्थिति नीचे **तालिका-2.1.24** में दर्शाई गई है:

तालिका-2.1.24: डीएलएफए के लक्ष्य एवं उपलब्धि की वर्षवार स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लक्ष्य एवं उपलब्धि								कमी *प्रतिशत* सहित
		जि.पं		ज.पं.		ग्रा.पं.		योग		
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	
1	2016-17	11	7	90	61	6,196	2,844	6,297	2,912	3,385(54)
2	2017-18	13	4	93	50	6,332	2,133	6,438	2,187	4,251(66)
3	2018-19	14	10	57	43	3,102	1,902	3,173	1,955	1,218(38)

[44] *पहले इसे सामान्य और सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा (जी एंड एसएसए) के नाम से जाना जाता था।*

[45] *जि.प.-51, ज.प.-313 और ग्रा.पं.-22,812*

[46] *जि.प.-67, ज.प.-369 और ग्रा.पं.-19,532*

[47] *जि.प.-40, ज.प.-246 और ग्रा.पं.-11,075*

क्र. सं.	वर्ष	लक्ष्य एवं उपलब्धि								कमी *प्रतिशत* सहित
		जि.पं		ज.पं.		ग्रा.पं.		योग		
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	
4	2019-20	17	11	60	46	2,174	2,335	2,251	2,392	-
5	2020-21	12	8	69	46	1,728	1,861	1,809	1,915	-
	योग	**67**	**40**	**369**	**246**	**19,532**	**11,075**	**19,968**	**11,361**	**8,607(43)**

(स्रोत: डीएलएफए ऑडिट प्लान और प्रगति प्रतिवेदन)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2016-19 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु लक्षित पंचायती राज संस्थाओं के विरूद्ध, 38 से 66 *प्रतिशत* तक की अत्यधिक कमी थी। यद्यपि, 2019-21 के दौरान लेखापरीक्षा में समग्र में कोई कमी नहीं थी, हालाँकि, इस अवधि के दौरान, जि.पं. और ज.पं. की लेखापरीक्षा में कमी थी। आगे, डीएलएफए ने उत्तर दिया (जून 2019) कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अंतिम लेखे तैयार न किये जाने के कारण प्रमाणन लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

2.1.10.5(ब)ii पंचायती राज संस्थाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा

तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता (टीजीएस) के अंतर्गत स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा सीएजी को सौंपी (2001) गई थी।

11वें केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं और स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा सौंपने के अनुसरण में, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर का कार्यालय सीएजी (कर्तव्य, शक्ति और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा करता है, और वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (एटीआईआर)/सीएजी प्रतिवेदन, जिसमें अनुपालन और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मुद्दों को शामिल करते हुए, तैयार किये जाते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने स्थानीय निकायों पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर पूर्ण रूप से चर्चा के लिए एक स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति (एलबीपीएसी) का गठन (2015) किया है।

स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के आधार पर, 2005-13 के मध्य एटीआईआर तैयार किए गए। एटीआईआर (2013-14) और स्थानीय निकायों पर सीएजी के लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन (2014-15 और 2015-16) राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत[48] किये गए और एलबीपीएसी में इस पर चर्चा की गई, परंतु कोई कार्यवाही प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

विभाग ने इस मुद्दे पर कोई मत नहीं दिया।

2.1.10.6 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा) 1996 के कार्यान्वयन की स्थिति

भारत के संविधान का अनुच्छेद 243-ङ प्रावधान करता है कि संसद, विधि द्वारा, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में अपने प्रावधानों का विस्तार कर सकती है। पेसा अधिनियम, 1996 का मुख्य उद्देश्य ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के स्वशासन को केन्द्र बनाकर नागरिकों की परम्पराओं और रीति रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवादों के परंपरागत तरीके आदि को संरक्षित करना है। ग्राम सभा के पास ग्राम पंचायतों की योजनाओं को स्वीकृति देने, गांव के बाजारों का प्रबंधन करने की शक्ति, लघु वन उपज का स्वामित्व, संस्थानों को नियंत्रित करने की शक्ति, समस्त सामाजिक क्षेत्रों में पदाधिकारी और स्थानीय योजनाओं एवं जनजातीय उप योजना सहित संसाधनों को नियंत्रित करने की शक्ति का कार्यकारी कार्य है। आगे, भारत सरकार ने पेसा जिलों/ब्लॉकों की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में मोबिलाइजर और जिला पंचायत में जिला समन्वयक एवं जनपद पंचायत स्तर पर ब्लाक समन्वयक की नियुक्ति के लिए निधियां जारी की।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मध्य प्रदेश में पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए 20 जिलों (पांच[49] पूर्ण रूप से और 15[50] आंशिक रूप से) की पहचान की गई थी, जिसमें 89 ब्लॉक, 5,211 पंचायतों के 11,784 ग्रामों में 153.17 लाख (राज्य का 21 *प्रतिशत*) आदिवासी जनसंख्या थी। पेसा और गैर-पेसा जिलों का आरेखीय प्रतिनिधित्व नीचे **मानचित्र-2.1.2** में दर्शाया गया हैः

---

[48] ***एटीआईआर (2013-14)-जून 2016, सीएजी रिपोर्ट (2014-15)-जुलाई 2016 और सीएजी रिपोर्ट (2015-16)-जुलाई 2017***

[49] ***अलीराजपुर, बडवानी, डिण्डोरी, झाबुआ एवं मण्डला।***

[50] ***अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, धार, होशंगाबाद, खरगोन, खंडवा, रतलाम, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, सीधी एंव उमरिया।***

मध्य प्रदेश के पेसा और गैर-पेसा जिलों को दर्शाने वाला मानचित्र-2.1.2

लेखापरीक्षा ने देखा कि मध्यप्रदेश शासन ने पीआरआई अधिनियम में संशोधन किया तथा अधिनियम के अध्याय-14 में पेसा अधिनियम से संबंधित सभी प्रावधानों को सम्मिलित किया। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि मध्य प्रदेश शासन ने भारत सरकार द्वारा परिकल्पित पेसा नियम नहीं बनाए। तथापि, भारत सरकार ने वर्ष 2019 से 2021 के मध्य राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत फरवरी 2021 तक गतिविधियों के निष्पादन के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत में मोबिलाइजरों और जिला पंचायत और जनपद पंचायत स्तर पर समन्वयकों की नियुक्ति के लिए ₹ 86.85 करोड़ निधि जारी की तथा पेसा जिलों को समन्वयकों/मोबिलाइजरों की नियुक्ति हेतु निधि जारी की गयी थी ।

लेखापरीक्षा ने पेसा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले वाले तीन[51] जिला पंचायतों, एक जनपद पंचायत (जिला पंचायत खरगोन की जनपद पंचायत गोगावां) और दो ग्राम पंचायत (जनपद पंचायत गोगावां की ग्रा.पं. गोगावां और ग्रा.पं. शाहपुरा) की नमूना जांच के दौरान देखा कि चयनित जिला पंचायतों/जनपद/ग्राम पंचायतों में पेसा के लिए समन्वयक/मोबिलाइजर नियुक्त करने के लिए ₹ 13.81 करोड़ की राशि जारी की गई, परन्तु किसी भी चयनित जिला पंचायतों में समन्वयक/मोबिलाइजर की नियुक्ति नहीं की गयी थी। नमूना जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि पंचायती राज संस्थाओं में समन्वयक/मोबिलाइजर की नियुक्ति के अभाव में सामाजिक क्षेत्रों के विकास सहित विकास योजनाओं की तैयारी, ऐसी योजनाओं के लिए संसाधन,

[51] ***जिला पंचायत छिंदवाडा, खरगोन एवं शहडोल।***

परम्परागत ग्राम बाजारों के प्रबंधन की शक्ति, लघु वनोपज के स्वामित्व जैसी गतिविधियां निष्पादित नहीं की जा सकीं ।

पंचायती राज संस्थाओं ने उत्तर दिया कि पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी, परन्तु उच्च न्यायालय, जबलपुर ने मोबिलाइजर/समन्वयकों की नियुक्ति पर रोक लगाई थी। तथापि, विभाग ने निर्गम सम्मिलन के दौरान कोई मत नहीं दिया।

2.1.11 अधिकारों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सीमित अमला

पीआरआई अधिनियम की धारा-69 राज्य शासन या अधिकृत प्राधिकारी[52] को जिला पंचायत/जनपद पंचायत में मु.का.अ./अतिरिक्त मु.का.अ. और प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सचिव नियुक्त करने की शक्ति का प्रावधान करती है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को अपनाने और जिला पंचायत को जिला सरकार के रूप में और जनपद पंचायत को अपनी मुख्य कार्यकारी इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिये सुदृढ़ करने, और ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कार्यान्वित की जाने वाली समस्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये ग्राम पंचायत को कार्यकारी इकाई के रूप में विकसित करना है। प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश ने भी पंचायती राज संस्थाओं को कार्मिकों, और प्रशासनिक संरचना उपलब्ध कराने के निर्देश (जनवरी 1997) जारी किए थे। आगे, तृतीय राज्य वित्त आयोग ने भी पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिये चरणबद्ध तरीके से कार्मिकों के स्थानान्तरण की सिफारिश की, और राज्य शासन ने भी इस संबंध में निर्णय लेने के लिये अपनी सहमति दी। पीआरआई अधिनियम की धारा-49, 50 एवं 52 के अंतर्गत, सहपठित मध्य प्रदेश पंचायत (मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1995 और ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां एवं कृत्य) नियम, 1999, पंचायती राज संस्थाओं के उत्तरदायित्व का निर्वहन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत और उनके कार्मिको एवं ग्राम पंचायत के सचिव के पास होने का प्रावधान करता है जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1.8*** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने पंचायती राज संस्थाओं के कर्तव्यों/उत्तरदायित्व को वर्गीकृत किया, नीचे दी गयी **तालिका-2.1.25** में दर्शाया गया हैः

---

[52] ***जिलाधीश।***

तालिका-2.1.25: पंचायती राज संस्थाओं के कार्मिकों को सौंपे गए अधिकार और उत्तरदायित्व

क्र. सं.	अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रकार	अधिकारों और जिम्मेदारियों का विवरण
1	(अ) प्रशासनिक (आ) निरीक्षण और अनुश्रवण	ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से योजनाओं को तैयार और समेकित करना, भारत सरकार/मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों के अन्तर्गत योजनाओं को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना, उचित कदम उठाना और योजना कार्यक्रमों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण करना, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर कार्यान्वित समस्त कार्यक्रमों और योजनाओं का निरीक्षण और अनुश्रवण, निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करना और उच्च प्राधिकारी को प्रस्तुत करना।
2	तकनीकी सहायता और निष्पादन	योजनाओं/कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए योजना तैयार करना, कार्यान्वयन अभिकरणों यथा ग्राम पंचायतों या अन्य अभिकरणों द्वारा इसे निष्पादित कराना और अनुमान तैयार करने, कार्यों की स्वीकृति हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।
3	लेखा और अभिलेख संधारण	पंचायती राज संस्थाओं के लेखा नियमों में परिकल्पित सभी प्रासंगिक अभिलेखों को तैयार करना और उनका रख-रखाव, सभी लेखाओं को तैयार करना और लेखा परीक्षा को प्रस्तुत करना तथा सभी लेखा, बजट, विकास योजनाओं को पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी निकाय को प्रस्तुत करना।

(स्रोतः चयनित पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेख)

लेखा परीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है:

2.1.11.1 पंचायत संवर्ग का गठन

तृतीय राज्य वित्त आयोग ने ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव का जिला संवर्ग, और जनपद पंचायत स्तर पर, तकनीकी कुशल कर्मियों का एक समूह सृजित करने की अनुशंसा (अक्टूबर 2008) की, जिससे कि ग्राम पंचायत कार्यों और भुगतान के आधार पर इनकी सेवाएं ले सके, और मध्य प्रदेश शासन ने अनुशंसा को स्वीकार (फरवरी 2010) किया। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी (अक्टूबर 2009) दिशा- निर्देश के अनुसार, क्षेत्र स्तरीय अमलों का एक अर्ध ग्राम पंचायत संवर्ग, जिसके कार्य ग्राम पंचायतों के लिए महत्वपूर्ण है और जिसके कार्य बड़े स्तर पर लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, सृजित किया जाना चाहिए। इसमें पंचायत सचिव, लेखाकार, तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, शिक्षक आदि सम्मिलित होंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मध्य प्रदेश शासन ने पंचायत संवर्ग का सृजन, जैसा कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में परिकल्पित था, नहीं किया (दिसम्बर 2021)। मार्च 2011 में, मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्येक जिले के लिये ग्राम पंचायतों के सचिवों के संवर्ग के लिए म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2011 अधिसूचित किया। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि सचिव और रोजगार सहायक (दो व्यक्ति) ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार की समस्त केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ पंचायती राज अधिनियम में प्रावधानित समस्त अनिवार्य कार्यों का निष्पादन करते हैं।

विभाग द्वारा इस मुद्दे पर कोई मत नहीं दिया गया।

2.1.11.2 त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के अमले की स्थिति

पिछले पैराग्राफ में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी गई जिम्मेदारी इस उद्देश्य हेतु स्वीकृत अमले द्वारा पूर्ण की जाएगी। मध्य प्रदेश शासन ने म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2011 अधिसूचित (मार्च 2011) किया, जिसके अंतर्गत मु.का.अ. जिला पंचायत को पंचायत सचिव के पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी घोषित किया गया था।

पंचायत राज संचालनालय में अभिलेखों की जांच, एवं नमूना जांच किए गए पंचायती राज संस्थाओं से परिलक्षित हुआ, कि स्वीकृत एवं कार्यरत पद संख्या के मध्य अंतर का विवरण ***परिशिष्ट-2.1.9 (i) और (ii)*** के अनुसार था। लेखापरीक्षा ने अमले को सौंपे गये कार्यों की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया। 31 मार्च 2021 तक पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर स्वीकृत एवं कार्यरत पद संख्या की स्थिति निम्न **तालिका-2.1.26** में दर्शाई गई हैः

तालिका-2.1.26: पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर स्वीकृत एवं कार्यरत अमले की स्थिति

क्रमांक	सौंपे गए कार्य के अनुसार कर्मचारियों का वर्गीकरण	जिला पंचायत		जनपद पंचायत		ग्राम पचायत	
		स्वीकृत	स्वीकृत के विरुद्ध कार्यरत *प्रतिशत* के साथ	स्वीकृत	स्वीकृत के विरुद्ध कार्यरत *प्रतिशत* के साथ	स्वीकृत	स्वीकृत के विरुद्ध कार्यरत
1.	प्रशासकीय निरीक्षण एवं अनुश्रवण	137	52*(38)*	221	124*(56)*	40	37

क्रमांक	सौंपे गए कार्य के अनुसार कर्मचारियों का वर्गीकरण	जिला पंचायत		जनपद पंचायत		ग्राम पचायत	
		स्वीकृत	स्वीकृत के विरुद्ध कार्यरत *प्रतिशत* के साथ	स्वीकृत	स्वीकृत के विरुद्ध कार्यरत *प्रतिशत* के साथ	स्वीकृत	स्वीकृत के विरुद्ध कार्यरत
2.	तकनीकि	179	76*(42)*	83	53*(64)*		2 (पम्प संचालक)
3.	लेखा	46	17*(37)*	36	11*(31)*		0
	योग	362	145*(40)*	340	188*(35)*	**40**	**39**

(स्रोत: चयनित पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेख)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं के जिला पंचायत और जनपद पंचायत स्तर पर अमले की अत्यधिक कमी थी, क्योंकि दोनो स्तरों पर स्वीकृत पदों में क्रमशः 40 *प्रतिशत* एवं 55 *प्रतिशत* ही कार्मिक पदस्थ थे। तथापि, मु.का.अ., जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत ने उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार संविदा कार्मिकों को नियुक्त किया था। जैसा कि, ग्राम पंचायत मुख्य कार्यान्वयन एजेंसियां थी, वहाँ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को सौंपे गए उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कोई लेखा और तकनीकी अमला (पंचायत सचिव/रोजगार सहायक के अलावा) उपलब्ध नहीं था।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि रिक्त पद के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग अपने उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।

2.1.12 निगरानी तंत्र

योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शासन/संगठन के प्रत्येक स्तर पर निगरानी आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण हेतु तैयार किए गये रोस्टर एवं उनके अनुमोदन तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की नमूना जांच की और पाए गए मुद्दों की चर्चा नीचे की गयी है:

2.1.12.1 रोस्टर तैयार करना तथा किए गये निरीक्षण

पीआरआई अधिनियम की धारा 84 एवं सह पठित मध्य प्रदेश पंचायती राज संस्थओं (कार्यवाही का निरीक्षण) नियम, 1995 और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी (अगस्त 2010) निर्देश के अनुसार, सक्षम प्राधिकारियों[53] को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अप्रैल के माह में निरीक्षण रोस्टर तैयार करना चाहिए और समय-समय पर पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीनों स्तरों का निरीक्षण करना चाहिए। प्राधिकारियों के कार्यालयों के विभिन्न स्तरों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों की अनुसूची नीचे दी गई हैः

- मु.का.अ., जिला पंचायत को प्रत्येक वर्ष में, एक बार अपने स्वयं के कार्यालय के साथ-साथ अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले समस्त जनपद पंचायतों और किन्हीं दो ग्राम पंचायतों का, निरीक्षण करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिये रोस्टर तैयार किया जाना चाहिए।
- मु.का.अ., जनपद पंचायत को रोस्टर तैयार करना चाहिए तथा वर्ष में एक बार अपने कार्यालय के साथ, अपने अधिकार क्षेत्र मे आने वाले कुल ग्राम पंचायतों का 10 *प्रतिशत* का निरीक्षण करना चाहिए। मु.का.अ., जनपद पंचायत चार वर्ष में अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों का शत-प्रतिशत निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगें।
- किए गये निरीक्षण के लिए निरीक्षण प्रतिवेदन उच्च प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए और एक प्रति निरीक्षण के एक माह के भीतर, निरीक्षित कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।

पंचायती राज संस्थाओं (जि.पं/ज.पं) की नमूना जांच में हमने देखा, कि समस्त पंचायती राज संस्थाओं ने निरीक्षण किया, लेकिन केवल तीन[54] पंचायतीराज संस्थाओं ने बहुत अधिक समय के अंतराल पर निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया और शेष जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों ने निरीक्षण के बाद, उच्च अधिकारियों को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन/टिप्पणियाँ, तैयार नहीं किए। पांच[55] पंचायती राज संस्थाओं ने एक वर्ष में किये जाने वाले निरीक्षणों के लिए रोस्टर तैयार किए, जबकि 15 पंचायती राज संस्थाओं ने कोई रोस्टर तैयार नहीं किया। आगे, निरीक्षण प्रतिवेदनों को उच्च प्राधिकारियों को भेजने के संबंध में कोई अभिलेख भी उपलब्ध नहीं थें।

---

[53] ***जिला पंचायत के लिये उप संचालक, जनपद पंचायत के लिये मु.का.अ. जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के लिये मु.का.अ. जनपद पंचायत सक्षम प्राधिकारी है।***

[54] ***जिला पंचायत बैतूल, पन्ना एवं उज्जैन।***

[55] ***जिला पंचायत बैतूल, पन्ना, रीवा, शहडोल, एवं उज्जैन।***

उचित अभिलेखों (रोस्टर, दौरा कार्यक्रम, निरीक्षण प्रतिवेदन) के अभाव में, हम यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि वास्तव में निरीक्षण किया गया था अथवा नहीं। हम पंचायतीराज संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर निरीक्षणों के प्रभाव का भी आकलन नहीं कर सके।

विभाग ने लेखापरीक्षा कथन को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2022) कि इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगें।

2.1.12.2 निगरानी

राज्य स्तर पर, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने समस्त जिला एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा सम्भागीय आयुक्तों के साथ वीडियों कान्फ्रेसिग के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हैं।

राज्य स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्री ने माह में एक बार (गुरूवार) वीडियों कॉन्फ्रेंस की गई और बैठकों के कार्यवृत्त, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, को परिचालित किये गए ।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा, कि चयनित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे थे। पंचायत राज संचालनालय और पाँच[56] जिला पंचायतों ने बैठकों का एजेंडा प्रदान किया, जबकि शेष पाँच[57] जिला पंचायतों में एजेण्डा उपलब्ध नहीं था। किसी भी जांच किये गये जिला पंचायतों के पास, कोई वीडियो रिकार्डिग उपलब्ध नहीं थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठकों के कार्यवृत्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये गये थे। तथापि, वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों पर की गई सुधारात्मक कार्यवाही के बारे में, कोई अभिलेख किसी भी स्तर पर उपलब्ध नहीं था।

विभाग ने लेखापरीक्षा कथन को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2022) कि वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठकों के कार्यवृत्त पर सुधारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए जाएगें।

विभाग का उत्तर स्व-व्याख्यात्मक है कि विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठकों के कार्यवृत्त पर कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी थी।

---

[56] ***बैतूल, छिन्दवाड़ा, खरगोन, रीवा एवं शहडोल।***

[57] ***अशोक नगर, मुरैना, पन्ना, सीहोर एवं उज्जैन।***

2.1.13 अनुषंगिक मुददे

2.1.13.1 पंचायतीराज संस्थाओं में विकास योजनाओं की स्थिति

14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओ के अनुपालन में पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर), भारत सरकार ने ग्राम पंचायतों के व्यय करने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार किया जाना अनिवार्य गतिविधि कर दिया है। एमओपीआर ने इस उद्देश्य के लिए 2015 में, प्रथम दिशानिर्देश जारी किया और तदनुसार, 2015 में मध्य प्रदेश शासन ने राज्य हेतु विशिष्ट दिशानिर्देश बनाए। समकालीन विकास और व्यापक जीपीडीपी की आवश्यकता को देखते हुए, एमओपीआर ने 2018 मे जीपीडीपी के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों को चालू वर्ष के लिये संसाधन और सूक्ष्म वार्षिक कार्ययोजना को ध्यान में रखते हुये एक व्यापक परिपेक्ष्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। जीपीडीपी को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए तथा जनपद पंचायत को भी भेजा जाना चाहिये। इस क्रम में जनपद पंचायत समस्त जीपीडीपी को ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) के रूप में समेकित करेगा, और इसे जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) तैयार करने के लिए जिला पंचायत को भेजेगा। विकास आयोजना की इस प्रक्रिया में, वे परियोजनाए और गतिविधियां, जिन्हें एक से अधिक पंचायती राज संस्थाओ के क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाना है, और उन्हे पंचायती राज संस्थाओं के उच्च स्तर द्वारा उनकी उच्च संस्थागत क्षमता और तकनीकी योग्यता के कारण कार्यान्वित किया जा सकता है, जिला पंचायत/जनपद पंचायत, जैसा भी मामला हो, को संदर्भित किया जा सकता है। जिला पंचायतों को जीपीडीपी के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी के लिए उतरदायी बनाया गया है।

लेखापरीक्षा में संबंधित फाइलो की समीक्षा में नमूना जाँच किये गये ग्राम पंचायतों के ग्राम सभा के कार्यवृत्त और जिला/जनपद पंचायतों के शासी निकायों के विकास योजनाओं की तैयारी, अनुमोदन के संबंध में 2016-21 के दौरान निम्नलिखित स्थिति का पता चला जैसा कि निम्न **तालिका-2.1.27** में दर्शाया गया है-

तालिका-2.1.27: जीपीडीपी की तैयारी, अनुमोदन और अपलोडिंग की स्थिति

क्रमांक	वर्ष	जीपीडीपी तैयार करने के लक्ष्य	तैयार किये गये जीपीडीपी	अनुमोदित जीपीडीपी	जीपीडीपी का जनपद पंचायत को प्रस्तुतीकरण
1.	2016-17	20	3	3	0
2.	2017-18	20	3	3	0
3.	2018-19	20	3	3	0
4.	2019-20	20	17	7	0
5	2020-21	20	17	7	0
	कुल	100	43	23	निरंक

(स्रोत: नमूना जांच की गयी ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2016-21 के दौरान 20 ग्राम पंचायतों के नमूना जाँच किये गए आवश्यक 100 जीपीडीपी के विरूद्ध, केवल 43 जीपीडीपी (43 *प्रतिशत*) तैयार किए गए थे और संबंधित ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं ने केवल 23 जीपीडीपी को स्वीकृति दी थी। किसी भी ग्राम पंचायत ने अपनी जीपीडीपी को दिशानिर्देशों के अनुसार बीपीडीपी में समेकन और इसे तैयार किये जाने हेतु, जनपद पंचायत को नहीं भेजी।

चयनित पंचायती राज संस्थाओं में बीपीडीपी और डीपीडीपी के समेकन और अनुमोदन की स्थिति नीचे दी गई **तालिका-2.1.28** में दर्शाई गई हैः

तालिका-2.1.28: बीपीडीपी/ डीपीडीपी के समेकन एवं अनुमोदन की स्थिति

क्रमांक	वर्ष	लक्ष्य		बीपीडीपी की स्थिति			डीपीडीपी की स्थिति		
		बीपीडीपी	डीपीडीपी	उपलब्धि	स्वीकृत	जिला पंचायतों को प्रस्तुत	उपलब्धि	स्वीकृत	डीपीसी को प्रस्तुत
1.	2016-17	10	10	0	0	0	2	2	2
2.	2017-18	10	10	0	0	0	3	3	3
3.	2018-19	10	10	0	0	0	3	3	3
4.	2019-20	10	10	0	0	0	1	1	1
5.	2020-21	10	10	4	1	2	5	3	3
	योग	50	50	4	1	2	14	12	12

(स्रोत: नमूना जांच की गयी जिला व जनपद पंचायतों के अभिलेख)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है, कि केवल चार[58] जनपद पंचायतों ने बीपीडीपी तैयार किया, जबकि, शेष छः जनपद पंचायतों ने 2016-21 के दौरान बीपीडीपी तैयार नहीं किया। आगे, जनपद पंचायत शाहनगर ने बीपीडीपी को अनुमोदित किया तथा जनपद पंचायत बैतूल एवं शाहनगर ने संबंधित जिला पंचायत को अपना बीपीडीपी प्रस्तुत किया। इसके अलावा, नमूना जांच की गई जिला पंचायतों में, हमने देखा कि 10 जिला पंचायतों में से, सात[59] जिला पंचायतों ने 2016-21 के दौरान 50 डीपीडीपी के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध, 14 डीपीडीपी तैयार किए, जबकि शासी निकाय ने आगे की योजना के लिए 12 डीपीडीपी को अनुमोदित किया और जिला योजना समिति को अग्रेषित किया।

विभाग ने लेखापरीक्षा कथन को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2022) कि इस संबंध में अक्टूबर 2022 में निर्देश जारी किए गए थे और जीपीडीपी की तैयारी प्रगति पर थी। तथापि, विभाग ने बीपीडीपी और डीपीडीपी की तैयार किए जाने पर कोई मत नहीं दिया।

2.1.13.2 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार और प्रस्तुत करना

पीआरआई अधिनियम की धारा-73 सह पठित म.प्र. जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत (वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट) नियम 1998 के अनुसार वार्षिक लेखा एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार कर सामान्य सभाओं में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना है। आगे (जनवरी-2011) परिपत्र के पैरा- 4 के अनुसार, प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष 30 जून तक अनुमोदन पश्चात्, आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

राज्य स्तर पर हमने पाया, कि किसी भी पंचायती राज संस्था ने पंचायत राज संचालनालय को प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। लेखापरीक्षा कथन के उत्तर में, पंचायत राज संचालनालय ने बताया कि संबंधित पंचायती राज संस्थाओं से अद्यतन स्थिति एकत्र की जाएगी।

इसके अतिरिक्त नमूना जांच की गयी पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी पंचायती राज संस्था (जि.पं./ज.पं./ग्रा.पं.) ने प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार नहीं किया। तथापि, छः[60] पंचायतीराज संस्थाओं के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने इस मुद्दे

---

[58] ***आस्था, बैतूल, शाहनगर एवं सिरमौर।***

[59] ***बैतूल (2017-19 एवं 2020-21=3), खरगोन (2020-21=1), पन्ना (2020-21=1), मुरैना (2016-19=3), सीहोर (2020-21=1), शहडोल (2020-21=1) एवं उज्जैन (2016-20=4)।***

[60] ***जिला पंचायत मुरैना, रीवा, सीहोर तथा जनपद पंचायत परासिया, मुरैना एवं आष्टा।***

पर कोई विशिष्ट मत नहीं दिया तथा ग्राम पंचायत सचिवों ने कहा, कि ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

इस प्रकार प्रशासनिक रिपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक मामलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संदर्भित नहीं किया जा सका, जबकि दिशानिर्देशो/नियमों में भी इसका प्रावधान किया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा कथन को स्वीकार किया और बताया (2022 अक्टूबर) कि प्रत्येक वर्ष पंचायतराज संचालनालय को जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए जा रहे थे।

2.1.13.3 स्थाई समिति का गठन एवं कार्य

पीआरआई अधिनियम की धारा-46 एवं 47 सहपठित मध्य प्रदेश ग्राम सभा (स्थाई समितियों का गठन, कामकाज के संचालन की प्रक्रिया तथा सम्बद्ध विषय) नियम, 2012, में ग्राम पंचायत में दो स्थाई समितियों के गठन का प्रावधान है। वर्ष 1994[61] में बनाए गए नियमों के अनुसार, जिला पंचायत/जनपद पंचायत में सात स्थायी समितियों का गठन किया जाना है जैसा कि नीचे दी गई **तालिका-2.1.29** में दर्शाया गया हैः

तालिका-2.1.29: ग्राम पंचायत और जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों में गठित की जाने वाली समितियां

पंचायती राज संस्था का नाम	गठित की जाने वाली समिति का नाम	समिति का दायित्व
ग्राम पंचायत	ग्राम निर्माण समिति एवं ग्राम विकास समिति	योजना, कार्यक्रम एवं विभागीय निर्माण कार्यो का अनुश्रवण एवं सामाजिक संपरीक्षा में ग्राम सभा को सहायता करना, ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में शासकीय सेवको के कार्य का निरीक्षण एवं अनुश्रवण करना तथा राज्य शासन, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत द्वारा आवंटित कार्यों का निष्पादन करना।
जिला पंचायत/जनपद पंचायत	सामान्य प्रशासकीय समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, संचार एवं निर्माण समिति, सहकारिता एवं उद्योग समिति, स्वास्थ्य समिति, महिला एवं बाल कल्याण समिति एवं वन समिति।	बजट की उपलब्धता की सीमा तक व्यय करना, एक उपशीर्ष से दुसरे उपशीर्ष में निधियों का पुनर्वियोजन, एक शीर्ष के अंतर्गत संभावित बचत का ब्यौरा जनपद पंचायत/जिला पंचायत जैसा भी मामला हो को समर्पण के लिए प्रस्तुत करना।

[61] ***म.प्र. जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्थाई समिति (सदस्यों का चुनाव, शक्ति, उत्तरदायित्व, कार्यकाल एवं प्रक्रिया) नियम, 1994***

हमने चयनित पंचायती राज संस्थाओं में स्थायी समितियों के गठन और स्थायी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त से संबंधित आदेशों की नमूना जांच में देखा, कि चयनित दस जिला पंचायतों में से, तीन[62] जिला पंचायतों ने सात स्थायी समितियों का गठन किया, पांच[63] जिला पंचायतों ने छः स्थाई समितियों का गठन किया, जिला पंचायत अशोकनगर ने, केवल चार स्थाई समितियों का गठन किया और जिला पंचायत रीवा ने समितियों की स्थिति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की।

नमूना जांच किये गये समस्त जनपद पंचायतों ने स्थायी समितियों का गठन किया था। दूसरी ओर, नमूना जांच किये गये समस्त ग्राम पंचायतों में से, दो स्थायी समितियों का गठन किया गया था, परन्तु संबंधित ग्राम पंचायतों में बैठकों का कार्यवृत्त उपलब्ध नहीं था। परिणाम स्वरूप, लेखा परीक्षा स्थाई समितियों के अस्तित्व एवं उनकी कार्यकलाप की स्थिति के बारे आश्वस्त नहीं हुआ जा सका।

विभाग ने लेखापरीक्षा कथन को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2022) कि इस संबंध में पंचायतीराज संस्थाओं को पूर्व में ही निर्देश जारी किये जा चुके है। तथापि, इसके लिये पुनः निर्देश जारी किये जा रहे थे।

2.1.14 निष्कर्ष

हमने देखा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और पीआरआई अधिनियम का उदेश्य पंचायती राज संस्थाओ को सुदृढ़ करने के लिये उन्हे शक्ति एवं उत्तरदायित्व का हस्तांतरण, उनकी विकासात्मक गतिविधियो मे प्रभावकारी भूमिका और स्थानीय स्व शासन सुनिश्चित करना, निन्नालिखित कारणों से प्राप्त नहीं किया जा सका:

(अ) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पास पहले से मौजूद सात कार्यों को छोड़कर किसी भी विभाग ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243-छ में परिकल्पित कार्यों को हस्तांतरित नहीं किया।

(ब) 27 वर्षों के बाद भी, किसी भी विभाग ने अमले को पंचायती राज संस्थाओं के नियंत्रण में हस्तांतरित नहीं किया।

(स) किसी भी विभाग ने अपनी परिसंपत्तियां पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया।

---

[62] ***खरगोन, शहडोल एवं उज्जैन।***

[63] ***बैतूल, छिन्दवाड़ा, मुरैना, पन्ना एवं सीहोर।***

(द) निधियों की उपलब्धता के बावजूद भी, मध्य प्रदेश में वर्ष 2016-21 के मध्य केवल 30 *प्रतिशत* निर्वाचित प्रतिनिधियों और तीन *प्रतिशत* कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया था।

(य) विभाज्य निधि में वृद्धि के बावजूद, निधियों के हस्तांतरण (वर्ष 2017-18 से 2020-21) में अत्यन्त गिरावट[64] रही, जो 2016-17 में 4.17 *प्रतिशत* से घटकर 2020-21 में विभाज्य निधि का 0.79 *प्रतिशत* हो गई।

(र) पीआरआई अधिनियम में दिये गए प्रावधान के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं ने अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त रूप से कर नहीं लगाया।

(ल) कार्य, कोष और अमला का कोई हस्तांतरण नहीं होने के कारण, पंचायती राज संस्थाओं में कर संग्रहित करने के लिए अमले की कमी थी।

(व) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े और महिलाओं के लिए आरक्षण को अपनाया गया, परन्तु 196 बैठकों में से, 178 बैठकों में महिलाओं की भागीदारी एक *प्रतिशत* से 44 *प्रतिशत* के मध्य थी। कोई भी बैठक वांछित गणपूर्ति के साथ आयोजित नहीं की गई थी।

(श) ग्राम पंचायतें केवल दो अमले यथा सचिव और रोजगार सहायक के साथ कार्य कर रहीं थी।

हमारा निष्कर्ष है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों को अब तक प्राप्त नहीं किया जा सका है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में परिकल्पित कार्यो, अमले और कोष पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी ढंग से हस्तांतरित नहीं किया गया था और अधिनियम के लागू होने के 27 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी उन्हें स्व-शासन की संस्थाओं में परिवर्तित नहीं किया जा सका था।

---

[64] ***विभाज्य निधियों का हस्तांतरण 2016-17 (4.17 प्रतिशत), 2017-18 (3.44 प्रतिशत), 2018-19 (2.88 प्रतिशत), 2019-20 (1.03 प्रतिशत) और 2020-21 (0.79 प्रतिशत)।***

2.1.15 अनुशंसाएं

(i) मध्य प्रदेश शासन को कार्यों के हस्तांतरण के संबंध में अधिसूचना जारी करनी चाहिए और तदनुसार नियम बनाना चाहिए।

(ii) मध्य प्रदेश शासन को राज्य वित्त आयोग के गठन, राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और आगे, शासन द्वारा स्वीकृति एवं राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं पर कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए, समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

(iii) विभाग द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वर्ष के लिये नियत किये गये प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दिये जा रहे प्रशिक्षणों की प्रगति की निगरानी करनी चाहिये।

(iv) पंचायतों के कार्यों में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए मध्य प्रदेश शासन को सामाजिक संपरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए।

(v) मध्य प्रदेश शासन को संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों के समस्त कोष और अमले को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करना चाहिए, ताकि पंचायती राज संस्थाओं अपनी राजस्व संग्रह क्षमता को बढ़ा सकें।

(vi) मध्य प्रदेश शासन को शेष 22 कार्यों के हस्तांतरण के पश्चात ही अनुदान संख्या-53 की निधि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करना चाहिए।

(vii) मध्य प्रदेश शासन को राज्य वित्त आयोग के स्वीकृत फार्मूले के अनुसार विभाज्य निधि जारी करना चाहिए।

(viii) ग्राम पंचायतों को अभियान चलाकर गांवो के निवासियों को कर जमा करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन को करों के भुगतान हेतु ग्रामीणों के मध्य जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों का संचालन करना चाहिए।

(ix) मध्य प्रदेश शासन को ग्राम विकास के निर्णय लेने में भागीदारी करने के लिए, नागरिकों के मध्य रूचि पैदा करने हेतु पर्याप्त संख्या में जागरूकता अभियान प्रारम्भ करना चाहिए।

(x) ग्राम पंचायतों को अवकाश या पर्व के दिनों में ग्राम सभा बुलानी चाहिए, ताकि ग्रामीणों की भागीदारी में वृद्धि हो।

(xi) मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं शीर्ष जिला स्तरीय अधिकारियों को ग्राम पंचायतों को संभालने एवं उनमें भागीदारी का माहौल बनाने की आवश्यकता है।

(xii) मध्य प्रदेश शासन, रूचि पैदा करने हेतु, कुछ संस्थानों जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एण्ड पीआर), राज्य ग्रामीण विकास संस्थान आदि का सहयोग प्राप्त कर सकता है।

(xiii) मध्य प्रदेश शासन को मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, पेसा नियम तत्काल तैयार करना चाहिए। (तत्पश्चात, मध्य प्रदेश शासन ने (नवम्बर 2022) पेसा नियम बनाए)।

(xiv) मध्य प्रदेश शासन को मानव संसाधन की कमी के कारणों की समीक्षा कर, कमी को पूरा करने के लिये समयबद्ध भर्ती प्रारंभ करनी चाहिए।

(xv) पंचायती राज संस्थाओं में बेहतर शासन के लिए एवं गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन में सुधार हेतु, विभाग को निरीक्षण करना चाहिए।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

2.2 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

सार्वजनिक आवास कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के साधन के रूप में सरकार का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र था। भारत सरकार (जीओआई) ने प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को अप्रैल 2016 में प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जीर्ण शीर्ण आवासों में रहने वाले परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराना है। पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों का चयन, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के आंकड़ों में, आवास अभाव के पैरामीटर का उपयोग करके किया जाना था। सहायता का भुगतान निर्माण के चरणों के आधार पर, चार किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खातों में किया जाना था। पीएमएवाई-जी, कार्यक्रम का कार्यान्वयन और निगरानीआवाससाफ्ट के माध्यम से निष्पादित की जाती हैं, जो एक वेब आधारित लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय प्लेटफार्म है।

अगस्त और नवम्बर 2021 के दौरान संचालनालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पीआरडीडी), चयनित 10 जिला पंचायत (जिलों), 20 जनपद पंचायत (प्रत्येक लेखापरीक्षित जिला पंचायत में दो) और 60 ग्राम पंचायत (प्रत्येक लेखापरीक्षित जनपद पंचायत में तीन ग्राम पंचायत) के अभिलेखों की नमूना जांच के द्वारा, अवधि 2016-21 को सम्मिलित करते हुए पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के निष्पादन की समीक्षा की गई, जिसमे परिलक्षित हुआ कि:

- मध्य प्रदेश शासन ने राज्य समेकित निधि से भारत सरकार का अंश ₹13,937.21 करोड़ राज्य नोडल खाते (एसएनए) में 3 दिन से 11 माह के विलम्ब से हस्तांतरित किया। राज्य के तदनुरूपी अंश ₹ 8,989.89 करोड़ भी, एसएनए में एक दिन से 11 माह के विलम्ब से जारी की गई थी।

  (कंडिका 2.2.6.1(क))

- सहायता राशि की प्रथम किस्त 53 *प्रतिशत* (13,18,233 लाभार्थियों) एक दिन से 4 वर्ष के मध्य विलम्ब से जारी की गई, 14 *प्रतिशत* (3,48,319) लाभार्थियों को जारी नहीं की गई और 33 *प्रतिशत* (25,04,876 में से 8,38,324) लाभार्थियों को निर्धारित समयावधि में जारी की गई।

  (कंडिका 2.2.6.1 (ख))

- चयनित जिलों में, 1,555 लाभार्थियों को पीएमएवाई-जी के अंतर्गत ₹15.66 करोड़ की सहायता जारी की गई, जिनके पास आवास स्वीकृति से पहले 2/3/4 पहिया वाहन थे और जो योजना अंतर्गत अपात्र थे।

(कंडिका 2.2.6.2 (ग))

- एसईसीसी डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 64 प्रकरणों में, एक ही लाभार्थी को दो बार आवास स्वीकृत किया गया था। 98 प्रकरणों में, एक आवास वास्तविक लाभार्थी को स्वीकृत किया गया था और दूसरा आवास उसके परिवार के सदस्यों को स्वीकृत किया गया, जिनको एसईसीसी डेटा के अनुसार पीएमएवाई-जी योजना के लिए चिन्हित नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.2.6.2 (घ))

- चयनित पांच जिलों (अलीराजपुर, धार, ग्वालियर, मंडला एवं रतलाम) की अपीलीय समिति द्वारा अपात्र घोषित किये गये 317 लाभार्थियों को ₹ 2.74 करोड़ की सहायता जारी की गयी। इसके अतिरिक्त, तीन चयनित जिलों (धार, रतलाम एवं ग्वालियर) के 36 लाभार्थियों को ₹ 42.20 लाख की सहायता प्रदान की गई, जिन्हें संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा पक्का आवास, मुख्यमंत्री आवास/इन्द्रा आवास योजना (आईएवाई) के आधार पर अपात्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

(कंडिका 2.2.6.2 (ङ)) एवं (कंडिका 2.2.6.2 (च))

- 90 प्रकरणों (नमूना जांच किये गए 140 में से) में अवयस्कों को पीएमएवाई-जी आवास स्वीकृत किया गया और उनके रिश्तेदारों को लाभ प्रदान किया गया, जिनके नाम एसईसीसी 2011 सूची में नहीं थे।

(कंडिका 2.2.6.3(च))

- 14 *प्रतिशत* (2016-20 के दौरान स्वीकृत 18.28 लाख में से 2.51 लाख) आवासों को पूरा करने में एक दिन से तीन वर्ष तक का विलम्ब होने के कारण, लक्षित समय के भीतर आवास उपलब्ध कराने के योजना के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 2.2.6.4 (क)ii)

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 2016-21 के दौरान स्वीकृत 23.98 लाख आवासों का प्रथम निरीक्षण 31 मार्च 2021 तक किया जाना था। हमने पाया कि 18 *प्रतिशत* (4.20 लाख) प्रकरणों में कोई निरीक्षण नहीं किया गया था और 23 *प्रतिशत* (5.52 लाख) प्रकरणों में निरीक्षण तीन माह बाद, एक दिन से 4 वर्ष के विलम्ब से किया गया, जिससे लाभार्थियों को निर्माण कार्य निरंतर रखने के लिए आवश्यक दूसरी किस्त जारी करने में विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.2.6.5 (क))

- आवास सॉफ्ट पर निर्माण चरण की फोटोग्राफ अपलोड करने के आधार पर, लाभार्थी को सहायता जारी की जानी थी। हमने देखा कि 70 प्रकरणों में केवल पूर्णता स्तर के फोटोग्राफ आवास सॉफ्ट में अपलोड किए गए थे। 2262 प्रकरणों में दूसरी किस्त जारी की गई, जिसमें प्लिंथ स्तर के फोटोग्राफ अपलोड नहीं किए गए थे। 710 प्रकरणों में तीसरी किस्त जारी की गई, जिसमें लिंटल स्तर तक के निर्माण का फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.2.6.5 (ख))

2.2.1 प्रस्तावना

सार्वजनिक आवास कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के साधन के रूप में सरकार का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र था। भारत सरकार (जीओआई) ने 2022 तक "सब के लिए आवास" प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु, प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) प्रारंभ (अप्रैल 2016) की। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, 2016-21 के दौरान केन्द्र और राज्य शासन के बीच वित्त पोषण का अनुपात 60:40 था ।

योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे एवं जीर्ण-शीर्ण आवासों में रहने वाले परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराना था। "सब के लिए आवास" के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, वर्ष 2021-22 तक देश में कुल 2.95 करोड़ आवास के निर्माण का लक्ष्य था। मध्य प्रदेश में 2016-21 के दौरान 26,28,593 आवासों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।

इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, कार्यक्रम कार्यान्वयन और निगरानी "आवाससॉफ्ट" के माध्यम से निष्पादित की जाती है, जो एक वेब आधारित लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता प्लेटफार्म है। योजना का संक्षिप्त विवरण **तालिका-2.2.1** में दिया गया है।

तालिका-2.2.1: पीएमएवाई-जी योजना का संक्षिप्त विवरण

घटक	पीएमएवाई-जी
प्रभावी होने की दिनांक	1 अप्रैल 2016
लक्ष्य और उद्देश्य	2022 तक सब के लिए आवास का प्रावधान।
लाभार्थियों के चयन का आधार	सामाजिक-आर्थिक जातिजनगणना (एसईसीसी), 2011 के आधार पर तैयार स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्लूएल)
इकाई लागत (फंडिंग का स्वरुप)	मैदानी क्षेत्र: ₹ 1,20,000 एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) जिले: ₹ 1,30,000

घटक	पीएमएवाई-जी		
	(भारत सरकार एवं राज्य के बीच लागत का अंश 60:40)		
2020-21 के दौरान किस्त सहायता के लिए चरण	**चरण**	मैदानी क्षेत्र में सहायता (₹ में)	आईएपी जिलों में सहायता (₹ में)
	स्वीकृति	25,000	25,000
	प्लिंथ	40,000	45,000
	लिंटल	40,000	45,000
	पूर्णता	15,000	15,000
	योग	**1,20,000**	**1,30,000**
आवास का परिमाण	कम से कम 25 वर्ग मीटर		
पूर्णता के लिए समय-सीमा	स्वीकृति के बाद 12 माह		
भुगतान का तरीका	राज्य स्तर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पीआरडीडी) में संचालित एकल खाते से लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जो आधार से जुड़े हैं।		
अभिसरण (कन्वर्जेन्स) सहायता	• स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत शौचालय के निर्माण के लिए ₹ 12,000 की सहायता • राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के तहत पेयजल। • दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)/नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विधुत संयोजन । • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के माध्यम से अकुशल मैदानी क्षेत्र में 90 दिवस और एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) जिलों में 95 श्रम दिवस का प्रावधान।		
निगरानी	• भारत सरकार और राज्यों द्वारा विभिन्न स्तरों पर निगरानी। • भौतिक प्रगति: "आवास ऐप" के माध्यम से खींची गई भू-संदर्भित दिनांकित और समय की मुहर लगी तस्वीर के माध्यम से और आवाससॉफ्ट पर अपलोड की गई।		

(स्रोत: पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देश)

पीएमएवाई-जी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह है कि लाभार्थियों के चयन में, यह सुनिश्चित करना कि सहायता उन्ही लोगों को मिले जो वास्तव में लाभ से वंचित हैं और चयन वस्तुपरक एवं सत्यापन योग्य है। सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के आंकड़ों में आवास अभाव को दर्शाने वाले मापदंडों[1] का उपयोग योजना

[1] ***एसइसीसी डेटा के अनुसार बेघर और शून्य, एक अथवा दो कमरे के कच्चे आवास में रहने वाले परिवार।***

के लाभार्थियों का चयन करने हेतु किया गया है, जिनका ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापन किया जाना आवश्यक था।

चार्ट-2.2.1: पीएमएवाई-जी में पंजीकरण, स्वीकृति और लाभ जारी करने का फ्लो चार्ट

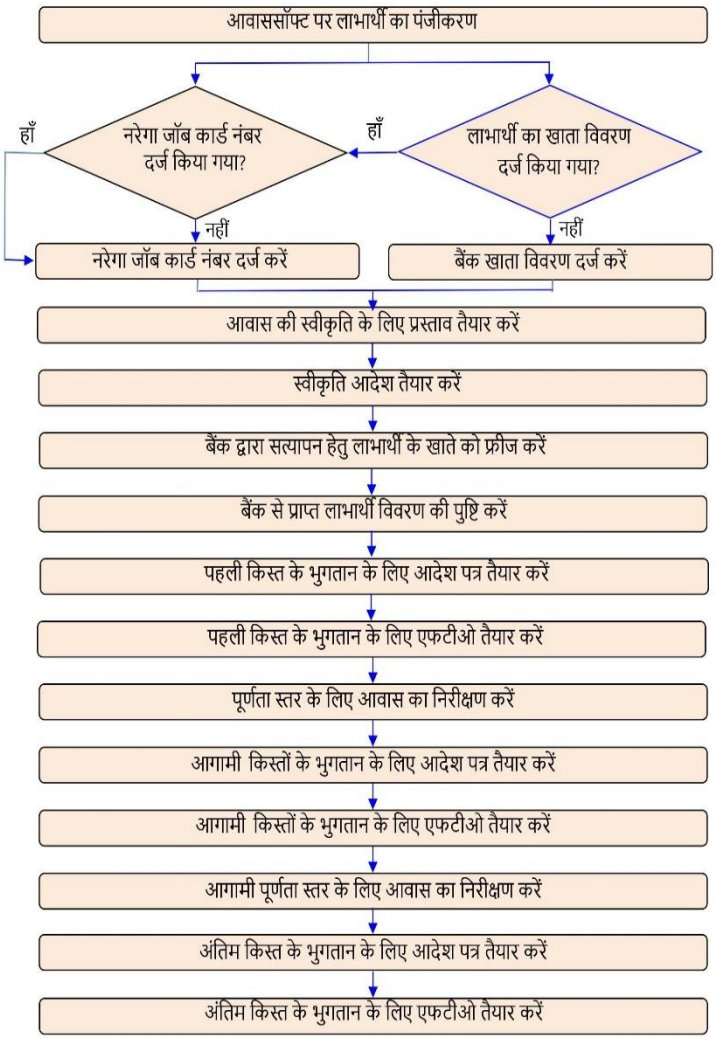

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थी को सभी भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनके बैंक/डाकघर खातों में किया जाना था, जिन्हें आधार से सम्बद्ध कर दिया गया हो। पीएमएवाई-जी के प्रारंभ (अप्रैल 2016) से सभी लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का उपयोग करके लाभान्वित किया गया था। योजना से संबंधित निधि को राज्य स्तर पर एक अनुसूचित/वाणिज्यिक बैंक में एक समर्पित एकल बैंक खाते में रखा जाता है, जिसे राज्य नोडल खाता (एसएनए) कहा जाता है और इसे फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित किया जाता है। लाभार्थियों को सहायता सीधे उनके

खातों में एफटीओ के माध्यम से आवाससॉफ्ट-पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।

राज्य ने लाभार्थियों को सहायता के हस्तांतरण के लिए, ब्लॉक स्तर पर दो प्राधिकरण अर्थात सृजक/निर्माता घोषित किये हैं, प्रथम-हस्ताक्षरकर्ता और एक अनुमोदक/जांचकर्ता तथा द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता। लाभार्थियों को सहायता जारी करने के लिए एफटीओ को इन दोनों प्राधिकारियों द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना है। प्रदेश में संबंधित जनपद पंचायतों के सहायक लेखाधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी को क्रमश: प्रथम हस्ताक्षरकर्ता एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता घोषित किया गया है.

चार्ट 2.2.2: पीएफएमएस के माध्यम से किश्त के भुगतान का फ्लो चार्ट नीचे दिया गया है

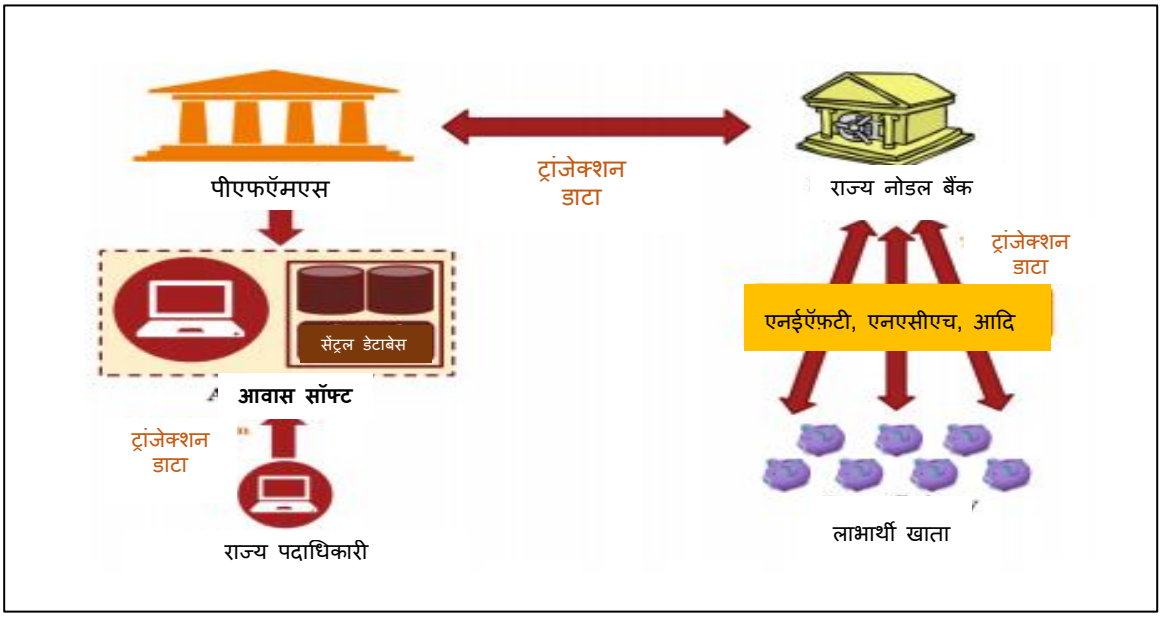

2.2.2 योजना के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पीआरडीडी) राज्य में योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है। अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त (अ.मु.स.सह.वि.आ.), राज्य में योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं। अ.मु.स.सह.वि.आ.को संचालक, पीएमएवाई-जी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो इस योजना के लिए नोडल अधिकारी हैं। जिला स्तर पर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मु.का.आ.), जिला पंचायत (जि.पं.), जिन्हें परियोजना अधिकारियों (पीओ) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, योजना का कार्यान्वयन करते हैं। ब्लॉक और क्षेत्र स्तर पर, मु.का.आ., जनपद पंचायत (ज.प.) ग्राम पंचायत (ग्रा.प.) की सहायता से योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। राज्य स्तर पर, राज्य नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) भी मार्गदर्शन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए कार्य कर रही है। भारत सरकार से विभिन्न कार्यान्वयन स्तरों तक उत्तरदायी को फ्लो चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.2.3: भारत सरकार से विभिन्न कार्यान्वयन स्तर तक की जिम्मेदारियों का वर्णन

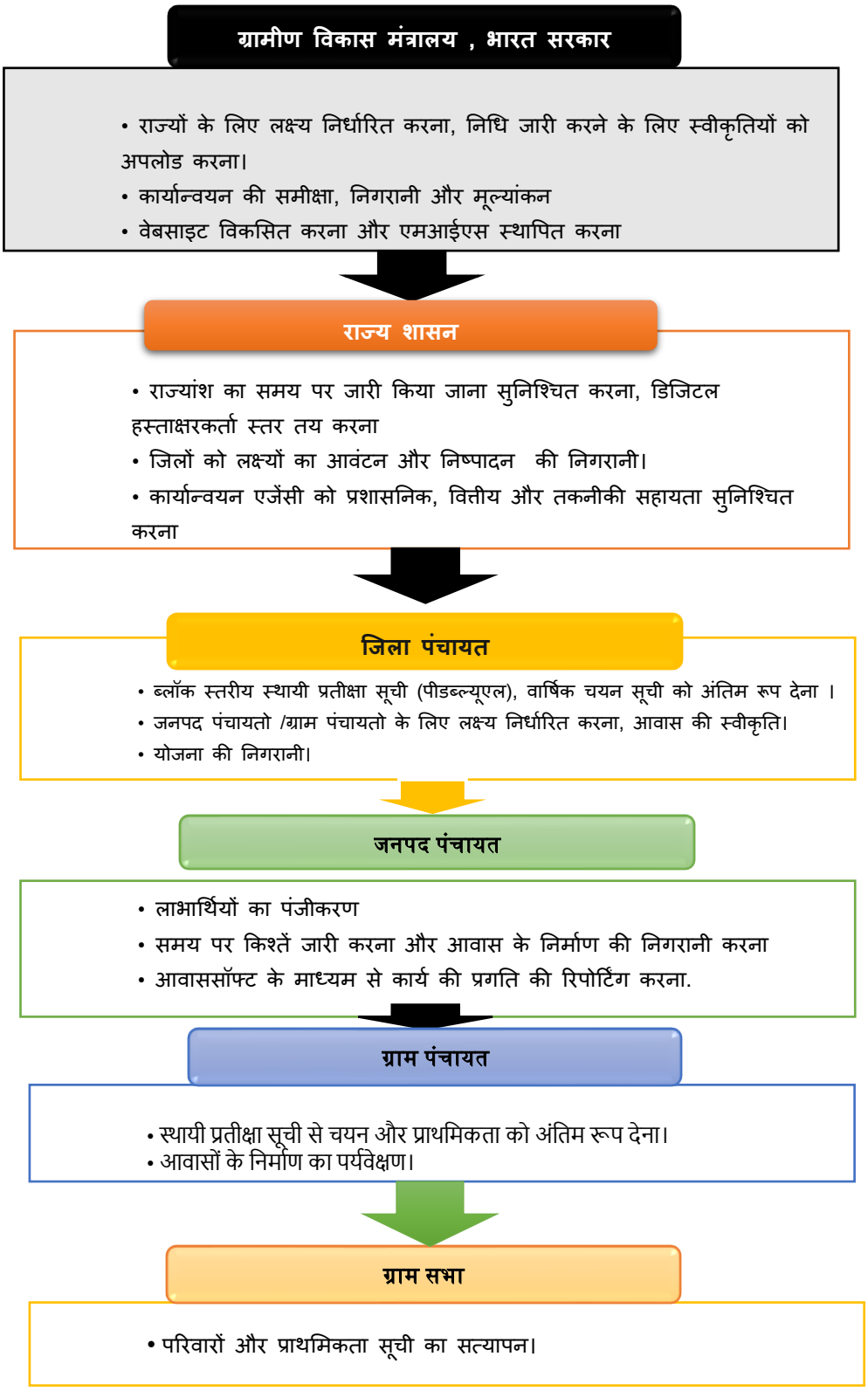

2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित का आंकलन करने के लिए आयोजित की गयी:

- योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का निर्धारण और चयन हेतु तंत्र पारदर्शी और पर्याप्त था;
- योजना के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, आवासीय इकाइयों को समय पर पूरा करने के लिए निरीक्षण और निगरानी प्रणाली थी; और
- प्रभावी एवं पर्याप्त वित्तीय प्रबंधन प्रणाली।

2.2.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और पद्धति

2.2.4.1 नमूना चयन

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि 2016-21 को सम्मिलित करते (अगस्त और नवंबर 2021 के मध्य) संचालनालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पीआरडीडी) और 10 चयनित जिला पंचायतों (जिलों) के अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा आयोजित की गई थी। व्यय, आदिवासी आबादी, भौगोलिक स्थिति, कोविड के मध्य ट्रेन की संयोजकता के आधार पर, तीन आदिवासी आबादी वाले जिलों सहित नौ[2] जिलों का चयन किया गया तथा पायलेट स्टडी के लिए ग्वालियर जिले का चयन किया गया।

इसके अतिरिक्त, हमने तार्किक[3] आधार पर चयनित, 20 जनपद पंचायत (प्रत्येक लेखापरीक्षित जिला पंचायत में दो) और 60 ग्राम पंचायत (प्रत्येक लेखापरीक्षित जनपद में तीन ग्राम पंचायत) में पीएमएवाई-जी के अभिलेखों की नमूना जांच की। चयनित जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों का विवरण ***परिशिष्ट-2.2.1*** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, हमने विभागीय अधिकारियों के साथ प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्मित 900 आवासों (प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत में 15 आवास) का संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी किया।

वर्ष 2016-21 के दौरान, राज्य में कुल 26,28,525 आवास [21,64,522 आवास (82.35 *प्रतिशत*) पूर्ण किए गए थे] स्वीकृत किए गए थे और लाभार्थियों को ₹24,723.96 करोड़ की

---

[2] ***अलीराजपुर, छतरपुर, दमोह, धार, गुना, मंडला, राजगढ़, रतलाम और सतना। इनमें से अलीराजपुर, धार और मंडला आदिवासी जिले हैं।***

[3] ***क्षेत्र कार्य से पहले, हमने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से एकत्रित पीएमएवाई-जी डेटा का विश्लेषण किया और डेटा विश्लेषण के आधार पर हमने पीएमएवाई-जी के तहत आवासों की स्वीकृति के प्रकरणों की संख्या का पता लगाया। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान हमने विस्तृत संवीक्षा के लिए इन जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी।***

राशि का भुगतान किया गया था। 10 लेखापरीक्षित जिलों में, 6,50,715 आवासों (राज्य में स्वीकृत कुल आवासों का 24.75 *प्रतिशत*) के निर्माण के लिए लाभार्थियों को ₹ 5,936.59 करोड़ का भुगतान किया गया था, जिसमें से 5,34,816 आवास (82.19 *प्रतिशत*) पूर्ण हो गए थे।

लेखापरीक्षा के लिए अपनाई गई पद्धति में आईटी डेटा (योजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर से लाभार्थी पंजीकरण, स्वीकृति, किश्तों की प्रदायगी और निरीक्षण आदि) का विश्लेषण और चयनित इकाइयों द्वारा संधारित की गई नस्तियों और अभिलेखों की नमूना जाँच और आवासों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण करना था।

अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त, पीआरडीडी, भोपाल के साथ दिनांक 01 दिसम्बर 2020 को आगम सम्मिलन, निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, मानदंड और लेखापरीक्षा पद्धति पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया।

अपर मुख्य सचिव, पीआरडीडी के साथ दिनांक 23 दिसम्बर 2022 को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए निर्गम सम्मिलन का आयोजन किया गया। शासन के उत्तर (जुलाई 2022 और नवंबर 2022 में भेजे गए) को संबंधित कंडिकाओं में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.2.4.2 ***लेखापरीक्षा के लिए उपयोग किये गए आंकड़ों का विश्लेषण***

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित आंकड़ों का उपयोग किया गया :

क. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा **18** मार्च **2021** तक के पीएमएवाई-जी के सात डेटा तालिका (एसईसीसी डेटा, पंजीकरण, स्वीकृति, निरीक्षण, आदेश पत्रक, एफटीओ और उज्ज्वला योजना के साथ अभिसरण) प्रदान किए गए।

ख. मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन पंजीकरण डेटा (जनवरी **2016** से नवंबर **2020** तक)।

ग. आवाससॉफ्ट की वेबसाइट ***(rhreporting.nic.in)*** पर उपलब्ध डाउनलोड किया गया डेटा (एमआईएस रिपोर्ट)।

2.2.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड का मुख्य स्रोत निम्नलिखित दस्तावेजों से प्राप्त किया गया था:

1. पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देश, केंद्र और राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश/आदेश, परिपत्र और अधिसूचनाएं।
2. आवासऐप (मोबाइल एप्लिकेशन) की उपयोगकर्ता पुस्तिका।

2.2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.6.1 निधि प्रबंधन

राज्य को केंद्रीय आवंटन दो किस्तों में प्रत्येक 50 *प्रतिशत* की जारी किया जाना था और राज्य शासन केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश जारी करेगी। 2016-21 के दौरान राज्य में, पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन पर कुल प्राप्त निधि और व्यय का विवरण नीचे **तालिका-2.2.2** में दिया गया है:

तालिका-2.2.2: 2016-21 के दौरान प्राप्त निधि एवं पीएमएवाई-जी का राज्य में कार्यान्वयन पर व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त निधि				व्यय	अंतिम शेष (6-7)
		केन्द्रांश	राज्यांश	अन्य प्राप्तिया (ऋण, ब्याज आदि)	कुल उपलब्ध निधि (2+3+4+5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2016-17	0	1,487.78	991.85	30.56	2,510.19	1,336.26	1,173.93
2017-18	1,173.93	4,875.96	3,173.31	653.97	9,877.17	8,054.21	1,822.96
2018-19	1,822.96	3,601.24	2,400.83	323.94	8,148.97	8,021.14	127.83
2019-20	127.83	2,941.16	1,821.68	140.59	5,031.26	4,592.41	438.85
2020-21	438.85	4,695.77	2,358.88	160.90	7654.40	4,239.53	3,414.87
योग		**17,601.91**	**10,746.55**	**1,309.96**		**26,243.55**	
		29,658.42					

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि भारत सरकार/राज्य/अन्य प्राप्तियों द्वारा जारी कुल निधि ₹ 29,658.42 करोड़ में से, विभाग 2016-21 के दौरान पीएमएवाई-जी योजना के कार्यान्वयन में केवल ₹ 26,243.55 करोड़ (88.49 *प्रतिशत*) का उपयोग कर सका।

2.2.6.1 (क) स्टेट नोडल खाते में केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि जारी करने में विलम्ब

भारत सरकार के स्वीकृति आदेश में उल्लेखित है कि राज्य शासन को भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर, राज्य की समेकित निधि से पीएमएवाई-जी को

समर्पित राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के बैंक खाते में निधि हस्तांतरित करना आवश्यक था। भारत सरकार का अंश जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर राज्यांश भी जारी किया जाना था।

हमने देखा कि 2016-21 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन ने राज्य समेकित निधि से स्टेट नोडल खाते में केन्द्रांश की राशि ₹13,937.21 करोड़ के हस्तांतरण में विलम्ब (तीन से 328 दिनों तक) किया। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश शासन ने राज्यांश ₹8,989.89 करोड़ को स्टेट नोडल खाते में जारी करने में विलम्ब (एक से 316 दिनों तक) किया।

हमने आगे देखा कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश शासन ने ₹216.63 करोड़ (केन्द्रांश ₹129.98 करोड़ और राज्यांश ₹86.65 करोड़), मार्च 2020 में व्यक्तिगत जमा खाता (पीडी अकाउंट) में हस्तांतरित किया और आगे मई 2020 में स्टेट नोडल खाते में हस्तांतरित किया। इसके अतिरिक्त, 2020-21 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन ने मार्च 2021 में ₹771.63 करोड़ (राज्यांश) में से ₹764.26 करोड़ को पीडी खाते में हस्तांतरित किया, जिसे आगे जुलाई 2021 में स्टेट नोडल खाते को स्थानांतरित किया गया। मध्य प्रदेश शासन ने ₹771.63 करोड़ में से शेष ₹7.38 करोड़ का राज्यांश स्टेट नोडल खाते में अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2021-22 (स्वीकृति आदेश 11/10/2021) में हस्तांतरित किया। इस प्रकार मध्य प्रदेश शासन ने भारत सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि पीएमएवाई-जी के अंतर्गत प्रावधानित बजट की अनुपलब्धता के कारण राशि (प्राप्त केन्द्रांश के बराबर राज्यांश) का आहरण समय पर नहीं किया जा सका। आगे बताया गया कि तृतीय अनुपूरक बजट में प्रावधान किये जाने के कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राशि का आहरण नहीं किया जा सका, इसलिए राशि को पीडी खाते में जमा करा दिया गया।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के स्वीकृति आदेश और पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि राज्य शासन को भारत सरकार की निधि और उसके बराबर के राज्यांश को स्टेट नोडल खाते में क्रमश: तीन और 15 दिनों के भीतर जारी/हस्तांतरित करना चाहिए।

2.2.6.1 (ख) स्वीकृत आवासों को किस्त जारी करना

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के फ्रेमवर्क के पैरा 9.2.1(घ) के अनुसार, आवास की स्वीकृति के बाद लाभार्थी के खाते में प्रथम किस्त 15 दिनों के भीतर जारी की जानी चाहिए।

वर्ष 2016-21 के दौरान (1 मार्च 2021 तक) राज्य में कुल 25,04,876[4] लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किया गया था और प्रथम किस्त देय थी। प्रथम किस्त जारी करने का विवरण **तालिका-2.2.3** में दिया गया है -

तालिका-2.2.3: लाभार्थियों को प्रथम किस्त जारी करने की स्थिति

स्वीकृत लाभार्थियों की संख्या 1 मार्च 2021 तक	15 दिनों के भीतर	16-30 दिनों में	31-90 दिनों में	91-180 दिनों में	180 से अधिक दिनों में	कोई किश्त जारी नहीं की
25,04,876	8,38,324 *(33.47 %)*	5,65,510 *(22.58 %)*	5,29,028 *(21.12%)*	2,06,427 *(8.24%)*	17,268 (0.69%)	3,48,319 *(13.91 %)*

(स्रोत: एनइआईसी द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा)

यह देखा गया कि 8,38,324 लाभार्थियों (33.47 *प्रतिशत*) को निर्धारित समय के भीतर प्रथम किस्त जारी की गई थी। आगे, 52.63 *प्रतिशत* (13,18,233) लाभार्थियों को प्रथम किस्त एक से 1,500 दिनों के विलंब से प्रदान की गई थी तथा 3,48,319[5] लाभार्थियों को प्रथम किस्त 18 मार्च 2021 तक जारी नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, 3,48,319 आवासों में से 3,47,532 आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका था, 613 आवास का निर्माण प्लिंथ स्तर तक, 140 आवास का निर्माण लिंटल स्तर तक और 34 आवास पूर्ण हो चुके थे।

शासन ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2022) कि लाभार्थी के गलत/निष्क्रिय बैंक खाते, प्रवासन और तकनीकी आदि कारणों से विलंब हुआ।

2.2.6.2 लाभार्थियों का निर्धारण और चयन

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क के पैरा 4 में उल्लेखित है कि लाभार्थियों का निर्धारण और प्राथमिकता एसईसीसी-2011 डेटा में आवास अभाव मानकों के आधार पर की जाएगी। प्रत्येक प्राथमिकता समूहों की प्रत्येक श्रेणी में जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य को (आवासहीनता के क्रम में कमरों की संख्या; शून्य, एक और दो कमरे) आवास के अभाव की कमी को दर्शाने वाले मापदंडों के आधार पर

---

[4] ***1 मार्च 2021 तक 25,04,876 लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किया गया था। यह तारीख 18 मार्च 2021 को एनआईसी से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से ली गई है।***

[5] ***2016-17 में 210 प्रकरण, 2017-18 में 313 प्रकरण, 2018-19 में 550 प्रकरण, 2019-20 में 3802 प्रकरण और 2020-21 में 3,43,444 प्रकरण।***

प्राथमिकता दी जानी थी। दो उप-समूहों (स्वत: शामिल परिवारों[6] और अन्य परिवारों) में, स्वत: अंतर्वेशित परिवारों को प्राथमिकता प्राप्त समूह में शामिल, अन्य परिवारों से कम प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। दो उप-समूहों के बीच प्राथमिकता का निर्धारण उनके सकल अभाव सम्बन्धी अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिनकी गणना सामाजिक-आर्थिक मापदंडों से प्रत्येक के सामान भार(वेटेज) के साथ, की जानी है। अधिक अभाव अंक वाले परिवारों को उस समूह में उच्च वरीयता दी जाएगी।

एसईसीसी डेटा से एक बार श्रेणीवार प्राथमिकता सूची तैयार हो जाने और उपयुक्त रूप से प्रकाशित हो जाने के पश्चात्, ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। ग्राम सभा उन तथ्यों का सत्यापन करेगी जिनके आधार पर परिवारों को पात्र निर्धारित किया गया है। राज्य शासन द्वारा गठित एक अपीलीय समिति[7] द्वारा गलत विलोपन/बदली गई प्राथमिकता श्रेणी के संबंध में शिकायतों की जांच की जाती है। इसके बाद, प्रत्येक श्रेणी के लिए ग्राम पंचायत वार अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) को ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा और आवाससॉफ्ट पर दर्ज किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने आवाससॉफ्ट पोर्टल से 13 दिसंबर 2021 को एक रिपोर्ट तैयार की और देखा कि 2016-22 के दौरान पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए राज्य में कुल 47,41,213 लाभार्थियों का निर्धारण आवास अभाव मापदंडों के आधार पर किया गया था। ग्राम सभा ने पात्रता के तथ्यों के सत्यापन पर अपात्र पाए गए 16,54,806 लाभार्थियों को हटाने के बाद, पीएमएवाई-जी के लिए 30,86,407 पात्र लाभार्थियों का निर्धारण किया।

प्राथमिकता निर्धारण और पात्रता सत्यापन में पाई गई विसंगतियों पर चर्चा नीचे की गई है:

2.2.6.2 (क) प्राथमिकता का निर्धारण

पात्र परिवारों की उपलब्धता होने पर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और अन्य की, प्राथमिकता के सिद्धांतों को पूरा करने वाली, अलग प्राथमिकता सूची तैयार करना आवश्यक था। सिस्टम से तैयार होने वाली श्रेणीवार प्राथमिकता

---

[6] ***आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा/भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराये गए बंधुआ मजदूर।***

[7] ***जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर या उनके द्वारा मनोनीत, एक अन्य अधिकारी और कम से कम एक गैर-सरकारी सदस्य।***

सूची एमआईएस-आवाससॉफ्ट से डाउनलोड की जा सकती है। तत्पश्चात, ये सूचियाँ ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाएंगी।

हमने चयनित ग्राम पंचायतों में दिशा-निर्देशों में उल्लिखित प्राथमिकता समूहों, उप-समूहों और अभाव स्कोर के अनुसार वरीयता के आवंटन के लिए प्राथमिकता निर्धारण की जांच की। हमने आवाससॉफ्ट से डाउनलोड की गई प्राथमिकता सूची में पाया कि चयनित 60 ग्राम पंचायतों में से 19 ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता का निर्धारण मानदंडों के अनुसार नहीं किया गया था। मानदंडों के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित नहीं करने के कारण, अधिक अभाव अंक के लाभार्थियों को, कम अभाव अंक के लाभार्थियों से भी श्रेणी में नीचे रखा गया। विवरण ***परिशिष्ट-2.2.2*** में दिया गया है

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि पात्र परिवारों की प्राथमिकता उनकी श्रेणी के आधार पर निर्धारित की गई थी। आगे बताया कि प्राथमिकता सूची को ग्राम सभा, जो प्रारंभ में संशोधन के लिए सक्षम थी, के अनुमोदन के बाद संशोधित किया गया था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों को प्राथमिकता नहीं दी। इसके अतिरिक्त, उत्तर सामान्य प्रकृति का है और लेखापरीक्षा कथन के अनुसार विशिष्ट नहीं है।

2.2.6.2(ख) प्राथमिकता सूची का पालन नहीं करना

लेखापरीक्षित 60 ग्राम पंचायतों में आवासों की स्वीकृत सूचियों की जांच के दौरान, हमने देखा कि कुल 18,935 स्वीकृत प्रकरणों में से, 8,226 लाभार्थियों को प्राथमिकता सूची में अधिक वंचित लाभार्थियों से पहले स्थान मिला एवं उन्हें आवास भी पहले स्वीकृत किए गए। संबंधित जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने आवास स्वीकृत करने में पीडब्लूएल के वरीयता क्रम का पालन नहीं किया।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जाती है। जिलों को आवंटित लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत आवासों की भी समीक्षा की जाती है। आगे बताया गया कि लाभार्थी को आवास स्वीकृत करने की प्रक्रिया में, ऐसे मामलों में, जहां सूची में शामिल लाभार्थी प्रवास कर गए हैं, उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु हो गई है, ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने में असमर्थ हैं आदि, की स्थिति में, प्राथमिकता सूची के अगले प्राथमिकता वाले लाभार्थी को आवास स्वीकृत किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने अपने अभिमत के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार आवास स्वीकृत नहीं किया गया था।

2.2.6.2(ग) अपात्र लाभार्थियों को आवास आवंटन

मोटरयुक्त दो/तीन/चार-पहिया/मछली पकड़ने वाली नाव के स्वामित्व आदि, जैसे 13 सूचीबद्ध मापदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाले सभी परिवारों को स्वत: बाहर रखा जाना है। इसके अतिरिक्त, अ.मु.स.सह वि.आ., पीआरडीडी ने निर्देश दिया (मार्च 2017) कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में वाहन के पंजीकरण के अनुसार, 2016 के बाद नए मोटरयुक्त दोपहिया वाहन खरीदने वाले लाभार्थी पीएमएवाई-जी के लिए पात्र नहीं होंगे।

लेखापरीक्षा जांच में परिलक्षित हुआ कि लेखापरीक्षित 10 जिलों में कुल 6,24,053 लाभार्थियों में से 2,037[8] लाभार्थियों के पास दो/तीन/चार पहिया वाहन, आवास की स्वीकृति से पहले थे। लेकिन, इन लाभार्थियों को जिनके पास दो/तीन/चार पहिया वाहन थे, उन्हें 2016-21 के दौरान पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवास स्वीकृत किया गया था। हमने आगे देखा कि मु.का.अ., जनपद पंचायत ने 2,037 अपात्र लाभार्थियों में से, 1,555 को ₹15.66 करोड़ की पीएमएवाई-जी सहायता जारी की। विवरण ***परिशिष्ट-2.2.3*** में दिया गया है। जिलावार चिन्हित प्रकरण **तालिका-2.2.4** में नीचे दिए गए हैं:-

तालिका-2.2.4: चयनित जिलों में पीएमएवाई-जी लाभार्थियों की स्थिति जिनके पास 2/3/4 पहिया वाहन थे

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	चयनित जिले का नाम	स्वीकृत किये गए प्रकरणों कि संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमे राशि जारी कि गई	पी.एम.ए.वाय.-जी. के अंतर्गत लाभार्थियों को दी गयी राशि
1	अलीराजपुर	114	94	1.06
2	छतरपुर	288	224	1.78
3	दमोह	130	107	1.22
4	धार	203	138	1.53
5	गुना	209	166	1.45
6	ग्वालियर	43	43	0.51
7	मंडला	160	96	1.00
8	राजगढ़	294	228	2.48

[8] *273 ट्रेक्टर, 12 मोटर कार, 20 वैन, 05 ओमनीबस, 03 ट्राली, 1592 मोटरसायकिल, 51 मोपेड, 26 स्कूटर, 52 ऑटो रिक्शा और 03 अन्य।*

स. क्र.	चयनित जिले का नाम	स्वीकृत किये गए प्रकरणों कि संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमे राशि जारी कि गई	पी.एम.ए.वाय.-जी. के अंतर्गत लाभार्थियों को दी गयी राशि
9	रतलाम	298	262	2.73
10	सतना	298	197	1.90
योग		**2,037**	**1,555**	**15.66**

(स्रोत: एनआईसी और एमपी ट्रांसपोर्ट विभाग से प्राप्त डेटा)

आगे, हमने (अगस्त और नवंबर 2021 के मध्य) 2,037 लाभार्थियों का विवरण संबंधित मु.का.अ., जिला पंचायतों को तथ्यों के सत्यापन के लिए अग्रेषित किया। संबंधित मु.का.अ., जनपद पंचायत[9] ने 2,037 प्रकरणों में से 652 का सत्यापन किया और पुष्टि की कि 652 लाभार्थियों में से 440 के पास 2/3/4 पहिया वाहन पाया गया और 370 लाभार्थियों (440 में से) को ₹4.07 करोड़ राशि जारी की गयी। शेष 212 प्रकरणों में संबंधित मु.का.अ., जनपद पंचायतों ने या तो अस्वीकार किया या कोई मत नहीं दिया, कि लाभार्थियों ने स्वीकृति के बाद वाहन खरीदे या स्वीकृति से पहले बेच दिए थे।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति से पहले लाभार्थियों के नाम पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के अभिलेख के अनुसार वाहन पंजीकृत थे। शेष 1,385 प्रकरणों पर संबंधित जिला पंचायतों/जनपद पंचायतो ने उत्तर नहीं दिया।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सहायता की स्वीकृति से पहले संबंधित ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिव और पंचायत समन्वय अधिकारी को लाभार्थियों की पात्रता को सत्यापित करना आवश्यक था, परन्तु पात्रता तथ्यों के सत्यापन में उनकी विफलता के परिणामस्वरूप, अपात्र लाभार्थियों को ₹15.66 करोड़ राशि की सहायता जारी की गई।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि ग्राम पंचायत स्तर के दल द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर आवास स्वीकृत किये गये थे। आगे बताया गया कि वर्तमान में लाभार्थियों के पास वाहन होने का सत्यापन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के माध्यम से किया जा रहा है।

उत्तर स्व-व्याख्यात्मक है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों ने पीआरडीडी द्वारा जारी आदेश (मार्च 2017) के अनुपालन में पात्रता को सत्यापित करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के डेटा का उपयोग नहीं किया।

---

[9] ***जिला अलीराजपुर, धार और रतलाम की समस्त जनपद पंचायते एवं जिला ग्वालियर व मंडला की चयनित जनपद पंचायते।***

2.2.6.2(घ) एक ही परिवार में एक से अधिक लाभार्थी को लाभ प्रदान किया जाना

एसईसीसी डेटा के विश्लेषण के दौरान लेखापरीक्षा में आवाससॉफ्ट में पंजीकृत 37,00,058 में से 13,743 प्रविष्टियों में, परिवारों का विवरण कई बार दोहराया जाना पाया गया। यह दोहराव दो से 25 बार के मध्य था। हमने देखा कि 13,743 लाभार्थियों में से 324 (162 डुप्लीकेट) लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किया गया। 162 डुप्लीकेट प्रकरणों की आगे जांच करने पर, हमने पाया कि 64 प्रकरणों में एक ही लाभार्थी को दो बार आवास स्वीकृत किया गया था और 98 प्रकरणों में एक आवास वास्तविक लाभार्थी को स्वीकृत किया गया था और दूसरा आवास लाभार्थी के पंजीकरण के दौरान उसके परिवार के सदस्यों को स्वीकृत किया गया था, जिनका एसइसीसी डेटा के अनुसार निर्धारण पीएमएवाई-जी योजना के लिए नहीं किया गया था।

हमने देखा कि एसईसीसी डेटाबेस में एक ही परिवार से एक ही व्यक्ति की एक से अधिक प्रविष्टियाँ थी। इन एक से अधिक प्रविष्टियों के विरुद्ध, ऐसे प्रकरणों में अनेक पीएमएवाई-जी (आवाससॉफ्ट में "पीएमएवाई आई डी") पंजीकरण संख्याएँ आवंटित की गयी हैं। आवाससॉफ्ट का यह डाटा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत स्तर पर पंजीकृत व्यक्तियों की पात्रता सत्यापन के लिए राज्य शासन को भेजा गया था। यह देखा गया कि विभाग ने भी एक से अधिक प्रविष्टियों की स्वीकृतियो को विलोपित/अवरुद्ध किया था।

उपरोक्त से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लाभार्थियों के दोहराव की पहचान करने के लिए पोर्टल में अलर्ट करने की कोई प्रणाली नहीं है। दो बार सहायता प्रदान करने या परिवार के सदस्यों को सहायता परिवर्तित करने के स्थान पर, डुप्लीकेट लाभार्थियों का विलोपन किया जाना चाहिए था।

शासन ने लेखापरीक्षा कथन का प्रासंगिक या विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

2.2.6.2 (ङ.) अपीलीय समिति द्वारा घोषित अपात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान करना

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के फ्रेमवर्क के पैरा 4.5.3 के अनुसार, राज्य शासन, जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर या नामित व्यक्ति की अध्यक्षता में, एक अन्य अधिकारी और कम से कम एक गैर-सरकारी सदस्य के रूप में तीन सदस्यीय अपीलीय समिति का जिला स्तर पर गठन करेगी। अ.मु.स.सह वि.आ., पीआरडीडी के आदेश (मार्च 2017) के अनुसार, अपीलीय समिति जनपद पंचायत स्तर पर अपात्र घोषित परिवारों की अपात्रता के कारण की समीक्षा करेगी और पात्रता तय करेगी।

जिला पंचायत (अलीराजपुर, धार, ग्वालियर, मंडला एवं रतलाम) के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि इन जिलों के जनपद पंचायतों ने पात्रता पर विचार करने के लिए 1,866 प्रकरण अपीलीय समिति को अग्रेषित किए। 1,866 में से, अपीलीय समिति ने 819 लाभार्थियों को पात्र घोषित किया और 746 लाभार्थियों को अपात्र ठहराया और 301 प्रकरणों में निर्णय लंबित था। हमने देखा कि अपीलीय समिति द्वारा अपात्र घोषित किए जाने के बाद, संबंधित मु.का.अ., जनपद पंचायत ने पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 746 अपात्र लाभार्थियों में से 317 को सहायता जारी की, विवरण **तालिका-2.2.5** में दिया गया है:

तालिका-2.2.5: अपीलीय समिति द्वारा निराकृत प्रकरणों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

जिला	अपीलीय समिति के निर्णय का दिनाकं	जनपद पंचायतो द्वारा अपीलीय समिति को भेजे गए प्रकरणों कि संख्या	अपीलीय समिति के अनुसार पात्र	अपीलीय समिति के अनुसार अपात्र	31 मार्च 2021 तक अपीलीय समिति के निर्णय के बाद जारी सहायता और लाभार्थियों की संख्या	
					प्रकरणों कि संख्या	राशि
अलीराजपुर	18.02.2019	63[10]	06	34	00	0
धार	12.06.2017	811[11]	89	444 [12]	195	1.80
ग्वालियर	31.05.2017 & 04.12.2017	37	05	32	02	0.01
मंडला	22.07.2017	76	00	76	20	0.13
रतलाम	15.05.2017	879	719	160	100	0.80
योग		**1,866**	**819**	**746**	**317**	**2.74**

(स्रोत: चयनित जनपद पंचायतो का अभिलेख)

मु.का.अ., जनपद पंचायत ने 317 अपात्र लाभार्थियों को ₹2.74 करोड़ जारी किए (मार्च 2021 तक)। हमने अभिलेखों में यह नहीं पाया कि इन 317 अपात्र लाभार्थियों को आगे किसी चरण में पात्र घोषित किया गया हो।

---

[10] ***23 प्रकरणों में निर्णय लंबित।***

[11] ***जिला धार में 278 प्रकरणों में अपीलीय समिति ने सम्बंधित जनपद पंचायतो पर निर्णय छोड़ा।***

[12] ***444 प्रकरणों में से, केवल 152 प्रकरणों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धार ने सम्बंथित जनपद पंचायतो को सूचना भेजी।***

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि रतलाम जिले के 100 प्रकरणों में से 60 प्रकरणों में वसूली की जा चुकी है तथा ग्वालियर जिले में एक प्रकरण में वसूली एवं अन्य प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। आगे, विभाग ने अन्य जिलों के प्रकरणों पर कोई मत नहीं दिया।

शासन का उत्तर स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि मु.का.अ., जनपद पंचायत ने अपीलीय समिति द्वारा अपात्र घोषित करने के बाद लाभार्थियों को किस्त जारी की। इसके अलावा, विभाग ने की गई वसूली और शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रासंगिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया।

2.2.6.2(च) ग्राम सभा द्वारा अपात्र घोषित लाभार्थियों को लाभ दिया जाना

लेखापरीक्षित 60 ग्राम पंचायतों में से धार, रतलाम और ग्वालियर जिलों की 15 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि इन ग्राम पंचायतों ने 369 लाभार्थियों को पक्का आवास या मुख्यमंत्री आवास/आईएवाई के अंतर्गत लाभान्वित होने के आधार पर अपात्र के रूप में सूचीबद्ध किया। इन लाभार्थियों को स्वीकृति सूची से सत्यापन किये जाने पर, हमने देखा कि 369 अपात्र लाभार्थियों में से, 36 को पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवास के निर्माण के लिए ₹ 42.20 लाख की सहायता का भुगतान किया गया था। हमने देखा कि ग्राम सभा ने पहले से ही पक्का आवास होने या मुख्यमंत्री आवास योजना/आईएवाई के अंतर्गत लाभान्वित होने के आधार पर उन्हें अपात्र घोषित किया था, लेकिन बाद में, अंतिम प्रस्ताव में, ग्राम सभा ने इन अपात्र लाभार्थियों को पात्र घोषित किया और पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया। इन लाभार्थियों को पात्र घोषित किये जाने के कारण अभिलेख में नहीं थे।

शासन ने लेखापरीक्षा कथन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

हमने आगे देखा कि ग्वालियर जिले के ग्राम पंचायत करहिया ने 241 लाभार्थियों में से, 46 को अपात्र घोषित किया। आगे, ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव ने 46 अपात्र लाभार्थियों में से, तीन का विवरण अपात्र लाभार्थी सूची में शामिल नहीं किया तथा इन लाभार्थियों का नाम अन्तिम प्राथमिकता सूची से विलोपित नहीं किया और इन अपात्र हितग्राहियों को सहायता जारी की गई।

हमने यह भी देखा कि ग्राम पंचायत करहिया में ग्राम सभा द्वारा पात्र चिन्हित चार लाभार्थियों को अपात्र सूची में शामिल किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उनका नाम अन्तिम प्राथमिकता सूची से हटा दिया गया था, जिसके कारण वे लाभ से वंचित थे।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि ग्राम पंचायत करहिया के पंचायत सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही मु.का.अ., जिला पंचायत द्वारा प्रारंभ कर दी गई थी।

2.2.6.3 लाभार्थी प्रबंधन

2.2.6.3(क) आवास के पंजीकरण एवं स्वीकृति के दौरान प्रक्रिया का पालन न करना

पीएमएवाईजी के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क के पैरा 3.2.2 में प्रावधान है कि राज्यों को निधि का वार्षिक आवंटन और आवासों के भौतिक लक्ष्य ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना पर आधारित होंगे। मंत्रालय से अनुमोदन के बाद, राज्य को जिलावार और श्रेणीवार लक्ष्यों को अंतिम रूप देना था और आवाससॉफ्ट पर अपलोड करना था। पैरा 5.3.1 के अनुसार, वर्ष के लिए लक्ष्य की प्राप्ति के बाद लाभार्थियों को एमआईएस आवास सॉफ्ट पर पंजीकृत किया जाना था।

आवाससॉफ्ट पोर्टल पर वर्षवार एमआईएस रिपोर्ट (सी.2 श्रेणीवार स्वीकृत और पूर्ण आवास) की जांच के दौरान हमने पाया कि भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार लाभार्थियों का पंजीकरण नहीं किया गया था। वर्षवार लक्ष्य एवं पंजीयन **तालिका-2.2.6 एवं 2.2.7** में दर्शाया गया है:-

तालिका-2.2.6: पीएमएवाई-जी में आवासों का वर्षवार लक्ष्य एवं पंजीयन

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	योग
लक्ष्य	4,48,147	3,89,532	5,65,914	6,00,000	6,25,000	26,28,593
पंजीकृत	7,60,539	1,12,557	7,07,417	4,71,494	5,83,245	26,35,252
विचलन	*69.70 % अधिक*	*71.10% कमी*	*25.00% अधिक*	*21.42 % कमी*	*6.68 % कमी*	

(स्रोत: आवाससॉफ्ट पोर्टल से एमआईएस रिपोर्ट नवंबर 2021 तक की स्थिति में)

तालिका-2.2.7: लेखापरीक्षित जिलो में आवासों का वर्षवार लक्ष्य एवं पंजीयन

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	योग
लक्ष्य	1,00,301	1,02,258	1,32,106	1,50,525	1,65,546	6,50,736
पंजीकृत	1,80,801	28,912	1,50,899	1,32,869	1,59,919	6,53,400
विचलन	*80.26 % अधिक*	*71.73% कमी*	*14.23% अधिक*	*11.73 % कमी*	*3.40 % कमी*	

(स्रोत: आवाससॉफ्ट पोर्टल से एमआईएस रिपोर्ट नवंबर 2021 तक की स्थिति में)

हमने यह भी देखा कि भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने से पहले ही राज्य द्वारा लाभार्थियों को आवास स्वीकृति किया गया था। लक्ष्य के संप्रेषण की प्रारंभिक दिनांक के संदर्भ में स्वीकृति का वर्षवार ब्यौरा **तालिका-2.2.8** में दिया गया है:

तालिका-2.2.8: भारत सरकार द्वारा लक्ष्य के सम्प्रेषण से पूर्व आवास की वर्षवार स्वीकृति का विवरण

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	योग
लक्ष्य	4,48,147	3,89,532	5,65,914	6,00,000	6,25,000	26,28,593
प्रारंभिक लक्ष्य का दिनांक	23-09-2016	18-07-2017	16-05-2018	23-08-2019	22-12-2020	
लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृति	4,48,143	3,89,528	5,65,908	5,99,990	6,24,956	26,28,525
लक्ष्य के संप्रेषण से पहले आवासों की स्वीकृति (प्रतिशत)	0	3,12,915 *(80.33)*	4,50,270 *(79.57)*	3,40,122 *(56.69)*	4,06,012 *(64.97)*	15,09,319 *(57.42)*
जारी की गयी प्रथम किश्त (प्रतिशत)	0	3,04,042 *(78.05)*	4,17,997 *(73.86)*	2,51,004 *(41.83)*	304 *(0.05)*	9,73,347 *(37.03)*

(स्रोत: नवंबर 2021 तक की स्थिति में आवाससॉफ्ट पोर्टल से एमआईएस रिपोर्ट और एनआईसी से पीएमएवाई-जी डेटा)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 57 *प्रतिशत* आवास (आवंटित लक्ष्य 26.28 लाख में से 15.09 लाख) भारत सरकार द्वारा लक्ष्य संप्रेषण से पहले स्वीकृत किए गए थे। एनआईसी डेटा की जांच करने पर, हमने यह भी पाया कि 15,09,319 प्रकरणों में से 9,73,347 में लक्ष्य संप्रेषण से पहले लाभार्थियों को प्रथम किस्त जारी कर दी गई थी।

यह दर्शाता है कि पीएमएवाई-जी के दिशा-निर्देशों में लाभार्थियों के पंजीकरण और आवासों की स्वीकृति के लिए निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं किया गया था, जो मु.का.अ., जनपद पंचायत/जिला पंचायत और राज्य स्तर द्वारा निगरानी की कमी को भी दर्शाता है।

शासन द्वारा बताया गया (जुलाई 2022) कि आवास पोर्टल पर प्रावधान था कि लक्ष्य आवंटन से पूर्व लाभार्थी का पंजीयन किया जा सकता था, लेकिन आवास स्वीकृति की प्रक्रिया लक्ष्य आवंटन के बाद ही की जा सकती थी। यह भी बताया गया है कि कार्य की सुविधा के लिए, लक्ष्य आवंटन से पहले, लाभार्थियों को अधिक पंजीकृत किया जा सकता था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने आवासों के पंजीकरण के अतिरिक्त लाभार्थियों को प्रथम किश्त स्वीकृत एवं जारी की, जो कि दिशानिर्देशों के नियमों के विपरीत है।

2.2.6.3 (ख) लाभार्थी का आधारभूत विवरण आवास सॉफ्ट में दर्ज नहीं किया जाना

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क के पैरा 5.3.1 के अनुसार, पीएमएवाई-जी लाभार्थी के पंजीकरण के दौरान बैंक खाते और मनरेगा जॉब कार्ड का विवरण अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना आवश्यक था। साथ ही, पीएमएवाई-जी लाभार्थी के आधार नंबर को भी आवाससॉफ्ट पर दर्ज किया जाना था।

2.2.6.3(ख)i मनरेगा जॉब कार्ड के पंजीकरण की स्थिति

हमने एमआईएस नरेगासॉफ्ट पोर्टल पर चयनित 60 ग्राम पंचायतों में कुल स्वीकृत 18,935 पीएमएवाई-जी लाभार्थियों में से 2,000 मनरेगा जॉब कार्ड की प्रमाणिकता की जाँच की और पाया कि 1,377 जॉब कार्ड एमआईएस नरेगासॉफ्ट पोर्टल पर उपलब्ध थे, और शेष 623 मनरेगा जॉब कार्ड नंबर एमआईएस नरेगासॉफ्ट पोर्टल पर उपलब्ध नहीं थे। आगे, 1,377 जॉब कार्ड में से 1,097 जॉब कार्ड पीएमएवाई-जी लाभार्थी परिवारों से मेल खाते हैं और शेष 280 जॉब कार्ड पीएमएवाई-जी लाभार्थी के अलावा अन्य परिवार के थे।

इस प्रकार, संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव ने वास्तविक लाभार्थी का मनरेगा जॉब कार्ड दर्ज करने के स्थान पर पीएमएवाई-जी के लाभार्थी परिवार के अलावा अन्य व्यक्ति के मनरेगा जॉब कार्ड को स्वीकार किया। आगे, जनपद पंचायत स्तर पर मनरेगा जॉब कार्ड की प्रविष्टि के समय मनरेगा जॉब कार्ड की वास्तविकता की जाँच भी नहीं की गई थी।

शासन द्वारा बताया गया (जुलाई 2022) कि बिना जॉब कार्ड के लाभार्थी को आवास स्वीकृत नहीं किया जा सकता था और यह तभी स्वीकार्य था, जब लाभार्थी जॉब कार्ड धारक मुखिया का रिश्तेदार हो और उस जॉब कार्ड में उसका नाम परिवार के सदस्य के रूप में सम्मिलित हो।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एमआईएस नरेगासॉफ्ट पोर्टल में 623 मनरेगा जॉब कार्ड मौजूद नहीं थे और 280 जॉब कार्ड पीएमएवाई-जी के लाभार्थी के अलावा अन्य परिवारों के थे।

2.2.6.3(ख)ii लाभार्थियों के आधार कार्ड की स्थिति

हमने चयनित 60 ग्राम पंचायतों में 18,935 पीएमएवाई-जी लाभार्थियों में से 3,000 लाभार्थियों की एकत्र की गई जानकारी की नमूना जांच की और पाया कि 3,000 में से

2,931[13] प्रकरणों में (97.70 प्रतिशत) पंचायत सचिव ने लाभार्थियों की आधार संख्या एकत्र की।

आवाससॉफ्ट पर एमआईएस रिपोर्ट के आंकड़ों से परिलक्षित हुआ कि इन 3,000 लाभार्थियों में से केवल 847 (28.33 *प्रतिशत*) लाभार्थियों के आधार की प्रविष्टि की गयी, जबकि 97.70 *प्रतिशत* लाभार्थियों ने आधार नंबर दिया था, जो यह दर्शाता है कि लाभार्थियों की आधार संख्या ग्राम पंचायतों द्वारा एकत्र तो की गई थी, लेकिन जनपद पंचायत द्वारा आवाससॉफ्ट में इसकी प्रविष्टि नहीं की जा रही थी।

आधार नंबर की प्रविष्टि अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। आधार डी-डुप्लीकेशन माध्यम, विलोपन द्वारा फर्जी/अदृष्य लाभार्थियों से मुक्त करता है। एक बार लाभार्थी द्वारा आधार कार्ड नंबर प्रदान किये जाने पर इसे उस व्यक्ति की वास्तविक पहचान हेतु सिस्टम में दर्ज किया जाना चाहिए, जिसे लाभ प्रदान किया गया है। पंजीकरण में आधार संख्या दर्ज न करना, योजना के कार्यान्वयन में निगरानी की कमी को दर्शाता है।

शासन द्वारा बताया गया (जुलाई 2022) कि दिशानिर्देश के अनुसार आवास पोर्टल पर आधार नंबर दर्ज करना अनिवार्य नहीं है।

शासन का उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन आवास-पोर्टल पर पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के आधार नंबर की प्रविष्टि का प्रावधान है। यदि लाभार्थी से आधार नंबर प्राप्त किया गया था, तो उसे बेहतर पारदर्शिता के लिए आवास पोर्टल में दर्ज किया जाना चाहिए था।

2.2.6.3(ग) बैंक खातों की स्थिति

पीएमएवाई-जी दिशानिर्देश (पैरा 5.3.1) एवं विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश (सितंबर 2016) में उल्लेख है, कि लाभार्थी के पास कोई बैंक खाता नहीं होने की स्थिति में, लाभार्थी का बैंक खाता खोला जाना है।

हमने चयनित 60 ग्राम पंचायतों में 3,000[14] लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या का सत्यापन, बैंक भुगतान सूची से किया। हमने देखा कि 3,000 बैंक खातों में से, 2,884 बैंक खाते

---

[13] ***2,755 आधार नंबर लाभार्थियों के थे, 83 आधार नंबर लाभार्थियों के रिश्तेदारों के थे, 20 आधार नंबर अन्य व्यक्तियों के थे और 73 प्रकरणों में आधार नंबर सत्यापित नहीं किये जा सके क्योंकि या तो आधार की प्रति अभिलेख में नहीं मिली या आधार कार्ड की प्रति में नाम स्पष्ट नहीं था।***

[14] ***(520 महिलाए और 2,480 पुरुष और इसमें 1,571 एसटी, 346 एससी, 1,079 अन्य और चार अल्पसंख्यक शामिल हैं।***

लाभार्थी के थे, 88 बैंक खाते लाभार्थियों के परिवार के सदस्यों के थे, 24 बैंक खाते अन्य व्यक्तियों के थे और चार मामलों में लाभ की राशि गलत खातों (इन प्रकरणों में लाभार्थी द्वारा अन्य व्यक्ति का बैंक खाता दिया गया) में जमा की गयी।

इस प्रकार, 116 बैंक खातों (3.87 *प्रतिशत*) के प्रकरणों में, संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव ने लाभार्थी से बैंक खाते के विवरण का संग्रह सुनिश्चित नहीं किया और लाभार्थी का बैंक खाता नहीं होने पर, बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित नहीं किया। इसके अलावा, संबंधित जनपद पंचायत द्वारा बैंक खाते लाभार्थियों के होने को, सुनिश्चित नहीं किया गया, जो पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देशों/निर्देशों के विरुद्ध था तथा इससे लाभ का हस्तांतरण गलत व्यक्तियों को भी हो सकता है, जो योजना के मूल उद्देश्य को विफल कर सकता है।

शासन द्वारा बताया गया (जुलाई 2022) कि दिशानिर्देशों के अनुसार संयुक्त खाता मान्य था और पोर्टल पर गलत खाता पंजीकृत किये जाने की स्थिति में राशि की वसूली की प्रक्रिया थी। पोर्टल पर पंजीकृत खाते को एसईसीसी के अनुसार नामों के सत्यापन के लिए पीएफएमएस को भेजा जाता है और पीएफएमएस/बैंक को यह सुनिश्चित करना होता है कि आवाससॉफ्ट में दर्ज लाभार्थी का नाम खाताधारक के नाम से मेल खाता है। जिला स्तर पर किस्त का भुगतान लाभार्थी को तभी किया जाता है, जब दोनों नाम (एसईसीसी और पीएफएमएस/बैंक) का मिलान हो जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लाभ किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में, जिसका नाम लाभार्थी से मेल नहीं खाता था, हस्तांतरित किया गया था। यह इंगित करता है कि एसईसीसी और पीएफएमएस/बैंक में नामों की एकरूपता, ब्लॉक अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गयी थी।

2.2.6.3(घ) अन्य व्यक्ति को लाभ प्रदान किया जाना

पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देश (पैरा 4.4.1) निर्धारित करता है, कि यदि समावेशन गलत तथ्यों के आधार पर किया गया है, यदि परिवार ने पक्का आवास बनाया है या किसी शासकीय योजना के अंतर्गत आवास आवंटित किया गया है या सर्वेक्षण के बाद से प्रवासित है या मृत्यु हो चुकी है और कोई उतराधिकारी भी नहीं है, तो ग्राम सभा ऐसे परिवारों के नाम को सिस्टम जनित प्राथमिकता सूची से हटा देगी। साथ ही, संचालक, पीएमएवाई-जी ने जनवरी 2018 के आदेश द्वारा स्पष्ट किया कि यदि नामांकित व्यक्ति का नाम एसईसीसी डेटा में उपलब्ध नहीं है, तो एसईसीसी डेटा में शामिल करने के लिए आवश्यक विवरण विभाग को भेजे जाने थे।

ग्वालियर जिले की चयनित छः ग्राम पंचायतों में 530 लाभार्थियों के अभिलेखों की जांच से परिलक्षित हुआ, कि आवास स्वीकृत होने से पूर्व पांच लाभार्थियों की मृत्यु हो गयी थी, लेकिन एमआईएस में लाभार्थी का नाम नहीं बदला गया तथा मृत व्यक्ति के नाम पर आवास स्वीकृत किया गया था। हमने देखा कि पंजीयन के दौरान परिवार के सदस्यों/अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी (बैंक खाता आदि) एकत्रित किये गए और लाभ दिया गया। दो मामलों में एसईसीसी परिवार के सदस्य विवरण में लाभार्थियों के परिवार के सदस्य का नाम उपलब्ध नहीं था, तथापि, पीएमएवाई-जी की सहायता लाभार्थी से भिन्न व्यक्ति को प्रदान की गई थी।

शासन का उत्तर अपेक्षित है।

2.2.6.3(ङ) बिना नाम वाले लाभार्थियों को लाभ दिया जाना

आवाससॉफ्ट के आंकड़ों की जांच से परिलक्षित हुआ कि राज्य में 2016-21 के दौरान स्वीकृत 25,24,951 लाभार्थियों में से, 1,246 लाभार्थियों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। हमने पाया कि नाम के स्थान पर या तो नाम का कॉलम खाली छोड़ दिया गया था या डैश (..) दर्ज किया गया था या "अज्ञात" लिखा हुआ था। इसके अलावा, 1,246 प्रकरणों में से, 950 में लाभ जारी किया गया। यह संबंधित जनपद पंचायत और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनुश्रवण की कमी को इंगित करता है, जिन्होंने लाभार्थी के नाम की अनुपलब्धता के बावजूद लाभ स्वीकृत किया।

शासन द्वारा बताया गया (जुलाई 2022) कि आवाससॉफ्ट पोर्टल पर एसईसीसी परिवार विवरण में परिवार के सदस्यों के नाम का मिलान करके आवास का लाभ दिया जा सकता है, भले ही उस परिवार के मुखिया के नाम के स्थान पर "अज्ञात" अंकित हो।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवाससॉफ्ट पोर्टल में सत्यापित 207 में से, 119 प्रकरणों में परिवार का विवरण खाली/अज्ञात पाया गया। यह दर्शाता है कि बिना नाम/अज्ञात प्रकरणों में एसईसीसी में पारिवारिक विवरण का उल्लेख किए बिना लाभ दिया गया।

2.2.6.3(च) अवयस्क को आवास स्वीकृति किया जाना

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए जारी एफएक्यू के बिंदु क्र. 21 के अनुसार, अवयस्क को योजना के अंतर्गत आवासों को स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, एफएक्यू के बिंदु क्र. 22 में यह स्पष्ट किया गया है, कि यदि लाभार्थी अवयस्क है और उसके पिता का नाम एसईसीसी 2011 की सूची में शामिल है, तो पिता को आवास स्वीकृत किया जा सकता

है। इसके अलावा, अधिकार प्रदत्त समिति की बैठक (जून 2017) के कार्यवृत्त में अनुबद्ध है, कि जिन मामलों में अवयस्क का नाम परिवार के मुखिया के रूप में लिखा गया है, यद्यपि, माता-पिता जीवित हों, इसे एसईसीसी सर्वेक्षण के दौरान गलत डेटा फीडिंग का मुद्दा माना जा सकता है और आंकड़ों में सुधार की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षित 13 जनपद पंचायतों में अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जांच किए गए 140 मामलों[15] में से, 90 मामलों में अवयस्कों को आवास स्वीकृत किए गए थे, क्योंकि परिवार के वयस्क सदस्यों का नाम एसईसीसी सूची में परिवार के विवरण में शामिल नहीं किया गया था। एसईसीसी डेटा में परिवार के सदस्यों के विवरण को अद्यतन/सुधार किए बिना योजना के अंतर्गत अवयस्क को आवास स्वीकृत किया गया था। हालांकि, पंजीकरण के दौरान परिवार के सदस्य (वयस्क), जिनके नाम एसईसीसी 2011 सूची में नहीं थे, उनके दस्तावेज लेकर उन्हें लाभ प्रदान किया गया, जो यह दर्शाता है कि वास्तविक लाभ उस व्यक्ति को दिया गया, जिसका नाम एसईसीसी 2011 की सूची में नहीं था।

शासन द्वारा बताया गया (जुलाई 2022) कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार पात्र अवयस्क लाभार्थी को आवाससॉफ्ट पोर्टल में उसके अभिभावक की जानकारी एवं दस्तावेज दर्ज कर लाभ दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने एसईसीसी डाटा को सही नहीं किया, जैसा कि अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में निर्देशित किया गया था और अवयस्कों को आवास स्वीकृत किया गया।

2.2.6.3(छ) पीएमएवाई-जी आवास का आवंटन

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के फ्रेमवर्क के पैरा 5.3.2 के अनुसार, विधवा/अविवाहित/परित्यक्त व्यक्ति को छोड़कर आवास का आवंटन संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम पर किया जाएगा। राज्य, एकल रूप से महिला के नाम पर आवंटित करने का भी विकल्प चुन सकता है। विकलांग व्यक्ति कोटा के तहत, चयनित लाभार्थियों के मामले में, आवंटन केवल उसी व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए। वर्ष 2016-21 के दौरान स्वीकृत 25,24,951 आवासों के विभिन्न प्रकार के आवंटन का विवरण **तालिका-2.2.9** में दिया गया है:-

---

[15] ***13 ज.पं. - अलीराजपुर (6), भाबरा (79), बक्सवाहा (1), राजनगर (3), दमोह (9), हट्टा (4), नालछा (9), बीजाडंडी (2), मंडला (8), डबरा (1), खिलचीपुर (5), बाजना (11) और अमरपाटन (2)।***

तालिका-2.2.9: आवास आवंटन की स्थिति

कुल लाभार्थी	संयुक्त (पति और पत्नी)	पुरुष	विवाहित महिला	अविवाहित महिला	विधवा महिला	आवंटन विनिर्दिष्ट नहीं
25,24,951	8,87,888 *(35.16%)*	12,66,815 *(50.17%)*	1,37,280 *(5.44%)*	3,569 *(0.14%)*	2,29,273 *(9.08%)*	126

(स्रोत: एनआईसी से पीएमएवाई-जी डेटा)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि संबंधित जिला पंचायतों के मु.का.अ. ने पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क का उल्लंघन किया और पति और पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से आवंटित करने के स्थान पर 25,24,951 आवासों में से 12,66,815 (50.17 *प्रतिशत*) पुरुष लाभार्थियों को आवंटित किया।

आगे, आवाससॉफ्ट आंकड़ों की जांच से परिलक्षित हुआ, कि 3,543 आवास महिला लाभार्थियों को स्वीकृत किए गए थे, लेकिन उन्हें आवास के आवंटन के प्रकार में पुरुष को आवंटित दिखाया गया था। यह योजना के प्रामाणिक डाटाबेस के लिए मु.का.अ., जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों द्वारा आवास की स्वीकृति के समय तथ्यों के सत्यापन की कमी को इंगित करता है।

शासन द्वारा बताया गया (जुलाई 2022) कि योजनान्तर्गत आवास की स्वीकृति सामान्यत: संयुक्त रूप से आवंटित की गयी थी, परन्तु महिलाओं के प्रवासित होने या परिवार में कोई महिला नहीं होने या दूरस्थ क्षेत्र में रहने के कारण महिलाओं के बैंकिंग सुविधा का उपयोग करने में असमर्थता के कारण से पुरूषों को आवास स्वीकृत किया गया। यह भी बताया गया है, कि महिला या संयुक्त नामों पर आवास स्वीकृत करने का प्रयास किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि योजना के दिशा-निर्देशों के विपरीत 50 *प्रतिशत* से अधिक आवास पुरुषों को स्वीकृत किये गये थे।

2.2.6.4 राज्य में योजना की भौतिक प्रगति

2.2.6.4 (क) लक्ष्य और उपलब्धि

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के फ्रेमवर्क के पैरा 5.6.2 के अनुसार, आवासों का निर्माण, स्वीकृति दिनांक से 12 माह के अन्दर पूरा किया जाना था।

आवाससॉफ्ट की 11 नवंबर 2021 को रिपोर्ट के आधार पर पीएमएवाई-जी के तहत आवासों के निर्माण के लक्ष्य और उपलब्धि की वर्षवार स्थिति नीचे **तालिका-2.2.10** और **2.2.11** में दी गई है:

तालिका-2.2.10: राज्य में पीएमएवाई-जी आवासों के लक्ष्य और उपलब्धि

वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत आवासों की संख्या	कुल पूर्ण आवास	पूर्णता *प्रतिशत*	अपूर्ण आवासों की संख्या
2016-17	4,48,147	4,48,143	4,31,258	96.23%	16,885
2017-18	3,89,532	3,89,528	3,77,671	96.96%	11,857
2018-19	5,65,914	5,65,908	5,51,736	97.50%	14,172
2019-20	6,00,000	5,99,990	5,34,912	89.15%	65,078
2020-21	6,25,000	6,24,956	2,68,945	43.03%	3,56,011
योग	**26,28,593**	**26,28,525**	**21,64,522**	**82.35%**	**4,64,003**

(स्रोत: एमआईएस रिपोर्ट आवाससॉफ्ट पोर्टल 11 नवंबर 2021 की स्थिति में)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, कि वर्ष 2016-21 के दौरान स्वीकृत 26,28,525 आवासों में से 21,64,522 आवास (82.35 *प्रतिशत*) पूर्ण हो चुके थे तथा 4,64,003 आवास (17.65 *प्रतिशत*) अपूर्ण रहे ।

तालिका-2.2.11: चयनित जिलों में पीएमएवाई-जी आवासों के लक्ष्य और उपलब्धि

वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत आवासों की संख्या	कुल पूर्ण आवास	पूर्णता प्रतिशत	अपूर्ण आवासों की संख्या
2016-17	1,00,301	1,00,301	96,484	96.19%	3,817
2017-18	1,02,258	1,02,258	99,044	96.86%	3,214
2018-19	1,32,106	1,32,106	1,29,267	97.85%	2,839
2019-20	1,50,525	1,50,523	1,34,752	89.52%	15,771
2020-21	1,65,546	1,65,527	75,269	45.47%	90,258
योग	**6,50,736**	**6,50,715**	**5,34,816**	**82.19%**	**1,15,899**

(स्रोतः एमआईएस रिपोर्ट आवाससॉफ्ट पोर्टल 11 नवंबर 2021 कि स्थिति में)

आगे, लेखापरीक्षित 10 जिलों में, 2016-21 के दौरान स्वीकृत 6,50,715 आवासों के विरुद्ध 5,34,816 आवासों (82.19 *प्रतिशत*) का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 1,15,899 आवास (17.81 *प्रतिशत*) अपूर्ण थे ।

आवास अपूर्ण होने से भारत सरकार की मुख्य योजना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

2.2.6.4 (क)i अपूर्ण आवास

आवाससॉफ्ट की 11 नवंबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, 2016-20 के दौरान कुल 1,07,992 आवास अपूर्ण थे। पीएमएवाई-जी के एनआईसी डेटा के अनुसार, मार्च 2021 से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान अपूर्ण आवासों की चरणवार स्थिति और निर्माण की प्रगति **तालिका-2.2.12** में दी गई है:-

तालिका-2.2.12: अपूर्ण आवासों का चरणवार विवरण

वर्ष	एनआईसी डेटा के अनुसार मार्च 2021 तक पूर्णता का स्तर				आवाससॉफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार अपूर्ण आवास (नवंबर 2021)	मार्च से नवंबर 2021 के मध्य पूर्ण (5-6)	पूर्णता % (7/5) * 100
	स्वीकृत आवास	प्लिंथ	लिंटल	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8
2016-17	8,053	4,917	5,348	18,318	16,885	1,433	7.82%
2017-18	4,626	3,760	4,942	13,328	11,857	1,471	11.04%
2018-19	5,156	4,310	6,910	16,376	14,172	2,204	13.46%
2019-20	24,047	43,923	58,039	1,26,009	65,078	60,931	48.35%
महायोग	**41,882**	**56,910**	**75,239**	**1,74,031**	**1,07,992**	**66,039**	**37.95%**

(स्रोत: नवंबर 2021 की स्थिति में एमआईएस रिपोर्ट आवाससॉफ्ट पोर्टल और एनआईसी से पीएमएवाई-जी डेटा)

उपरोक्त तालिका के **कॉलम 8** से यह देखा जा सकता है, कि 2016-17 के दौरान स्वीकृत आवासों का पूर्णता *प्रतिशत* 2019-20 के दौरान स्वीकृत आवासों के पूर्णता *प्रतिशत* (48.35 *प्रतिशत*) की तुलना में बहुत कम (7.82 *प्रतिशत*) था।

आगे, लेखापरीक्षित 10 जिलो में अपूर्ण आवासों की चरणवार स्थिति **तालिका-2.2.13** में दी गई है:-

तालिका-2.2.13: लेखापरीक्षित जिलो में चरणवार अपूर्ण आवास

वर्ष	पूर्णता स्तर मार्च 2021 तक एनआईसी डेटा के अनुसार				आवाससॉफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार अपूर्ण आवास (नवंबर 2021)	मार्च से नवंबर 2021 के बीच पूर्ण (5-6)	पूर्णता % (7/5) * 100
	आवास स्वीकृत	प्लिंथ	लिंटल	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8
2016-17	2,007	1,011	1,177	**4,195**	3,817	378	9.01%
2017-18	1,155	1,027	1,471	**3,653**	3,214	439	12.02%
2018-19	1,025	885	1,530	**3,440**	2,839	601	17.47%
2019-20	5,477	11,182	14,645	**31,304**	15,771	15,533	49.62%
कुल योग	**9,664**	**14,105**	**18,823**	**42,592**	**25,641**	**16,951**	**39.80%**

(स्रोत: चयनित पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेख)

उपरोक्त तालिका के **कॉलम 8** से देखा जा सकता है, कि 2016-17 के दौरान स्वीकृत आवासों का पूर्णता *प्रतिशत* 2019-20 के दौरान स्वीकृत आवासों के पूर्णता *प्रतिशत* (49.62 *प्रतिशत*) की तुलना में बहुत कम (9.01 *प्रतिशत*) था। चूंकि, निर्माण में विलम्ब के साथ पूर्ण होने में समस्याए बढ़ जाती है और समय के साथ लागत मूल्य भी बढ़ती है तथा विलम्ब के परिणामस्वरूप, सहायता राशि उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओ या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यय कर दी जाती है। इस प्रकार का विलंबित निर्माण जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत स्तरों पर पर्यवेक्षण की कमी को दर्शाता है।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2022) कि आवासो का अपूर्ण रहने का मुख्य कारण लाभार्थी का पलायन, आवास बनाने की अनिच्छा, मृत्यु के बाद कोई कानूनी उत्तराधिकारी का नहीं होना आदि था।

2.2.6.4(क)ii पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवासों को पूर्ण करने की समयबद्धता

एनआईसी के आंकड़ों के अनुसार, 2016-17 से 2019-20 के दौरान 20,01,984 आवासों की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से 18,27,952 आवासों का निर्माण पूर्ण हो गया था। आवासों के पूर्ण होने की समयबद्धता **तालिका-2.2.14** में दर्शाई गई है:-

तालिका-2.2.14: पीएमएवाई-जी में आवासों के पूर्ण होने की स्थिति

	कुल पूर्ण आवास	12 माह के भीतर	12-18 माह	18-24 माह	24 माह से अधिक	अन्य मुद्दे
राज्य	18,27,952	15,77,113	1,61,618	55,733	33,423	65[16]
लेखापरीक्षित जिले	4,42,115	3,78,851	40,042	14,159	9,053	10

(स्रोत: एनआईसी द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, कि 2,50,774 आवास (13.72 *प्रतिशत*), 12 माह की निर्धारित समय सीमा से परे, एक से 1,180 दिनों के विलम्ब से पूर्ण किए गए थे।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2022) कि अपूर्ण आवासों के कारणों में लाभार्थी का पलायन, मकान बनाने की अनिच्छा, मृत्यु के बाद कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं होना आदि हैं।

2.2.6.4(ख) संयुक्त भौतिक निरीक्षण

चयनित ग्राम पंचायतों में 900[17] आवासों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया। इन 900 आवासों में से 744 पूर्ण थे और 156 आवास अपूर्ण थे।

2.2.6.4(ख)i संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पूर्ण आवासों की स्थिति

चयनित 744 पूर्ण आवासों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के परिणाम नीचे **तालिका-2.2.15** में दिए गए हैं:

---

[16] *64 मामलों में आवास पूर्ण दिखा रहे हैं लेकिन निरीक्षण की तारीख दर्ज नहीं की गई है क्योंकि एनआईसी से डेटा 18 मार्च 2021 को निकाला गया था। 01 मामले में, आवास पूरा नहीं था, लेकिन प्रस्तावित साइट के बजाय आवास की मंजूरी से पहले पूर्ण फोटो अपलोड किया गया था।*

[17] *156 अनुसूचित जाति, 447 अनुसूचित जनजाति, 296 अन्य एवं 01 अल्पसंख्यक लाभार्थी शामिल हैं। नमूने में विभिन्न श्रेणियों में 729 पुरुष और 171 महिला लाभार्थी थे।*

तालिका-2.2.15: पूर्ण आवास की स्थिति

जिला	ब्लाको की संख्या	ग्राम पंचायतो की संख्या	आवाससॉफ्ट के अनुसार पूर्ण आवास	निवास के लिए प्रयुक्त आवास	आवास उपयोग में नहीं			वाहन वाले लाभार्थियों की संख्या
					आवासों का उपयोग निवास के लिए नहीं	अपूर्ण आवास	आवासीय भवन के अलावा अन्य संरचना का निर्माण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अलीराजपुर	02	06	87	87	00	00	00	00
छतरपुर	02	06	72	65	00	07	00	01
दमोह	02	06	78	77	00	01	00	00
धार	02	06	60	52	04	04	00	01
गुना	02	06	88	88	00	00	00	00
ग्वालियर	02	06	80	79	00	00	01	04
मंडला	02	06	77	77	00	00	00	00
राजगढ़	02	06	59	55	03	01	00	11
रतलाम	02	06	75	68	01	06	00	02
सतना	02	06	68	67	01	00	00	00
योग	**20**	**60**	**744**	**715**	**09**	**19**	**01**	**19**
प्रतिशत				***96.10***	***1.21***	***2.55***	***0.13***	***2.55***

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि,

(i) योजनान्तर्गत निर्मित पक्के आवास में 715 लाभार्थी (96.10 *प्रतिशत*) रह रहे हैं।

(ii) नौ[18] आवास (1.21 *प्रतिशत*) लाभार्थियों द्वारा आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किए जा रहे थे (***परिशिष्ट-2.2.4)***। **केस स्टडी 1** के रूप में एक उदाहरणात्मक प्रकरण दिया गया है।

[18] *02 प्रकरणों में मवेशी, 02 प्रकरणों में सामग्री भण्डारण और 05 प्रकरणों में किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं थे।*

केस स्टडी-1	
	ब्यावरा ब्लाक (जिला राजगढ़) की ग्राम पंचायत पहाड़गढ़ में संयुक्त भौतिक सत्यापन दिनांक 15 अक्तूबर 2021 को पाया गया कि लाभार्थी (पीएमएवाईजी आईडी-एमपी 1285765) आवास में नहीं रह रहा था और आवास का उपयोग अनाज और उपलों के भंडारण के लिए कर रहा था।

(iii) आवाससॉफ्ट में 19 आवास (2.55 *प्रतिशत*) जिन्हें 'पूर्ण' दिखाया गया था, अपूर्ण पाए गए ***(परिशिष्ट-2.2.5)***। समस्त किस्तों का उपभोग करने के बाद भी आवास अपूर्ण थे। यह देखा गया कि भ्रामक जियो-टैगिंग का उपयोग करते हुए आवाससॉफ्ट पर आवासों को 'पूर्ण' दिखाया गया था। **केस स्टडी 2** उदाहरण स्वरुप दी गयी है। यह आवास को पूर्ण किए बिना पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए डेटा/फोटोग्राफ के भ्रामक अपलोडिंग/धोखाधड़ी और उस सीमा तक भौतिक प्रगति की रिपोर्टिंग में आधिक्य को इंगित करता है।

केस स्टडी-2	
ग्राम पंचायत इमलीपुरा, ब्लॉक नालछा (जिला धार) में लाभार्थी की संयुक्त भौतिक निरीक्षण (एमपी 2310281) से परिलक्षित हुआ कि आवास की आधी तस्वीर आवाससॉफ्ट में पूर्ण के रूप में जीओ-टैग की गई थी, जबकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया था कि आवास केवल लिंटेल स्तर तक पूर्ण किया गया था।	
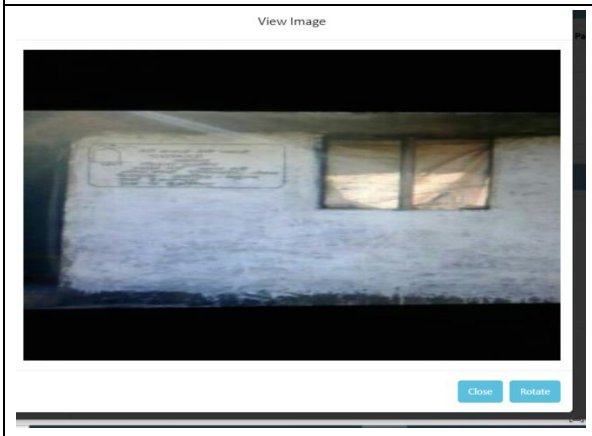	
26-12-2017 को आवाससॉफ्ट पर जियोटैग्ड पूर्ण आवास	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि: 06.09.2021

(iv) एक लाभार्थी ने आवास के बजाय गैरेज का निर्माण किया और गैरेज के फोटोग्राफ अपलोड किया गया। **केस स्टडी 3** में प्रकरण दर्शाया गया है।

केस स्टडी-3	
	भितरवार ब्लाक (जिला ग्वालियर) के ग्राम पंचायत सोताखिरिया में दिनांक 29.10.2021 को संयुक्त भौतिक निरीक्षण (पीएमएवाईजी आईडी-एमपी 2696922), लाभार्थी ने आवास के बजाय गैरेज का निर्माण किया।

(v) 19 लाभार्थी (2.55 *प्रतिशत*) ***(परिशिष्ट-2.2.6)*** पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवास के लिए पात्र नहीं थे, क्योंकि दो लाभार्थियों के पास मोटर कार थी, एक के पास ट्रैक्टर था और 16 लाभार्थियों के नाम पर मोटरसाइकिल/मोपेड थी। यह स्वत: सत्यापन बहिष्करण प्रक्रिया में कमी को दर्शाता है। उदाहरण स्वरुप **केस स्टडी 4** में प्रकरण दर्शाया गया है।

केस स्टडी-4	
	29.10.2021 को ज.प. डही (जिला धार) के ग्राम पंचायत धरमराई में संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि, लाभार्थी (एमपी 5548571) के स्वामित्व में मारुति अर्टिगा (एमपी 11सीसी 6416) है, जिसका पंजीकरण 17 जून 2019 को हुआ था। इसके बावजूद दिनांक 26 दिसम्बर 2020 को लाभार्थी को पीएमएवाईजी आवास स्वीकृत किया गया।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई एवं नवम्बर 2022) कि धार जिले में आवास, आवासीय उद्देशय हेतु लाभार्थियों के प्रवास किए जाने के कारण उपयोग नहीं किए जा रहे थे। इसके अलावा, ग्राम पंचायत सोताखिरिया, ग्वालियर में लाभार्थी ने गैरेज का निर्माण किया, लेकिन उसका उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिए कर रहा है। आगे यह कहा कि जिला धार के जनपद पंचायत डही में लाभार्थी के आधिपत्य में चार पहिया वाहन पाए जाने के लिए ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित शेष मुद्दों पर शासन ने प्रासंगिक/विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

2.2.6.4(ख)ii संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान अपूर्ण आवासों की स्थिति

156 अपूर्ण आवासों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के परिणाम **तालिका-2.2.16** में दिए गए हैं:

तालिका-2.2.16: संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान अपूर्ण आवासों की स्थिति

जिला	ज.प. की संख्या	ग्राम पंचायतो की संख्या	आवाससॉफ्ट के अनुसार अपूर्ण आवासों की संख्या	संयुत भौतिक निरीक्षण के दौरान पूर्ण पाए गए आवासों की संख्या	अपूर्ण आवास			
					कार्य प्रगतिरत	लाभार्थी की मृत्यु	लाभार्थी का अन्य स्थान पर रहना	अन्य कारण
अलीराजपुर	01	02	03	00	00	00	00	03
छतरपुर	02	06	18	00	04	00	02	12
दमोह	02	06	12	00	09	00	00	03
धार	02	06	30	00	07	00	02	21
गुना	01	01	02	00	00	00	00	02
ग्वालियर	02	05	10	00	03	04	00	03
मंडला	02	06	13	00	13	00	00	00
राजगढ़	02	05	31	05	01	01	05	19
रतलाम	02	04	15	00	01	00	01	13
सतना	02	06	22	00	00	00	04	18
योग	**18**	**47**	**156**	**05**	**38**	**05**	**14**	**94**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि,:

(i) 38 प्रकरणों (24.36 *प्रतिशत*) में निर्माण कार्य प्रगति पर था।

(ii) 14 प्रकरणों में लाभार्थियों के स्थायी रूप से बाहर रहने तथा 5 प्रकरणों में मृत्यु के कारण 19 लाभार्थियों के आवास पूर्ण नहीं हो सके।

(iii) 94 लाभार्थियों (60.26 *प्रतिशत*) ने धन की कमी, पारिवारिक विवाद, बड़े आकार के आवास का निर्माण, लाभार्थी की अनिच्छा आदि के कारण से आवास निर्माण नहीं किया गया।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2022) कि बड़े आकार के आवास निर्माण, प्रवास, मृत्यु आदि के कारण आवास अपूर्ण थे। आगे बताया गया कि शेष अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे थे।

2.2.6.4 (ग) अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण

आवास निर्माण के लिए सहायता के साथ मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने के लिए भारत सरकार एवं राज्य की विद्यमान योजनाओं के अभिसरण सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। जिसमें शौचालय निर्माण, मनरेगा अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 90 मानव दिवस/आई.ई.पी. जिलों में 95 मानव दिवस की सहायता, स्वच्छ पेय जल, विद्युत् संयोजन, एल.पी.जी. गैस कनेक्शन आदि सम्मिलित हैं।

संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पूर्ण आवासों में उपलब्ध विभिन्न मूलभूत सुविधाओं की स्थिति **तालिका-2.2.17** में दी गई है:-

तालिका-2.2.17: भौतिक रूप से निरीक्षित पूर्ण आवासों में अभिसरण की स्थिति

जिला	ब्लॉक	ग्राम पंचायतो की संख्या	सर्वेक्षण किए गए परिवारों की संख्या	जिन परिवारों में शौचालय है	सुरक्षित पेयजल तक पहुंच	विद्युत संयोजन	एलपीजी कनेक्शन	सड़क संपर्क
अलीराजपुर	02	06	87	86	84	87	77	81
छतरपुर	02	06	72	57	57	72	60	72
दमोह	02	06	78	72	52	72	63	78
धार	02	06	60	32	25	56	18	54
गुना	02	06	88	71	36	72	83	88
ग्वालियर	02	06	80	62	77	80	68	80
मंडला	02	06	77	74	71	77	62	77
राजगढ़	02	06	59	32	30	49	53	56
रतलाम	02	06	75	34	24	68	43	58
सतना	02	06	68	40	43	64	29	65
योग	**20**	**60**	**744**	**560**	**499**	**697**	**556**	**709**
सर्वेक्षण किए गए परिवारों की संख्या पर प्रतिशत				**75.27%**	**67.07 %**	**93.68%**	**74.73 %**	**95.30 %**

पीएमएवाई-जी के साथ अन्य योजनाओं के अभिसरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा अनुवर्ती पैरा में की गई है।

2.2.6.4(ग)i शौचालय का निर्माण

शौचालय के निर्माण को पीएमएवाई-जी आवास का अभिन्न अंग बनाया गया। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा या अन्य किसी समर्पित वित्तपोषण स्रोतों से धन के माध्यम से लाभार्थियों को शौचालय प्रदान किया जाएगा। शौचालय निर्माण के उपरांत ही आवास को पूर्ण माना जाएगा।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 744 पूर्ण आवासों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में, लेखापरीक्षा ने देखा कि 560 आवासों (75.27 *प्रतिशत*) में शौचालय थे, जबकि 184 आवासों (24.73 *प्रतिशत*) में शौचालय नहीं पाए गए थे। फिर भी इन आवासों को 'पूर्ण' दिखाया गया (देखें तालिका-17), जबकि फ्रेमवर्क के अनुसार शौचालय का निर्माण पूर्ण होने के बाद ही आवास को 'पूर्ण' माना जाना था।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि स्वच्छ भारत मिशन एक दशक पहले से क्रियाशील था और यदि लाभार्थी को पूर्व में शौचालय का लाभ दिया जा चुका था, तो दोबारा लाभ नहीं दिया जा सकता था।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि 184 आवास शौचालय विहीन पाए गए थे तथा आवास को पूर्ण मानने के पूर्व शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करना विभाग का उत्तरदायित्व था।

2.2.6.4(ग)ii स्वच्छ पेयजल तक पहुंच

पीएमएवाई-जी के लाभार्थी को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडव्लूपी) या अन्य किसी समरूप योजनाओं के अभिसरण से स्वच्छ पेयजल तक पहुंच प्रदान करना चाहिए था।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 744 पूर्ण आवासों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण से परिलक्षित हुआ कि 499 (67.07 *प्रतिशत*) आवासों का अभिसरण के माध्यम से या उनकी स्वयं की व्यवस्था[19] के माध्यम से स्वच्छ पेयजल तक पहुंच थी। 215 (28.90 *प्रतिशत*) आवासों में नदी, कुएँ आदि के माध्यम से पेयजल तक पहुँच थी। शेष 30 आवासों को स्वच्छ पेयजल तक पहुँचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था (**तालिका-2.2.17**)।

---

[19] ***नलकूप, हैंडपंप, बोरवेल आदि।***

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि लाभार्थियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने पीएमएवाई-जी के प्रत्येक आवास में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित नहीं किया।

2.2.6.4(ग)iii लाभार्थी के आवासों में विद्युत संयोजन

पीएमएवाई-जी लाभार्थी के आवासों को विद्युत संयोजन प्रदान करने के लिए, विद्युत मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और अन्य संबंधित योजनाओं के साथ अभिसरण को फ्रेमवर्क में प्रस्तावित किया गया था।

744 पूर्ण आवासों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण से परिलक्षित हुआ, कि 697 आवासों (93.68 *प्रतिशत*) में या तो अभिसरण के माध्यम से या उनकी स्वयं की व्यवस्था से विद्युत संयोजन था। इस प्रकार, 47 निर्मित आवास (6.32 *प्रतिशत*) बिना विद्युत संयोजन के थे (**तालिका-2.2.17**)।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा कथन पर उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.2.6.4(ग)iv लाभार्थियों को स्वच्छ और प्रभावी भोजन पकाने के ईंधन

पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को स्वच्छ एवं अधिक प्रभावी भोजन पकाने के ईंधन प्रदान करने के लिए, राज्य को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन प्रदाय करने का प्रयास करना चाहिए।

744 पूर्ण आवासों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में, यह पाया गया कि 556 (74.73 *प्रतिशत*) आवासों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए थे और 188 आवासों (25.27 *प्रतिशत*) में कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं था **(तालिका-2.2.17)**।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा गया (जुलाई 2022) कि पात्रतानुसार उज्ज्वला योजना का लाभ लाभार्थियों को धीरे-धीरे दिया जा रहा था।

2.2.6.4(ग)v पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवासों का सड़क के साथ संयोजन

राज्य, मनरेगा के साथ अभिसरण के माध्यम से, पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों के लिए समूह/व्यक्तिगत सुविधाएं जैसे आवास स्थलों का विकास, बायो फेंसिंग, पक्के रास्ते, पहुंच मार्ग या आवास की सीढ़ियां, मृदा संरक्षण व सुरक्षात्मक कार्य आदि विकसित कर सकते हैं।

744 पूर्ण आवासों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण से परिलक्षित हुआ, कि नवंबर 2021 तक 709 आवासों (95.30 *प्रतिशत*) में सड़क संपर्क था, जबकि 35 आवासों (4.70 *प्रतिशत*) में अभी भी सड़क संपर्क की आवश्यकता थी **(तालिका-2.2.17)**।

शासन ने लेखापरीक्षा कथन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

2.2.6.4.3(ग)vi मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान में अनियमितताएं

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क के पैरा 8.1 (बी) के अनुसार, यह अनिवार्य किया गया है कि पीएमएवाई-जी के लाभार्थी मनरेगा के साथ अभिसरण के अंतर्गत आवास के निर्माण के लिए अकुशल श्रम के संबंध में वर्तमान दरों पर 90[20] मानव दिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करेगा। आवाससॉफ्ट और नरेगासॉफ्ट के मध्य सर्वर टू सर्वर इंटीग्रेशन विकसित किया गया है, जिससे कि आवाससॉफ्ट पर आवास की स्वीकृति जारी होने पर नरेगासॉफ्ट पर आवास के निर्माण के लिए कार्य स्वतः सृजित हो जाए।

• आवास निर्माण कि किस्त जारी हुए बिना मनरेगा मजदूरी का प्रदाय

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान राज्य में कुल 25,24,951 प्रकरणों में से, 1,416 प्रकरणों में, आवासों के निर्माण के लिए पीएमएवाई-जी में लाभार्थियों को कोई किस्त जारी न होने के बावजूद मजदूरी राशि ₹ 12 से ₹ 30,798 (कुल राशि ₹ 1,09,47,287) का भुगतान किया गया था ।

• आवासों की पूर्णता के पश्चात् मनरेगा मजदूरी का भुगतान न होना

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान 18,27,983 पूर्ण आवासों में से, 76,917 लाभार्थियों (4.21 *प्रतिशत*) को मनरेगा मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था।

• अतिरिक्त मानव दिवसों के लिए मनरेगा मजदूरी प्रदान किया जाना

यह पाया गया, कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान कुल स्वीकृत 25,24,951 प्रकरणों में से, 1,30,095 प्रकरणों में, पात्र 90/95 दिवसों की तुलना में 8,52,556 मानव दिवसों का अधिक भुगतान किया गया था।

---

[20] ***पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों में 95 व्यक्ति दिवस।***

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2022) गया कि लेखापरीक्षा सुझावों को भविष्य में ध्यान में रखा जाएगा।

2.2.6.5 अनुश्रवण एवं निरीक्षण

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के साथ एक से अधिक-एजेंसी और बहु-स्तरीय अनुश्रवण किया जाना है।

2.2.6.5(क) अनुश्रवण की कमी

दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रथम निरीक्षण स्वीकृति के दिनांक से तीन माह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक प्रथम निरीक्षण करने और आवाससॉफ्ट पर फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए उत्तरदायी हैं।

एनआईसी द्वारा प्रदान किए गए डेटा के अनुसार, राज्य में 2016-21 के दौरान कुल 25,24,951 स्वीकृतियों में से, मार्च 2021 तक, 23,97,563 आवासों में प्रथम निरीक्षण किया जाना था। विभाग द्वारा किए गए प्रथम निरीक्षण की स्थिति **तालिका-2.2.18** में दी गई है:

तालिका-2.2.18: पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के प्रथम निरीक्षण की स्थिति

वर्ष	03 माह के भीतर	03-05 माह	05 माह से अधिक	कोई निरीक्षण नहीं	स्वीकृति से पूर्व निरीक्षण	योग
2016-17	2,22,690	1,38,454	77,903	9,020	5	**4,48,072**
2017-18	3,02,159	52,753	29,716	4,876	34	**3,89,538**
2018-19	4,68,999	59,764	31,285	5,070	24	**5,65,142**
2019-20	4,24,271	89,151	61,220	23,674	1	**5,98,317**
2020-21	7,044	11,160	927	3,77,361	2	**3,96,494**
योग	**14,25,163 (59.44%)**	**3,51,282 (14.65%)**	**2,01,051 (8.39%)**	**4,20,001 (17.52%)**	**66**	**23,97,563**

(स्रोत: एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा)

जैसा कि ऊपर ब्यौरा दिया गया है कि 5,52,333 प्रकरणों (23.04 *प्रतिशत*) में प्रथम निरीक्षण तीन माह के बाद, एक से 1,452 दिनों के विलम्ब से किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, लाभार्थियों को निर्माण कार्य निरंतर रखने के लिए आवश्यक दूसरी किस्त जारी करने में विलम्ब हुआ। स्वीकृति के तीन माह बाद भी, 4,20,001 प्रकरणों (17.52 *प्रतिशत*) में कोई निरीक्षण नहीं किया गया। यह मु.का.अ., जिला पंचायत/जनपद पंचायत द्वारा उचित अनुश्रवण में कमी को दर्शाता है।

शासन द्वारा बताया गया (जुलाई 2022) कि लाभार्थी द्वारा आवासों का समय से निर्माण नहीं किये जाने के कारण आवासों की जिओ टैगिंग नहीं की गई थी। आगे यह बताया गया, कि लाभार्थी द्वारा प्लिंथ स्तर निर्माण न किये जाने के कारण द्वितीय किस्त विलंबित हुई और प्रथम क़िस्त का उपयोग व्यक्तिगत आवश्यकता हेतु किया गया या लाभार्थी लम्बी अवधि तक प्रवासित था।

उत्तर स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित समय के भीतर प्रथम निरीक्षण नहीं किया गया था।

2.2.6.5(ख) फोटोग्राफ अपलोड करने में अनियमितताएं

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क के अनुसार, आवास के निर्माण से पहले, निर्माण के दौरान और निर्माण के बाद, प्रत्येक आवास के फोटोग्राफ ली जानी चाहिए। मोबाइल एप्लिकेशन "आवास ऐप" का उपयोग जियो-रेफरेंस्ड और टाइम स्टैम्प्ड फोटोग्राफ लेने और आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने मे किया जा सकता है। लाभार्थी को सहायता आवाससॉफ्ट पर अपलोड किए गए निर्माण के चरण की फोटोग्राफ के आधार पर जारी किया जाना है। फोटोग्राफ अपलोड करने का कालानुक्रमिक चरण है:

1. मौजूदा स्थल
2. प्रस्तावित स्थल
3. आवास स्वीकृत (पहली किस्त जारी किया जाना)
4. प्लिंथ (दूसरी किस्त जारी करना)
5. लिंटल (तीसरी किस्त जारी करना)
6. पूर्ण (चौथी किस्त जारी)

मध्य प्रदेश में वर्ष 2016-21 के दौरान 25,24,951 स्वीकृत प्रकरणों में निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गयीं:-

- आवाससॉफ्ट पर 70 प्रकरणों में केवल पूर्णता स्तर के फोटोग्राफ अपलोड किए गए थे।
- 2,262 प्रकरणों में प्लिंथ स्तर फोटोग्राफ अपलोड किए बिना दूसरी किस्त जारी की गई थी। 2,262 में से, 908 प्रकरणों में दूसरी किस्त जारी होने के बाद एक से 1,192 दिनों के विलम्ब से प्लिंथ स्तर के फोटोग्राफ अपलोड किए गए थे।

- 710 प्रकरणों में लिंटेल स्तर के फोटोग्राफ अपलोड किए बिना, तीसरी किस्त जारी की गई। 710 में से, 239 प्रकरणों में लिंटेल स्तर के फोटोग्राफ तीसरी किस्त जारी होने के बाद, दो से 1,272 दिनों के विलम्ब से अपलोड किए गए थे।
- 20 प्रकरणों में पूर्णता स्तर की फोटोग्राफ अपलोड किए बिना, अंतिम किस्त जारी की गई थी। 20 में से, 5 प्रकरणों में पूर्णता स्तर के फोटोग्राफ अंतिम किस्त जारी होने के बाद, 17 से 87 दिनों के विलम्ब से अपलोड किए गए थे।
- 1,001 प्रकरणों में प्लिंथ स्तर फोटोग्राफ अपलोड करने से पहले लिंटल स्तर की फोटोग्राफ अपलोड किए गए थे। आगे, 56 प्रकरणों में लिंटेल स्तर के फोटोग्राफ अपलोड करने से पहले पूर्णता स्तर के फोटोग्राफ अपलोड किए गए थे।
- 5,741 प्रकरणों में प्लिंथ और लिंटल स्तर की फोटोग्राफ, एक ही दिन में अपलोड किए गए और 8,794 प्रकरणों में एक ही दिन में लिंटल और पूर्णता स्तर के फोटोग्राफ अपलोड किए गए।

इस प्रकार, आगामी किस्तें आवास निर्माण के चरणों के सत्यापन के बिना जारी की गयी, जो अनुश्रवण की कमी को दर्शाता हैं।

शासन द्वारा बताया गया (जुलाई 2022), कि वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की अवधि में हितग्राहियों को तीन किस्तों में राशि का भुगतान किया गया था। इसलिए, कुछ प्रकरणों में यह संभव है, कि अंतिम किस्त आवास की पूर्णता स्तर का फोटोग्राफ अपलोड किये बिना ही जारी की गई हों।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आगामी किस्तें आवास सॉफ्ट पोर्टल में आवास के आवश्यक स्तर के फोटोग्राफ का अपलोड किये जाने को सुनिश्चित किए बिना, जारी की गई थीं।

2.2.6.5(ग) जीआई टैगिंग में कमियां

दिशा-निर्देशों के अनुसार, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्मित आवासों की भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैगिंग की जानी है। आवास एप के माध्यम से निरीक्षक या लाभार्थी द्वारा लिए गए एवं आवाससॉफ्ट पर अपलोड भू-संदर्भित, टाइम एवं डेट स्टेम्प वाले फोटोग्राफ के माध्यम से धरातल स्तर पर चरणवार, निर्माण की भौतिक प्रगति का सत्यापन और निगरानी की जाती है।

हमने लेखापरीक्षित 10 जिलों के 6,24,053 लाभार्थियों के जीआई टैगिंग (पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्मित आवासों के जियो लोकेशन का डेटा एकत्रित किया और उनका विश्लेषण

पावर बीआई और एमएस एक्सेल में किया। हमने देखा कि निर्माण के विभिन्न स्तरों पर एक ही आवास की जियो टैगिंग, जो आवासऐप[21] के यूजर मैनुअल के अनुसार अनुमत्य 25 मीटर की यथार्थता के भीतर होनी चाहिए थी, से भिन्न थी। हमने देखा कि पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्मित आवासों की जीआई टैग की गई फोटोग्राफ को 25 मीटर की अनुमत्य सीमा से परे क्लिक किया गया था, जैसा कि **तालिका-2.2.19** में वर्णित है।

तालिका-2.2.19: जीआई फोटोग्राफ की दूरी दर्शाये जाने का विवरण

आवासों की कुल संख्या	निर्माण स्तर	किसी भी स्तर पर कोई जियो टैगिंग नहीं की गयी	0-25 मीटर	26-100 मीटर	101-500 मीटर	500 मीटर से अधिक
4,79,675	प्रस्तावित स्थल से प्लिंथ स्तर	397 (0.08%)	2,94,184 (61.33%)	55,643 (11.60%)	39,465 (8.23%)	89,986 (18.76%)
4,61,590	प्लिंथ-लिंटेल स्तर	532 (0.12%)	3,74,599 (81.15%)	34,240 (7.42%)	20,658 (4.47%)	31,561 (6.84 %)
4,42,117	लिंटेल- पूर्णता स्तर	155 (0.04%)	3,42,147 (77.39%)	33,131 (7.49%)	24,760 (5.60%)	41,924 (9.48%)

(स्रोत: एनआईसी द्वारा प्रदान किया गया जियो टैग डेटा)

यह योजना के कार्यान्वयन के दौरान राज्य द्वारा अपनाए गए जियो-टैगिंग तंत्र की प्रभावशीलता पर प्रश्न उत्पन्न करता है। इस प्रकार, निर्मित आवासों की वास्तविकता सुनिश्चित करने हेतु राज्य द्वारा अनुश्रवण सुस्पष्ट नहीं था।

शासन से प्रासंगिक या विशिष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

2.2.6.5(घ) आवासों के जियो-टैग किए गए फोटोग्राफ की नमूना जांच

चयनित जिलों के 1,030 आवास जो 90 दिनों के भीतर पूर्ण किए गए थे, के चरण-वार जियो-टैग किए गए फोटोग्राफ की जांच की गई, और पाई गई अनियमितताओं का उल्लेख नीचे किया गया है:

[21] ***फोटोग्राफ की जियो-टैगिंग के लिए मोबाइल एप्लिकेशन।***

- 16 प्रकरणों में प्लिंथ, लिंटल और पूर्णता स्तर में पहले से निर्मित आवास के समान फोटोग्राफ अपलोड की गई थी। दो प्रकरणों में, फोटोग्राफ को लिंटल और पूर्णता स्तर पर अपलोड किया गया, तीन प्रकरणों में प्लिंथ और लिंटेल स्तर पर अपलोड किया गया।
- 15 प्रकरणों में, प्लिंथ स्तर पर लिंटल लेवल के फोटोग्राफ अपलोड किए गए थे।
- एक प्रकरण में मौजूदा स्थल और प्रस्तावित स्थल के फोटोग्राफ प्लिंथ, लिंटल और पूर्णता स्तर में अपलोड किए गए थे। एक प्रकरण में प्लिंथ और लिंटल स्तर में मौजूदा स्थल के फोटोग्राफ अपलोड किया गया है, एक प्रकरण में प्लिन्थ और लिंटल स्तर में छत स्तर का फोटोग्राफ अपलोड किया गया है और एक मामले में प्लिंथ स्तर का फोटोग्राफ लिंटल स्तर में अपलोड किया गया है।
- दो प्रकरणों में, अपूर्ण आवासों के लिए पूर्णता स्तर के फोटोग्राफ अपलोड किए गए थे।
- 105 प्रकरणों में, लिंटल और पूर्णता स्तर पर अपलोड की गई फोटोग्राफ यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त स्पष्ट नहीं था कि वे एक ही आवास से संबंधित है। 12 प्रकरणों में, फोटोग्राफ यह जानने के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं थे, कि आवास पूर्ण हुआ या नहीं।

यह दर्शाता है कि आगामी किश्तें जारी करने के दौरान, अपलोड की गई फोटोग्राफ का उचित सत्यापन नहीं किया गया था और यह आवाससॉफ्ट के माध्यम से अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2022), कि भविष्य में लेखापरीक्षा सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

2.2.6.5(ङ) कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन

पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देशों के पैरा 7.3 के अनुसार, राज्य और प्रत्येक जिला पंचायत/जनपद पंचायत स्तर पर एक समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) को योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण का कार्य करना था। पीएमयू का नेतृत्व एक पूर्णकालिक कार्यक्रम अधिकारी या जिला स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाना था। जिला (डी) पीएमयू के अन्य सदस्य और प्रशिक्षण समन्वयक तथा सहायक कार्मिक, निर्माण, आईटी के क्षेत्र में पेशेवर होंगे। डीपीएमयू के कर्तव्यों में प्राथमिकता सूची और वार्षिक चयन सूची को अंतिम रूप देना, भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि का आवंटन, लाभार्थियों को जागरुक करना, प्रशिक्षण और क्रेडिट लिंकेज का आयोजन और आवाससॉफ्ट पर रिपोर्टिंग की निगरानी आदि शामिल है। इसी तरह, ब्लॉक स्तर पर ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

(बीपीएमयू) का नेतृत्व एक पूर्णकालिक ब्लॉक स्तर के अधिकारी या समन्वयक द्वारा तकनीकी सहायक स्टाफ और एमआईएस डाटा एंट्री ऑपरेटर की सहायता से किया जाना था। बीपीएमयू लाभार्थियों का पंजीकरण, स्वीकृति आदेश जारी करना, लाभार्थियों को प्रशिक्षित राजमिस्त्री की टैगिंग, निर्माण की प्रगति की निगरानी और आवाससॉफ्ट के माध्यम से रिपोर्टिंग आदि करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य स्तर पर पीएमयू का गठन जून 2018 में, योजना प्रारंभ के दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान चयनित 10 जिलों में से, सात[22] जिलों में जिला स्तर पर डीपीएमयू का गठन किया गया, जबकि, योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2016-17 से प्रारंभ हुआ। छतरपुर जिले में डीपीएमयू का गठन नहीं किया गया था। धार और सतना में डीपीएमयू के गठन के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। जनपद पंचायत (ज.प.) स्तर पर, 20 चयनित ज.प. में से आठ[23] ज.प. में बीपीएमयू का गठन किया गया था (2018-19 में 07 और 2019-20 में 01)। बीपीएमयू का गठन पांच [24] ज.प. में नहीं हुआ था। सात[25] ज.प. ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। सभी स्तरों पर समर्पित पीएमयू के गठन के साथ, प्रतिवेदन में चर्चा की गई अनियमितताएं जैसे कि लाभार्थियों को किस्त विलम्ब से जारी करना, प्रगतिरत आवास का निरीक्षण न किया जाना/विलम्ब से करना आदि, को कम किया जा सकता था।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा कथन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.2.7 निष्कर्ष

राज्य ने 2016-21 के दौरान पीएमएवाई-जी के अंतर्गत स्वीकृत 26.28 लाख आवासों (आवाससॉफ्ट के अनुसार) के विरुद्ध, 21.64 लाख आवासों (82.35 *प्रतिशत*) को पूर्ण किया, हालांकि, पूर्ण किए गए आवासों में 86.28 *प्रतिशत* में पूर्णता के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन किया गया था।

बहिष्करण प्रक्रिया में लाभार्थियों के सत्यापन में कमी थी, क्योंकि 2/3/4 पहिया वाहनों वाले लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, दिशा-निर्देशों में उल्लिखित

---

[22] ***अलीराजपुर, दमोह, गुना, ग्वालियर, मंडला, राजगढ़ एवं रतलाम।***

[23] ***अलीराजपुर, भाभरा, भितरवार, डबरा, बाजना, सैलाना, गुना और राघौगढ़।***

[24] ***बक्सवाहा, राजनगर, दमोह, दही और नालछा।***

[25] ***ब्यावरा, खिलचीपुर, हटा, मंडला, बीजाडंडी, अमरपाटन और मैहर।***

प्राथमिकता निर्धारण और प्राथमिकता अनुसार स्वीकृति का पालन भी, राज्यों द्वारा नहीं किया गया था।

आवाससॉफ्ट पोर्टल पर वास्तविक लाभार्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति का मनरेगा जॉब कार्ड पंजीकृत किया गया था। पंजीकरण के दौरान 97.70 *प्रतिशत* लाभार्थियों का आधार नंबर एकत्र किया गया था, लेकिन एमआईएस के अनुसार चयनित जनपद पंचायतों में आवाससॉफ्ट में, केवल 28.33 *प्रतिशत* को प्रविष्टि किया गया था।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य द्वारा स्टेट नोडल खाते में केन्द्रांश और राज्यांश को समय पर जारी करने का पालन नहीं किया गया था। मात्र 33.47 *प्रतिशत* प्रकरणों में ही, स्वीकृत लाभार्थियों को प्रथम किस्त समय पर जारी की गई थी।

स्वीकृत आवासों का प्रथम निरीक्षण 40.54 *प्रतिशत* प्रकरणों में, निर्धारित समय के पश्चात् किया गया, जो विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है। प्रगति की निगरानी के लिए, निर्माण के विभिन्न स्तरों के फोटोग्राफ की जियो-टैगिंग के लिए अपनाया गया, आवास ऐप (मोबाइल एप्लिकेशन) भी सटीक नहीं था। जिसके परिणामस्वरूप, 25 मीटर के भीतर विभिन्न निर्माण स्तर पर एक ही आवासों की भू-संदर्भित, टाइम एवं डेट स्टेम्प वाले फोटोग्राफ को कैप्चर करने में, आवासऐप में पर्याप्त नियंत्रण की कमी हुई।

2.2.8 अनुशंसाएँ

(i) राज्य शासन को स्टेट नोडल खाते में समयबद्ध तरीके से धन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने चाहिए और लाभार्थियों को समय पर सहायता जारी करना सुनिश्चित करना चाहिए।

(ii) पीडव्लूएल में लाभार्थी की प्राथमिकता के अनुसार आवासों की स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

(iii) गलत निर्धारण एवं अपात्र लाभार्थियों को शामिल करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य शासन को सहायता की स्वीकृति से पहले धरातल स्तर के अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों की पात्रता के सत्यापन हेतु कठोर निर्देश जारी करना चाहिए।

(iv) राज्य शासन को अपीलीय समिति/ग्राम सभा द्वारा अपात्र घोषित लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी की, जिम्मेदारी निर्धारित करनी चाहिए। साथ ही अपात्र लाभार्थियों से, सहायता राशि की वसूली भी की जानी चाहिए।

(v) लाभार्थियों के त्रुटिपूर्ण चयन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध राज्य शासन को कार्यवाही करनी चाहिए।

(vi) भारत सरकार के निर्देश के अनुपालन में राज्य सरकार को डेटा में गलत प्रविष्टि को ठीक करना चाहिए और फिर पात्र वयस्क को आवास आवंटित करना चाहिए, यदि अवयस्क को एसईसीसी परिवार के विवरण में मुखिया के रूप में दर्ज किया गया है। इसके अलावा, अवयस्क को आवास आवंटित करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही भी करना चाहिए।

(vii) राज्य शासन को लाभार्थियों द्वारा अन्य प्रयोजन के लिए निधि के उपयोग की किसी भी संभावना या लाभार्थी के प्रवास आदि, जो आवास को विलम्ब से पूर्ण होने के कारण हो सकता है, से बचने के लिए निर्धारित समय के भीतर आवासों को पूर्ण करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

(viii) राज्य शासन यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास कर सकती है, कि पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सभी निर्मित आवासों में सभी मूलभूत सुविधाएं अन्य सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ अभिसरण के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

(ix) जीआई टैगिंग में उचित सावधानी बरती जानी चाहिए, अनुश्रवण को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी ई-गवर्नेंस के लिए आवास ऐप को तदनुसार, बढ़ाया जाना चाहिए।

अध्याय-3

अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1 जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के विकल्प पर कराये गये अद्योसंरचना कार्य

अध्याय 3: अनुपालन लेखापरीक्षा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

3.1 जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के विकल्प पर कराये गये अद्योसंरचना के कार्यों की लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग[1] (रा.वि.आ.) ने प्रत्येक जिला पंचायत (जि.पं.) और जनपद पंचायत (ज.पं.) के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में अद्योसंरचना के विकास के लिए, राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन की अनुशंसा (अक्टूबर 2015) की। तदनुसार, इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत को क्रमशः ₹ दो करोड़ एवं ₹ एक करोड़ की राशि प्रतिवर्ष जारी की जानी थी।

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, निर्वाचित प्रतिनिधियों की सिफारिशों के आधार पर अद्योसंरचना के कार्यों को किया जाना था; तथापि, उनकी प्राथमिकता **तालिका-3.1** के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए थी:

तालिका-3.1 अद्योसंरचना कार्यों हेतु केन्द्रित क्षेत्र

केन्द्रित क्षेत्र	कार्य की मदें
समग्र स्वच्छता एवं स्वास्थ्य	सार्वजनिक सड़कों, जल निकास व्यवस्था तथा स्वच्छता संबंधी अन्य निर्माण कार्य जैसे सार्वजनिक शौचालय, पानी की पाइप लाइन आदि।
आवागमन के साधनों का विकास	जहाँ प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृति नहीं दी गई थी। ग्रामीण सड़कों, पुल/पुलियों तथा आंतरिक सीमेंट कंकरीट सड़कों का निर्माण।
सार्वजनिक भवनों एवं स्थलों का निर्माण	आंगनवाडी भवन, खेल मैदान सहित प्राथमिक शाला भवन का निमार्ण आदि ।
	ग्राम चौपाल, यात्री प्रतीक्षालय, नदी/तालाब का घाट, विद्यालयों की चहरदीवारी एवं कब्रिस्तान का निर्माण आदि।

(स्त्रोतः विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश)

तदनुसार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा कार्यों की स्वीकृति के लिए वार्षिक वित्तीय सीमा निर्धारित (दिसंबर 2016 एवं मार्च 2019) की, जैसा कि **तालिका-3.2** में दर्शाया गया है-

---

[1] ***2015-20 की अवधि के लिए।***

तालिका-3.2 कार्यों की स्वीकृति के लिए वार्षिक वित्तीय सीमा

(₹ लाख में)

पद का नाम	दिसंबर 2016 से फरवरी 2019 तक वित्तीय सीमा	मार्च 2019 से संशोधित वित्तीय सीमा
अध्यक्ष, जि.पं.	25	50
उपाध्यक्ष, जि.पं.	15	20
प्रत्येक सदस्य, जि.पं.	10	15
अध्यक्ष, ज.पं.	12	20
उपाध्यक्ष, ज.पं.	8	10
प्रत्येक सदस्य, ज.पं.	4	5

(स्त्रोतः विभागीय आदेश)

ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) के सरपंच/सचिव, जिला पंचायत / जनपद पंचायत (जि.पं./ज.पं.) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मु.का.अ.) के निगरानी एवं पर्यवेक्षण में आधारभूत संरचना के कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी थे। राज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक, पंचायत राज संचालनालय, विकास आयुक्त (पदेन अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग योजना की समग्र निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी थे।

3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी योजना के दिशा-निर्देशों, नियमों एवं आदेशों के अनुसार आधारभूत संरचना के कार्यों का नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी प्रभावी ढंग से की गयी थी।

लेखापरीक्षा मानदंड के स्त्रोतः

- योजना के क्रियान्वयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी योजना क्रियान्वयन के दिशा-निर्देश;
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश एवं परिपत्र;
- मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (ग्रा.यां.से.) द्वारा जारी अनुसूची के दरों के प्रावधान एवं संबंधित विशिष्टताएं;
- मध्य प्रदेश निर्माण विभाग (एम.पी.डब्लू.डी.) की नियमावली;
- मध्य प्रदेश बजट नियमावली (एम.पी.बी.एम.); एवं
- मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम, 1993

लेखापरीक्षा ने सात जिलों की सात[2] जिला पंचायतों में 2017-20 के दौरान लागू की गयी योजनाओं के क्रियान्वयन को समाविष्ट किया। इन सात जिला पंचायतों में लेखापरीक्षा ने 57 जनपद पंचायतों[3] में से, सात जनपद पंचायतों[4] (प्रत्येक जिला पंचायत में एक जनपद पंचायत) का चयन किया। आगे, सात चयनित जनपद पंचायतों की कुल 575 ग्राम पंचायतों[5] में से, लेखापरीक्षा ने 14 ग्राम पंचायतों[6] (प्रत्येक जनपद पंचायत में दो) का चयन किया। जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों का चयन उनके द्वारा किये गये व्यय के साथ-साथ तर्क संगत मुद्दे जैसे कोविड-19 महामारी की अवधि यथा अगस्त से नवंबर 2020 के मध्य ट्रेनों/सड़क परिवहन की अनुपलब्धता के आधार पर किया गया था।

लेखापरीक्षा ने चयनित जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों में ₹ 39.58 करोड़ के 1466 कार्यों[7] में से 163 कार्यों (11 प्रतिशत), जिस पर ₹ 9.75 करोड व्यय हुआ था, की जांच की। लेखापरीक्षा ने विभागीय अधिकारियों के साथ चयनित 163 कार्यों में से 37 कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिये किया।

आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय के साथ आगम सम्मिलन का आयोजन दिनांक 07 सितंबर 2020 को किया गया, जिसमे लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, मानदण्ड और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गयी।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिये अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ निर्गम सम्मेलन दिनांक 23 दिसम्बर 2022 को आयोजित किया गया। शासन के उत्तर (जुलाई 2022) संबंधित कंडिकाओं में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किये गये हैं।

---

[2] ***जि.प.-धार, ग्वालियर, जबलपुर, मण्डला, सागर, टीकमगढ़, एवं विदिशा।***

[3] ***जि.पं. धारः 13 ज.पं.; ग्वालियरः चार ज.पं.; जबलपुरः सात ज.पं.; मण्डला नौ ज.पं.; सागरः 11 ज.पं.; टीकमगढ़ छः ज.पं.; विदिशाः सात ज.पं.।***

[4] ***ज.पं.- बल्देवगढ़(जि.पं. टीकमगढ़), मझौली (जि.पं. जबलपुर), मण्डला (जि.पं. मण्डला), मुरार (जि.पं. ग्वालियर), नटेरन (जि.पं. विदिशा), रहली (जि.पं. सागर), एवं सरदारपुर (जि.पं. धार)।***

[5] ***ज.पं.- बल्देवगढ़ (80 ग्रा.पं.), मझौली (84 ग्रा.पं.), मण्डला (81 ग्रा.पं.), मुरार (60 ग्रा.पं.), नटेरन (84 ग्रा.पं.), रहली (91 ग्रा.पं.) एवं सरदारपुर (95 ग्रा.पं.)।***

[6] ***बक्छेरागोंदी एवं बडीखेरी (ज.पं मण्डला), भोपावर एवं बोडिया (ज.पं सरदारपुर), चन्द्रपुरा एवं लड़वाडी (ज.पं बल्देवगढ़), डंगरवाड़ा एवं खाईखेरा (ज.पं नटेरन) मुडियामदोद एवं गठौरा (ज.पं मझौली), संजरा एवं जरिया-खिरिया (ज.पं रहली), सुपावली एवं फुसावली (ज.पं मुरार)।***

[7] ***स्वच्छता (145), आवागमन (719), सार्वजनिक भवन (87), एवं अन्य निर्माण कार्य (515)।***

3.3 वित्तीय सारांश

जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के विकल्प पर राज्य वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत अद्योसंरचना विकास के लिए आवंटित निधि एवं व्यय का विवरण **तालिका-3.3** में दर्शाया गया है

तालिका-3.3: आवंटन एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन	व्यय[8] /आहरण	बचत/समर्पण(प्रतिशत)
2017-18	406.77	376.48	30.29 (7.45)
2018-19	406.40	392.13	14.27 (3.51)
2019-20	552.50	76.94	475.56 (86.07)
योग	**1,365.67**	**845.55**	**520.12 (38.09)**

(डाटा स्त्रोतः संचालनालय पीआरआई द्वारा प्रदाय जानकारी)

विभाग ने अक्टूबर 2019 में योजना के नये दिशा निर्देश के जारी होने तक, नए कार्यों को प्रारंभ करने पर प्रतिबंध लगाया।इन प्रतिबंधों के कारण वर्ष 2019-20 के दौरान 86 *प्रतिशत* निधि का उपयोग नहीं किया जा सका।नवंबर 2020 तक नये दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये थे।

आगे, तालिका-3 मे व्यय/आहरण के रूप में दर्शायी गई निधि वास्तव में उपयोग नहीं की गयी थी, क्योंकि पंचायत राज संचालनालय ने जिलों को निधि कोषालय प्रणाली से जारी की, जो कि जिला पंचायत/जनपद पंचायत द्वारा आहरित की गयी और अन्य योजनाओं की निधि के साथ बैंक खाते में रखी गई।बैंक खातों के माध्यम से नमूना जांच किये गये जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों में उपलब्ध एवं उपयोग की गई निधि की स्थिति का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में वर्णित है तथा संक्षिप्त विवरण **तालिका-3.4** में वर्णित है।

तालिका-3.4: चयनित जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों द्वारा उपयोग की गई निधि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	स्वीकृत कार्यों पर व्यय	बचत
2017-18	0.00	23.06	23.06	20.30	2.76
2018-19	2.76	23.06	25.82	19.28	6.54
2019-20	6.54	33.65	40.19	0.00	40.19
योग		**79.77**	**89.07**	**39.58**	**49.49**

(डाटा स्त्रोतः चयनित जि.पं./ज.पं. द्वारा प्रदाय जानकारी)

[8] *टेबल-3 में दर्शाया गया व्यय कोषालय से आहरित राशि।*

योजना निधि पर अर्जित ब्याज भी अनुदान का हिस्सा था, इसलिये इसे या तो योजना कार्यान्वयन पर उपयोग किया जाना था अथवा शासन के प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जाना था। हालांकि, नमूना जांच किये गये जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों में यह पाया गया कि उन्होंने एकल बैंक खाता संधारित किया, लेकिन खाताबही में प्रत्येक योजना के व्यय का विवरण एवं अन्य आवश्यक अभिलेख संधारित नहीं किया। अलग-अलग बही खाता न रखने के कारण, जिला पंचायत/जनपद पंचायत, योजना वार ब्याज राशि को प्रथक करने की स्थिति में नहीं थे।जिला पंचायत/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी योजना/गतिविधि वार अभिलेखों के संधारित न किये जाने के लिये उत्तरदायी थे।

3.3.1 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किया जाना।

विभाग ने निर्देश (दिसंबर 2016) दिया कि जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों को जारी राज्य वित्त आयोग अनुदान, विगत वर्ष के अनुदान के 70 प्रतिशत और अन्य वर्षों के अनुदान के 100 प्रतिशत निधि के उपयोग के अध्यधीन था ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 चयनित जिला पंचायतों/जनपद[9] पंचायतों में से, केवल पांच[10] जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों ने वर्ष 2017-20 के लिये अपेक्षित 42 उपयोगिता प्रमाणपत्र में से, कुल 12 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये।पंचायत राज संचालनालय ने जिलों को न तो आहरित एवं व्यय की गई राशि के संबंध में अभिलेख संधारित करने, और न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा।इस प्रकार, विभाग जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों द्वारा अनुदानों के उपयोग की निगरानी करने में विफल रहा। फलस्वरूप, वर्ष 2018-20 के दौरान, उपयोगिता सुनिश्चित किये बिना, जिलों को अनुदान जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि यद्यपि, आयुक्त के कार्यालय को उपयोगिता प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करना था, उसने अनुदान के उपयोग के अभिलेखों का संधारण नहीं किया। इस प्रकार, विभाग के पास राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अनुदान की शर्तों को लागू करने के लिये आंकडे ही नहीं थे।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि राज्य वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को बजट आवंटन के अनुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना

---

[9] ***कुल चयनित जि.पं./ज.पं. की संख्या 14, कुल उपयोगिता प्रमाणपत्र (तीन वर्ष के लिए) 14x3=42।***

[10] ***जि.पं. ग्वालियर (दो उपयोगिता प्रमाणपत्र), जबलपुर (दो उपयोगिता प्रमाणपत्र), मण्डला (तीन उपयोगिता प्रमाणपत्र), टीकमगढ़ (दो उपयोगिता प्रमाणपत्र), ज.पं. मझौली (तीन उपयोगिता प्रमाणपत्र)।***

अनुदान जारी किये गये थे। तथापि, इन अनुदानों से निष्पादित किये गये कार्यों का शत प्रतिशत मूल्यांकन एवं सत्यापन किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों को अनुदान जारी करने में राज्य वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के मानकों का अनुपालन नहीं किया।

3.4 योजना का क्रियान्वयन

3.4.1 कार्यों की गलत चयन प्रक्रिया

योजना के दिशा निर्देशों (मार्च 2016 और अगस्त 2016) के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत को योजना प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण एवं धन के प्रभावी परिणामोन्मुखी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम (जी.पी.डी.पी.) तैयार करना था। जिला पंचायत/जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा अधोसंरचना के कार्यों को ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम से चुना जाना था। तथापि, यदि किसी कार्य विशेष में एक से अधिक ग्राम पंचायत सम्मिलित हैं, तो ऐसे कार्य का चयन ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम से किया जाना आवश्यक नहीं था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच किये गये 163 अधोसंरचना कार्यों में से, केवल 31 कार्यों (19 *प्रतिशत*), जिसमें व्यय की गयी राशि ₹ 1.08 करोड थी, का चयन ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम से किया गया था। इस प्रकार, शेष 132 कार्यों के लिये संबधित जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों द्वारा जारी की गयी प्रशासनिक स्वीकृति योजना के दिशा निर्देशों के विरूद्ध थी जैसा कि ***परिशिष्ट-3.2*** मे वर्णित है।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि संबधित निकायों के अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार कार्य स्वीकृत किये गये थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 81 प्रतिशत चयनित कार्य वार्षिक कार्य योजना (जी.पी.डी.पी.) में सम्मिलित नहीं थे।

3.4.2 कार्यों की भौतिक प्रगति

चयनित जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के विकल्प पर क्रियान्वित कार्यों की भौतिक प्रगति की स्थिति **तालिका-3.5** में तथा विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 3.3*** में दर्शाया गया है-

तालिका-3.5: चयनित जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों में क्रियान्वित कार्यों की भौतिक स्थिति

वर्ष	स्वीकृत कार्यों की संख्या	नवंबर 2020 तक पूर्ण कार्यों की संख्या	नवंबर 2020 तक अपूर्ण कार्यों की संख्या (*प्रतिशत*)
2017-18	740	526	214(29)
2018-19	726	512	214(29)
2019-20	कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गए	-	-
योग	**1,466**	**1,038**	**428 (29)**

(आंकड़ो का स्त्रोतः चयनित जि.पं./ज.पं. द्वारा प्रदाय अभिलेख)

आगे, लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत जांच के लिए चयनित 163 कार्यों की स्थिति **तालिका-3.6** में दर्शायी गयी है।

तालिका-3.6: चयनित कार्यों की स्थिति

समय सीमा में पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या	कार्यों की संख्या जिसमें विलम्ब सुनिश्चित नहीं किया जा सका[11]	अप्रारम्भ कार्यों की संख्या	विलम्ब से पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या	लेखापरीक्षा दिनांक तक अपूर्ण कार्यों की संख्या	निरस्त कार्यों की संख्या	योग
14	68	02	68	10	01	163

(आंकड़ों का स्त्रोतः चयनित जि.पं./ज.प. द्वारा प्रदाय अभिलेख)

जैसा कि **तालिका-3.6** से देखा जा सकता है कि 68 कार्यों के प्रकरणों में, प्रशासनिक स्वीकृति में पूर्णता अवधि एवं संबधित कार्य के पूर्णता प्रमाणपत्र का उल्लेख नहीं होने के कारण, विलंब सुनिश्चित नहीं किया जा सका। आगे, वर्ष 2018-19 के दौरान स्वीकृत दो कार्य (सामुदायिक भवन का निर्माण एवं शांतिधाम की चहरदीवारी) भूमि विवाद के कारण नवंबर 2020 तक की स्थिति में, प्रारंभ नहीं हो सके, जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में वर्णित है ।

तलिका-3.7: लेखापरीक्षा दिनांक तक अपूर्ण कार्यों का विवरण

स.क्र.	कार्यों की संख्या	स्वीकृत लागत	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	स्थिति	टिप्पणी
1	जि.पं. जबलपुर (05) एवं ज.पं. मुरार (01)	₹ 26.00 लाख	प्रशासकीय स्वीकृत में उल्लिखित नहीं	अपूर्ण, प्रशासकीय स्वीकृति में निर्धारित तिथि का उल्लेख नहीं होने के कारण विलंब की गणना नहीं की जा सकी	यद्यपि ग्राम पंचायतों के सरपंचों/सचिवों की लापरवाही के कारण कार्यों में विलम्ब हुआ फिर भी उनके विरूद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई

[11] ***प्रशासकीय स्वीकृति में कार्य पूर्णता दिनांक दर्शायी नहीं गयी थी।***

स.क्र.	कार्यों की संख्या	स्वीकृत लागत	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	स्थिति	टिप्पणी
2	ज.पं. मझौली (01) जि.पं., जबलपुर	₹ 1.50 लाख	दिसम्बर 2018	नवंबर 2020 तक अपूर्ण, विलम्ब की अवधि 23 माह	यद्यपि ग्राम पंचायतों के सरपंचों/सचिवों की लापरवाही के कारण कार्यों में विलम्ब हुआ फिर भी उनके विरूद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई ।
3	जि.पं. मंडला (01), ज.पं. मंडला (01) एवं जि.पं., ग्वालियर (01)	₹ 29.00 लाख	जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018	नवंबर 2020 तक अपूर्ण, विलम्ब की अवधि 23 से 34 माह	विलम्ब का कारण नस्तियों में उपलब्ध नहीं था ।
योग	**10**				

(आंकड़ों का स्त्रोतः चयनित जि.पं./ज.पं. द्वारा प्रदाय अभिलेख)

आगे, कार्य की प्रगति की प्रभावी निगरानी तथा आवधिक मूल्यांकन के लिए संचालनालय स्तर पर उप संचालक की अध्यक्षता में एक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन (जून 2017) किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय के पास योजना के अंतर्गत निष्पादित, स्वीकृत, पूर्ण एवं लंबित अद्योसंरचना के कार्यों की कुल संख्या से संबंधित कोई जानकारी नहीं थी।फलस्वरूप, विभागों के पास योजना के अन्तर्गत विभिन्न अद्योसंरचना के कार्यों को पूरा करने में विलम्ब पर कोई नियंत्रण नहीं था, जिसके लिए ग्राम पंचायतें उत्तरदायी थीं।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि सामग्री की अनुपलब्धता, जल संकट अथवा भौगोलिक परिस्थितियों के कारण निर्धारित समय में कार्य पूर्ण नहीं किये गये। तथापि, लगभग सभी पूर्वोक्त अपूर्ण कार्य पूर्ण हो चुके थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि शासन अपने कथन के समर्थन में पूर्ण कार्यों का पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सका।

3.4.3 प्रयोगशाला परीक्षण के बिना कार्यों का निष्पादन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी (फरवरी 2018) निर्देशों के अनुसार निष्पादन संस्था एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के उप/सहायक यंत्री की प्राथमिक जिम्मेदारी, गुणवत्ता पूर्ण कार्य और सामग्री के साथ-साथ कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए

निर्धारित समय अंतराल में परीक्षण कराये जाने की थी। आगे, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी (फरवरी 2016) दरों की अनुसूची (एस.ओ.आर.) में दी गई दरों में निर्धारित समय अंतराल पर कराये जाने वाले प्रयोगशाला परीक्षण[12] की लागत सम्मिलित थी।

पंचायत राज संचालनालय, ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन एवं ऑफलाइन गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु एक निगरानी सेल के गठन के आदेश (जून 2017) जारी किये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 163 नमूना जांच किए गए कार्यों में से, केवल 20 कार्यों (12 प्रतिशत) में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण किए गए थे ***(परिशिष्ट-3.5)***। शेष 143 कार्यों ₹ 9.12 करोड़ की राशि के संबंध में गुणवत्ता परीक्षण नहीं कराये गए थे।फलस्वरूप, लेखापरीक्षा द्वारा वह तरीका, जिससे ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा बिना किसी परीक्षण के कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया, सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

शासन ने लेखापरीक्षा कथन को स्वीकार किया और उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि सभी जनपद पंचायत मुख्यालयों पर प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध न होने, कार्यों की अधिकता एवं ग्राम पंचायतों के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित होने के कारण, सभी कार्यों का प्रयोगशाला परीक्षण संभव नहीं था। तथापि, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने मूल्यांकन एवं सत्यापन के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश के अनुसार कार्यों में उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

3.4.4 विस्तृत माप दर्ज किये बिना भुगतान किया जाना।

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली में प्रावधान है कि मापपुस्तिका किए गए कार्यों की मात्रा और की गई खरीद के संपूर्ण खातों का आधार है, और इसमें विधिक न्यायालय में निर्णायक साक्ष्य होने के लिए तथ्यों का संपूर्ण अभिलेख होना चाहिए। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

---

[12] ***एसओआर में सामग्री के विभिन्न परीक्षणों के साथ-साथ जल अवशोषण परीक्षण, ईंटों की संपीड़न शक्ति और कंक्रीट की संपीड़न शक्ति (प्रति 20 घन मीटर या उसके भाग पर एक परीक्षण) आदि जैसे संपूर्ण कार्य प्रदान किए गए थे।***

के उप/सहायक यंत्री योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के विस्तृत माप को अभिलिखित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 163 नमूना जाँच कार्यों में से, 79 कार्यों (व्यय राशि ₹ 4.94 करोड़) में, विस्तृतमाप अभिलिखित करने के बजाय उप/सहायक यंत्री द्वारा मापपुस्तिका में केवल एकमुश्त राशि दर्ज की गई थी (जैसा कि **परिशिष्ट-3.6** में वर्णित है)। विस्तृतमाप के अभाव में, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि कार्य स्वीकृत अनुमानों के अनुरूप निष्पादित किए गए और सामग्री की मात्रा एवं भवन कार्यों की मदें स्वीकृतियों के अनुरूप थी। आगे, विभाग के पास अन्य कोई माध्यम नहीं था, जिससे कि तकनीकी विशिष्टताएं जैसे सीमेन्ट कंक्रीट रोड की मोटाई आदि के अनुपालन को सत्यापित किया जा सके।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि सहायक यंत्री ने समस्त कार्यों की माप पुस्तिकाओं का सत्यापन किया, जो कार्य के मूल्यांकन के पश्चात उप यंत्री द्वारा अभिलेखित किये गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए उपरोक्त 79 कार्यों की मापपुस्तिका में मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के अनुसार विस्तृत माप दर्ज नहीं किये गए थे ।

3.4.5 भूमि उपयोग का अनियमित परिवर्तन

मध्य प्रदेश पंचायत (शासकीय भूमि का प्रबंधन) नियम 1995 के नियम 3 में प्रावधान है कि शासकीय भूमि का उपयोग उन विशिष्ट उद्देश्यों के लिये किया जायेगा, जिसके लिये इसे पंचायत को हस्तांतरित किया गया है।

हमने निम्नलिखित प्रकरणों मे उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन देखा:

- ग्रा.पं. सुपावली (ज.पं., मुरार के अधीन), जिला ग्वालियर ने जनपद पंचायत मुरार को भूमि के एक भूखंड (खसरा संख्या 574/1) में भूखंड का शीर्षक बदलकर शमशान भूमि के स्थान पर चारागाह[13] के प्लॉट पर चहरदीवारी के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव (अगस्त 2017) भेजा। यद्यपि, ग्राम पंचायत भूमि का शीर्षक बदलने के लिए अधिकृत नहीं थी, जनपद पंचायत ने ₹ 8.00 लाख की लागत पर चहरदीवारी स्वीकृत (अक्टूबर 2017) किया और ग्राम पंचायत ने चारागाह की भूमि पर चारदीवारी के निर्माण पर ₹ 7.25 लाख व्यय किया।

---

[13] ***स्थायी चारा फसल उस भूमि से संबंधित है जिसका उपयोग स्थायी रूप से (पांच वर्ष या अधिक) जड़ी बूटी वाली चारा फसलों के लिए किया जाता है या तो जंगली रूप से खेती की जाती है और यदि इसका उपयोग चराई के लिए किया जाता है तो इसमें वन भूमि का कुछ हिस्सा शामिल हो सकता है।***

- एक अन्य प्रकरण में, जिला विदिशा की ग्राम पंचायत डंगरवाड़ा (ज.पं. नटेरन के अधीन) ने शांतिधाम की भूमि के स्थान पर आबादी भूमि पर ₹12.00 लाख की लागत से भूमि के एक भूखंड (खसरा संख्या 179) में शांतिधाम (कब्रिस्तान) की चहरदीवारी निर्माण के लिए जनपद पंचायत नटेरन को एक प्रस्ताव (अगस्त 2018) भेजा। यद्यपि, ग्राम पंचायत भूमि के उपयोग को बदलने हेतु अधिकृत नहीं था, जनपद पंचायत ने ₹12.00 लाख की लागत से चहरदीवारी स्वीकृत की तथा ग्राम पंचायत ने आबादी[14] भूमि पर शान्तिधाम की चहरदीवारी के निर्माण पर ₹12.00 लाख व्यय किये ।

इस प्रकार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायतों के प्रस्तावो की ठीक से जाँच नहीं की।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि प्रस्तावित भूमि पर विवाद के कारण संबंधित द्वारा स्थल निरीक्षण कर अन्य भूमि में निर्माण कार्य किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भूमि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जाना था जिस हेतु पंचायत को हस्तांतरित किया गया था। आगे, सरकार भूमि विवाद के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सकी।

3.4.6 गैर अनुमत्य कार्य का निष्पादन

विभाग ने योजनान्तर्गत अनुमत्य एवं गैर अनुमत्य कार्यों की सूची जारी (फरवरी एवं मार्च 2018) की। गैर अनुमत्य कार्यों की सूची में अन्य बातों के साथ-साथ स्वागत द्वार का निर्माण, हैण्डपम्प खनन एवं बोरिंग, पानी टैंकर क्रय, पेयजल के परिवहन पर व्यय, ग्रेवल मार्ग का निर्माण और सौर प्रकाश पर व्यय आदि सम्मिलित थे।

लेखापरीक्षा ने ऐसे प्रकरण देखे, जहां जनपद पंचायत ने गैरअनुमत्य कार्यों को निष्पादित किया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.पं., मझौली, जिला जबलपुर ने जनवरी 2019 में ₹ 3.47 लाख की लागत से चार[15] हैण्डपम्प खनन के गैर अनुमत्य कार्यों को स्वीकृत किया।

---

[14] ***आबादी का अर्थ है किसी गैर-शहरी क्षेत्र के गांव में समय-समय पर वहां के निवासियों के निवास के लिए या उसके सहायक उद्देश्यों के लिए आरक्षित क्षेत्र, और इस अभिव्यक्ति के किसी अन्य स्थानीय समकक्ष जैसे "ग्राम स्थल" या "गांवस्थान" भी तदनुसार समझा जाएगा।***

[15] ***ग्रापं झिंगराई ₹ 0.98 लाख, ग्रापं रिवांझा ₹ 0.76 लाख एवं ग्रापं सिमरिया घाट ₹ 0.75 लाख।***

- इसी प्रकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.पं., बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ ने फरवरी 2019 में ₹ 1.50 लाख की लागत से एक स्वागत द्वार स्वीकृत किया।

इस प्रकार, जनपद पंचायतों ने शासकीय निर्देशों का उल्लंघन कर ₹4.97 लाख के गैर अनुमत्य कार्यों का निष्पादन किया।

शासन ने लेखापरीक्षा कथन को स्वीकार किया (जुलाई 2022) और कहा कि संबंधितों का उत्तरदायित्व निर्धारण करने हेतु सम्बंधित जिला पंचायतों को पत्र जारी (जून 2022) कर दिये गये थे।

3.4.7 जियो-टैग छायाचित्रों को अपलोड न किया जाना और गैर-निष्पादित/आंशिक रूप से निष्पादित कार्यों पर भुगतान किया जाना।

विभाग ने जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों द्वारा कार्यों की ऑनलाइन अनुश्रवण हेतु निर्देश जारी (फरवरी 2018) किये। पूर्वोक्त निर्देशों के अनुसार कार्य के प्रारंभिक चरण एवं उसके बाद मूल्यांकन के प्रत्येक चरण से लेकर कार्य पूर्ण होने तक की जियोटैग की गई छायाचित्रों को *पंचायत दर्पण पोर्टल*[16] पर अपलोड किया जाना चाहिये। निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि यदि निधि का कोई दुरूपयोग होता है, तो सरपंच/सचिव का संयुक्त दायित्व निर्धारित किया जाएगा एवं उनके विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

हमने देखा कि 163 चयनित कार्यों में से निष्पादित किए जा रहे 95 कार्यों (58 प्रतिशत) जिस पर व्यय ₹5.58 करोड हुआ, में निर्माण के किसी भी चरण में जियो-टैग छायाचित्र पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये (**परिशिष्ट-3.7**)। जियो-टैग छायाचित्रों को अपलोड न किये जाने से ऑनलाइन अनुश्रवण के साथ-साथ निर्माण स्थल की वास्तविक स्थिति के सत्यापन का उद्देश्य विफल हो गया। कार्यों के शिथिल अनुश्रवण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का विवरण नीचे दिया गया है:

- "श्री माया राम के खेत के पास शांतिधाम रोड पर पुलिया निर्माण" के एक कार्य के प्रकरण में मापपुस्तिका में माप अभिलिखित की गयी थी और जनपद पंचायत तिरला, जिला धार द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र (मार्च 2019) जारी किया गया था। तथापि, कार्यक्रम अधिकारी, जिला पंचायत धार के साथ, निर्माण स्थल के संयुक्त भौतिक सत्यापन

---

[16] ***म प्र शासन ने ग्रा.पं. स्तर पर लेखांकन आवश्यकताओं को पूरा करने, सभी भुगतानों को ऑनलाइन प्रणाली में वाउचर के पंजीकरण के साथ जोड़ने और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आदेश (ईपीओ) के माध्यम से भुगतान की आवश्यकता आदि को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश पंचायत दर्पण पोर्टल विकसित किया है।***

(नवंबर 2020) के दौरान हमने पाया कि यह कार्य वास्तव में निष्पादित नहीं किया गया था।

जनपद पंचायत तिरला (जिला- धार) के अंतर्गत खिड़क्याकला ग्राम पंचायत में श्री माया राम के खेत के निकट शांतिधाम मार्ग पर पुलिया का निर्माण नहीं होने को दर्शाते छायाचित्र (दिनांक 06.11.2020)

- आगे, "बिजली के ट्रांसफार्मर से सेसिह सोबान के घर तक सीसी सड़क का निर्माण" से सम्बंधित एक अन्य कार्य के प्रकरण में, जिसमे राशि ₹ 5.00 लाख का व्यय शामिल है, कार्य की माप, मापपुस्तिका में अभिलिखित (मार्च 2019) की गयी थी और तदनुसार, जनपद पंचायत, सरदारपुर, जिला-धार द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया था। तथापि, कार्यक्रम अधिकारी, जिला पंचायत, धार के साथ स्थल पर संयुक्त भौतिक सत्यापन (नवंबर 2020) के दौरान यह पाया गया कि यह कार्य आंशिक रूप से निष्पादित किया गया था।

जनपद पंचायत, सरदारपुर (जिला धार) के अंतर्गत ग्राम पंचायत उटावा में बिजली के ट्रांसफार्मर से सेसिह सोबान के घर तक सीसी सड़क के अपूर्ण निर्माण को दर्शाने वाले छायाचित्र (दिनांक 06.11.2020)

जनपद पंचायत, सरदारपुर (जिला धार) के अंतर्गत ग्राम पंचायत उटावा में बिजली के ट्रांसफार्मर से सेसिह सोबान के घर तक सीसी सड़क के अपूर्ण निर्माण को दर्शाने वाले छायाचित्र (दिनांक 06.11.2020)

जिला पंचायत धार ने संबंधित जनपद पंचायत द्वारा जारी पूर्णता प्रमाणपत्र के आधार पर, संबंधित ग्राम पंचायत को ₹ 10.00 लाख (₹ 5.00 लाख प्रत्येक कार्य के लिए) का भुगतान स्वीकृत किया, जिसने कार्य निष्पादित किया।

जियो-टैग छायाचित्र के माध्यम से ऑनलाइन अनुश्रवण के अभाव में, जिला पंचायत, कार्यों की प्रगति एवं निष्पादन का अनुश्रवण नहीं कर सका फलस्वरूप, अपूर्ण कार्यों के लिये भुगतान जारी किये गये।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि प्रत्येक कार्य का मूल्यांकन एवं सत्यापन अनिवार्य रूप से तकनीकी अमलो द्वारा किया जाता है, इसलिये संदिग्ध भुगतान की संभावना बहुत कम थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उक्त दो कार्यों की संपूर्ण लागत का भुगतान किया गया था जो या तो शुरू नही हुए थे या आंशिक रूप से निष्पादित किये गये थे और इन कार्यों की जियो-टैगिंग भी पंचायत दर्पण पोर्टल में नहीं की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप निष्पादन के बिना कार्यों का संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

3.4.8 अन्य अनियमिततायें

3.4.8.1 असक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी किया जाना

योजना के दिशा-निर्देश (अगस्त 2016), अन्य बातों के साथ-साथ कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति संबधित जिला पंचायत/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी किये जाने को अनुबंध करता है।

जिला पंचायत टीकमगढ़ में लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 32.50 लाख के व्यय वाले पुलिया निर्माण से संबंधित पांच[17] कार्यों में योजना दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के बजाय वहां के संबंधित ग्राम पंचायतों ने प्रशासकीय स्वीकृति जारी की।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत टीकमगढ़ ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र (दिसंबर 2016) प्रस्तुत किया और कहा कि स्वीकृतियाँ नियमानुसार थीं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त आदेश में वर्णित है कि प्रशासकीय स्वीकृति संबंधित जिला पंचायतों द्वारा जारी की जानी थी न कि ग्राम पंचायतों के द्वारा। पूर्वोक्त आदेश सामान्य वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन को विस्तृत करता है, जो कि विशेष योजनाओं में लागू नहीं हो सकता है। ग्राम पंचायतें केवल क्रियान्वयन संस्थाएं हैं।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2022) कि मामले की जांच के लिए संबंधित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र जारी (जून 2022) किया गया था।

3.4.8.2 अनुचित तकनीकी स्वीकृति जारी किया जाना

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के मुख्य अभियंता ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए मॉडल अनुमान जारी किए (मार्च 2017) और सीसी सड़कों की मोटाई 200 मिमी होने के संबंध में निर्देश जारी किए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹1.58 करोड़ की लागत के 24 कार्यों[18] में सड़कों की मोटाई का उल्लेख किए बिना सीसी सड़कों के निर्माण की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी।सीसी सड़कों के लिए विशिष्ट मोटाई प्रदान करने के लिए निष्पादन एजेंसियों को स्पष्ट निर्देशों के अभाव में, निष्पादन एजेंसियां अपनी सुविधा के अनुसार सड़कों का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र थीं न कि निर्धारित मानकों के अनुरूप।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि जिलों ने निर्माण में सड़कों की मोटाई के संबंध में निर्देशों का अनुपालन किया था।

---

[17] ***दो कार्य ग्रापं सुकवाहा, जपं टीकमगढ़ (₹ 3 लाख), एक कार्य ग्रापं खारो, जपं पलेरा (₹ 10 लाख), एक कार्य ग्रापं बुडेरा, जपं टीकमगढ़ (₹ 3 लाख), एक कार्य ग्रापं सबनेरा, जपं जतारा (₹ 9.5 लाख)।***

[18] ***जिपं सागर (15), जपं रेहली (दो), जिपं धार (एक), जपं सरदारपुर (एक) एवं जपं मण्डला (पाँच)।***

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने मॉडल अनुमान के अनुसार सड़क की मोटाई का उल्लेख किए बिना तकनीकी स्वीकृति जारी की।

3.5 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण

योजना क्रियान्वयन के अनुश्रवण की जिम्मेदारी पंचायत राज संचालनालय के उप संचालक और जिला पंचायत/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की थी। विभाग ने दिशानिर्देश जारी किए (अगस्त 2016 एवं जून 2017) कि सभी कार्यों की प्रभावी अनुश्रवण की जानी चाहिए और गुणवत्ता नियंत्रण आकडों का आवधिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु संचालनालय स्तर पर जून 2017 में उप संचालक की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया गया था।

लेखापरीक्षा ने योजना निष्पादन की अनुश्रवण के संबंध में निम्नलिखित कमियां पायी:

3.5.1 योजना की उचित अनुश्रवण का अभाव

योजना के दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं कि ग्राम पंचायतों के सरपंच/सचिव कार्य की स्वीकृति होते ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर प्रत्येक कार्य की डेटा प्रविष्टि के लिए जिम्मेदार थे, ताकि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्यों की प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण की जा सके।

लेखापरीक्षा ने समस्त चयनित जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों में, देखा कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 के मध्य निष्पादित समस्त 1,466 कार्यों की भौतिक और ऑनलाइन पोर्टल विवरण में भिन्नता थी, जैसा कि **तालिका-3.8** में दिखाया गया है:

तालिका-3.8 आनलाइन एवं आफलाइन डेटा में अंतर का विवरण

वर्ष	आनलाइन पोर्टल के अनुसार कार्यों की संख्या	वास्तविक रूप में निष्पादित किये गये कार्यों की संख्या	अंतर
2017-18	696	740	(-)44
2018-19	841	726	(+) 115
2019-20	169	0	(+) 169
योग	**1,706**	**1,466**	

(आंकड़ों का स्त्रोतः पंचायत दर्पण पोर्टल के आंकड़े एवं चयनित जि.पं./ज.पं. द्वारा प्रदाय जानकारी)

आंकडों में भिन्नता होना इंगित करता है कि ऑनलाइन पोर्टल हेतु आंकडों की प्रविष्टि और दर्ज किये जा रहे आंकडों की गुणवत्ता एवं प्रामाणिकता का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा था। फलस्वरूप, पोर्टल पर उपलब्ध आंकडे विश्वसनीय नही थे, जो इन्हें अनावश्यक बनाता है।

विश्वसनीय आँकडों के अभाव में अद्योसंरचना कार्यों की ऑनलाइन अनुश्रवण का उद्देश्य विफल हो गया।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि ग्राम पंचायतों द्वारा लिये गये प्रत्येक कार्य की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से पंचायत दर्पण पोर्टल में की जानी चाहिए तथा कोई भी भुगतान पोर्टल पर कार्यों की प्रविष्टि किये बिना नहीं किया जा सकता था। तथापि, पोर्टल पर कार्य को पंजीकृत करते समय कभी-कभी संबंधित सचिव/रोजगार सहायक योजना का सही नाम नहीं चुनते हैं, जिसके कारण कार्य विशेष पोर्टल पर पंजीकृत तो हो जाता है, पर विशिष्ट योजना के अंतर्गत पंजीकृत नहीं होता है।इसी कारण से ऑफलाइन और ऑनलाइन कार्य की संख्या में अंतर है।

उत्तर स्वयं इस बात की पुष्टि करता है कि संबंधित ग्राम पंचायतें उचित डेटा प्रविष्टि एवं सत्यापन सुनिश्चित नहीं कर सकीं। इसके अलावा पोर्टल पर विश्वसनीय डाटा के अभाव में विभाग समुचित अनुश्रवण करने में विफल रहा।

3.6 निष्कर्ष

विभाग ने जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों द्वारा अनुदान के उपयोग के अभिलेखों का संधारण नहीं किया और अनुदान नियमित रूप से जारी किये गए। आगे, जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों ने न तो उपयोगिता प्रमाणपत्र विभाग को प्रस्तुत किये और न ही योजनावार खाताबही/लेखा अभिलेखो का संधारण किया। अनुचित योजना बनाया जाना, शासन के निर्देशों के अनुपालन में विफलता तथा अनुश्रवण की अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप चयनित 163 कार्यों मे से मात्र 14 (8.59 प्रतिशत) कार्य समय पर पूर्ण हो सके।

इसके अतिरिक्त, कमजोर आंतरिक नियंत्रण और गुणवत्ता अनुश्रवण प्रणाली में कमी के कारण, कार्यो के गलत चयन, गुणवत्ता नियंत्रण की कमी, मापपुस्तिका में विस्तृतमाप की प्रविष्टि न किये जाने और गैर निष्पादित/आंशिक रूप से निष्पादित कार्यों के लिये किये गये भुगतान के प्रकरण थे ।

3.7 अनुशंसाएं

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और क्रियान्वयन एजेंसियां (जि.पं./ज.पं./ग्रा.पं.) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकती हैं किः

(i) पूर्व में जारी अनुदानों का उपयोग सुनिश्चित करने के बाद ही, राज्य वित्त आयोग अनुदान जारी किया जाना चाहिए।

(ii) जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर योजनावार खाताबही तथा समस्त आय एवं व्यय को लेखाबद्ध करने के लिए अन्य लेखा अभिलेखों का संधारण करना चाहिए।

(iii) प्रत्येक कार्य की पूर्णता अवधि निर्धारित की जानी चाहिए तथा इसे कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लिखित किया जाना चाहिए।

(iv) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

(v) कार्य की मापपुस्तिका में विस्तृत माप दर्ज की जानी चाहिए।

(vi) विभाग को सभी कार्यों में निर्माण के प्रत्येक चरण में जियो-टैग की गई छायाचित्रों को अपलोड कराना सुनिश्चित करना चाहिए।

(vii) विभाग को पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली को सशक्त करना चाहिए।

भाग-ब

अध्याय-4

नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यप्रणाली पर विहंगावलोकन

अध्याय-4

नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यप्रणाली पर विहंगावलोकन

4.1 प्रस्तावना

74वें संविधान संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की और समान संरचना, नियमित चुनावों और वित्त आयोग के माध्यम से धन के नियमित प्रवाह आदि की प्रणाली स्थापित की। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, राज्यों को इन निकायों को शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व सौंपने की आवश्यकता है जिससे वे स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकें।

संविधान के अनुच्छेद 243फ में परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक राज्य में बृहत नगरीय क्षेत्रों के लिए नगरनिगमों, लघुत्तर नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर परिषद्, और एक ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों) का गठन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 243ब में कहा गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समय बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं और ऐसी विधि में नगर पालिकाओं को शक्तियों और दायित्वों के हस्तांतरण के प्रावधान हो सकते हैं।

मार्च 2021 की स्थिति में राज्य में 16 नगर निगम, 99 नगरपालिका परिषद् और 292 नगर परिषद् थे।

4.2 नगरीय स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढाँचा

सभी नगरीय स्थानीय निकायों को मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार दिया गया है, जो उनमें प्रदान किए गए राज्य प्राधिकरणों में निहित निगरानी शक्तियों के अंतर्गत है। शासन स्तर पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग (यू.डी.एच.डी.) नगरीय स्थानीय निकायों के लिए प्रशासनिक विभाग है। नगरीय स्थानीय निकायों के अभिशासन का संगठनात्मक ढाँचा निम्नानुसार है:

चार्ट-4.1: मध्य प्रदेश में नगरीय स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढाँचा

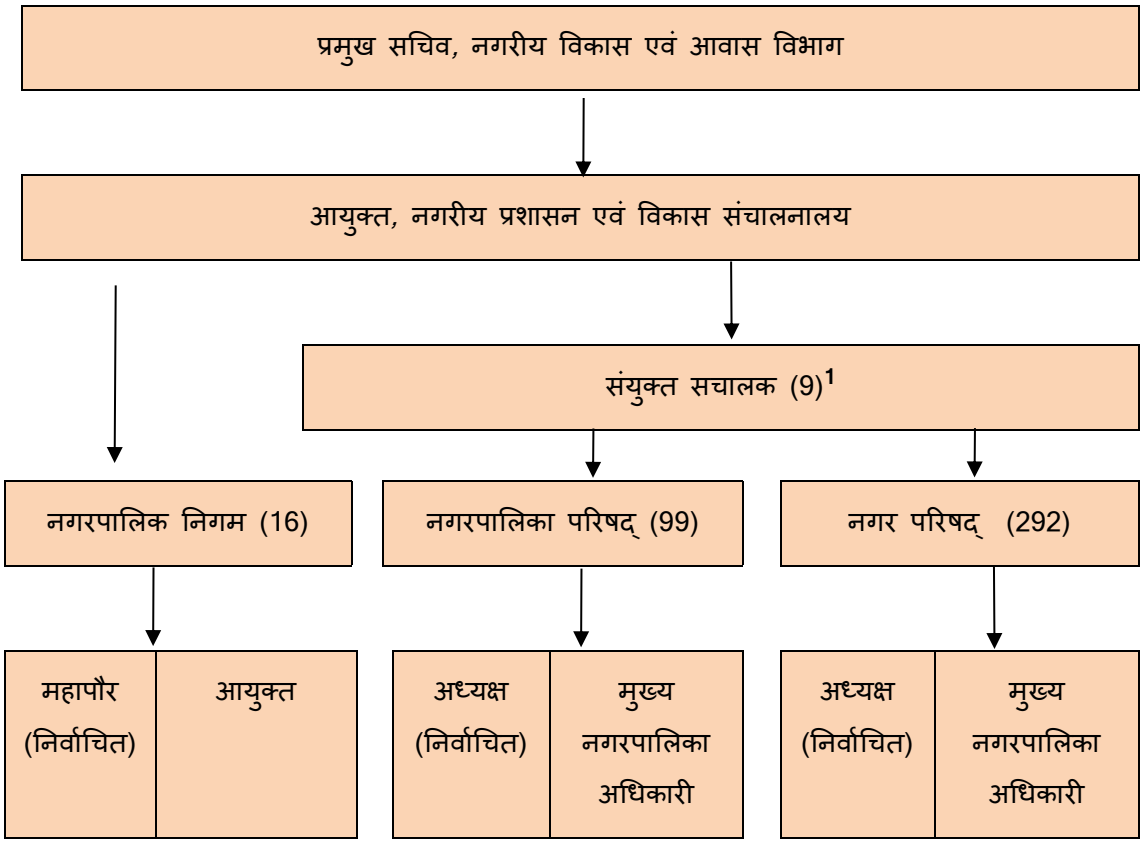

4.3 नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यकलाप

अनुच्छेद 243ब में परिकल्पना की गई है कि राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है, जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं और ऐसे कानून में नगरपालिकाओं को शक्तियों और दायित्वों के हस्तांतरण के प्रावधान, जिसमें बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्य सम्मिलित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों को भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में निहित सभी 18 कार्यों को हस्तांतरित किया, जैसा कि **परिशिष्ट-4.1** में वर्णित है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243भ में परिकल्पना की गई है कि राज्य विधानमंडल, विधि द्वारा, नगरीय स्थानीय निकायों को राजस्व संग्रह के लिए विभिन्न कर अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। यह संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132 और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127 में सम्मिलित किया गया है। नगरीय स्थानीय निकायों के स्तर पर संपत्ति कर, समग्र

[1] ***भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, शहडोल और उज्जैन।***

कर, जल कर, बाजार शुल्क, आदि सहित विभिन्न प्रकार के कर अधिरोपित किए हैं।

नगरीय स्थानीय निकाय तीन प्रकार के होते हैं, यथा, नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् और नगर परिषद् जिनका वर्णन नीचे किया गया हैः

- **नगरपालिक निगम**

मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अनुसार, एक नगरपालिक निगम में नगरपालिक निगम क्षेत्र से सीधे निर्वाचित महापौर और पार्षद सम्मिलित होंगे। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 37 में प्रावधान है कि महापौर द्वारा मेयर-इन-काउंसिल के कार्यों और क्रियाकलापों जैसा विहित किया जाए, के संचालन के लिए निर्वाचित पार्षदों में से प्रत्येक नगरपालिक निगम के लिए मेयर-इन-काउंसिल का गठन किया जाएगा।

मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुसार, महापौर का अपने कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा और ऐसे शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निष्पादन करेगा जो अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम में वर्णित हों।

निगम के आयुक्त को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो कि निगम का प्रधान कार्यकारी अधिकारी है जिसे निगम या उसकी किसी समिति की किसी भी बैठक में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा लेकिन मत देने या कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा। आयुक्त के कार्यालय में नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यों और कर्तव्यों के लिए प्रशासनिक कर्मचारी होंगे। आयुक्त इस अधिनियम द्वारा उसे सौंपे गए या प्रदत्त सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और सभी नगरपालिका अधिकारियों के कार्यों और कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा।

- **नगरपालिका परिषद् एवं नगर परिषद्**

मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 के अनुसार, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक नगरपालिका परिषद् और संक्रमणकालीन शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद् में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा संबंधित क्षेत्रों से निर्वाचित अध्यक्ष और पार्षद होंगे। अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत, प्रत्येक नगरपालिका परिषद्, नगर परिषद् के लिए एक प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल (पीआईसी) होगा, जिसका गठन अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित पार्षदों में से पीआईसी के कार्यों और क्रियाकलापों जैसा कि निर्धारित किया जाए, के संचालन के लिए किया जाएगा। नगरपालिका

परिषद्/नगर परिषद् के अध्यक्ष, जो पीआईसी के अध्यक्ष हैं, सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन का पर्यवेक्षण करेंगे और अधिनियम के अंतर्गत आवंटित ऐसे कार्यकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे।

अधिनियम की धारा 87 के अनुसार, परिषद् के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद् का प्रधान कार्यकारी अधिकारी होगा और उसके पास ऐसी शक्तियाँ होंगी और ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियम में वर्णित है।

4.3.1 स्वीकृत पद संख्या की तुलना में जनशक्ति की कमी

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीनों प्रकार के नगरीय स्थानीय निकायों में कर्मचारियों की अत्यधिक कमी थी जो कि नगरीय स्थानीय निकायों के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी।

लेखापरीक्षा ने 32 शहरी स्थानीय निकायों की नमूना जांच में देखा कि मार्च 2021 तक विभिन्न संवर्गों में जनशक्ति की कुल स्वीकृत संख्या के विरूद्ध पर्याप्त रिक्तियां थीं जैसा कि नीचे **तालिका 4.1** में दिखाया गया हैः

तालिका-4.1: नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों में स्वीकृत संख्या की तुलना में जनशक्ति की कमी

स.क्र.	नगरीय स्थानीय निकायों का प्रकार (संख्या)	कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या	पदस्थापित कर्मचारियों की संख्या	रिक्ति	रिक्ति प्रतिशत में
1	नगरपालिक निगम (8)	24,727	11,341	13,386	54.14
2	नगरपालिका परिषद् (13)	3,550	1,962	1,588	44.73
3	नगर परिषद् (11)	1,109	504	605	54.55
योग		**29,386**	**13,807**	**15,579**	**53.02**

(स्रोतः नगरीय स्थानीय निकाय)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि नगरीय स्थानीय निकायों में 44.73 से 54.55 प्रतिशत तक की भारी रिक्तियां थीं जो स्पष्ट रूप से नगरीय स्थानीय निकायों के कामकाज को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, 17 नगरीय स्थानीय निकायों में यह भी पाया गया कि विभिन्न 24 पदों पर स्वीकृत कर्मचारियों की तुलना में अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे, जैसा कि **परिशिष्ट 4.2** में वर्णित है। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि

नगरपालिक निगम देवास[2], नगरपालिक निगम भोपाल[3], नगरपालिक निगम छिंदवाड़ा[4] जैसे अन्य नगरीय स्थानीय निकायों में इन पदों पर कर्मचारियों की कमी थी। पदस्थ कर्मचारियों के इस अतार्किक वितरण ने संकेत दिया कि विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन समुचित नहीं था।

4.3.2 सर्विस लेवल बेंचमार्क पर प्रदर्शन

बेंचमार्किंग सेवा प्रदान करने में उत्तरदायित्व समाविष्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। इसके महत्व को स्वीकार करते हुए, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने मूलभूत सेवाओं के निष्पादन प्रबंधन के लिए 2008 से सर्विस लेवल बेंचमार्क निर्धारित किए। शहरी विकास मंत्रालय ने सर्विस लेवल बेंचमार्क हैंडबुक भी जारी की थी जिसमें चार मूलभूत नगरपालिका सेवाओं, जल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वर्षा जल निकासी के संबंध में कार्य की निगरानी के लिए मानकीकृत ढांचा निर्धारित किया गया था। सर्विस लेवल बेंचमार्क संकेतकों में जल आपूर्ति कनेक्शनों की व्याप्ति, जल की गुणवत्ता, जल आपूर्ति में लागत की वसूली, शौचालयों की व्याप्ति, सीवेज नेटवर्क सेवा की व्याप्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की घरेलू-व्याप्ति, सार्वजानिक ठोस कचरे का पृथक्करण और निपटान और वर्षा जल निकासी के नेटवर्क की व्यापित सम्मिलित है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, सेवा प्रदायगी प्रणाली में सुधार के लिए मानक निर्धारित (दिसंबर 2020) किए थे।

नगरीय स्थानीय निकायों को समय-समय पर सेवा स्तर के बेंचमार्क पर निष्पादन प्रतिवेदन तैयार करनी होती है और निष्पादन प्रबंधन के लिए प्रणालियों को संस्थागत बनाना होता है।

26 मापदंडों में से तीन शीर्षों (जल आपूर्ति, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) के अंतर्गत हमने 401 शहरी स्थानीय निकायों में 13 मापदंडों का विश्लेषण किया। परिणामों का वर्णन नीचे किया गया हैः

---

[2] ***सहायक ग्रेड-3 की कमी***

[3] ***सहायक राजस्व निरीक्षक एवम सफाई संरक्षक की कमी***

[4] ***ड्राइवर और चौकीदार की कमी***

- **जल आपूर्ति**

401 नगरीय स्थानीय निकायों में से तीन सौ बारह (77.81 प्रतिशत) में अभी भी 100 प्रतिशत जल कनेक्शन के लक्ष्य को प्राप्त करना शेष था। आगे, 193 (48.13 प्रतिशत) नगरीय स्थानीय निकाय अभी भी लक्ष्यानुसार प्रति व्यक्ति दैनिक जल आपूर्ति प्रदान नहीं कर सके थे और 129 (32.17 प्रतिशत) नगरीय स्थानीय निकाय कनेक्शनों के विरुद्ध निर्धारित पानी के मीटर स्थापित नहीं कर सके थे। 185 (46.13 प्रतिशत) नगरीय स्थानीय निकाय ऐसे थे जो लोक शिकायत निवारण के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे।

- **सीवरेज**

401 नगरीय स्थानीय निकायों में से 151 (37.66 प्रतिशत), शौचालयों के कवरेज के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे। 43 (10.72 प्रतिशत) एवं 35 (8.73 प्रतिशत) नगरीय स्थानीय निकाय क्रमशः सीवरेज के कवरेज और सीवेज उपचार की पर्याप्तता के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे। इसके अलावा, 124 (30.92 प्रतिशत) नगरीय स्थानीय निकाय, लोक शिकायत निवारण के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने में विफल रहे।

- **ठोस अपशिष्ट**

401 नगरीय स्थानीय निकायों में से 202 (50.37 प्रतिशत) संग्रह दक्षता प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे। 248 (61.85 प्रतिशत) और 207 (51.62 प्रतिशत) नगरीय स्थानीय निकाय क्रमशः ठोस कचरे को अलग करने और ठोस कचरे से पुनः उपयोग/पुनर्नवीनीकृत सामग्री प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे। इसके अतिरिक्त, 171 (42.64 प्रतिशत) और 161 (40.15 प्रतिशत) नगरीय स्थानीय निकाय क्रमशः ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान और लोक शिकायत निवारण के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे।

4.4 लेखापरीक्षा व्यवस्था

राज्य सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों के खातों की लेखापरीक्षा के लिए निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा (डीएलएफए) नियुक्त (नवंबर 2001) किया, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता (टीजीएस) के अंतर्गत कार्य

करेंगे। टीजीएस के मानक नियमों और शर्तों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को खातों की ऐसी नमूना जांच करने और वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने और अनुपूरण करने जैसा कि वह उचित समझे का अधिकार है।इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उनके प्रतिनिधि को अपने विवेकानुसार लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने का अधिकार है।

मध्य प्रदेश राज्य विधान सभा ने राज्य में स्थानीय निकायों के विनियोग लेखाओं के परीक्षण के लिए स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति (एलबीपीएसी) का गठन (मार्च 2015) किया।एलबीपीएसी विधान सभा के पटल पर रखी गई सीएंडएजी के प्रतिवेदन की जांच के लिए भी उत्तरदायी है।

- **भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग द्वारा प्रदान किया गया तकनीकी मार्गदर्शन और सहायताः**

लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2020 की धारा 120 में नगरीय स्थानीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था की परिकल्पना की गई हैः

- निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा (डीएलएफए) शहरी स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करेगा एवं इसे राज्य के महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित करेगा।
- स्थानीय निधि लेखापरीक्षक द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा पद्धति और प्रक्रियाएं राज्य द्वारा अधिनियमित विभिन्न अधिनियमों एवं विधियों और भारत के सीएंडएजी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।
- चयनित स्थानीय निकायों के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतियां स्थानीय निधि लेखापरीक्षक द्वारा प्रणाली में सुधार पर परामर्श के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित की जाएंगी।
- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा कर्मचारियों का प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि भी करेंगे।

डीएलएफए द्वारा 2021-22 के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की गई थी, जिसे महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित किया गया। डीएलएफए के वर्ष 2021-22 के लेखापरीक्षा योजना में कुल 372 इकाइयों को दर्शाया गया था, जिसमें से 49 इकाइयों (16 नगरपालिक

निगम, 33 नगरपालिका परिषद्) की लेखापरीक्षा रेजिडेंट लेखापरीक्षा द्वारा की जा रही थी, जबकि 323 इकाइयां उत्तरवर्ती-लेखापरीक्षा के अंतर्गत थीं।डीएलएफए द्वारा समय-समय पर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सुझाई गई पद्धति और प्रक्रिया का पालन किया गया।डीएलएफए द्वारा पिछले तीन वर्षों की लेखापरीक्षा योजना में वास्तव में लेखापरीक्षित इकाइयों के साथ नगरीय स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए नियोजित इकाईयों का विवरण निम्नानुसार हैः

तालिका-4.2: इकाइयों की वर्ष-वार लेखापरीक्षा की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	इकाइयों की संख्या		शेष इकाइयाँ (संख्या में)
		लेखापरीक्षा हेतु नियोजित	लेखापरीक्षित	
1	2019-20	174	188	कुछ नहीं (आधिक्य 14)
2	2020-21	154	154	कुछ नहीं
3	2021-22	159	130	29

(स्रोतः निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा-भोपाल, मध्य प्रदेश)

यह देखा जा सकता है कि 2019-20 की अवधि में 14 अनियोजित इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी थी जबकि 2021-22 में 29 नियोजित इकाइयों की लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी। यह न केवल लेखापरीक्षा योजना के कमजोर कार्यान्वयन बल्कि इसकी पर्यवेक्षण की कमी को भी दर्शाता है।

- **प्राथमिक लेखापरीक्षकों के निरीक्षण प्रतिवेदनों का विश्लेषणः**

प्राथमिक लेखापरीक्षकों द्वारा संचालित लेखापरीक्षा का निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) डीएलएफए से नियमित रूप से प्राप्त हो रही है। इन प्रतिवेदनों का शत-प्रतिशत पुनरीक्षण किया गया और डीएलएफए को परामर्श जारी किए गए हैं। उनकी निरीक्षण प्रतिवेदनों में निरंतर देखी जाने वाली आपत्तियां नीचे दी गई हैंः

- लेखापरीक्षिती का उत्तर निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं पाया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवेदन एक पक्षीय हुए।
- गंभीर और अन्य अनियमितताओं को निरीक्षण प्रतिवेदनों में पृथक्कृत नहीं किया गया था।

- समान विषयों की कंडिका को पिछले निरीक्षण प्रतिवेदनों से अद्यतन नहीं किया गया था, इन्हें एक नयी कंडिका के रूप में सम्मिलित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप समान प्रकृति की कंडिका में वृद्धि हुई।
- पिछले तीन वर्षों के बजट विवरणों का सारांश निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया था।
- लेखापरीक्षिती कार्यालय के प्रमुख के साथ प्रवेश और निर्गम सम्मेलन का कोई उल्लेख नहीं है।

इसके अतिरिक्त, प्राथमिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि लंबित आपत्तियों की संख्या अधिक थी और मार्च 2022 तक कुल 2,16,338 लेखापरीक्षा आपत्तियां लंबित थीं।

- **डीएलएफए में कर्मचारियों की कमी**

डीएलएफए द्वारा दिए गए तथ्यों के अनुसार, यह सामने आया कि कर्मचारियों की भारी कमी (50.80 प्रतिशत) थी।स्वीकृत 1,012 पदों के विरूद्ध मात्र 498 कर्मी (49.20 प्रतिशत) कार्यरत थे। इसका सीधा प्रभाव डीएलएफए द्वारा 2021-22 की अवधि में अनुपालन लेखापरीक्षा (**तालिका-4.2 देखें**) पर पड़ा।इसके अतिरिक्त डीएलएफए द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी।

4.5 लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया

टीजीएस व्यवस्था के अंतर्गत तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), मध्य प्रदेश के नि.प्र. डीएलएफए को भेजे गए थे।टीजीएस व्यवस्था के अनुसार, डीएलएफए को नि.प्र. के लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अनुपालन की अनुवर्ती कार्रवाई करनी थी।यद्यपि, यूडीएचडी में गैर-पीएसयू के 1,614 नि.प्र. में 9,426 कंडिकाएं, जिसमें 2021-22 की अवधि में जारी 567 कंडिकाएं और यूडीएचडी विभाग में वाणिज्यिक क्षेत्र के पीएसयू/निगम/स्वायत्त निकायों के 19 नि.प्र. में 244 कंडिकाएं सम्मिलित हैं, जिसमें 2021-22 की अवधि में जारी 105 कंडिकाएं सम्मिलित हैं, मार्च 2022 तक निस्तारण के लिए लंबित थे, जैसा कि **तालिका-4.3 (अ और ब)** में वर्णित हैः

तालिका-4.3: निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति

(अ) यूडीएचडी में 31 मार्च 2022 तक गैर-पीएसयू के लंबित नि.प्र./कंडिकाओं का विवरण

क्र.स.	वर्ष	वर्ष के दौरान प्रारंभिक शेष और वृद्धि				अंतिम शेष	
		नि. प्र.	नि.प्र. में वृद्धि	कंडिकाएँ	कंडिकाओं में वृद्धि	नि.प्र.	कंडिकाएँ
1	2017-18	1,192	140	5,481	1,076	1,332	6,557
2	2018-19	1,332	79	6,557	712	1,411	7,269
3	2019-20	1,411	139	7,269	1,399	1,550	8,668
4	2020-21	1,550	32	8,668	200	1,582	8,868
5	2021-22	1,582	32	8,868	567	1,614	9,426*

*9,426=8,868+567-9 (9 कंडिकाएं विलोपित)

(ब) 31 मार्च 2022 तक यूडीएचडी में वाणिज्यिक क्षेत्र के पीएसयू/निगम/स्वा.नि के लंबित नि.प्र. और कंडिकाओं का विवरण

क्र. स.	वर्ष	वर्ष के दौरान प्रारंभिक शेष और वृद्धि				अंतिम शेष	
		नि.प्र.	नि.प्र. में वृद्धि	कंडिकाएँ	कंडिकाओं में वृद्धि	नि. प्र.	कंडिकाएँ
1	2017-18	0	3	0	22	3	22
2	2018-19	3	2	22	14	5	36
3	2019-20	5	5	36	39	10	75
4	2020-21	10	5	75	74	15	149
5	2021-22	15	4	149	105	19	244*

(स्रोतः महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) मध्य प्रदेश द्वारा संकलित नियंत्रण रजिस्टर)

****244=149+105-10 (10 कंडिकाएं विलोपित)***

वित्तीय प्रतिवेदन के मामले

यूएलबी के वित्त में स्वयं के स्रोतों से प्राप्तियां एवं भारत सरकार और राज्य शासन से अनुदान और सहायता सम्मिलित हैं। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर कुल कर राजस्व की शुद्ध आय के हस्तांतरण के माध्यम से राज्य शासन के अनुदान प्राप्त होते हैं।बजट और व्यय, वित्त आयोग अनुदान और निधियों के हस्तांतरण जैसे मामलों पर निम्नलिखित कंडिकाओं में टिप्पणी की गई हैः

4.6 नगरीय स्थानीय निकायों का बजटीय आवंटन और व्यय

पिछले पांच वर्षों की अवधि में राज्य बजट के माध्यम से राज्य शासन द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को आवंटित धनराशि (राज्य के कर राजस्व का भाग और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुदान) इस प्रकार थेः

तालिका-4.4: नगरीय स्थानीय निकायों की प्राप्ति और व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान क्रमांक	सहायता अनुदान			वास्तविक व्यय			अव्ययित शेष राशि	बचत का प्रतिशत
		राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग		
2016-17	22, 53, 68, 71, 75	13,096.70	941.74	14,038.44	10,847.20	246.43	11,093.63	2,944.81	21
2017-18	22, 41, 64	13,217.93	1,670.10	14,888.03	12,007.84	667.36	12,675.20	2,212.83	15
2018-19	22, 64	16,673.07	1,721.91	18,394.98	12,745.38	874.61	13,619.99	4,774.99	26
2019-20	22, 64	15,488.86	1,620.94	17,109.80	10,524.65	1,093.67	11,618.32	5,491.48	32
2020-21	22, 64	12,383.30	1,911.88	14,295.18	11,567.01	1,880.92	13,447.93	847.25	6
योग		**70,859.86**	**7,866.57**	**78,726.43**	**57,692.08**	**4,762.99**	**62,454.44**	**16,271.36**	**21**

(स्रोतः विनियोग लेखा)

जैसा कि **तालिका-4.4** से स्पष्ट है, वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2020-21 में शहरी स्थानीय निकायों के लिए कुल अनुदान आवंटन में 1.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि, शहरी स्थानीय निकाय पूरे अनुदान आवंटन का 21 प्रतिशत व्यय नहीं कर सके और 2016-21 की अवधि में बचत छः से 32 प्रतिशत के बीच रही ।

4.7 चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान

14वें (अवधि 2015-20) और 15वें (अवधि 2020-26) वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्य के अंतर्गत विभिन्न यूएलबी के बीच आवंटन, संबंधित राज्यों द्वारा किया जाना था। 14वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा उनके खातों में जमा किए जाने के पंद्रह दिनों के अंदर राज्यों को यूएलबी को अनुदान जारी करना आवश्यक था। विलंब की स्थिति में, राज्य शासन को स्वयं की निधि से भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर पर ब्याज सहित किस्त जारी करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उनके खातों में जमा किए जाने के दस कार्य दिवसों के भीतर यूएलबी को अनुदान जारी करने की आवश्यकता थी। विलम्ब की स्थिति में, राज्य शासन को विगत वर्ष के लिए बाजार ऋण/राज्य विकास ऋण पर प्रभावी ब्याज दर के अनुसार विलम्ब की अवधि के देय लिए ब्याज सहित किस्त विमुक्त करनी चाहिए।

यूएडीडी द्वारा 2016-21 की अवधि के लिए प्रदान किए गए विवरण की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि राज्य शासन ने मार्च 2021 तक भारत सरकार (जीओआई) से क्रमशः 14वें और 15वें वित्त आयोग के अनुदान के रूप में ₹ 3,226.33 करोड़ और ₹ 1,768.50 करोड़ प्राप्त किए। यद्यपि, राज्य सरकार ने यूएलबी को अनुदान जारी करने में विलंब किया और 14वें और 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार यूएलबी को ₹ 13.78 करोड़ का ब्याज किस्तों के साथ जारी नहीं किया, विवरण **परिशिष्ट-4.3** में दिया गया है।

आगे, यह देखा गया कि 2016-21 की अवधि में वित्त आयोग, अनुदान के संबंध में यूएडीडी और मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों में ₹ 1,000.43 करोड़ का अंतर था। यूएडीडी के अनुसार 2016-21 की अवधि में कुल देय अनुदान ₹ 4,994.83 करोड़ थी जबकि मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के अनुसार यह ₹ 5,995.26 करोड़ थी। विमुक्त अनुदान की राशि में अंतर वर्ष 2019-20 (₹ 850.93 करोड़) और 2020-21 (₹149.50 करोड़) था ।

14वें वित्त आयोग के अंतर्गत निष्पादन अनुदान जारी न करना

14वें वित्त आयोग ने 2015-20 की अवधि के लिए निष्पादन अनुदान की अनुशंसा की थी। निष्पादन अनुदान निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान देने के लिए थेः (i) लेखापरीक्षित खातों के माध्यम से स्थानीय निकायों की प्राप्ति और व्यय पर विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराना; और (ii) स्वयं के राजस्व में सुधार। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए सेवा स्तर के बेंचमार्क को मापना और प्रकाशित करना होगा। राज्य सरकारों को नगरीय स्थानीय निकायों के लिए निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

14वें वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश के लिए 2016-20 की अवधि के लिए ₹ 1,035.32 करोड़ के निष्पादन अनुदान की अनुशंसा की। यद्यपि, भारत सरकार द्वारा केवल 2016-17 और 2019-20 की अवधि के लिए मात्र ₹ 432.77 करोड़ जारी किए गए थे। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कोई निष्पादन अनुदान जारी नहीं किया गया। 14वें वित्त आयोग द्वारा संबंधित वर्षों के लिए ₹ 229.75 करोड़ और ₹ 260.91 करोड़ निष्पादन अनुदान की अनुशंसा की गई थी किन्तु जारी नहीं किया गया। इस प्रकार, संभवतः 14वें वित्त आयोग द्वारा की गयी निष्पादन संबंधी अनुशंसाओं के अनुपालन की कमी के कारण राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को निष्पादन अनुदान के रूप में ₹ 602.55 करोड़ कम जारी किए गए थे।

4.8 नगरीय स्थानीय निकायों को निधियों का अंतरण

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 105 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 87 के प्रावधानों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के मुख्य दो स्रोत नामतः सरकारी अनुदान और स्वयं का राजस्व हैं। सरकारी अनुदान में तीसरे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य शासन के विभाज्य कर राजस्व के एक प्रतिशत का हस्तांतरण सम्मिलित है।

तीसरे राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) ने अनुशंसाओं की (राज्य शासन द्वारा फरवरी 2010 में स्वीकृत) कि राज्य शासन के विभाज्य कर राजस्व का एक प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। वर्ष 2016-21 की अवधि में, वित्त विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को एसएफसी अनुदानों का हस्तांतरण नीचे **तालिका 4.5** में दिखाया गया हैः

तालिका-4.5 निकायों को निधियों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	हस्तांतरण योग्य निधियाँ	निधियाँ हस्तांतरित	(-)/आधिक्य कमी (+)
1	2016-17	291.97	259.76	(-) 32.21
2	2017-18	319.61	326.65	(+) 7.04
3	2018-19	321.10	309.22	(-) 11.88
4	2019-20	368.44	305.98	(-) 62.46
5	2020-21	427.78	300.79	(-) 126.99
कुल		**1,728.90**	**1,502.40**	**(-) 226.50**

(स्रोतः वित्त विभाग और यूएडीडी द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

तालिका-4.5 से देखा जा सकता है कि 2016-21 की अवधि में नगरीय स्थानीय निकायों को ₹ 226.50 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ था। इस संबंध में, वित्त विभाग ने बताया (अक्टूबर 2021) कि जब भी कोई विचलन होता है, तो आगामी वर्षों में उसे चुकाने का निरंतर प्रयास किया जाता है। आगे यह कहा गया (नवंबर 2022) कि 2020-21 में धनराशि की कम विमुक्ति का कारण कोविड-19 महामारी के दौरान धनराशि की कमी थी। यद्यपि, आंकड़ो से पता चलता है कि केवल 2017-18 की अवधि में, धनराशि उस राशि से अधिक हस्तांरित की गयी थी, जिसे वर्ष में हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी।

4.9 कर राजस्व/गैर-कर राजस्व की वसूली न होना

मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 87 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 105 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व का स्रोत, कर, किराया, शुल्क, लाइसेंस जारी करना आदि है। मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 173 से 183 में यथा परिकल्पित कर एवं गैर-कर राजस्व की प्राप्ति न होने की स्थिति में नगर निगमों को वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गए 32 शहरी स्थानीय निकायों में से 31 में मार्च 2021 तक ₹ 1,754.10 करोड़ का कर राजस्व (संपत्ति कर, समग्र कर, शिक्षा और विकास उपकर आदि) वसूली योग्य था। इसमें पिछले वर्षों का ₹ 638.20 करोड़ सम्मिलित हैं। हालांकि, 2020-21 की अवधि में, कुल मांग ₹ 1,754.10 करोड़ के विरूद्ध ₹ 550.59 करोड़ (31.39 प्रतिशत) की राशि वसूल की जा सकी। इसी तरह, 31 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा गैर-कर राजस्व (जल शुल्क, लाइसेंस शुल्क, भूमि और भवन किराया, आदि) के अंतर्गत ₹ 306.66 करोड़ की कुल मांग के विरुद्ध, ₹ 174.71 करोड़ (56.97 प्रतिशत) की राशि वसूल की जा सकी। गैर-कर राजस्व ₹ 306.66 करोड़ की कुल राशि में पिछले वर्षों के शेष के रूप में ₹ 215.59 करोड़ सम्मिलित हैं। मार्च 2021 तक कुल ₹ 1,355.46 करोड़ कर और गैर-कर राजस्व शेष था। भोपाल नगर निगम ने लेखापरीक्षा को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। यह इंगित करता है कि इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा देय राशि की वसूली के लिए उक्त अधिनियम की धारा 173 से 183 के अंतर्गत की गई कार्रवाई पर्याप्त नहीं थी जिसका नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अपने स्वयं के निधियों के माध्यम से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर संभावित प्रभाव पड़ा।

इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों में प्राप्तियां (संपत्ति कर और किराया) पर भी एक लेखापरीक्षा की गई और इस प्रतिवेदन के **अध्याय-5** में सम्मिलित किया गया।

अध्याय-5

अनुपालन लेखापरीक्षा

5.1 मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी कंपनियों की अनुपालन लेखापरीक्षा

5.2 नगरीय स्थानीय निकायों में "प्राप्तियों (संपत्ति कर एवं किराया) पर अनुपालन लेखापरीक्षा

5.3 नगरीय स्थानीय निकायों में जल आपूर्ति प्रबंधन

अध्याय-5

अनुपालन लेखापरीक्षा

शहरी स्थानीय निकायों के लेन-देनों की लेखापरीक्षा ने नियमितता, औचित्य और मितव्ययिता के मानदंडों के पालन में कमियों के उदाहरण सामने लाए। इस अध्याय में तीन अनुपालन लेखापरीक्षाओं यथा; (1) मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी कंपनियों की अनुपालन लेखापरीक्षा (2) शहरी स्थानीय निकायों में प्राप्तियाँ (संपत्ति कर और किराया) और (3) शहरी स्थानीय निकायों में जल आपूर्ति के निष्कर्ष शामिल हैं जो निम्नानुसार हैं:

5.1 मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी कंपनियों की अनुपालन लेखापरीक्षा

5.1.1 प्रस्तावना

शहर प्रत्येक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन हैं। भारत की लगभग 31 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद[1] में 63 प्रतिशत का योगदान करती है। बढ़ते शहरीकरण के साथ, शहरी क्षेत्रों में भारत की 40 प्रतिशत आबादी बसने और 2030 तक इसके भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 75 प्रतिशत योगदान देने की उम्मीद है। इसके लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढाँचे के व्यापक विकास की आवश्यकता है। ये सभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और किसी शहर में लोगों और निवेश को आकर्षित करने, वृद्धि और विकास के चक्र को गति देने में महत्वपूर्ण हैं। तद्नुसार, भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी के विकास के लिए 25 जून 2015 को "स्मार्ट सिटी मिशन" की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सुस्थिर शहरों को बढ़ावा देना था जो अपने नागरिकों को एक स्वच्छ और स्थायी वातावरण और 'स्मार्ट' समाधानों के अनुप्रयोग सहित मुख्य बुनियादी ढाँचा और जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करते हैं। हालाँकि, स्मार्ट सिटी की संकल्पना; विकास के स्तर, परिवर्तन और सुधार के लिए तत्परता, संसाधनों और शहरवासियों की आकांक्षाओं पर निर्भर करते हुए अलग-अलग शहरों में अलग-अलग होती है; एक स्मार्ट सिटी में मुख्य बुनियादी अवयवों में शामिल होंगे:

- पर्याप्त जल की आपूर्ति,
- सुनिश्चित बिजली आपूर्ति,
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता।

---

[1] *जनगणना 2011 के अनुसार।*

स्मार्ट शहरों को या तो क्षेत्र आधारित विकास (एबीडी) मॉडल की तर्ज पर या पैन-सिटी डेवलपमेंट (पीसीडी) मॉडल के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। स्मार्ट सिटी मिशन में एबीडी के कार्यनीतिक घटक, शहर सुधार (रेट्रोफिटिंग[2]), शहर नवीकरण (पुनर्विकास[3]) और शहर विस्तार (ग्रीनफील्ड विकास[4]) हैं। पीसीडी के मामले में, स्मार्ट समाधान के कुछ घटक पूरे शहर के सभी नागरिकों को प्रदान किया जाना वांछित है। मध्य प्रदेश में, सात[5] शहरों को "स्मार्ट सिटी मिशन" (एससीएम) के अंतर्गत स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था।

5.1.2 संगठनात्मक ढांचा

शहर स्तर पर एससीएम का कार्यान्वयन, इस उद्देश्य के लिए सृजित एक स्मार्ट सिटी कम्पनी (एससीसी) द्वारा किया जाना था। एससीसी, स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं की योजना, मूल्यांकन, अनुमोदन, कार्यान्वयन, प्रबंध, संचालन, निगरानी और मूल्यांकन करेगा। मध्य प्रदेश में, संबंधित शहर की मध्य प्रदेश शहरी विकास कम्पनी लिमिटेड और शहरी स्थानीय निकाय की इक्विटी भागीदारी से सात स्मार्ट सिटी कंपनियों (प्रत्येक चयनित शहर के लिए एक) का गठन किया गया था।

जिले का कलेक्टर एससीसी का पदेन अध्यक्ष होता है और नगरीय स्थानीय निकाय (यूएलबी) का आयुक्त उस शहर के लिए एससीसी का पदेन कार्यकारी निदेशक होता है। कार्यान्वयन स्तर पर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एससीसी का प्रमुख होता है और कम्पनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए जिम्मेदार होता है। मुख्य वित्तीय अधिकारी, कम्पनी सचिव, अधीक्षण अभियंता, मुख्य योजनाकार, प्रशासनिक अधिकारी और प्रबंधक, ई-गवर्नेंस द्वारा

---

[2] ***रिट्रोफिटिंग- रेट्रोफिटिंग में, मौजूदा क्षेत्र को और अधिक दक्ष और रहने योग्य बनाने के लिए स्मार्ट सिटी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नागरिकों के परामर्श से शहर द्वारा 500 एकड़ से अधिक के क्षेत्र की पहचान की जाएगी।***

[3] ***पुनर्विकास- पुनर्विकास में, नागरिकों के विमर्श से मौजूदा निर्मित परिवेश को बदलकर और एक नए ले-आउट के सह-निर्माण को संभव करके शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पहचाने गए 50 एकड़ से अधिक के क्षेत्र की परिकल्पना की गई है।***

[4] ***ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट- ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट 250 एकड़ से अधिक खाली क्षेत्र में है।***

[5] ***भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन।***

सीईओ की सहायता की जाती है। संगठन चार्ट नीचे दिखाया गया है:

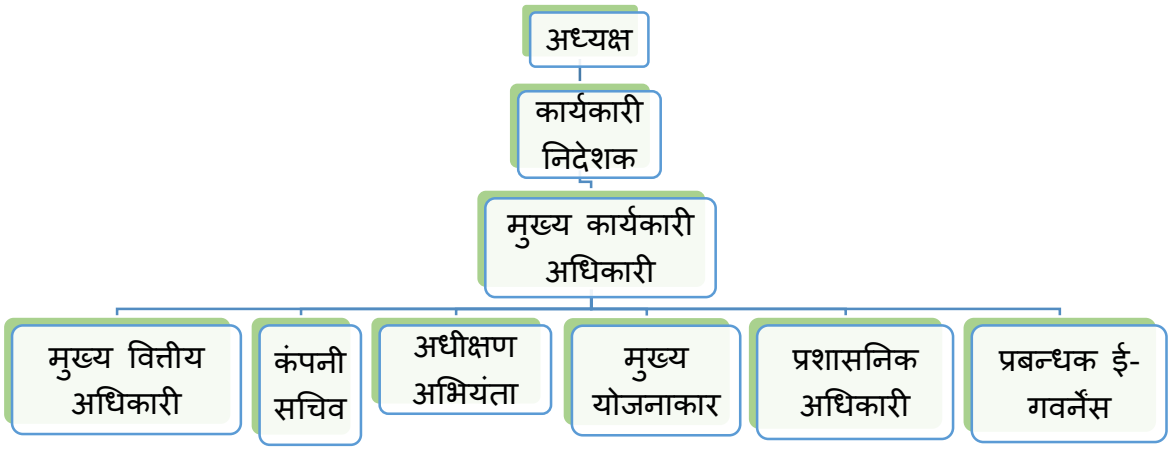

मानचित्र-5.1.1: मध्य प्रदेश के सात स्मार्ट शहरों को दर्शा रहा है जिनमें से चार को लेखापरीक्षा के लिए चुना गया है।

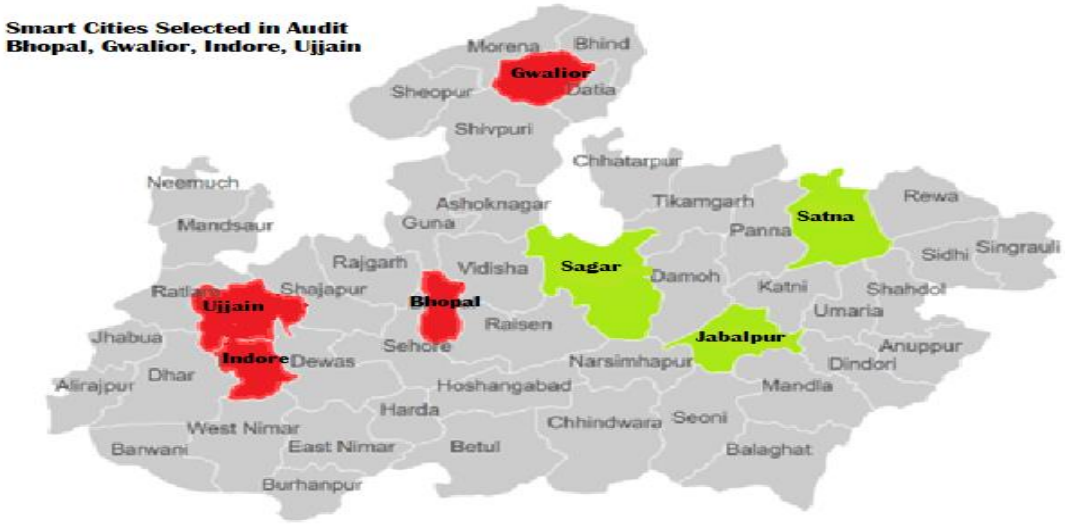

5.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य और पद्धति

लेखापरीक्षा जून 2021 से सितंबर 2021 तक यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई थी कि:

- परियोजनाओं को स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रस्तावों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा था/जा रहे हैं, और
- परियोजनाएँ आशयित उद्देश्यों को प्राप्त कर रही हैं।

लेखापरीक्षा में अप्रैल 2016 से मार्च 2021 तक की अवधि शामिल है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर परखा गया था:

- स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देश,

- स्मार्ट सिटी प्रस्ताव,
- मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम, 2015,
- मध्य प्रदेश लोक विभाग नियमावली और
- मंत्रालय द्वारा जारी परामर्शिकाएँ।

लेखापरीक्षा पद्धति में चयनित ईकाइयों के अभिलेखों की जाँच, लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर, स्मार्ट सिटी कर्मचारियों के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण आदि शामिल हैं। सात में से चार स्मार्ट शहरों, यानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर को स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति[6] का उपयोग करके चुना गया था। लेखापरीक्षा ने 25 करोड़ (38 अनुबंध) से अधिक के अनुबंध मूल्य वाले सभी चल रहे/पूर्ण अनुबंधों के 100 प्रतिशत की जाँच की। इसके अलावा, प्रत्येक शहर में ₹ 25 करोड़ से कम के अनुबंध मूल्य वाले 25 प्रतिशत अनुबंधों का भी चयन किया गया (63 अनुबंध)।

प्रवेश सम्मेलन 20 जुलाई 2021 को आयोजित किया गया था, मध्य प्रदेश शासन के उत्तर प्राप्त (जुलाई 2022) हो चुके थे और प्रतिवेदन में संबंधित स्थानों पर जोड़े गए थे।

आवश्यक जानकारी और अभिलेख उपलब्ध करने में कंपनियों के सहयोग का लेखापरीक्षा स्वीकरण करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा-निर्देशों से पाए गए विचलनों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

5.1.4 आयोजना

5.1.4.1 नागरिक भागीदारी के बिना योजना का संशोधन

एससीएम दिशानिर्देशों के कंडिका 6.3 के अनुसार शहरों को एबीडी और पीसीडी दोनों प्रस्तावों वाली स्मार्ट सिटी योजनाएँ (एससीपी) तैयार करनी हैं। एससीपी सहयोगात्मक है और इसे सभी सरकारी विभागों, निजी एजेंसियों और नागरिकों से उद्देश्यों और निधियों का सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (मार्च 2016)

---

[6] ***व्यय के आधार पर एससीसी को तीन स्तरों में बाँटा गया था; स्तर 1 (व्यय > ₹ 500 करोड़) से 100 प्रतिशत ईकाइयों का चयन किया गया, स्तर 2 से 50 प्रतिशत (व्यय > ₹ 100 करोड़ और <₹ 500 करोड़) और स्तर 3 (व्यय < 100 करोड़) से 33 प्रतिशत।***

द्वारा जारी परामर्श[7] के अनुसार, एससीसी को एससीपी के कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण में नागरिकों से परामर्श करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने सभी चार चयनित स्मार्ट शहरों में देखा कि एससीसी ने प्रारंभिक योजना प्रक्रिया में नागरिकों को शामिल किया था। तथापि, एससीसी, भोपाल ने एससीएम (जो अनुमोदित एससीपी में शामिल थे) के अंतर्गत परियोजनाओं के पूरे स्थान को बदल दिया था और अन्य एससीसी ने गतिविधियों के दायरे को बदल दिया था। हालाँकि, इनमें से किसी भी मामले में, जैसा कि नीचे उल्लेखित है, परिवर्तनों को लागू करने से पहले नागरिकों से परामर्श नहीं किया गया:

- भोपाल में, क्षेत्र आधारित विकास का स्थान प्रारंभ में आवश्यक नागरिक भागीदारी और यह औचित्य देते हुए प्रस्तावित किया गया कि स्थल हबीबगंज (अब रानी कमलापति) स्टेशन के करीब, बीआरटी कॉरिडोर और मौजूदा व्यावसायिक क्षेत्रों के बगल में थी। लेकिन शिवाजी नगर के प्रारंभिक अनुमोदित स्थान को बाद में उत्तर और दक्षिण तात्या टोपे नगर के एक नए स्थान पर भोपाल एससीसी द्वारा किए गए अनुरोध पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा बदल दिया गया था। शिवाजी नगर के क्षेत्र के साथ प्रारंभिक स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में सात मुख्य गतिविधियाँ[8] शामिल थीं लेकिन बदले हुए स्थान के साथ इसमें 13 गतिविधियाँ[9] शामिल थीं। हालाँकि, स्थान परिवर्तन के बाद, स्थानीय लोगों के विरोध के कारण काम में देरी हुई।
- ग्वालियर में, प्रारंभिक योजना के अनुसार, 'महाराज बाड़ा' के स्थान को 71 गतिविधियां शामिल कर अनुमति दी गई थी। बाद में योजना को स्थान के भीतर कुछ कार्यों में बदलाव के साथ, लेकिन बिना नागरिक भागीदारी के, पुनरीक्षित किया गया।
- इंदौर में, प्रारम्भ में परियोजना के 16 घटकों को मिलाकर चयनित क्षेत्र 164.45 एकड़ था। हालाँकि, पाँच घटकों के अनुमोदित क्षेत्र को या तो कम कर दिया गया था या बढ़ा दिया गया जिसके परिणामस्वरूप परियोजना का कुल क्षेत्रफल बिना नागरिकों की भागीदारी के 123.34 एकड़ तक हो गया।

---

[7] ***एडवाइजरी नं. 1, 9 मार्च 2016।***

[8] ***बिजली प्रावधान और ऊर्जा दक्षता, सीवेज अपशिष्ट प्रबंधन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जल आपूर्ति,गतिशीलता, क्षेत्र सुधार, आवास।***

[9] ***सुरंग, बिजली, परिवहन, जल आपूर्ति, जल उपचार संयंत्र, जल निकासी, सीवर, सीवेज उपचार संयंत्र, पुनर्नवीनीकरण जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अग्निशमन, लैंड स्केपिंग और सड़क फर्नीचर।***

- उज्जैन में, महाकाल क्षेत्र, मिल क्षेत्र और रेलवे स्टेशन क्षेत्र के लिए प्रारंभिक स्मार्ट सिटी प्रस्ताव को 30 गतिविधियाँ को शामिल करते हुए अनुमोदित किया गया था। योजना को बाद में पुनरीक्षित किया गया लेकिन इसमें 39 गतिविधियाँ शामिल थीं और क्षेत्र कम कर दिया गया था। सभी बदलाव बिना नागरिक भागीदारी के किए गए थे।

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, विभिन्न परियोजनाओं के स्थान के साथ-साथ प्रमुख घटकों/ गतिविधियों को पुनरीक्षित किया गया था जो दर्शाता है कि स्मार्ट सिटी प्रस्ताव पर्याप्त सर्वेक्षण और व्यवहार्यता के बिना तैयार किए गए थे। एससीएम का उद्देश्य था कि वह नागरिक विमर्श सुनिश्चित करे जिससे कि प्रारंभ से ही प्रस्ताव नागरिक संचालित होगा। मगर, योजनाओं में बदलाव की प्रक्रिया के दौरान नागरिक शामिल नहीं थे। इसके अलावा, भोपाल और इंदौर में, एससीसी ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवयवों के बिना विभिन्न कार्य किए जैसा कि नीचे कंडिका 5.1.5.3 में चर्चा की गई है।

मध्य प्रदेश शासन ने कहा (अगस्त, 2022) कि भोपाल के मामले में, हितधारकों और एजेंसियों द्वारा उठाई गई विभिन्न चिंताओं के कारण सरकार ने योजना बदल दिया; इंदौर के प्रकरण में पुनरीक्षित योजना, जमीनी हकीकत और एससीएम के कार्यान्वयन के दौरान व्यवहार्यता और स्थानीय नागरिकों के प्रतिनिधियों के मतानुसार योजना का पुनर्गठन मात्र थी जबकि उज्जैन के मामले में पहले से नियोजित परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध नहीं थी इसलिए पुनरीक्षित योजना में क्षेत्र कम कर दिया गया था। ग्वालियर एससीसी द्वारा नागरिक भागीदारी के बारे में उत्तर नहीं दिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि नागरिक भागीदारी के बिना योजना में बदलाव, मिशन के दृष्टिकोण और भावना के प्रतिकूल है।

5.1.5 स्मार्ट सिटी की वित्तीय योजनाओं में विचलन

स्मार्ट सिटी की वित्तीय योजनाओं में पाए गए विचलन का उल्लेख नीचे किया गया है:

5.1.5.1 प्रतिबद्ध निधियों को जारी न करना

स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के कंडिका 11.1 के अनुसार, एससीएम को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में संचालित किया जाएगा और केंद्र सरकार पाँच साल की सीमा तक प्रति वर्ष प्रति शहर ₹ 100 करोड़[10] की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य/ नगरीय स्थानीय निकाय को, समान आधार पर बराबर राशि का योगदान करना होगा।

---

[10] ***संवितरित की जाने वाली वास्तविक राशि मंत्रालय के ओवरहेड व्यय को घटाने के बाद ₹ 98 करोड़ (2016-2021 के लिए कुल ₹ 490 करोड़) है।***

प्राप्त निधियों का विवरण नीचे **तालिका 5.1.1** में दिया गया हैः

तालिका-5.1.1: वर्ष 2016 से 2021 की अवधि के लिए व्यय सहित प्राप्य एवं प्राप्त अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्मार्ट सिटी कम्पनी का नाम		भोपाल	ग्वालियर	इंदौर	उज्जैन	कुल
1	स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत वित्त पोषित किया जाना है	जीओआई	490	490	490	490	**1,960**
2		जीओएमपी	500	500	500	500	**2,000**
3	कुल अनुदान प्राप्त किया जाना है		990	990	990	990	**3,960**
4	निधि जारी किया	जीओआई	486.79	195.94	485	234	**1,401.73**
5		जीओएमपी	458	196	275	146	**1,075**
6	कुल प्राप्त अनुदान		944.79	391.94	760	380	**2,476.73**
7	राशि में कमी	जीओआई	3.21	294.06	5	256	**558.27**
8		जीओएमपी	42	304	225	354	**925**
9		कुल	45.21	598.06	230	610	**1,483.27**
10	कमी प्रतिशत में	जीओआई	0.66	60.01	1.02	52.24	**28.48**
11		जीओएमपी	8.40	60.80	45	70.80	**46.25**
12		कुल	4.57	60.41	23.23	61.62	**37.46**
कुल व्यय			**1,027.77**	**152.85**	**773.58**	**372.25**	**2,326.45**

(स्रोतः स्मार्ट सिटी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है किः

- ₹ 1,960 करोड़ की कुल प्रतिबद्ध निधि के बदले, भारत सरकार ने केवल ₹ 1,401.70 करोड़ जारी किए जो 2016-17 से 2020-21 तक पाँच वर्षों की अवधि के दौरान जारी की जाने वाली प्रतिबद्ध निधि से 28.48 प्रतिशत कम थे। धनराशि जारी करने में कमी ग्वालियर (60.01 प्रतिशत) के मामले में सबसे अधिक थी।
- राज्य शासन के मामले में, जारी की गई निधि ₹ 1,075.00 करोड़ (₹ 2,000 करोड़ की तुलना में) थी जो कुल जारी की जाने वाली निधि से 46.25 प्रतिशत कम थी। उज्जैन के मामले में निधि जारी करने में कमी सबसे अधिक (70.80 प्रतिशत) थी।
- ₹ 2,476.70 करोड़ की कुल उपलब्ध निधि (2016-17 से 2020-21 के पाँच साल की अवधि के दौरान), चारों एससीसी केवल ₹ 2,326.45 करोड़ (94 प्रतिशत) निधि खर्च कर सके जिसके परिणामस्वरूप ₹ 150.25 करोड़ की बचत हुई। ग्वालियर के प्रकरण में अनुपयोग सर्वाधिक 61 प्रतिशत था।

निधियों के विमुक्ति में कमी न केवल एससीएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के विरुद्ध थी बल्कि इसने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत एससीपी (शहरों द्वारा तैयार) के कार्यान्वयन को भी प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त, ग्वालियर और उज्जैन एससीसी यहाँ तक कि आवंटित निधि का पूरी तरह से उपयोग भी नहीं कर सके जो खराब योजना के साथ-साथ खराब कार्यान्वयन इंगित करता है।

5.1.5.2 प्रशासनिक/कार्यालय व्ययों पर अधिक व्यय

स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के कंडिका 11.4 (ii) के अनुसार, एससीपी की तैयारी, परियोजना प्रबंधन परामर्श, एबीडी से जुड़े प्रारंभिक अध्ययन, और स्मार्ट समाधान और क्षमता निर्माण की तैनाती और सृजन हेतु एससीसी के प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (एओई) को पूरा करने के लिए पाँच प्रतिशत राशि का उपयोग किया जाएगा। आगे, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्य प्रदेश शासन ने आदेश (मई 2018) जारी किया था कि एक प्रतिशत (एओई के लिए प्रावधानित पाँच प्रतिशत में से) मध्य प्रदेश शहरी विकास कम्पनी लिमिटेड के खातों में राज्य स्तर पर रखा जाएगा जिसका उपयोग राज्य स्तरीय परामर्श, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण आदि के भुगतान के लिए किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2021 तक, चार चयनित स्मार्ट शहरों में से तीन का एओई चार प्रतिशत[11] से अधिक था, जो कि मिशन दिशानिर्देशों और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों में वर्णित सीमाओं से अधिक था। विवरण नीचे **तालिका 5.1.2** में दर्शाया गया है:

तालिका-5.1.2: मार्च 2021 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान कुल व्यय और प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों का तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्मार्ट सिटी	कुल व्यय	प्रशासनिक और अन्य व्यय	कुल व्यय के संबंध में प्रशासनिक एवं अन्य व्यय का प्रतिशत
1	भोपाल	1,027.78	38.51	3.75
2	ग्वालियर	152.85	6.63	4.33
3	इंदौर	773.58	47.38	6.12
4	उज्जैन	372.25	28.15	7.56
कुल		**2,326.46**	**120.67**	**5.19**

(स्रोतः स्मार्ट सिटी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

[11] *पाँच प्रतिशत में से एक प्रतिशत मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा रखा जाना था। इसलिए, प्रभावी रूप से एओई पर केवल चार प्रतिशत खर्च किया जाना था।*

मध्य प्रदेश शासन ने बताया कि उज्जैन एवं इन्दौर के मामले में ₹ 28.15 करोड़ तथा ₹ 47.38 करोड़ का व्यय सीमा के अन्दर था क्योंकि उनके पास कुल उपलब्ध निधि में से ₹ 50 करोड़ की सीमा थी। ग्वालियर एससीसी के मामले में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यय की चार प्रतिशत की सीमा कुल प्राप्त/ आवंटित निधियों पर थी न कि मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार जारी की जाने वाली कुल निधियों पर।

5.1.5.3 मिशन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर अनियमित व्यय

स्मार्ट सिटी के लिए आवास और नगरीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श[12] के साथ पठित स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के कंडिका 5.1.4 के अनुसार, पैन-सिटी विकास मौजूदा शहर-व्यापी बुनियादी ढाँचे के लिए चयनित स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग की परिकल्पना करता है। स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग में बुनियादी ढाँचे और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, सूचना और डेटा का उपयोग शामिल होगा और गरीबों और वंचितों के विकास के लिए स्मार्ट तकनीकों का उपयोग प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। पैन-सिटी पहल के रूप में गैर-आईसीटी परियोजनाओं को जोड़ने की अनुमति नहीं है। एबीडी मॉडल के प्रकरण में, एक पूर्व-निर्धारित क्षेत्र की पहचान की जानी है जिसे रेट्रोफिटिंग (अतिरिक्त) या पुनर्विकास (प्रतिस्थापन) या ग्रीनफील्ड (नए क्षेत्र) द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा सकता है। एबीडी के मामले में, गैर-आईटी घटकों को लिया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पैन-सिटी विकास मॉडल के अंतर्गत 53 परियोजनाओं की जाँच की और निम्नलिखित प्रेक्षित किया:

- **आईसीटी अवयवों के बिना पैन-सिटी परिसंपत्तियों का निर्माण/ सृजन**

एससीसी, भोपाल/ इंदौर ने पैन-सिटी मॉडल के अंतर्गत 'स्मार्ट' परिसंपत्ति बनाने की दिशा में कुल ₹ 91.33 करोड़ खर्च किए। हालाँकि, बनाई गई स्मार्ट परिसंपत्तियों में आईसीटी घटक नहीं थे जैसा कि नीचे बताया गया है:

[12] ***परामर्शिका क्रमांक 13, दिनांक 21 जनवरी 2019।***

तालिका-5.1.3: आईसीटी के बिना परिसंपत्तियों का निर्माण

क्र.सं.	मद (पूरा होने की तिथि)	राशि (₹)	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और मध्य प्रदेश शासन का उत्तर
1	स्मार्ट पार्क, भोपाल का निर्माण (28 दिसम्बर 2020)	7.83 करोड़	पार्क को स्मार्ट पार्क के रूप में वाई-फाई एक्सेस, ओपन जिम उपकरण, फूड कोर्ट एरिया, पार्किंग सुविधा, वॉल आर्ट, बच्चों के खेलने के क्षेत्र, दिव्यांगों के लिए अलग मार्ग, नर्सरी विकास के लिए अलग क्षेत्र के साथ विकसित किया जाना था। हालाँकि, योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में पार्क को बिना किसी आईसीटी घटकों के एक सामान्य मनोरंजन पार्क के रूप में विकसित किया गया। मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि स्मार्ट सुविधाएँ विकास के चरण में हैं।
2	स्मार्ट रोड का निर्माण, भोपाल (22 जून 2020)	31.75 करोड़	स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्मार्ट सड़कों में वाई-फाई एवं मोबाइल और बिजली के वाहनों के लिए चार्जिंग प्वाइंट जैसी सुविधाएँ होनी चाहिए। स्मार्ट रोड में पर्यावरण सेंसर डिस्प्ले, सीसीटीवी प्रणाली, यात्री आश्रय स्थल, ग्रीन टायलेटस, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल, यातायात पुलिस बूथ जैसी सुविधाएँ भी होनी चाहिए। हालाँकि, एससीसी भोपाल ने बिना किसी "स्मार्ट रोड" घटकों को शामिल किए एक सामान्य सड़क बनाने पर राशि व्यय की। मध्य प्रदेश शासन ने बताया कि परियोजना में स्मार्ट एलईडी, सार्वजनिक साइकिल शेयरिंग स्टेशन, सौंदर्यीकरण और स्मार्ट उन्नयन को शामिल किया गया है, हालाँकि, मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार पैन-सिटी के कार्य में आईसीटी घटक शामिल होने चाहिए और वाई-फाई एवं मोबाइल और इलेक्ट्रिकल वाहन के लिए चार्जिंग प्वाइंट आदि जैसी सुविधाओं के बारे में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया था।
3	100 ट्रांजिट हाउसों का निर्माण, भोपाल (22 दिसंबर 2020)	2.41 करोड़	एससीसी, भोपाल ने बिना किसी स्मार्ट फीचर के पैन-सिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत स्मार्ट रोड, भोपाल के पास लोगों के पुनर्वास के लिए 100 ट्रांजिट हाउसों का निर्माण किया। मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि परियोजना के अंतर्गत, संलग्न प्रसाधन और सुविधा के साथ पूर्वनिर्मित संरचना जैसी स्मार्ट सुविधाएँ प्रदान किए गए हैं। हालाँकि, ये

क्र.सं.	मद (पूरा होने की तिथि)	राशि (₹)	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और मध्य प्रदेश शासन का उत्तर
			आईसीटी पहल नहीं हैं।
4	इंदौर में सड़क जंक्शनों पर दृश्य सुधार (2 नवंबर 2020)	42.53 करोड़	पैन सिटी विकास पहल के अंतर्गत इंदौर के चयनित सड़क जंक्शनों के लिए 10 अलग-अलग पैकेज में स्थल बनावट एवं दृश्य सुधार का कार्य प्रस्तावित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, परस्पर संवाद को बढ़ाने, खुले स्थानों को संरक्षित और विकसित करने और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए कार्य किया गया था। हालाँकि, इन कार्यों में केवल सामान्य सिविल और सौंदर्यीकरण का कार्य शामिल हैं और इसमें कोई स्मार्ट समाधान शामिल नहीं है।
5	क्रॉस वेव रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना, इंदौर (30 सितंबर 2020)	6.81 करोड़	नगर पालिक निगम इन्दौर के विभिन्न स्थानों पर क्रॉस वेव रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण और स्थापना का कार्य पैन-सिटी विकास में मानदंडों के अनुसार शामिल करने के लिए उपयुक्त नहीं होने के बावजूद भी जोड़े गये थे। मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, परस्पर संवाद को बढ़ाने, खुले स्थानों को संरक्षित और विकसित करने और पर्यावरण-संतुलन के संवर्धन के लिए कार्य किया गया था। हालाँकि, इन कार्यों जिसमें सामान्य सिविल कार्य शामिल हैं, कोई स्मार्ट समाधान शामिल नहीं था।
कुल		**91.33 करोड़**	

पैन-सिटी डेवलपमेंट मॉडल के अंतर्गत सामान्य, रन-ऑफ-द-मिल सिविल परियोजनाओं को लेने के कारण, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। परिणामस्वरूप, संपूर्ण व्यय उस सीमा तक अनियमित था।

- **पैन सिटी विकास मॉडल के अंतर्गत सिविल परियोजनाओं का कार्य**

योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एससीसी भोपाल और उज्जैन ने पैन-सिटी विकास के अंतर्गत नवीनीकरण का कार्य किया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका-5.1.4: पैन-सिटी विकास मॉडल के अंतर्गत किए गए सिविल कार्य

क्र.सं.	मद (पूरा होने की तिथि)	राशि (₹)	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और मध्य प्रदेश सरकार का उत्तर
1	सदर मंजिल, भोपाल का जीर्णोद्धार एवं पुनर्विकास कार्य (पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं)	11.11 करोड़	लेखापरीक्षा ने पाया कि एससीसी, भोपाल ने सदर मंजिल, भोपाल, जो कि 19वीं शताब्दी का एक विरासत भवन है, के जीर्णोद्धार और पुनर्विकास का कार्य अपने हाथ में लिया। यह मिशन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था क्योंकि पैन-सिटी विकास के अंतर्गत जीर्णोद्धार का काम नहीं किया जा सकता था। मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि सदर मंजिल को संपूर्ण सिविल और विद्युत कार्यों के साथ पुनः संयोजन किया गया है। स्मार्ट आरबीजी आधारित लाइटिंग जैसी स्मार्ट सुविधाओं को पूरे शहर में अग्रभाग उन्नयन की आशा के लिए स्थापित किया गया है।
2	गांधी हॉल, इंदौर का संरक्षण और नवीनीकरण (प्रचलित)	7.42 करोड़	नगर पालिक निगम इंदौर ने गांधी हॉल, इंदौर के संरक्षण और नवीनीकरण का कार्य अवार्ड किया और एससीसी, इंदौर को परियोजना सौंप दी। कार्य में टूटे दीवार के प्लास्टर, पत्थर, छत की मरम्मत तथा हॉल के बाहरी हिस्से की मरम्मत आदि शामिल थे तथा ऐसे कार्य पर एससीसी, इंदौर द्वारा किया गया व्यय प्रावधानों के विरुद्ध था। मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि यह कार्य किया गया था क्योंकि इंदौर स्मार्ट सिटी पहले से ही एबीडी क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख विरासत स्थलों के संरक्षण, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार का कार्य कर रहा है।
3	विभिन्न अंचलों में झुग्गी-झोपड़ियों का सौंदर्यीकरण, इंदौर (प्रचलित)	10.58 करोड़	इंदौर के विभिन्न जोन और वार्डों में 16 स्थानों पर झुग्गी सौंदर्यीकरण का कार्य प्रस्तावित था और यह एससीसी, इंदौर द्वारा पैन-सिटी विकास पहल के अंतर्गत निष्पादित किया गया था। इन कार्यों में मुख्य रूप से सिविल प्रकृति के कार्य, जैसे प्रवेश द्वार का निर्माण, पेवर ब्लॉक कार्य, रूफ शीट की पेंटिंग, पुट्टी और आंतरिक गली की दीवार पर पेंटिंग कार्य और मरम्मत कार्य शामिल हैं और इन्हें पैन-सिटी विकास पहल के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाना था। मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था

क्र.सं.	मद (पूरा होने की तिथि)	राशि (₹)	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और मध्य प्रदेश सरकार का उत्तर
			को प्रोत्साहित करने, परस्पर संवाद का संवर्द्धन, खुले स्थानों को संरक्षित और विकसित करने तथा पर्यावरण-संतुलन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया गया था।
कुल		**29.11 करोड़**	

इसके अलावा, ये कार्य अनुमोदित स्मार्ट सिटी योजना के हिस्से नहीं थे, लेकिन स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के पैन-सिटी डेवलपमेंट के खंड का उपयोग करके योजना में जोड़े गए थे। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक अनधिकृत व्यय हुआ।

हालाँकि, अनधिकृत घटकों/गतिविधियों पर किया गया व्यय मिशन के दिशा-निर्देशों की दृष्टिकोण और भावना के साथ-साथ मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध था।

- **पैन-सिटी विकास के अंतर्गत क्षेत्र आधारित विकास कार्य**

उत्तर और दक्षिण तात्या टोपे नगर, भोपाल में सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय मकानों का निर्माण एक एबीडी परियोजना थी और इसे एससीसी, भोपाल द्वारा अपने स्वयं के धन का उपयोग करके किया जाना था। इसके बजाय, एससीसी, भोपाल ने निम्न के द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया:

- भोपाल विकास प्राधिकरण से एबीडी क्षेत्र में आवास निर्माण के स्थान पर ₹ 196.91 करोड़ की लागत से 551 आवासीय फ्लैटों को खरीदना, और
- पैन-सिटी विकास के अंतर्गत राशि का व्यय करना, यद्यपि कि इसे एबीडी के अंतर्गत लिया जाना था।

इसके परिणामस्वरूप पैन-सिटी क्षेत्र में गैर-आईसीटी कार्य पर व्यय हुआ जिसकी मंत्रालय की एडवाइजरी (संख्या-1, 9 मार्च 2016) के अनुसार अनुमति नहीं थी।

एससीसी, भोपाल ने कहा कि निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद ही ऐसा किया गया था। मध्यप्रदेश शासन ने इस संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था। हालाँकि, एबीडी परियोजना क्षेत्र के बाहर फ्लैटों की खरीद पूर्वोक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।

5.1.5.4 यूएलबी द्वारा पहले से शुरू की जा रही परियोजनाओं का चयन और संबंधित निधियों का अंतरण

मिशन दिशा-निर्देशों के कंडिका 10.1 के अनुसार, शहर स्तर पर मिशन का कार्यान्वयन इस उद्देश्य के लिए सृजित विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) द्वारा किया जाएगा। एसपीवी;

स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं की योजना, मूल्यांकन, अनुमोदन, धन निर्गत करना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन, निगरानी और मूल्यांकन करेगा। परियोजनाओं का निष्पादन संयुक्त उद्यमों, सहायक कंपनियों, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), टर्न-की अनुबंधों आदि के माध्यम से किया जा सकता है।

आगे, मिशन दिशा-निर्देशों के कंडिका 10.3 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन में स्मार्ट सिटी कम्पनी को प्रदान की जाने वाली निधि बद्ध अनुदान के रूप में होगी और इन निधियों का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाना है जिनके लिए अनुदान दिया गया है।

प्रारंभिक वर्षों में, स्मार्ट सिटी कंपनियों को समय पर पर्याप्त अनुदान प्राप्त हुआ। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनियों ने ऐसी परियोजनाओं का चयन किया जो उनकी स्वीकृत योजनाओं में भी नहीं थीं और वस्तुतः, ये यूएलबी द्वारा किए जाने वाले नियमित कार्य थे और जिनका स्मार्ट सिटी मिशन से कोई संबंध नहीं था। तीन स्मार्ट शहरों में, ₹ 170.78 करोड़ की राशि या तो संबंधित यूएलबी को स्थानांतरित कर दी गई थी या संबंधित यूएलबी द्वारा किए गए कार्यों के लिए भुगतान किया गया था। ऐसे प्रकरणों की चर्चा नीचे **तालिका 5.1.5** में की गई हैः

तालिका-5.1.5: एससीसी द्वारा यूएलबी को हस्तांतरित निधि/किए गए भुगतान का विवरण

क्र.सं.	एससीसी का नाम	कार्य का प्रकार/विवरण	भुगतान/हस्तांतरित राशि (₹)
1	भोपाल नगर पालिक निगम (बीएमसी) की ओर से भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया भुगतान	बीएमसी ने भोपाल में तीन अलग-अलग जगहों पर बहुस्तरीय पार्किंग बनाई थी (न्यू मार्केट, महाराणा प्रताप नगर और बैरागढ़)। निविदा जारी करने से लेकर काम देने तक की पूरी प्रक्रिया नगर पालिक निगम द्वारा की गई और एससीसी, भोपाल की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। हालाँकि, भोपाल नगर पालिक निगम ने उपरोक्त सभी परियोजनाओं को ठेकेदारों को शेष भुगतान करने के लिए एससीसी, भोपाल को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव (जून 2018) दिया। तदनुसार, एससीसी, भोपाल ने परियोजना को अपने हाथ में ले लिया (जून 2018) और ठेकेदारों के देय बकाया का भुगतान किया।	31.05 करोड़
2		बीएमसी ने ठेकेदार को बकाया भुगतान करने के लिए स्टील आर्च ब्रिज के निर्माण का कार्य एससीसी, भोपाल को स्थानांतरित कर दिया (अक्टूबर 2017)।	21.70 करोड़

क्र.सं.	एससीसी का नाम	कार्य का प्रकार/विवरण	भुगतान/हस्तांतरित राशि (₹)
3		बीएमसी ने ठेकेदार को बकाया भुगतान करने के लिए जैविक ठोस अपशिष्ट आधारित बायोगैस बिजली उत्पादन संयंत्र के निर्माण का कार्य एससीसी, भोपाल को स्थानांतरित कर दिया (जुलाई 2016)।	0.76 करोड़
4		भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड, (बीएमसी के तत्वावधान में एक कम्पनी) भोपाल के निवासियों को शहर के अंदर परिवहन प्रदान करती है। कम्पनी ने इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट (जुलाई 2016) को लागू किया जो भुगतान और निगरानी समाधान (स्वचालित किराया संग्रह के लिए) प्रदान करने के लिए था। एससीसी, भोपाल ने इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेने का फैसला किया (मई 2016), क्योंकि यह स्मार्ट सिटी योजनाओं के अनुरूप था। तदनुसार, एससीसी ने मई 2016 से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विक्रेता को ₹ 2.30 करोड़ का भुगतान किया। बाद में एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किसी भी परियोजना को ढोने का कोई मतलब नहीं था जो बिना किसी परिसंपत्ति के कम्पनी की बही में आवर्ती देयता हो। चूँकि भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड एक अलग विधिक इकाई थी और यह उसकी बही में परियोजना को पूरा करने में सक्षम थी, इसलिए परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड को वापस स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की अदूरदर्शिता के कारण, अनावश्यक वित्तीय भार पड़ा।	2.30 करोड
5	इंदौर नगर पालिक निगम (आईएमसी) की ओर से इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट	आईएमसी ने, एससीएम के अस्तित्व में आने से पहले, ₹ 30.18 करोड़ की कुल राशि के लिए इंदौर में सड़कों[13] के निर्माण के लिए दो ठेकेदारों को कार्य सौंपा (मार्च 2013)। आईएमसी ने इन निर्माण कार्यों के लिए ₹ 14.97 करोड़ की राशि (मार्च 2017 तक) का भुगतान किया। इसके बाद इन परियोजनाओं को कार्य करने के लिए	14.97 करोड़

[13] ***पैकेज-I महू नाका से तोरी कॉर्नर (1.625 किमी) और पैकेज-II बड़ा गणपति से जिंसी बस डिपो (1.00 किमी) तक।***

क्र.सं.	एससीसी का नाम	कार्य का प्रकार/विवरण	भुगतान/हस्तांतरित राशि (₹)
	कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किए गए भुगतान	एससीसी, इंदौर को स्थानांतरित (मार्च 2017) कर दिया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि एससीसी ने न केवल ₹ 15.21 करोड़ की राशि के शेष भुगतान की प्रक्रिया की बल्कि पहले भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति के रूप में आईएमसी को ₹ 14.97 करोड़ भी हस्तांतरित किए।	
6	उज्जैन नगर पालिक निगम (यूएमसी) की ओर से उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया भुगतान	पुनरीक्षित स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में अमृत मिशन के साथ सम्मिलन में सीवरेज नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव है। अमृत मिशन के अंतर्गत उज्जैन नगर पालिक निगम, शहर में सीवरेज नेटवर्क बिछा रहा है और स्मार्ट सिटी, उज्जैन नगर पालिक निगम की तकनीकी सहायता कर रहा है। उज्जैन शहर में सीवरेज नेटवर्क के निर्माण का कार्य उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा एक ठेकेदार को दिया गया था जिसे अमृत मिशन के अंतर्गत स्वीकृत किया गया था। यह देखा गया कि उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने अमृत मिशन को ₹ 100.00 करोड़ (मार्च 2018) स्वीकृत किए थे और इसका भुगतान उज्जैन नगर पालिक निगम (जनवरी 2019 और सितंबर 2019) को किया गया था।	100 करोड़
	कुल		**₹ 170.78 करोड़**

इस प्रकार, स्मार्ट सिटी ने नगर पालिक निगमों के मौजूदा कार्यों के लिए भुगतान किया और ₹ 170.78 करोड़ की राशि हस्तांतरित की थी जो कि मिशन दिशा-निर्देशों के दृष्टिकोण और भावना के विपरीत है जो यह निर्धारित करता है कि स्मार्ट सिटी को यूएलबी को मौजूदा कार्यों के लिए धन हस्तांतरित नहीं करना चाहिए बल्कि इसके स्थान पर नई परिसंपत्तियों के निर्माण में खुद को पूरी तरह से लगाना चाहिए था। इससे अन्य परियोजनाओं को भी ₹ 170.78 करोड़ की निधि से वंचित कर दिया गया। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश शासन ने भी निधियों की कमी को सिग्नेचर टावर का निर्माण पूरा न होने का कारण बताया था जैसा कि नीचे कंडिका-5.1.5.5 में उल्लेखित है।

यह एक बड़ी कमी को इंगित करता है जहाँ नई परियोजनाओं की योजना बनाने के बजाय नगरीय स्थानीय निकायों की पूर्व से निर्मित संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए धन खर्च करने को प्राथमिकता दी गई थी। यह उनके पास जमा धन के समय पर उपयोग के लिए योजना बनाने में स्मार्ट सिटी की संभावित अपर्याप्त क्षमता का भी संकेत देता है।

मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि भोपाल के मामले में, एससीसी ने बीएमसी में धन की कमी के कारण एससीएम निधि से पैसे का भुगतान किया था, इंदौर के मामले में प्रतिपूर्ति की गई थी क्योंकि सड़कें एबीडी क्षेत्र के अंतर्गत आती थीं और उज्जैन के मामले में, यूएमसी द्वारा राज्य सरकार और उज्जैन एससीसी के उचित अनुमोदन के बाद पहले से ही काम किया जा रहा था और यह निर्णय लिया गया कि शेष काम यूएमसी द्वारा पूरा किया जा सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत गैर अनुमति गतिविधियों पर व्यय न केवल एससीएम के 'दृष्टिकोण और भावना' के विपरीत था बल्कि निर्धारित दिशानिर्देशों के भी विपरीत था। एसपीवी का निर्माण कार्यों को करने के लिए है न कि इसे अन्य एजेंसियों के माध्यम से कराने के लिए। परिणामतः, कंपनियों द्वारा लिए गए फैसले उस हद तक गलत थे।

5.1.5.5 भोपाल में व्यावसायिक परिसर के लिए अनुचित योजना

एससीसी, भोपाल ने ₹ 34.93 करोड़ की लागत से ठेकेदार को एक वाणिज्यिक परिसर सिग्नेचर टावर (आठ मंजिलों के साथ एक बेसमेंट और भूतल) के निर्माण के लिए कार्य आदेश (अक्टूबर 2018) जारी किया।

ठेका दिए जाने के बाद, एससीसी ने परिसर की ऊँचाई बढ़ाकर 10 मंजिल और दो बेसमेंट (पार्किंग के लिए) करके कार्य का दायरा बदल दिया (सितंबर 2019) ताकि एक बेहतर मुद्रीकरण मॉडल प्रदान किया जा सके। पुनरीक्षित परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 72.73 करोड़ थी। कार्य जनवरी 2021 तक पूरा होना था।

बारह महीने व्यतीत हो जाने के बाद (कार्य का दायरा बदलने के बाद से) और ₹ 21.06 करोड़ का व्यय करने के बाद, परियोजना धीमी गति से चल रही थी और केवल दो बेसमेंट तल पूरे हो सके थे। हालाँकि, एससीसी ने खराब काम के लिए ठेकेदार को जुर्माना करने के स्थान पर, परिसर को उसके वर्तमान चरण में बेचने का फैसला किया। इस निर्णय पर पहुँचने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। बोर्ड ने अपने संकल्प (अगस्त 2020) में योजना में बदलाव के कारणों का पता किए बिना तद्नुसार प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। लेखापरीक्षा ने पाया किः

- एससीसी, भोपाल द्वारा परियोजना की योजना बनाते समय दूरदर्शिता और दृष्टि का पूर्ण अभाव रहा। परिणामस्वरूप, केवल दो मंजिलों के निर्माण पर ₹ 21.06 करोड़ खर्च करने के बाद, एससीसी ने इमारत को बेचने का फैसला किया जो पूरी तरह से अतार्किक था और एससीसी में बेहद कमजोर योजना प्रक्रियाओं का संकेत दिया।

- बोर्ड ने कारण पूछे बिना निर्णय को स्वीकृति दे दी, विशेषतः तब जब निर्माण पर एक महत्वपूर्ण राशि व्यय की जा चुकी थी।
- एससीसी भोपाल ने कार्य को बीच में ही रोक कर (परियोजना को बेचने के लिए) अनुमानित लागत का लगभग 36 प्रतिशत व्यय करने के बावजूद काम की धीमी गति को देखते हुए ठेकेदार को जुर्माना का भुगतान करने से बचा लिया। भुगतान प्रक्रियाओं की तुलना में समय सीमा/उपलब्धियों की चूक का कोई अभिलेख नहीं था।
- कार्य बंद होने के 24 माह बीत जाने के बाद भी एससीसी भोपाल द्वारा अभी तक निर्माणाधीन भवन को बेचा जाना शेष है, जो अपनी अपूर्ण स्थिति में है। नीचे चित्र-5.1.1 सिग्नेचर टावर के अपूर्ण कार्य की स्थिति को दर्शाता है।

चित्र-5.1.1 अपूर्ण वाणिज्यिक परिसर; सिग्नेचर टावर

(फोटोः लेखापरीक्षा दल संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, 26 जुलाई 2021)

इस प्रकार, खराब योजना और एससीसी, भोपाल की दूर-दृष्टि की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 21.06 करोड़ अवरूद्ध हुआ। इसके अलावा, अनुबंध के अनुसार, ब्याज मुक्त सुरक्षित अग्रिम अगर ठेकेदार को भुगतान किया गया है तो भविष्य में चल रहे बिलों से वसूली योग्य था। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि ₹ 2.55 करोड़ का सुरक्षित अग्रिम ठेकेदार को दिया गया था जिसमें से ₹ 0.80 करोड़ अभी भी वसूल नहीं किए गए (अगस्त 2022)। कार्य पूर्ण रूप से बंद होने की स्थिति में, राशि की वसूली की संभावना बहुत कम प्रतीत होती है, परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ मिला।

मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि इस परियोजना को विकसित करने के लिए डिजाइन को अधिकतम अनुमेय तल क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए बदल दिया गया था और कंपनी के वित्तीय मुद्दों के कारण, बोर्ड ने इसे वर्तमान स्तर पर बेचने का निर्णय लिया।

हालाँकि, काम बंद होने के 24 माह बीत जाने के बाद भी एससीसी, भोपाल द्वारा निर्माणाधीन भवन को अभी तक बेचा जाना शेष है। यह अपूर्ण स्थिति में रहा और खराब योजना के कारण ₹ 21.06 करोड़ की राशि अवरूद्ध रही।

5.1.6 परियोजना क्रियान्वयन

5.1.6.1 एससीसी, ग्वालियर द्वारा निविदा अपेक्षाओं का अनुपालन न करने के कारण एल 2 बोलीदाता को दिया गया कार्य

एससीसी, ग्वालियर ने "कटोरा ताल संगीतमय फ़व्वारा के बनावट, आपूर्ति, स्थापना, संचालन, अनुरक्षण और स्थानांतरण" के कार्य के लिए निविदाएँ आमंत्रित की (अगस्त 2020), प्रतिक्रियाँ में तीन संस्थाओं ने बोलियाँ प्रस्तुत कीं (अगस्त 2020)। निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार, तकनीकी मूल्यांकन में दो चरण शामिल थे - पहला चरण ऑनलाइन जमा किए गए दस्तावेजों की पूर्व योग्यता का सत्यापन और एससीसी अधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए बोली लगाने वाले एजेंसियों की पिछली परियोजना का जाँच-पड़ताल के लिए भ्रमण था और दूसरे चरण में पहले चरण में योग्य बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी प्रस्तुति शामिल थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि एससीसी, ग्वालियर ने तकनीकी मूल्यांकन की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया और सभी बोलीदाताओं को वित्तीय मूल्यांकन के लिए अनुमोदित किया। नतीजतन, एससीसी ने बोलीदाताओं की पिछली परियोजना का दौरा किए बिना वित्तीय बोलियाँ (सितंबर 2020) खोल दी। वित्तीय मूल्यांकन के बाद, समान कार्य को पूरा करने के अनुभव के लिए पूर्व योग्यता मानदंड के संबंध में झूठे अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर एल 1 एजेंसी की बोली को निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद ₹ 2.91 करोड़ की लागत पर एल 2 बोली लगाने वाले को काम दिया गया। इस प्रकार, कंपनी तकनीकी मूल्यांकन स्तर पर बोलियों की शुद्धता का उचित मूल्यांकन करने में विफल रही और वित्तीय मूल्यांकन पर आगे बढ़ी जिसके परिणामस्वरूप एल 1 बोली लगाने वाले के स्थान पर एल 2 बोली लगाने वाले को ठेका दिया गया।

मध्य प्रदेश शासन ने इस संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

5.1.6.2 अनियमित पुनर्निविदा के कारण अतिरिक्त व्यय

एससीसी, इंदौर ने 10 वर्षों की अवधि के लिए संचालन और अनुरक्षण के साथ जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली में सुधार के कार्य के लिए एक निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी की (नवंबर 2017)। एनआईटी में केवल एक बोलीदाता शामिल हुआ और तद्नुसार इसे

निरस्त कर दिया गया। एससीसी ने जनवरी 2018 में फिर से एक निविदा जारी की। इसके प्रतिक्रिया में तीन बोलीदाताओं ने बोली प्रक्रिया में भाग लिया।

बोली प्रक्रिया के आधार पर, मैसर्स तेजस कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड को ₹ 201.43 करोड़ की उद्धृत दर के साथ सबसे कम बोली लगाने वाला (एल 1) पाया गया। हालाँकि, एल 2 बोलीदाता (मैसर्स विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड) ने निविदा प्रक्रिया पर यह कहते हुए आपत्ति उठाई कि वित्तीय बोलियों को ऑनलाइन खोलने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया भ्रष्ट और कपटपूर्ण थी तथा सबसे कम बोली की गणना गलत थी। हालाँकि, एससीसी, इंदौर की नत्थियों में टिप्पणी के अनुसार, उसी पत्र में एल 2 ने स्वीकार किया था कि न्यूनतम बोली लगाने वाले की गणना की प्रक्रिया सही थी। इसके अलावा, कंपनी जो "www.mpeproc.gov.in," पोर्टल का प्रबंधन कर रही थी, ने यह भी कहा कि तीनों बोलियों को एक ही मंच पर लाया गया था और यह प्रमाणित किया जा सकता है कि अपनाई गई प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी थी। इसके बावजूद, एल 1 बोलीदाता को निविदा स्वीकृत नहीं की गई और तीसरे आमंत्रण (अप्रैल 2018) के रूप में निविदा आमंत्रण की नई सूचना जारी की गई।

तीसरे आमंत्रण के बाद, मैसर्स विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड को ₹ 237.50 करोड़ की बोली मूल्य पर सबसे कम बोली लगाने वाला पाया गया, जो दूसरे आमंत्रण में उद्धृत सबसे कम बोली से ₹ 36.07 करोड़ अधिक था। इससे न केवल ₹ 36.07 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा, बल्कि उस प्रक्रिया पर भी संदेह पैदा हुआ जिसमें उसी ठेकेदार को कार्य आवंटित किया गया जिसने पहले निविदा प्रक्रिया पर प्रश्न उठाया था। इसलिए तीसरी बार आमंत्रण बुलाने का अपरिपक्व निर्णय उचित नहीं था। कार्य सितंबर 2020 तक पूरा होना था और काम में दो साल की देरी हुई।

मध्य प्रदेश शासन ने बताया कि परियोजना के हित में तथा कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए पुनः निविदा आमंत्रित की गई थी। हालाँकि, कंपनी ने स्वयं, एक टिप्पणी में कहा कि द्वितीय आमंत्रण के एल 2 बोलीदाता ने स्वीकार किया है कि बोली प्रक्रिया सही थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एससीसी ने वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया जिसके परिणामस्वरूप एक ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ, जबकि पूरी निविदा प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न किया।

शासन को संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, जिन्होंने वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।

5.1.6.3 नवीन निविदा जारी करने के स्थान पर उसी आपूर्तिकर्ता को पुनः आदेश देना

मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली, 2015 की धारा 22 के अनुसार पूर्व में दिये गये आपूर्ति आदेश की निरंतरता में उसी आपूर्तिकर्ता को एक अन्य आपूर्ति आदेश सरकारी संस्था द्वारा दिया जा सकता है। लेकिन नए आपूर्ति आदेश में कुल आपूर्ति की मात्रा पिछले आदेश के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

एससीसी, इंदौर ने मेसर्स हाइवा इंडिया प्रा. लिमिटेड को (जून 2017) ट्रांसफर स्टेशन उपकरण (लोडिंग तंत्र के साथ छः स्थिर संघनन प्रणाली, 18 वियोज्य कंटेनर और वाहन के साथ आठ हुक लोडर) की आपूर्ति, निर्माण और प्रारंभ करने के लिए आदेश दिया गया। कार्य आदेश कुल ₹ 8.47 करोड़ की लागत के लिए जारी किया गया। आपूर्तिकर्ता ने आदेश के अनुसार सभी सामग्रियों की आपूर्ति (दिसंबर 2017) की और तद्नुसार भुगतान (दिसंबर 2017 से अप्रैल 2018) किया गया।

आपूर्ति आदेश पूरा होने के बाद, एससीसी, इंदौर ने उसी उपकरण की अतिरिक्त आवश्यकता आकलित की और ₹ 8.59 करोड़ की राशि का एक अन्य कार्य आदेश उसी आपूर्तिकर्ता को पिछले आदेश के आधार पर बिना नवीन निविदा का सहारा लिए जारी किया गया। कार्यादेश के लिए अनुमोदन प्रदान करने से संबंधित दस्तावेजों में किसी भी अत्यावश्यकता का कोई उल्लेख नहीं था।

चूँकि नया कार्यादेश पिछले आदेश के 100 प्रतिशत से अधिक था, इसलिए एससीसी, इंदौर द्वारा उसी विक्रेता को बिना नई निविदा के द्वितीय आपूर्ति आदेश जारी करने की कार्रवाई मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम, 2015 का उल्लंघन था।

मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि अतिरिक्त आवश्यकता का आकलन किया गया था और मैसर्स हाइवा इंडिया प्रा. लि. को अतिरिक्त कार्य आदेश दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सक्षम प्राधिकारी मौजूदा आदेशों, जिसमें कहा गया है कि पिछले आदेश के 50 प्रतिशत से अधिक के लिए पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिए जा सकते हैं, के अधिक्रमण में निर्णय नहीं ले सकता है।

5.1.6.4 निविदा प्रक्रिया में कमियों के कारण निष्फल व्यय

एससीसी, इंदौर ने ₹ 40.00 करोड़ की अनुमानित लागत पर जनता के लिए एक इंटेलीजेंट परिवहन प्रबंधन प्रणाली की परिकल्पना की। प्रणाली को 30 स्थानों पर स्थापित किया जाना

था और स्मार्ट वेरिएबल मैसेज, रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड, चेतावनी बोर्ड आदि से परिपूर्ण किया जाना था।

निविदा प्रक्रिया के आधार पर, एल 1 बोलीदाता को ठेका दिया गया और तद्नुसार ₹ 40.56 करोड़ की ठेका राशि के लिए एक कार्य आदेश जारी (अगस्त 2019) किया गया। अनुबंध में चयनित बोलीदाता द्वारा बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन गारंटी जमा करने का भी प्रावधान था और ठेकेदार ने तद्नुसार ₹ 2.03 करोड़ की बैंक गारंटी जमा की।

ठेकेदार ने तद्नुसार काम शुरू किया और मार्च 2021 तक किए गए काम के बदले में ₹ 23.38 करोड़ के भुगतान की प्रक्रिया की गई। पहले चल देयक का भुगतान नवंबर 2019 में किया गया था। यह देखा गया कि इसके बाद ठेकेदार कार्य पूरा करने में विफल रहा और ठेका समाप्त (जुलाई 2021) करना पड़ा। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मुद्दों का अवलोकन किया:

- केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यालय ज्ञापन (दिसंबर 2022) काम के लिए पूर्व-योग्यता का आकलन करने के बाद एक ठेकेदार को काम देने के लिए पात्रता मानदंड विहित करता है जिसमें ठेकेदार का पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय टर्नओवर और पिछले सात वर्षों के दौरान समान कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव शामिल है। यह देखा गया कि ठेकेदार की कार्य को सफलतापूर्वक क्रियान्वयित करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निविदा दस्तावेज में मूल्यांकन के लिए ऐसा कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया था। इस प्रकार, एससीसी, इंदौर ने एक दोषपूर्ण निविदा प्रक्रिया के आधार पर एक ऐसे ठेकेदार को कार्य आदेश दिया जो कार्य पूरा करने के लिए सक्षम नहीं था।
- परिणामस्वरूप, ठेकेदार काम पूरा नहीं कर सका और समझौते की शर्तों के अंतर्गत अनुबंध को समाप्त (जुलाई 2021) कर दिया गया। इस प्रकार, एक मजबूत निविदा प्रक्रिया का पालन करने में एससीसी, इंदौर की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 23.38 करोड़ की राशि का निष्फल व्यय हुआ। इसके अलावा; एससीसी ने ₹ 2.03 करोड़ की राशि की बैंक गारंटी (कार्य के निष्पादन से पहले ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत) का नगदीकरण कर काम पूरा करने में विफलता के लिए ठेकेदार को दंडित नहीं किया।

मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि मामला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तय किया जाना है। हालाँकि, तथ्य यह है कि ठेका ऐसे ठेकेदार को दिया गया था जो काम पूरा करने के लिए सक्षम नहीं था और अंततः ठेका समाप्त कर दिया गया था। पूर्व-योग्यता का आकलन करने

और अनुबंध की समाप्ति के बाद बैंक गारंटी के नगदीकरण के बारे में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया।

5.1.6.5 एकल निविदा की स्वीकृति

लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने पहले आमंत्रण में एकल बोली प्राप्त होने पर उसे स्वीकार न करने/न खोले जाने और फिर से नई बोली आमंत्रित किए जाने के लिए सभी सरकारी विभागों को निर्देश[14] जारी किए (जनवरी 2011) । यदि दूसरे दौर की निविदा के बाद भी एकल बोलियाँ प्राप्त होती हैं तो सक्षम प्राधिकारी बोली खोलने और उसे स्वीकार करने का निर्णय ले सकता है।

एससीसी, इंदौर ने ₹ 48.51 करोड़ की अनुमानित लागत वाले एकीकृत स्मार्ट रोड नेटवर्क चरण-5 (जून 2018) के विकास कार्य के लिए एक एनआईटी जारी किया। केवल एक ठेकेदार ने बोली का उत्तर दिया। तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, ठेकेदार को तकनीकी रूप से उपयुक्त पाया गया, और ₹ 60.58 करोड़ पर ठेका दिया गया (सितंबर 2018) जो कि दरों की अनुसूची से 24.88 प्रतिशत अधिक था।

इस प्रकार, मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के उल्लंघन में एससीसी, इंदौर ने निविदा के पहले दौर में एकल बोली स्वीकार की, परिणामस्वरूप ₹ 60.58 करोड़ की राशि का अनियमित कार्य सौंपा गया।

मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन तथा उचित औचित्य के बाद कार्य प्रदान किया गया था। हालाँकि, ठेका प्रदान करने के दौरान रिकॉर्ड में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया कोई औचित्य नहीं पाया गया और सक्षम प्राधिकारी ने मौजूदा आदेशों के अधिक्रमण में निर्णय लिया।

5.1.6.6 बिना नई निविदा के अतिरिक्त कार्य का अनियमित आवंटन

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के अनुसार ठेके पर दिए जाने वाले सभी कार्यों के लिए निविदाएँ आमंत्रित की जानी चाहिए जब तक कि प्रस्तावित कार्यों की राशि ₹ 15,000 या उससे कम न हो। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 यह भी विहित करता है कि "जब तक निविदाएँ आमंत्रित नहीं की जाती हैं और नियमों के अनुसार कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा, या इसके संबंध में देयता उत्पन्न की जाएगी।"

---

[14] ***एफ 52/1/10/19-51, 3 जनवरी 2021।***

एससीसी, उज्जैन में लेखापरीक्षा ने पाया कि एससीसी, उज्जैन ने ₹ 19.90 करोड़ की निविदा लागत पर एक ठेकेदार (मैसर्स एम.पी. बाबरिया) को उज्जैन में एक स्कूल परिसर के निर्माण का काम सौंपा (अक्टूबर 2018)। निर्माण ठेका देने के दो वर्ष बीत जाने के बाद, मौजूदा ठेके के अंतर्गत एक अतिरिक्त कार्य 'उर्दू स्कूल का निर्माण' भी उसी ठेकेदार को ₹ 5.50 करोड़ (अक्टूबर 2020) की अतिरिक्त लागत पर बिना नई निविदा प्रक्रिया के आवंटित किया गया। इसके बाद ₹ 74 लाख में 'पाइपलाइन शिफ्टिंग और नई पाइपलाइन के साथ बदलने' का एक अन्य कार्य उसी ठेकेदार को बिना किसी निविदा प्रक्रिया के अतिरिक्त कार्य के रूप में दिया गया (अप्रैल 2021)।

परिणामस्वरूप, एससीसी, उज्जैन ने अनियमित रूप से नियमों का पालन किए बिना ₹ 6.24 करोड़ की राशि का अतिरिक्त कार्य प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को उस सीमा तक अनुचित लाभ हुआ।

मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि उर्दू स्कूल के क्रियान्वयन का कार्य प्राथमिकता पर लिया जाना था क्योंकि स्कूल को इस स्थान पर स्थानांतरित किया जाना था। चूँकि वर्तमान परियोजना के अंतर्गत, अनुबंध की दर सभी प्रचलित अनुबंधों में सबसे कम थी, इसलिए बोर्ड ने पहले के काम के दायरे में इसे जोड़ने की मंजूरी दी। क्रियान्वयन के दौरान, पाइपलाइन की समस्या का सामना करना पड़ा और इसलिए इस कार्य को कार्य के दायरे में जोड़ा जाना पड़ा क्योंकि नियमित निविदा में समय लगता और कार्य में देरी होती।

हालाँकि, जैसा कि बिना निविदा प्रक्रिया अपनाए उसी ठेकेदार को नया कार्य आवंटित कर दिया गया था और मौजूदा नियमों के अधिक्रमण में निर्णय के लिए अति-आवश्यकता का अभिलेखन भी नहीं किया गया था।

5.1.6.7 परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब

हमने सभी चार चयनित स्मार्ट शहरों में देखा कि कार्यों के क्रियान्वयन में 45 दिनों से लेकर 1,230 दिनों के बीच की देरी हुई थी। विवरण नीचे **तालिका 5.1.6** में दिखाया गया है:

तालिका-5.1.6: स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब

क्र. सं.	एससीसी	परियोजनाओं की संख्या	लेखापरीक्षा जाँच के लिए चयनित परियोजनाओं की संख्या	उन परियोजनाओं की संख्या जिनमें विलंब देखा गया	उन परियोजनाओं का प्रतिशत जिनमें विलंब देखा गया	विलंब की अवधि (दिनों में)
1	भोपाल	82	34	16	47 प्रतिशत	178-1,230

क्र. सं.	एससीसी	परियोजनाओं की संख्या	लेखापरीक्षा जाँच के लिए चयनित परियोजनाओं की संख्या	उन परियोजनाओं की संख्या जिनमें विलंब देखा गया	उन परियोजनाओं का प्रतिशत जिनमें विलंब देखा गया	विलंब की अवधि (दिनों में)
2	उज्जैन	30	13	04	31 प्रतिशत	206-361
3	इंदौर	136	41	18	44 प्रतिशत	45-1,164
4	ग्वालियर	37	13	08	62 प्रतिशत	182-1,052
कुल		**285**	**101**	**46**	**46 प्रतिशत**	

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के कारण, एससीएम के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका और लाभार्थी इसके इच्छित लाभों से वंचित रहे। जिन परियोजनाओं में विलंब देखा गया उनका विवरण **परिशिष्ट-5.1.1** में दिया गया है।

इसके अलावा, अनुबंध की सामान्य शर्तों की धारा 15 के अनुसार, यदि ठेकेदार माइलस्टोन प्राप्त करने में विफल रहता है, और कार्य के क्रियान्वयन में देरी ठेकेदार के कारण होती है, तो ठेकेदार पर 0.05 प्रतिशत (ठेका मूल्य का) शास्ति प्रति दिन, अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित, लगाया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि 49 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाओं को 45 दिनों से 1,110 दिनों के बीच की देरी से पूरा किया गया था, लेकिन एससीसी ठेकेदार को देय राशि से शास्ति राशि की कटौती करने में विफल रहे।

मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि स्थान खाली कराने, अतिक्रमण हटाने और निवासियों के पुनर्वास आदि में योजना से अधिक समय लगा था, परिणामतः परियोजना की पूर्णता में विलंब हुआ।

जहाँ विलंब ठेकेदारों के कारण थे उन मामलों में भी शास्ति न लगाने के बारे में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है। आगे तथ्य यह है कि कार्य के दायरे में परिवर्तन और अतिक्रमण देरी का कारण थे, जो खराब नियोजन और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी को इंगित करता है।

5.1.6.8 राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से पर्यावरण मंजूरी नहीं ली गई

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना[15] के अनुसार, भवनों के निर्माण, परियोजनाओं के निर्माण, टाउनशिप और क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी आवश्यक है। इन गतिविधियों के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से किसी भी निर्माण कार्य, या भूमि सुरक्षित करने के अलावा परियोजना

[15] *एस. ओ. 1533 (ई), सितंबर 2006।*

प्रबंधन द्वारा भूमि तैयार करने से पहले, परियोजना या गतिविधि पर पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार चयनित स्मार्ट शहरों में से तीन में, क्षेत्र आधारित विकास परियोजनाएँ, भवन, निर्माण परियोजनाएँ, क्षेत्र विकास परियोजनाएँ या टाउनशिप के विकास की श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं। इसलिए, इन्हें एसईआईएए से पूर्व पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता थी, लेकिन स्मार्ट शहरों ने परियोजनाओं को शुरू करने और निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ऐसा नहीं किया। परिणामस्वरूप, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विभिन्न परियोजनाओं का पर्यावरण प्रभाव आकलन नहीं किया जा सका। मध्य प्रदेश शासन ने बताया कि एससीसी, भोपाल ने अनंतिम स्वीकृति ली थी, अन्य तीन शहरों के बारे में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है।

5.1.6.9 सुविधाओं की स्थापना नहीं करना

स्मार्ट सिटी योजना, सेवाओं की गुणवत्ता में भारी वृद्धि, शासन-विधि को सरल बनाने और शहरी पदाधिकारियों के प्रोत्साहनों को संरेखित करने के द्वारा सार्वजनिक जीवन में सुधार लाने का एक आकर्षक त्रि-आयामी दृष्टिकोण था। अवधारणा, मौजूदा बुनियादी ढाँचे के पुनः उपयोग को अधिकतम करना, भविष्य के लिए बेहतर पहल के लिए बुनियादी आधार तैयार करना और सेवा प्रदायगी का आधुनिकीकरण करना है।

स्मार्ट सिटी योजना के एक भाग के रूप में आईसीटी घटकों के संचालन के लिए, एससीसी, भोपाल ने भारती इंफ्राटेल, एरिक्सन, स्मार्ट एक्स सर्विसेज लिमिटेड तथा एचपीएल इलेक्ट्रिक और पावर लिमिटेड के साथ एक रियायत अनुबंध (अक्टूबर 2016) किया।

अनुबंध के अनुसार, सुविधाओं के विकास के लिए, रियायतग्राहियों को एससीसी, भोपाल द्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दायित्व सौंपे गए थेः

- अनुबंध की अवधि (15 वर्ष) के लिए नगरपालिका सीमा के भीतर फाइबर केबल बिछाने और टेलीकॉम सेल के लिए स्मार्ट पोल लगाने के लिए निः शुल्क मार्ग अधिकार।
- स्मार्ट पोल, सर्विलांस कैमरा और वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट, सेलुलर बेस स्टेशन, ईवी चार्जिंग प्वाइंट, पर्यावरणीय सेंसर और आरएफपी का हिस्सा रहे किसी भी अन्य उपकरण के लिए बोली-कर्ता को मुफ्त निर्बाध बिजली।
- विज्ञापन, डिजिटल साइनेज, वाई-फाई, टेलीकॉम स्थलों पर पारंपरिक होर्डिंग, ट्रैफिक सिग्नल, स्ट्रीट लाइटिंग आदि से राजस्व अर्जित करने के लिए रियायतग्राही को विशेष विज्ञापन अधिकार प्रदान करना।

लेखापरीक्षा ने निम्नानुसार कमियाँ देखीं:

- **समझौते की शर्तों का पालन न करना**

अनुबंध के अनुसार, एससीसी, भोपाल द्वारा दिए गए दायित्वों के लिए रियायतग्राही को नीचे दिए गए समाधान मुफ्त में प्रदान करने थे (जैसा कि ऊपर विवरण दिया गया)। कार्य के मदों की तुलना में पूर्ण किए गए कार्य की स्थिति नीचे **तालिका 5.1.7** में दी गई है:

तालिका-5.1.7: रियायतग्राही द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की स्थिति

क्र.सं.	स्मार्ट मदों के नाम	समझौते के अंतर्गत सुविधाएँ प्रदान किया जाना था	वास्तव में प्रदान की गई सुविधाएँ (जुलाई 2021 तक)	पूरे हुए कार्य का प्रतिशत
1	एलईडी लाइट, एलईडी लाइट ब्रैकेट, अर्थिंग का कार्य	20,000	20,000	100
2	एलईडी स्ट्रीट लाइट के साथ स्मार्ट पोल	150	108	72
3	वाई-फाई हॉट स्पॉट	100	74	74
4	ऑप्टिकल फाइबर केबल	200 किमी	170 किमी	85
5	निगरानी कैमरा	150	81	54
6	पर्यावरणीय सेंसर	100	74	74
7	ईवी चार्जिंग पॉइंट	50	निरंक	0
8	स्मार्ट बिलबोर्ड	400	108	27
9	एसओएस एप्लीकेशन	1	निरंक	0
10	मोबाइल और "सेव अवर सोल" अनुप्रयोग	1	निरंक	0
11	कमांड सेंटर के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर	1	1	100
12	दोनों तरफ प्रदर्शित मानक विज्ञापन बोर्ड	19,600	निरंक	0

(स्रोतः स्मार्ट सिटी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि रियायतग्राही स्मार्ट सिटी मिशन के लिए उन्हें प्रदान किए गए दायित्वों के बदले में कार्य पूरा करने में विफल रहे। कम से कम चार मामलों में रियायतग्राहियों ने काम शुरू ही नहीं किया। रियायत समझौते के उल्लंघन के बावजूद एससीसी, भोपाल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

परिणामस्वरूप, लोगों को स्मार्ट सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ और हितग्राही अपेक्षित लाभ से वंचित रहे।

मध्य प्रदेश शासन ने बताया कि इंटेलिजेंट स्ट्रीटलाइट के साथ स्मार्ट पोल्स की परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। अन्य सुविधाओं के बारे में उत्तर मौन था।

- **शासकीय अंश की वसूली न होना**

रियायत समझौते (ऊपर संदर्भित) के खंड 9.1 के अनुसार, दोनों पक्षों[16] के मध्य 15 साल की रियायत की अवधि के लिए नियत राजस्व साझा किया जाना था। पाँच साल की अवधि (2017-18 से 2021-22) के लिए साझा किए जाने वाले राजस्व की तुलना में वास्तव में साझा की गई राशि का विवरण नीचे तालिका 5.1.8 में दिया गया हैः

तालिका-5.1.8: एससीसी के साथ साझा किए गए राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्त होने वाली राशि	प्राप्त होने वाली संचयी राशि	प्राप्त राशि	राशि प्राप्त नहीं हुई (2-4)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
2017-18	0.68	0.68	0	0.68
2018-19	0.99	1.66	0	0.99
2019-20	1.14	2.81	0.92	0.22
2020-21	1.31	4.12	1.02	0.29
2021-22	1.45	5.57	0	1.45
कुल	**5.57**		**1.94**	**3.63**

(स्रोतः स्मार्ट सिटी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

एससीसी, भोपाल के साथ साझा किए जाने वाले ₹ 5.57 करोड़ के विरुद्ध, रियायतियों ने केवल ₹ 1.94 करोड़ साझा किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.63 करोड़ की राशि का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ। समझौते की शर्तों को लागू करने और देय धन की वसूली के लिए एससीसी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि ईवी चार्जिंग स्टेशनों और वाई-फाई हॉट स्पॉट के कार्यान्वयन में देरी के कारण राजस्व पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है और सहमत राजस्व प्राप्त हो रहा है।

---

[16] ***एक तरफ एससीसी, भोपाल और दूसरी तरफ भारती इंफ्राटेल, एरिक्सन, स्मार्ट एक्स सर्विसेज लिमिटेड और एचपीएल इलेक्ट्रिक और पावर लिमिटेड।***

हालाँकि, तथ्य यह है कि एससीसी ने समझौते के अनुसार उपरोक्त **तालिका 5.1.8** में दिखाया गया राजस्व प्राप्त नहीं किया था और नागरिकों को सुविधाओं से वंचित करने वाली अन्य सेवाओं के कार्यान्वयन में भी देरी हुई थी।

- **मोबाइल अनुप्रयोग के विकास पर अनावश्यक व्यय**

रियायत अनुबंध के खंड 4.9 के अनुसार, नागरिकों से संबंधित जानकारी और सेवाओं के प्रसार के लिए एक मोबाइल अनुप्रयोग एक रियायतग्राही (मैसर्स भारती इंफ्राटेल) द्वारा निःशुल्क विकसित किया जाना था और इसे नागरिकों को एंड्रॉइड/आईओएस/विंडोज प्लेटफॉम में डाउनलोड करने के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाना था।

यद्यपि कि अनुबंधग्राही को अनुप्रयोग को निःशुल्क विकसित करना था, एससीसी, भोपाल ने मैसर्स प्राइस वाटर कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ ₹ 3.98 करोड़ की लागत से एक मोबाइल अनुप्रयोग (भोपाल प्लस एप) के विकास के लिए एक अनुबंध (अगस्त 2016) किया।

इस प्रकार, एससीसी, भोपाल ने रियायतग्राही से निःशुल्क एप्लिकेशन प्राप्त करने के स्थान पर, मोबाइल अनुप्रयोग के विकास पर ₹ 3.98 करोड़ की राशि व्यय की, जिसके परिणामस्वरूप रियायतग्राही को अनुचित लाभ देने के अलावा उस सीमा तक निरर्थक व्यय हुआ।

मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि निःशुल्क प्रदान किए जाने वाले अनुप्रयोग की सीमित कार्यक्षमता थी और जल कर, जन्म प्रमाण पत्र आदि जैसी विस्तारित कार्यक्षमता प्रदान करने के लिए स्मार्ट सिटी को एक नागरिक ऐप की आवश्यकता थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, जैसा कि निःशुल्क अनुप्रयोग में नागरिक सेवाएँ, जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र, उपयोगिता देयकों को देखना और भुगतान करना भी शामिल था और एससीसी, भोपाल ने इसका उपयोग नहीं किया।

5.1.6.10 अनुबंधों का अनुपयुक्त प्राक्कलन

विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, कार्य का विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने के लिए, योजना की एक पूर्वापेक्षा है। क्षेत्र का अध्ययन एवं विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण द्वारा एकत्र किए गए वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आकलन तैयार करने से शासन द्वारा वास्तविक और सही आकलन की तैयारी एवं परिणामस्वरूप वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में मदद मिलती है।

लेखापरीक्षा ने चार स्मार्ट सिटी के कम्पनियों के 100 कार्यों में से 35 में पाया कि अनुमानित लागत (-) 3.24 प्रतिशत से 73.05[17] प्रतिशत की भिन्नता थी जैसा कि **परिशिष्ट-5.1.2** में वर्णित है। अलग-अलग मदों की भिन्नता 12 से 3,805 प्रतिशत तक थी जो अनुपयुक्त प्राक्कलन को दर्शाता है। आगे, प्राक्कलन तैयार करते समय आवश्यक मदों को शामिल न करने के परिणामस्वरूप कार्य की लागत में वृद्धि हुई क्योंकि इन्हें अंत में कार्य के क्रियान्वयन के समय एक अतिरिक्त मद के रूप में लिया गया। इसके अतिरिक्त, अनुमानित मात्रा के विरुद्ध अतिरिक्त मात्रा के निष्पादन के परिणामस्वरूप भी कार्य की लागत में वृद्धि हुई।

मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि सभी परियोजनाओं की संकल्पना, डिजाइन, कार्यान्वयन और निगरानी इन-हाउस कंसल्टेंसी की देखरेख में की गई। विचलनों के विश्लेषण के बाद, निर्देशक मंडल विचलन को मंजूरी देता है।

हालाँकि, अधिक विचलन यह दर्शाता हैं कि प्राक्कलन अनुपयुक्त था और पर्याप्त सर्वेक्षण और अन्वेषण पर आधारित नहीं था। इसके अलावा, प्राक्कलन में विशेषज्ञता परामर्श शामिल था, फिर भी इस तरह के विचलन के लिए आवश्यकता उत्पन्न हुई।

5.1.6.11 ₹ 10.62 करोड़ रॉयल्टी जमा न करना/ कम जमा करना

मध्य प्रदेश शासन के अनुबंध एवं आदेश (फरवरी 2003) के प्रावधानों के अनुसार खनिज संसाधन विभाग द्वारा निर्गत 'रॉयल्टी का अदेयता प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करने पर ही कार्य के लिए ठेकेदारों के अन्तिम बिल का भुगतान किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने भोपाल एवं इन्दौर के 18 कार्यों में पाया कि ठेकेदारों ने गौण खनिजों की विभिन्न मात्रा का प्रयोग करते हुए निर्माण कार्य किये थे, जिसके लिये विभागों द्वारा रॉयल्टी की उचित कटौती नहीं की गयी थी। न तो रॉयल्टी सरकारी खाते में जमा किया गया न ही अंतिम भुगतान करने से पूर्व ठेकेदारों से 'रॉयल्टी का अदेयता प्रमाण-पत्र', जो कि अपेक्षित था, प्राप्त किया गया। इससे सरकारी खजाने को ₹ 10.62 करोड़ की हानि हुई जैसा कि **परिशिष्ट-5.1.3** में वर्णित है।

मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि ठेकेदारों द्वारा रॉयल्टी का भुगतान किया जायेगा एवं अनुबंध समाप्त करते समय ठेकेदारों से 'अदेयता प्रमाण-पत्र' प्राप्त किया जायेगा। हालाँकि, तथ्य यह है कि न तो शासन को रॉयल्टी की राशि का भुगतान किया गया और न ही ठेकेदारों से वांछित अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

---

[17] ***14 प्रकरणों में विचलन 25 प्रतिशत से अधिक था।***

5.1.7 परियोजना अनुश्रवण

5.1.7.1 उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति की कार्यप्रणाली

स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी[18]) होगी, जो मिशन कार्यक्रम को पूरी तरह से संचालित करेगी। एचपीएससी की प्रमुख जिम्मेदारियाँ मिशन को मार्गदर्शन प्रदान करना और स्मार्ट शहरों के विकास से संबंधित विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक राज्य स्तरीय मंच प्रदान करना है। मध्य प्रदेश शासन ने स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के अनुपालन में जुलाई 2015 में एचपीएससी का गठन किया था।

लेखापरीक्षा ने अभिलेखों में देखा कि एचपीएससी ने 2016-17 में दो बैठकें कीं जबकि 2017-18 से 2020-21 के दौरान यह कोई भी बैठक आयोजित करने में विफल रही। नियमित बैठकों के अभाव में, लेखापरीक्षा एचपीएससी की भूमिका सुनिश्चित नहीं कर सकी और क्या उन्होंने मिशन को मार्गदर्शन प्रदान करने के संबंध में कोई लाभप्रद कार्य निष्पादित किया।

5.1.7.2 शहर स्तरीय स्मार्ट सिटी सलाहकारी मंच

स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को सक्षम करने और सलाह देने के लिए सभी स्मार्ट शहरों के लिए शहरी स्तर पर एक शहर स्तरीय स्मार्ट सिटी सलाहकारी मंच (एससीएएफ[19]) की स्थापना की जाएगी। तद्नुसार, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शामिल मध्य प्रदेश के सभी शहरों ने सितंबर 2016 और जून 2018 के बीच एससीएएफ की स्थापना[20] की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि शहरी सलाहकार मंच की बैठकें तीन माह में एक बार के अन्तराल पर आयोजित नहीं की गई थी। भोपाल और ग्वालियर में, एससीएएफ के गठन के बाद से दो साल तक बैठकें नहीं हुई थीं जबकि उज्जैन में स्थापना के बाद से पूरे एक साल तक बैठकें नहीं हुई थीं।

मध्यप्रदेश शासन ने इस संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

---

[18] *इसमें राज्य सरकार के विभागों के प्रतिनिधि, यूएलबी के महापौर और नगर आयुक्त शामिल हैं। इसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक राज्य मिशन निदेशक भी होगा।*

[19] *जिला कलेक्टर, सांसद, विधायक, महापौर, स्मार्ट सिटी के सीईओ, स्थानीय युवा, तकनीकी विशेषज्ञ और उस क्षेत्र से संबंधित रहवासी कल्याण संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाला कम से कम एक सदस्य शामिल हैं।*

[20] *सितंबर 2016 में इंदौर, अप्रैल 2017 में भोपाल, सितंबर 2017 में उज्जैन और जून 2018 में ग्वालियर।*

5.1.7.3 कमजोर अनुश्रवण का संकेत देने वाले अन्य मुद्दे

एससीसी के कामकाज के अनुश्रवण से संबंधित कुछ मुद्दों का उल्लेख नीचे किया गया हैः

- अनुबंध की शर्तों के अनुसार, ठेकेदार अपने सभी कर्मचारियों, श्रमिकों और उप-ठेकेदारों को भुगतान करने और श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों की भुगतान नस्ती/देयकों में ठेकेदारों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा भुगतान से संबंधित कोई भी दस्तावेज शामिल नहीं है।

  मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि निविदा प्रक्रिया के दौरान उनके ईपीएफ दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है और उन्हें निर्देशों को जारी किया गया।
  हालाँकि, जमा किये गये दस्तावेज को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में न केवल निविदा के समय बल्कि देयकों के भुगतान के दौरान भी सत्यापित किया जाना चाहिए।

- अनुबंधों में आवश्यक खंड जैसे कि 'ठेकेदार का जोखिम और लागत खंड[21]' शामिल नहीं थे। जोखिम और लागत खंड के अभाव में, अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, जो ठेकेदार द्वारा बीच में ही काम छोड़ने के कारण हुई हो को अनुबंध की समाप्ति के प्रकरण में मूल ठेकेदार से वसूल नहीं किया जा सकता है।

  मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि कार्यान्वयन और संचालन के लिए पूर्ण दायित्व निर्वहन करना कार्यान्वयन एजेंसी की जिम्मेदारी है। हालाँकि, यदि अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है या बीच में अनुबंध छोड़ दिया जाता है तो एससीसी को अतिरिक्त बोझ उठाना होगा।

- अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार, एक ठेकेदार को संबंधित स्मार्ट सिटी कंपनी के साथ संयुक्त रूप से अनुमोदित बीमा कंपनियों से जोखिम बीमा पॉलिसी लेने की आवश्यकता होती है और वह उन अपवादित जोखिमों को छोड़कर, जिसके लिए वह अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत जिम्मेदार है, किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाली क्षति के सभी नुकसान के विरूद्ध अनुबंध की संपूर्ण राशि के लिए दोष दायित्व अवधि सहित कार्यों के निष्पादन की पूर्ण अवधि के लिए बीमा की सभी लागतों का वहन करेगा। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि भोपाल में ₹ 425.17 करोड़

---

[21] ***ठेकेदार द्वारा कार्य के क्रियान्वयित करने में विफल होने की स्थिति में कंपनी के पास ठेकेदार के जोखिम और लागत पर किसी भी माध्यम से कार्य क्रियान्वयित करने का अधिकार सुरक्षित है।***

मूल्य के आठ अनुबंधो का बीमा नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 17 लाख (लागत के 0.04 प्रतिशत पर गणना) की अनुचित वित्तीय सहायता मिली।

मध्यप्रदेश शासन ने बताया कि सभी ठेकेदार बीमा लेते हैं। हालाँकि, कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और नत्थियों में बीमा से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।

- प्रावधानों के अनुसार, सामग्री और क्रियान्वयित वस्तुओं का गुणवत्ता परीक्षण किया जाना है और परीक्षण प्रतिवेदन को अभिलेख में रखा जाना है। ठेकेदारों ने परीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये, जिससे कार्यों की गुणवत्ता पर संदेह उत्पन्न हुआ।

  मध्य प्रदेश शासन ने बताया कि सभी कार्य योजना के अनुसार किये गये एवं कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप है। हालाँकि, कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था और नत्थियों में परीक्षणों से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

- अनुबंध की शर्तों के अनुसार, ठेकेदारों द्वारा परियोजनाओं के लिए तकनीकी व्यक्तियों को पदस्थापित किया जाना था। तकनीकी व्यक्तियों की पदस्थापना न होने पर, ठेकेदारों को किए जाने वाले भुगतानों से निश्चित दरों पर कटौती की जानी थी। ₹ 475.06 करोड़ की आठ परियोजनाओं में, तकनीकी व्यक्तियों को ठेकेदारों द्वारा पदस्थापित नहीं किया गया था, लेकिन अनुबंध के प्रावधानों अनुसार कोई कटौती नहीं की गई थी।

  मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि अनुबंध से कोई विचलन नहीं है। हालाँकि, कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और नत्थियों में तकनीकी व्यक्ति की पदस्थापना से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

- स्मार्ट सिटी कंपनियाँ अपनी निधियों को बैंक खातों में रखती हैं। वित्तीय बुद्धिमानी के हित में, अधिकांश एससीसी अपने निधियों को ऑटो-फ्लेक्सी खातों में बनाए रखते हैं ताकि अवरूद्व निधियों पर अधिक ब्याज प्राप्त किया जा सके। हालाँकि, यह देखा गया कि एससीसी, ग्वालियर ने अपनी निधियों को बचत खाते में संधारित रखना जारी रखा। परिणामस्वरूप, ऑटो फ्लेक्सी खातों में निधियों की निगरानी न करने

और निधियों का रखरखाव न करने के कारण, एससीसी ग्वालियर को ₹ 60.59 लाख के ब्याज की हानि हुई।

मध्य प्रदेश शासन ने इस संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

- अनुबंध के अनुसार, एक ठेकेदार को अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से मोबिलाइजेशन अग्रिम दिया जा सकता है। इस तरह के मोबिलाइजेशन अग्रिम पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज लगता है और इसकी गणना भुगतान की दिनांक से वसूली की दिनांक तक की जाएगी। ऐसे मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली ब्याज सहित ठेकेदार के देयकों से कटौती के माध्यम से की जाती है।

  एक ठेकेदार को आंतरिक विद्युतीकरण, पलम्बिंग आदि सहित एक बहुमंजिला सरकारी आवास के निर्माण का कार्य हेतु ₹ 314.40 करोड़ का आवंटन (अक्टूबर 2018 में) किया गया था जिसके पूर्ण होने की निर्धारित अवधि 24 माह थी।

  अनुबंध के अनुसार ठेकेदार को दिसंबर 2018 में ₹ 10 करोड़ और मार्च 2019 में ₹ पाँच करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम भुगतान किया गया था। मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में 8वें चलित देयक (फरवरी 2020) से ₹ दो करोड़ की राशि काटी गई और आगे 14वें चलित देयक तक (मार्च 2021) ₹ पाँच करोड़ की राशि समायोजित की गई थी, लेकिन मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ₹ 2.97 करोड़ का ब्याज आज दिनांक तक वसूल नहीं किया गया था।

  मध्यप्रदेश शासन ने कहा कि ब्याज की वसूली की जायेगी। हालाँकि, अनुबंध के खंड के अनुसार वसूली नहीं की गई। वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज ₹ 1.5 करोड़ था। ब्याज की कटौती न करने के परिणामस्वरूप कंपनी को ब्याज की अतिरिक्त हानि हुई (ब्याज राशि पर आठ प्रतिशत की गणना की दर से 31 मार्च 2021 तक ₹ 12 लाख का भुगतान नहीं किया गया)।

- एससीसी, भोपाल ने भारत माता चौराहा, भोपाल के पास स्मार्ट पार्क के संरचना और विकास का कार्य प्रारंभ किया। इस प्रयोजन हेतु मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान भोपाल (वाल्मी) को सर्वेक्षण, मृदा परीक्षण एवं स्मार्ट पार्क से संबंधित अन्य कार्यों हेतु ₹ 10.00 लाख का अग्रिम भुगतान (फरवरी 2020) किया गया। वाल्मी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था जिसके लिए अग्रिम भुगतान किया गया था, परिणामस्वरूप उस सीमा तक निरर्थक व्यय हुआ।

  मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि अग्रिम का उपयोग भविष्य में किसी अन्य कार्य में किया जाएगा, हालाँकि एससीसी को जमा राशि पर ब्याज का नुकसान हो रहा है।

5.1.8 निष्कर्ष

स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य उन शहरों को प्रोत्साहित करना था जो बुनियादी आधारभूत संरचना उपलब्ध कराते हैं एवं अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जीवन, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण और 'स्मार्ट' समाधानों का अनुप्रयोग प्रदान करते हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि स्मार्ट सिटी कंपनियों ने अपनी स्वीकृत योजना से हटकर उन कार्यों को जोड़ा जो यूएलबी द्वारा किए जा रहे थे और इसके अलावा, इनमें से कई कार्यों में स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों में वांछित स्मार्ट अवयव शामिल नहीं हैं जैसा कि स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों में वांछित था।

कई वर्षों के व्यतीत हो जाने के बाद भी कार्यों के अधूरे रहने के दृष्टांत थे।

निविदा प्रक्रिया में ऐसी कमियाँ थीं जहाँ स्थापित प्रक्रियाओं और नियमों की अवहेलना की गई थी। तैयार किए गए आकलन वास्तविक नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप परियोजना की लागत में वृद्धि हुई। इसके अलावा, अनुमानित लागत के साथ-साथ विविध मदों में अत्यधिक अंतर दर्शाता है कि उचित सर्वेक्षण और अन्वेषण के बिना अनुपयुक्त प्राक्कलन तैयार किए गए थे। ठेकेदारों की गलती के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी हुई और अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी, स्मार्ट सिटी मिशन के लक्ष्य प्राप्ति में देरी का कारण बन रही है। परिणामस्वरूप, पाँच वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी परियोजनाओं से अभीष्ट उद्देश्यों/लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

5.1.9 अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा निम्नलिखित अनुशंसा करती हैः

- स्मार्ट सिटी कंपनियों को स्मार्ट सिटी मिशन के भावना और दृष्टिकोण के अनुसार परियोजनाओं का चयन करना चाहिए और स्वीकृत स्मार्ट सिटी योजना से परिवर्तन के मामले में नागरिकों को भी शामिल करना चाहिए।
- निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कार्य सौंपे जाने के संबंध में स्मार्ट सिटी कंपनियों को निरपवाद रूप से कोडल प्रावधानों का पालन करना चाहिए और शासन को संबंधित कर्मचारियों, जिन्होंने वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया हो, परिणामस्वरूप शासन के कोष को हानि हुई हो, के विरुद्ध उत्तरदायित्व का निर्धारण करना चाहिए।
- स्मार्ट सिटी कंपनियों को अन्य योजनाओं के अंतर्गत सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों के लिए भुगतान नहीं करना चाहिए क्योंकि अनुदान स्मार्ट सिटी मिशन के लिए निर्धारित हुए हैं।

- स्मार्ट सिटी कंपनियों को सरकारी खजाने में रॉयल्टी का समय पर जमा किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।
- एचपीएससी द्वारा मध्यावधि समीक्षा तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए जिससे वह कार्य के दौरान सुधार और विलंबित कार्यों को जल्दी पूरा करने के लिए पुनरावलोकन एवं स्मार्ट सिटी कंपनियों को मार्गदर्शन कर सके।

5.2 नगरीय स्थानीय निकायों में प्राप्तियों (संपत्ति कर एवं किराया) पर अनुपालन लेखापरीक्षा

5.2.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ब में परिकल्पना की गयी है कि किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा, नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियों और प्राधिकारों से सम्पन्न कर सकता है जो कि उसका स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु आवश्यक हो और ऐसी विधि में नगरपालिकाओं को शक्तियों और उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण करने के उपबंधों को समाविष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243भ के अनुसार, राज्य का विधानमंडल, किसी नगरपालिका को ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के उद्ग्रहण और संग्रह के लिए प्राधिकृत कर सकता है। मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम (एमपीएमसी) अधिनियम, 1956 की धारा 133(1)(क),(ख) एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका (एमपीएम) अधिनियम, 1961 की धारा 129 (1)(क),(ख) के अनुसार निगम या परिषद्, संकल्प द्वारा, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलनों को अंतिम रूप से अंगीकृत करते हुए अधिनियम में विनिर्दिष्ट करों या शुल्क में से कोई कर या फीस अधिरोपित कर सकेगा या पूर्व में अधिरोपित किये गए करों या फीस की दरों में वृद्धि कर सकेगा। नगरीय स्थानीय निकायों (यूएलबी) के स्वयं के राजस्व के स्रोत कर राजस्व[22] एवं गैर-कर राजस्व[23] हैं। प्राप्तियों के प्रमुख घटक होने के कारण, संपत्ति कर एवं किराया[24], क्रमशः कर एवं गैर-कर राजस्व के अंतर्गत लेखापरीक्षा हेतु चुना गया है।

मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव के नेतृत्व में नगरीय विकास एवं आवास विभाग (यूडीएचडी), सभी यूएलबी के शासन के लिए नोडल विभाग है। संचालनालय, नगरीय प्रशासन

---

[22] ***कर राजस्व (संपत्ति कर, विज्ञापन पर कर, ढुलाई/ गाड़ी पर कर)।***

[23] ***गैर-कर राजस्व (जल आपूर्ति शुल्क से प्राप्त, शॉपिंग परिसर से किराया, भूमि और संपत्ति निर्माण योजना स्वीकृति शुल्क, लाइसेंस शुल्क, पार्क शुल्क, अनुपयोगी सामग्री की बिक्री, सावधि जमा पर ब्याज आदि)।***

[24] ***किराए का तात्पर्य शॉपिंग परिसर से किराए से है।***

एवं विकास (यूएडीडी), राज्य शासन और यूएलबी के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यूएडीडी का प्रमुख आयुक्त होता है, जिसे संभागीय स्तर पर नौ संयुक्त संचालकों[25] द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। आयुक्त और मुख्य नगरपालिका अधिकारी क्रमशः निगमों और अन्य यूएलबी (नगर पलिका परिषद् और नगर परिषद्) के कार्यकारी प्रमुख हैं। राज्य में 407[26] यूएलबी (16 नगर पालिक निगम (एनएन), 99 नगरपालिका परिषद् (एनपीपी) और 292 नगर परिषद् (एनपी) हैं। ₹ एक करोड़ से अधिक की कुल प्राप्तियों (संपत्ति कर एवं किराया) के सभी नगर पालिक निगमों, 58 नगरपालिका परिषदों, एवं ₹ 50 लाख से अधिक की कुल प्राप्तियों (संपत्ति कर और किराया) के 50 नगर परिषदों को नमूना चयन के लिए विचार में लिया गया था। इनमें से तीन नगर पालिक निगम छः नगरपालिका परिषद् एवं सात नगर परिषदों को प्रतिस्थापन विधि के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति के आधार पर चुना गया था। वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान इन इकाइयों की कुल प्राप्तियां (संपत्ति कर एवं किराया) **तालिका-5.2.1** में नीचे दर्शायी गयी हैं:

तालिका-5.2.1 वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान कुल प्राप्तियां (संपत्ति कर एवं किराया)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	यूएलबी	चयन हेतु विचार की गयी यूएलबी		लेखापरीक्षित यूएलबी	
		संख्या	प्राप्ति (संपत्ति कर एवं किराया)	संख्या	प्राप्ति (संपत्ति कर एवं किराया)
1	नगर पालिक निगम	16	1,682.45	3	426.18
2	नगरपालिका परिषद्	58	208.27	6	35.03
3	नगर परिषद्	50	43.54	7	5.33

(स्रोत: यूएडीडी द्वारा प्रदत्त सूचना)

5.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या:

- संपत्ति कर का निर्धारण, अधिरोपण और संग्रहण सुदृढ़ तरीके से किया गया था;
- संपत्ति कर बोर्ड (पीटीबी) यूएलबी को उनके कर वसूली के प्रयासों में सुधार की प्रक्रिया में पर्याप्त सहायता कर रहा था;
- किराया उद्ग्रहीत गया था और प्रभावी रूप से वसूल किया गया था तथा
- राजस्व संग्रहण हेतु विभाग में समुचित निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली विद्यमान है।

---

[25] ***भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, शहडोल और उज्जैन।***

[26] ***यूएडीडी के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2020-21 के अनुसार।***

5.2.3 लेखापरीक्षा मानदंड

अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए निम्नलिखित स्रोतों से मानदंड प्राप्त किए गए थेः

- मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम (एमपीएमसी) अधिनियम, 1956;
- मध्यप्रदेश नगर पालिका (एमपीएम) अधिनियम, 1961;
- मध्यप्रदेश नगरपालिका (अचल संपत्ति का अंतरण), (एमपीएमटीआईपी) नियम, 2016;
- मध्यप्रदेश नगरपालिका भवन/भूमि के वार्षिक किराया मूल्य का निर्धारण (एमपीएमडीएआरवी) नियम, 1997 यथा संशोधित 2020; एवं
- राज्य शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय और यूएलबी द्वारा जारी अधिसूचनाएँ, आदेश, परिपत्र, एवं निर्देश।

5.2.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

16 चयनित यूएलबी (तीन[27] नगर पालिक निगम, छः[28] नगरपालिका परिषद् और सात[29] नगर परिषद्) एवं आयुक्त (यूएडीडी) के अभिलेखों की नमूना जांच, डेटा संग्रहण और संपत्ति कर एवं किराए से संबंधित जानकारी के माध्यम से जून 2021 से मार्च 2022 के मध्य की गयी अनुपालन लेखापरीक्षा में 2018-19 से 2020-21 की अवधि को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, संपत्ति कर बोर्ड की लेखापरीक्षा में देखी गई अनियमितताओं और कार्यप्रणाली पर उनकी स्पष्ट टिप्पणियों के लिए बोर्ड का भी चयन किया गया था।

20 जुलाई 2021 को आयुक्त, यूएडीडी के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों और मानदंडों को समझाया गया। शासन को लेखापरीक्षा के परिणाम उनके विचार प्राप्त करने के लिए मार्च 2022 में प्रतिवेदित किए गए थे। शासन के उत्तर/विचार नवंबर 2022 में प्राप्त हुए। इन्हें उपयुक्त स्थानों पर उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

संपत्ति कर और किराए से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

---

[27] ***नगर पालिक निगम - (भोपाल, छिंदवाड़ा और देवास)।***

[28] ***नगरपालिका परिषद् - (बीना, ब्यावरा, मंडीदीप, पीथमपुर, शाजापुर और टीकमगढ़)।***

[29] ***नगर परिषद् - (बनखेड़ी, देपालपुर, खातेगाँव, खिलचीपुर, महुगाँव, नलखेड़ा और टिमरनी)।***

5.2.5 संपत्ति कर

नगर के भीतर स्थित भवनों तथा भूमियों के स्वामियों द्वारा भवन या भूमि के सम्पूर्ण वार्षिक किराया मूल्य[30] (एएलवी) के सम्बन्ध में देय कर, जिसे भवनों या भूमि के कर योग्य संपत्ति मूल्य (टीपीवी) के रूप में भी जाना जाता है, को संपत्ति कर[31] (पीटी) कहा जाता है। यह ऐसे दर जो एएलवी[32] के छः प्रतिशत से कम न हो और 10 प्रतिशत से अधिक न हो से प्रभारित, उद्ग्रहीत और भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली संपत्तियों को एमपीएमसी अधिनियम, 1956 और एमपीएम अधिनियम, 1961 के तहत छूट दी गई है, हालांकि यूएलबी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए ऐसी संपत्तियों पर सेवा प्रभार लगाया जाता है। तद्नुसार, इस कंडिका में संपत्ति कर के साथ सेवा प्रभार से संबंधित प्रकरणों को भी शामिल किया गया है।

5.2.5.1 वार्षिक किराया मूल्य/कर योग्य संपत्ति मूल्य के निर्धारण के लिए दरों में संशोधन न करना

एमपीएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 138 और एमपीएम अधिनियम, 1961 की धारा 126 में प्रावधान है कि किसी भवन या भूमि का एएलवी/टीपीवी, निगम/नगर पालिका द्वारा अपनाए गए संकल्प के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रारूप संकल्प तैयार करेंगे और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर से पूर्व संबंधित यूएलबी में निगम या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यदि निगम/परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संकल्प 31 मार्च तक अंगीकृत करने में विफल रहता है तो प्रारूप संकल्प, महापौर/अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा और महापौर/अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित संकल्प को अंतिम रूप से निगम/परिषद् द्वारा अंगीकृत समझा जाएगा।

---

30 *किसी भी भवन या भूमि का एएलवी, चाहे राजस्व दे रहा हो या नहीं, इस संबंध में अपनाए गए निगम या परिषद् के संकल्प के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, (भवन या भूमि के निर्मित क्षेत्र के प्रति वर्ग मीटर के आधार पर) जैसा भी मामला हो, उस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जिसमें भवन या भूमि स्थित है, इसका स्थान, स्थिति, उद्देश्य जिसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, लाभदायक उपयोग के लिए इसकी क्षमता, भवनों के निर्माण की गुणवत्ता और अन्य प्रासंगिक कारक नियमों के अधीन, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाया जा सकता है।*

31 *एमपीएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 132(1)(क) और एमपीएम अधिनियम, 1961 की धारा 127(1)(क)।*

32 *एमपीएम अधिनियम, 1961 की धारा 127 (क)(1) और एमपीएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 135।*

नमूना जांच की गई 16 नगरीय स्थानीय निकायों में से 12[33] में लेखापरीक्षा ने देखा (जुलाई 2021 और जनवरी 2022 के मध्य) कि आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारियों ने 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान परिषद्/निगम को प्रारूप संकल्प तैयार एवं प्रस्तुत नहीं किया और एएलवी/टीपीवी के निर्धारण के लिए पुरानी दरों को अपनाया।

शासन ने इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान, चार यूएलबी[34] के सीएमओ ने कहा (जुलाई 2021 और जनवरी 2022 के बीच) कि संपत्ति कर की दरों में संशोधन के प्रस्तावों को प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल[35] (पीआईसी) के समक्ष रखा गया था, लेकिन इन्हें अनुमोदित नहीं किया गया जबकि दो यूएलबी के सीएमओ (नगरपालिका परिषद् शाजापुर एवं नगर परिषद् खिलचीपुर) ने बताया कि दरों में परिवर्तन के प्रस्ताव अगले वित्तीय वर्ष से बनाये जायेंगे। आयुक्त, नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा ने बताया कि वर्ष 2018-19 में परिषद् से दरों का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अगले वित्तीय वर्षों में वसूली की जा रही थी और कार्य की अधिकता के कारण अगले वित्तीय वर्षों में प्रस्ताव नहीं बनाये गये थे। सीएमओ, नगर परिषद् टिमरनी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 के लिए संकल्प पीआईसी को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। सीएमओ, नगर परिषद्, नलखेड़ा ने कहा कि प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी जा सकी क्योंकि जनवरी 2019 से पीआईसी भंग हो गई थी। देपालपुर और खातेगांव, नगर परिषद् के सीएमओ ने कहा कि भविष्य में प्रस्ताव पारित करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका परिषद्, पीथमपुर के सीएमओ ने कहा कि एएलवी के निर्धारण और दर में वृद्धि का प्रस्ताव परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और उसे अनुमोदित किया गया था।

सीएमओ और आयुक्त के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि यूएलबी, वार्षिक किराया मूल्य/कर योग्य संपत्ति मूल्य की दरों को संशोधित करने में विफल रहे। आगे, पीआईसी/एमआईसी के समक्ष संकल्प प्रस्तुत करने के लिए की गई पहलों के सम्बन्ध में उनके उत्तर के समर्थन में लेखापरीक्षा के दौरान कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए थे।

---

[33] ***नगर पालिक निगम- छिंदवाड़ाः नगरपालिका परिषद् - (शाजापुर, बीना, टीकमगढ़ और पीथमपुर) और नगर परिषद् - (टिमरनी, नलखेड़ा, खिलचीपुर, महूगांव, बनखेड़ी, देपालपुर और खातेगांव) ।***

[34] ***नगरपालिका परिषद् - (बीना और टीकमगढ़) और नगर परिषद् - (महूगांव और बनखेड़ी)।***

[35] ***प्रत्येक परिषद् के लिए पीआईसी का गठन परिषद् के अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष के चुनाव की दिनांक से सात दिनों के अंदर निर्वाचित पार्षदों में से किया जाता है (एमपीएम अधिनियम, 1961 की धारा 70)।***

5.2.5.2 वार्षिक किराया मूल्य/कर योग्य संपत्ति मूल्य की त्रुटिपूर्ण गणना

एमपीएमडीएआरवी नियम, 1997 के नियम 10(1) के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र का प्रत्येक संपत्ति स्वामी अपनी संपत्ति के कर योग्य संपत्ति मूल्य एवं संपत्ति कर की राशि की गणना स्वयं करेगा तथा कर की राशि को निर्धारित समय सीमा में विवरणी के साथ नगर पालिका में जमा करेगा। वह इस संबंध में निगम/परिषद् द्वारा अपनाए गए संकल्प के अनुसार अपनी संपत्ति के एएलवी/टीपीवी का स्व-मूल्यांकन करेगा। एमपीएमडीएआरवी नियम, 2020 में भी समान प्रावधान है। इसके अलावा, यूएलबी द्वारा उन परिवारों पर एक समेकित कर भी आरोपित किया जाता है, जिनकी एएलवी छूट सीमा[36] से कम है।

आगे, एमपीएमडीएआरवी नियम, 1997 के नियम 11 में प्रावधान है कि विवरणी की जांच पर, यदि नगरपालिका अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि उसमें अंकित कोई भी जानकारी सही नहीं है या संदेहास्पद है या वह किसी अन्य कारण से कर योग्य संपत्ति मूल्य का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक समझता है, तो नगरपालिका अधिकारी अधिनियम (एमपीएमसी अधिनियम 1956 या एमपीएम अधिनियम 1961) के प्रावधान के तहत कर योग्य संपत्ति मूल्य के पुनर्निर्धारण के लिए कार्रवाई कर सकता है। एमपीएमडीएआरवी नियम, 2020 में भी समान प्रावधान है।

ई-नगर पालिका पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी का अवलोकन करने पर लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2021 और जनवरी 2022 के मध्य) कि:

(अ) नमूना जांच की गयी 16 यूएलबी में से छः[37]में, 8,165 संपत्तियों के विरुद्ध एएलवी/टीपीवी की गणना, ई-नगर पालिका पोर्टल पर संपत्ति के विवरण जैसे कि संपत्तियों के उपयोग का प्रकार (वाणिज्यिक/आवासीय संपत्ति), उपयोग कारक (स्वयं अधिकृत/किराए पर), तल की संख्या और निर्माण का प्रकार (अस्थायी एवं रैन्फोर्स सीमेंट कंक्रीट निर्माण, आदि) के अभाव के कारण नहीं की गयी थी।

(ब) एनएन, देवास में, 1,361 संपत्तियों के विरुद्ध, ई-नगर पालिका पोर्टल पर गलत एएलवी/टीपीवी की गणना की गई थी क्योंकि क्षेत्र को गलती से शून्य या एक वर्ग

---

[36] ***भूमि और भवन, जिसका वार्षिक किराया मूल्य एक लाख या उससे अधिक की आबादी वाले नगरपालिका क्षेत्र के मामले में छह हजार रुपये से अधिक नहीं है और एक लाख से कम आबादी वाले नगरपालिका क्षेत्र के मामले में चार हजार आठ सौ रुपये (धारा 127क(2)(ख)) एमपीएम अधिनियम, 1961 और एमपीएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 135(ख)।***

[37] ***नगर पालिक निगम- (भोपाल और छिंदवाड़ा); नगर पालिका परिषद्- (शाजापुर और टीकमगढ़) और नगर परिषद् - (महुगांव और नलखेड़ा)।***

फुट के रूप में उल्लेखित किया गया था। हालांकि संपत्ति के उक्त क्षेत्र पर संपत्ति कर की गणना नहीं की गई थी।

(स) समेकित कर उन संपत्तियों पर लगाया जाना था जिनका एएलवी/टीपीवी ₹ 4,800 (एक लाख से कम जनसँख्या) से कम था। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि नगर परिषद्, बनखेड़ी में 47 संपत्तियों में जिनका एएलवी ₹ 4,800 से अधिक था संपत्ति कर के स्थान पर समेकित कर लगाया गया था, और इस प्रकार इन संपत्तियों पर संपत्ति कर आरोपणीय था।

इस प्रकार, ई-नगर पालिका पोर्टल पर गलत गणना या गणना के अभाव में, कुल 9,573 संपत्तियों के संबंध में संपत्ति कर को सही ढंग से सुनिश्चित नहीं किया जा सका और उद्ग्रहीत भी नहीं किया जा सका, जिससे संबंधित यूएलबी को संपत्ति कर या समेकित कर के रूप में कर राजस्व से वंचित होना पड़ा। विवरण **परिशिष्ट 5.2.1** में दर्शाया गया है।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2022) कि छः[38] यूएलबी के मामले में सत्यापन के उपरान्त संशोधित डाटा अपलोड किया जायेगा। नगरपालिका परिषद्, शाजापुर के संबंध में बताया गया कि त्रुटि को आगामी वर्ष में सुधार लिया गया है। नगर पालिक निगम, भोपाल के संबंध में शासन ने बताया कि विगत कुछ वर्षों के दौरान एसएपी साफ्टवेयर/ई-नगरपालिका पोर्टल के माध्यम से एएलवी/पीटी की सही गणना की जा रही है।

तथ्य यह है कि एएलवी/टीपीवी की गणना न किया जाना या त्रुटिपूर्ण गणना करना एवं उचित और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण, जहां कहीं भी लागू था, संपत्ति कर के साथ-साथ समेकित कर भी नहीं उद्ग्रहीत किया जा सका। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त आईटी प्रणालियों के उपयोग के उपरांत भी, नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार एवं उपरोक्त सात लेखापरीक्षित यूएलबी में भी एएलवी की गणना में त्रुटियाँ थीं।

5.2.5.3 संपत्ति कर के बकाया की वसूली न होना

एमपीएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 173(1) और एमपीएम अधिनियम, 1961 की धारा 164(1) निर्धारित करती हैं कि जब अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत घोषित कोई राशि वसूली योग्य या किसी कर के रूप में देय हो, तो आयुक्त/सीएमओ न्यूनतम व्यवहार्य देरी के अंदर भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को एक देयक प्रस्तुत करेगा। आगे, एमपीएमसी

[38] ***नगर पालिक निगम- (छिंदवाड़ा और देवास); नगर पालिका परिषद् - टीकमगढ़ और नगर परिषद्- (बनखेड़ी, महूगांव और नलखेड़ा)।***

अधिनियम, 1956 की धारा 174(1) और एमपीएम अधिनियम, 1961 की धारा 164(3) के अनुसार, यदि वह धन राशि जिसके लिए देयक प्रस्तुत किया गया है, का भुगतान नहीं किया जाता है एवं देयक की प्रस्तुति के 15 दिनों के अंदर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती, आयुक्त/सीएमओ उस व्यक्ति को मांग का सूचना पत्र भेजेगा, जिसको ऐसा देयक प्रस्तुत किया गया हो।

आगे, एमपीएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 175(1) और एमपीएम अधिनियम, 1961 की धारा 167(1) में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को मांग की सूचना दी जाती है, यदि वह इस तरह की मांग सूचना के निर्वाह के 30[39]/15[40] दिनों के भीतर माँग की गई राशि का भुगतान नहीं करता है अथवा आयुक्त/सीएमओ को भुगतान न करने के कारण से संतुष्ट नहीं करता है और न ही मांग के विरूद्ध अपील करता है तो यूएलबी चूककर्ता की चल संपत्ति के विक्रय या उसकी अचल संपत्ति की कुर्की तथा विक्रय के माध्यम से देय राशि की वसूली कर सकते हैं।

ई-नगर पालिका पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों का अवलोकन करते समय लेखापरीक्षा ने 16 नमूना जांच किए गए यूएलबी में से 15[41] में पाया (जून 2021 से जनवरी 2022 के मध्य) कि विभाग द्वारा 1,14,030 संपत्ति मालिकों से जहां प्रत्येक संपत्ति में संपत्ति कर के बकाया ₹ 5,000 से अधिक थे, बकाया के रूप में ₹ 347.98 करोड़ (जनवरी 2022 तक) की वसूली नहीं की है। आगे लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि यूएलबी ने वसूली के लिए एमपीएमसी अधिनियम, 1956 और एमपीएम अधिनियम, 1961 में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया था। इस प्रकार, बकाया वसूली में यूएलबी की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹ 347.98 करोड़ के वसूली योग्य कर राजस्व का संग्रहण नहीं हुआ, जिनका विवरण **परिशिष्ट 5.2.2** में दर्शाया गया है।

शासन ने उत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि 15 यूएलबी द्वारा नियमित रूप से वसूली की कार्रवाई की जा रही थी और 15 यूएलबी में से नौ[42] ने 2022-23 में ₹ 1.01 करोड़ की

---

[39] ***एमपीएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 175(1)।***

[40] ***एमपीएम अधिनियम, 1961 की धारा 167(1)।***

[41] ***नगर पालिक निगम- (भोपाल और छिंदवाड़ा), नगरपालिका परिषद् - (शाजापुर, टीकमगढ़, बीना, पीथमपुर, मंडीदीप और ब्यावरा) और नगर परिषद्- (टिमरनी, नलखेड़ा, महूगांव, खिलचीपुर, खातेगांव, बनखेड़ी और देपालपुर)।***

[42] ***नगरपालिका परिषद्- (मंडीदीप ₹ 24.53 लाख, ब्यावरा ₹ 17.60 लाख और बीना ₹ 35.10 लाख) और नगर परिषद्- (बनखेड़ी ₹ 5.29 लाख, खातेगांव ₹ 0.78 लाख, खिलचीपुर ₹ 1.00 लाख, महूगांव ₹ 14.00 लाख, नलखेड़ा ₹ 0.67 लाख और टिमरनी ₹ 2.50 लाख)।***

राशि की वसूली की थी। तथापि, उत्तर को अभिलेखों से और अधिक प्रमाणित करने की आवश्यकता है। आगे, नगर पालिक निगम, भोपाल से संबंधित प्रकरणों के संबंध में बताया गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 529.66 करोड़ की कुल माँग के विरूद्ध ₹ 198.63 करोड़ की राशि की वसूली की गई। हालाँकि, यह सूचित नहीं किया गया था कि इसमें से कितनी राशि लेखापरीक्षा में शामिल अवधि, यानी 2018-19 से 2020-21 से संबंधित है।

5.2.5.4 बोर्ड/निगम कार्यालयों के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर संपत्ति कर का अनारोपण

एमपीएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 132 (1)(क) और एमपीएम अधिनियम, 1961 की धारा 127(1)(क) में प्रावधान है कि यूएलबी के क्षेत्र में स्थित भवनों या भूमि पर संपत्ति कर आरोपित होगी। आगे, एमपीएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 136(क) और एमपीएम अधिनियम, 1961 की धारा 127(क)(2)(क) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निगम/परिषद् के स्वामित्व वाली या उसमें निहित भवन और भूमि पर संपत्ति कर आरोपित नहीं किया।

नमूना जांच की गई 16 यूएलबी में से छः[43] में लेखापरीक्षा में पाया (जून 2021 से जनवरी 2022) कि उन्होंने उन संपत्तियों[44] पर ₹ 1.71 करोड़ का संपत्ति कर नहीं लगाया जो केंद्र सरकार राज्य सरकार अथवा निगम/परिषद् के स्वामित्व में नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप इन संपत्तियों पर ₹ 1.71 करोड़ की राशि के संपत्ति कर की वसूली नहीं हुई जैसा कि **परिशिष्ट 5.2.3** में दर्शाया गया है। दो यूएलबी (नगर परिषद् टिमरनी और नगर परिषद् बनखेड़ी) के सम्बन्ध में, ई-नगर पालिका पोर्टल पर संपत्तियों के विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण संपत्ति कर की गणना नहीं की जा सकी।

उत्तर में, शासन ने छः यूएलबी के सम्बन्ध में बताया (नवंबर 2022), कि वसूली की कार्रवाई प्रगति पर है और नगर परिषद् बनखेड़ी और टिमरनी के मामलों में, कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। यह इंगित करता है कि विभाग की ओर से ठोस कार्रवाई की कमी थी।

5.2.5.5 केंद्र सरकार की संपत्तियों पर सेवा प्रभार का अनारोपण

यूएडीडी, मध्य प्रदेश शासन ने निर्देश दिया (सितंबर 2000) कि वित्त विभाग, भारत सरकार के निर्देशों (मार्च 1967) के अनुसार यूएलबी क्षेत्र के भीतर स्थित केंद्र सरकार के भवनों पर

---

[43] ***नगरपालिका परिषद्- (टीकमगढ़, ब्यावरा और पीथमपुर); नगर परिषद्- (नलखेड़ा, देपालपुर और खातेगांव)।***

[44] ***नगरपालिका परिषद्- (ब्यावरा, पीथमपुर और टीकमगढ़) और नगर परिषद्- (देपालपुर, खातेगांव और नलखेड़ा) - बीएसएनएल की संपत्तियां, नगर परिषद्, देपालपुर- विद्युत वितरण विभाग की संपत्तियां और नगरपालिका परिषद्, टीकमगढ़ और नगर परिषद्, नलखेड़ा- कृषि उपज मंडी की संपत्तियां।***

सेवा प्रभार आरोपित और एकत्रित किया जाए। सेवा प्रभार, संपत्ति के मालिकों पर लगाए गए संपत्ति कर के क्रमशः 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 33.33 प्रतिशत की दर से देय था, यह इस पर निर्भर करता है कि भारत संघ या उसका विभाग पूर्ण सेवाओं, या आंशिक सेवाओं या शून्य सेवाओं का उपयोग कर रहा है।

नमूना जाँच की गई 16 यूएलबी में से चार[45] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में देखा गया (जून से अक्टूबर 2021) कि 2011-12 से 2020-21 की अलग-अलग अवधि के लिए ₹ 0.49 करोड़ का सेवा प्रभार केंद्र सरकार के पांच विभागों की संपत्तियों पर नहीं लगाया गया था **(परिशिष्ट 5.2.4)**। आगे, यद्यपि केन्द्र सरकार के तीन विभाग[46] यूएलबी के क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहे थे, लेकिन सेवा प्रभार की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि संपत्ति का विवरण, जैसे क्षेत्रफल, इन यूएलबी के पास उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार सेवा प्रभार के अनारोपण तथा केन्द्र सरकार के विभागों की सम्पत्तियों की जानकारी के अभाव में नगरीय स्थानीय निकाय यथेष्ट राजस्व से वंचित रहे।

दो नगरपालिका परिषदों, टीकमगढ़ एवं मण्डीदीप के प्रकरणों के उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2022) कि वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है। नगरपालिका परिषद्, ब्यावरा के मामले में, यह कहा गया था कि रेलवे स्टेशन की संपत्ति को संपत्ति कर से छूट प्राप्त है, डाकघर की संपत्ति के बारे में उत्तर मौन था। नगरपालिका परिषद्, बीना के मामलें में कोई टिप्पणी नहीं की। यह स्पष्ट है कि रेलवे संपत्ति पर सेवा प्रभार के सम्बन्ध में नगरपालिका परिषद्, ब्यावरा का उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति के लिए प्रासंगिक नहीं था। आगे, उत्तर इंगित करते हैं कि विभाग की ओर से ठोस कार्रवाई की कमी थी।

5.2.5.6 स्व-निर्धारण विवरणी में कमियाँ

एमपीएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 138, एमपीएम अधिनियम, 1961 की धारा 126 और एमपीएमडीएआरवी नियम, 2020 के नियम-10(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक संपत्ति मालिक यूएलबी क्षेत्र में स्थित अपनी संपत्ति के एएलवी का स्व-निर्धारण पीआईसी द्वारा तय की गई निर्धारित दरों के अनुसार करेगा एवं निर्धारित प्रारूप में विवरणी के साथ, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आरोपणीय एएलवी की दर तय करने के लिए भवन/प्लॉट

---

[45] ***नगरपालिका परिषद् - (बीना, टीकमगढ़, मंडीदीप और ब्यावरा)।***

[46] ***नगर पालिक निगम- छिंदवाड़ा (केंद्र सरकार के विभाग का विवरण यूएलबी के पास उपलब्ध नहीं था); नगरपालिका परिषद्- पीथमपुर (कस्टम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, डाकघर); नगरपालिका परिषद्- बीना (डाकघर) और नगर परिषद् बनखेड़ी (रेलवे); नगर परिषद् टिमरनी (रेलवे)।***

नंबर/सड़क का नाम/ वार्ड नंबर आदि दर्शाने वाली संपत्ति का विवरण शामिल है, संपत्ति कर की राशि का भुगतान करेगा।

आगे, एमपीएमडीएआरवी नियम, 1997 के नियम-11 के परंतुक के अनुसार, नियम-10 के अंतर्गत प्राप्त विवरणी की यूएलबी द्वारा जाँच की जाएगी और इसमें 10 प्रतिशत तक के अंतर को ध्यान में नहीं लिया जाएगा, हालांकि, 10 प्रतिशत से अधिक के अंतर के मामले में, संपत्ति का मालिक ऐसी शास्ति का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा जो संपत्ति के मालिक द्वारा किये गए स्व-निर्धारण तथा नगरपालिका द्वारा किये गये पुनर्निर्धारण के अंतर की राशि के पाँच गुने के बराबर होगी। एमपीएमडीएआरवी नियम, 2020 में भी समान प्रावधान है।

नमूना जांच की गई 16 यूएलबी में से आठ[47] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में देखा गया (जुलाई 2021 से जनवरी 2022) कि 496 प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्व-निर्धारण की जांच नहीं की गई थी और 177 मामलों में संपत्ति कर की गणना किए बिना विवरणियां स्वीकार की गयीं। इसके अतिरिक्त 357 एवं 156 प्रकरणों में क्रमशः संपत्ति स्वामियों द्वारा विवरणी प्रस्तुत नहीं की गयी एवं हस्ताक्षर नहीं पाए गए थे। 34 विवरणियों में संपत्तियों के पते संबंधी जानकारी का उल्लेख भी नहीं पाया गया। किसी भी मामले में स्व-निर्धारण के साथ कोई भी सहायक दस्तावेज (रजिस्ट्री, खसरा और खतौनी की प्रति) संलग्न नहीं पाया गया। इस प्रकार, स्व-निर्धारण में कमियों को देखते हुए, यूएलबी द्वारा संपत्ति कर की गणना में सटीकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

यूएलबी[48] के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में विवरणियों की नियमानुसार जांच की जायेगी। इस संबंध में शासन द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई।

5.2.5.7 संपत्ति कर बोर्ड का गठन और कार्यप्रणाली

13वें वित्त आयोग की कंडिका 10.160(vii) की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार ने राजपत्र अधिसूचना (मार्च 2011) द्वारा स्थानीय निकायों को संपत्ति कर के आरोपण/संग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने में सहायता करने के लिए मध्य प्रदेश संपत्ति कर बोर्ड का गठन किया था। मध्य प्रदेश संपत्ति कर बोर्ड को आवंटित कार्य (नवंबर 2011) थे:

---

[47] ***नगर परिषद्- (बनखेड़ी, खातेगांव, खिलचीपुर, महूगांव) और नगरपालिका परिषद्-(शाजापुर, टीकमगढ़, बीना और पीथमपुर)।***

[48] ***नगरपालिका परिषद्- (बीना, टीकमगढ़, शाजापुर) और नगर परिषद्- (खातेगांव, खिलचीपुर, महूगांव और बनखेड़ी)।***

- संपत्ति कर के निर्धारण एवं आरोपण की मौजूदा प्रक्रिया की समीक्षा करना एवं यूएलबी एवं राज्य शासन को मार्गदर्शन प्रदान करना।
- संपत्ति कर के निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन/यूएलबी को मार्गदर्शन प्रदान करना।
- संपत्ति कर के नियमानुसार निर्धारण, आरोपण और वसूली की प्रक्रिया की निगरानी एवं पर्यवेक्षण।
- वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए सम्पति कर के कम से कम पाँच प्रतिशत प्रकरणों का मूल्यांकन करना, एवं राजपत्र में प्रतिवेदन प्रकाशित करना।
- राजस्व कर्मचारियों के क्षमता-वर्धन के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना।
- औद्योगिक संपत्तियों पर संपत्ति कर के निर्धारण पर सुझाव देना।
- राजस्व कर्मचारियों के लिए विभिन्न पदों की संरचना पर सुझाव देना।

संपत्ति कर बोर्ड के माध्यम से एकत्रित जानकारी (जून 2021 और सितंबर 2021 के बीच) की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया किः

- संपत्ति कर बोर्ड के दैनिक कामकाज के लिए अलग से कोई कर्मचारी नहीं था। हालाँकि, अनुबंध के आधार पर दो अधिकारी बोर्ड के कामकाज की देखरेख कर रहे थे। इसका संपत्ति कर बोर्ड के कार्यों पर संभावित प्रभाव था जैसा कि नीचे दिए गए बिंदुओं में बताया गया है।
- 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान संपत्ति कर बोर्ड की मात्र एक बैठक 2019-20 में होना बताया गया। 2018-19 और 2020-21 में क्रमशः आम चुनाव 2019 और कोविड-19 महामारी के कारण बैठकें नहीं हुई थीं। तथापि, बैठक का कार्यवृत्त सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।
- बोर्ड ने कुछ मामलों को छोड़कर, जहां उसने औद्योगिक संपत्तियों पर संपत्ति कर की छूट एवं आरोपण के संबंध में सुझाव दिए थे, अपने अनिवार्य कर्त्तव्यों और कार्यों का पालन नहीं किया।
- 2018-19 के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई, यद्यपि 2019-20 एवं 2020-21 में कार्य योजनाएं तैयार की गई थीं। हालांकि, इन्हें राज्य राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया था। आगे, वार्षिक कार्य योजनाओं की विभिन्न गतिविधियों को यूएलबी के साथ-साथ संचालनालय स्तर पर भी लागू नहीं किया गया।

इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, यह स्पष्ट है कि बोर्ड का गठन मात्र एक औपचारिकता थी, और बोर्ड द्वारा यूएलबी को उनकी संपत्ति कर राजस्व प्राप्ति क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता/मार्गदर्शन करने के लिए कोई ठोस गतिविधि नहीं की गई थी। अतः, बोर्ड के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2021), उप संचालक, यूएडीडी ने बताया (सितम्बर 2021) कि संभागीय स्तर पर संयुक्त संचालकों द्वारा कार्य योजना की निगरानी की जा रही थी, आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती, एवं बोर्ड की बैठकों की कार्यवाही की प्रक्रिया विचाराधीन थी। आगे, संचालनालय की प्रशिक्षण शाखा द्वारा राजस्व कर्मचारियों को सतत् प्रशिक्षण दिया गया था। इस संबंध में शासन की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई।

उप संचालक, यूएडीडी का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि विभाग के पास वार्षिक कार्य योजनाओं का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था, इसलिए यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि कार्य योजनाओं की गतिविधियों की वास्तव में निगरानी की गई थी या नहीं। इसके अलावा, बोर्ड ने केवल एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया और संचालनालय द्वारा दिए गए सतत् प्रशिक्षण के दावे की सत्यता को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा को अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए।

5.2.5.8 खुली भूमि/भूखंडों पर संपत्ति कर का अनारोपण

एमपीएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 132(1)(क) और एमपीएम अधिनियम, 1961 की धारा 127 (1)(क) के अनुसार, यूएलबी क्षेत्र में स्थित भवन या भूमि पर संपत्ति के स्वामियों द्वारा एएलवी/टीपीवी के आधार पर संपत्ति कर देय था।

नमूना जाँच की गयी 16 यूएलबी में से दो (नगरपालिका परिषद्, टीकमगढ़ और नगर परिषद्, बनखेड़ी) में लेखापरीक्षा ने पाया कि पीआईसी ने खुली भूमि/ भूखंडों पर संपत्ति कर लगाने का प्रस्ताव पारित किया था। तथापि, इन यूएलबी से संबंधित 23 प्रकरणों में, खुली भूमि/ भूखंडों पर ₹ 0.12 करोड़ का संपत्ति कर नहीं लगाया गया था। आगे, नगर परिषद्, नलखेड़ा द्वारा खुली भूमि/प्लॉटों पर संपत्ति कर लगाने के लिए कोई संकल्प पारित नहीं किया एवं इस यूएलबी में खुली भूमि/भूखंडों पर संपत्ति कर आरोपित नहीं किया गया।

इस प्रकार, खुली भूमि/भूखंडों पर संपत्ति कर आरोपित न करने के परिणामस्वरूप दो यूएलबी (नगरपालिका परिषद्, टीकमगढ़ और नगर परिषद्, बनखेड़ी) में ₹ 0.12 करोड़ के संपत्ति कर का आरोपण नहीं हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 5.2.5** में दर्शाया गया है।

उत्तर में शासन ने बताया (नवंबर 2022) कि इस संबंध में एक संकल्प नगर पालिका परिषद् टीकमगढ़ में पीआईसी के समक्ष लम्बित है, जबकि नगर परिषद्, बनखेड़ी एवं नलखेड़ा के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की गई। हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान सीएमओ, नगर परिषद्, बनखेड़ी ने बताया (जनवरी 2022) कि भविष्य में खुली भूमि पर नियमानुसार संपत्ति कर आरोपित किया जाएगा। सीएमओ, नगर परिषद्, नलखेड़ा ने कहा (सितंबर 2021) कि जनवरी 2019 से पीआईसी भंग होने के कारण प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सका, यह नई परिषद् के गठन के बाद पारित किया जाएगा। उत्तर दर्शाते हैं कि इस संबंध में ठोस प्रयास की कमी थी। इसके अलावा, सीएमओ, नगर परिषद्, नलखेड़ा का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 1998 से खुली भूमि/भूखंडों पर संपत्ति कर के आरोपण के अनुमोदन के लिए संकल्प को पीआईसी के समक्ष नहीं रखा गया था।

5.2.6 किराया

एमपीएमटीआईपी नियम, 2016 की कंडिका 2(1)(थ) के अनुसार, संपत्ति के हस्तांतरण से अभिप्राय यूएलबी द्वारा एक या एक से अधिक व्यक्तियों को निश्चित अवधि के लिए अचल संपत्ति के उपयोग का अधिकार इस शर्त के अधीन प्रदान करना है, जैसा कि प्रीमियम और भू-भाटक या संपरिवर्तन फ्री होल्ड के रूप में निर्धारित किया जाए। आगे, एमपीएमटीआईपी नियम, 2016 की कंडिका 3(1)(2) निर्धारित करती है कि यूएलबी अचल संपत्ति के पट्टे, निविदा आमंत्रण या आमंत्रण के बिना प्रदान कर सकती हैं।

5.2.6.1 दुकानों का प्रीमियम वसूली हेतु बकाया रहना

एमपीएमटीआईपी नियम, 2016 के नियम 7(2) के अनुसार नीलामी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की तिथि से 120 दिनों के भीतर दुकानों के प्रीमियम की सम्पूर्ण राशि शासन के खाते में जमा करा दी जानी चाहिए। निर्धारित अवधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने की स्थिति में आयुक्त/सीएमओ 'पट्टा अनुपयुक्त है' घोषित कर सकेगा एवं निविदा पुनः आमंत्रित की जायेगी।

नमूना जाँच की गई 16 यूएलबी में से छः[49] में लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2021 और जनवरी 2022 के बीच) कि नीलामी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की तारीख से 120 दिनों की निर्धारित अवधि के तीन से 875 दिनों की समाप्ति के बाद भी सफल नीलामीकर्ताओं द्वारा ₹ 22.87 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 10.77 करोड़ जमा किए गए थे। इस प्रकार नीलाम

[49] ***नगर पालिक निगम - (भोपाल और छिंदवाड़ा); नगरपालिका परिषद् - (शाजापुर, बीना और ब्यावरा) और नगर परिषद्, बनखेड़ी।***

की गई 94 दुकानों के विरुद्ध **₹** 12.10 करोड़ बकाया थे। आगे, लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि यूएलबी द्वारा न तो आवंटन रद्द किए और न ही पुनः-नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रकार, यूएलबी की निष्क्रियता के कारण, 94 दुकानों के प्रीमियम की राशि **₹** 12.10 करोड़ की वसूल नहीं हुई। बकाया प्रीमियम का विवरण **परिशिष्ट 5.2.6** में दर्शाया गया है।

उत्तर में शासन ने बताया (नवंबर 2022) कि तीन[50] यूएलबी द्वारा ₹ 1.33 करोड़ की राशि वसूल की गयी थी एवं शेष प्रकरणों में वसूली की कार्रवाई प्रगति पर थी। नगरपालिका परिषद्, शाजापुर के बारे में कहा गया कि 2020-21 से संबंधित बकाया ₹ 43.00 लाख वसूल कर ली गयी है। नगर पालिक निगम, भोपाल के सम्बन्ध में कहा गया कि एमपीएमटीआईपी, 2016 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही थी एवं 2021-22 के दौरान ₹ 61.08 करोड़ वसूल किये गए थे। हालांकि, यह सूचित नहीं किया गया था कि इसमे से कितनी राशि लेखापरीक्षा में शामिल अवधि, यानी 2018-19 से 2020-21 से संबंधित है। आगे, नगरपालिका परिषद्, ब्यावरा के सम्बन्ध में, कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा के दौरान, सीएमओ, नगर पालिका परिषद्, ब्यावरा ने कहा (अगस्त 2021) था कि आवश्यक कार्रवाई करने के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। आगे, नगर पालिका परिषद्, ब्यावरा द्वारा वसूली की प्रगति के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया और शासन के उत्तर में भी वसूल की गयी राशि के सम्बन्ध में आगे अभिलेखों से पुष्टि की आवश्यकता है।

5.2.6.2 किराए की बकाया राशि की वसूली न होना

एमपीएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 173(1) और एमपीएम अधिनियम, 1961 की धारा 164(1) निर्धारित करती है कि जब अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत घोषित कोई राशि वसूली योग्य या किसी कर के कारण देय हो, तो आयुक्त/सीएमओ न्यूनतम व्यवहार्य देरी के अंदर भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को एक देयक प्रस्तुत करवाएगा। आगे, एमपीएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 174(1) और एमपीएम अधिनियम, 1961 की धारा 164(3) के अनुसार, यदि वह धन राशि जिसके लिए देयक प्रस्तुत किया गया है, का भुगतान नहीं किया जाता है एवं देयक की प्रस्तुति के 15 दिनों के भीतर कोई आपत्ति दर्ज

[50] ***नगर पालिक निगम - छिंदवाड़ा (₹ 1.10 करोड़); नगरपालिका परिषद् - बीना (₹ 3.73 लाख); और नगर परिषद् - बनखेड़ी (₹ 19.48 लाख)।***

नहीं की जाती है तो आयुक्त/सीएमओ उस व्यक्ति पर जिसको ऐसा देयक प्रस्तुत किया गया हो, मांग की सूचना पत्र प्रेषित करेगा।

आगे, एमपीएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 175(1) और एमपीएम अधिनियम, 1961 की धारा 167(1) में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को मांग की सूचना दी जाती है, यदि वह इस तरह की मांग सूचना के निर्वाह के 30[51] /15[52] दिनों के भीतर मांग की गई राशि का भुगतान नहीं करता है अथवा आयुक्त/सीएमओ को न तो भुगतान करने के कारण से संतुष्ट करता है और न ही मांग के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करता है तो यूएलबी चूककर्ता की चल संपत्ति की बिक्री या अचल संपत्ति की कुर्की के आदेश और बिक्री के माध्यम से बकाया राशि की वसूली कर सकते हैं।

लेखापरीक्षा में देखा गया (जून 2021 और जनवरी 2022 के बीच) कि नमूना जाँच की गयी 16 में से 12[53] यूएलबी की 3,396 दुकानों के किराये की राशि ₹ 18.60 करोड़ लेखापरीक्षा के दौरान वसूली हेतु बकाया थी। इन प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण की बकाया राशि ₹ 10,000 से अधिक थी। यूएलबी ने चूककर्ता द्वारा सक्षम अधिकारी को मांग के भुगतान न करने के कारणों एवं अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत माँग के विरूद्ध अपील प्रस्तुत न करने के बावजूद भी, न तो बकाया राशि वसूल की और न ही चूककर्ताओं की अचल संपत्तियों की बिक्री की। इस प्रकार, यूएलबी की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹ 18.60 करोड़ का राजस्व अवरुद्ध रहा जैसा कि **परिशिष्ट 5.2.7** में दर्शाया गया है।

शासन ने उत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि छः[54] यूएलबी द्वारा ₹ 1.26 करोड़ की राशि वसूल की गई थी और वसूली की कार्रवाई प्रगति में है। छः[55] यूएलबी के सम्बन्ध में बताया गया कि कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी। नगर पालिक निगम, भोपाल के सम्बन्ध में बताया गया कि 2021-22 के दौरान ₹ 6.17 करोड़ की राशि वसूल की गई थी। हालांकि, यह नहीं बताया गया कि इसमें से कितनी राशि लेखापरीक्षा में आवृत अवधि अर्थात, 2018-19 से

---

[51] ***एमपीएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 175(1)***

[52] ***एमपीएमसी अधिनियम, 1961 की धारा 167(1)***

[53] ***नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा ₹ 1.01 करोड़, नगर पालिका परिषद- (मंडीदीप ₹ 3.04 लाख और बीना ₹ 1.44 लाख, शाजापुर ₹ 10.00 लाख) और नगर परिषद- बनखेड़ी ₹ 0.27 लाख और खिलचीपुर ₹ 10.00 लाख)।***

[54] ***नगर पालिक निगम - (भोपाल और छिंदवाड़ा); नगर पालिका परिषद्- (शाजापुर, बीना, टीकमगढ़, ब्यावरा और मंडीदीप) और नगर परिषद् - (नलखेड़ा, खिलचीपुर, खातेगांव, बनखेड़ी और देपालपुर)।***

[55] ***नगर पालिक निगम भोपाल, नगर पालिका परिषद- (टीकमगढ़ और ब्यावरा), नगर परिषद- (देपालपुर, खातेगाँव और नलखेड़ा)।***

2020-21 से संबंधित थी। आगे, उत्तर में वसूल की गयी राशि के सम्बन्ध में अभिलेखों से पुष्टि की और आवश्यकता है।

5.2.7 निगरानी तंत्र

आयुक्त, यूएडीडी ने निर्देशित किया (मई 2014) था कि सभी यूएलबी के मुख्य नगरपालिका अधिकारी कम से कम दो बड़ी आवासीय/वाणिज्यिक संपत्तियों के साथ-साथ भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)/बहुउद्देशीय घरेलू सर्वेक्षण (एमएचएस) के तहत पाई गई कम से कम पांच संपत्तियों के स्व-मूल्यांकन विवरणी की जांच करेंगे और इनकी मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10 तारीख को संचालनालय को प्रस्तुत की जाएगी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 16 में से पांच[56] यूएलबी के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों ने न तो आवासीय/ वाणिज्यिक संपत्तियों की एवं जीआईएस/ एमएचएस में पाई गयी संपत्तियों के स्वनिर्धारण विवरणियों की जाँच की और न ही इन पर संचालनालय को मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गए। इस प्रकार, स्व-निर्धारण विवरणी की निगरानी में कमी के कारण, संपत्ति कर की गणना में सटीकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

शासन ने इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान, संबंधित यूएलबी के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों ने कहा था (जुलाई 2021 और जनवरी 2022 के बीच) कि भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे, आयुक्त, यूएडीडी ने कहा (मार्च 2022) कि स्व-मूल्यांकन विवरणियों की जांच की निगरानी संचालनालय स्तर के साथ-साथ संभागीय स्तर पर की गई थी। आगे यह भी कहा गया कि संपत्ति कर, दुकान का किराया और अन्य राजस्व संबंधी मामलों की निगरानी संभागीय स्तर पर मासिक और पाक्षिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जा रही थी और स्व-निर्धारण विवरणी से संबंधित जानकारी संबंधित यूएलबी से प्राप्त होने के बाद लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई जाएगी।

हालांकि, आयुक्त, यूएडीडी द्वारा बताई गयी निगरानी के बावजूद, उपरोक्त पाँच यूएलबी में उनके निर्देशों (मई 2014) का पालन नहीं हुआ था और संपत्ति कर, किराए से संबंधित प्रकरणों में कमियां थीं, जैसा कि उपरोक्त कंडिकाओं 5.2.5.1 (वार्षिक भाड़ा मूल्य) 5.2.5.3 (संपत्ति कर का बकाया), 5.2.5.6 (स्व-निर्धारण), 5.2.6.1 (दुकानों का प्रीमियम) और 5.2.6.2 (किराए का बकाया) में चर्चा की गई है। यह इंगित करता है कि संचालनालय द्वारा वांछित स्तर तक निगरानी नहीं की गयी थी एवं इसमें और सुधार की आवश्यकता थी।

---

[56] ***नगर पालिका परिषद- (बीना, शाजापुर और टीकमगढ़) और नगर परिषद- (बनखेड़ी और नलखेड़ा)।***

5.2.8 निष्कर्ष

एमपीएमसी अधिनियम, 1956 और एमपीएम अधिनियम, 1961 में निहित प्रावधान के अनुसार, यूएलबी को कर या शुल्क लगाकर स्वशासन का अधिकार दिया गया है। यूएलबी के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत होने के कारण संपत्ति कर के राजस्व में वृद्धि यूएलबी को अधिक आत्म निर्भर बनाती है। हालांकि, लेखापरीक्षा आवृत अवधि के दौरान, यह देखा गया कि यूएलबी द्वारा वसूली की निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में निष्क्रियता के कारण संपत्ति कर, दुकान किराया और दुकानों के प्रीमियम के बकाया के रूप में ₹ 378.68 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी। बोर्ड तथा निगम कार्यालय भवनों पर देय ₹ 1.71 करोड़ के संपत्ति कर के अनारोपण के दृष्टांत भी देखे गए थे। इसके अलावा, केंद्र सरकार की संपत्तियों पर सेवा प्रभार भी आरोपित नहीं किया गया था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच किए बिना अपूर्ण स्व-निर्धारण विवरणियों को मान्य किये जाने के संबंध में अनियमितताएं पाई गई। इस प्रकार, संपत्ति कर के आरोपण की सटीकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। संपत्ति कर बोर्ड की कार्यप्रणाली 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप नहीं थी। उपरोक्त कमियाँ यूएलबी द्वारा अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने का संकेत देती हैं, जिससे यूएलबी द्वारा राजस्व का संग्रह प्रभावित हुआ।

5.2.9 अनुशंसाएँ

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाओं को लागू करने की आवश्यकता है:

- संचालनालय, ई-नगर पालिका पोर्टल मॉड्यूल को सुदृढ़ करने पर विचार करे जिसमें संपत्तियों के समस्त विवरण दर्ज कर एएलवी की सही गणना सुनिश्चित की जा सके।
- संचालनालय, देय संपत्ति कर एवं किराए एवं संबंधित राशि की वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं मांग को समय पर जारी करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने पर विचार करे।
- संचालनालय, यूएलबी को उनके संपत्ति कर के राजस्व की वसूली क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता/ मार्गदर्शन करने के लिए संपत्ति कर बोर्ड को सुदृढ़ करने पर विचार करे।

5.3 नगरीय स्थानीय निकायों में जल आपूर्ति प्रबंधन

5.3.1 परिचय

74वें संविधान संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों (यूएलबी) को नगरपालिका सीमा के अंदर जल आपूर्ति के प्रशासन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी बनाया। राज्य में यूएलबी

का वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधीन आयुक्त के नेतृत्व में नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के पास है। नगर पालिक निगम स्तर पर, आयुक्त को अधीक्षण यंत्री (जल आपूर्ति), कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री (स.यं.), उप-यंत्री और अन्य कर्मचारियों द्वारा सुचारू जल आपूर्ति के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता प्रदान की जाती है। नगरपालिका का नेतृत्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) करता है और नगरपालिका में सबसे वरिष्ठ यंत्री जल आपूर्ति का प्रभारी होता है।

5.3.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना है किः

- निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर्याप्त जल उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है; और
- उपभोक्ताओं को उचित गुणवत्ता की सेवाओं एवं पेय जल की आपूर्ति सभी चयनित नगरीय स्थानीय निकायों में की जा रही है।

5.3.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत निम्नलिखित थेः

- मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961;
- केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन[57] (सीपीएचईईओ) का जल आपूर्ति और उपचार पर नियमावली, 1999 और जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन और अनुरक्षण (ओएंडएम) पर नियमावली, 2005;
- राज्य जल नीति, 2003;
- भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी पेयजल के लिए विनिर्देश (IS10500:2012); और
- शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी), भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सर्विस लेवल बेंचमार्क पर हैंडबुक।

5.3.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और पद्धति

लेखापरीक्षा 2018-19 से 2020-21 तक तीन वर्ष की अवधि को शामिल करते हुए जून और नवंबर 2021 के दौरान की गयी थी। लेखापरीक्षा में तीन चयनित नगरीय स्थानीय निकायों नामतः ग्वालियर नगर पालिक निगम, जबलपुर नगर पालिक निगम और विदिशा

---

[57] ***केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की तकनीकी शाखा है और देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता से संबंधित मामलों को देखता है।***

नगरपालिका परिषद् के अभिलेखों की जांच के साथ-साथ यूएलबी के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन शामिल हैं। प्रमुख सचिव, यूडीएचडी एवं आयुक्त, संचालनालय, यूएडी के कार्यालय से भी जानकारी एकत्र की गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष शासन को फरवरी 2022 में उनके अभिमत प्राप्त करने के लिए भेजे गए थे। शासन के उत्तर/अभिमत नवंबर 2022 में प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें प्रतिवेदन में उचित स्थान पर शामिल किया गया है।

5.3.5 अभिस्वीकृति

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), मध्य प्रदेश, लेखापरीक्षा के दौरान चयनित यूएलबी के अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता का स्वीकरण करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

इस लेखापरीक्षा से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

5.3.6 संचालन एवं अनुरक्षण योजना तैयार न करना

सीपीएचईईओ (ओएंडएम) नियमावली, 2005 की कंडिका 2.4.2 के अनुसार, सभी सुविधाओं को शामिल करने के लिए एक व्यापक संचालन और अनुरक्षण योजना तैयार की जाएगी। संचालन एवं अनुरक्षण योजना तैयार करने की जिम्मेदारी अधीक्षण यंत्री की अध्यक्षता में संचालन प्रबंधन की होती है।

व्यापक संचालन एवं अनुरक्षण योजना तैयार करने के बारे में पूछे जाने पर, नमूना-जांच की गई सभी यूएलबी ने सूचित किया (जुलाई 2021, सितम्बर 2021 एवं नवम्बर 2021) कि संचालन एवं अनुरक्षण योजना तैयार नहीं की गयी। जबलपुर नगर पालिक निगम और विदिशा नगरपालिका परिषद् ने यह भी सूचित किया (जुलाई 2021 और नवंबर 2021) कि जब भी आवश्यकता हुई, उनके जल आपूर्ति शाखा के कर्मचारियों द्वारा अनुरक्षण कार्य किया गया। ग्वालियर नगर पालिक निगम ने सूचित किया (सितंबर 2021) कि पर्यवेक्षी कर्मचारियों को संचालन और अनुरक्षण के कार्य सौंपे गए थे और उस उद्देश्य के लिए जाँच सूची तैयार की गई थी। तथापि, इसे सत्यापित करने के लिए दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

उत्तर में शासन ने ग्वलियर नगर पालिक निगम के विषय में कहा (नवंबर 2022) कि व्यापक संचालन और अनुरक्षण योजना हर वर्ष तैयार की गई थी और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के अधीन जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन और अनुरक्षण के लिए एक कक्ष स्थापित किया गया था। इस समय एक ठेकेदार को काम सौंपा गया है। तथापि, इस संबंध

में उत्तर किसी अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था। जबलपुर नगर पालिक निगम और विदिशा नगरपालिका परिषद् में व्यापक संचालन और अनुरक्षण योजना तैयार करने के बारे में उत्तर मौन था।

5.3.7 आवश्यक जल की मात्रा का आकलन और जल का वितरण

जल आपूर्ति और उपचार पर सीपीएचईईओ नियमावली, 1999 की कंडिका 2.2.8.1 में प्रावधान है कि समुदायों के लिए पाइप द्वारा जल आपूर्ति घरेलू, संस्थागत आवश्यकताओं, सार्वजनिक प्रयोजनों और औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोगों आदि के लिए पर्याप्त रूप से प्रदान की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

5.3.7.1 जल की संस्थागत मांग का आकलन न करना

जल आपूर्ति और उपचार, पर सीपीएचईईओ नियमावली,1999 की कंडिका 2.2.8.3 की तालिका 2.1 ने आवश्यक जल के आकलन के लिए संस्थानों जैसे अस्पतालों (340 से 450 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी), प्रति बिस्तर), हॉस्टल और बोर्डिंग स्कूल/कॉलेज (135 एलपीसीडी), स्कूल/कॉलेज (45 एलपीसीडी), रेस्तरां (70 एलपीसीडी, प्रति सीट), सिनेमा और थिएटर (15 एलपीसीडी), आदि विभिन्न मानदंड निर्धारित किए।

इस प्रकार, जल की मांग का आकलन करते समय यूएलबी को संस्थागत मांग पर भी विचार करना था। नमूना-जांच किए गए यूएलबी ने सूचित किया (विदिशा नगरपालिका परिषद्- जुलाई 2021, ग्वालियर नगर पालिक निगम- सितंबर 2021 और जबलपुर नगर पालिक निगम- नवंबर 2021) कि उनके द्वारा संस्थानों को जल की वास्तविक आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया था।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2022) कि जबलपुर नगर पालिक निगम के मामले में अमृत फेज-1 के अंतर्गत 15 प्रतिशत गैर-घरेलू मांग जोड़ी गई थी जबकि फेज-2 के डीपीआर में संस्थागत मांग के लिए प्रावधान किया गया था। विदिशा नगरपालिका परिषद् के मामले में, यह कहा गया कि संस्थागत मांग पर केवल मांग के आधार पर विचार किया गया था क्योंकि बिना मांग के अतिरिक्त आवश्यकता से केवल व्यय में वृद्धि होगी। जबकि ग्वलियर नगर पालिक निगम के मामले में यह बताया गया कि अमृत परियोजना-1 के अंतर्गत संस्थागत मांग का आकलन किया गया था। उत्तर पुष्टि करता है कि उपरोक्त सीपीएचईईओ नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सभी तीन नगरीय स्थानीय निकायों ने मौजूदा संस्थानों की वास्तविक संख्या के आधार पर आकलन नहीं किया था। आगे, ग्वालियर नगर पालिक निगम में, संस्थागत मांग में केवल राज्य और केंद्र सरकार के संस्थान शामिल थे।

5.3.7.2 जल की हानि के कारण प्राप्त और वितरित जल की मात्रा के बीच भारी अंतर

जल आपूर्ति प्रणाली के सीपीएचईईओ ओएंडएम नियमावली, 2005 की कंडिका 2.6.5 में कहा गया है कि उत्पादित और वितरित जल के बीच काफी हानि होती है जिससे उपयोगिता की आय में कमी आती है। नियमावली ने यह भी सुझाव दिया कि जल उत्पादन, जल आकलन, भौतिक और राजस्व दोनों हानि के काफी सटीक आंकड़े प्राप्त करने के लिए जल लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। इस तरह की लेखापरीक्षा से यूएलबी को इन हानियों को कम करने के लिए आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद मिल सकती है।

पूछे जाने पर सभी नमूना जांच किए गए यूएलबी ने सूचित किया (विदिशा नगरपालिका परिषद्- जुलाई 2021; ग्वालियर नगर पालिक निगम- सितंबर 2021 और जबलपुर नगर पालिक निगम- नवंबर 2021) कि उन्होंने कोई जल लेखापरीक्षा नहीं की है। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि नमूना-जांच किए गए यूएलबी के पास उनके नेटवर्क में प्राप्त, छने और वितरित जल की मात्रा को मापने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं थी जिसके कारण वे अपने नेटवर्क में जल की हानि को मापने में असमर्थ थे।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सर्विस लेवल बेंचमार्क पर हैंडबुक की धारा 2.1.4 के अनुसार उत्पादित जल की मात्रा जो उपयोगिता को कोई राजस्व अर्जित नहीं करती है उसे गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) कहा जाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए विश्लेषण में यह विचार करते हुए कि प्रत्येक ओवर हैड टैंक पीने योग्य जल से पूरी क्षमता से भरा हुआ था और एक आपूर्ति अवधि में निवासियों को पूरे जल की आपूर्ति की गई थी, नमूना जांच किए गए यूएलबी में जल की काफी हानि का पता चला जैसा कि नीचे विवरण दिया गया हैः

- ग्वालियर नगर पालिक निगम, इस प्रयोजन के लिए आवश्यक जल, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन से खरीदता है और देयकों में दर्शाई गई जल की मात्रा को प्राप्त प्राकृतिक जल के रूप में माना जाता है। इस प्रकार प्राप्त प्राकृतिक जल को 181 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी)[58] जल के उपचार की संयुक्त क्षमता वाले तीन छानन संयंत्रों में उपचारित किया जाता है। 2019-20 तक इन छानन संयंत्रों से उपचारित जल को कुल 98.34 मिलियन लीटर प्रति दिन की कुल भंडारण क्षमता वाले 52 ओवर हैड टैंक में प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात (2020-21 के बाद) 16 नए

[58] *तिघरा - 45 एमएलडी; मोतीझील ओल्ड - 68 एमएलडी; और मोतीझील न्यू - 68 एमएलडी।*

ओवर हैड टैंकों के निर्माण के बाद, उपचारित जल को 111.10 मिलियन लीटर की कुल भंडारण क्षमता वाले 68 ओवर हैड टैंकों में प्रेषित किया गया था। कार्यपालन यंत्री, जल आपूर्ति, ग्वालियर नगर पालिक निगम ने सूचित किया (सितंबर 2021) कि हर दूसरे दिन आबादी को जल की आपूर्ति की जाती थी। इसे ध्यान में रखते हुए, ओवर हैड टैंकों /भूमि स्तरीय सेवा जलाशय (जीएलएसआर) की कुल वार्षिक भंडारण क्षमता को किसी संबंधित वर्ष में आधा माना गया था।

अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आबादी के लिए ग्वालियर नगर पालिक निगम द्वारा ओवर हैड टैंकों/ भूमि स्तरीय सेवा जलाशय के माध्यम से प्राप्त प्राकृतिक जल, छनित जल और वितरित किए गए जल का विवरण और गैर-राजस्व जल की सीमा नीचे **तालिका-5.3.1** में दर्शाई गई हैः

तालिका-5.3.1: ग्वालियर नगर पालिक निगम में प्राप्त और वितरित जल की स्थिति

(मिलियन लीटर में)

वर्ष	प्राप्त प्राकृतिक जल (आरडब्ल्यू)	स्वच्छ जल की मात्रा (सीडब्ल्यू)	आरडब्ल्यू और सीडब्ल्यू के बीच जल की हानि (प्रतिशत)	ओएचटी/जीएलएसआर के माध्यम से वितरित पानी	गैर-राजस्व जल (प्रतिशत)
1	2	3	4 (2-3)	5	6 (2-5)
2018-19	68,115.83	60,964.98	7,150.85 (10.50)	17,947.05	50,168.78 (73.65)
2019-20	84,026.76	65,014.13	19,012.63 (22.63)	17,996.22	66,030.54 (78.58)
2020-21	85,666.39	65,452.12	20,214.27 (23.60)	20,275.75	65,390.64 (76.33)

(स्रोतः ग्वलियर नगर पालिक निगम द्वारा प्रदान किये गये आंकड़े)

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान ग्वलियर नगर पालिक निगम में प्राकृतिक जल प्राप्त करने एवं ओवर हैड टैंकों/ भूमि स्तरीय सेवा जलाशय के माध्यम से उपचारित जल के वितरण की प्रक्रियाओं के बीच समग्र गैर-राजस्व जल 73.65 प्रतिशत से 78.58 प्रतिशत था।

- जबलपुर नगर पालिक निगम में गैर-राजस्व जल की सीमा का भी लेखापरीक्षा द्वारा उनके पांच छानन संयंत्रों द्वारा छानन के लिए प्राप्त प्राकृतिक जल की जानकारी और 66.236 मिलियन लीटर (45 ओवर हैड टैंकों में) की दैनिक भंडारण क्षमता के आधार पर मूल्यांकन किया गया था। जबलपुर नगर पालिक निगम ने यह भी सूचित किया था कि जल की आपूर्ति दिन में दो बार की जाती है, इसलिए भंडारण क्षमता को उपलब्ध

क्षमता से दोगुना माना गया था। वर्ष 2018-19 और 2020-21 के दौरान जबलपुर नगर पालिक निगम में गैर-राजस्व जल पर निष्कर्ष **तालिका-5.3.2** में दिखाया गया है:

तालिका-5.3.2: जबलपुर नगर पालिक निगम में प्राप्त और वितरित जल की स्थिति

(मिलियन लीटर में)

वर्ष	प्राप्त प्राकृतिक जल (आरडब्ल्यू)	स्वच्छ जल की मात्रा (सीडब्ल्यू)	आरडब्ल्यू और सीडब्ल्यू के बीच जल का क्षय (प्रतिशत)	ओएचटी के माध्यम से वितरित जल	गैर-राजस्व जल (प्रतिशत)
1	2	3	4 (2-3)	5	6 (2-5)
2018-19	71,360.96	67,270.94	4,090.02 (5.73)	48,352.32	23,008.64 (32.24)
2019-20	71,591.68	66,552.19	5,039.49 (7.04)	48,484.79	23,106.89 (32.28)
2020-21	72,476.14	68,143.72	4,332.42 (5.98)	48,352.32	24,123.82 (33.29)

(स्रोतः जबलपुर नगर पालिक निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान जबलपुर नगर पालिक निगम में गैर-राजस्व जल का प्रतिशत 32.24 प्रतिशत और 32.28 प्रतिशत के बीच था।

- विदिशा नगरपालिका परिषद् के दोनों छानन संयंत्रों द्वारा प्राप्त प्राकृतिक जल की जानकारी और 11,234 किलोलीटर की भंडारण क्षमता के आधार पर गैर-राजस्व जल का आकलन भी लेखापरीक्षा में किया गया था। सीएमओ, विदिशा नगरपालिका परिषद् ने सूचित किया (जुलाई 2021) कि 2,110 किलोलीटर की भंडारण क्षमता वाले दो ओवर हैड टैंक दिन में एक बार जल की आपूर्ति कर रहे थे और 9,124 किलोलीटर की भंडारण क्षमता वाले शेष ओवर हैड टैंक दिन में दो बार जल की आपूर्ति कर रहे थे। वर्ष 2018-19 और 2020-21 के दौरान विदिशा नगरपालिका परिषद् में गैर-राजस्व जल पर निष्कर्ष **तालिका 5.3.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.3.3: विदिशा नगरपालिका परिषद् में प्राप्त और वितरित जल की स्थिति

(मिलियन लीटर में)

वर्ष	प्राप्त प्राकृतिक जल (आरडब्ल्यू)	स्वच्छ जल की मात्रा (सीडब्ल्यू)	आरडब्ल्यू और सीडब्ल्यू के बीच जल का क्षय (प्रतिशत)	ओएचटी के माध्यम से वितरित जल	गैर-राजस्व जल (प्रतिशत)
1	2	3	4 (2-3)	5	6 (2-5)
2018-19	8,212.50	6,570.00	1,642.50 (20.00)	6,687.53	1,524.97 (18.57)
2019-20	8,235.00	6,588.00	1,647.00 (20.00)	6,705.85	1,529.15 (18.57)
2020-21	9,855.00	8,030.00	1,825.00 (18.52)	6,687.53	3,167.47 (32.14)

(स्रोतः विदिशा नगरपालिका परिषद् द्वारा प्रदान किये गये आंकड़े)

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान विदिशा नगरपालिका परिषद् में गैर-राजस्व जल का प्रतिशत 18.57 था। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान ओवर हैड टैंक (तालिका 5.5.3 का कॉलम 5) के माध्यम से वितरित जल का आंकड़ा वास्तव में स्वच्छ जल की मात्रा (उपरोक्त तालिका 5.5.3 के कॉलम 3) से अधिक था। इस प्रकार, विदिशा नगरपालिका परिषद् द्वारा प्रदान किये गये आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं।

नमूना जांच किए गए सभी यूएलबी में ओवर हैड टैंक और अंतिम उपभोक्ता के बीच जल की हानि का निर्धारण ओवर हैड टैंक और उपभोक्ताओं के छोर पर मीटर व्यवस्था के अभाव के कारण नहीं किया जा सका।

उत्तर में, शासन ने जबलपुर नगर पालिक निगम और विदिशा नगरपालिका परिषद् के मामले में कहा (नवंबर 2022) कि जल उपचार संयंत्र में प्रवाह मीटर और दोनों ओवरहेड टैंकों और जल उपचार संयंत्र में स्काडा (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण) प्रणाली की स्थापना के द्वारा जल की हानि को कम करने के प्रयास किए जा रहे थे। ग्वालियर नगर पालिक निगम के मामले में, यह कहा गया था कि 2018-21 के दौरान केवल तीन से 9.4 प्रतिशत जल की हानि हुई । तथापि, शासन ने यह नहीं बताया कि किस आधार पर जल की हानि की गणना की गई। लेकिन शासन के उत्तर के विपरीत, ईई, जल आपूर्ति, ग्वालियर नगर पालिक निगम ने लेखापरीक्षा (नवंबर 2021) के दौरान कहा कि ग्वालियर नगर पालिक निगम के पास कुछ वार्डों में आपूर्ति किए गए जल की मात्रा के संबंध में कोई अभिलेख नहीं था। ग्वालियर नगर पालिक निगम में कोई रिसाव सेल नहीं है। जल का रिसाव संभव है क्योंकि नहर में रिसाव और अन्य संचरण हानियां होती हैं और जल की आपूर्ति को रिकॉर्ड करने के लिए छानन संयंत्रों में कोई फ्लो मीटर नहीं है।

5.3.7.3 जल की अनुशंसित और वास्तविक आपूर्ति के बीच भारी अंतर

जल आपूर्ति और उपचार पर सीपीएचईईओ नियमावली, 1999 की कंडिका 2.2.8.3 की तालिका 2.1 पाइप से जल आपूर्ति वाले शहरों के लिए 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल की आपूर्ति की सिफारिश करती है।

नमूना-जांच किए गए यूएलबी द्वारा ओएचटी से आपूर्ति किए गए जल के आधार पर प्रति व्यक्ति आपूर्ति किए गए जल की तुलना में अनुशंसित जल की आपूर्ति और वास्तविक प्रति व्यक्ति जल की आपूर्ति के बीच बड़े अंतर का पता चला जैसा कि **तालिका-5.3.4** में दर्शाया गया है :

तालिका-5.3.4: जनसंख्या को आपूर्ति किए गए वास्तविक प्रति व्यक्ति जल को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	वर्ष में दिन	अनुशंसा के अनुसार अनुमानित जनसंख्या के लिए जल की आवश्यकता			वर्ष के दौरान उपलब्ध स्वच्छ जल (एलपीसीडी में)	प्रति व्यक्ति स्वच्छ जल की उपलब्धता (एलपीसीडी में)	ओवर हैड टेंक की क्षमता (मिलियन लीटर में)	ओवर हैड टैंक से आबादी को आपूर्ति किया जाने वाला वास्तविक जल (एलपीसीडी में)
		(एलपीसीडी में)	अनुमानित जनसंख्या	कुल आवश्यक जल (मिलियन लीटर में)				
1	2	3	4	5 {2*3*4}/ 10,00,000	6	7 {(6* 10,00,000)/4}/2	8	9 {(8* 10,00,000)/4}/2
ग्वालियर नगर पालिक निगम								
2018-19	365	135	14,86,651	73,254.73	60,964.98	112.35	17,947.05	33.07
2019-20	366	135	15,31,250	75,659.06	65,014.13	116.01	17,996.22	32.11
2020-21	365	135	15,77,188	77,715.94	65,452.12	113.70	20,275.75	35.22
जबलपुर नगर पालिक निगम								
2018-19	365	135	13,43,480	66,199.98	67,270.94	137.18	48,352.32	98.60
2019-20	366	135	13,62,073	67,300.03	66,552.19	133.50	48,484.79	97.26
2020-21	365	135	13,80,923	68,044.98	68,143.72	135.20	48,352.32	95.93
विदिशा नगरपालिका परिषद्								
2018-19	365	135	1,81,985	8,967.31	6,570.00	98.91	6,687.53	100.68
2019-20	366	135	1,86,044	9,192.43	6,588.00	96.75	6,705.85	98.48
2020-21	365	135	1,90,193	9,371.76	8,030.00	115.67	6,687.53	96.33

(स्रोतः नमूना जांच की गई यूएलबी द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की अनुशंसित प्रति व्यक्ति जल की आपूर्ति के विरूद्ध 2018-19 और 2020-21 की अवधि के दौरान जनसंख्या को आपूर्ति की जाने वाली वास्तविक जल मात्रा, ग्वालियर नगर पालिक निगम में 32.11 और 35.22 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के बीच; जबलपुर नगर पालिक निगम में 95.93 और 98.60 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के बीच; और विदिशा नगरपालिका परिषद् में 96.33 और 100.68 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के बीच थी ।

ईई, जल आपूर्ति , ग्वालियर नगर पालिक निगम ने सूचित किया (सितंबर 2021) कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 135 लीटर जल उपलब्ध कराना संभव नहीं था, क्योंकि ग्वालियर नगर पालिक निगम के छानन संयंत्र की कुल उपलब्ध क्षमता 181 एमएलडी ही थी जो कि जनसंख्या की तुलना में बहुत कम थी। ईई, जल आपूर्ति, जबलपुर नगर पालिक निगम ने सूचित किया (नवंबर 2021) कि अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत नए ओवर हैड टैंक और नई लाइनें बिछाई गई हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान प्रणाली के ठीक से कार्य करने के बाद जल आपूर्ति की स्थिति बदल जाएगी।

उत्तर में, शासन ने कहा (नवंबर 2022) कि जबलपुर नगर पालिक निगम के मामले में अनुशंसित जल और वास्तव में आपूर्ति किए गए जल में अंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण है जिसे नई योजनाओं के कार्यान्वयन से कम किया जा रहा था। ग्वालियर नगर पालिक निगम के संबंध में यह कहा गया कि जल की वास्तविक आपूर्ति 161.65 से 189 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के बीच है जो लक्षित जल आपूर्ति से अधिक है। हालांकि, जैसा कि ऊपर कंडिका 5.3.7.2 में भी उल्लेख किया गया है, ग्वालियर नगर पालिक निगम के पास आपूर्ति किए गए जल के संबंध में अभिलेख नहीं थे, इसलिए, यह स्पष्ट नहीं है कि विभाग ने आपूर्ति किए गए जल की मात्रा की गणना कैसे की। आगे, विदिशा नगरपालिका परिषद् में प्रकरण के संबंध में शासन का उत्तर मौन था।

5.3.7.4 जल के समान वितरण के लिए जोनिंग नहीं की गई

जल आपूर्ति और उपचार पर सीपीएचईईओ नियमावली, 1999 की कंडिका 10.2.3 में परिकल्पना की गई है कि वितरण प्रणाली में जोनिंग, पूरे क्षेत्र में जल की आपूर्ति की समानता सुनिश्चित करता है।

ग्वालियर नगर पालिक निगम और जबलपुर नगर पालिक निगम दोनों के ईई ,जल आपूर्ति ने सूचित किया (सितंबर और नवंबर 2021) कि जोनिंग नहीं की गयी थी। सीएमओ, विदिशा नगरपालिका परिषद् (जुलाई 2021) ने कहा कि उन्होंने ओवर हैड टैंक के माध्यम से जल का समान वितरण सुनिश्चित किया था।

विदिशा नगरपालिका परिषद् के पास वार्डों के निवासियों के लिए प्रदाय किए जाने वाले जल और वास्तव में प्रदान किए गए जल का पता लगाने के लिए वार्ड-वार जनसंख्या के आंकड़े नहीं थे।

इंगित किए जाने पर, ईई, जल आपूर्ति, ग्वालियर नगर पालिक निगम ने सूचित किया (सितंबर 2021) कि जलालपुर में 160 एमएलडी का नया छानन संयंत्र स्थापित किया जा रहा था। नए संयंत्र के चालू होने के बाद सभी को समान वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।

ईई, जल आपूर्ति, जबलपुर नगर पालिक निगम ने यह भी सूचित किया (नवंबर 2021) कि अमृत के अंतर्गत नए ओवर हैड टैंक का निर्माण किया गया था और भविष्य में नई लाइनों और ओवर हैड टैंक के उचित संचालन के बाद जल का समान वितरण किया जाएगा।

शासन ने उत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि जबलपुर नगर पालिक निगम के मामले में समान जल वितरण के लिए जोनिंग धीरे-धीरे की जा रही थी। विदिशा नगरपालिका परिषद् के संबंध में, हालांकि जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध कराए गए थे लेकिन जोनिंग के माध्यम से समान जल वितरण के बारे में उत्तर मौन है। ग्वालियर नगर पालिक निगम के मामले में, शासन ने कहा कि अमृत परियोजना के माध्यम से जल आपूर्ति स्तर को बढ़ाया गया था और वार्ड संख्या 1-60 को पीने के जल के समान वितरण के लिए 210 जल आपूर्ति क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। हालाँकि, 2014 में जोड़े गए छः वार्डों के बारे में उत्तर मौन था और प्रक्रिया के माध्यम से सभी जल क्षेत्रों में जल का समान वितरण सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि कुछ कार्य प्रगति पर थे (सितंबर 2022)।

5.3.7.5 वितरण प्रणाली के मानचित्र और प्रोफाइल आरेखों को अद्यतन न करना

सीपीएचईईओ के जल आपूर्ति प्रणाली के ओएंडएम नियमावली, 2005 की कंडिका 8.4.2, में परिकल्पना की गई है कि वितरण प्रणाली के व्यापक मानचित्र जो जलाशयों, पम्पिंग स्टेशनों, वाल्व स्थान के मानचित्र और हाइड्रेंट आदि के स्थान के साथ प्रणाली का समग्र दृश्य प्रदान करते हैं, तैयार किए जाने हैं। इसके अलावा, मानचित्रों को पारंपरिक सर्वेक्षण द्वारा अद्यतन किया जाना है।

सत्यापन के लिए ग्वालियर नगर पालिक निगम और जबलपुर नगर पालिक निगम में सीपीएचईईओ ओएंडएम जल आपूर्ति प्रणाली की नियमावली, 2005 में परिकल्पित पारंपरिक सर्वेक्षण करके मानचित्रों और प्रोफाइल आरेखों के अद्यतनीकरण के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। ईई, जल आपूर्ति, ग्वालियर नगर पालिक निगम ने सूचित किया (सितंबर 2021) कि क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से सभी योजनाओं और प्रोफाइल आरेखों को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। ईई, जल आपूर्ति, जबलपुर नगर पालिक निगम ने सूचित किया (नवंबर 2021) कि भविष्य में प्रोफाइल आरेखों और वितरण मानचित्रों को अद्यतन किया जाएगा। यद्यपि सीएमओ, विदिशा नगरपालिका परिषद् ने ठेकेदार द्वारा तैयार किए गए वितरण मानचित्रों की प्रतियां प्रदान की (जुलाई 2021), फिर भी यह सुनिश्चित करने योग्य नहीं था कि वितरण प्रणाली के इन मानचित्रों और प्रोफाइल ड्राइंग को अद्यतन किया जा रहा था।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2022) कि जबलपुर नगर पालिक निगम एवं विदिशा नगरपालिका परिषद् के प्रकरणों में मानचित्रों के अद्यतनीकरण का कार्य नई परियोजनाओं के अन्तर्गत किया जा रहा था जबकि ग्वालियर नगर पालिक निगम के प्रकरण में मानचित्र तैयार किये जा चुके थे। हालांकि, ग्वालियर नगर पालिक निगम में सीपीएचईईओ के जल आपूर्ति प्रणाली के ओएंडएम नियमावली, 2005 की कंडिका 8.4.2 के अंतर्गत आवश्यक पारंपरिक सर्वेक्षण द्वारा इसके अद्यतनीकरण के बारे में उत्तर मौन था।

5.3.7.6 कोई रिसाव नियंत्रण कार्यक्रम अस्तित्व में नहीं है

सीपीएचईईओ ओएंडएम जल आपूर्ति तंत्र नियमावली 2005 की कंडिका 4.3.5 में कहा गया है कि रिसाव नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य रिसाव की घटना और उसकी मरम्मत के बीच लगने वाले समय को कम से कम करना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जाँच की गई नगरीय स्थानीय निकायों में दृश्यमान और अदृश्यमान रिसाव का पता लगाने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी। सीएमओ, विदिशा नगरपालिका परिषद् ने सूचित किया (जुलाई 2021) कि जल न मिलने या कम जल मिलने के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों के सत्यापन पर, सिस्टम में रिसाव की जाँच की जाती है और तुरंत कार्रवाई की जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि नगरीय स्थानीय निकाय के वॉल्व मैन द्वारा भी जल आपूर्ति के समय क्षेत्र के सर्वेक्षण के दौरान रिसाव की जानकारी जुटाई जाती है। उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2018-19 और 2020-21 के दौरान जल आपूर्ति शाखा के कर्मचारियों द्वारा रिसाव के 165 मामले देखे गए।

ग्वालियर नगर पालिक निगम और जबलपुर नगर पालिक निगम में वितरण प्रणाली में रिसाव के मामलों एवं उन पर ध्यान देने में समय अंतराल की निगरानी के लिए अभिलेखीकरण (जैसे रिसाव के बारे में सूचना प्राप्त करने की दिनांक और जिस दिनांक को वे सुधारे गए थे, आदि) की प्रक्रिया नहीं थी। वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान, ग्वालियर नगर पालिक निगम और जबलपुर नगर पालिक निगम ने वितरण लाइनों के संचालन और अनुरक्षण कार्यों पर ₹ 49.52 करोड़ (ग्वालियर नगर पालिक निगमः ₹ 5.67 करोड़, जबलपुर नगर पालिक निगमः ₹ 43.85 करोड़) व्यय किए थे। उचित अभिलेखीकरण के अभाव में, लेखापरीक्षा 2018-19 और 2020-21 की अवधि के दौरान ग्वालियर नगर पालिक निगम और जबलपुर नगर पालिक निगम द्वारा होने वाले रिसावों की संख्या और उन पर ध्यान दिये जाने वाले दिनांकों का पता नहीं लगा सका।

शासन ने उत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि जबलपुर नगर पालिक निगम के मामलों में उपभोक्ताओं द्वारा जल कम/नहीं मिलने की शिकायत के बाद सिस्टम में रिसाव की जांच

की जाती है और तत्काल कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, पुरानी आपूर्ति पाइपलाइनों को बदल दिया गया था। ग्वालियर नगर पालिक निगम के संबंध में, यह कहा गया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग संभाग-1 और 2 रिसाव नियंत्रण सहित जल प्रणाली के ओएंडएम के लिए जिम्मेदार हैं, हालांकि, इस उद्देश्य के लिए वास्तव में अपनाए गए रिसाव नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में उत्तर मौन था। विदिशा नगरपालिका परिषद् के मामले में कोई टिप्पणी नहीं की गई।

5.3.7.7 बिना जल संपर्क वाले परिवार

शहरी विकास मंत्रालय के एसएलबी की हैंडबुक के अनुसार, सभी घरों को जल संपर्क नेटवर्क में लाया जाना है।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि ग्वालियर नगर पालिक निगम में 3.15 लाख घरों में से केवल 1.45 लाख (46.03 प्रतिशत) और जबलपुर नगर पालिक निगम में 2.76 लाख घरों में से 1.52 लाख (55.07 प्रतिशत) के पास अधिकृत जल संपर्क थे। इस प्रकार, ग्वालियर नगर पालिक निगम में 1.70 लाख घर (53.97 प्रतिशत) और जबलपुर नगर पालिक निगम में 1.24 लाख घर (44.93 प्रतिशत) जल संपर्क नेटवर्क से बाहर थे। विदिशा नगरपालिका परिषद् में कवरेज का प्रतिशत 73.02 प्रतिशत था क्योंकि 32,751 घरों में से 23,914 के पास अधिकृत जल संपर्क थे।

ईई, जल आपूर्ति, जबलपुर नगर पालिक निगम ने सूचित किया (नवंबर 2021) कि बिना जल संपर्क वाले घरों की पहचान के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण किया गया था और उन घरों को जल संपर्क नेटवर्क में लाने के लिए विशेष शिविर आयोजित करके कार्रवाई की गई थी। ईई, जल आपूर्ति, ग्वालियर नगर पालिक निगम ने सूचित किया (सितंबर 2021) कि सभी घरों को जल संपर्क नेटवर्क के अंतर्गत लाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाएगी। विदिशा नगरपालिका परिषद् ने उत्तर में सभी घरों को जल संपर्क नेटवर्क के अंतर्गत लाने के लिए उनके द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं दी।

उत्तर में शासन ने कहा (नवंबर 2022) कि जबलपुर नगर पालिक निगम और विदिशा नगरपालिका परिषद् के मामलों में, सभी घरों को जल संपर्क नेटवर्क के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा था। ग्वालियर नगर पालिक निगम के मामले में, यह कहा गया था कि 80.37 प्रतिशत (2,48,000 घरों में से 1,99,341) घर जल संपर्क नेटवर्क के अंतर्गत हैं और शेष घरों को अमृत-2 परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। हालाँकि, लेखा परीक्षा (सितंबर 2021- 3.15 लाख) और शासन द्वारा सूचित (नवंबर 2022 - 2.48 लाख)

दिनांकों के बीच ग्वालियर नगर पालिक निगम में कुल घरों की संख्या के आंकड़ों में भारी कमी (लगभग 0.67 लाख) जल संपर्क कवरेज की प्रतिशता के बारे में संदेह पैदा करता है।

5.3.7.8 बिना मीटर के जल संपर्क

शहरी विकास मंत्रालय के एसएलबी की हैंडबुक में उल्लेख है कि जल आपूर्ति संपर्कों की शत प्रतिशत मीटरिंग की जानी है।

वेबसाइट ***(http://www.projectuday.gov.in)*** से प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियाई विकास बैंक प्रायोजित उदय परियोजना के अंतर्गत ग्वालियर नगर पालिक निगम और जबलपुर नगर पालिक निगम ने क्रमशः 1,00,000 और 1,55,200 घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाने के कार्य आदेश निष्पादित किए थे। ईई, जल आपूर्ति, ग्वालियर नगर पालिक निगम ने सूचित किया (सितंबर 2021) कि मीटर वर्ष 2010 और 2012 के दौरान स्थापित किए गए थे लेकिन कुछ समय बाद हटा दिए गए क्योंकि वे ठीक से काम नहीं कर रहे थे और वर्तमान में अस्तित्व में नहीं हैं। ईई, जल आपूर्ति, जबलपुर नगर पालिक निगम ने सूचित किया (नवंबर 2021) कि जल के मीटर केवल थोक उपभोक्ताओं के लिए लगाए गए थे। विदिशा नगरपालिका परिषद् ने सूचित किया (जुलाई 2021) कि घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के परिसर में कोई मीटर नहीं लगाया गया है।

नमूना जांच की गई यूएलबी द्वारा निर्धारित मासिक दरों के आधार पर जल कर की वसूली की जा रही थी। तथ्य यह है कि जल संपर्कों की मीटरिंग न होने से यूएलबी के राजस्व संग्रह पर असर पड़ा और इसने जल की बरबादी के विरूद्ध एक निवारक के रूप में कार्य नहीं किया।

उत्तर में शासन ने बताया (नवंबर 2022) कि विभाग भविष्य में इन तीनों शहरी स्थानीय निकायों में जल मीटर लगाने का प्रयास करेगा।

5.3.8 आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता

बीआईएस विनिर्देश आईएस 10500:2012, के अनुसार, मानव उपभोग के लिए उपयोग किया जाने वाला पेयजल भौतिक, रासायनिक, जैविक और जीवाणु संबंधी मापदंडों के संबंध में आवश्यकता का अनुपालन करेगा।

5.3.8.1 आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई

राज्य जल नीति 2003 में परिकल्पना की गई है कि संबंधित विभाग द्वारा सतही और भूजल की गुणवत्ता का नियमित आधार पर परीक्षण किया जाएगा। सीपीएचईईओ जल आपूर्ति और उपचार नियमावली, 1999 की कंडिका 15.1 के साथ पठित कंडिका 2.2.9 के

अनुसार, जल कार्य प्रबंधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपूर्ति किया गया जल पीने योग्य और अवांछनीय स्वाद और गंध से मुक्त हो, जिसके लिए पर्याप्त सुविधाओं वाली प्रयोगशालाएँ आवश्यक हैं जो योग्य कर्मियों द्वारा संचालित हों । जल की प्रयोगशाला जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को पीने के जल के मानक के अनुरूप पीने योग्य जल की आपूर्ति हो। सीपीएचईईओ ओएंडएम जल आपूर्ति प्रणाली की नियमावली, 2005 के **परिशिष्ट-17.1** (कार्य विवरण) में परिकल्पना की गई है कि मध्य/परिचालन प्रबंधन (कार्यपालन यंत्री के उप-सहायक) की जिम्मेदारी फिटकरी की मात्रा और क्लोरीन की मात्रा की निगरानी करना है। प्रयोगशाला में मुख्य रूप से चार प्रकार के परीक्षण किए जाने थे, यानी भौतिक, रासायनिक, जीवाणुकारक और जैविक विश्लेषण, ताकि यह आबादी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को रोक सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31[59] में से केवल सात[60] मापदंडों का परीक्षण ग्वालियर नगर पालिक निगम की मोतीझील प्रयोगशाला में किया जा रहा था। चूंकि शेष मापदंडों के मान सुनिश्चित करने के लिए नमूनों का परीक्षण नहीं किया गया था, आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई थी। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता है।

ईई, जल आपूर्ति, ग्वालियर नगर पालिक निगम ने सूचित किया (सितंबर 2021) कि 2018-21 के दौरान सभी मापदंडों का परीक्षण नहीं किया गया था, क्योंकि प्रयोगशाला में उन मापदंडों की जांच करने की सुविधा विकसित नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 2018-21 की अवधि के दौरान, ग्वालियर नगर पालिक निगम ने उनके भौतिक (2,791 नमूने), रासायनिक (2,132 नमूने), जीवाणुकारक (659 नमूने) और जैविक (2,791) मापदंडों का पता लगाने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों से 8,373 नमूने एकत्र किए थे। इनमें से भौतिक विश्लेषण के 56 नमूने, रासायनिक विश्लेषण के आठ नमूने (क्षारीयता 3, हार्डनेस 5) और जीवाणुकारक विश्लेषण के 158 नमूने (कोलीफॉर्म (एमपीएन[61]) 157, फीकल कोलिफॉर्म 1) के परिणाम प्रतिकूल पाए गए। जबलपुर नगर पालिक निगम में केवल लालपुर छानन संयंत्र में सभी आवश्यक मापदंडों के जांच की सुविधा थी। शहर के नमूनों के जांच परिणाम केवल 20 जनवरी 2020 से

---

[59] ***आमतौर पर परीक्षण किए गए पानी के नमूनों के परिणामों की रिपोर्ट करने के लिए राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल द्वारा तैयार प्रारूप में उपयोग किया जाता है।***

[60] ***छारीयता, क्लोराइड, कोलीफॉर्म (एमपीएन), कठोरता, आयरन, पीएच और टर्बुडीटी***

[61] ***अनुबंध संख्या: अमृत/2017-18/5, दिनांक 23/09/2017***

2 सितंबर 2020 की अवधि की जांच के लिए उपलब्ध कराये गये थे। इस दौरान शहर के विभिन्न स्थानों से 188 नमूने लिए गए, इनमें से 22 नमूने (भौतिक में 15 नमूने, जीवाणुकारक में पाँच नमूने और दोनों मापदंडों में दो नमूने) नकारात्मक पाए गए। ग्वालियर नगर पालिक निगम और जबलपुर नगर पालिक निगम के ईई द्वारा प्रतिकूल नमूनों पर की गई कार्रवाई उन्हें सत्यापित करने के लिए अभिलेखों के अभाव में पुष्टि करने योग्य नहीं थी।

रसायनज्ञ की अनुपलब्धता के कारण विदिशा नगरपालिका परिषद् की जल परीक्षण प्रयोगशाला क्रियाशील नहीं थी। ऐसे में जल के नमूनों की नियमित जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी।

नमूना जांच की गई यूएलबी में वर्ष 2018-20 के कैलेंडर वर्ष के दौरान जल जनित रोगों की स्थिति संचालनालय, स्वास्थ्य सेवा, भोपाल से मांगी गई थी, जो **तालिका-5.3.5** में दर्शाई गई हैः

तालिका-5.3.5: कैलेंडर वर्ष 2018-20 के दौरान नमूना-जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में पानी में जनित रोगों के मामले

क्र. सं.	वर्ष	तीव्र डायरिया रोग			टाइफाइड			वायरल हेपेटाइटिस			अन्य जल जनित रोग		
		ग्वालियर न.पा.नि.	जबलपुर न.पा.नि.	विदिशा न.पा.प.	ग्वालियर न.पा.नि.	जबलपुर न.पा.नि.	विदिशा न.पा.प.	ग्वालियर न.पा.नि.	जबलपुर न.पा.नि.	विदिशा न.पा.प.	ग्वालियर न.पा.नि.	जबलपुर न.पा.नि.	विदिशा न.पा.प.
1	2018	18,578	34,924	23,489	2,405	299	329	428	1,123	66	1,205	1,461	1,496
2	2019	28,053	37,131	39,898	2,671	1,830	734	429	814	157	2,001	775	4,965
3	2020	33,146	20,650	16,652	549	1,298	228	80	96	70	9,503	1,936	1,551
योग		**79,777**	**92,705**	**80,039**	**5,625**	**3,427**	**1,291**	**937**	**2,033**	**293**	**12,709**	**4,172**	**8,012**

(स्रोतः स्वास्थ्य सेवा संचालनालय, भोपाल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-20 के कैलेंडर वर्ष के दौरान, नमूना-जांच किए गए यूएलबी में जल-जनित रोगों के कुल 2,91,020 मामले प्रतिवेदित किए गए। इस प्रकार, इस अवधि के दौरान यूएलबी द्वारा किए गए दूषित जल की आपूर्ति से इन प्रतिवेदित किए गए मामलों के कारण होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ग्वालियर नगर पालिक निगम और जबलपुर नगर पालिक निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अशुद्ध जल की आपूर्ति के प्रकरण स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए गए थे जैसा कि **परिशिष्ट-5.3.1** में दर्शाया गया है।

जबलपुर नगर पालिक निगम के रांझी छानन संयंत्र (आरएफपी) के स्थल दौरे के दौरान, लेखापरीक्षा दल का रांझी के कुछ निवासियों द्वारा उनके क्षेत्र में नालों से गुजरने वाली पाइपलाइनों के सत्यापन के लिए जाने हेतु मार्गदर्शन किया गया, जो उनको आपूर्ति किए जा रहे अशुद्ध पानी की शिकायत दर्ज कराने आए थे। निम्नलिखित चित्र वास्तविक स्थिति का संकेत दे रहे हैंः

चित्र 5.3.1 और 5.3.2: रांझी मानेगांव, पाइपलाइन नालियों से गुजरती हुई मिली और इन क्षेत्रों के निवासी शिकायत करते पाए गए

(चित्रः लेखापरीक्षा दल, अक्टूबर 2021)

ईई, जल आपूर्ति, ग्वालियर नगर पालिक निगम ने सूचित किया (सितंबर 2021) कि वर्षों पहले बिछाई गई वितरण लाइनें टूट-फूट के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थीं, और कुछ क्षेत्रों में वितरण लाइनें, सीवरेज लाइनों के समानांतर थीं, जिससे इन क्षतिग्रस्त वितरण लाइनों में सीवेज का पानी आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ईई जल आपूर्ति, जबलपुर नगर पालिक निगम ने सूचित किया (नवंबर 2021) कि जल आपूर्ति शाखा के अधिकारियों ने समाचार प्रतिवेदन का सत्यापन किया और दोषों को सुधारने के लिए तत्काल कार्रवाई की। यह भी सूचित किया गया कि ऐसे क्षेत्रों की पहचान के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जहां नालियों से पाइप लाइन जा रही है।

हालांकि, जबलपुर नगर पालिक निगम के पास उनके द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई के सत्यापन के लिए कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2022) कि जबलपुर नगर पालिक निगम में जल शोधन संयंत्र में स्थापित प्रयोगशाला में जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा रहा है तथा नालों से होकर जाने वाली पाईप लाईन को स्थानांतरित करने का कार्य प्रगति पर है। विदिशा नगरपालिका परिषद् में जल परीक्षण प्रयोगशाला अब कार्यशील स्थिति में है और परीक्षण किए जा रहे थे, इसके अतिरिक्त, नमूने भी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे जा रहे हैं। ग्वालियर नगर पालिक निगम के संबंध में, सीपीएचईईओ जल आपूर्ति और उपचार नियमावली, 1999 के अनुसार जल की गुणवत्ता की निगरानी की

जा रही थी। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि प्रतिवेदन (उपरोक्त तालिका 5.3.5 में आंकड़े) में यह उल्लेख नहीं है कि रोग ग्वालियर नगर पालिक निगम द्वारा आपूर्ति किए गए जल के परिणाम थे। हालांकि, तथ्य यह है कि लेखापरीक्षित यूएलबी द्वारा आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई थी जैसा कि उनके द्वारा किए गए परीक्षणों में परिलक्षित होता है।

5.3.8.2 बिना जांच के बोरवेल जल की आपूर्ति

सीजीडब्ल्यूबी की एक रिपोर्ट के अनुसार भूजल की गुणवत्ता में इस हद तक परिवर्तन आया है कि ऐसे जल का उपयोग खतरनाक हो सकता है। भारत के कई राज्यों में बड़े क्षेत्रों में भूजल की समग्र लवणता में वृद्धि और/या फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन, आर्सेनिक, कुल कठोरता और कुछ जहरीले धातु आयनों की उच्च सांद्रता की उपस्थिति देखी गई है। इनसे पेट दर्द, पाचन संबंधी समस्याएं, किडनी स्टोन पीलिया, टाइफाइड, लिवर, हार्ट और पैंक्रियाटिक क्षति जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

नमूना-जांच किए गए यूएलबी में अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, यह देखा गया कि मार्च 2021 तक, ग्वालियर नगर पालिक निगम में 2,199 बोरवेल, जबलपुर नगर पालिक निगम में 2,981 बोरवेल और विदिशा नगरपालिका परिषद् ने पांच बोरवेल से बिना किसी गुणवत्ता परीक्षण के अपने अधिकार क्षेत्र में जल की आपूर्ति की गई थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि अप्रैल 2018 और मार्च 2021 की अवधि के दौरान ग्वालियर नगर पालिक निगम (मोतीझील जल परीक्षण प्रयोगशाला) में और 21 जनवरी 2020 और 04 सितम्बर 2020 (जिस अवधि के लिए अभिलेख प्रस्तुत किये गये थे) की अवधि के दौरान जबलपुर नगर पालिक निगम (लालपुर जल परीक्षण प्रयोगशाला), अपने निवासियों की शिकायतों के आधार पर, अपने अधिकार क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से बोरवेल से 75 जल के नमूने (ग्वालियर नगर पालिक निगम द्वारा 57 और जबलपुर नगर पालिक निगम द्वारा 18) एकत्र किए थे। ग्वालियर नगर पालिक निगम के 57 नमूनों में से 16 नमूने ऐसे थे जिनमें या तो टर्बिडिटी या कोलीफॉर्म या टर्बिडिटी और कॉलीफॉर्म दोनों आईएस 10500:2012 के अंतर्गत निर्धारित अनुमेय सीमा के अनुसार नहीं थे। जबलपुर नगर पालिक निगम द्वारा लिए गए सभी 18 बोरवेल के नमूनों में विभिन्न मापदंडों की अस्वीकार्य सीमाएं भी शामिल थी।

शासन ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2022) कि जबलपुर नगर पालिक निगम में आपूर्ति किए गए बोरवेल के जल का उपयोग पीने के अलावा अन्य कार्यों में भी किया जाता है। हालांकि, जबलपुर नगर पालिक निगम में नियमित परीक्षण के बारे में उत्तर मौन है। विदिशा

नगरपालिका परिषद् के संबंध में, यह कहा गया कि समय-समय पर परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा, परीक्षण परिणामों से संबंधित पंजी (माह अगस्त 2022 के लिए) ने संकेत दिया कि परीक्षण लेखापरीक्षा में प्रकरण इंगित किए जाने के बाद किया गया है। ग्वालियर नगर पालिक निगम के मामले में, यह कहा गया था कि विशिष्ट बोरवेल जल को एक विशेष गली में आपूर्ति नहीं की जा रही थी। बोरवेल के जल के साथ ओवर हैड टैंक के जल की आपूर्ति इसी पाइप लाइन से वार्डों में की जाती थी। मिश्रित जल सीपीएचईईओ जल आपूर्ति और उपचार नियमावली, 1999 में निर्धारित गुणवत्ता पैरामीटर से मेल खाता है। हालांकि, बोरवेल से आपूर्ति किए गए जल के परीक्षण के परिणाम खराब थे और मैलापन और कॉलीफॉर्म दोनों अनुमेय सीमा से अधिक थे जो ओवर हैड टैंक जल के साथ मिश्रित होने के बावजूद अभी भी घरों तक पहुंच रहे थे। इसके अतिरिक्त, ओवर हैड टैंक जल की जल गुणवत्ता भी पर्याप्त नहीं थी जैसा कि **कंडिका 5.3.8.1** में चर्चा की गई है।

5.3.8.3 कौगुलांट के उपयोग में अनियमितताएं

जल आपूर्ति प्रणाली के सीपीएचईईओ ओएंडएम नियमावली, 2005 की कंडिका 5.4.1.3 में कहा गया है कि उपचारित किए जाने वाले जल में कौगुलांट के उचित प्रकार और मात्रा का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। कौगुलांट की अधिक मात्रा के साथ-साथ कम मात्रा में ठोस पदार्थों को हटाने की दक्षता में कमी हो सकती है। जार परीक्षणों को सावधानीपूर्वक करके इस स्थिति को ठीक किया जा सकता है।

नमूना-जाँच की गई नगरीय स्थानीय निकायों में पाए गए कौगुलेंट के उपयोग पर निष्कर्षों की चर्चा नीचे की कंडिकाओं में की गई हैः

- **नमूनों की नियमित जांच नहीं की जाना**

सीपीएचईईओ जल आपूर्ति और उपचार नियमावली, 1999 की कंडिका 5.3.6 में प्रावधान है कि विश्लेषण के लिए प्राकृतिक और उपचारित जल के नमूने नियमित अंतराल पर लिए जाएंगे। इसके अलावा, जिन बड़े जल संयंत्रों की अपनी प्रयोगशाला हैं, वहां प्रतिदिन नमूने लिए जाने होते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जबलपुर नगर पालिक निगम के भोंगाद्वार छानन संयंत्र (बीएफपी) की अपनी प्रयोगशाला नहीं थी, इस प्रकार, इस संयंत्र के जल के नमूनों का परीक्षण जबलपुर में स्थित अन्य छानन संयंत्रों (यानी, लालपुर या रांझी) की प्रयोगशालाओं में किया जा रहा था। 21 जनवरी 2020 से 4 सितंबर 2020 (जिस अवधि के लिए अभिलेख प्रस्तुत किये गये थे) की अवधि के लिए गये जल के नमूने परीक्षण अभिलेख के सत्यापन में, एक

परीक्षण और उसके बाद के परीक्षण के मध्य एक से 137 दिनों के अंतराल का पता चला। ग्वालियर नगर पालिक निगम की मोतीझील जल परीक्षण प्रयोगशाला की अपनी प्रयोगशाला थी, हालांकि अभिलेखों की जांच में एक परीक्षण और बाद के परीक्षण के बीच दो से चार दिनों का अंतर पाया गया **(परिशिष्ट-5.3.2)**।

ईई, ग्वालियर नगर पालिक निगम ने सूचित किया (सितंबर 2021) कि भविष्य में नियमित परीक्षण किए जाएंगे।

उत्तर में, शासन ने ग्वालियर नगर पालिक निगम के संबंध में कहा (नवंबर 2022) कि सभी चार जल उपचार संयंत्रों के जल की गुणवत्ता का नियमित रूप से मूल्यांकन किया गया था। लेकिन तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेख के अनुसार एक परीक्षण और उसके बाद के परीक्षण के बीच दो से चार दिनों का अंतर था। जबलपुर नगर पालिक निगम में प्रकरण के संबंध में उत्तर मौन था। हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान, ईई जल आपूर्ति, जबलपुर नगर पालिक निगम ने सूचित किया (नवंबर 2021) कि बीएफपी के जल के नमूनों का नियमित परीक्षण नहीं किया जा सका क्योंकि उनकी अपनी प्रयोगशाला नहीं है।

- **जार परीक्षण के बिना कौगुलांट का उपयोग**

सीपीएचईईओ के जल आपूर्ति प्रणाली ओएंडएम नियमावली, 2005 की कंडिका 5.4.1.4 में कहा गया है कि जार परीक्षण अभी भी सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है जो जमावट प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए नियोजित है और कोगुलेंट के सही मात्रा का उपयोग करके जमावट, फ्लोकुलेशन और विशुद्धिकरण प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने में संयंत्र ऑपरेटर की सहायता करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जबलपुर नगर पालिक निगम के बीएफपी और विदिशा नगरपालिका परिषद् के छानन संयंत्र द्वारा रसायनों की मात्रा जार परीक्षण करने के बाद तय नहीं किए गए थे। इस प्रकार, जनवरी 2019 और मार्च 2021 की अवधि के दौरान बीएफपी द्वारा जल शोधन के लिए 2,56,885 किलोग्राम फिटकरी, 1,07,735 किलोग्राम चूना और 49,298 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग; और विदिशा नगरपालिका परिषद् द्वारा वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान जल उपचार के लिए 28,693 फिटकिरी ईंट, ब्लीचिंग पाउडर के 3,133.5 बैग और 2,421.5 बैग और 2,080 किलोग्राम चूने का उपयोग अनियमित था। ईई, जल आपूर्ति, जबलपुर नगर पालिक निगम ने सूचित किया (नवंबर 2021) कि कौगुलांट की मात्रा जल के नमूने के परीक्षण के परिणामों के आधार पर कर्मचारियों द्वारा स्वयं तय

की जाती है। सीएमओ, विदिशा नगरपालिका परिषद् ने सूचित किया (जुलाई 2021) कि भविष्य में जार परीक्षण किए जाएंगे।

शासन का उत्तर (नवंबर 2022) विदिशा नगरपालिका परिषद् और जबलपुर नगर पालिक निगम में जार परीक्षण के बिना कौगुलांट के उपयोग के प्रकरण के बारे में मौन है।

- **कौगुलांट का पर्याप्त भण्डार नहीं रखा जाना**

सीपीएचईईओ जल आपूर्ति और उपचार नियमावली, 1999 की कंडिका 7.3.3.2 में कहा गया है कि सभी संयंत्रों, विशेष रूप से छोटे संयंत्र, को हर समय सुरक्षा कारक प्रदान करने के लिए पर्याप्त रसायनों की आपूर्ति संभाल कर रखनी चाहिए। संयंत्र के स्थान, आपूर्ति के स्रोत, परिवहन सुविधाओं और रसायनों की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यवस्था के आधार पर तीन महीने का भंडारण उचित था।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि बीएफपी के पास अप्रैल 2018 और मार्च 2021 के मध्य की अवधि के दौरान सात दिनों[62] के लिए फिटकरी, 67 दिनों[63] के लिए चूना, 101 दिनों[64] के लिए क्लोरीन/ब्लीचिंग पाउडर का भण्डार नहीं था। इस प्रकार, इन दिनों के दौरान जनसंख्या को अनुपचारित जल वितरित किया गया था।

इंगित किए जाने पर ईई, जल आपूर्ति, जबलपुर नगर पालिक निगम ने सूचित किया (नवंबर 2021) कि कभी-कभी निविदा प्रक्रिया के पूरा होने में देरी के कारण कौगुलांट का भण्डार समाप्त हो जाता था। इस स्थिति से बचने के लिए छानन संयंत्र के प्रभारियों को निविदा प्रक्रिया पहले से ही शुरू करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

उत्तर में शासन ने बताया (नवंबर 2022) कि जल शोधन संयंत्रों में व्यय/भंडारण की उपलब्धता आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। हालाँकि, जबलपुर नगर पालिक निगम द्वारा कौगुलांट का पर्याप्त भण्डार सुनिश्चित नहीं किया गया था क्योंकि लेखा परीक्षा ने पाया कि जबलपुर नगर पालिक निगम में भोंगाद्वार छानन संयंत्र के पास अप्रैल 2018 और मार्च 2021 के बीच अलग-अलग अवधि के दौरान फिटकरी और क्लोरीन/ब्लीचिंग पाउडर का पर्याप्त भण्डार नहीं था।

---

[62] ***8 नवंबर 2019 से 14 नवंबर 2019।***

[63] ***1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान।***

[64] ***4 अप्रैल 2019 से 22 मार्च 2021 की अवधि के दौरान।***

- **कौगुलांट का अनुचित भंडारण**

सीपीएचईईओ जल आपूर्ति प्रणाली के ओएंडएम नियमावली, 2005 की कंडिका 19.9.1, सहपठित कंडिका 19.10.1 यह बताता है कि चूना और फिटकरी को ठंडी, साफ और सूखी जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए क्योंकि नमी में इन सामग्रियों में जमने की प्रवृत्ति होती है।

सभी तीन चयनित यूएलबी के छानन संयंत्रों के भौतिक निरीक्षण से पता चला कि फिटकरी और चूना सीपीएचईईओ नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार संग्रहीत नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे दिए गए चित्रों में दिखाया गया हैः

चित्र 5.3.3 से 5.3.6: नमूना जांच की गई यूएलबी में कौगुलांट की भंडारण स्थिति

ग्वालियर नगर पालिक निगम की मोतीझील छानन संयंत्र में फिटकिरी और चूने का अनुचित भंडारण

विदिशा नगरपालिका परिषद् के छानन संयंत्र पर फिटकिरी का अनुचित भंडारण

जबलपुर नगर पालिक निगम के रांझी छानन संयंत्र में खुले क्षेत्र में संग्रहित फिटकरी

जबलपुर नगर पालिक निगम के भोंगाद्वार छानन संयंत्र में फिटकिरी का उचित भंडारण

(चित्र: लेखापरीक्षा दल, ग्वालियर नगर पालिक निगमः सितंबर 2021; विदिशा नगरपालिका परिषद्: जुलाई 2021; राँझी छानन संयंत्र अक्टूबर 2021; भोंगाद्वार छानन संयंत्रः दिसंबर 2021)

जल उपचार के लिए जमी हुई फिटकरी के उपयोग से जल का मैलापन बढ़ जाता है और जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जबलपुर नगर पालिक निगम के भोंगाद्वार छानन संयंत्र में फिटकरी का उचित भंडारण देखा गया, जिसे ऊपर चित्र में भी दिखाया गया है।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2022) कि जबलपुर नगर पालिक निगम में कौगुलांट का उचित भण्डारण किया गया था। ग्वालियर नगर पालिक निगम के मामले में, यह कहा गया था कि उसके पास तीनों जल उपचार संयंत्रों में उचित और पर्याप्त भंडारण सुविधा है। सभी सामग्रियों को कवर और संरक्षित क्षेत्र में संग्रहित किया गया है। हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान संयुक्त निरीक्षण ने संकेत दिया कि कोगुलांट का भंडारण अनुचित था जैसा कि ग्वालियर नगर पालिक निगम और जबलपुर नगर पालिक निगम दोनों में उपरोक्त **चित्रों 5.3.3 से 5.3.6** में दिखाया गया है। विदिशा नगरपालिका परिषद् के प्रकरण के संबंध में, उत्तर मौन था।

- **स्वतंत्र जल गुणवत्ता परीक्षण में प्रतिकूल परीक्षण परिणाम मिलना**

लेखापरीक्षा ने (अगस्त, नवंबर और दिसंबर 2021), तीन चयनित यूएलबी के विभिन्न स्थानों से 46 जल के नमूने[65], इन यूएलबी के अधिकारियों की उपस्थिति में एकत्र किए, और नमूनों का परीक्षण राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला (एसआरएल), भोपाल से किया गया। अवमानक नमूनों की संख्या, इसके प्रतिकूल मापदंड, इसकी स्वीकार्य सीमा और प्राप्त परिणाम **तालिका-5.3.6** में दर्शाए गए हैं:

तालिका-5.3.6: जल के नमूनों के परिणाम

क्र. स.	यूएलबी का नाम	अवमानक नमूनों की संख्या	प्रतिकूल मापदंड	सामग्री	
				अनुमेय सीमा	परिणाम
1	जबलपुर नगर पालिक निगम	2	अतिरिक्त आयरन	1 एमजी/ली	1.2 और 2.1
2		2	अतिरिक्त फ्लोराइड	1.5 मिलीग्राम/ली	1.8 और 2
3		5	फीकल कोलिफार्म	0 संख्या/100 मिली	20 से 330 के बीच
4		20	टोटल कोली	0 संख्या/100 मिली	40 और 980 के बीच
5	विदिशा नगरपालिका परिषद्	3	अतिरिक्त आयरन	1 एमजी/ली	1.04 से 4.97
6		9	अतिरिक्त टर्बिडिटी	5 एनटीयू 66[66]	6 और 23.10 एनटीयू
7		7	फीकल कोलिफॉर्म	0 संख्या/100 मिली	80 और 250 के बीच
8		9	टोटल कॉलिफॉर्म	0 संख्या/100 मिली	60 और 360 के बीच
9	ग्वालियर नगर पालिक निगम	6	फीकल कोलिफॉर्म	0 संख्या/100 मिली	40 और 860 संख्या के मध्य
10		2	अतिरिक्त नाइट्रेट	45 एमजी/ली	60 और 80 एमजी/ली

(स्रोतः राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल का प्रतिवेदन)

[65] *जबलपुर नगर पालिक निगम से 26 नमूने; विदिशा से 12 नमूने और ग्वालियर नगर पालिक निगम से आठ नमूने।*

[66] *नेफ्लोमेट्रिक मैलापन इकाई (एनटीयू) एक कैलिब्रेटेड नेफ्लोमीटर से मैलापन मापने की इकाई है।*

ऊपर दिए गए परिणाम पीने के लिए आम जनता को आपूर्ति करने से पहले जल के नमूनों की नियमित जांच की आवश्यकता का संकेत करते हैं।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2022) कि जबलपुर नगर पालिक निगम में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रकरणों में सुधारात्मक कार्रवाई कर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गयी है। इसके अलावा, शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से जल के नमूनों की प्रयोगशाला में जांच की जाती है। ग्वालियर नगर पालिक निगम के मामले में, यह कहा गया कि नमूना संग्रहण की प्रक्रिया परिणाम को प्रभावित कर सकती है। जल आपूर्ति प्रबंधन के साथ-साथ परीक्षण आवृत्ति में सुधार करके उचित कार्रवाई की गई थी, हालांकि, नमूने ग्वालियर नगर पालिक निगम के एक सहायक यंत्री और एक उप यंत्री की उपस्थिति में एकत्र किए गए थे। विदिशा नगरपालिका परिषद् में प्रकरण के संबंध में, उत्तर मौन था।

5.3.8.4 ओवर हैड टैंक की सफाई के समय ओवर हैड टैंक में जमा जल और गाद/कीचड़ के नमूने का जैविक विश्लेषण नहीं किया गया

सीपीएचईईओ के जल की आपूर्ति प्रणाली के ओएंडएम नियमावली, 2005 की कंडिका 7.3, यह प्रावधानित करती है कि टैंक में संचित जल और गाद/कीचड़ का नमूना जैविक विश्लेषण के लिए घोंघों और कीड़ों की उपस्थिति को देखने के लिए एकत्रित किया जाना है। लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए यूएलबी ने सूचित किया (जुलाई 2021- सीएमओ विदिशा नगरपालिका परिषद्, सितंबर 2021- ईई जल आपूर्ति, ग्वालियर नगर पालिक निगम और नवंबर 2021- ईई जल आपूर्ति, जबलपुर नगर पालिक निगम) कि ओवर हैड टैंक की सफाई के समय इसके जैविक विश्लेषण के लिए अवशिष्ट पानी और गाद/कीचड़ के नमूने नहीं लिए गए थे।

इस प्रकार, किसी भी नमूना जाँच किए गए यूएलबी में ओवर हैड टैंकों की सफाई के लिए सीपीएचईईओ के जल की आपूर्ति प्रणाली के ओएंडएम नियमावली, 2005 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2022) कि जबलपुर नगर पालिक निगम में सभी जल टंकियों की सफाई प्रत्येक छः माह में की जाती है तथा सफाई से संबंधित अभिलेख संधारित किये गये हैं। ग्वालियर नगर पालिक निगम के मामले में, यह कहा गया था कि ओवर हैड टैंक और अन्य जल की टंकियों की सफाई नियमित रूप से प्री-मॉनसून और पोस्ट-मॉनसून आधार पर, और जब भी आवश्यक हो, की जाती है। ओवर हैड टैंकों की सफाई का अभिलेख वाल्व मैन और उप-यंत्री के पास रखा गया है। विदिशा नगरपालिका परिषद् के संबंध में

बताया गया कि ओएचटी/जलाशय की सफाई का कार्य जल आपूर्ति शाखा में उपलब्ध कर्मचारियों के माध्यम से किया जाता है। हालांकि, ओवर हैड टैंक की नियमित सफाई के बारे में अपने तर्क को वैज्ञानिक रूप से साबित करने के लिए जैविक विश्लेषण के लिए टैंक में जमा जल और गाद/मिट्टी के नमूने लेने के बारे में तीनों यूएलबी के संबंध में उत्तर मौन था।

5.3.8.5 क्षतिग्रस्त सम्पवेल में जबलपुर नगर पालिक निगम के आरएफपी और बीएफपी द्वारा साफ जल का भंडारण

जबलपुर नगर पालिक निगम के आरएफपी और बीएफपी के स्थल दौरे के दौरान, लेखपरीक्षा ने पाया कि साफ जल (यानी छनन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद पानी) को साफ जल के सम्पवेल में जमा किया जा रहा था, जो बहुत क्षतिग्रस्त स्थिति में थे, और तत्काल मरम्मत की आवश्यकता थी। क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर 2021 के महीने में नीचे चित्रों-5.3.7 और 5.3.8 में इन दोनों सम्पवेल की स्थिति को दर्शाया गया है।

चित्र 5.3.7 और 5.3.8: सम्पवेल की स्थिति

रांझी छानन संयंत्र पर सम्प वैल

भोंगाद्वार छानन संयंत्र पर सम्प वैल

(चित्र: लेखापरीक्षा, अक्टूबर 2021 में रांझी छानन संयंत्र और दिसंबर 2021 में भोंगाद्वार छानन संयंत्र)

लेखापरीक्षा ने पाया कि अमृत योजना के अंतर्गत जबलपुर नगर पालिक निगम द्वारा एक ठेका[67] अधिनिर्णित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन दोनों सम्प वेल्स की मरम्मत और पुनर्वास का कार्य शामिल था। इस कार्य का भौतिक पूर्णता प्रमाण पत्र ईई, जल आपूर्ति, जबलपुर नगर पालिक निगम द्वारा 17 अगस्त 2021 को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूची में दिखाए गए सभी कार्य 31 मार्च 2021 को पूरे किए गए हैं।

ईई, जल आपूर्ति, जबलपुर नगर पालिक निगम ने सूचित किया (नवंबर 2021) कि ये सम्पवेल्स लंबे समय से क्षतिग्रस्त स्थिति में थे। उन्होंने यह भी बताया कि इन सम्पवेल्स

[67] ***अनुबंध संख्याः अमृत/2017-18/5, दिनांक 23/9/2017***

की मरम्मत पहले भी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत की गई थी, लेकिन जल की आपूर्ति बाधित किए बिना नहीं की जा सकती थी और भविष्य में किसी भी नई जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत नए सम्पवेल्स के निर्माण के प्रस्ताव भेजे जाएंगे।

ईई, जल आपूर्ति, जबलपुर नगर पालिक निगम का उत्तर उसी प्राधिकारी द्वारा जारी अगस्त 2021 के भौतिक पूर्णता प्रमाण पत्र का खंडन करता है जो लेखापरीक्षा निष्कर्ष को पर्याप्त रूप से प्रमाणित करता है।

शासन का उत्तर (नवंबर 2022) इस प्रकरण पर मौन था।

5.3.9 वित्तीय प्रबंधन

5.3.9.1 जल की आपूर्ति के लिए उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली के संबंध में राजपत्र अधिसूचना का अनुपालन नहीं किया जाना

यूडीएचडी द्वारा जारी दिशा-निर्देश (मार्च 2017) निर्धारित करता है कि जल की आपूर्ति के लिए उपयोगकर्ता शुल्क इस तरह तय किया जाना चाहिए कि संचालन और अनुरक्षण पर किए गए व्यय को उपयोगकर्ता शुल्क से वसूल किया जाए। इसके अलावा, मध्य प्रदेश शासन की राजपत्र अधिसूचना (सितंबर 2020) में जल आपूर्ति के लिए उपयोगकर्ता शुल्क की दरों को इस तरह निर्धारित किया जाना परिकल्पित है कि जल आपूर्ति सेवाओं पर होने वाले वार्षिक व्यय की शत-प्रतिशत वसूली की जा सके। दरों के निर्धारण की प्रक्रिया मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र अधिसूचना (सितम्बर 2020) की कंडिका 4 में भी निर्धारित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यूडीएचडी दिशा-निर्देश और राजपत्र अधिसूचना का अनुपालन नमूना-जांच किए गए यूएलबी द्वारा नहीं किया जा रहा था, और जल के उपयोग के लिए उपयोगकर्ता शुल्क ग्वालियर नगर पालिक निगम द्वारा ₹ 150 प्रति माह, जबलपुर नगर पालिक निगम ₹ 170 प्रति माह और विदिशा नगरपालिका परिषद् द्वारा ₹ 100 प्रति माह की तदर्थ दर से आरोपित किया गया था। यूएलबी द्वारा फ्लैट रेट के आधार पर लगाए गए जल उपयोगकर्ता शुल्क के परिणामस्वरूप शासन के निर्देशों का पालन नहीं हुआ और उपभोक्ताओं को पानी संरक्षित करने के लिए हतोत्साहित करने का काम किया।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2022) कि जबलपुर नगर पालिक निगम में नगर पालिक निगम द्वारा उपभोक्ता शुल्क निर्धारित कर शासन को स्वीकृति हेतु भेजा गया था। लेकिन नई दर लागू करने पर शासन की रोक के कारण वसूली नहीं हो पाई। विदिशा नगरपालिका परिषद् के मामले में, ओएंडएम का व्यय विवरण उत्तर के साथ संलग्न किया गया था, लेकिन पूर्वोक्त राजपत्र अधिसूचना के अनुपालन पर कुछ भी नहीं बताया गया था। ग्वालियर

नगर पालिक निगम के मामले में, यह कहा गया कि नगर पालिक निगम राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जल उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली के लिए दिशा-निर्देश का पालन करेगा। उत्तर लेखापरीक्षा निष्कर्ष की पुष्टि करता है।

5.3.9.2 जल प्रभारों की कम वसूली दक्षता

मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 225 में प्रावधान है कि बकाया जल प्रभार उपभोक्ताओं से वसूल किया जाना है और वसूली न होने की स्थिति में जल संपर्क काट दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961, धारा 127 (1) (बी) सहपठित धारा 164 और 165, यह प्रावधान करता है कि जब कोई राशि वसूल करने की घोषणा की जाती है, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर मांग का सूचना पत्र भेज सकता है और यह कि यदि ऐसा व्यक्ति सूचना पत्र में मांगी गई राशि का भुगतान नहीं करता है, तो पालिका द्वारा दण्डाधिकारी को दिए गए आवेदन पर राशि की वसूली की जा सकती है, और ऐसा दण्डाधिकारी ऐसे व्यक्ति की किसी चल संपत्ति के करस्थम विक्रय और/या अचल संपत्ति की कुर्की और विक्रय से वसूली का आदेश दे सकता है।

नमूना जांच की गई यूएलबी में मांग, वसूली एवं जल प्रभार की वसूली प्रतिशत का वर्षवार विवरण **तालिका-5.3.7** में दर्शाया गया है:

तालिका-5.3.7: नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों में मांग, जल प्रभारों की वसूली एवं वसूली का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

यूएलबी का नाम	मांग			वसूली			वसूली का प्रतिशत		
	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
ग्वालियर नगर पालिक निगम	24.91	31.00	37.02	19.45	16.62	20.09	78.08	53.61	54.27
जबलपुर नगर पालिक निगम	157.50	135.10	158.96	26.69	26.18	32.76	16.95	19.38	20.61
विदिशा नगर पालिका परिषद्	प्रदान नहीं किया गया	18.19	21.07	प्रदान नहीं किया गया	1.97	2.26	..	10.83	10.73

(स्रोतः संबंधित यूएलबी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ग्वालियर नगर पालिक निगम में जल शुल्क की वसूली 78.08 प्रतिशत (2018-19) और 53.61 प्रतिशत (2019-20) के मध्य थी। वर्ष 2018-19 और 2020-21 के दौरान जबलपुर नगर पालिक निगम में इन शुल्कों के संग्रह में दक्षता 16.95 और 20.61 प्रतिशत के मध्य थी। इसी तरह, वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान विदिशा नगरपालिका परिषद् द्वारा प्राप्त दक्षता 10.73 प्रतिशत और 10.83 प्रतिशत के बीच थी। वर्ष 2018-19 के लिए जल कर की मांग, वसूली एवं बकाया की जानकारी विदिशा नगरपालिका परिषद् द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई।

मार्च 2021 तक जल प्रभारों की वसूली के लिए बकाया राशि ग्वालियर नगर पालिक निगम में ₹ 16.93 करोड़, जबलपुर नगर पालिक निगम में ₹ 126.20 करोड़ और विदिशा नगरपालिका परिषद् में ₹ 18.81 करोड़ थी। नमूना-जांच की गई यूएलबी द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार बकायों की वसूली हेतु कार्रवाई नहीं की गयी थी।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2022) कि जबलपुर नगर पालिक निगम एवं ग्वालियर नगर पालिक निगम में उपभोक्ताओं से जल उपभोक्ता प्रभारों की वसूली हेतु निरन्तर प्रयास किये गये हैं। विदिशा नगरपालिका परिषद् के मामले में, यह कहा गया कि शहर में विशेष अभियान/शिविर आयोजित करके जल उपयोगकर्ता शुल्क वसूल किया जा रहा है। लेकिन जल शुल्क की वसूली की प्रगति इन तीन यूएलबी की अक्षमता को दर्शाती है।

5.3.10 निष्कर्ष

नमूना-जांच की गयी यूएलबी ने जल उत्पादन, जल आकलन, हानि (भौतिक और राजस्व दोनों) के पर्याप्त सटीक आंकड़े प्राप्त करने के लिए जल लेखापरीक्षा नहीं की थी, जिसके कारण वे छानन के लिए प्राप्त प्राकृतिक जल, छनित जल, ओएचटी पर प्राप्त जल और उपभोक्ताओं को वितरित जल की सही मात्रा का आकलन करने में असमर्थ थे। उपलब्ध ओवर हैड टैंक की भंडारण क्षमता और यूएलबी द्वारा पालन की जाने वाली जल आपूर्ति की अनुसूची पर विचार करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा लगाये गए अनुमान से न्यूनतम 18 प्रतिशत (विदिशा नगरपालिका परिषद्) से लेकर अधिकतम 78 प्रतिशत (ग्वालियर नगर पालिक निगम) तक गैर-राजस्व जल का पता चला।

जल आपूर्ति और उपचार पर सीपीएचईईओ नियमावली, 1999 सभी को 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदान करने के मानदंड को निर्धारित करता है, लेकिन यूएलबी द्वारा अधिकतम उपलब्धि, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया गया था, ग्वालियर नगर पालिक निगम द्वारा 35 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (2020-21 में); जबलपुर नगर पालिक निगम द्वारा 98 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (2018-19 में) और विदिशा नगरपालिका परिषद् द्वारा 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (2018-19 में) थी। नमूना जांच की गयी यूएलबी ने सभी को जल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए अपने जल आपूर्ति नेटवर्क में ज़ोनिंग सुनिश्चित नहीं की थी।

यूएलबी में दृश्यमान और अदृश्यमान रिसावों का पता लगाने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं था जिसके कारण वितरण लाइनों के संचालन और अनुरक्षण कार्यों पर काफी व्यय किया गया था।

तीन यूएलबी में, 2.98 लाख (47.76 प्रतिशत) परिवार अभी भी जल संपर्क नेटवर्क से बाहर थे। उपभोक्ताओं के परिसरों में जल के मीटर नहीं लगाये गये थे। इस प्रकार जल कर की वसूली फ्लैट दर के आधार पर की जा रही थी जिसने जल की बरबादी के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य नहीं किया। नमूना-जांच की गयी यूएलबी अपने निवासियों को बिना जांच किये बोरवेल से प्राप्त जल की आपूर्ति को कर रही थी। बिना परीक्षण के बोरवेल के जल की आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है नमूना जांच की गयी यूएलबी में जार परीक्षण द्वारा आवश्यक मात्रा सुनिश्चित किए बिना कौगुलांट के उपयोग के मामले, भण्डार समाप्त होने के कारण कौगुलांट का उपयोग न करने और अनुचित भंडारण के मामले भी देखे गए थे। घोंघे और कीड़े की उपस्थिति का निरीक्षण करने के लिए ओवर हैड टैंक की सफाई के समय जैविक विश्लेषण के लिए किए टैंकों में जमा गाद/मिट्टी के नमूने यूएलबी द्वारा एकत्र नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए स्वतंत्र जल गुणवत्ता परीक्षण से पता चला कि 46 नमूनों में से 21 नमूनों के प्रतिवेदन में निर्धारित शून्य संख्या के विरुद्ध फीकल कोलीफॉर्म की उपस्थिति देखी गई।

5.3.11 अनुशंसाएँ

उपरोक्त निष्कर्षों को देखते हुए, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाओं को लागू करने की आवश्यकता हैः

- भौतिक और वित्तीय दोनों दृष्टियों से छनित जल की मात्रा, वितरित जल और हानियों का पता लगाने के लिए जल लेखापरीक्षा की जाए।
- रिसाव की घटना और उसकी मरम्मत के बीच व्यतीत होने वाले समय को कम करने के लिए एक सुदृढ़ रिसाव नियंत्रण कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित किया जाए।
- सभी घरों को जल संपर्क नेटवर्क के अंतर्गत लाया जाए, सभी संपर्कों की जल की मीटरिंग सुनिश्चित की जाए और तदनुसार जल उपयोगकर्ता शुल्क लगाया जाए।
- आपूर्ति के लिए बोरवेल से निकाले गए जल के नमूनों की जांच निरपवाद रूप से की जाए।

ग्वालियर **(डी. साहू)**

दिनांक: 02 अगस्त 2023 **प्रधान महालेखाकार**

(लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चन्द्र मुर्मू)**

दिनांक: 08 अगस्त 2023 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट-2.1.1

(संदर्भ: कण्डिका 2.1.1 पृष्ठ क्र.14)

11वी अनुसूची (अनुच्छेद 243-छ) में दर्शित कार्यो एवं उनके विभागों की सूची

स. क्र.	कार्य	विभाग
1	कृषि जिसमे कृषि विस्तार सम्मिलित है	कृषि
2	भूमि अभिवृद्धि, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, भूमि चकबन्दी और मिट्टी संरक्षण।	राजस्व
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाजक विकास।	जल संसाधन
4	पशुपालन, दुग्ध व्यवसास एवं कुकुट आदि।	पशु चिकित्सा
5	मत्स्य क्षेत्र	मत्स्य पालन
6	सामाजिक वानिकी ओर कृषि वानिकी	वन
7	लघु वानिकी उपज।	वन
8	लघु उद्योग जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी सम्मिलित है।	वाणिज्य एवं उद्योग
9	खादी, ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग	ग्रामीण उद्योग
10	ग्रामीण गृह निर्वाण	ग्रामीण विकास
11	पेय जल	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय
12	ईंधन और चारा	पशुपालन
13	सड़कें,पुलिया, पुल, घाट, जल मार्ग और संचार के अन्य साधन	ग्रामीण विकास
14	ग्रामीण विद्युतीकरण जिसमें विद्युत का वितरण भी सम्मिलित है।	ग्रामीण विद्युतीकरण एवं ऊर्जा
15	गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत।	ग्रामीण विद्युतीकरण एवं ऊर्जा
16	गरीबी कम करने के कार्यक्रम	सामाजिक न्याय
17	शिक्षा, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा भी सम्मिलित है।	स्कूल शिक्षा
18	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा	जनशक्ति नियोजन एवं तकनीकी शिक्षा
19	वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा।	स्कूल शिक्षा
20	पुस्ताकालय	सामाजिक न्याय

21	सांस्कृतिक गतिविधियां	सामाजिक न्याय
22	बाजार एवं मेले	पंचायत
23	स्वास्थ्य एवं सफाई जिसमें चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं औषधालय सम्मिलित हैं।	चिकित्सा शिक्षा
24	परिवार कल्याण।	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
25	महिला एवं बाल विकास।	महिला एवं बाल विकास
26	समाज कल्याण जिसमें विकलांगों और मानसिक अशक्तों का कल्याण भी सम्मिलित है।	सामाजिक न्याय
27	कमजोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का विकास	अनुसूचित जाति एवं पिछडी जाति विकास
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	खाद्य, सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता संरक्षण
29	सामुदायिक संपत्तियों का संधारण	पंचायत एवं ग्रामीण विकास

परिशिष्ट-2.1.2

(संदर्भ: कण्डिका 2.1.5 पृष्ठ क्र. 17)

चयनित पंचायती राज संस्थाओं की सूची

क्र.	संभाग	जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत
1	ग्वालियर	अशोकनगर	अशोकनगर	रायपुर
2				मोहरी राय
3	जबलपुर	छिंदवाडा	परासिया	उमरेठ
4				इकलेहरा
5	इन्दौर	खरगौन	गोगांवा	गोगांवा
6				शाहपुरा
7	चम्बल	मुरैना	मुरैना	जखौना
8				नावली बड़ागांव
9	नर्मदापुरम	बैतूल	बैतूल	बाडोरा
10				खेड़ीसावलीगढ़
11	भोपाल	सिहोर	आष्ठा	डाबरी
12				मेहतवाड़ा
13	सागर	पन्ना	शाहनगर	शाहनगर
14				विसानी
15	उज्जैन	उज्जैन	खाचरौद	मड़वाड़ा
16				रूपेटा
17	शहडोल	शहडोल	ब्यौहारी	मऊ
18				अखेटपुर
19	रीवा	रीवा	सिरमौर	पडरी
20				उमरी

परिशिष्ट-2.1.3(i)

(संदर्भ: कण्डिका 2.1.7.3, पृष्ठ संख्या 26)

मार्च 2021 तक कार्यों/गतिविधियो, अमले एवं निधियों के हस्तान्तरण की स्थिति का विवरण

स. क्र.	कार्य/गतिविधियां जो हस्तांतरित की जानी थी	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की जानी थी			विभाग	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की गई			वर्तमान स्थिति
		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला	
1	कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी है।	कृषि उत्पादन का संवर्धन एवं विकास, कृषि मेलो और प्रदर्शनियों का आयोजन, कृषि विस्तार कार्यक्रमों पर नियंत्रण, प्रबंधन, कृषि उपकरणों का वितरण, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और उनकी गुणवत्ता नियंत्रण, लाभार्थियों का चयन और अनुमोदन, जैविक खेती के लिये कार्यान्वयन और प्रशिक्षण, खाद और बायोगैस कार्यक्रम, किसानों और कुशल श्रमिकों का प्रशिक्षण, 10.00 लाख रूपये तक की लागत वाली सबसे छोटी सिंचाई योजनाओं का निर्माण रखरखाव, संचालन	पंचायतीराज संस्थाओं की अनुशंसा पर विभागीय अधिकारियों द्वारा निधियों का उपयोग किया जाता है।	समस्त अमला इन कार्यो में संलग्न है।	कृषि	कृषि उत्पादन का संवर्धन एवं विकास, कृषि मेलो और प्रदर्शनियों का आयोजन, कृषि विस्तार कार्यक्रमों पर नियंत्रण, प्रबंधन, कृषि उपकरणों का वितरण, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और उनकी गुणवत्ता नियंत्रण, लाभार्थियों का चयन और अनुमोदन, जैविक खेती के लिये कार्यान्वयन और प्रशिक्षण, खाद और बायोगैस कार्यक्रम, किसानों और कुशल श्रमिकों का प्रशिक्षण, 10.00 लाख रूपये तक की लागत वारी सबसे छोटी सिंचाई योजनाओं का निर्माण	पंचायती राज संस्थाओं की सिफारिश पर निधियों का उपयोग किया गया था।	समस्त अमला इन कार्यो में संलग्न है।	परीक्षण जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य, अमला एवं निधियां विभाग के पास ही है। स्थानांतरित नहीं हुये ।

स. क्र.	कार्य/गतिविधियां जो हस्तांतरित की जानी थी	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की जानी थी			विभाग	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की गई			वर्तमान स्थिति
		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला	
		और प्रबंधन। किसानों के दौरे और प्रशिक्षण कार्यकमों का आयोजन, फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और हस्तांतरित परिसम्पत्तियों का रखरखाव।				रखरखाव, संचालन और प्रबंधन। किसानों के दौरे और प्रशिक्षण कार्यकमों का आयोजन, फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और हस्तांतरित परिसम्पत्तियों का रखरखाव।			
2	भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण	बंधुआ मजदूरों का प्रबंधन, सार्वजनिक तालाबों की व्यवस्था, धारा-110 (नामांकन), 128 (सीमांकन का पर्यवेक्षण), 130 (हानिकारक सीमांकन) नामांकन, 178 (निर्विवाद विभाजन) के संबंध में तहसीलदार की शक्तियों का प्रत्यायोजन, कोटवार की नियुक्ति के लिये शिफारिश, सार्वजनिक तालाबों की व्यवस्था, सभी पटवारी रिकार्ड खसरा, पंचशाला, अधिकार रिकार्ड और ऋण पुस्तिकाओं के वितरण को रखते हुये ग्राम पंचायत के	कोई धनराशि हस्तांतरित नहीं।		राजस्व	बंधुआ मजदूरों का प्रबंधन, सार्वजनिक तालाबों की व्यवस्था, धारा-110 (नामांकन),128 (सीमांकन का पर्यवेक्षण), 130 (हानिकारक सीमांकन) नामांकन, 178 (निर्विवाद विभाजन) के संबंध में तहसीलदार की शक्तियों का प्रत्यायोजन, कोटवार की नियुक्ति के लिये शिफारिश, सार्वजनिक तालाबों की व्यवस्था, सभी पटवारी रिकार्ड खसरा, पंचशाला, अधिकार रिकार्ड और ऋण पुस्तिकाओं के वितरण को रखते हुये ग्राम पंचायत के			आदेश दिनाक 06 सितम्बर 2004 के अंतर्गत शक्तियां वापस। हस्तांतरण रद्द कर दिया गया।

स. क्र.	कार्य/गतिविधियां जो हस्तांतरित की जानी थी	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की जानी थी			विभाग	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की गई			वर्तमान स्थिति
		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला	
		सरपंच और सचिव को पटेल के कर्तव्यों के लिये संयुक्त रूप से जिम्मेदार बनाया जायेगा।				सरपंच और सचिव को पटेल के कर्तव्यों के लिये संयुक्त रूप से जिम्मेदार बनाया जायेगा।			
3	लघु सिंचाई, जन प्रबंधन और जल-आच्छादन विकास।	प्रतिधारण एवं जिम्मेदारी का अधिकार, मानव की व्यवस्था, ग्रामोद्योगों पर कर लगाना, जल का संरक्षण एवं रखरखाव, कुआं एवं तालाबों का गहरीकरण।	कोई निधियां हस्तांतरित नहीं हुयी।		जल संसाधन	प्रतिधारण एवं जिम्मेदारी का अधिकार, मानव की व्यवस्था, ग्रामोद्योगों पर कर लगाना, जल का संरक्षण एवं रखरखाव, कुआं एवं तालाबों का गहरीकरण।	शून्य	शून्य	स्थानांतरित नहीं हुआ।
4	पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन।	पशु चिकित्सालयों, सचल पशु औषधालयों, और पशुधन सेवाओं की स्थापना, और प्रबंधन रखरखाव, मवेशियों, मुर्गीपालन और अन्य पशुधन की नस्लों में सुधार, डेयरी, पोल्ट्री और सुअर पालन को प्रोत्साहन और विकास, पशुधन/मवेशियों के लिये महामारी और संक्रामक रोगों की रोकथाम आदि ।	बजट प्रावधान किए गये।	जिला पंचायत को स्थानांतरित अमला जिला पंचायत के लिये जिम्मेदार होंगें।	पशुपालन	पशु चिकित्सालयों, सचल पशु औषधालयों, और पशुधन सेवाओं की स्थापना, और प्रबंधन रखरखाव, मवेशियों, मुर्गीपालन और अन्य पशुधन की नश्लों में सुधार, डेयरी, पोल्ट्री और सुअर पालन को प्रोत्साहन और विकास, पशुधन/मवेशियों के लिये महामारी और संक्रामक रोगों की रोकथाम आदि ।	अपरिवर्तित	अपरिवर्तित	कार्य, अमला एवं निधियाँ पशु चिकित्सा विभाग के पास है। स्थानान्तरित नहीं हुआ ।
5	ईधन और चारा।	आवश्यकतानुसार चारे की व्यवस्था एवं प्रबंधन।	कोई कार्य, अमला एवं निधियां हस्तांतरित नहीं की गयी।			आवश्यकतानुसार चारे की व्यवस्था एवं प्रबंधन।	कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।		

स. क्र.	कार्य/गतिविधियां जो हस्तांतरित की जानी थी	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की जानी थी			विभाग	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की गई			वर्तमान स्थिति
		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला	
6	मत्स्य क्षेत्र	जलाशयों का विकास एवं प्रबंधन, तालाबों में मत्स्य विकास के लिए 10 हेक्टेयर से 2,000 हेक्टेयर तक, पट्टा अनुदान, मत्स्य सहकारी समितियों को ऋण और अनुदान का अनुमोदन, पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों, मछुआरों को वित्तीय सहायता/ऋण, अनुसूचित जाति /जनजातियों के मछुआरों को प्रथम तीन वर्ष हेतु मतस्य पालन के लिये मत्स्य बीज, मछली पकडने के उपकरण आदि की खरीद के लिए, योजनाओं का प्रशासनिक, पर्यवेक्षण का अधिकार और लाभार्थियों का चयन और अनुमोदन।	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित योजनाओं से संबंधित निधियों का उपयोग जिला पंचायतों के निर्देशन में किया जाएगा।		मत्स्य पालन	10 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर तक के पट्टे पर तालाबों में मछली पालन का विकास, प्रबंधन और अनुदान और लाभर्थियों का चयन एवं अनुमोदन।	स्थिति 1998 के समान।	स्थिति 1998 के समान।	पंचायती राज संस्था हेतु केवल छोटे तालाब।
7	सामाजिक वनोद्योग और फार्म वनोद्योग।	कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना, ग्राम सभा के नियंत्रणाधीन वन/ग्राम	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित योजना से		वन	कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना, ग्राम सभा के नियंत्रणाधीन वन/ग्राम			समस्त शक्तियाँ वन विभाग के पास है।

स. क्र.	कार्य/गतिविधियां जो हस्तांतरित की जानी थी	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की जानी थी			विभाग	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की गई			वर्तमान स्थिति
		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला	
8	लघु वन उत्पाद।	प्रबंधन समिति ग्राम सभा द्वारा संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से गांव की सामान्य आवश्यकताओं के लिए वनों के उपयोग की योजना बनाने के लिए वनों का संरक्षण। वनों का संरक्षण पर्यावरण में सुधार और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाना तथा कृषि वानिकी, गैर-राष्ट्रीयकृत औषधीय पौधों और सामाजिक वानिकी का विकास संरक्षण एवं नियंत्रण,	संबंधित बजट।			प्रबंधन समिति ग्राम सभा द्वारा संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से गांव की सामान्य आवश्यकताओं के लिए वनों के उपयोग की योजना बनाने के लिए वनों का संरक्षण। वनों का संरक्षण पर्यावरण में सुधार और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाना तथा कृषि वानिकी, गैर-राष्ट्रीयकृत औषधीय पौधों और सामाजिक वानिकी का विकास संरक्षण एवं नियंत्रण,			स्थानान्तरित नही हुयी।
9	लघु उद्योग, जिनके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है।	ग्राम सभा के साथ परामर्श कर बडे मध्यम एवं प्रदूषणकारी उद्योगों में वृक्षारोपण।			वाणिज्य एवं उद्योग	ग्राम सभा के साथ परामर्श कर बडे, मध्यम एवं प्रदूषणकारी उद्योगों में वृक्षारोपण।			पीआरडीडी की नस्तियों में स्थिति स्पष्ट नहीं है। हमने विभाग से जानकारी मांगी है।
10	खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग ।	जिले में ग्रामोद्योगों की योजना बनाने, वार्षिक कार्य योजना तैयार करने और बहुआयामी विकास करने, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से	निरंक	जिला पंचायत के अंतर्गत जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, जनपद पंचायत के अंतर्गत	ग्रामीण उद्योग	जिले में ग्रामोद्योगों की योजना बनाने, वार्षिक कार्य योजना तैयार करने और बहुआयामी विकास करने, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से	स्थिति 1998 के समान।	स्थिति 1998 के समान।	

स. क्र.	कार्य/गतिविधियां जो हस्तांतरित की जानी थी	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की जानी थी			विभाग	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की गई			वर्तमान स्थिति
		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला	
		ग्रामोद्योगों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जिला पंचायत की है। विभिन्न ग्राम एवं खादी, हस्तशिल्प, चमड़ा उद्योग/बोर्ड एवं निगम आदि के साथ समन्वय कर ग्रामोद्योगों के लिए संपर्क की व्यवस्था करना तथा ब्लॉकवार एवं सूक्ष्म वाटरशेड वार ग्रामोद्योगों की प्रभावी आयोजना एवं विकास करना।		लिपिक एवं ग्राम उद्योग विस्तार अधिकारी।.		ग्रामोद्योगों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जिला पंचायत की है। विभिन्न ग्राम एवं खादी, हस्तशिल्प, चमड़ा उद्योग/बोर्ड एवं निगम आदि के साथ समन्वय कर ग्रामोद्योगों के लिए संपर्क की व्यवस्था करना तथा ब्लॉकवार एवं सूक्ष्म वाटरशेडवार ग्रामोद्योगों की प्रभावी आयोजना एवं विकास करना।			
11	ग्रामीण आवासन।	विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन, अनुमोदन, स्वीकृति, आवास, सड़क, पुलिया और पुल परियोजनाओं का निष्पादन, विभिन्न योजनाओं के तहत आवास, सड़क, पुलिया एवं पुलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत	भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन का हिस्सा।	जिला स्तरीय अमला, एडीईओ, डीईओ, डीआरडीए अमले का जिला पंचायतों में विलय।	ग्रामीण विकास	विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन, अनुमोदन, स्वीकृति, आवास, सड़क, पुलिया और पुल परियोजनाओं का निष्पादन, विभिन्न योजनाओं के तहत आवास, सड़क, पुलिया एवं पुलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत			पंचायती राज संस्थान ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य सौंपे गये।
12	सड़क, पुलिया, पुल घाट, जल मार्ग तथा संचार के अन्य साधन।								

स. क्र.	कार्य/गतिविधियां जो हस्तांतरित की जानी थी	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की जानी थी			विभाग	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की गई			वर्तमान स्थिति
		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला	
		समस्त कार्यों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करना।.				समस्त कार्यों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करना।			
13	गरीबी उपशमन कार्यक्रम।	पीआरडी स्तर पर कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुयी ।				पीआरडी स्तर पर कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुयी ।			
14	समुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण ।	इस संबंध में आदेश जारी किया गया । तथापि, सामुदायिक परिसम्पत्तियों के रखरखाव के संबंध में किसी भी स्तर पर कोई अभिलेख नहीं पाया गया।				इस संबंध में आदेश जारी किया गया । तथापि, सामुदायिक परिसम्पत्तियों के रखरखाव के संबंध में किसी भी स्तर पर कोई अभिलेख नहीं पाया गया।			
15	पेयजल।	ग्रामीण जल प्रदाय एवं हैण्डपंप प्रचालन/अनुरक्षण, विभागीय कार्यों का पर्यवेक्षण, ग्राम सभा के अधीन लाभर्थियों/उपभोक्ताओं की समिति द्वारा संचालन/ अनुरक्षण, ग्राम सभा के अनुमोदन एवं अनुदान प्रदान करने के आधार पर लाभार्थियों का चयन, योजना के क्रियान्वयन के लिये एजेंसी का चयन, स्कूलों में स्वच्छ शौचालय कार्यों का नियंत्रण तथा हैण्डपम्पों के रख-रखाव के लिये बजट पीएचई विभाग को उपलब्ध	हैण्ड पंम्प से संबंधित धनराशियां।	हैण्ड पम्प के संचालन से संबंधित अमला।	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	ग्रामीण जल प्रदाय एवं हैण्डपंप प्रचालन/अनुरक्षण, विभागीय कार्यों का पर्यवेक्षण, ग्राम सभा के अधीन लाभर्थियों/उपभोक्ताओं की समिति द्वारा संचालन/ अनुरक्षण, ग्राम सभा के अनुमोदन एवं अनुदान प्रदान करने के आधार पर लाभार्थियों का चयन, योजना के क्रियान्वयन के लिये एजेंसी का चयन, स्कूलों में स्वच्छ शौचालय कार्यों का नियंत्रण तथा हैण्डपम्पों के रख-रखाव के लिये बजट पीएचई विभाग	हैण्ड पंम्प से संबंधित धनराशियां।	हैण्ड पम्प के संचालन से संबंधित अमला।	मार्च 2007 में पीएचई द्वारा समस्त शक्तियां वापिस ले ली गई। हस्तांतरण रद्द कर दिया गया।

स. क्र.	कार्य/गतिविधियां जो हस्तांतरित की जानी थी	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की जानी थी			विभाग	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की गई			वर्तमान स्थिति
		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला	
		कराया गया था (अक्टूबर,1996)।				को उपलब्ध कराया गया था (अक्टूबर,1996)।			
16	ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण भी है।	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा की योजना, वितरण, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, ऊर्जा की बचत, विकास और गैर-पारंपरिक ऊर्जा को प्रोत्साहित करने पर सहायता अनुदान, ऊर्जा नीति तैयार करना, विद्युत उपकरणों की स्थापना के लिए भूमि की पहचान करना। और इसके आवंटन में मदद करने, सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश प्रदान करने और इसके रखरखाव, लाभार्थियों को गैर पारम्परिक स्रोतों से संबंधित उपकरणों की स्थापना के स्थान का चयन करने, लाभार्थियों के प्रशिक्षण को व्यवस्थित करने के लिए, बिजली की बर्बादी को रोकने के लिए और गैर-पारंपरिक			ग्रामीण विद्युतीकरण एवं ऊर्जा	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा की योजना, वितरण, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, ऊर्जा की बचत, विकास और गैर-पारंपरिक ऊर्जा को प्रोत्साहित करने पर सहायता अनुदान, ऊर्जा नीति तैयार करना, विद्युत उपकरणों की स्थापना के लिए भूमि की पहचान करना। और इसके आवंटन में मदद करने, सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश प्रदान करने और इसके रखरखाव, लाभार्थियों को गैर पारम्परिक स्रोतों से संबंधित उपकरणों की स्थापना के स्थान का चयन करने, लाभार्थियों के प्रशिक्षण को व्यवस्थित करने के लिए, बिजली की बर्बादी को रोकने के लिए और गैर-पारंपरिक			विभाग से जानकारी मांगी गई।
17	गैर पारंपरिक उर्जा स्त्रोत।								

स. क्र.	कार्य/गतिविधियां जो हस्तांतरित की जानी थी	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की जानी थी			विभाग	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की गई			वर्तमान स्थिति
		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला	
		ऊर्जा स्रोतों का उत्पादन/निगरानी।				ऊर्जा स्रोतों का उत्पादन/निगरानी।			
18	शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है।	प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, प्रबंधन एवं संचालन 15.00 लाख तक की परिलब्धियों वाले विद्यालय भवनों का निर्माण, अनुरक्षण एवं रखरखाव, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, पेयजल एवं शौचालय निर्माण की व्यवस्था, शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, नियमित शिक्षण एवं छात्र-छात्राओं की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना, प्रगति की समीक्षा एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चत करना। ग्राम पुस्तकालय की व्यवस्था, स्कूल कर्मचारियों के अनुशासित अधिकार के	स्थानान्तरित योजनाओं एवं शिक्षाकर्मियों के मानदेय से संबंधित बजट।	स्कूल एवं उनसे संबंधित योजनाओं के अमले को पंचायतों को सौंपा गया।	स्कूल शिक्षा	प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, प्रबंधन एवं संचालन 15.00 लाख तक की परिलब्धियों वाले विद्यालय भवनों का निर्माण, अनुरक्षण एवं रखरखाव, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, पेयजल एवं शौचालय निर्माण की व्यवस्था, शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, नियमित शिक्षण एवं छात्र-छात्राओं की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना, प्रगति की समीक्षा एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चत करना। ग्राम पुस्तकालय की व्यवस्था, स्कूल कर्मचारियों के अनुशासित अधिकार के रूप	स्थिति 1998 के समान।	स्थिति 1998 के समान।	जांच परीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी स्कूल को पंचातीराज संस्थाओं में स्थानान्तरित किए नहीं किया गया । पंचायत कर्मी नियम 2008 के तहत तैनात शिक्षकों को 2018 की अधिसूचना द्वारा शिक्षा विभाग में विलय किया गया।

स. क्र.	कार्य/गतिविधियां जो हस्तांतरित की जानी थी	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की जानी थी			विभाग	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की गई			वर्तमान स्थिति
		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला	
		रूप में कार्यकारी नियंत्रण एवं शिक्षा उपकर की वसूली।				में कार्यकारी नियंत्रण एवं शिक्षा उपकर की वसूली।			
19	प्रौढ और अनौपचारिक शिक्षा।	अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम।	इस संबंध में पीआरडी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी।			अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम।	इस संबंध में पीआरडी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी।		
20	पुस्तकालय	कृत्रिम अंग/उपकरण के वितरण के लिये विकलांगों के शिविर का आयोजन, विकलांगों की पहचान के लिये सर्वेक्षण, वृद्धाश्रम के संचालन, शराब का निषेध, ग्रामीण पुस्तकालय और वाचनालय का अधीक्षण, गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान का अनुमोदन और इन संगठनों का निरीक्षण, विकलांग छात्रवृत्ति, ग्रामीण पुस्तकालय का संचालन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनाओं के लाभर्थियों का चयन और अनुदान का भुगतान।	पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के लिये बजट अंतरित।	उप-संचालक, पंचायत, अति.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिले के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी।	सामाजिक न्याय	कृत्रिम अंग/उपकरण के वितरण के लिये विकलांगों के शिविर का आयोजन, विकलांगों की पहचान के लिये सर्वेक्षण, वृद्धाश्रम के संचालन, शराब का निषेध, ग्रामीण पुस्तकालय और वाचनालय का अधीक्षण, गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान का अनुमोदन और इन संगठनों का निरीक्षण, विकलांग छात्रवृत्ति, ग्रामीण पुस्तकालय का संचालन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनाओं के लाभर्थियों का चयन और अनुदान का भुगतान।	स्थिति 1998 के समान।	स्थिति 1998 के समान।	विभाग से जानकारी मांगी गयी।
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप ।								
22	समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है।								

स. क्र.	कार्य/गतिविधियां जो हस्तांतरित की जानी थी	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की जानी थी			विभाग	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की गई			वर्तमान स्थिति
		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला	
23	बाजार और मेले	इस संबंध में पीआरडी द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गयी।			पंचायत	इस संबंध में पीआरडी द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गयी।			पंचायत
24	स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अन्तर्गत अस्पताल प्राथमिक सवास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी है।	ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएसची) एवं औषधालयों का निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण तथा ग्रामीण क्षेत्रों के पीएचसी और औषधालययों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी स्तर के अमले पर प्रशासनिक नियंत्रण।	शून्य	जिला पंचायत अंतर्गत स्थानांतरित औषधालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी अमला तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औषघालयों में संविदा आधार पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को भरना।	चिकित्सा शिक्षा	ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएसची) एवं औषधालयों का निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण तथा ग्रामीण क्षेत्रों के पीएचसी और औषधालययों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी स्तर के अमले पर प्रशासनिक नियंत्रण।	शून्य	स्थिति 1998 के समान।	विभाग से जानकारी मांगी गयी।
25	परिवार कल्याण	जिला पंचायतों द्वारा जनपद पंचायत/ग्राम पंचायतों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एचएससी की गतिविधियों का प्रबंधन, प्रचालन एवं निगरानी, जिलों में रोगों की रोकथाम, पंचायतों में संस्थाओं के भवनों एवं उपकरणों का रख-	औषधियों के क्रय एवं भवनों के रखरखाव के लिए बजट पंचायतों को हस्तांतरित किया गया। पंचायत (अक्टूबर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और राष्ट्रीय कार्यक्रम से संबंधित अधिकारी, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी से संबंधित कर्मचारी और सीएचसी/पीएचसी	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	जिला पंचायतों द्वारा जनपद पंचायत/ग्राम पंचायतों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एचएससी की गतिविधियों का प्रबंधन, प्रचालन एवं निगरानी, जिलों में रोगों की रोकथाम, पंचायतों में संस्थाओं के	स्थिति 1998 के समान।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और राष्ट्रीय कार्यक्रम से संबंधित अधिकारी, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी से	जांच परीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा में देखा गया कि कोई भी पीएचसी/सीएचसी/एचएससी पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं की गयी।

स. क्र.	कार्य/गतिविधियां जो हस्तांतरित की जानी थी	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की जानी थी			विभाग	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की गई			वर्तमान स्थिति
		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला	
		रखाव, राज्य समिति की दर संविदाओं के आधार पर औषधियों की खरीद, सामुदायिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन दाई एवं लोक स्वास्थ्य रक्षक के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिये चयन, टीकाकरण शिविरों से संबधित प्रचार, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमो का पर्यवेक्षण एवं समन्वय, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चार आवश्यक पंजीकरण सुनिश्चित करना, टीकाकरण एवं परिवार नियोजन हेतु जागरूकता, परिवार कल्याण एवं परिवार नियोजन की सेवाओं की निगरानी, एवं पर्यवेक्षण करना और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और बाल रोग से संबंधित शिविरों के आयोजन में सहायता करना।	2006 तक) (पी/218)	में तैनात कर्मचारी जिला पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगें। जिले के भीतर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के हस्तांतरण की शक्ति जिला पंचायत को प्रत्यायोजित की गयी थी।		भवनों एवं उपकरणों का रख-रखाव, राज्य समिति की दर संविदाओं के आधार पर औषधियों की खरीद, सामुदायिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन दाई एवं लोक स्वास्थ्य रक्षक के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिये चयन, टीकाकरण शिविरों से संबधित प्रचार, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमो का पर्यवेक्षण एवं समन्वय, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चार आवश्यक पंजीकरण सुनिश्चित करना, टीकाकरण एवं परिवार नियोजन हेतु जागरूकता, परिवार कल्याण एवं परिवार नियोजन की सेवाओं की निगरानी, एवं पर्यवेक्षण करना और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और बाल रोग से संबंधित शिविरों के आयोजन में सहायता करना।		संबंधित कर्मचारी और सीएचसी/पीएचसी में तैनात कर्मचारी जिला पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगें। जिले के भीतर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के हस्तांतरण की शक्ति जिला पंचायत को प्रत्यायोजित की गयी थी।	एनआरएचएम के कर्मचारियों के साथ, एनआरएचएम के तहत टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था।

स. क्र.	कार्य/गतिविधियां जो हस्तांतरित की जानी थी	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की जानी थी			विभाग	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की गई			वर्तमान स्थिति
		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला	
26	महिला एवं बाल विकास।	पर्यवेक्षक एवं सहायक बाल विकास विस्तार अधिकारी, अनाथ बच्चों को पारिवारिक वातावरण की सहूलियत, जिला पंचायत नियुक्ति एवं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, का प्रशासनिक नियंत्रण, पोषण आहार की व्यवस्था, राष्ट्रीय प्रसूति योजना के तहत हितग्राहियों का चयन एवं क्रियान्वयन, महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने की योजना।		आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ सहायक	महिला एवं बाल विकास	पर्यवेक्षक एवं सहायक बाल विकास विस्तार अधिकारी, अनाथ बच्चों को पारिवारिक वातावरण की सहूलियत, जिला पंचायत नियुक्ति एवं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, का प्रशासनिक नियंत्रण, पोषण आहार की व्यवस्था, राष्ट्रीय प्रसूति योजना के तहत हितग्राहियों का चयन एवं क्रियान्वयन, महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने की योजना।		आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ सहायक	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायक और सहायक विकास अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश एफ-3-2/06/50-2 दिनांक 10/07/2007 के तहत रद्द कर दिये गए।
27	दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।	आदिवासी अंचलों के विद्यालयों की व्यवस्था, प्रबंधन एवं संचालन, क्रय, शिक्षा सामग्री की आपूर्ति, निःशुल्क पुस्तकों, गणवेश एवं छात्रवृत्तियों का वितरण, मध्याहनन भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन और शिक्षाकर्मियों के मानदेय के लिये आवंटन।	पीआरडीडी को सौंपे गए कार्यों से संबंधित बजट।	आदिवासी ब्लाकों में कार्य करने वाले समस्त अधिकारी एवं पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन शिक्षाकर्मियों की श्रेणी-1, 2, एवं 3 की नियुक्ति।	आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण	आदिवासी अंचलों के विद्यालयों की व्यवस्था, प्रबंधन एवं संचालन, क्रय, शिक्षा सामग्री की आपूर्ति, निःशुल्क पुस्तकों, गणवेश एवं छात्रवृत्तियों का वितरण, मध्याहनन भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन और शिक्षाकर्मियों के मानदेय के लिये आवंटन।	कार्य, अमला एवं निधियां पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तांतरित की गई।		समस्त शक्तियां पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दी गई।

स. क्र.	कार्य/गतिविधियां जो हस्तांतरित की जानी थी	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की जानी थी			विभाग	गतिविधियां/अमला/निधियां जो हस्तांतरित की गई			वर्तमान स्थिति
		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला		कार्यो /गतिविधियां	निधियां	अमला	
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली।	ग्राम पंचायत स्तर पर राशन कार्ड से संबंधित अभिलेखों को तैयार करना, वितरण एवं रखरखाव और खाद्य निधि की स्थापना एवं रखरखाव।	शून्य	शून्य	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग	ग्राम पंचायत स्तर पर राशन कार्ड से संबंधित अभिलेखों को तैयार करना, वितरण एवं रखरखाव और खाद्य निधि की स्थापना एवं रखरखाव।	शून्य	शून्य	जैसा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ऑनलाईन प्रणाली शुरू हुई, मार्च 2014 से पंचायत को प्रत्यायोजित समस्त शक्तियां वापस ले ली गई। हस्तांतरण रद्द कर किया गया।
29	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा	किसी भी प्रकार के कार्य/गतिविधियों को हस्तांतरित करने का नहीं लिया गया था।	शून्य	शून्य	जन शक्ति नियोजन एवं तकनीकी शिक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	समस्त शक्तियां विभाग के पास है। हस्तांतरित नहीं हुई है।

(स्त्रोतः विभागीय आदेश एवं अभिलेख)

परिशिष्ट-2.1.3(ii)

(संदर्भ: कण्डिका 2.1.7.3, पृष्ठ संख्या 26)

मार्च *2021* तक कार्यों/गतिविधियों, अमले एवं निधियों के हस्तांतरण की स्थिति का विवरण

स. क्र.	कार्य/क्रियाकलाप हस्तांतरित किया जाना था।	विभाग	क्रियाकलाप/अमला /निधियाँ हस्तांतरित किया जाना था।			आदेश संख्या एवं दिनांक	टिप्पणियां
			कार्य/क्रियाकलाप	धन	अमला		
	गतिविधियां संबंधित विभाग द्वारा वापस ली गयी।						
1	सार्वजनिक वितरण प्रणाली।	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग	ग्राम पंचायत स्तर पर राशन कार्ड तैयार करना, वितरण एवं रखरखाव।	शून्य	शून्य		पंचायतों को दी गई समस्त शक्तियां मार्च 2014 से वापस ले लिया गया। हस्तांतरण रद्द कर दिया गया।
2	पेयजल	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पीएचई विभाग को ग्रामीण जल आपूर्ति और हैण्डपंप संचालन तथा हैण्डपंपों का रखरखाव प्रदाय किया गया।	हैण्डपंप से संबंधित धनराशि।	हैण्डपंप संचालन से संबंधित अमला।		मार्च 2007 में पीएचई द्वारा समस्त शक्तियां वापस ले ली गई। हस्तांतरण रद्द कर दिया गया।
3	भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण	राजस्व	धारा-110 (नामांकन),128 (सीमांकन का पर्यवेक्षण), 130 (हानिकारक सीमांकन) नामांकन, 178 (निर्विवाद विभाजन) के संबंध में तहसीलदार की शक्तियों का प्रत्यायोजन, कोटवार की नियुक्ति के लिये शिफारिश	कोई धनराशि हस्तांतरित नही की गयी।	किसी भी अमले का हस्तांतरण नहीं किया गया		6 सितंबर, 2004 के आदेश के तहत शक्तियां वापस ले ली गई। हस्तांतरण रद्द कर दिया गया।

स. क्र.	कार्य/क्रियाकलाप हस्तांतरित किया जाना था।	विभाग	क्रियाकलाप/अमला /निधियाँ हस्तांतरित किया जाना था।			आदेश संख्या एवं दिनांक	टिप्पणियां
			कार्य/क्रियाकलाप	धन	अमला		
4	महिला एवं बाल विकास।	महिला एवं बाल विकास।	जिला पंचायत द्वारा पर्यवेक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायको, की नियुक्ति एवं प्रशासनिक नियंत्रण।	शून्य	आंगनवाडी कार्यकर्ता/ सहायिकाएं		आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों और सहायक विकास अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश एफ **3-2/06/50-2** दिनांक **10.07.2007** के तहत रद् कर दिये गये।
	कार्य पूर्व से ही विभाग के पास (हस्तांतरित नहीं)						
5	सामाजिक वनोद्योग और फार्म वनोद्योग।	वन	कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना, वन संवर्धन/ग्राम सभा द्वारा वनों का संरक्षण।	शून्य	कोई अमला हस्तांतरित नहीं हुआ।		कोई शक्ति हस्तांतरित नहीं हुयी।
6	लघु वन उत्पाद।		ग्रामीणों की सामान्य आवश्यकताओं के लिये जंगलों के उपयोग के लिए योजना बनाना, वनों का संरक्षण।				
7	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	कोई भी कार्य/गतिधियों को हस्तांतरित करने का निर्णय नहीं लिया गया था।	शून्य	शून्य		कोई कार्य, अमला और निधियां हस्तांतरित नहीं की गई।

स. क्र.	कार्य/क्रियाकलाप हस्तांतरित किया जाना था।	विभाग	क्रियाकलाप/अमला /निधियाँ हस्तांतरित किया जाना था।			आदेश संख्या एवं दिनांक	टिप्पणियां
			कार्य/क्रियाकलाप	धन	अमला		
8	लघु सिंचाई, जन प्रबंधन और जल-आच्छादन विकास।	जल संसाधन	ग्राम उद्योगों की व्यवस्था, का अधिकार एवं जिम्मेदारी, कर लगाना, जल का संरक्षण एवं संधारण, तालाबों एवं कुओं का गहरीकरण।	निधियां हस्तांतरित नहीं की गई।	कोई अमला हस्तांतरित नहीं हुआ।		कोई कार्य , अमला और निधियां हस्तांतरित नहीं की गई।
	कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया।						
9	कृषि, जिसके अंन्तर्गत कृषि विस्तार भी है।	कृषि	कृषि उत्पादन का संवर्धन एवं विकास, कृषि मेलों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन, कृषि उपकरणों, उर्वरकों, बीजों, कीटनाशकों का वितरण और उनकी गुणवत्ता नियंत्रण, लाभार्थियों का चयन एवं अनुमोदन, सबसे छोटी सिंचाई योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव।	पंचायती राज संस्थाओं की अनुशंसा पर विभागीय अधिकारियों द्वारा निधियों का उपयोग किया गया।	समस्त अमला इन कार्यों में संलग्न था।		परीक्षण जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि कार्य, अमला एवं निधियां विभाग के पास है। स्थानांतरित नहीं हुये है।
10	पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन।	पशुपालन	पशु चिकित्सालयों, सचल पशु औषधालयों की स्थापना और प्रबंधन/रखरखाव	बजट प्रावधान किये गए।	अमले को जिला पंचायत में हस्तांतरित कर दिया गया।		विभाग ने (मार्च-2020) जबाव दिया कि कार्य, अमले एवं निधियों के

स. क्र.	कार्य/क्रियाकलाप हस्तांतरित किया जाना था।	विभाग	क्रियाकलाप/अमला /निधियाँ हस्तांतरित किया जाना था।			आदेश संख्या एवं दिनांक	टिप्पणियां
			कार्य/क्रियाकलाप	धन	अमला		
			तथा मवेशियों, कुक्कुटों और अन्य पशुधन की नस्लों में सुधार।				हस्तांतरण का प्रस्ताव फरवरी 2020 में राज्य शासन को भेजा गया था।
11	ईधन और चारा ।		आवश्यकतानुसार चारे की व्यवस्था एवं प्रबंधन।				कोई कार्य, अमला और निधियां हस्तांतरित नहीं की गई।
12	परिवार कल्याण	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	जिला पंचायतों द्वारा जनपद पंचायत/ग्राम पंचायतों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एचएससी की गतिविधियों का प्रबंधन, प्रचालन एवं निगरानी, जिलों में रोगों की रोकथाम, औषधियों की खरीद, . टीकाकरण शिविरों से संबंधित प्रचार, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमो का पर्यवेक्षण एवं समन्वय, स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पंजीकरण सुनिश्चित करना, टीकाकरण एवं परिवार नियोजन हेतु जागरूकता,	औषधियों की खरीद और भवनों के रखरखाव के लिए बजट पंचायतों को हस्तांतरित किया गया।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी से संबंधित अमला तथा सीएचसी/पीएचसी में तैनात अमला जिला पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगें।		कोई भी पीएचसी/ सीएचसी/एचएससी पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं की गयी। एनआरएचएम के कर्मचारियों के साथ, एनआरएचएम के तहत टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था।
13	शिक्षा, जिसके अन्तर्गत	स्कूल शिक्षा	प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक	हस्तांतरित योजनाओं एवं शिक्षाकर्मियों	योजनाओं एवं स्कूलों से संबंधित अमला		पंचायती राज संस्थाओं को कोई भी

स. क्र.	कार्य/क्रियाकलाप हस्तांतरित किया जाना था।	विभाग	क्रियाकलाप/अमला /निधियाँ हस्तांतरित किया जाना था।			आदेश संख्या एवं दिनांक	टिप्पणियां
			कार्य/क्रियाकलाप	धन	अमला		
	प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है।		विद्यालयों की स्थापना, प्रबंधन एवं संचालन, स्कूल भवनों का निर्माण, रखरखाव और योजनाओं का कार्यान्वयन।	के मानदेय से संबंधित बजट।	को पंचायतों को सौंप दिया गया।		विद्यालय हस्तांतरित नहीं हुए, पंचायत कर्मी नियम 2008 के तहत तैनात शिक्षकों को 2018 की अधिसूचना के माध्यम से शिक्षा विभाग में विलय कर दिया गया।
14	प्रौढ और अनौपचारिक शिक्षा।		इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी				
15	लघु उद्योग, जिनके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है।	वाणिज्य एवं उद्योग	ग्राम सभा के साथ परामर्श कर बडे, मध्यम एवं प्रदूषणकारी उद्योगों में वृक्षारोपण।	इस संबंध में पीआरडी के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी			जानकारी विभाग से मांगी गयी।
16	स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अन्तर्गत अस्पताल प्राथमिक सवास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी है।	चिकित्सा शिक्षा	ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) एवं औषधालयों का निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण तथा ग्रामीण क्षेत्रों के पीएचसी और औषधालययों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी स्तर के अमले पर प्रशासनिक नियंत्रण।	शून्य	जिला पंचायत के अंतर्गत हस्तांतरित औषधालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी का अमला		कोई भी सीएचसी/पीएचसी /एसएचसी पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं की गयी।

स. क्र.	कार्य/क्रियाकलाप हस्तांतरित किया जाना था।	विभाग	क्रियाकलाप/अमला /निधियाँ हस्तांतरित किया जाना था।			आदेश संख्या एवं दिनांक	टिप्पणियां
			कार्य/क्रियाकलाप	धन	अमला		
17	ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण भी है।	ग्रामीण विद्युतीकरण एवं ऊर्जा	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा वितरण, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, ऊर्जा बचत विकास पर सहायता अनुदान की योजना।	इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी।			जानकारी विभाग से मांगी गयी।
18	गैर पारंपरिक उर्जा स्त्रोत।		गैर-पारंपरिक स्रोतों की स्थापना का चुनाव करना, सामुदायिक ऊर्जा प्रोत्साहन गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना।				
19	पुस्तकालय	सामाजिक न्याय	ग्रामीण पुस्तकालय का संचालन।	पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित योजनओं के लिए बजट अंतरित।	उप-संचालक, पंचायत, अति.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिले के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी।.		जानकारी विभाग से मांगी गयी।
20	सांस्कृतिक क्रियाकलाप		पीआरडी में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।				
21	समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है।		कृत्रिम अंग/उपकरण के वितरण के लिये विकलांगों के शिविर का आयोजन, विकलांगों की पहचान के लिये सर्वेक्षण, वृद्धाश्रम के संचालन,				
22	खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग ।	ग्रामोद्योग	ग्रामोद्योगों की योजना बनाने, वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने और बहुआयामी विकास	शून्य	पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जिला/ब्लाक ग्रामोद्योग अधिकारी एवं लिपिक।		कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

स. क्र.	कार्य/क्रियाकलाप हस्तांतरित किया जाना था।	विभाग	क्रियाकलाप/अमला /निधियाँ हस्तांतरित किया जाना था।			आदेश संख्या एवं दिनांक	टिप्पणियां
			कार्य/क्रियाकलाप	धन	अमला		
			की जिम्मेदारी जिला पंचायत की है।				
	कार्य पीआरडीडी/पीआरडी दो विभागों के साथ पूर्व से ही थे।						
23	ग्रामीण आवासन।	पीआरडीडी/ पीआरडी (मछली पालन एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग)	लाभार्थियों का चयन, अनुमोदन, स्वीकृति, आवास का निष्पादन और आवास के लिए वितीय सहायता प्रदान करना।	पीआरडीडी के माध्यम से निधियां जारी की गई।	अमला पीआरडीडी के नियंत्रण में था।		--
24	सड़क, पुलिया, पुल घाट, जल मार्ग तथा संचार के अन्य साधन।		विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सडकें, पुलिया एवं पुल परियोजनाये।				
25	गरीबी उपशमन कार्यक्रम।		पीआरडी स्तर पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी।				
26	मत्स्य क्षेत्र		जलाशयों का विकास एवं प्रबंधन, 10 हेक्टेयर के तालाबों में मत्स्य विकास के लिये पट्टा अनुदान ।	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित योजनाओं से संबंधित निधियां।	अमला संबंधित विभाग के साथ।		पट्टा किराया पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा वसूला जा रहा था।
27	बाजार और मेला।		इस संबंध में पीआरडी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी।	इस संबंध में पीआरडी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी।			
28	समुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण ।		इस संबंध में आदेश जारी किया गया। तथापि सामुदायिक सम्पत्तियों के रखरखाव के संबंध में किसी स्तर पर कोई भी अभिलेख नहीं पाया गया।				
29	दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया अनुसूचित जातियो और अनुसूचित		आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों की व्यवस्था प्रबंधन एवं संचालन, शिक्षा सामग्री का क्रय एवं आपूर्ति,	पीआरडीडी को सौंपे गये कार्यों से संबधित बजट।	जनजातीय ब्लाकों में एवं पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत		समस्त शक्तियां पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दी गयी।

स. क्र.	कार्य/क्रियाकलाप हस्तांतरित किया जाना था।	विभाग	क्रियाकलाप/अमला /निधियाँ हस्तांतरित किया जाना था।			आदेश संख्या एवं दिनांक	टिप्पणियां
			कार्य/क्रियाकलाप	धन	अमला		
	जनजातियो का कल्याण।		निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, छात्रवृत्ति एवं गणवेश का वितरण।		प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारी।		

(स्त्रोतः विभागीय आदेश एवं अभिलेख)

परिशिष्ट-2.1.4

(संदर्भः कण्डिका 2.1.8.4 पृष्ठ संख्या 39)

आयोजित जि.यो.स. बैठकों और उसमें कमी का विवरण

स.क्र.	जिला आयोजित बैठकों का विवरण	वर्ष	आयोजित बैठकों का विवरण		कमी
			आयोजित होने वाली	कुल आयोजित बैठकें	
01	अशोकनगर	2016-17	4	0	4
		2017-18	4	1	3
		2018-19	4	1	3
		2019-20	4	1	3
		2020-21	4	0	4
2	बैतूल	2016-17	4	3	1
		2017-18	4	3	1
		2018-19	4	1	3
		2019-20	4	1	3
		2020-21	4	0	4
3	छिन्दवाड़ा	2016-17	4	3	1
		2017-18	4	4	0
		2018-19	4	2	2
		2019-20	4	0	4
		2020-21	4	0	4
4	खरगौन	2016-17	4	4	0
		2017-18	4	0	4
		2018-19	4	2	2
		2019-20	4	2	2
		2020-21	4	0	4
5	मुरैना	2016-17	4	4	0
		2017-18	4	3	1
		2018-19	4	2	2
		2019-20	4	2	2
		2020-21	4	0	4
6	पन्ना	2016-17	4	3	1
		2017-18	4	2	2
		2018-19	4	1	3
		2019-20	4	2	2
		2020-21	4	0	4
		2016-17	4	3	1

7	रीवा	2017-18	4	4	0
		2018-19	4	0	4
		2019-20	4	1	3
		2020-21	4	0	4
8	सीहोर	2016-17	4	3	1
		2017-18	4	1	3
		2018-19	4	0	4
		2019-20	4	2	2
		2020-21	4	0	4
9	शहडोल	2016-17	4	1	3
		2017-18	4	1	3
		2018-19	4	2	2
		2019-20	4	1	3
		2020-21	4	0	4
10	उज्जैन	2016-17	4	0	4
		2017-18	4	2	2
		2018-19	4	2	2

(स्रोतः चयनित जिलों के कलेक्टर कार्यालय में जि.यो.स. प्रकोष्ठों का अभिलेख)

परिशिष्ट-2.1.5

(संदर्भः कडिण्का 2.1.9.2 पृष्ठ संख्या 48)

अनुदान संख्या 53 के अंतर्गत बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) के मुख्य शीर्ष, योजना शीर्ष का वर्षवार आवंटन के विवरण की सूची

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	नाम और बीसीओ कोड	मुख्य शीर्ष(मु.शी.) और योजना कोड(यो.को.)			वर्षवार आवंटन				
		मु.शी.	यो.को.	योजना का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	संचालक पंचायत (2203)	2515	647	ग्राम स्वराज अभियान	18.67	38.79	104.65	168.37	100.37
			1213	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	30.80	10.50	10.50	0.00	0.00
			1221	14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान	2292.46	2642.4	3050.41	4449.11	996.00
			2024	एमपी स्टेट टेक ई-पंचायत सोसायटी	0.24	0	0.00	0.00	0.00
			5463	युवा शक्ति योजना	.	.	.	3.00	0.00
			6098	पंचायत भवन निर्माण अनुदान	10	15.10	15.10	13.73	0.00
			6226	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विशेष क्षेत्रों के लिए	0.00	0	0.00	-.	-.

स.क्र.	नाम और बीसीओ कोड	मुख्य शीर्ष(मु.शी.) और योजना कोड(यो.को.)			वर्षवार आवंटन				
		मु.शी.	यो.को.	योजना का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
				स्थानीय निकायों को अनुदान					
			6244	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान	0	0	0.00	-.	-.
			7375	राजीव गांधी पंचायत शक्तिकरण अभियान	0	-	-	-	-
			8391	त्रि-स्तरीय पुरस्कार	0	0	0.00	0.00	0.00
			8392	जिला पंच सम्मेलन	0.20	0.20	0.20	0.18	0.00
			8393	पंचायत गजट	0.90	0.99	0.99	0.90	0.89
			8775	प्रशासनिक योजना जिला स्तरीय	80	80	50.00	90.00	60.00
			8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	0	-	-	-	-
			8816	ग्राम सभाओं का सुदृढ़ीकरण और सामाजिक अंकेक्षण	0.63	1	1.00	0.91	0.87
			9638	15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर	-	-	-	-	2988.00

स.क्र.	नाम और बीसीओ कोड	मुख्य शीर्ष(मु.शी.) और योजना कोड(यो.को.)			वर्षवार आवंटन				
		मु.शी.	यो.को.	योजना का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
				स्थानीय निकायों को अनुदान					
			9249	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना	0	-	-	-	-
		2853	6299	पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को गौण खनिज रॉयल्टी हस्तांतरण	340.43	340.44	548.38	730.05	597.38
		3604	4610	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के एवज में अनुदान	744.43	466.13	728.09	691.00	200.00
			5847	सामान्य प्रयोजनों के लिये जिला पंचायतों को अनुदान	6.25	5	5.00	5.00	5.00
			6086	राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की सिफारिश के आधार पर बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के लिए अनुदान	6.25	11.81	11.81	10.00	10.00
			6087	राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की सिफारिश	10	10	9.35	10.00	10.00

स.क्र.	नाम और बीसीओ कोड	मुख्य शीर्ष(मु.शी.) और योजना कोड(यो.को.)			वर्षवार आवंटन				
		मु.शी.	यो.को.	योजना का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
				के आधार पर रख-रखाव के लिए अनुदान					
			6093	राज्य वित्त आयोग (एएफसी) की सिफारिश के आधार पर पीने के पानी के लिए बिजली शुल्क के मुआवजे के लिए अनुदान	40.00	40.00	40.00	40.00	35.00
			6107	राज्य वित्त आयोग (एएफसी) की सिफारिश के आधार पर जनपद पंचायतों (ज.प.) को सामान्य उद्देश्यों के लिए अनुदान	25.00	20.00	20.00	20.00	4.00
			6602	स्थानीय निकायों / पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को प्रोत्साहन अनुदान	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			7668	स्थानीय को एकमुश्त अनुदान मूलभूत सुविधाएं	991.87	1127.34	1510.23	1200.00	329.62

स.क्र.	नाम और बीसीओ कोड	मुख्य शीर्ष(मु.शी.) और योजना कोड(यो.को.)			वर्षवार आवंटन				
		मु.शी.	यो.को.	योजना का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
				प्रदान करने के लिए निकाय (राज्य करों में हिस्सा)					
			8209	पंचायत अधिकारियों को मानदेय और सुविधाएं	18.31	18.31	18.31	7.32	7.32
			8214	सचिव स्तर की व्यवस्था	80.00	80.00	440.00	176.00	176.00
		4515	5166	राष्ट्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
	योग				**4697.93**	**4909.51**	**6565.52**	**7616.58**	**5521.46**
2	विकास आयुक्त (5802)	2202	581	सरकारी हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल	-	-	-	-	0.00
			2773	प्राथमिक स्कूल	-	-	-	-	0.00
			3496	माध्यमिक स्कूल	-	-	-	-	0.00
			5216	हाई स्कूल	-	-	-	-	0.00
			9416	ग्रामीण और शहरी निकायों को प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुदान	-	-	-	-	0.00
		2215	5206	निर्मल भारत अभियान	1297.50	2274.24	906.29	350.00	349.93

स.क्र.	नाम और बीसीओ कोड	मुख्य शीर्ष(मु.शी.) और योजना कोड(यो.को.)			वर्षवार आवंटन				
		मु.शी.	यो.को.	योजना का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
		2216	5131	मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना	0.00	3.36	4.00	0.00	0.00
			5198	प्रधानमंत्री आवास योजना	1500.01	7933.28	5523.66	4884.46	5434.83
			6255	मुख्यमंत्री आवास मिशन	0.00	151.00	427.66	119.65	103.65
		2225	494	आश्रम	-	-	-	-	0.00
			1398	सीनियर छात्रावास	-	-	-	-	0.00
			8805	राज्य सरकार- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा एक से आठ तक	-	-	-	-	0.00
			9846	स्काउट गाइड	-	-	-	-	0.00
		2235	75	अंधे, बहरे और गूंगा को स्टाइपेंड	-	-	-	-	0.00
		2501	2372	रेडी-टू-ईट टेक होम राशन कार्यक्रम	-	-	69.70	0.80	0.00
			5127	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (राज्य)	0.07	0.60	0.00	4.13	2.20

स.क्र.	नाम और बीसीओ कोड	मुख्य शीर्ष(मु.शी.) और योजना कोड(यो.को.)			वर्षवार आवंटन				
		मु.शी.	यो.को.	योजना का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
			5484	समन्वित आजीविका कार्यक्रम के तहत जन सहयोग से व्यावसायिक प्रशिक्षण	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
			5770	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास)	100.19	224.73	285.00	285.00	200.00
			6836	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	291.65	343.04	274.02	455.00	455.00
			7264	मुख्यमंत्री शिल्पी योजना	0.00	.	.	.	.
			7466	नीरांचल परियोजना	0.00	1.87	1.03	0.00	0.00
			7571	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	16.75	31.50	31.50	8.00	1.60
			8701	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	0.00	0.00	0.00	-	-
			9464	जल सेवन उपचार/विकास कार्य/गतिविधियाँ	0.00	-	-	-	-
			9856	ग्रामीण पथ व्यवसायी उत्थान योजना	-	-	-	-	5.00

स.क्र.	नाम और बीसीओ कोड	मुख्य शीर्ष(मु.शी.) और योजना कोड(यो.को.)			वर्षवार आवंटन				
		मु.शी.	यो.को.	योजना का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
		2505	6923	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	1920.81	1468.53	2235.19	1643.14	3250.00
		2515	656	रसोई घर योजना	25.97	0.00	1.00	0.00	0.00
			660	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन	57.67	1.25	50.00	24.07	56.25
			1329	मध्याहन भोजन कार्यक्रम के लिए दूध की आपूर्ति	172.06	112.00	110.48	58.98	45.00
			6255	मुख्यमंत्री आवास मिशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6931	मध्याहन भोजन कार्यक्रम	455.62	952.97	845.33	1033.67	1000.67
			7886	मध्याहन भोजन सामग्री परिवहन	22.61	41.50	59.29	50.00	50.00
		4515	6084	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना	-	220.94	-	0.00	-
			6099	मध्याहन भोजन-किचन शेड निर्माण	0.00	0.00	61.18	0.00	0.00
		योग			**5862.90**	**13762.80**	**10885.33**	**8916.90**	**10954.13**
		योग (सरल क्र 1 - सरल क्र . 2)			**10560.83**	**18672.31**	**17450.85**	**16533.48**	**16475.59**

स.क्र.	नाम और बीसीओ कोड	मुख्य शीर्ष(मु.शी.) और योजना कोड(यो.को.)			वर्षवार आवंटन				
		मु.शी.	यो.को.	योजना का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
3	संचालक कृषि (1402)	2702	648	किसानों के लिए सामूहिक उद्यम सिंचाई योजना	0.01	-	-	-	-
			2791	निजी एजेंसियों, ठेकेदारों द्वारा किसानों के खेत में सफल पंप बोरिंग के लिए किसानों को सहायता	.00	11.83	8.53	3.82	3.27
	योग				**0.01**	**11.83**	**8.53**	**3.82**	**3.27**
4	आयुक्त, लोक शिक्षण (2003)	2202	6967	माध्यमिक विद्यालयों का उच्च विद्यालयों में उन्नयन	2.30	12.75	0	0	.
			6968	विद्यालयों का उन्नयन	3.67	5.00	23.31	28.62	4.92
			8403	विद्यालयों में कार्यरत पंचायती राज शिक्षकों एवं संविदा शिक्षकों को वेतन/मानदेय	7822.76	7250.00	8508.61	5545.76	1431.67
			5276	विद्यालय में शिक्षकों/संविदा शिक्षकों के वेतन का अनुदान	-	10.00	0	0	-

स.क्र.	नाम और बीसीओ कोड	मुख्य शीर्ष(मु.शी.) और योजना कोड(यो.को.)			वर्षवार आवंटन				
		मु.शी.	यो.को.	योजना का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
		2225	327	अस्वास्थ्यकर व्यवसायों में कार्यरत माता-पिता के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	-	-	6.40	2.69	0
			5133	विविध छात्रवृत्ति	-	-	111.87	48.71	0
			5902	कक्षा एक से आठ तक छात्रवृत्ति	-	-	0.06	1.89	0
			8805	कक्षा एक से आठ तक छात्रवृत्ति	-	-	22.00	23.1	0
		3604	727	स्कूल शिक्षा विभाग के तहत स्कूलों के लिए उन्नयन विकास रखरखाव	-	0.00	0	0.00	0
	योग				7828.73	7277.755	8672.25	5650.77	1436.59
5	आयुक्त जनजाति विकास (2506)	2202	581	राजकीय उच्च/उच्च माध्यमिक विद्यालय	-	122.70	262.18	0	-
			2773	प्राथमिक विद्यालय	-	612.40	759.17	0	-
			3496	माध्यमिक विद्यालय	-	250.56	453.96	0	-
			5216	हाई स्कूल	-	52.77	71.20	0	-

स.क्र.	नाम और बीसीओ कोड	मुख्य शीर्ष(मु.शी.) और योजना कोड(यो.को.)			वर्षवार आवंटन				
		मु.शी.	यो.को.	योजना का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
			9416	प्राथमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	589.09	717.43	608.99	0	-
		2225	494	आश्रम	-	75.35	72.04	0	-
			1392	छात्रवृत्ति और वजीफा	-	40.00	0.00	0	-
			1398	वरिष्ठ छात्रावास	-	84.08	60.51	0	-
			2949	गणवेश वितरण	-	9.49	6.17	0	0
			3997	छात्र कल्याण	-	0.62	0.50	0	0
			4691	लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन योजना (कक्षा छः)	-	0.00	0.00	.	.
			8805	कक्षा एक से आठ के लिए छात्रवृत्ति	-	18.20	39.99	0	.
			8844	लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन योजना (कक्षा 11)	-	13.90	11.24	0	0
			9818	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालयों की स्थापना	-	3.19	4.00	0	0
			9846	स्काउट गाइड	-	0.86	0.88	0	.

स.क्र.	नाम और बीसीओ कोड	मुख्य शीर्ष(मु.शी.) और योजना कोड(यो.को.)			वर्षवार आवंटन				
		मु.शी.	यो.को.	योजना का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
	योग				**589.09**	**2001.53**	**2350.82**	**0**	**0**
6	संचालक सामाजिक कल्याण (2602)	2235	75	अंधे, बहरे और गूंगा को वजीफा	1.36	6.34	2.87	2.64	2.38
			2245	नशाबंदी कार्यक्रम	3.30	3.60	1.34	1.09	0.40
			5859	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन	21.00	40.44	22.92	44.73	41.14
			5863	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	143.58	298.96	260.09	265.98	249.98
			7084	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	41.50	40.37	28.81	20.74	**16.22**
			8786	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	204.17	350.79	351.04	682.65	684.80
			9142	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	87.42	339.49	323.37	535.62	858.64
	योग				**502.32**	**1080.00**	**990.44**	**1553.45**	**1853.55**
7	मुख्य अभियन्ता लो.स्वा.यां(3402)	2215	2219	नलकूप (हैंडपंप) का रखरखाव	21.36	7.43	0	0	-
			7166	क्षतिग्रस्त नलकूप प्लेटफॉर्म का निर्माण	2.83	2.48	0	0	-

स.क्र.	नाम और बीसीओ कोड	मुख्य शीर्ष(मु.शी.) और योजना कोड(यो.को.)			वर्षवार आवंटन				
		मु.शी.	यो.को.	योजना का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
			8415	ग्रामीण नल जल आपूर्ति योजनाओं के तहत रखरखाव	19.26	4.60	0	0	-
		3604	819	पंचायतों में प्राप्त निधि से पेयजल आपूर्ति का रखरखाव और विकास	0	59.06	131.25	137.81	40.00
			6299	पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को गौण खनिज रॉयल्टी हस्तांतरण	0	0	0	0	0
	योग				43.45	73.57	131.25	137.81	40.00
8	संचालक पशुपालन सेवाएं(3402)	2403	1108	गहन पशु विकास परियोजना	1.56	1.20	1.00	1.75	6.82
			2549	पशु चिकित्सा अस्पताल	7.05	11.20	9.67	11.82	2.36
			2563	पशु चिकित्सालय और क्लीनिक की स्थापना	0.00	2.65	2.35	9.14	5.00
			4082	मत्स्य पालन प्रोत्साहन कार्यक्रम	3.99	3.93	4.15	2.39	0.00
			7112	पोल्ट्री और छोटे जानवरों का प्रजनन	1.90	2.87	2.73	3.10	0.42

स.क्र.	नाम और बीसीओ कोड	मुख्य शीर्ष(मु.शी.) और योजना कोड(यो.को.)			वर्षवार आवंटन				
		मु.शी.	यो.को.	योजना का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
			7149	बड़े जानवरों का प्रजनन	2.50	2.98	2.74	1.06	0.18
	योग				**16.99**	**24.84**	**22.63**	**29.26**	**14.78**
9	संचालक मत्स्य (3602)	2405	3313	मत्स्य विस्तार	0.49	0.81	0.89	0.81	0.77
			4217	विस्तार और प्रशिक्षण	0.75	1.33	1.47	1.33	1.25
			4427	मात्स्यिकी सहकारी समितियों को अनुदान	0.81	1.06	1.17	1.06	0.86
			4970	मात्स्यिकी किसान विकास एजेंसी के लिए अनुदान	2.21	0.20	0.00	0.00	-
	योग				**4.26**	**3.41**	**3.53**	**3.20**	**2.89**
10	आयुक्त हथकरघा (5202)	2851	5637	कल्याण पैकेज योजना	0	-	-	-	-
			5638	हथकरघा विकास योजना	1.03	1.76	2.00	2.62	0.54
			5639	कुटीर उद्योग विकास योजना	0	-	-	-	-
			9644	हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए कौशल और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	-	-	-	-	0.40
	योग				**1.03**	**1.76**	**2.00**	**2.62**	**0.94**

स.क्र.	नाम और बीसीओ कोड	मुख्य शीर्ष(मु.शी.) और योजना कोड(यो.को.)			वर्षवार आवंटन				
		मु.शी.	यो.को.	योजना का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
11	आयुक्त रेशम उत्पादन (5203)	2851	3394	शहतूत रेशम उत्पादन केन्द्रों की स्थापना पर व्यय	3.42	5.02	5.61	6.96	7.90
			3777	रेशम उद्योग में विकास कार्य	0.44	0.56	0.61	0.36	0.10
			5850	शहतूत स्वावलम्बन योजना के तहत हितग्राहियों को परिक्रामी निधि के रूप में अनुदान	0.00	0.25	0.23	0.00	0.00
	योग				**3.86**	**5.83**	**6.45**	**7.32**	**7.80**
12	आयुक्त अनुसूचित जाति विकास (5504)	2225	327	अस्वास्थ्यकर व्यवसायों में नियोजित माता-पिता के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	0	2.62	0.00	6.72	6.65
			1398	वरिष्ठ छात्रावास	0.91	4.00	0.00	0.00	-
			3997	छात्र कल्याण	-	0.20	0.26	0.30	0.04
			4717	अनुसूचित जाति छात्रावास	-	109.33	107.35	99.28	49.88
			5133	विविध छात्रवृत्ति	-	116.48	0.00	131.78	114.08

स.क्र.	नाम और बीसीओ कोड	मुख्य शीर्ष(मु.शी.) और योजना कोड(यो.को.)			वर्षवार आवंटन				
		मु.शी.	यो.को.	योजना का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
			5902	कक्षा एक से आठ के लिए छात्रवृत्ति	0	3.01	0.00	4.73	4.72
			8805	राज्य सरकार- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा एक से आठ)	-	9.40	0.00	9.24	23.10
			8844	शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन योजना (कक्षा 11)	-	12.99	13.00	14.00	14.00
	योग				**0.91**	**258.04**	**120.61**	**266.04**	**212.46**
13	मुख्य अभियन्ता (5803)	4515	6084	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना	-	-	83.57	42.50	21.74
14	संचालक उद्यानिकी (5902)	2401	2806	फलदार पौधों के रोपण के लिए अनुदान	14.62	13.67	25.84	23.19	4.40
			4326	सघन फलोद्यान विकास योजना	-	0	0	-	-
			5008	अंगूर की खेती योजना	-	-	-	-	-
			7339	मध्य प्रदेश में घरेलू बागवानी के लिए आदर्श योजना	0	0.17	0	0	-

स.क्र.	नाम और बीसीओ कोड	मुख्य शीर्ष(मु.शी.) और योजना कोड(यो.को.)			वर्षवार आवंटन				
		मु.शी.	यो.को.	योजना का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
			8731	घरेलू बागवानी के लिए आदर्श योजना	3.02	1.98	2.57	2.27	0.19
	योग				**17.64**	**15.82**	**28.41**	**25.46**	**4.59**
15	संचालक खानाबदोश (6202)	2225	5509	प्राथमिक शिक्षा छात्रवृत्ति	-	0.66	0.48	0.70	0.50
			7393	विमुक्त जनजाति छात्रावास	-	3.00	6.13	8.59	7.64
			7394	लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन (कक्षा 9 और कक्षा 11)	-	0.14	0.16	0.17	0.17
			8050	सामान्य विविध छात्रवृत्ति	-	0.8	1.10	1.20	1.50
		4217	7393	विमुक्त जनजाति छात्रावास	-	-	0	3.30	2.00
	योग				**-**	**4.60**	**7.87**	**13.96**	**11.81**
	योग (स.क्र. 3 से 15)				**9008.29**	**10758.98**	**12428.36**	**7736.21**	**3610.42**
	महा योग				**19569.12**	**29431.29**	**29879.21**	**24269.69**	**20086.01**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग खाता)

परिशिष्ट-2.1.6(i)

(संदर्भ: कण्डिका 2.1.9.3 पृष्ठ संख्या 50)

अनुदान संख्या-53 के लघु शीर्ष 196 के तहत कृषि विभाग को जिलेवार आवंटन का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	जिला	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	योग
1.	अशोकनगर	0.16	0.12	0.33	0.10	0.05	0.77
2.	बैतूल	0.38	0.67	0.64	0.23	0.13	2.06
3.	छिन्दवाड़ा	0.40	0.39	0.76	0.04	0.09	1.68
4.	खरगौन	1.43	0.80	0.53	0.27	0.28	3.31
5.	मुरैना	0.20	0.26	0.22	0.03	0.01	0.71
6.	पन्ना	0.27	0.17	0.13	0.11	0.05	0.73
7.	रीवा	0.36	0.20	0.26	0.05	0.04	0.91
8.	सीहोर	0.57	0.49	0.20	0.20	0.07	1.53
9.	शहडोल	0.29	0.53	0.34	0.11	0.07	1.35
10.	उज्जैन	0.09	0.17	0.17	0.08	0.08	0.58
	योग	**4.15**	**3.80**	**3.58**	**1.22**	**0.87**	**13.63**

(स्रोतः चयनित जिलों में कृषि विभाग के कार्यालयों के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.1.6(ii)

(संदर्भ: कण्डिका 2.1.9.3 पृष्ठ संख्या 50)

अनुदान संख्या-53 के लघु शीर्ष 196 के तहत पशु चिकित्सा विभाग को जिलेवार आवंटन का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	जिला	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	योग
1.	अशोकनगर	0.22	0.29	0.35	0.19	0.23	1.29
2.	बैतूल	0.26	0.42	0.50	0.60	0.31	2.09
3.	छिन्दवाड़ा	0.36	0.49	0.57	0.71	0.55	2.68
4.	खरगौन	0.34	0.45	0.51	0.57	0.29	2.17
5.	मुरैना	0.22	0.38	0.43	0.41	0.29	1.73
6.	पन्ना	0.31	0.40	0.40	0.35	0.28	1.74
7.	रीवा	0.39	0.41	0.52	0.32	0.18	1.82
8.	सीहोर	0.33	0.38	0.45	0.31	0.37	1.83
9.	शहडोल	0.27	0.44	0.43	0.52	0.32	1.98
10.	उज्जैन	0.40	0.50	0.54	0.49	0.36	2.29
	योग	**3.10**	**4.16**	**4.70**	**4.47**	**3.18**	**19.62**

(स्रोतः चयनित जिलों में पशु चिकित्सा विभाग के कार्यालयों के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.1.6(iii)

(संदर्भ: कण्डिका 2.1.9.3 पृष्ठ संख्या 50)

अनुदान संख्या-53 के लघु शीर्ष 196 के तहत शिक्षा विभाग को जिलेवार आवंटन का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	जिला	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	योग
1.	अशोकनगर	0.00	35.16	49.64	37.70	12.92	135.42
2.	बैतूल	0.00	0.00	45.39	16.68	3.64	65.71
3.	छिन्दवाड़ा	18.36	27.82	42.10	38.52	2.08	128.88
4.	खरगौन	7.99	17.11	15.81	0.00	0.00	40.91
5.	मुरैना	25.13	43.16	63.48	34.21	26.59	192.57
6.	पन्ना	2.24	32.40	38.77	14.55	6.53	94.49
7.	रीवा	16.27	35.52	4.30	0.00	5.09	61.18
8.	सीहोर	23.32	46.76	52.90	24.64	3.16	150.79
9.	शहडोल	14.59	29.79	36.29	66.40	21.41	168.48
10.	उज्जैन	21.62	33.88	42.94	20.14	4.35	122.93
योग		**129.52**	**301.60**	**391.62**	**252.84**	**85.77**	**1161.36**

(स्रोतः चयनित जिलों में शिक्षा विभाग के कार्यालयों के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.1.6(iv)

(संदर्भ: कण्डिका 2.1.9.3 पृष्ठ संख्या 50)

अनुदान संख्या-53 के लघु शीर्ष 196, 197 तथा 198 के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को जिलेवार आवंटन का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	जिला	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20			2020-21			योग
		196	197	198	196	197	198	196	197	198	196	197	198	196	197	198	
1.	अशोकनगर	3.43	0.10	3.47	3.78	0.15	3.41	3.86	0.03	4.56	4.80	0.00	5.47	4.37	0.00	5.08	42.51
2.	बैतूल	2.16	0.14	8.97	3.49	0.10	11.63	3.27	0.21	12.44	2.36	0.05	13.67	2.47	0.03	13.17	74.16
3.	छिन्दवाड़ा	3.70	0.43	15.30	4.94	0.14	15.75	5.56	0.00	19.16	5.33	0.07	20.71	5.17	0.45	20.37	117.08
4.	खरगौन	3.76	0.13	11.07	5.38	0.05	11.76	10.68	0.00	15.40	11.29	0.08	16.78	10.90	0.00	16.27	113.55
5.	मुरैना	4.86	0.37	8.34	5.94	0.33	9.16	5.97	0.30	9.34	3.01	0.36	11.69	6.61	0.49	11.67	78.44
6.	पन्ना	2.31	1.51	5.88	2.38	1.11	6.29	2.69	1.28	7.50	2.80	1.48	8.49	2.65	1.30	7.79	55.46
7.	रीवा	5.17	0.34	3.53	6.00	0.05	3.99	7.34	0.00	5.37	6.66	0.20	5.92	6.17	0.00	5.02	55.76
8.	सीहोर	3.13	0.14	6.45	3.94	0.05	6.94	3.81	0.00	9.10	3.16	0.00	9.65	4.14	0.18	9.32	60.01
9.	शहडोल	1.43	0.47	5.95	1.08	0.02	6.07	1.14	0.00	7.23	0.77	0.04	7.64	0.72	0.00	7.75	40.31
10.	उज्जैन	2.56	0.67	3.41	2.73	0.50	3.78	3.77	0.37	5.11	3.34	0.71	5.03	3.06	0.77	4.83	40.64
	योग	**32.51**	**4.30**	**72.37**	**39.66**	**2.50**	**78.78**	**48.09**	**2.19**	**95.21**	**43.52**	**2.99**	**105.05**	**46.26**	**3.22**	**101.27**	**677.92**

(स्रोतः चयनित जिलों में परिवार कल्याण विभाग के कार्यालयों के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.1.7(i)

(संदर्भ: कण्डिका 2.1.10.2 पृष्ठ संख्या 62)

आयोजित वार्षिक ग्राम सभा व गणपूर्ति का विवरण

क्र.स.	ग्राम पंचायत , जिला कुल सदस्य (मतदाता) पु./म. के साथ	आवश्यक गणपूर्ति (कुल मतदाताओं का 1/10)	वर्ष	आयोजित होने वाली वार्षिक बैठक की वास्तविक तिथि	देरी दिनों में	कुल मतदाताओं ने भाग लिया	महिला मतदाताओं ने भाग लिया (*प्रतिशत*)
		अगले वित्तीय वर्ष से तीन महीने पहले आयोजित की जाने वाली वार्षिक बैठकें					
1	मोहरी राय अशोक नगर 2941 पु-1585 म- 1356	294	2016-17	14/04/2016	105	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2017-18	18/02/2017	49	अनुपलब्ध	नुपलब्ध
			2018-19	7/01/2018	7	नुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2019-20	22/01/2019	22	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2020-21	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2	राजपुर, अशोक नगर 2325 पु-1248 म-1077	232	2016-17	14/04/2016	105	5	0
			2017-18	26/01/2017	26	57	1(2)
			2018-19	21/03/2018	79	52	1(2)
			2019-20	28/03/2019	87	44	22(50)
			2020-21	30/03/2020	88	17	1(6)
3	बडोरा, बेतुल 3868 पु-2071 म-1797	387	016-17	14/04/2016	105	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2017-18	26/01/2017	26	36	11(31)
			2018-19	26/01/2018	26	139	73 (52)
			2019-20	2/10/2018	नहीं	47	26 (55)

क्र.स.	ग्राम पंचायत , जिला कुल सदस्य (मतदाता) पु./म. के साथ	आवश्यक गणपूर्ति (कुल मतदाताओं का 1/10)	वर्ष	आयोजित होने वाली वार्षिक बैठक की वास्तविक तिथि	देरी दिनों में	कुल मतदाताओं ने भाग लिया	महिला मतदाताओं ने भाग लिया (*प्रतिशत*)
		अगले वित्तीय वर्ष से तीन महीने पहले आयोजित की जाने वाली वार्षिक बैठकें					
			2020-21	26/01/2020	26	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
4	खेड़ीसाओलीगढ़, बैतूल 4363 पु-2236 म-2127	436	2016-17	18/01/2016	18	11	3(27)
			2017-18	16/04/2017	106	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2018-19	10/02/2018	41	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2019-20	14/04/2019	104	9	1(11)
			020-21	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5	उमरेठ, छिन्दवाडा 6114 पु- 3111 म-3003	611	2016-17	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2017-18	18/04/2017	108	426	109 (25)
			2018-19	14/04/2018	104	9	4 (44)
			2019-20	22/12/2018	निरंक	35	14 (40)
			2020-21	26/01/2020	26	122	19 (15)
6	इकलेहरा, छिंदवाडा 5905 पु-3079 म- 2826	590	2016-17	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2017-18	14/04/2017	104	100	33(33)
			2018-19	26/01/2018	26	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2019-20	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2020-21	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	नुपलब्ध	अनुपलब्ध

क्र.स.	ग्राम पंचायत , जिला कुल सदस्य (मतदाता) पु./म. के साथ	आवश्यक गणपूर्ति (कुल मतदाताओं का 1/10)	वर्ष	आयोजित होने वाली वार्षिक बैठक की वास्तविक तिथि	देरी दिनों में	कुल मतदाताओं ने भाग लिया	महिला मतदाताओं ने भाग लिया (*प्रतिशत*)
		अगले वित्तीय वर्ष से तीन महीने पहले आयोजित की जाने वाली वार्षिक बैठकें					
7	गोगावां खरगोन 8145 पु-4100 म-1904	814	2016-17	02/10/2016	276	32	7(22)
			2017-18	0/01/2017	20	42	16(38)
			2018-19	26/01/2018	26	95	25(25)
			2019-20	20/12/2018	निरंक	43	10(23)
			2020-21	18/11/2019	निरंक	30	0
8	शाहपुरा खरगोन 3802 पु-1898 म-1904	380	2016-17	22/6/2016	174	15	0
			2017-18	18/02/2017	49	55	13(24)
			2018-19	26/01/2018	26	23	2(8)
			2019-20	18/02/2019	49	22	12(54)
			2020-21	26/01/2020	26	91	60(66)
9	नावली बडागांव मुरेना 6835 पु-3811 म-3024	683	2016-17	14/04/2016	105	59	20 (34)
			2017-18	26/01/2017	26	54	1(2)
			2018-19	26/01/2018	26	54	2(4)
			2019-20	22/12/2018	निरंक	38	8(21)
			2020-21	26/01/2020	26	103	7(7)
10		520	2016-17	14/04/2016	105	40	6(15)

क्र.स.	ग्राम पंचायत , जिला कुल सदस्य (मतदाता) पु./म. के साथ	आवश्यक गणपूर्ति (कुल मतदाताओं का 1/10)	वर्ष	आयोजित होने वाली वार्षिक बैठक की वास्तविक तिथि	देरी दिनों में	कुल मतदाताओं ने भाग लिया	महिला मतदाताओं ने भाग लिया (*प्रतिशत*)
		अगले वित्तीय वर्ष से तीन महीने पहले आयोजित की जाने वाली वार्षिक बैठकें					
	जखोना, मुरेना 5199 पु-2908 म-2291		017-18	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			018-19	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2019-20	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2020-21	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
11	शाहनगर, पन्ना 4270 पु-2231 म-2039	427	2016-17	1/06/2016	153	120	44(36)
			2017-18	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2018-19	21/03/2018	80	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2019-20	30/12/2018	निरंक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2020-21	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
12	बिसानी, पन्ना 3092 पु-1602 म-1490	309	2016-17	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2017-18	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2018-19	26/01/2018	26	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2019-20	24/12/2018	अनुपलब्ध	135	11(8)
			2020-21	26/01/2020	26	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
13	पड़री, रीवा 4537 पु-2366	454	2016-17	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2017-18	14/4/2017	103	30	3(10)

क्र.स.	ग्राम पंचायत , जिला कुल सदस्य (मतदाता) पु./म. के साथ	आवश्यक गणपूर्ति (कुल मतदाताओं का 1/10)	वर्ष	आयोजित होने वाली वार्षिक बैठक की वास्तविक तिथि	देरी दिनों में	कुल मतदाताओं ने भाग लिया	महिला मतदाताओं ने भाग लिया (*प्रतिशत*)
		अगले वित्तीय वर्ष से तीन महीने पहले आयोजित की जाने वाली वार्षिक बैठकें					
	म-2171		2018-19	26/1/2018	26	48	5(10)
			2019-20	26/01/2019	26	73	2(3)
			2020-21	26/01/2020	26	69	3(4)
14	उमरी, रीवा 4971 पु-2576 म-2395	497	2016-17	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2017-18	31/3/2017	90	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2018-19	26/01/2018	26	258	58(23)
			2019-20	02/10/2018	निरंक	64	06(9)
			2020-21	26/01/2020	26	303	55(18)
15	डाबरी, सीहोर 1264 पु-663 म-601	126	2016-17	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2017-18	26/01/2017	26	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2018-19	26/01/2018	26	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2019-20	26/12/2018	निरंक	36	1(03)
			2020-21	19/11/2019	निरंक	23	22(96)
16	मेहतवाडा, सीहोर 4725 पु-2497 म-2228	472	2016-17	28/04/2016	119	63	09(14)
			2017-18	26/01/2017	26	364	73(20)
			2018-19	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

क्र.स.	ग्राम पंचायत , जिला कुल सदस्य (मतदाता) पु./म. के साथ	आवश्यक गणपूर्ति (कुल मतदाताओं का 1/10)	वर्ष	आयोजित होने वाली वार्षिक बैठक की वास्तविक तिथि	देरी दिनों में	कुल मतदाताओं ने भाग लिया	महिला मतदाताओं ने भाग लिया (*प्रतिशत*)
		अगले वित्तीय वर्ष से तीन महीने पहले आयोजित की जाने वाली वार्षिक बैठकें					
			2019-20	30/07/2019	211	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2020-21	02/10/2019	निरंक	24	4(17)
17	आखेटपुर, शहडोल 3070 पु-1597 म-1473	307	2016-17	16/08/2016	229	68	10(15)
			2017-18	18/02/2017	49	81	10(12)
			2018-19	26/01/2018	26	133	23(17)
			2019-20	22/12/2018	निरंक	144	56(39)
			2020-21	31/10/2019	निरंक	20	6(30)
18	मऊ, शहडोल 3042 पु-1624 म-1418	304	2016-17	14/04/2016	105	158	21(13)
			2017-18	14/04/2017	105	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2018-19	14/04/2018	105	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2019-20	22/12/2018	निरंक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2020-21	26/01/2020	26	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
19	मड़ावडा, उज्जैन 3012 पु-1523 म-1489	301	2016-17	26/01/2016	26	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2017-18	2/10/2017	276	19	2(10)
			2018-19	26/01/2018	26	77	2(2)
			2019-20	26/12/2018	निरंक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

क्र.स.	ग्राम पंचायत , जिला कुल सदस्य (मतदाता) पु./म. के साथ	आवश्यक गणपूर्ति (कुल मतदाताओं का 1/10)	वर्ष	आयोजित होने वाली वार्षिक बैठक की वास्तविक तिथि	देरी दिनों में	कुल मतदाताओं ने भाग लिया	महिला मतदाताओं ने भाग लिया (*प्रतिशत*)
		अगले वित्तीय वर्ष से तीन महीने पहले आयोजित की जाने वाली वार्षिक बैठकें					
			2020-21	19/11/2019	निरंक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
20	रुपेटा, उज्जैन 2908 पु-1499 म-1409	291	2016-17	8/02/2016	39	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2017-18	26/01/2017	26	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2018-19	26/12/2017	निरंक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2019-20	26/12/2018	निरंक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2020-21	26/01/2020	26	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	विलम्ब की सीमा				**7-276**		

(स्रोत : चयनित ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	वर्ष	आयोजित की जाने वाली बैठकें	वास्तविक रूप से आयोजित बैठकें	महिला प्रतिभागियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से अधिक	उपस्थिति उपलब्ध
1	2016-2017	20	14	0	9
2	2017-2018	20	17	0	12
3	2018-2019	20	18	2	10
4	2019-2020	20	18	2	12
5	2020-2021	20	15	2	10
	योग	**100**	**82**	**6**	**53**

परिशिष्ट-2.1.7(ii)

(संदर्भः कण्डिका 2.1.10.2 पृष्ठ संख्या 62)

आयोजित त्रैमासिक ग्राम सभा व महिला सदस्यों की भागीदारी का विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत, जिला	आवश्यक गणपूर्ति	वर्ष	मिनट्स	आयोजित कुल बैठकें	कमी यदि है	उपस्थित	कुल उपस्थित मतदाता	बैठक में भाग लेने वाली महिला सदस्यों की संख्या (प्रतिशत)
1	मोहरी राय, जेपी अशोक नगर 2941 पु-1585 म- 1356	294	2016-17	14/4/16, 26/9/16, 2/10/16 और 18/02/17	4	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2017-18	26/4/17, 25/9/17, 2/10/17 और 7/01/18	4	0	हां	5	0
			2018-19	14/04/18, 15/08/18, 2/10/18 और 22/01/19	4	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2019-20	14/4/19, 15/08/19 और 2/10/18	3	1	अनुपलब्ध, हां, हां	9 और 21	1और 11 (11 व 52)
			2020-21	27/08/20, 18/11/20, 8/03/21	3	1	अनुपलब्ध , हां, हां	4और 7	0और 4 (0 व 57)
2	राजपुर, अशोक नगर 2325 पु-1248 म-1077	232	2016-17	14/04/16, 15/08/16, 2/10/16 और 26/01/17	4	0	हां अनुपलब्ध, अनुपलब्ध, हां	5,57	0 एवं 1 (0 व 1)
			2017-18	14/04/17, 30/07/17, 2/10/17और 4/03/18	4	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2018-19	14/04/18, 15/08/18, 2/10/18 और 26/01/19	4	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2019-20	14/04/19, 15/08/19, 2/10/19 और 26/01/20	4	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

क्र. सं.	ग्राम पंचायत, जिला	आवश्यक गणपूर्ति	वर्ष	मिनट्स	आयोजित कुल बैठकें	कमी यदि है	उपस्थित	कुल उपस्थित मतदाता	बैठक में भाग लेने वाली महिला सदस्यों की संख्या (प्रतिशत)
			2020-21	14/04/20 और 21/01/21	2	2	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
3	बडोरा, बैतूल 3868 पु-2071 म-1797	386	2016-17	14/04/16, 15/08/16, 2/10/16 और 26/01/17	4	0	अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध और हां	36	11 (31)
			2017-18	15/08/17, 2/10/17, 26/01/18	3	1	हां, हां और हां	54, 50 और 140	24, 19 एवं 72 (44, 37और 51)
			2018-19	14/04/18, 15/08/18, 2/10/18 और 26/01/19	4	0	हां, हां, हां, हां	201, 55, 47और 48	83,18, 26 और 04 (41,32,55 और 8)
			2019-20	14/04/19, 15/08/19, 2/10/19 और 26/01/20	4	0	हां, हां, अनुपलब्ध और अनुपलब्ध	32और 61	6 और 23 (18और 37)
			2020-21	2/10/20 और 7/01/21	2	2	हां और हां	80 और 76	27और 34 (33और 44)
4	खेड़ी साओलीगढ़, बैतूल 4363 पु-2236 म-2127	436	2016-17	8/08/16	1	3	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2017-18	16/04/17, 09/09/17,20/12/17 और 10/02/18	4	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2018-19	14/04/18,	1	3	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2019-20	14/04/19और 15/08/19	2	2	हां और हां	9और 19	1और 2 (11और 10)
			2020-21	2/10/20और 3/01/21	2	2	हां और अनुपलब्ध	68	25(36)
5	उमरेठ, छिदवाड़ा 6114 पु-3111 म-3003	611	2016-17	निरंक	0	4	-	-	-
			2017-18	18/04/17, 02/10/17	2	2	हां और हां	426और 118	109 और 31 (25 और 02)
			2018-19	14/04/18, 15/08/18, 02/10/18और 26/01/19	4	0	हां	9, 161, 139और 43	4, 58, 34 और 12 (44,36,24 और 27)
			2019-20	22/06/19,15/08/19, 2/10/19और 26/01/20	4	0	हां	80,130, 167और 122	23, 20, 53और 19

क्र. सं.	ग्राम पंचायत, जिला	आवश्यक गणपूर्ति	वर्ष	मिनट्स	आयोजित कुल बैठकें	कमी यदि है	उपस्थित	कुल उपस्थित मतदाता	बैठक में भाग लेने वाली महिला सदस्यों की संख्या (प्रतिशत)
									(28, 15, 32 और 15)
			2020-21	18/11/20और 27/01/21	2	2	हां	53और169	17 और 28 (32 और 16)
6	इकलेहरा, छिंदवाड़ा 5905 पु-3079 म-2826	590	2016-17		0	4	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2017-18	14/04/17, 2/10/17 और 26/01/18	3	1	हां, अनुपलब्ध और अनुपलब्ध	100	33 (33)
			2018-19	14/04/18	1	3	हां	109	32(29)
			2019-20	15/08/19 और 2/10/19	2	2	अनुपलब्ध और हां	58	17 (29)
			2020-21		0	4	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
7	गोगावां खरगोन 8145 पु-4100 म-4045	814	2016-17	14/04/16, 15/08/16, 2/10/16और 20/01/17	4	0	हां	40, 31, 32और 42	10, 01, 03 और 17 (25, 3, 9 और 40)
			2017-18	26/01/18	1	3	हां	100	24 (24)
			2018-19	14/04/18,15/08/18, 02/10/18और 26/01/19	4	0	हां	87,157,101और 44	20,45,29 और 11 (22,28, 28 और 25)
			2019-20	14/04/19,15/08/19, 2/10/19और 26/01/20	4	0	हां	20,21,33 और 26	17, 01,20 और 04 (85, 5, 60 और 15)
			2020-21	21/01/21	1	3	हां	36	23(63)
8	शाहपुरा खरगोन 3802 पु-1898 म-1904	380	2016-17	14/04/16,15/08/16, 18/02/17	3	1	हां	16,09,55	05,05और 13 (31, 55,और 23)
			2017-18	16/04/17,15/08/17, 21/10/17और 26/01/18	4	0	हां	16,32,32,23	01, 08,04 और 02 (6, 25, 12और 08)
			2018-19	14/04/18 और 18/02/19	2	2	हां	59 और 22	32 और 12 (54 और 54)
			2019-20	26/01/20	1	3	हां	91	60 (65)
			2020-21	17/11/20	1	3	हां	16	04 (25)
9		683	2016-17	14/04/16,15/08/16, 02/10/16 और 26/01/17	4	0	हां	59,64,23 और 54	20, 01,06 और 02

क्र. सं.	ग्राम पंचायत, जिला	आवश्यक गणपूर्ति	वर्ष	मिनट्स	आयोजित कुल बैठकें	कमी यदि है	उपस्थित	कुल उपस्थित मतदाता	बैठक में भाग लेने वाली महिला सदस्यों की संख्या (प्रतिशत)
	नावली बड़ागांव मुरैना 6835 पु-3811 म-3024								(33, 1, 26 और 03)
			2017-18	19/04/17,15/08/17, 02/10/17और 26/01/18	4	0	हां	26,83,26 और 54	04, 04, 01 और 02 (15, 4, 03 और 03)
			2018-19	14/04/18,15/08/18, 02/10/18और 26/01/19	4	0	हां	08,40,29 और 59	01, 02, 07 और 02 (12, 5, 24 और 03)
			2019-20	14/04/19,15/08/19, 15/10/19और 26/01/20	4	0	हां, हां, अनुपलब्ध , हां	03,41, अनुपलब्ध और 103	01,02, अनुपलब्ध और 07 (33, 4 और 06)
			2020-21	15/05/20, 21/11/20 और 21/01/21	3	1	हां, हां और अनुपलब्ध	43,117और 101	02 (5),10(9) और 9 (8)
10	जखोना मुरैना 5199 पु-2908 म-2291	519	2016-17	14/04/16	1	3	हां	40	6(15)
			2017-18		0	4	-	-	-
			2018-19		0	4	-	-	-
			2019-20		0	4	-	-	-
			2020-21		0	4	-	-	-
11	शाहनगर, पन्ना 4270 पु-2231 म-2039	427	2016-17	01/06/16,22/08/16,	2	2	हां, अनुपलब्ध	120	44(36)
			2017-18	12/10/17,21/03/18	2	2	हां	19	0
			2018-19	7/05/18	1	3	हां	7	2(29)
			2019-20		0	4	-	-	-
			2020-21		0	4	-	-	-
12	बिसानी, पन्ना 3092 पु-1602 म-1490	309	2016-17		0	4	-	-	-
			2017-18	26/01/18	1	3	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2018-19	24/12/18	1	3	हां	135	11 (8)
			2019-20	11/09/19, 14/11/19 और 26/01/20	3	1	हां, हां और अनुपलब्ध	24और 22	0 और 0
			2020-21		0	4	-	-	-
			2016-17	निरंक	0	4	-	-	-

क्र. सं.	ग्राम पंचायत, जिला	आवश्यक गणपूर्ति	वर्ष	मिनट्स	आयोजित कुल बैठकें	कमी यदि है	उपस्थित	कुल उपस्थित मतदाता	बैठक में भाग लेने वाली महिला सदस्यों की संख्या (प्रतिशत)
13	पडरी, रीवा 4537 पु-2366 म-2171	453	2017-18	14/04/17, 09/09/17 और 26/01/18	3	1	हां	30,262,48	03, 83, 05 (10, 32, 10)
			2018-19	15/08/18 और 26/01/19	2	2	हां और हां	98 और 73	03 (3)और 02 (02)
			2019-20	26/01/20	1	3	हां	69	03 (04)
			2020-21	निरंक	0	4	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
14	उमरी, रीवा 4971 पु-2576 म-2395	497	2016-17	1//04/16,15/08/16, 02/10/16, 26/01/17	4	0	अनुपलब्ध, अनुपलब्ध, हां और अनुपलब्ध	102	11(11)
			2017-18	15/08/17,02/10/17 और 26/01/18	3	1	हां, अनुपलब्ध और हां	338, अनुपलब्ध , 254	71,अनुपलब्ध, 58 (21 और 23)
			2018-19	14/04/18 और 02/10/18	2	2	अनुपलब्ध और हां	64	6 (09)
			2019-20	02/10/19 और 26/01/20	2	2	हां	35, 303	9, 55 (25 और 18)
			2020-21	03/03/21	1	3	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
15	डाबरी, सीहोर 1264 पु-663 म-601	126	2016-17	18/02/17	1	3	हां	58	03 (05)
			2017-18	14/04/17, 15/08/17, 02/10/17 और 26/01/18	4	0	हां, हां, हां और अनुपलब्ध	52, 62, 31	01, 04, 0 (2, 06 और 0)
			2018-19	14/04/18, 26/12/18 और 08/03/19	3	1	अनुपलब्ध, हां और हां	33, 18	01, 08 (03 और 44)
			2019-20	15/08/19, 02/10/19 और 14/02/20	3	1	हां	47,31, 52	01,01,03 (02, 03, 05)
			2020-21	02/10/20और 2/01/21	2	2	हां	41,48	0, 02 (0 और 04)
16	मेहतवाड़ा, सीहोर 4725 पु-2497 म-2228	472	2016-17	28/04/16,15/08/16, 02/10/16 और 2/01/17	4	0	हां	63, 55और 324	09,10 और 72 (14, 18 और 22)
			2017-18	निरंक	0	4	निरंक	निरंक	निरंक
			2018-19	निरंक	0	4	निरंक	निरंक	निरंक

क्र. सं.	ग्राम पंचायत, जिला	आवश्यक गणपूर्ति	वर्ष	मिनट्स	आयोजित कुल बैठकें	कमी यदि है	उपस्थित	कुल उपस्थित मतदाता	बैठक में भाग लेने वाली महिला सदस्यों की संख्या (प्रतिशत)
			2019-20	15/08/19, 2/10/19और 26/01/20	3	1	हां, हां और अनुपलब्ध	25और 24	01(04)और 4 (17)
			2020-21	2/10/20 और 21/01/21	2	2	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
17	आखेटपुर शहडोल 3070 पु-1597 म-1473	307	2016-17	16/08/16, 03/10/16 और 18/02/17	3	1	हां, हां और हां	68, 46 और 81	10, 07 और 10 (12) (14 और 15)
			2017-18	01/06/17,15/08/17, 2/10/17और 26/01/18	4	0	हां	136, 97, 60और 133	42,10, 12 और 23 (30, 10, 20 और 17)
			2018-19	14/04/18,15/08/18, 2/10/18, 26/01/19	4	0	हां	52,66,55 और 107	01, 03, 05 और 13(2, 4, 9 और 12)
			2019-20	15/08/19,2/10/19 और 26/01/20	3	1	हां	83,145 और 92	25, 74 और 7(30, 51 और 07)
			2020-21	9/06/20	1	3	हां	95	23 (24)
18	मऊ, शहडोल 3042 पु-1624 म-1418	304	2016-17	14/04/16और 2/0/16	2	2	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2017-18	14/04/17,15/08/17,02/10/17 और 19/01/18	4	0	हां, हां, अनुपलब्ध और अनुपलब्ध	128 और 48	21और 13 (16 और 27)
			2018-19	14/04/18,15/08/18और 02/10/18	3	1	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2019-20	15/08/19,02/10/19और 26/01/20	3	1	हां, हां और अनुपलब्ध	15 और 35	0 और 06 (0, 17)
			2020-21	09/06/20	1	3	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
19	मडावड़ा, उज्जैन 3012 पु-1523 म-1489	301	2016-17	14/04/16	1	3	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2017-18	15/08/17,02/10/17 और 26/01/18	3	1	अनुपलब्ध, अनुपलब्ध और हां	19 और 77	2 और 2 (10 और 2)
			2018-19	14/04/18,15/08/18, 26/12/18और 26/01/19	4	0	अनुपलब्ध, हां, अनुपलब्ध और हां	अनुपलब्ध ,126, अनुपलब्ध और 309	अनुपलब्ध, 8, अनुपलब्ध और 130 (06 और 42)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत, जिला	आवश्यक गणपूर्ति	वर्ष	मिनट्स	आयोजित कुल बैठकें	कमी यदि है	उपस्थित	कुल उपस्थित मतदाता	बैठक में भाग लेने वाली महिला सदस्यों की संख्या (प्रतिशत)
			2019-20	15/08/19, 02/10/19और 26/01/20	3	1	हां	61,41और 28	01, 10और 11(01, 24 और 39)
			2020-21	07/10/20 और 21/01/21	2	2	हां	13 और 7	0,0
20	रूपेटा, उज्जैन 2908 पु-1499 म-1409	290	2016-17	14/04/16, 03/10/16 और 26/01/17	3	1	अनुपलब्ध	13 और 7	0, 0
			2017-18	6/09/17, 02/10/17 और 26/01/18	3	1	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2018-19	14/04/18, 15/08/18, 26/12/18 और 2//01/19	4	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2019-20	26/01/20	1	3	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			2020-21	21/01/21	1	3	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	योग				**229**	**171**			

(स्रोत: चयनित ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	वर्ष	बैठकें		कमी	उपस्थिति	महिला प्रतिभागियों की उपस्थिति 50 *प्रतिशत* से अधिक
		आयोजित की जाने वाली	वास्तविक रूप से आयोजित		उपलब्ध	
1	2016-2017	80	45	35	24	1
2	2017-2018	80	56	24	33	1
3	2018-2019	80	52	28	32	3
4	2019-2020	80	50	30	37	5
5	2020-2021	80	26	54	17	2
	योग	**400**	**229**	**171**	**143**	**12**

परिशिष्ट-2.1.8

(संदर्भ: कण्डिका 2.1.11 पृष्ठ संख्या 70)

पंचायती राज संस्थाओं के अमले को सौंपी गई शक्तियों और उत्तरदायित्वों का विवरण

क्र.सं.	कार्मिक का पद	सौंपे गए अधिकार और उत्तरदायित्व
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत	मध्य प्रदेश पंचायत (मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्तियाँ एवं कार्य) नियमावली, 1995 के अनुसार।
		• पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियो का पर्यवेक्षण और नियंत्रण
		• पंचायत और स्थायी समिति की बैठक बुलाना और उसकी कार्यवाही को संधारित करना
		• पंचायत और इसकी स्थायी समितियों के बैठक की कार्यवाही से संबंधित सभी कागजात और दस्तावेजों का संरक्षण
		• पंचायत के अधीन कार्यालय मे कार्यरत अधिकारी या ज़िले के किसी भी अन्य से सूचना ,विवरणी,विवरण-पत्रक या प्रतिवेदन से संबंधित अभिलेख की मांग कर सकता है ।
		• पंचायत की सभी गतिविधियों के निष्पादन का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा।
		• पंचायतों की ओर से दीवानी या फौजदारी कार्यवाही शुरू करना।
		• वार्षिक विकास योजनाएं, बजट तैयार करना और पंचायत के लेखों से संबंधित सभी मामलों में शामिल योजनाओं का कुशल निष्पादन सुनिश्चित करना।
		• मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे पंचायत द्वारा या राज्य शासन द्वारा सौंपे गए हों।
2	तकनीकी सहायता और निष्पादन	• योजना/कार्यक्रम के निष्पादन के लिए योजना तैयार करना। • आंकलन तैयार करना और तकनीकी स्वीकृतिं जारी करना। • स्वीकृति के अनुसार कार्य का निष्पादन , निष्पादन एजेंसियों जैसे कि ग्राम पंचायतो या अन्य एजेंसियों द्वारा करवाया जाना । • कार्यों का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन।
3	लेखा और अभिलेख संधारण	• पंचायती राज संस्थाओं के लेखा नियम में परिकल्पित सभी प्रासंगिक अभिलेखों को तैयार करना और संधारित करना, सभी लेखों को तैयार करना और लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करना और पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी निकाय में सभी लेखों, बजट, विकास योजनाओं को प्रस्तुत करना।
4	पंचायत सचिव	• पीआरडी द्वारा दिनांक 28 अप्रैल, 2011 को जारी परिपत्र में पंचायत सचिव के दायित्वों का विवरण दिया गया है।
		• ग्राम सभा आयोजित करने हेतु दिनांक, समय एवं स्थान निश्चित करना, सदस्यों को सूचित करना तथा गणपूर्ति पूर्ण करने का प्रयास करना, कार्यवाही दर्ज कर अगली ग्राम सभा में स्वीकृत कराना।
		• ग्राम सभा में स्वीकृत प्रस्ताव पर उचित कार्रवाई करना तथा उसकी प्रति ज.पं. को भिजवाना।
		• पीआरआई अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत पंच/सरपंच के विरूद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.पं. और कलेक्टर को सूचित करना।

		• सरपंच की सहमति से एजेंडा तैयार करना और सभी पंचों को सूचित करना।
		• ग्राम सभा को सौंपे गए सभी कार्यों को करने के लिए कार्य करना।
		• मकानों के निर्माण की अनुमति देना। यदि अवैध पाया जाता है तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करना।
		• अतिक्रमण के विरूद्ध कार्रवाई करना और ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाना।
		• ग्रा.पं. की राशि सुरक्षित रखने के लिए सरपंच/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से डाकघर/बैंक में खाता खोलना।
		• वित्तीय वर्ष पूर्ण होने के पूर्व वार्षिक बैठक आयोजित करना तथा केन्द्र एवं राज्य क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि का आय व्यय एवं आगामी वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत करना।
		• विभिन्न योजनाओं से संबंधित बजट तैयार करना और उसे ग्राम सभा से स्वीकृत कराना।
		• लेखापरीक्षा के लिए अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करना।
		• ग्राम पंचायत का वार्षिक लेखा समय से तैयार कर अगले माह की 5 तारीख से पहले ज.पं. को भिजवाना।
		• सभी करदाताओं की सूची तैयार करना और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर लगाना।
		• अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा आयोजन के लिए सभी अभिलेख और जानकारी प्रस्तुत करना।
		• पंचायतराज मंत्रालय की आवश्यकता के अनुसार, ग्राम पंचायतों के लेखों को *प्रिआ सॉफ्ट* के प्रारूप में रखा जाएगा।

(स्रोतः पीआरआई अधिनियम और उसके अन्तर्गत नियम)

परिशिष्ट-2.1.9(i)

(संदर्भ: कण्डिका 2.1.11.2 पृष्ठ संख्या 72)

जिला पंचायतों में स्वीकृत कार्यरत एवं मानवशक्ति, की कमी का विवरण

श्रेणी	पद	अशोक नगर			खरगोन			बैतूल			छिंदवाड़ा			मुरैना			पन्ना			रीवा			शहडोल			सीहोर			उज्जैन			योग		
		स्वी.	कार्य.	रि.	स्वी.	कार्य.	रि.	स्वी.	कार्य.	रि.	स्वी.	कार्य.	रि.	स्वी.	कार्य.	रि.	स्वी.	कार्य.	रि.	स्वी.	कार्य.	रि.	स्वी.	कार्य.	रि.	स्वी.	कार्य.	रि.	स्वी.	कार्य.	रि.	स्वी.	कार्य.	रि.
योजनाअनुश्रवण/	मुख्य कार्यपालन अधिकारी .सहा/ कार्यपालन .मु अधिकारी	1	1	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	2	1	1	1	1	0	14	13	1
	परियोजना अधिकारी	3	0	3	3	1	2	0	0	0	3	3	0	3	1	2	3	1	2	3	1	2	2	1	1	3	0	3	3	2	1	26	10	16
	सहा परियोजना . अधिकारी	2	1	1	3	2	1	4	2	2	4	0	4	3	1	2	3	0	3	3	3	0	2	0	2	3	1	2	3	2	1	30	12	18
	परियोजना अर्थशास्त्री	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	9	3	6
	अनुभाग अधिकारी .सहा/ अनुभाग अधिकारीए सहा .	2	0	2	1	1	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	11	2	9

	विस्तार अधिकारीए सहा जनसंपर्क . अधिकारी																																	
	आशुलिपिक	0	0	0	1	1	0	2	2	0	3	0	3	2	2	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1	13	5	8
	अधीक्षक .सहा/ .कार्या/अधीक्षक प्रभारी	2	0	2	1	1	0	3	0	3	2	1	1	2	0	2	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	14	3	11
	वरिष्ठ टाइपिस्ट प्रधान/ लिपिक	1	0	1	3	1	2	3	1	2	3	0	3	0	0	0	3	0	3	2	2	0	0	0	0	3	0	3	2	0	2	20	4	16
	योग	12	2	10	14	9	5	15	7	8	20	6	14	13	5	8	13	3	10	15	9	6	9	3	6	14	2	12	12	6	6	137	52	85
लेखा	लेखा अधिकारी .सहा/ लेखा अधिकारी	1	0	1	1	1	0	2	1	1	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	12	8	4
	वरि लेखा . अधिकारी	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	6	4	2
	लेखापाल	3	0	3	1	0	1	4	0	4	2	1	1	3	1	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3	3	0	3	1	1	0	25	3	22
	सहायक ग्रेड -I/II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	1
	योग	4	0	4	3	2	1	7	1	6	5	3	2	5	2	3	4	1	3	5	2	3	4	1	3	5	1	4	4	4	0	46	17	29

तकनीकि	अन्वेषक .सहा/ कार्यकारी/अभियंता अभियंता	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	6
	लिपिक	0	0	0	0	0	0	8	7	1	3	3	0	3	1	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	16	11	5
	तकनीकी सहायक	0	0	0	7	3	4	0	0	0	9	3	6	7	1	6	6	1	5	7	0	7	3	1	2	6	0	6	7	2	5	52	11	41
	डाटा इंट्री आपरेटर	1	0	1	2	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	0	1	2	2	0	12	9	3
	सहायक ग्रेड-II/III	10	0	10	5	4	1	13	8	5	13	7	6	6	4	2	4	2	2	5	4	1	9	6	3	22	7	15	5	2	3	92	44	48
	योग	11	0	11	14	8	6	22	16	6	29	15	14	19	6	13	12	4	8	15	6	9	14	8	6	29	7	22	14	6	8	179	76	103
महायोग		27	2	25	31	19	12	44	24	20	54	24	30	37	13	24	29	8	21	35	17	18	27	12	15	48	10	38	30	16	14	362	145	217

(स्रोतः चयनित जिला पंचायत के अभिलेख) स्वी.=स्वीकृति कार्य.=कार्यरत रि.=रिक्त

परिशिष्ट-2.1.9(ii)

(सन्दर्भ: कंडिका 2.1.11.2 पृष्ठ संख्या 72)

जनपद पंचायतों में स्वीकृत, कार्यरत एवं मानवशक्ति की कमी का विवरण

मार्च 2021 तक मानवशक्ति का सारांश

मानवशक्ति की श्रेणी	जिला पंचायत			जनपद पंचायत		
	स्वीकृत	कार्यरत*(प्रतिशत)*	कमी*(प्रतिशत)*	स्वीकृत	कार्यरत*(प्रतिशत)*	कमी*(प्रतिशत)*
योजनाअनुश्रवण/	137	52 (38)	85 (62)	221	124 (56)	97 (44)
तकनीकी	179	76 (42)	103 (58)	83	53 (64)	30 (36)
लेखा	46	17 (37)	29 (63)	36	11 (31)	25 (69)
कुल	**362**	**145 (40)**	**217 (60)**	**340**	**188 (55)**	**152 (45)**

(स्रोतः चयनित जिला पंचायत के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.2.1

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.4.1, पृष्ठ संख्या 92)

चयनित जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत की सूची

स.क्र.	जिला पंचायत (जिला)	जनपद पंचायत		ग्राम पंचायत	
1	अलीराजपुर	1	अलीराजपुर	1	खरखरी
				2	मोरासा
				3	सेजगांव
		2	भाबरा	4	बोरकुंडिया
				5	महेन्द्र
				6	रिंगोल
2	छतरपुर	3	बक्सवाहा	7	बीरमपुरा
				8	धरमपुरा
				9	सुनवाहा
		4	राजनगर	10	औंटापुरवा
				11	कटारा
				12	सूरजपुरा
3	दमोह	5	दमोह	13	बंसनी
				14	रामगढ़
				15	सुहेला
		6	हट्टा	16	बर्धा
				17	भैंसा
				18	राजपुरा
4	धार	7	डही	19	धरमराय
				20	गंगपुर
				21	पेडियाल
		8	नालछा	22	भिल्तलवाड़ा
				23	इमलीपुरा
				24	मालीपुरा
5	गुना	9	गुना	25	बजरंगगढ़
				26	जमरा

स.क्र.	जिला पंचायत (जिला)	जनपद पंचायत		ग्राम पंचायत	
				27	लहरघाट
		10	राघोगढ़	28	करोंदी
				29	नागनखेड़ी
				30	टोडी
6	ग्वालियर	11	भितरवार	31	बागबाई
				32	करहिया
				33	सोताखेरिया
		12	डबरा	34	बीजकपुर
				35	जरगाँव
				36	कुम्हर्रा
7	मंडला	13	बिजाडांडी	37	बिलनगरी
				38	लावर मुड़िया
				39	पोंडीमल
		14	मंडला	40	इमलीगोहन
				41	मोहनिया पटपारा
				42	सेल्हेडांडा
8	राजगढ़	15	ब्यावरा	43	खनोता
				44	पहाड़गढ़
				45	टोडी
		16	खिलचीपुर	46	जटामडी
				47	पिपलियाकलां
				48	रनारा
9	रतलाम	17	बाजना	49	छावनी झोडिया
				50	चिकनी
				51	घोड़ाखेड़ाचिक
		18	सैलाना	52	बरदा
				53	बेर्डा
				54	पटड़ी
10	सतना	19	अमरपाटन	55	भीसमपुर
				56	चोराखरी

स.क्र.	जिला पंचायत (जिला)	जनपद पंचायत		ग्राम पंचायत	
				57	पाल
		20	मैहर	58	अमदारा
				59	पकरिया
				60	रायगवां

परिशिष्ट-2.2.2

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.6.2(क), पृष्ठ संख्या 98)

ग्राम पंचायतों की सूची जहां दिशा-निर्देशों के अनुसार वरीयता निर्धारण नहीं किया गया था

जिला	जनपद	ग्राम पंचायत	श्रेणी	प्राथमिकता निर्धारित मामलों की संख्या	विशिष्ट प्राथमिकता संख्या	यदि प्राथमिकता समूहों के लिए मानदंड का पालन किया जाता है	यदि उपसमूहों के मानदंड का पालन किया जाता है	यदि अभाव अंक स्कोर के मानदंड का पालन किया जाता है
छतरपुर	बक्सवाहा	बीरमपुरा	अजा	9	5	हां	हां	नहीं
			अजजा	77	17	नहीं	नहीं	नहीं
			अन्य	20	9	नहीं	नहीं	नहीं
		धरमपुरा	अजा	38	38	हां	हां	नहीं
			अजजा	14	14	हां	हां	नहीं
			अन्य	78	73	हां	हां	नहीं
		सुनवाहा	अजा	63	30	हां	हां	नहीं
			अजजा	54	32	नहीं	नहीं	नहीं
			अन्य	441	204	नहीं	नहीं	नहीं
	राजनगर	कटारा	अजा	39	39	हां	हां	नहीं
			अजजा	16	16	हां	हां	हां
			अन्य	122	122	हां	हां	हां
गुना	गुना	जमरा	अजा	29	29	हां	हां	हां
			अजजा	40	40	हां	हां	हां
			अन्य	79	79	नहीं	हां	हां
		लहरघाट	अजा	61	61	नहीं	नहीं	हां
			अजजा	44	44	नहीं	नहीं	हां
			अन्य	151	151	नहीं	हां	हां
	राघोगढ़	नागनखेड़ी	अजा	41	41	नहीं	हां	हां
			अजजा	46	46	नहीं	हां	हां
			अन्य	215	215	नहीं	हां	हां
सतना	मैहर	पकरिया	अजा	84	84	हां	हां	हां
			अजजा	93	93	हां	हां	हां
			अन्य	269	269	हां	हां	नहीं
		रायगवां	अजा	23	23	नहीं	हां	नहीं
			अजजा	45	45	हां	नहीं	नहीं
			अन्य	81	81	हां	नहीं	नहीं
राजगढ़	ब्याबरा	खनोता	अजा	58	58	नहीं	नहीं	हां
			अजजा	2	2	हां	हां	हां
			अन्य	365	365	नहीं	हां	नहीं
	खिलचीपुर	पिपलियाकलां	अजा	26	26	हां	हां	नहीं

जिला	जनपद	ग्राम पंचायत	श्रेणी	प्राथमिकता निर्धारित मामलों की संख्या	विशिष्ट प्राथमिकता संख्या	यदि प्राथमिकता समूहों के लिए मानदंड का पालन किया जाता है	यदि उपसमूहों के मानदंड का पालन किया जाता है	यदि अभाव अंक स्कोर के मानदंड का पालन किया जाता है
			अजजा	7	7	हां	हां	हां
			अन्य	470	470	नहीं	नहीं	हां
			अल्पसंख्यक	9	9	हां	हां	हां
धार	डही	धरमराय	अजा	12	10	हां	हां	हां
			अजजा	597	544	नहीं	नहीं	नहीं
			अन्य	397	392	नहीं	हां	नहीं
		गंगपुर	अजजा	435	421	नहीं	हां	नहीं
			अन्य	21	21	हां	हां	हां
		पड़ियाल	अजा	12	12	नहीं	हां	हां
			अजजा	631	484	नहीं	नहीं	नहीं
			अन्य	5	5	हां	हां	हां
	नालछा	इमलीपुरा	अजा	17	15	हां	हां	हां
			अजजा	334	322	हां	नहीं	नहीं
मंडला	मंडला	मोहनियापटपारा	अजजा	167	167	नहीं	नहीं	नहीं
			अन्य	218	218	नहीं	नहीं	नहीं
	बिजाडंडी	पोंडीमल	अजा	13	13	हां	हां	हां
			अजजा	522	522	नहीं	नहीं	नहीं
			अन्य	41	41	नहीं	लागू नहीं	नहीं
		लवरमुडिया	अजा	3	3	हां	हां	नहीं
			अजजा	300	300	नहीं	हां	नहीं
			अन्य	17	17	नहीं	हां	हां
			अल्पसंख्यक	2	2	हां	हां	हां
		बिलनागिरी	अजा	2	2	हां	हां	हां
			अजजा	286	286	नहीं	लागू नहीं	नहीं
			अन्य	119	119	हां	हां	हां

(स्रोत: आवाससॉफ्ट से डाउनलोड किए गए अभिलेख)

परिशिष्ट-2.2.3

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.6.2(ग), पृष्ठ संख्या 99)

पीएमएवाई-जी लाभार्थियों का विवरण जिनके पास योजना के अंतर्गत आवास की स्वीकृति से पूर्व दो/तीन/चार पहिया वाहन थे

स.क्र.	पीएमएवाई-जी की पंजीकरण संख्या	हितग्राही का नाम	पिता का नाम	जिला	ग्राम	पीएमएवाई-जी स्वीकृति दिनांक	जारी की गयी राशि	वाहन पंजीकरण संख्या	वाहन का प्रकार	वाहन पंजीकरण तिथि	सत्यापन की स्थिति
1	MP3196985	नरपत सोलंकी	करमसिंह	अलीराजपुर	अजंदा	05-05-2020	1,20,000	MP69MA6641	मोटर साइकिल	16-09-2016	आरएनजी
2	MP3171831	रमेश	नायकदा	अलीराजपुर	बड्डाला	08-11-2020		MP69MD7046	मोटर साइकिल	22-07-2020	आरएनजी
3	MP3256942	सेपि पचया	सेकड़िया	अलीराजपुर	बंद	04-05-2020	1,20,000	MP69MB2105	मोटर साइकिल	27-07-2017	आरएनजी
4	MP3380897	लक्ष्मण बघेल	हिरला	अलीराजपुर	बेगदी	01-07-2019	1,20,000	MP69MC7615	मोटर साइकिल	03-06-2019	आरएनजी
5	MP2939365	कुशलसिंह	भीमाजी	अलीराजपुर	सैजा	18-11-2020		MP69MA7242	मोटर साइकिल	20-10-2016	स्वीकार्य
6	MP2373897	रमेश सोलंकी	मगन	अलीराजपुर	छोटा उंदवा	25-12-2016	1,20,000	MP69MA3915	मोटर साइकिल	16-06-2016	आरएनजी
7	MP1804474	तेरसिंह	आदिसिंह	अलीराजपुर	गहवान	19-03-2017	1,20,000	MP69MA4770	मोटर साइकिल	01-06-2016	स्वीकार्य
8	MP3377011	फातू	अमरिया	अलीराजपुर	घुंघासा	14-12-2020		MP69MB2604	मोटर साइकिल	10-08-2017	आरएनजी
9	MP3289076	मुकेश चौहान	धुंधा चौहान	अलीराजपुर	हरस्वत	06-05-2020	1,20,000	MP69MA4361	मोटर साइकिल	03-05-2016	स्वीकार्य
10	MP3107847	छगन चौहान	भुवन चौहान	अलीराजपुर	लखन कोट	11-11-2020		MP69A2262	ट्रैक्टर	25-11-2019	स्वीकार्य

11	MP3070411	सुबला	लालू	अलीराजपुर	लखन कोट	11-04-2018	1,20,000	MP69MA9246	मोपेड साइकिल	29-03-2017	स्वीकार्य
12	MP3108106	सुकलिया बुंदरिया	कटार सिंह	अलीराजपुर	इंदरसिंग की चौकी	06-07-2019	1,20,000	MP69MC4754	मोटर साइकिल	08-03-2019	आरएनजी
13	MP2747895	वेस्ता चौहान	सुमला चौहान	अलीराजपुर	खार कुवा	01-05-2020	1,20,000	MP69R0351	ऑटो रिक्शा	02-07-2019	स्वीकार्य
14	MP3192851	जुवानसिंह डावर	दलसिंह	अलीराजपुर	खरखरी	03-05-2020	25,000	MP69R0350	ऑटो रिक्शा	19-07-2019	आरएनजी
15	MP2993507	राजू तोमर	डायटाला तोमारा	अलीराजपुर	खरपाई	11-04-2018	1,20,000	MP69MB1019	मोटर साइकिल	04-04-2017	स्वीकार्य
16	MP2923401	महेश	अमर सिंह	अलीराजपुर	खरपाई	19-03-2017	1,20,000	MP69MA2775	मोटर साइकिल	09-03-2016	स्वीकार्य
17	MP2796262	गुमानसिह बघेल	एना बघेल	अलीराजपुर	मोरासा	15-06-2019	1,20,000	MP69MA5378	मोटर साइकिल	25-07-2016	स्वीकार्य
18	MP2793417	गुजरसिंह बघेल	दीपला बघेल	अलीराजपुर	मोरासा	15-06-2019	1,20,000	MP69MC1458	मोटर साइकिल	26-09-2018	स्वीकार्य
19	MP3141025	नानबाई	रतनसिंह	अलीराजपुर	राजावत	09-05-2020	1,20,000	MP69MA4559	मोटर साइकिल	30-06-2016	स्वीकार्य
20	MP2132694	दलसिह	झेटरिया	अलीराजपुर	राजावत	18-04-2017	1,20,000	MP69A0834	ट्रैक्टर	10-03-2016	स्वीकार्य
21	MP2962542	कंडेलिया	वेस्टा	अलीराजपुर	रिछवी	07-05-2020	65,000	MP69A1966	ट्रैक्टर	18-03-2019	आरएनजी
22	MP2523518	सुरला कनेश	धनसिंह	अलीराजपुर	टीटी	17-03-2018	1,20,000	MP69MB3944	मोटर साइकिल	03-12-2016	स्वीकार्य
23	MP3377492	चेनसिंह भूरिया	हरसिंह भूरिया	अलीराजपुर	अमन कुवा	04-05-2020	25,000	MP69MB9243	मोटर साइकिल	28-05-2018	स्वीकार्य
24	MP3395541	किना वसुनिया	भावजी	अलीराजपुर	अमन कुवा	04-05-2020	65,000	MP69MB1404	मोटर साइकिल	25-05-2017	स्वीकार्य

25	MP3431622	लालसिंह भूरिया	कलवा भूरिया	अलीराजपुर	छपरी	19-03-2018	1,20,000	MP69MA4592	मोटर साइकिल	18-05-2016	स्वीकार्य
26	MP2028298	रमेश चौहान	नानजी चौहान	अलीराजपुर	बरझार	07-05-2020	1,20,000	MP69MB4094	मोटर साइकिल	10-11-2017	स्वीकार्य
27	MP3416691	किशन मोहनिया	थवरिया	अलीराजपुर	भवता छोटा	21-06-2019	1,20,000	MP69MC4018	मोटर साइकिल	18-02-2019	स्वीकार्य
28	MP2344456	अभयसिंह खराड़िया	मंगा	अलीराजपुर	डुंगलिवानी	05-02-2017	1,20,000	MP69MA7512	मोटर साइकिल	16-09-2016	स्वीकार्य
29	MP3392351	केरिया डावर	भांगड़िया डावर	अलीराजपुर	गिरधा	22-11-2020		MP69MA3815	मोटर साइकिल	30-04-2016	स्वीकार्य
30	MP2627421	रमेश परमार	सुबन	अलीराजपुर	महेन्द्र	24-06-2019	1,20,000	MP69MC6328	मोटर साइकिल	06-05-2019	स्वीकार्य
31	MP3179183	कांटी बामनिया	कसाना	अलीराजपुर	महेन्द्र	10-11-2020		MP69MC6326	मोटर साइकिल	06-05-2019	स्वीकार्य
32	MP3324047	पार्सिंग बैरिया	लालजी बैरिया	अलीराजपुर	महेन्द्र	24-06-2019	25,000	MP69MB9209	मोटर साइकिल	01-05-2018	स्वीकार्य
33	MP2985428	कुवरसिंह वसुनिया	जामसिंह	अलीराजपुर	मायावत	11-04-2018	1,20,000	MP69MB7793	मोटर साइकिल	04-04-2018	स्वीकार्य
34	MP3069403	दरिया मावी	अगन मावी	अलीराजपुर	पोलबाड़ी	17-11-2020		MP69MB0342	मोटर साइकिल	17-04-2017	स्वीकार्य
35	MP3077214	कुँवरिया कटारा	वेसिया	अलीराजपुर	पोलछोटी	06-12-2020		MP69MA4538	मोटर साइकिल	19-09-2016	आरएनजी
36	MP2458457	राकेश गनावा	सावा	अलीराजपुर	रिंगोल	17-11-2020		MP69MC4903	मोटर साइकिल	20-03-2019	स्वीकार्य
37	MP3385595	सेवला सांगोद	मकाना	अलीराजपुर	रिंगोल	19-10-2020		MP69MD5599	मोटर साइकिल	30-04-2020	स्वीकार्य
38	MP2553578	रत्ना गनावा	झाबूदा	अलीराजपुर	रिंगोल	17-11-2020		MP69MD6410	मोटर साइकिल	16-07-2020	स्वीकार्य

39	MP2104605	कांटी मावी	पनिया	अलीराजपुर	रिंगोल	19-06-2019	1,20,000	MP69MA9660	मोटर साइकिल	01-05-2017	स्वीकार्य
40	MP1855782	मुकेहा गोहिल	भरता	अलीराजपुर	रिंगोल	03-01-2017	1,20,000	MP69MA4842	मोटर साइकिल	10-06-2016	स्वीकार्य
41	MP2735051	कनिया चौहान	मथुरा	अलीराजपुर	सेजवाड़ा	19-10-2020		MP69MA8750	मोटर साइकिल	13-02-2017	स्वीकार्य
42	MP2948025	रतनसिंह गनावा	सत्रिया	अलीराजपुर	सेजवाड़ा	16-12-2020		MP69MB8665	मोटर साइकिल	14-05-2018	स्वीकार्य
43	MP3178969	सर्बा गनावा	बालका	अलीराजपुर	सेजवाड़ा	20-08-2019	1,20,000	MP69MB6620	मोटर साइकिल	13-03-2018	स्वीकार्य
44	MP2836686	मदन	पटलिया	अलीराजपुर	जमनी	20-04-2018	1,20,000	MP69MB2372	मोटर साइकिल	24-05-2017	स्वीकार्य
45	MP3118612	भुवनसिंह मौर्य	मांगलिया	अलीराजपुर	थापली	28-04-2018	1,20,000	MP69MB4827	मोटर साइकिल	30-10-2017	स्वीकार्य
46	MP3394269	करणसिंह गड़रिया	लुभा	अलीराजपुर	थापली	21-06-2019	1,20,000	MP69MB9648	मोटर साइकिल	12-06-2018	स्वीकार्य
47	MP3390222	चामसिंह अजनार	हरेसिंह	अलीराजपुर	अंडारी	09-07-2019	1,20,000	MP69MC6228	मोटर साइकिल	27-05-2019	स्वीकार्य
48	MP3117998	नीरू डाबर	दीवान	अलीराजपुर	अमझिरी	03-09-2019	1,20,000	MP69MB5040	मोटर साइकिल	04-12-2017	स्वीकार्य
49	MP3252460	पेरू डावर	नजरू	अलीराजपुर	बिजोरिया	14-12-2020		MP69MC7129	मोटर साइकिल	01-06-2019	स्वीकार्य
50	MP3335588	भावसिंह तोमर	ममला तोमर	अलीराजपुर	अम्बादाबेरी	30-04-2020	65,000	MP69MA3364	मोटर साइकिल	13-04-2016	स्वीकार्य
51	MP3098060	काजल	खुजली	अलीराजपुर	अंधारकांच	07-05-2020	1,20,000	MP69MA4510	मोटर साइकिल	25-05-2016	स्वीकार्य
52	MP2623519	शंकर कनेश	मंगु	अलीराजपुर	अंधारकांच	08-07-2019	1,20,000	MP69MC5443	मोटर साइकिल	02-03-2019	स्वीकार्य

53	MP2953031	हितरान चौहान	मदन	अलीराजपुर	झरकाली	08-08-2019	1,20,000	MP69MC6729	मोटर साइकिल	29-05-2019	स्वीकार्य
54	MP3391708	कलाम परमार	नूराजी परमार	अलीराजपुर	कदवाल	15-06-2019	1,20,000	MP69MB8293	मोटर साइकिल	28-04-2018	स्वीकार्य
55	MP2231999	धनसिंह	भीलू	अलीराजपुर	कवछा	16-05-2017	1,20,000	MP69MA7644	मोपेड	13-11-2016	आरएनजी
56	MP3093948	भुवना मेहाड़ा	पेमाला	अलीराजपुर	मोरिया का बड़ा	16-06-2019	65,000	MP69MB3282	मोटर साइकिल	02-05-2017	स्वीकार्य
57	MP3394063	गुला धमोर	डाला	अलीराजपुर	झोलिया	04-04-2018	1,20,000	MP69MB0601	मोटर साइकिल	03-05-2017	स्वीकार्य
58	MP2611537	राजू कनेश	टेरसिंग	अलीराजपुर	सामरा	04-04-2018	1,20,000	MP69MA8298	मोटर साइकिल	30-12-2016	स्वीकार्य
59	MP2640879	रामसिंह तोमर	गुलिया	अलीराजपुर	सामरा	04-04-2018	1,20,000	MP69MA8651	मोटर साइकिल	11-01-2017	स्वीकार्य
60	MP3388885	भांगडिया	वेस्टा	अलीराजपुर	सोरवा	13-10-2020		MP69MB9412	मोटर साइकिल	07-05-2018	स्वीकार्य
61	MP3070269	इडलसिंग डावर	भुलिया	अलीराजपुर	सोरवा	04-05-2020	1,05,000	MP69MA8301	मोटर साइकिल	29-12-2016	स्वीकार्य
62	MP3070285	जेतरा जमरा	देवीसिंग	अलीराजपुर	सोरवा	04-05-2020	1,05,000	MP69MB9004	मोटर साइकिल	25-04-2018	स्वीकार्य
63	MP2596603	गुड्डू देवरसिया	जोगदा	अलीराजपुर	सोरवा	10-07-2019	1,20,000	MP69MC7089	मोटर साइकिल	10-05-2019	स्वीकार्य
64	MP3315774	रेबा किराड	झमरला	अलीराजपुर	अथा	08-08-2019	1,20,000	MP69MA9126	मोटर साइकिल	23-03-2017	स्वीकार्य
65	MP2725103	किसन	रुलसिंह	अलीराजपुर	बड्डा	28-02-2018	1,20,000	MP69MA5536	मोटर साइकिल	29-07-2016	स्वीकार्य
66	MP2787790	परसु	साबुतिया	अलीराजपुर	बदाली	30-01-2017	1,20,000	MP69MA8192	स्कूटर	12-12-2016	स्वीकार्य

67	MP2985363	रामतिया सोलंकी	वासनिया	अलीराजपुर	बड़ी उतावली	08-08-2019	1,20,000	MP69MA4537	मोटर साइकिल	30-06-2016	स्वीकार्य
68	MP3175375	देबरिया	दारजी	अलीराजपुर	कदवानिया	14-06-2019	1,20,000	MP69MA3616	मोटर साइकिल	13-04-2016	स्वीकार्य
69	MP3340141	रावलिया सोलंकी	गठिया	अलीराजपुर	बिछोली	16-06-2019	1,20,000	MP69A1430	ट्रैक्टर	29-12-2017	स्वीकार्य
70	MP2786388	मानकर	शंकर	अलीराजपुर	बिलझिरी	07-05-2020	1,20,000	MP69MA6722	मोटर साइकिल	19-09-2016	स्वीकार्य
71	MP2602101	सुरतन सोलंकी	रायला	अलीराजपुर	बिलझिरी	29-04-2020	1,20,000	MP69MB4816	मोटर साइकिल	23-05-2017	स्वीकार्य
72	MP2803337	जगु	थेबदिया डावर	अलीराजपुर	बिलझिरी	02-03-2018	1,20,000	MP69MA9260	मोटर साइकिल	05-03-2017	स्वीकार्य
73	MP2912077	केबाजी चौहान	परसु	अलीराजपुर	छकताला	16-03-2018	1,20,000	MP69MA8322	मोटर साइकिल	25-01-2017	स्वीकार्य
74	MP3380915	अजान	रायसिंह	अलीराजपुर	छकताला	16-05-2017	1,20,000	MP69A0810	ट्रैक्टर	02-03-2016	स्वीकार्य
75	MP3053313	फिरंग सास्तिया	बल्ला	अलीराजपुर	डार्काली	28-11-2020		MP69MC5642	मोटर साइकिल	18-03-2019	स्वीकार्य
76	MP2460683	बाटा सास्तिया	पेमा	अलीराजपुर	डार्काली	09-03-2018	1,20,000	MP69MA9708	मोटर साइकिल	12-04-2017	स्वीकार्य
77	MP2547511	नानसिंह सास्तिया	खजान	अलीराजपुर	डार्काली	16-06-2019	1,20,000	MP69MA9629	मोटर साइकिल	31-03-2017	स्वीकार्य
78	MP3381636	लुसिया तोमर	चमरिया	अलीराजपुर	डार्काली	13-11-2020		MP69MD2604	मोटर साइकिल	17-03-2020	स्वीकार्य
79	MP2598618	नाहरसिंह सास्तिया	डीतालीय	अलीराजपुर	डार्काली	01-05-2020	1,20,000	MP69MA4052	मोटर साइकिल	30-04-2016	स्वीकार्य
80	MP3045854	नाना सस्तिया	रूनिया	अलीराजपुर	डार्काली	28-11-2020		MP69A2050	ट्रैक्टर	31-03-2019	स्वीकार्य

81	MP2467629	रमेश सोलंकी	लक्ष्मण	अलीराजपुर	फरतला	24-06-2019	1,20,000	MP69MA5783	मोटर साइकिल	01-08-2016	स्वीकार्य
82	MP3094251	गुमान चौहान	आन सिंह	अलीराजपुर	गेंडाछोटी	16-06-2019	1,20,000	MP69MB7644	मोटर साइकिल	07-04-2018	स्वीकार्य
83	MP2216776	वेचा सास्तिया	जामसिंह	अलीराजपुर	गेंडाछोटी	19-03-2017	1,20,000	MP69MA3510	मोटर साइकिल	13-04-2016	स्वीकार्य
84	MP2581400	जगन भादलिया	जांगलिया	अलीराजपुर	गेंडाछोटी	09-03-2018	1,20,000	MP69MA2357	मोटर साइकिल	25-01-2016	स्वीकार्य
85	MP3392137	बालसिंह सोलंकी	सरला	अलीराजपुर	भांचीडी	23-03-2018	1,20,000	MP69MB5388	मोटर साइकिल	05-12-2017	स्वीकार्य
86	MP2989065	रामू रावत	गुमान	अलीराजपुर	गुनेरी	26-06-2019	1,20,000	MP69MC6232	मोटर साइकिल	27-05-2019	स्वीकार्य
87	MP2514859	केसिया मुजल्दा	डेगरिया	अलीराजपुर	झंडाना	09-03-2018	1,20,000	MP69MB4301	मोटर साइकिल	20-10-2017	स्वीकार्य
88	MP2581895	पुता सोलंकी	रामसिंह	अलीराजपुर	झंडाना	25-05-2017	1,20,000	MP69MA6346	मोटर साइकिल	24-09-2016	स्वीकार्य
89	MP2590048	तायला सोलंकी	भुरसीह	अलीराजपुर	काकराना	05-04-2018	1,20,000	MP69MB2350	मोटर साइकिल	26-08-2017	स्वीकार्य
90	MP2634394	कल्ला सोलंकी	वेदिया	अलीराजपुर	काकराना	24-06-2019	1,05,000	MP69MC3528	मोटर साइकिल	07-01-2019	स्वीकार्य
91	MP3034201	अगनसिंह सोलंकी	गालू	अलीराजपुर	काकराना	07-05-2020	1,20,000	MP69MC1602	मोटर साइकिल	06-09-2018	स्वीकार्य
92	MP3091790	भागला सोलंकी	गुली	अलीराजपुर	काकराना	07-05-2020	1,05,000	MP69MC3591	मोटर साइकिल	20-12-2018	स्वीकार्य
93	MP3008915	नवसिंह अवास्या	सेवाजी	अलीराजपुर	अमला	15-05-2020	1,20,000	MP69MB1501	मोटर साइकिल	09-06-2017	स्वीकार्य
94	MP2515396	रमेश अवास्या	मांगनिया	अलीराजपुर	अमला	09-03-2018	1,20,000	MP69MA7764	मोटर साइकिल	03-12-2016	स्वीकार्य

95	MP2671503	छतरसिंह	हिरकम	अलीराजपुर	कसरिया	17-06-2019	1,20,000	MP69MB6381	मोटर साइकिल	29-01-2018	स्वीकार्य
96	MP2808016	सज्जू	मजन	अलीराजपुर	भोपालिया	16-06-2019	1,20,000	MP69MC2820	मोटर साइकिल	13-12-2018	स्वीकार्य
97	MP2788152	रागसिंह कनेश	आर्सिया	अलीराजपुर	किटी	04-05-2020	1,05,000	MP69MA8297	मोटर साइकिल	29-12-2016	स्वीकार्य
98	MP3097248	रुमला डावर	साधु	अलीराजपुर	रोलीगांव	13-11-2020		MP69MB6243	मोटर साइकिल	28-02-2018	स्वीकार्य
99	MP3399697	रामू बामनिया	झगड़िया बामनिया	अलीराजपुर	अंडारी	26-05-2017	1,20,000	MP69MA9353	मोटर साइकिल	31-03-2017	स्वीकार्य
100	MP3172220	होलकर डावर	खुमसिंह	अलीराजपुर	सागबारा	14-06-2019	1,20,000	MP69MA2876	मोटर साइकिल	02-03-2016	स्वीकार्य
101	MP2956660	भिंडिया	भूरसिंह	अलीराजपुर	सागबारा	19-03-2017	1,20,000	MP69MA4550	मोटर साइकिल	30-06-2016	स्वीकार्य
102	MP3189159	गुनगनिया डावर	वकेला	अलीराजपुर	सेमलानी	23-07-2019	1,05,000	MP69MB9771	मोटर साइकिल	05-06-2018	स्वीकार्य
103	MP3140981	अनिल जुकटिया	कानसिंह	अलीराजपुर	पुवासा	14-06-2019	1,05,000	MP69MA5254	मोटर साइकिल	05-07-2016	स्वीकार्य
104	MP3061182	खामसिंह जुकातिया	भवसिंह	अलीराजपुर	पुवासा	13-02-2017	1,20,000	MP69MA8511	स्कूटर	19-09-2016	स्वीकार्य
105	MP3054153	सालदार कनेश	पूता	अलीराजपुर	सोंडवा	09-05-2020	1,20,000	MP69MC8703	मोटर साइकिल	06-08-2019	स्वीकार्य
106	MP2595038	केशा कनेश	मकु	अलीराजपुर	उमरखड	16-03-2018	1,20,000	MP69MA4038	मोटर साइकिल	30-04-2016	स्वीकार्य
107	MP2697238	झुमला सास्तिया	रणसिंह	अलीराजपुर	उमराथ	11-07-2019	65,000	MP69MC1834	मोटर साइकिल	05-11-2018	स्वीकार्य
108	MP2988294	नांता सास्तिया	कानसिंह	अलीराजपुर	उमराथ	16-05-2020	1,20,000	MP69MB1746	मोटर साइकिल	27-05-2017	स्वीकार्य

109	MP2788643	वेस्टा	वाल सिंह	अलीराजपुर	वालपुर	17-06-2019	1,05,000	MP69A1876	ट्रैक्टर	24-11-2018	स्वीकार्य
110	MP2601176	जोहरू अजनार	रामासिंग	अलीराजपुर	सोलिया	01-02-2021		MP69MB4161	मोटर साइकिल	03-10-2017	स्वीकार्य
111	MP3426139	फूलसिंह मसनिया	छगन	अलीराजपुर	बुदकुई बाड़ी	14-04-2018	1,20,000	MP69MB6233	मोटर साइकिल	23-02-2018	स्वीकार्य
112	MP3405582	कुवरसिंह मसानिया	पड़रिया	अलीराजपुर	बुदकुई बाड़ी	30-03-2018	1,20,000	MP69MA7519	मोटर साइकिल	29-09-2016	स्वीकार्य
113	MP3122603	प्रताप रावत	गणपत	अलीराजपुर	छोटा इटारा	06-07-2019	1,20,000	MP69MA6699	मोटर साइकिल	20-09-2016	स्वीकार्य
114	MP2592169	मुन सिंह वसुनिया	दल्ला	अलीराजपुर	फुतलब छोटा	20-06-2019	1,20,000	MP69MB3836	मोटर साइकिल	19-05-2017	स्वीकार्य
115	MP3475646	मल्ला अहिरवार	धनुआ अहिरवार	छतरपुर	अमरवा	09-03-2018	1,20,000	MP16MK6645	मोटर साइकिल	23-01-2016	आरएनजी
116	MP5235485	नन्ने यादव	हीरालाल	छतरपुर	बामनी	20-10-2020	25,000	MP16MT6517	मोटर साइकिल	17-06-2020	आरएनजी
117	MP2102566	जहर यादव	बाला	छतरपुर	बमनोर कलां	17-11-2020	25,000	MP16MS9053	मोटर साइकिल	26-11-2019	आरएनजी
118	MP5097257	भागीरथ पाल	घुरिया पाल	छतरपुर	बंध	24-10-2020	25,000	MP16MP2165	मोटर साइकिल	29-05-2018	आरएनजी
119	MP4766360	बबलू अहिरवार	सरमन	छतरपुर	बंध	27-04-2020	1,20,000	MP16MS5090	मोटर साइकिल	03-10-2019	आरएनजी
120	MP3668335	उस्मान खान	जुम्मन खां	छतरपुर	भगवाबाजारपट्टी	29-08-2019	1,20,000	MP16MN2779	मोटर साइकिल	10-11-2017	आरएनजी
121	MP4594846	जानकी रैकवार	परमैय्या रैकवार	छतरपुर	भगवाबाजारपट्टी	12-01-2021		MP16MQ3154	मोटर साइकिल	04-12-2018	आरएनजी
122	MP4560653	विंदावन पाल	तुलसी	छतरपुर	बुदौर	22-12-2020		MP16AC9044	ट्रैक्टर	19-12-2018	आरएनजी

123	MP3885540	उमाकांत दुबे	बिंद्रावन दुबे	छतरपुर	पुरा	28-06-2019	1,20,000	MP16ML0195	मोटर साइकिल	26-04-2016	आरएनजी
124	MP4301615	बिंद्रावन साहू	बंडू साहू	छतरपुर	डालीपुर	20-10-2020		MP16MS0928	मोटर साइकिल	30-07-2019	आरएनजी
125	MP5035828	राजाराम यादव	सरमन यादव	छतरपुर	बुधेरा	20-10-2020	25,000	MP16MR5478	मोटर साइकिल	13-06-2019	आरएनजी
126	MP4596445	कमलेश रायकवार	जालमा रैकवार	छतरपुर	धधोरा	05-01-2021		MP16MR0967	मोटर साइकिल	01-04-2019	आरएनजी
127	MP4386759	दुली यादव	जानकी यादव	छतरपुर	धधोरा	17-11-2020	25,000	MP16MM3563	मोटर साइकिल	18-05-2017	आरएनजी
128	MP3807924	मुन्नी लाल यादव	रामचरण यादव	छतरपुर	धंगुआन	24-06-2019	1,20,000	MP16MM3130	मोटर साइकिल	05-05-2017	आरएनजी
129	MP4958686	राजेश सेन	राम प्रसाद सेन	छतरपुर	धंगुआन	20-10-2020	25,000	MP16MU0560	मोटर साइकिल	21-08-2020	आरएनजी
130	MP3959507	रामस्वरूप अहिरवार	श्यामलाल	छतरपुर	घिनोची	17-08-2017	1,20,000	MP16MM7613	मोटर साइकिल	04-07-2017	आरएनजी
131	MP5213230	दुर्जन	धरम दास	छतरपुर	हरदोलपट्टी	16-02-2021		MP16S6860	मोपेड	03-10-2017	आरएनजी
132	MP3274228	कोमल सिंह यादव	खुशयाल सिंह	छतरपुर	परगसपुरा	30-04-2020	1,05,000	MP16AC5636	ट्रैक्टर	21-04-2017	आरएनजी
133	MP3722403	राम किशोर कुशवाहा	बंधु	छतरपुर	कर्री	18-06-2019	1,05,000	MP16MK9633	मोटर साइकिल	14-04-2016	आरएनजी
134	MP2520564	राधे पाल	बेंदू पाल	छतरपुर	कुडेला	21-06-2019	1,05,000	MP16ML6812	मोटर साइकिल	15-11-2016	आरएनजी
135	MP2988088	कन्हैया लाल साहू	किशोरी साहू	छतरपुर	महाराजगंज	18-06-2019	25,000	MP16S8179	मोपेड	23-01-2018	आरएनजी
136	MP3867500	लक्ष्मण	नाथूवा कुशवाहा	छतरपुर	महाराजगंज	20-10-2020	25,000	MP16AC9653	ट्रैक्टर	18-02-2019	आरएनजी

137	MP4468306	प्यारेलाल यादव	धनश्याम यादव	छतरपुर	महाराजगंज	22-12-2020	25,000	MP16AC4952	ट्रैक्टर	23-12-2016	आरएनजी
138	MP3890454	रामप्रसाद अहिरवार	हीरालाल	छतरपुर	मनकारी	03-03-2018	1,20,000	MP16ML5387	मोटर साइकिल	19-09-2016	आरएनजी
139	MP1784257	चिदुवा प्रजापति	हरिया प्रजापति	छतरपुर	पंवारी	27-06-2018	1,20,000	MP16S3361	मोपेड	11-04-2016	आरएनजी
140	MP5587464	मोती लाल यादव	मुलुका	छतरपुर	लखनवा	07-11-2020	25,000	MP16AC3669	ट्रैक्टर	16-02-2016	आरएनजी
141	MP3155255	अच्छे लाल	भुल्ला	छतरपुर	पीरा	22-07-2019	1,20,000	MP16MN1945	मोटर साइकिल	25-10-2017	आरएनजी
142	MP2912819	संतोष अहिरवार	अमाना	छतरपुर	रामतोरिया	17-05-2017	1,20,000	MP16MM3284	मोटर साइकिल	05-05-2017	आरएनजी
143	MP2125152	लंपू लोधी	मोती	छतरपुर	रामतोरिया	05-04-2018	1,20,000	MP16MM5402	मोटर साइकिल	02-06-2017	आरएनजी
144	MP2203887	लल्लू लोधी	जालमा लोधी	छतरपुर	रानीताल	19-05-2020	1,20,000	MP16MQ0820	मोटर साइकिल	04-10-2018	आरएनजी
145	MP2090571	गयादीन रजक	पुनुवा रजक	छतरपुर	सेधपा	27-04-2020	1,20,000	MP16MP3653	मोटर साइकिल	20-07-2018	आरएनजी
146	MP5216898	भैया लाल पाल	किलोश पाल	छतरपुर	सेधपा	29-09-2020	25,000	MP16MK8426	मोटर साइकिल	19-03-2016	आरएनजी
147	MP3795318	देवी प्रसाद यादव	भगवानदास यादव	छतरपुर	हंसारी	17-06-2020	25,000	MP16AC4452	ट्रैक्टर	09-09-2016	आरएनजी
148	MP5557308	शंकर दयाल साहू	हरलाल	छतरपुर	अमरपुरा	29-09-2020	1,05,000	MP16MS0602	मोटर साइकिल	29-07-2019	आरएनजी
149	MP2951607	भगुनते विश्वकर्मा	तांते	छतरपुर	बड़ागांव	27-07-2019	1,20,000	MP16MN3554	मोटर साइकिल	01-12-2017	आरएनजी
150	MP4197494	लटोरा अहिरवार	गोविंदा	छतरपुर	बड़ागांव	27-09-2020	65,000	MP16MQ5874	मोटर साइकिल	11-01-2019	आरएनजी

151	MP2153061	कृष्ण अहिरवार	भगोला	छतरपुर	बिजयपुर	23-03-2018	1,20,000	MP16MM4673	मोटर साइकिल	25-05-2017	आरएनजी
152	MP2269551	देशराज यादव	जुगलू	छतरपुर	बिजयपुर	25-07-2019	1,20,000	MP16AC6542	ट्रैक्टर	16-08-2017	आरएनजी
153	MP5429238	राकेश यादव	शंकर	छतरपुर	बिलगे	28-09-2020	65,000	MP16AC4846	ट्रैक्टर	19-12-2016	आरएनजी
154	MP5625358	दलपत अहिरवार	कटुआ	छतरपुर	दरगुवान	16-10-2019	1,20,000	MP16MQ4387	मोटर साइकिल	21-12-2018	आरएनजी
155	MP4498325	मनोज विश्वकर्मा	बंदी विश्वकर्मा	छतरपुर	देवड़ा	29-09-2020	1,05,000	MP16MK9064	मोटर साइकिल	23-03-2016	आरएनजी
156	MP5486338	भैयादीन अहिरवार	वल्कु	छतरपुर	धरमपुरा	28-12-2019	1,20,000	MP16MM5162	मोटर साइकिल	01-06-2017	आरएनजी
157	MP1715343	संतू यादव	रामला	छतरपुर	अमरपुरा	27-07-2019	1,20,000	MP16ML8629	मोटर साइकिल	02-01-2017	आरएनजी
158	MP1808969	देवीदीन अहिरवार	पारसदाव	छतरपुर	बसरौई	26-12-2016	1,20,000	MP16MK8711	मोटर साइकिल	20-03-2016	आरएनजी
159	MP3575094	भजन लाल रैकवार	दयाराम रैकवार	छतरपुर	मंगलपुरवा	23-05-2017	1,20,000	MP16ML1119	मोटर साइकिल	12-05-2016	आरएनजी
160	MP2978210	पंचू	कमोदा अहिरवार	छतरपुर	भरटोली	31-03-2018	1,20,000	MP16ML1880	मोटर साइकिल	19-05-2016	आरएनजी
161	MP5663409	राज पाल	भरत सिंह	छतरपुर	कांटी	22-01-2021		MP16MU1339	मोटर साइकिल	21-08-2020	आरएनजी
162	MP3928594	जगदीश सोनी	मुरलीधर	छतरपुर	जैतपुर	09-09-2020	65,000	MP16MQ3322	मोटर साइकिल	05-12-2018	आरएनजी
163	MP2738051	कालूचरन अहिरवार	वाटोला	छतरपुर	जैतपुर	26-04-2020	1,20,000	MP16MQ5184	मोटर साइकिल	31-12-2018	आरएनजी
164	MP3882228	उमाशंकर अहिरावा	मनसुखा अहिरावर	छतरपुर	जैतपुर	09-09-2020	65,000	MP16MR4469	मोटर साइकिल	07-06-2019	आरएनजी

165	MP2663137	हरगोविंद पटेल	सुंदर	छतरपुर	जैतपुर	13-12-2020	25,000	MP16AD3336	ट्रैक्टर	17-08-2020	आरएनजी
166	MP2055090	भरत धोनी	जग्गू धोनी	छतरपुर	जैतपुर	02-05-2020	1,05,000	MP16ML3061	मोटर साइकिल	17-06-2016	आरएनजी
167	MP5526514	मन प्यारे यादव	भरोसे यादव	छतरपुर	किशनगढ़	28-09-2020	65,000	MP16MK9764	मोटर साइकिल	18-04-2016	आरएनजी
168	MP2287680	प्रेम लाल यादव	विंद्राबन	छतरपुर	कसार	13-12-2020	25,000	MP16AC9983	ट्रैक्टर	30-04-2019	आरएनजी
169	MP5358777	छलिया अहिरवार	तुलैया	छतरपुर	खैराकलां	30-04-2020	1,05,000	MP16MP3649	मोटर साइकिल	20-07-2018	आरएनजी
170	MP2412695	जगदीश रैकवार	धापुआ रैकवार	छतरपुर	कुपिया	27-07-2019	1,05,000	MP16MN9727	मोटर साइकिल	03-04-2018	आरएनजी
171	MP5117501	मोहन कुशवाहा	कमला	छतरपुर	लाखनगुवान	28-09-2020	65,000	MP16MP8577	मोटर साइकिल	08-08-2018	आरएनजी
172	MP2370521	हिक्कन चाहर	किशोरी चादर	छतरपुर	भरतला	26-12-2016	80000	MP16AC3620	ट्रैक्टर	03-02-2016	आरएनजी
173	MP2006889	शंकर अहिरवार	हल्ली	छतरपुर	महुझाला	21-06-2019	1,20,000	MP16AC4280	ट्रैक्टर	03-08-2016	आरएनजी
174	MP2069933	राजाराम कुशवाहा	महंतु	छतरपुर	मझगुवांकलां	15-06-2019	1,20,000	MP16ML5752	मोटर साइकिल	05-10-2016	आरएनजी
175	MP4643131	तुलसी अहिरवार	हल्ला	छतरपुर	पुंगुवा	30-04-2020	1,20,000	MP16MN3520	मोटर साइकिल	01-12-2017	आरएनजी
176	MP5094521	दरियान सिंह	दुर्जन सिंह	छतरपुर	मझगुवांखुर्द	29-09-2020	25,000	MP16MS1355	मोटर साइकिल	01-08-2019	आरएनजी
177	MP4607714	अर्जुन कुशवाहा	लछुवा कुशवाहा	छतरपुर	मझगुवांखुर्द	07-10-2020	65,000	MP16MQ2631	मोटर साइकिल	22-11-2018	आरएनजी
178	MP1194487	राम गिरी	कृष्णा गिरी	छतरपुर	मालवाड़ा	27-09-2020	25,000	MP16MN5097	मोटर साइकिल	29-12-2017	आरएनजी

179	MP3727885	प्रेम लाल यादव	छुट्टी यादव	छतरपुर	मोतीगढ़	13-05-2020	1,20,000	MP16MN1501	मोटर साइकिल	13-10-2017	आरएनजी
180	MP4863866	रतीराम रजक	मोहन लाल रजक	छतरपुर	नयाताल	09-10-2020	1,05,000	MP16MP6925	मोटर साइकिल	28-07-2018	आरएनजी
181	MP2453636	रामनाथ यादव	बंदी	छतरपुर	पाली	08-03-2018	1,20,000	MP16ML5621	मोटर साइकिल	22-09-2016	आरएनजी
182	MP2628032	खिलन यादव	टिड्डन	छतरपुर	पाली	17-03-2018	1,20,000	MP16AC6691	ट्रैक्टर	30-08-2017	आरएनजी
183	MP3970737	पप्पू यादव	बसंती	छतरपुर	पाली	01-01-2021	25,000	MP16AC6555	ट्रैक्टर	16-08-2017	आरएनजी
184	MP4401346	गोविंद यादव	बड्डे यादव	छतरपुर	पाटन	15-10-2020	1,05,000	MP16MS3231	मोटर साइकिल	11-09-2019	आरएनजी
185	MP5230764	हरिदास अहिरवार	बंदी	छतरपुर	पिपत	28-04-2020	1,20,000	MP16MS8933	मोटर साइकिल	13-12-2019	आरएनजी
186	MP2065101	सल्ली नायक	अमरा नायक	छतरपुर	दुगरिया	08-03-2018	1,05,000	MP16MN0195	मोटर साइकिल	21-09-2017	आरएनजी
187	MP5379490	गुलजारी पटेल	विंद्रवन	छतरपुर	नंदगाँवखुर्द	07-10-2020	25,000	MP16ML6958	मोटर साइकिल	15-11-2016	आरएनजी
188	MP5331758	पिरवा अहिरवार	कट्टा	छतरपुर	राजपुरा	13-12-2020	25,000	MP16MK7647	मोटर साइकिल	17-02-2016	आरएनजी
189	MP3372353	कालू अहिरवार	चिंतोला	छतरपुर	बाजना	28-09-2020	25,000	MP16MQ5094	मोटर साइकिल	31-12-2018	आरएनजी
190	MP4537774	बाबूलाल अहिरवार	रोशन	छतरपुर	बाजना	25-04-2020	1,20,000	MP16MQ9622	मोटर साइकिल	13-03-2019	आरएनजी
191	MP4739974	हरदयाल यादव	नन्ने भाई यादव	छतरपुर	हटना	02-11-2020		MP16MS8004	मोटर साइकिल	18-11-2019	आरएनजी
192	MP3240533	जुगल किशोर अहिरवा	मनसुका	छतरपुर	दरगुवा	14-09-2020		MP16MN1679	मोटर साइकिल	13-10-2017	आरएनजी

193	MP4693724	गोरेलाल पाल	हल्लु पाल	छतरपुर	दरगुवा	24-10-2020		MP16MU1758	मोटर साइकिल	03-09-2020	आरएनजी
194	MP4852328	जग्गू कुशवाहा	बुचिया	छतरपुर	दरगुवा	15-10-2020		MP16MU0698	मोटर साइकिल	07-09-2020	आरएनजी
195	MP5605107	ग्यासी नविश्वकर्मा	ढोकन विश्वकर्मा	छतरपुर	दरगुवा	24-10-2020		MP16MP8128	मोटर साइकिल	07-08-2018	आरएनजी
196	MP2470785	कल्लन अहिरवार	हरिया	छतरपुर	धरमपुरा	11-03-2018	1,20,000	MP16ML9114	मोटर साइकिल	10-01-2017	आरएनजी
197	MP5073895	हरप्रसाद यादव	गणपत	छतरपुर	ढीमरवा	03-12-2020		MP16MQ1437	मोटर साइकिल	26-10-2018	आरएनजी
198	MP4818571	जगमोहन लोधी	कांचेरी	छतरपुर	किशुनपुरा	22-12-2020		MP16MT2014	मोटर साइकिल	04-03-2020	आरएनजी
199	MP5667122	हल्का यादव	सैला	छतरपुर	कुही	24-10-2020		MP16AC6241	ट्रैक्टर	20-07-2017	आरएनजी
200	MP3776520	संतोष यादव	प्यारेलाल	छतरपुर	दर्दोनिया	21-03-2018	1,20,000	MP16AC5041	ट्रैक्टर	11-01-2017	आरएनजी
201	MP4897599	जमना यादव	खुन्नू	छतरपुर	दर्दोनिया	02-11-2020	25,000	MP16AC4826	ट्रैक्टर	16-12-2016	आरएनजी
202	MP3761288	मनुवा अहिरवार	कनुवा	छतरपुर	निमानी	14-04-2017	1,20,000	MP16ML4011	मोटर साइकिल	12-07-2016	आरएनजी
203	MP5642491	गणेश प्रसाद तिवारी	भगवतदीन	छतरपुर	अतरार	13-12-2020		MP16MM3801	मोटर साइकिल	24-05-2017	आरएनजी
204	MP5425530	गोविंद सिंह	सरदार सिंह	छतरपुर	अतरार	21-12-2020		MP16AC8910	ट्रैक्टर	13-11-2018	आरएनजी
205	MP1692784	मनीरामाहिरवार	नथुआ	छतरपुर	छतरपुर (एम)	11-02-2021		MP16MK9726	मोटर साइकिल	18-04-2016	आरएनजी
206	MP4192576	प्यारे लाल अहिरवार	कमला	छतरपुर	छतरपुर (एम)	11-02-2021		MP16MS8164	मोटर साइकिल	06-12-2019	आरएनजी

207	MP2765389	राजू बहिरवार	कुरा अहिरवार	छतरपुर	बन्धिकालन	10-03-2018	1,20,000	MP16MN7496	मोटर साइकिल	24-02-2018	आरएनजी
208	MP2685358	रघुवीर यादव	प्रागीलाल यादव	छतरपुर	बर्दवाहा	17-04-2017	1,20,000	MP16ML3602	मोटर साइकिल	04-07-2016	आरएनजी
209	MP4669213	मुलुवा साहू	हरदास साहू	छतरपुर	बर्दवाहा	11-11-2020		MP16S2913	मोपेड	11-01-2016	आरएनजी
210	MP3412833	मुलायम सिंह	नत्थू सिंह	छतरपुर	बरकोहा	19-04-2018	1,20,000	MP16MN6910	मोटर साइकिल	05-02-2018	आरएनजी
211	MP4648498	प्रेमलाल पाल	बहोरे	छतरपुर	ब्रजपुरा	24-10-2020		MP16MR5080	मोटर साइकिल	10-06-2019	आरएनजी
212	MP4401698	दशरथ रजक	पिरवा रजक	छतरपुर	छिरावल	30-10-2020		MP16MK5862	मोटर साइकिल	01-01-2016	आरएनजी
213	MP5483895	इंद्रपाल सिंह	बलवान सिंह	छतरपुर	देरी	12-02-2021		MP16AC9724	ट्रैक्टर	08-03-2019	आरएनजी
214	MP5641162	मातादीन अहिरवार	भाई	छतरपुर	गहरवार	24-10-2020		MP16MS0615	मोटर साइकिल	29-07-2019	आरएनजी
215	MP2813837	लालता कुशवाहा	सरमना	छतरपुर	गहरवार	13-11-2019	1,20,000	MP16SA2750	मोपेड	11-06-2019	आरएनजी
216	MP5343232	हरदीन कुशवाहा	परमलाल	छतरपुर	गंगायच	24-10-2020		MP16MU0806	मोटर साइकिल	31-08-2020	आरएनजी
217	MP5697096	शंकर अहिरवार	लल्लू	छतरपुर	गठेवारा	15-10-2020		MP16MM4121	मोटर साइकिल	18-05-2017	आरएनजी
218	MP4456410	अवध लाल यादव	फेरन	छतरपुर	गुरैया	01-12-2020		MP16MP5753	मोटर साइकिल	28-07-2018	आरएनजी
219	MP4837179	मुकेश शर्मा	बड़े भाई	छतरपुर	तुर्या	01-12-2020		MP16SA4623	स्कूटर	03-10-2019	आरएनजी
220	MP2817559	रतन सिंह	वीर सिंह	छतरपुर	ईशानगर	11-03-2018	1,20,000	MP16ML8015	मोटर साइकिल	07-12-2016	आरएनजी

221	MP3556557	हाकम सिंह	राम सिंह	छतरपुर	ईशानगर	10-08-2020	65,000	MP16AD0233	ट्रैक्टर	31-05-2019	आरएनजी
222	MP4553849	पूरन यादव	पन्नालाल यादव	छतरपुर	बछरोनिया	30-10-2020		MP16ML8240	मोटर साइकिल	16-12-2016	आरएनजी
223	MP5702571	रामदास अहिरवार	धनीराम	छतरपुर	कांटी	04-11-2019	1,20,000	MP16MM5156	मोटर साइकिल	01-06-2017	आरएनजी
224	MP3923957	प्रतीपाल सिंह	पंचम सिंह	छतरपुर	खड़का	08-03-2018	1,20,000	MP16ML8482	मोटर साइकिल	16-12-2016	आरएनजी
225	MP4193263	शिवदयाल	पकिया	छतरपुर	खड़का	11-11-2020		MP16R3553	ऑटो रिक्शा	20-05-2019	आरएनजी
226	MP4260824	ज्वाला प्रसाद कुशवा	हजारी	छतरपुर	कीरतपुरा	23-11-2020		MP16SA1839	मोपेड	23-02-2019	आरएनजी
227	MP2405210	देवलाल अहिरवार	बल्ला	छतरपुर	नाइगुवान	22-07-2019	25,000	MP16ML4330	मोटर साइकिल	26-07-2016	आरएनजी
228	MP3498201	परमलाल रायकवार	बोटू	छतरपुर	नाइगुवान	29-06-2019	1,20,000	MP16MQ4797	मोटर साइकिल	28-12-2018	आरएनजी
229	MP2924985	रामावतार दुबे	राधाचरण दुबे	छतरपुर	नाइगुवान	10-03-2018	1,20,000	MP16MM5365	मोटर साइकिल	02-06-2017	आरएनजी
230	MP5410179	प्यारे लाल सेन	रामचंदे सेन	छतरपुर	नाइगुवान	01-12-2020		MP16SA1653	मोपेड	30-01-2019	आरएनजी
231	MP1173784	हप्पू नाथ	मनकुलिया नाथ	छतरपुर	नाइगुवान	26-12-2016	1,20,000	MP16S4350	मोपेड	19-09-2016	आरएनजी
232	MP4503851	सरमन	बसंत अहिरवार	छतरपुर	पहाड़गांव	05-05-2020	1,05,000	MP16MQ9384	मोटर साइकिल	07-03-2019	आरएनजी
233	MP4848063	रमेश अहिरवार	राम बगास	छतरपुर	पथडा	31-12-2020		MP16MT0421	मोटर साइकिल	01-01-2020	आरएनजी
234	MP5077038	गोविंद	उत्तम सिंह	छतरपुर	सरणी	24-10-2020		MP16MK8831	मोटर साइकिल	22-03-2016	आरएनजी

235	MP5402690	गोकल कुशवाहा	पंच	छतरपुर	सिगॉन	13-10-2020		MP16SA4912	मोपेड	01-11-2019	आरएनजी
236	MP5410832	लखन सिंह	रघुवीर सिंह	छतरपुर	सिगॉन	13-10-2020		MP16AD2134	ट्रैक्टर	21-01-2020	आरएनजी
237	MP4399278	मथुरा कुशवाहा	गयादीन	छतरपुर	थारा	04-11-2020		MP16MR3154	मोटर साइकिल	09-05-2019	आरएनजी
238	MP3795428	जगदेव प्रसाद तिवारी	राजा राम	छतरपुर	बदौरा कलां	19-04-2017	40,000	MP16S3553	मोपेड	03-05-2016	आरएनजी
239	MP3818120	रवींद्र सिंह	बलदेव सिंह	छतरपुर	जोगा	20-06-2019	1,20,000	MP16AC8593	ट्रैक्टर	27-08-2018	आरएनजी
240	MP5704340	लालाश्रम प्रजापति	सुरा	छतरपुर	चितहरी	25-09-2020	25,000	MP16MR7533	मोटर साइकिल	29-06-2019	आरएनजी
241	MP4499361	रामबाबू पाल	रामासरे	छतरपुर	चितहरी	30-12-2020		MP16AC8817	ट्रैक्टर	09-10-2018	आरएनजी
242	MP4784538	श्री रामारख	राधे अरख	छतरपुर	चुकहाटा	01-05-2020	1,20,000	MP16MS1889	मोटर साइकिल	06-08-2019	आरएनजी
243	MP5061665	काशीराम कुशवाहा	राम आसरे	छतरपुर	चुर्यारी	12-10-2020	25,000	MP16MR9878	मोटर साइकिल	17-07-2019	आरएनजी
244	MP2156277	उमाशंकर केवट	रजवा केवट	छतरपुर	बारीखेड़ा	26-03-2018	1,20,000	MP16MM3908	मोटर साइकिल	18-05-2017	आरएनजी
245	MP1570911	शिव पूजन केवट	दुर्गा	छतरपुर	बारीखेड़ा	02-04-2018	1,20,000	MP16MM7669	मोटर साइकिल	04-07-2017	आरएनजी
246	MP4846353	कम्टू राजपूत	कल्लू राजपूत	छतरपुर	किवलाहा	12-10-2020	25,000	MP16MR8048	मोटर साइकिल	02-07-2019	आरएनजी
247	MP5374406	राम प्रसाद अहिरवार	नारायण	छतरपुर	गौरिहार	09-11-2020	25,000	MP16L1345	पिक अप वैन	08-12-2017	आरएनजी
248	MP5680642	अमर सिंह	बसंत सिंह	छतरपुर	धरमपुर	22-10-2020	25,000	MP16MQ5150	मोटर साइकिल	31-12-2018	आरएनजी

249	MP3043331	बच्चू यादव	सनेही	छतरपुर	कंडेला	20-06-2019	1,20,000	MP16MM7117	मोटर साइकिल	21-06-2017	आरएनजी
250	MP5330415	रामसिंह खंगर	अधरे खंगर	छतरपुर	मवईघाट	30-04-2020	1,20,000	MP16MT1509	मोटर साइकिल	29-01-2020	आरएनजी
251	MP5372773	शिव कुमार पटेल	राजाराम पटेल	छतरपुर	मवईघाट	30-12-2020		MP16AC8520	ट्रैक्टर	06-09-2018	आरएनजी
252	MP5717140	राममनोहर पाण्डेय	रामशरण पाण्डेय	छतरपुर	मिसरानपुरवा	29-10-2020		MP16MS1857	मोटर साइकिल	06-08-2019	आरएनजी
253	MP5005346	संतू यादव	मुन्नीलाल	छतरपुर	फतेपुर	29-10-2020		MP16MS5171	मोटर साइकिल	04-11-2019	आरएनजी
254	MP4285258	शिव प्रसाद अहिरवार	करिया	छतरपुर	मुदहारा	26-09-2020	25,000	MP16MS7397	मोटर साइकिल	20-11-2019	आरएनजी
255	MP5586173	गोरेलाल	बुल्ला	छतरपुर	बरुआ	08-10-2020	25,000	MP16MT5324	मोटर साइकिल	08-09-2020	आरएनजी
256	MP5199890	छोटेलाल पटेल	पलटू पटेल	छतरपुर	जूडीपुर	02-11-2020	25,000	MP16MT6681	मोटर साइकिल	14-07-2020	आरएनजी
257	MP4735537	शिव कुमार यादव	कृपाल	छतरपुर	पचबरा	24-10-2020	25,000	MP16MS6794	मोटर साइकिल	02-12-2019	आरएनजी
258	MP4460155	हलके पाल	विंदा पाल	छतरपुर	परी	20-10-2020	25,000	MP16MK8630	मोटर साइकिल	20-03-2016	आरएनजी
259	MP3200358	बबलू अहिरवार	श्याम लाल	छतरपुर	प्रकाशबम्हौरी	31-03-2018	1,20,000	MP16ML0574	मोटर साइकिल	03-05-2016	आरएनजी
260	MP5509417	म्हाप्रसाद अहिरवार	मैयादीन	छतरपुर	सीलप	08-10-2020	25,000	MP16MS7857	मोटर साइकिल	20-11-2019	आरएनजी
261	MP2337759	मनोज पटेल	लखन लाल	छतरपुर	ठकुरा	15-05-2020	25,000	MP16MN5864	मोटर साइकिल	05-01-2018	आरएनजी
262	MP3619073	संतोष सिंह	राम सिंह	छतरपुर	ठकुरा	25-08-2017	1,20,000	MP16AC5251	ट्रैक्टर	14-02-2017	आरएनजी

263	MP5582543	अशोक कुमार पटेल	राम सरन	छतरपुर	उदयपुर	12-10-2020	25,000	MP16MR5384	मोटर साइकिल	12-06-2019	आरएनजी
264	MP5606918	जगप्रसाद पटेल	शिवरतन	छतरपुर	उदयपुर	12-10-2020	25,000	MP16MP4468	मोटर साइकिल	23-07-2018	आरएनजी
265	MP2469683	राजेश	गोपी पाल	छतरपुर	बचोन	17-06-2019	1,20,000	MP16MM3327	मोटर साइकिल	05-05-2017	आरएनजी
266	MP4855552	राजेंद्र नगर	भैयालाल नागर	छतरपुर	देवीखेड़ा	19-02-2021		MP16MP8220	मोटर साइकिल	07-08-2018	आरएनजी
267	MP5068426	राम पाल सिंह	बलराम सिंह	छतरपुर	बंसिया	09-10-2020	25,000	MP16AC6349	ट्रैक्टर	26-07-2017	आरएनजी
268	MP3714027	महेंद्र सिंह	जय सिंह	छतरपुर	बेड़े	19-06-2019	1,20,000	MP16AC3710	ट्रैक्टर	02-03-2016	आरएनजी
269	MP2635843	अमर सिंह	अमन गाओ	छतरपुर	शाहपुर	09-05-2020	25,000	MP16MN1211	मोटर साइकिल	10-10-2017	आरएनजी
270	MP4500989	बरदानी	भोला अहिरवार	छतरपुर	शाहपुर	10-05-2020	1,20,000	MP16MK8636	मोटर साइकिल	20-03-2016	आरएनजी
271	MP2813815	गया प्रसादसोनी	रामेश्वर सोनी	छतरपुर	बैरगियापुखरी	28-03-2018	1,20,000	MP16MK9912	मोटर साइकिल	20-04-2016	आरएनजी
272	MP4711053	राजेश	भोला अनुरागी	छतरपुर	जरावारा	12-10-2020	25,000	MP16MN9410	मोटर साइकिल	24-03-2018	आरएनजी
273	MP3738313	बाबा दीन पाल	लोचन पाल	छतरपुर	भगौरा	07-03-2018	65,000	MP16ML7054	मोटर साइकिल	15-11-2016	आरएनजी
274	MP5409761	गुलाब सिंह	गजराज सिंह	छतरपुर	धरमपुरा	14-10-2020	25,000	MP16AC6478	ट्रैक्टर	11-08-2017	आरएनजी
275	MP5089689	रामप्रसाद अहिरवार	बैया लाल	छतरपुर	पंचमपुर	22-09-2020	25,000	MP16MM6538	मोटर साइकिल	20-06-2017	आरएनजी
276	MP1876617	हरप्रसाद अहिरवार	छोटा	छतरपुर	पंचमपुर	17-04-2018	1,20,000	MP16ML3471	मोटर साइकिल	28-06-2016	आरएनजी

277	MP5675145	साहिब सिंह	भान सिंह	छतरपुर	पंचमपुर	22-10-2020	25,000	MP16AC7688	ट्रैक्टर	09-02-2018	आरएनजी
278	MP4972509	राजोली यादव	बब्बू यादव	छतरपुर	बिलहरी	30-01-2021		MP16AD4336	ट्रैक्टर	20-10-2020	आरएनजी
279	MP2697508	लखन अहिरवार	बब्बू अहिरवार	छतरपुर	छतीबम्होरी	29-05-2018	1,20,000	MP16MM0583	मोटर साइकिल	07-03-2017	आरएनजी
280	MP1075173	राम शरण यादव	रज्जू	छतरपुर	छतीबम्होरी	29-03-2018	1,20,000	MP16MM0196	मोटर साइकिल	09-02-2017	आरएनजी
281	MP2400668	कल्लू तिवारी	रामबहोरी	छतरपुर	छतीबम्होरी	24-07-2019	1,20,000	MP16R2619	ऑटो रिक्शा	30-04-2016	आरएनजी
282	MP3113523	लाल चंद्र पाल	राजा	छतरपुर	गणपतखेड़ा	21-05-2020	1,20,000	MP16MM4391	मोटर साइकिल	19-05-2017	आरएनजी
283	MP5653017	राजभैया सिंह	पट्टेसिंह	छतरपुर	कन्भाई	18-11-2020		MP16MS2478	मोटर साइकिल	24-08-2019	आरएनजी
284	MP5567054	भैरम सिंह	नारायण सिंह	छतरपुर	गुधौरा	01-11-2020		MP16MQ3790	मोटर साइकिल	13-12-2018	आरएनजी
285	MP2818649	मनोज मिश्रा	रामफल मिश्रा	छतरपुर	हाथोहा	17-06-2019	1,20,000	MP16MN5407	मोटर साइकिल	30-12-2017	आरएनजी
286	MP5413390	नरेंद्र सिंह	गुलाब सिंह	छतरपुर	गुमानपुर	12-10-2020		MP16MK8589	मोटर साइकिल	19-03-2016	आरएनजी
287	MP5723199	मस्तराम	भगत सिंह	छतरपुर	हिनोटा	08-10-2020	25,000	MP16MS9540	मोटर साइकिल	18-12-2019	आरएनजी
288	MP3777406	धनराज	भगवंत सिंह	छतरपुर	हिनोटा	26-02-2021		MP16AC8190	ट्रैक्टर	26-06-2018	आरएनजी
289	MP5126683	परमा अहिरावर	गट्टा	छतरपुर	मादवा	19-11-2020		MP16MN2117	मोटर साइकिल	31-10-2017	आरएनजी
290	MP2469788	मुन्ना यादव	बैजनाथ	छतरपुर	कटिया	23-08-2019	1,20,000	MP16AC7158	ट्रैक्टर	17-11-2017	आरएनजी

291	MP3229247	प्रकाश यादव	श्री बलदू यादव	छतरपुर	सलैया	23-08-2019	1,20,000	MP16MP7680	मोटर साइकिल	07-08-2018	आरएनजी
292	MP5018794	दयारामाहिरवार	बलदू	छतरपुर	लवराहा	02-11-2020		MP16MQ4666	मोटर साइकिल	27-12-2018	आरएनजी
293	MP5046539	राजा अहिरवार	भैया लाल	छतरपुर	लवराहा	02-11-2020		MP16AC4086	ट्रैक्टर	22-06-2016	आरएनजी
294	MP2533443	गोपाल सिंह	गजराज सिंह	छतरपुर	सराय	20-04-2018	1,20,000	MP16MK6998	मोटर साइकिल	25-01-2016	आरएनजी
295	MP5179759	सुंदरलाल साहू	ब्रजलाल	छतरपुर	लुधगायन	12-10-2020	25,000	MP16MT5213	मोटर साइकिल	29-04-2020	आरएनजी
296	MP4930626	सियारामाहिरवार	दासवा	छतरपुर	छपरा	24-11-2020	25,000	MP16MQ4275	मोटर साइकिल	21-12-2018	आरएनजी
297	MP1865324	कमल सिंह	प्रताप सिंह	छतरपुर	माधौपुर	20-08-2019	1,20,000	MP16AC7490	ट्रैक्टर	09-01-2018	आरएनजी
298	MP4370307	ब्रजभान कुशवाहा	कलकवा	छतरपुर	मुदेरीदक्षिणी	22-10-2020	25,000	MP16MR1422	मोटर साइकिल	10-04-2019	आरएनजी
299	MP2058491	राजू	मिट्ठू	छतरपुर	पांडेपुरवा	15-03-2018	1,20,000	MP16MM6102	मोटर साइकिल	05-06-2017	आरएनजी
300	MP5172636	अशोक कुमार तिवारी	बाबूलाल तिवारी	छतरपुर	परसनिया	12-10-2020	25,000	MP16MR7442	मोटर साइकिल	28-06-2019	आरएनजी
301	MP4662619	मुन्ना अनुरागी	सुक्खा	छतरपुर	खोड़ा	02-11-2020	25,000	MP16MK9605	मोटर साइकिल	14-04-2016	आरएनजी
302	MP3895091	जगजाहिर सिंह	देवी सिंह	छतरपुर	पटना	12-10-2020	25,000	MP16S5604	मोपेड	07-03-2017	आरएनजी
303	MP4615766	प्रभु अहिरवार	उदयता अहिरवार	छतरपुर	बरोहन	28-04-2020	1,20,000	MP16S5919	मोपेड	20-04-2017	आरएनजी
304	MP1866486	हुकुम सिंह यादव	राममिलन	छतरपुर	दुमखेड़ा	25-06-2019	1,20,000	MP16MN4027	मोटर साइकिल	07-12-2017	आरएनजी

305	MP2056253	दादी अहिवर	गोपाल	छतरपुर	सदकार	29-06-2018	1,20,000	MP16ML7754	मोटर साइकिल	03-12-2016	आरएनजी
306	MP4190913	श्री पाल अहिरवार	बिंदा	छतरपुर	सदकार	19-09-2020		MP16MQ5457	मोटर साइकिल	02-01-2019	आरएनजी
307	MP4730285	हीरा लाल पटेल	रामाधार	छतरपुर	पाताली	01-11-2020	25,000	MP16MN0559	मोटर साइकिल	22-09-2017	आरएनजी
308	MP5368035	हरिचंद्र पटेल	कामता	छतरपुर	सिमरिया	30-01-2021		MP16MN2095	मोटर साइकिल	31-10-2017	आरएनजी
309	MP5209647	मोहन कुशवाह	ठाकुरदास	छतरपुर	ढिगपुरा	06-11-2020	25,000	MP16MS7882	मोटर साइकिल	20-11-2019	आरएनजी
310	MP4319497	राजा राम	गोकुल	छतरपुर	डोनी	12-10-2020	25,000	MP16MT0926	मोटर साइकिल	30-01-2020	आरएनजी
311	MP3734923	जानकी यादव	गोरे लाल	छतरपुर	डोनी	19-04-2018	1,20,000	MP16MK6695	मोटर साइकिल	23-01-2016	आरएनजी
312	MP4290875	शेर खा	रहीम खा	छतरपुर	गैलन	30-01-2021		MP16MR2952	मोटर साइकिल	03-05-2019	आरएनजी
313	MP2936775	महेंद्र सिंह	मंगल सिंह	छतरपुर	इमिलिया	01-04-2018	1,20,000	MP16MK6881	मोटर साइकिल	23-01-2016	आरएनजी
314	MP4071264	गोकुल पाल	खरिया	छतरपुर	कैथोकर	04-11-2020	25,000	MP16MT3402	मोटर साइकिल	18-03-2020	आरएनजी
315	MP5512492	छिंदैया कुशवाहा	कामता कुशवाहा	छतरपुर	सुदा	26-12-2020	25,000	MP16MR1949	मोटर साइकिल	23-04-2019	आरएनजी
316	MP5749375	कल्याण सिंह यादव	रामसेवक	छतरपुर	चौखेड़ा	02-11-2020	65,000	MP16MT9246	मोटर साइकिल	24-08-2020	आरएनजी
317	MP2779905	अशोक कुमार सेन	अयोध्या प्रसाद सेन	छतरपुर	मानपुरा	27-06-2019	1,20,000	MP16MQ7556	मोटर साइकिल	05-02-2019	आरएनजी
318	MP4635710	परमलाल रायकवार	गणेश प्रसाद	छतरपुर	मऊ(सहनिया-81)	01-12-2020	25,000	MP16ML9712	मोटर साइकिल	01-02-2017	आरएनजी

319	MP2792982	जयहिंद सिंह यादव	बारे लाल	छतरपुर	सरदारपुर(सरदारपुरा-81)	24-04-2018	1,20,000	MP16AC5714	ट्रैक्टर	22-05-2017	आरएनजी
320	MP5485063	जानकी प्रसाद गुप्ता	तिदे	छतरपुर	गोमखुर्द	27-10-2020	25,000	MP16MK9101	मोटर साइकिल	25-03-2016	आरएनजी
321	MP5706901	कौशल किशोर	जगतराज प्रजापति	छतरपुर	ओटापुरवा	16-09-2020	25,000	MP16ML0624	मोटर साइकिल	03-05-2016	आरएनजी
322	MP1018604	कदैया अहिरवार	रामलाल	छतरपुर	रामपुरा	03-03-2018	1,20,000	MP16MN6138	मोटर साइकिल	11-01-2018	आरएनजी
323	MP2707745	सिब्बू रैकवार	राम प्रसाद रायकवार	छतरपुर	बमारी	27-04-2020	1,20,000	MP16MP7823	मोटर साइकिल	07-08-2018	आरएनजी
324	MP3237403	राजेश यादव	हनमत यादव	छतरपुर	बमारी	03-11-2020		MP16MR1924	मोटर साइकिल	23-04-2019	आरएनजी
325	MP3751672	कामोदी कुशवाहा	किसुवा	छतरपुर	बमारी	03-11-2020	25,000	MP16R2877	ऑटो रिक्शा	27-05-2017	आरएनजी
326	MP4373222	भूमनीदीन बसोर	नन्थु बसोर	छतरपुर	बमिता	29-04-2020	1,20,000	MP16MR0401	मोटर साइकिल	30-03-2019	आरएनजी
327	MP3937986	श्याम यादव	मुरलीधर	छतरपुर	बामनोरा	26-11-2020	25,000	MP16MM8946	मोटर साइकिल	09-08-2017	आरएनजी
328	MP3845426	जवर लाल पटेल	अजुद्दीपटेल	छतरपुर	बर्दवाहा	06-05-2020	1,20,000	MP16MR0832	मोटर साइकिल	01-04-2019	आरएनजी
329	MP3793551	दशरथ सिंह	सूबेदार सिंह	छतरपुर	बरेठी	15-06-2019	1,20,000	MP16MP3988	मोटर साइकिल	20-07-2018	आरएनजी
330	MP1764371	रामसेवक कुशवाहा	कडोरा	छतरपुर	बरेठी	06-03-2018	1,20,000	MP16MN2147	मोटर साइकिल	31-10-2017	आरएनजी
331	MP3750810	कल्लू कुशवाहा	बालादीन	छतरपुर	बरेठी	15-06-2019	1,20,000	MP16AC5630	ट्रैक्टर	21-04-2017	आरएनजी
332	MP4279340	लक्ष्मण आदिवासी	परमा आदिवासी	छतरपुर	बेंद्री	28-04-2020	1,20,000	MP16AD2225	ट्रैक्टर	28-01-2020	आरएनजी

333	MP5151213	हरीशचंद अहिरवार	बल्ला	छतरपुर	देवगांव	21-05-2020	1,20,000	MP16MN8207	मोटर साइकिल	05-03-2018	आरएनजी
334	MP2792766	सेवा लाल पटेल	जमना	छतरपुर	देवगांव	19-05-2020	1,20,000	MP16ML9984	मोटर साइकिल	08-02-2017	आरएनजी
335	MP2378047	कन्हैया पटेल	शंकर पटेल	छतरपुर	बेनीगंज	16-09-2020		MP16MM8549	मोटर साइकिल	31-07-2017	आरएनजी
336	MP2311538	राजा भैया पाल	रामदास	छतरपुर	भभुवा	05-04-2017	1,20,000	MP16MK6303	मोटर साइकिल	12-01-2016	आरएनजी
337	MP4555305	जागेश्वर अहिरवार	कालू	छतरपुर	भभुवा	04-09-2020	25,000	MP16MN3079	मोटर साइकिल	16-11-2017	आरएनजी
338	MP2139191	सुमेरा अहिरवार	गोरेलाल	छतरपुर	भभुवा	04-05-2017	1,20,000	MP16S4181	मोपेड	05-08-2016	आरएनजी
339	MP1543511	मुन्नी लाल प्रजापति	पंच	छतरपुर	भियाताल	04-09-2020	25,000	MP16MN6605	मोटर साइकिल	24-01-2018	आरएनजी
340	MP4614515	रामप्रसाद प्रजापति	खिलैया	छतरपुर	बिला	04-09-2020	25,000	MP16SA3230	मोपेड	26-07-2019	आरएनजी
341	MP4237329	करण कुशवाहा	रामदीन कुशवाहा	छतरपुर	चंद्रनगर	27-09-2020	25,000	MP16MQ3388	मोटर साइकिल	05-12-2018	आरएनजी
342	MP5088593	राम लाल साहू	बलदू साहू	छतरपुर	चंद्रनगर	26-11-2020	25,000	MP16SA6547	मोपेड	30-04-2020	आरएनजी
343	MP4791005	परम कुशवाहा	मंका	छतरपुर	चंद्रनगर	26-11-2020		MP16SA6159	मोपेड	20-03-2020	आरएनजी
344	MP3616850	बल्लू कुशव	गोरी शंकर	छतरपुर	चंद्रनगर	18-06-2019	1,20,000	MP16CB0883	मोटर	30-10-2017	आरएनजी
345	MP2363166	बाबूलाल कुशवाहा	नन्दे कुशवाह	छतरपुर	चंद्रनगर	09-11-2020	25,000	MP16AC8730	ट्रैक्टर	30-09-2018	आरएनजी
346	MP3242694	धनी राम कुशवाहा	हल्काकुशवाहा	छतरपुर	चौबार	03-05-2020	1,20,000	MP16MM5209	मोटर साइकिल	02-06-2017	आरएनजी

347	MP1824658	लल्लूराम रायकवार	हरप्रसाद	छतरपुर	जमुनिया	15-07-2020	1,20,000	MP16MN9150	मोटर साइकिल	24-03-2018	आरएनजी
348	MP4499313	मकुंद सिंह यादव	राम प्रसाद	छतरपुर	डहररा	10-10-2020	25,000	MP16MM2356	मोटर साइकिल	04-05-2017	आरएनजी
349	MP3911423	नारायण सिंह	पूरन	छतरपुर	धम्ना	21-06-2019	1,20,000	MP16S6704	स्कूटर	24-08-2017	आरएनजी
350	MP4926110	राजाराम पाल	बब्बू पाल	छतरपुर	ढाबड़	20-11-2020	25,000	MP16MM0904	मोटर साइकिल	08-03-2017	आरएनजी
351	MP4914391	सरमन अहिरवार	भुलुवा अहिरवार	छतरपुर	ढाबड़	25-11-2019	1,20,000	MP16L1365	पिक अप वैन	25-01-2018	आरएनजी
352	MP4276471	कलाका साहू	सुमरा साहू	छतरपुर	ढाबड़	20-11-2020	25,000	MP16MN6958	मोटर साइकिल	05-02-2018	आरएनजी
353	MP4410045	किशोरी अहिरवार	भूरा	छतरपुर	सदना	30-04-2020	1,20,000	MP16MP7028	मोटर साइकिल	28-07-2018	आरएनजी
354	MP265,0003	गणेश कुशवाहा	हरीश चंद्र कुशवाहा	छतरपुर	गंज	07-07-2020	1,20,000	MP16SA6390	मोपेड	30-04-2020	आरएनजी
355	MP2303677	श्रीपत अहिरावर	हरिया	छतरपुर	गोरा	11-07-2019	1,20,000	MP16MN2502	मोटर साइकिल	03-11-2017	आरएनजी
356	MP3958476	बाबूलाल यादव	चायना	छतरपुर	गोरा	23-09-2020	25,000	MP16MR7874	मोटर साइकिल	29-06-2019	आरएनजी
357	MP5002922	कोमल यादव	नाथू यादव	छतरपुर	इमिलिया	07-10-2020	25,000	MP16MQ3081	मोटर साइकिल	30-11-2018	आरएनजी
358	MP1621449	धनीरामाहिरवार	लंपुआ	छतरपुर	इम्लहा	07-09-2020	25,000	MP16MN6851	मोटर साइकिल	05-02-2018	आरएनजी
359	MP1686229	धनीराम यादव	धुरम	छतरपुर	इम्लहा	25-05-2020	65,000	MP16MN6190	मोटर साइकिल	11-01-2018	आरएनजी
360	MP3855973	भूपेंद्र	राजा राम कुशवाहा	छतरपुर	इम्लहा	27-10-2020	25,000	MP16MR3570	मोटर साइकिल	23-05-2019	आरएनजी

361	MP5505339	कल्लू यादव	चोटेलल	छतरपुर	इम्लहा	07-10-2020	25,000	MP16AD1013	ट्रैक्टर	08-08-2019	आरएनजी
362	MP3897541	खुमान पटेल	गोरेलाल	छतरपुर	झामतुली	24-07-2020	1,05,000	MP16MT5024	मोटर साइकिल	26-03-2020	आरएनजी
363	MP2642833	मुन्ना पटेल	मोहन	छतरपुर	कर्री	04-11-2020	25,000	MP16ML8911	मोटर साइकिल	02-01-2017	आरएनजी
364	MP2342590	कोई नहीं लाल	अम्मान पटेल	छतरपुर	खैरी	04-11-2020		MP16ML8359	मोटर साइकिल	19-12-2016	आरएनजी
365	MP3909216	मिलन पटेल	मुल्ली	छतरपुर	खजवा	10-07-2019	1,20,000	MP16MR4850	मोटर साइकिल	10-06-2019	आरएनजी
366	MP3080461	रमेश रायकवार	बरेलाल रायकवार	छतरपुर	खजवा	08-04-2018	1,20,000	MP16ML2933	मोटर साइकिल	14-06-2016	आरएनजी
367	MP5613180	पन्ना लाल	हीरा लाल पटेल	छतरपुर	कुटिया	04-12-2020		MP16MP7434	मोटर साइकिल	01-08-2018	आरएनजी
368	MP4312352	गयादीन	मुनुवा अहिरवार	छतरपुर	कुटिया	04-09-2020	25,000	MP16MT1265	मोटर साइकिल	08-01-2020	आरएनजी
369	MP5017833	भोला पटेल	दुजिया	छतरपुर	लालपुर	09-03-2021		MP16MQ7073	मोटर साइकिल	04-02-2019	आरएनजी
370	MP4455014	दरवारी प्रजापति	भरोसा	छतरपुर	मझगवां	21-09-2020	25,000	MP16MP9562	मोटर साइकिल	22-09-2018	आरएनजी
371	MP2063213	राजू अनुरागी	दीनदयाल	छतरपुर	मझगवां	01-02-2017	1,20,000	MP16ML4847	मोटर साइकिल	08-08-2016	आरएनजी
372	MP5199570	सुरिया यादव	श्याम यादव	छतरपुर	मौमसनिया	12-11-2020	25,000	MP16MS0810	मोटर साइकिल	30-07-2019	आरएनजी
373	MP4811596	हल्के भैया	हल्बू	छतरपुर	नाद्या	07-10-2020	25,000	MP16MS0121	मोटर साइकिल	23-07-2019	आरएनजी
374	MP3727809	नरेंद्र सिंह यादव	रामेश्वर सिंह	छतरपुर	नाद	04-12-2020		MP16MP7546	मोटर साइकिल	01-08-2018	आरएनजी

375	MP2793805	वीरू अहिरवार	मूलचंद्र	छतरपुर	पहाड़पुरवा	13-04-2018	1,20,000	MP16MM4346	मोटर साइकिल	19-05-2017	आरएनजी
376	MP5697253	दरवारी लाल साहू	मोहन लाल	छतरपुर	पहारा	10-10-2020	25,000	MP16R3872	ऑटो रिक्शा	02-01-2020	आरएनजी
377	MP3679675	संतोष यादव	दयाराम	छतरपुर	पहारा	05-11-2019	1,20,000	MP16R3241	ऑटो रिक्शा	27-08-2018	आरएनजी
378	MP4881046	जयपाल सिंह	भरत सिंह	छतरपुर	तुर्या	13-12-2020		MP16MQ0602	मोटर साइकिल	04-10-2018	आरएनजी
379	MP4838923	हरेंद्र सिंह	हनुमत सिंह	छतरपुर	तुर्या	16-10-2020	25,000	MP16MN1729	मोटर साइकिल	16-10-2017	आरएनजी
380	MP5668272	शौकिन यादव	नत्थू	छतरपुर	परवा	23-02-2021		MP16AC5296	ट्रैक्टर	17-02-2017	आरएनजी
381	MP3759933	दशरथ पाल	खिलावन	छतरपुर	बहारपुरा	12-06-2020	1,20,000	MP16MN9289	मोटर साइकिल	24-03-2018	आरएनजी
382	MP2537921	रामप्रकाश पटेल	अत्तिलाल	छतरपुर	बहारपुरा	30-05-2020	1,05,000	MP16MR5642	मोटर साइकिल	13-06-2019	आरएनजी
383	MP4278588	राकेश कुशवाहा	मन्नी	छतरपुर	बहारपुरा	16-10-2020		MP16MN6136	मोटर साइकिल	11-01-2018	आरएनजी
384	MP2451956	कन्हैया कुशवाहा	हेमराज	छतरपुर	बहारपुरा	12-06-2020	1,20,000	MP16MQ4018	मोटर साइकिल	19-12-2018	आरएनजी
385	MP3810081	खलक सिंह यादव	जगराज सिंह	छतरपुर	बरबसपुरा	08-05-2017	1,20,000	MP16AC4205	ट्रैक्टर	20-07-2016	आरएनजी
386	MP3389825	संतोष कुशवाहा	तिडिया	छतरपुर	पाटन	28-04-2020	1,20,000	MP16MQ7937	मोटर साइकिल	06-02-2019	आरएनजी
387	MP3679279	लल्लन यादव	राम प्रसाद	छतरपुर	पाटन	30-04-2020	1,20,000	MP16MP0781	मोटर साइकिल	16-04-2018	आरएनजी
388	MP2008890	गांसु रैकवार	श्री पर्मा रैकवार	छतरपुर	पथरगुवान	15-06-2019	1,20,000	MP16MN7508	मोटर साइकिल	24-02-2018	आरएनजी

389	MP1725381	मन्सु रैकवार	मनाकू	छतरपुर	पथरगुवान	09-11-2020	25,000	MP16MU0686	मोटर साइकिल	13-08-2020	आरएनजी
390	MP2721417	लाल शर्मा	श्री मल्लू शर्मा	छतरपुर	पथरगुवान	05-05-2020	1,20,000	MP16MS2735	मोटर साइकिल	27-08-2019	आरएनजी
391	MP2053720	नीरज शर्मा	नाथूराम शर्मा	छतरपुर	पथरगुवान	15-06-2019	1,20,000	MP16S9057	स्कूटर	11-06-2018	आरएनजी
392	MP1929480	कालीचरण अहिरवार	हरप्रसाद	छतरपुर	भुगतान करना	15-06-2019	1,20,000	MP16ML4497	मोटर साइकिल	26-07-2016	आरएनजी
393	MP5666806	खिलाड़ी लाल अहिरवार	चुंटा	छतरपुर	पिपत	11-09-2020	25,000	MP16MP8564	मोटर साइकिल	08-08-2018	आरएनजी
394	MP2767167	गोपाल अहिरवार	सरजू	छतरपुर	राजगढ़	14-03-2018	1,20,000	MP16ML9750	मोटर साइकिल	01-02-2017	आरएनजी
395	MP2703642	मौजी लाल साहू	छोटे लल	छतरपुर	राजगढ़	24-07-2020	1,20,000	MP16AC9169	ट्रैक्टर	03-01-2019	आरएनजी
396	MP1740944	मनोज	सरजू कुशवाहा	छतरपुर	संदानी	24-06-2020	25,000	MP16MK8922	मोटर साइकिल	23-03-2016	आरएनजी
397	MP4504189	भारत	लच्छू अहिरवार	छतरपुर	शिवराजपुर	09-05-2020	25,000	MP16MM4980	मोटर साइकिल	26-05-2017	आरएनजी
398	MP2393217	भवानीदीन कुशवाह	गुल्ले	छतरपुर	राजपुर	07-03-2018	1,20,000	MP16ML8620	मोटर साइकिल	02-01-2017	आरएनजी
399	MP2424240	शंकर अहिरवार	बंडू अहिरवार	छतरपुर	तिकुरी	22-02-2021		MP16MR7801	मोटर साइकिल	29-06-2019	आरएनजी
400	MP4293979	कालू हेयरवार	नथुवा अहिरवार	छतरपुर	तिकुरी	07-10-2020	25,000	MP16MS8615	मोटर साइकिल	02-03-2020	आरएनजी
401	MP4794089	राजदेव दुबे	रामनारायण दुबे	छतरपुर	तिकुरी	01-12-2020		MP16CB5518	मोटरकार	11-11-2020	आरएनजी
402	MP3008755	रामविहारी तिवारी	राम सहाय तिवारी	छतरपुर	तिकुरी	25-05-2020	1,20,000	MP16MQ5335	मोटर साइकिल	01-01-2019	आरएनजी

403	MP3350583	हनमत सिंह	खिलन सिंह	दमोह	आगरा	06-07-2019	1,05,000	MP34MI4437	मोटर साइकिल	17-07-2017	आरएनजी
404	MP4200234	मूलचंद अहिरवार	लचुआ	दमोह	भियाना	18-05-2020	1,20,000	MP34MK7019	मोटर साइकिल	01-12-2018	आरएनजी
405	MP4369995	हरि रामाहिरवार	भूरा	दमोह	अंजनी	30-10-2020		MP34ML9568	मोटर साइकिल	24-08-2019	आरएनजी
406	MP2005927	करन सिंह	नाने भाई	दमोह	बंधा	19-04-2018	1,20,000	MP34MH2426	मोटर साइकिल	26-09-2016	आरएनजी
407	MP3371190	अजय सिंह चौहान	विजय	दमोह	तालगाँव	28-06-2019	1,20,000	MP34ML5881	मोटर साइकिल	10-05-2019	आरएनजी
408	MP3511625	तेज सिंह लोधी	नन्नू सिंह	दमोह	बसिया	04-05-2020	1,20,000	MP34AA5307	ट्रैक्टर	21-01-2020	आरएनजी
409	MP3491578	सेवक अहीरवाल	फगोरा	दमोह	बेला पुरवा	23-05-2018	1,20,000	MP34MG5088	मोटर साइकिल	18-03-2016	आरएनजी
410	MP2775866	गिरीश पटेल	राजा राम	दमोह	बेली	28-06-2019	1,20,000	MP34MI5467	मोटर साइकिल	17-07-2017	आरएनजी
411	MP3792863	रमजान खान	रहमान खान	दमोह	बेली	07-05-2020	1,20,000	MP34MI8025	मोटर साइकिल	03-11-2017	आरएनजी
412	MP1010651	चतुर्भुज पटेल	कोमल	दमोह	बरखेड़ी	12-02-2017	1,20,000	MP34MG8805	मोटर साइकिल	08-06-2016	आरएनजी
413	MP3714809	हनुमत सिंह	जवाहर	दमोह	गंज बरखेड़ा	14-10-2020		MP34MK2482	मोटर साइकिल	01-09-2018	आरएनजी
414	MP3714864	परम सिंह लोधी	तुलसी सिंह	दमोह	गंज बरखेड़ा	14-10-2020		MP34MG5968	मोटर साइकिल	09-04-2016	आरएनजी
415	MP3041189	गणपत सिंह लोधी	सुंदर सिंह	दमोह	गंज बरखेड़ा	19-05-2020	1,20,000	MP34MJ9206	मोटर साइकिल	16-07-2018	आरएनजी
416	MP3312727	देवी सिंह	पहाड़ी सिंह	दमोह	घुघस	26-10-2020		MP34MI9038	मोटर साइकिल	23-11-2017	आरएनजी

417	MP4527746	हरि दास अहीरवाल	कांची	दमोह	घुरता	18-10-2020		MP34ML1501	मोटर साइकिल	01-03-2019	आरएनजी
418	MP3208802	चरण दास पटेल	मस्तराम	दमोह	सगोनी माधो	27-06-2019	1,20,000	MP34MI1646	मोटर साइकिल	17-07-2017	आरएनजी
419	MP4007224	देव सिंह	सरमन सिंह	दमोह	हिंगवानी	28-03-2018	1,20,000	MP34MG9181	मोटर साइकिल	15-06-2016	आरएनजी
420	MP3459446	प्रह्लाद सिंह लोधी	रणमत सिंह	दमोह	हिनोती उदेशा	11-03-2018	1,20,000	MP34AA1260	ट्रैक्टर	29-05-2017	आरएनजी
421	MP2066704	महेश सिंग	राजेंद्र सिंह	दमोह	जंगुपुरा	27-06-2019	1,20,000	MP34MH9489	मोटर साइकिल	08-06-2017	आरएनजी
422	MP2685747	कम्मू अहिरवार	हिम्मतिया	दमोह	खमरिया	07-04-2017	1,20,000	MP34MH4844	मोटर साइकिल	30-12-2016	आरएनजी
423	MP3480830	भाई राम	इंदर पटेल	दमोह	खिरिया असली	28-04-2020	1,20,000	MP34R1497	ऑटो रिक्शा	31-03-2017	आरएनजी
424	MP3523818	पूरन सिंह लोधी	पुलंदर सिंह	दमोह	खिरिया असली	04-01-2021		MP34A9540	ट्रैक्टर	01-07-2016	आरएनजी
425	MP2956927	कमलेश	लक्ष्मण	दमोह	लुकायन	02-05-2020	1,05,000	MP34MI2294	मोटर साइकिल	17-07-2017	आरएनजी
426	MP2476070	सोने सिंह लोधी	सुंदर सिंह	दमोह	मंगोला	10-03-2018	1,20,000	MP34MH2818	मोटर साइकिल	05-10-2016	आरएनजी
427	MP3963142	गोविंद सिंह लोधी	प्रीतम सिंह	दमोह	मंगोला	04-05-2020	1,20,000	MP34MH8954	मोटर साइकिल	02-05-2017	आरएनजी
428	MP3952813	त्रिलोक सिंह लोधी	खेत सिंह	दमोह	मंगोला	04-05-2020	1,20,000	MP34MH0905	मोटर साइकिल	27-08-2016	आरएनजी
429	MP2803670	छोटे लाल साहू	रामदयाल साहू	दमोह	निबोरा कलां	12-05-2018	1,20,000	MP34MG9887	मोटर साइकिल	04-07-2016	आरएनजी
430	MP2318393	नरेश अहिरवार	जहर	दमोह	पदाझीर	01-07-2019	1,20,000	MP34MJ6437	मोटर साइकिल	24-04-2018	आरएनजी

431	MP2323685	मोहन अहिरवार	कपाली	दमोह	पदाझीर	01-07-2019	1,20,000	MP34MI2335	मोटर साइकिल	17-07-2017	आरएनजी
432	MP2941705	जुम्मन अहिरवार	अंधु अहिरवाल	दमोह	पदाझीर	01-07-2019	1,20,000	MP34MK1548	मोटर साइकिल	03-08-2018	आरएनजी
433	MP2212217	निंदू	नन्नू	दमोह	गुडा	20-04-2018	1,20,000	MP34MH0618	मोपेड	21-07-2016	आरएनजी
434	MP3044894	लखन सिंह	बाबू सिंह	दमोह	रोन्सारा	30-05-2018	1,20,000	MP34MG9207	मोटर साइकिल	25-06-2016	आरएनजी
435	MP4332080	आशारामाहिरवार	कनैया	दमोह	टिकरिया	26-11-2020		MP34MG8493	मोटर साइकिल	08-06-2016	आरएनजी
436	MP3630339	संतोष	सोम	दमोह	सादपुर	30-05-2018	1,20,000	MP34MI0491	मोटर साइकिल	14-06-2017	आरएनजी
437	MP1520822	दल्ला बंजारा	ऊदा	दमोह	सादपुर	23-10-2020		MP34ML4894	मोटर साइकिल	06-06-2019	आरएनजी
438	MP4426579	सुरेश अहिरवाल	किशोरी	दमोह	सादपुर	19-08-2019	1,20,000	MP34MI1994	मोटर साइकिल	17-07-2017	आरएनजी
439	MP2535307	रोहित सिंह	तेजी सिंह	दमोह	सगरोन	19-05-2020	1,20,000	MP34A9688	ट्रैक्टर	13-07-2016	आरएनजी
440	MP2232800	उज्वक सिंह	पूरन सिंह बी	दमोह	सगरोन	19-04-2018	1,20,000	MP34MJ2023	मोटर साइकिल	08-12-2017	आरएनजी
441	MP2621085	साहब	दल सिंह	दमोह	सरिया	20-03-2018	1,20,000	MP34MH3419	मोटर साइकिल	24-10-2016	आरएनजी
442	MP2489192	संतोष सिंह जे	अर्जुन सिंह	दमोह	रुसांडो	02-05-2020	1,20,000	MP34AA0884	ट्रैक्टर	31-03-2017	आरएनजी
443	MP1997099	फेरन सिंह	करोड़ी सिंह	दमोह	सुनवाहा	24-06-2019	1,20,000	MP34MI4316	मोटर साइकिल	17-07-2017	आरएनजी
444	MP4429629	राजू	मुलई	दमोह	अभना	20-10-2020		MP34MI9581	मोटर साइकिल	23-11-2017	आरएनजी

445	MP2614291	राजेश सिंह	नरेंद्र सिंह	दमोह	अनु	05-05-2020	1,20,000	MP34MI1995	मोटर साइकिल	17-07-2017	आरएनजी
446	MP2436406	प्रवीण अहिरवाल	सिंधे प्रसाद	दमोह	अनु	05-06-2018	1,20,000	MP34MG9039	मोटर साइकिल	18-06-2016	आरएनजी
447	MP1608993	गोविंद अहिरवार	दाम्मू	दमोह	अथाई	11-03-2018	1,20,000	MP34MJ3513	मोटर साइकिल	16-01-2018	आरएनजी
448	MP2850098	शारदा अहिरवार	फागुमा	दमोह	अथाई	11-03-2018	1,20,000	MP34MI1363	मोटर साइकिल	12-07-2017	आरएनजी
449	MP2392419	कमलेश लोधी	लक्ष्मण लोधी	दमोह	बालाकोट	01-05-2020	1,20,000	MP34MH1852	मोटर साइकिल	11-08-2016	आरएनजी
450	MP2714501	अर्जुन सिंह लोधी	निजाम सिंह	दमोह	बलरपुर	27-04-2020	1,20,000	MP34MI5634	मोटर साइकिल	27-08-2017	आरएनजी
451	MP1838947	विजय	प्रताप	दमोह	बलरपुर	18-04-2018	1,20,000	MP34MH3188	मोटर साइकिल	06-10-2016	आरएनजी
452	MP5311189	हल्ले अहिरावल	झलकन	दमोह	बलरपुर	13-10-2020		MP34MG4946	मोटर साइकिल	17-03-2016	आरएनजी
453	MP2424268	डोमन	राम प्रसाद	दमोह	बम्होरी	06-06-2018	1,20,000	MP34MI2415	मोटर साइकिल	17-07-2017	आरएनजी
454	MP5138822	मदन अहिरवाल	पुसाउ	दमोह	बरबंसा	20-11-2020		MP34MG9643	मोटर साइकिल	01-07-2016	आरएनजी
455	MP3442805	धन सिंह	दुरगसिंह	दमोह	कौंरासा	11-04-2018	1,20,000	MP34MH1619	मोटर साइकिल	27-08-2016	आरएनजी
456	MP5179842	मुकेश अहिरवार	भगोनी	दमोह	खेरुवा	16-10-2020		MP34MH9551	मोटर साइकिल	12-05-2017	आरएनजी
457	MP4326255	हल्ले अहिरवार	बसनाटा	दमोह	गुंजी	04-07-2020	65,000	MP34MK6663	मोटर साइकिल	06-12-2018	आरएनजी
458	MP3813928	भगवानदास अहीरवाल	हरिदास अहिरावल	दमोह	गुवारी	02-08-2019	1,20,000	MP34MJ7399	मोटर साइकिल	24-04-2018	आरएनजी

459	MP1510612	पूरनलाल	चरण लाल	दमोह	हलगज	27-01-2017	1,20,000	MP34MG4316	मोटर साइकिल	12-03-2016	आरएनजी
460	MP2579814	गोकुल सिंह	गुलाब सिंह	दमोह	इमलिया घाट	10-03-2018	1,20,000	MP34MG4037	मोटर साइकिल	05-02-2016	आरएनजी
461	MP2967402	देवेंद्र सिंह	धन सिंह	दमोह	सूर देही	15-05-2017	1,20,000	MP34MH5522	मोटर साइकिल	31-01-2017	आरएनजी
462	MP2016859	रूपचंद अहिरवार	मुन्नालाल	दमोह	कादीपुर	05-05-2020	1,20,000	MP34MG4568	मोटर साइकिल	01-03-2016	आरएनजी
463	MP2710968	राजारामाहिवर	प्रेम नारायण	दमोह	कादीपुर	05-05-2020	1,20,000	MP34R1363	ऑटो रिक्शा	01-12-2016	आरएनजी
464	MP2295720	शिवराज सिंह ठाकुर	अमर सिंह	दमोह	पिपरिया कलां	23-05-2017	1,20,000	MP34A9874	ट्रैक्टर	09-08-2016	आरएनजी
465	MP3516818	भरत पाताल	गोरी शकर पाताल	दमोह	छेवला	02-05-2018	1,20,000	MP34MI7607	मोटर साइकिल	03-11-2017	आरएनजी
466	MP1579378	टेक सिंह ठाकुर	कल्याण सिंह	दमोह	जमुनिया	12-06-2018	1,20,000	MP34AA2285	ट्रैक्टर	26-12-2017	आरएनजी
467	MP3208900	किसान साहू	नोने लाल	दमोह	पटोहा	12-05-2018	1,20,000	MP34MI2159	मोटर साइकिल	17-07-2017	आरएनजी
468	MP2122065	ताक सिंह लोधी	कादोरी सिंह	दमोह	पिपरिया टिकरी	18-05-2018	1,20,000	MP34MG6687	मोटर साइकिल	19-04-2016	आरएनजी
469	MP3063009	हाकम सिंह	हाजी सिंह	दमोह	पिपरिया टिकरी	22-05-2018	1,20,000	MP34A9830	ट्रैक्टर	31-08-2016	आरएनजी
470	MP1900133	ईश्वर अहिरवार	मनिया	दमोह	पिपरिया	10-08-2019	1,20,000	MP34MK2082	मोटर साइकिल	20-08-2018	आरएनजी
471	MP3763469	शंभु रतन यादव	सीताराम	दमोह	दुहली	05-05-2020	1,20,000	MP34A9371	ट्रैक्टर	25-02-2016	आरएनजी
472	MP3370760	तरवर अहिरवार	देवकरण	दमोह	सोम खेड़ा कलां	24-11-2020		MP34MH3696	मोटर साइकिल	09-11-2016	आरएनजी

473	MP1830209	संतोष यादव	बारेलाल	दमोह	लमती मल	12-05-2018	1,20,000	MP34MH5872	मोटर साइकिल	07-02-2017	आरएनजी
474	MP1812017	उत्तम यादव	मर्दन	दमोह	लमती मल	12-05-2018	1,20,000	MP34MI3895	मोटर साइकिल	17-08-2017	आरएनजी
475	MP3145349	मलखान यादव	कोमल यादव	दमोह	लमती मल	29-04-2020	1,20,000	MP34MJ6705	मोटर साइकिल	26-04-2018	आरएनजी
476	MP3233416	खुमान सिंह लोधी	प्रताप सिंह	दमोह	मुदरी हटरी	29-04-2020	1,20,000	MP34MJ2152	मोटर साइकिल	11-12-2017	आरएनजी
477	MP2030218	प्रभु यादव	सुख लाल	दमोह	मुदरी हटरी	05-07-2019	1,20,000	MP34MG4373	मोटर साइकिल	12-03-2016	आरएनजी
478	MP3871007	राजेश सिंह	लक्ष्मण सिंह	दमोह	मुदरी हटरी	13-10-2020		MP34AA0420	ट्रैक्टर	19-12-2016	आरएनजी
479	MP2931415	विजय सिंह	कांचेदी सिंह	दमोह	सुहेला	12-05-2018	1,20,000	MP34MI4729	मोटर साइकिल	17-07-2017	आरएनजी
480	MP2736966	परशु साहू	इमरत साहू	दमोह	सुहेला	12-05-2018	1,20,000	MP34MJ3656	मोटर साइकिल	22-01-2018	आरएनजी
481	MP3483240	बंडू यादव	छिंगा यादव	दमोह	चौरैया	20-05-2018	1,20,000	MP34MG3767	मोटर साइकिल	29-01-2016	आरएनजी
482	MP3058224	हन्नू अहिरवार	कमोदा अहिरवार	दमोह	मुहरा	30-03-2018	1,20,000	MP34MI4293	मोटर साइकिल	17-07-2017	आरएनजी
483	MP2052092	रामचरण रजक	भोला	दमोह	राजपुरा	18-05-2017	1,20,000	MP34MH0899	मोटर साइकिल	03-08-2016	आरएनजी
484	MP2278426	भगवान सिंह लोधी	मलखान	दमोह	रनेह	04-05-2020	1,20,000	MP34MI3426	मोटर साइकिल	17-07-2017	आरएनजी
485	MP2281507	चरण सिंह लोधी	खिलन	दमोह	रनेह	04-11-2020		MP34MJ6005	मोटर साइकिल	24-03-2018	आरएनजी
486	MP4765560	अशोक सिंह	प्राण सिंह	दमोह	बम्होरी मनगढ़	17-05-2020	1,20,000	MP34ML8355	मोटर साइकिल	01-08-2019	आरएनजी

487	MP1020733	लखन यादव	मोहन	दमोह	बरखर	10-02-2017	1,20,000	MP34R1141	ऑटो रिक्शा	08-03-2016	आरएनजी
488	MP3211843	घनश्याम अहिरवाल	चूड़ामन अहिरवाल	दमोह	रोहिणी	30-03-2018	1,20,000	MP34MG7193	मोटर साइकिल	12-05-2016	आरएनजी
489	MP3310105	बाबू खा	रज्जब खा	दमोह	चिलोड	06-05-2020	1,20,000	MP34MG5533	मोटर साइकिल	03-04-2016	आरएनजी
490	MP3523180	मूलम साहू	खिलन साहू	दमोह	चोपड़ा चौबीसा	27-04-2020	1,20,000	MP34MJ1906	मोपेड	08-12-2017	आरएनजी
491	MP2486099	रूप सिंह लोधी	चरम सिंह	दमोह	हरदुवा सड़क	08-05-2020	1,20,000	MP34MK6392	मोटर साइकिल	15-11-2018	आरएनजी
492	MP3533601	प्रेम सिंह	राम सिंह	दमोह	हिनोटी	08-05-2018	1,20,000	MP34R1785	ऑटो रिक्शा	27-12-2017	आरएनजी
493	MP2434981	प्रभु सिंह	पुन्ने सिंह	दमोह	जलहरी	27-06-2019	1,05,000	MP34MI0367	मोटर साइकिल	08-06-2017	आरएनजी
494	MP2488065	भरत सिंह	जोधन सिंह	दमोह	जलहरी	08-06-2018	1,20,000	MP34MI5272	मोटर साइकिल	27-07-2017	आरएनजी
495	MP2778140	उत्तम पटेल	राम प्रसाद	दमोह	कल्हारा खेड़ा	28-06-2019	1,20,000	MP34MH9975	मोटर साइकिल	30-05-2017	आरएनजी
496	MP2442526	अनिल गौतम	राम भरोसे	दमोह	गड़िया मनगढ़	06-05-2020	1,20,000	MP34R1861	ऑटो रिक्शा	13-04-2018	आरएनजी
497	MP3770380	नारायण सिंह	लक्ष्मण सिंह	दमोह	जमुनिया सुल्तान	02-05-2020	1,20,000	MP34MH3843	मोटर साइकिल	10-11-2016	आरएनजी
498	MP2506047	हरिनंदन राय	मूलचंद राय	दमोह	पिपरिया	10-03-2018	1,20,000	MP34MG6495	मोटर साइकिल	09-04-2016	आरएनजी
499	MP4660393	प्रकाश सिंह	कोरई सिंह	दमोह	सिंग्रामपुर	01-11-2020		MP34AA6674	ट्रैक्टर	26-09-2020	आरएनजी
500	MP3038065	लखन	शील चंद	दमोह	सुरई	08-05-2018	1,20,000	MP34MI1539	मोटर साइकिल	14-07-2017	आरएनजी

501	MP2728849	लक्ष्मण सिंह	मुन्नी सिंह	दमोह	भरतला	14-10-2020		MP34MJ6291	मोटर साइकिल	18-04-2018	आरएनजी
502	MP2496365	उमर खान	शेख मोहम्मद	दमोह	भाटिया	21-05-2018	1,20,000	MP34MH5486	स्कूटर	03-01-2017	आरएनजी
503	MP3058385	बहोरी लाल अहिरवार	खिलन	दमोह	बिला खुर्द	21-06-2019	1,20,000	MP34MI8753	मोटर साइकिल	30-11-2017	आरएनजी
504	MP2314027	दिनेश कुमार बर्मन	नंदी बर्मन	दमोह	बिला खुर्द	07-03-2018	1,20,000	MP34MH7336	मोटर साइकिल	12-03-2017	आरएनजी
505	MP2780181	विजय जैन	भागचंद जैन	दमोह	कुदाई	07-01-2021		MP34MG6783	मोटर साइकिल	19-04-2016	आरएनजी
506	MP4287463	सुरेश अहिरवार	नथुआ	दमोह	लुहारी	13-08-2019	1,20,000	MP34MI0770	मोटर साइकिल	16-06-2017	आरएनजी
507	MP5482908	संतरामाहिरवार	धुरका	दमोह	सुजानपुरदान	21-10-2020		MP34MI7083	मोटर साइकिल	13-10-2017	आरएनजी
508	MP4620179	दीपचंद अहिरवार	सरजुआ	दमोह	सुजानपुरदान	21-10-2020		MP34MM6596	मोटर साइकिल	04-02-2020	आरएनजी
509	MP4237942	पदम सिंह	खांजू सिंह	दमोह	मझोली	14-08-2019	1,20,000	MP34AA3564	ट्रैक्टर	20-12-2018	आरएनजी
510	MP4322383	हरिदास अहिरवार	भैया लाल	दमोह	महुवा खेड़ा	20-10-2020		MP34MG6020	मोटर साइकिल	09-04-2016	आरएनजी
511	MP3020549	हुकम सेन	नर्मदा	दमोह	पड़री शाजापुर	11-03-2018	1,20,000	MP34MI0662	मोटर साइकिल	15-06-2017	आरएनजी
512	MP3680520	राघवेंद्र सिंह	गोपाल सिंह	दमोह	बम्होरी कुदाई	13-05-2020	1,20,000	MP34AA0560	ट्रैक्टर	13-01-2017	आरएनजी
513	MP3331430	मिलन विश्वकर्मा	पंचम विश्वकर्मा	दमोह	सलैया	22-10-2020		MP34MH6714	मोटर साइकिल	06-03-2017	आरएनजी
514	MP3116030	सीताराम बसोर	भल्लू	दमोह	जोरतला	21-07-2019	1,20,000	MP34MI9772	मोटर साइकिल	23-11-2017	आरएनजी

515	MP2164894	सेवक अहिरवार	भगोले अहिरवार	दमोह	केवलारी पथरिया	29-05-2018	1,20,000	MP34MJ5339	मोटर साइकिल	05-03-2018	आरएनजी
516	MP3669729	मोहन सिंह	कोमल सिंह	दमोह	इतवा बुजुर्ग	13-05-2020	1,20,000	MP34MG8679	मोटर साइकिल	03-06-2016	आरएनजी
517	MP3147489	मुकेश साहू	गणेश साहू	दमोह	मारा	28-06-2019	1,20,000	MP34MH7886	मोटर साइकिल	23-03-2017	आरएनजी
518	MP3101876	उदय भान अथ्या	गणेश अथ्या	दमोह	मारा	28-02-2018	1,20,000	MP34MJ2753	मोटर साइकिल	29-12-2017	आरएनजी
519	MP3733624	सरमन पटेल	नारायण पटेल	दमोह	मारा	13-05-2020	65,000	MP34A9660	ट्रैक्टर	12-07-2016	आरएनजी
520	MP3140497	हरप्रसाद पटेल	मूलचंद	दमोह	मारा	28-05-2018	1,20,000	MP34AA2120	ट्रैक्टर	23-11-2017	आरएनजी
521	MP2509365	विष्णु सेन	काली चरण	दमोह	कंकड़दा	28-02-2018	1,20,000	MP34MH8471	मोटर साइकिल	28-04-2017	आरएनजी
522	MP2885991	राकेश खटीक	गणेश	दमोह	नरसिंहगढ़ (सीटी)	02-11-2020	25,000	MP34ML3829	मोटर साइकिल	02-04-2019	आरएनजी
523	MP2233665	हरपाल कुचबंधिया	गुत्थे कुचबंधिया	दमोह	नरसिंहगढ़ (सीटी)	13-05-2017	1,20,000	MP34MG4329	मोटर साइकिल	12-03-2016	आरएनजी
524	MP2629160	गोविंद सिंह लोधी	पदम सिंह लोधी	दमोह	कोट खमरिया	11-03-2018	1,20,000	MP34AA1596	ट्रैक्टर	17-07-2017	आरएनजी
525	MP4846617	हल्के भाई	धुरी सिंह	दमोह	जामुन तारादेही	10-10-2020	25,000	MP34MM6816	मोटर साइकिल	17-01-2020	आरएनजी
526	MP2501156	कमल सिंह	भोपाल सिंह	दमोह	खमरिया शिवलाल	07-10-2020	25,000	MP34AA2058	ट्रैक्टर	23-11-2017	आरएनजी
527	MP4860417	दर्शन सिंह	सोन सिंह	दमोह	कोडाल	07-10-2020	25,000	MP34MH2010	मोटर साइकिल	19-08-2016	आरएनजी
528	MP1668240	राजेश	धन सिंह	दमोह	पंजी	23-03-2017	1,20,000	MP34AA0796	ट्रैक्टर	02-03-2017	आरएनजी

529	MP2150194	अशोक	हीरा लाल	दमोह	बंसी	08-07-2019	1,20,000	MP34MG8710	मोटर साइकिल	07-06-2016	आरएनजी
530	MP5238411	कांचेदी	नन्नू	दमोह	पटेरिया मल	12-10-2020	25,000	MP34AA0437	ट्रैक्टर	19-12-2016	आरएनजी
531	MP5338304	मोहन सिंह	पंचम सिंह	दमोह	समनापुर माल	26-10-2020		MP34AA0667	ट्रैक्टर	13-01-2017	आरएनजी
532	MP1035164	इशाक अली	बाबू अली	दमोह	तेजगढ़	17-05-2020	1,20,000	MP34MG7102	मोटर साइकिल	11-05-2016	आरएनजी
533	MP1553983	भेरूलाल	धन्नालाल	धार	भुवानी खेड़ा	14-02-2018	1,20,000	MP11MV3718	मोटर साइकिल	08-11-2017	एन/ए
534	MP5235153	रमेश	पुंजालाल	धार	छायां	25-09-2020		MP11ND7632	मोटर साइकिल	08-08-2020	एन/ए
535	MP3529126	राधेश्याम	डीटा	धार	चिरा खान	01-04-2018	1,20,000	MP11AD1070	ट्रैक्टर	12-11-2016	एन/ए
536	MP4321553	बाबूलाल चौहान	भेरूलाल चौहान	धार	दत्तीगारा	26-09-2020		MP11MX6241	मोटर साइकिल	14-08-2018	एन/ए
537	MP2439152	भामर	भेरूलाल	धार	नागझिरी	29-07-2019	1,20,000	MP11AD1704	ट्रैक्टर	17-02-2017	एन/ए
538	MP4317737	इंदर सिंह राठौड़	कानीराम राठौड़	धार	कानवन	28-04-2020	1,20,000	MP11NA1367	मोटर साइकिल	20-03-2019	एन/ए
539	MP2660354	प्रकाश गामड	कोड़ा	धार	खिलदी	21-02-2018	1,20,000	MP11MR3639	मोटर साइकिल	24-05-2016	एन/ए
540	MP4816163	मुकेश	देवीसिंह	धार	किसानपुरा	27-01-2021		MP11MY3032	मोटर साइकिल	22-12-2018	एन/ए
541	MP2807794	चेनसिंह	भंवर सिंह	धार	कोड	30-03-2018	1,20,000	MP11MR0137	मोटर साइकिल	10-03-2016	एन/ए
542	MP3657399	दशरथ	चंपालाल	धार	गंडवाड़ा	31-03-2018	1,20,000	MP11MT3067	मोटर साइकिल	24-03-2017	एन/ए

543	MP1901070	मुन्ना लाल कटिका	नंदू जी	धार	मुल्तान	12-03-2018	1,20,000	MP11MR8737	मोटर साइकिल	04-09-2016	एन/ए
544	MP3585397	हीरालाल गामद	राधूजी	धार	मुल्तान	07-04-2018	1,20,000	MP11MV2048	मोटर साइकिल	02-12-2017	एन/ए
545	MP1901356	अशोक गामड	जगदीश	धार	मुल्तान	12-03-2018	1,20,000	MP11MW3479	मोटर साइकिल	16-02-2018	एन/ए
546	MP1840827	कमल	मुन्नालाल	धार	संदला	01-03-2018	1,20,000	MP11MV3548	मोटर साइकिल	25-11-2017	एन/ए
547	MP4168139	भेरूलाल	पुनाजी	धार	संदला	26-09-2020		MP11NA7381	मोटर साइकिल	20-06-2019	एन/ए
548	MP4281843	मनोहर	नाथू	धार	संदला	26-09-2020		MP11MR6384	मोटर साइकिल	02-07-2016	एन/ए
549	MP4568167	मोहन	देवा	धार	शंभोपाडा	26-09-2020		MP11G4670	पिक अप वैन	14-02-2020	एन/ए
550	MP3123337	नानसिया	नाथू	धार	परेथा	11-03-2018	1,20,000	MP11AD4244	ट्रैक्टर	08-06-2017	एन/ए
551	MP3065797	तोपसिंह	सीला	धार	परेथा	18-03-2018	1,20,000	MP11AD3876	ट्रैक्टर	26-10-2017	एन/ए
552	MP5458817	मुन्ना	सेकडिया	धार	मुकुंद पुरा	20-11-2020		MP11AD8224	ट्रैक्टर	30-05-2019	एन/ए
553	MP4987355	बट सिंह	सेखड़िया	धार	मुकुंद पुरा	20-11-2020		MP11NA7919	मोपेड	20-06-2019	एन/ए
554	MP2550806	गुमानसिंह	जामसिंह	धार	नरवाली	16-02-2017	1,20,000	MP11AC9796	ट्रैक्टर	31-03-2016	एन/ए
555	MP3477129	रमेश बामनिया	डोंगर सिंह	धार	अमलाल	17-06-2019	1,20,000	MP11NA1982	मोटर साइकिल	27-04-2019	स्वीकार्य
556	MP4626863	इड़ा मंडलोई	लालसिंह	धार	अरदा	17-11-2020		MP11MW0226	मोटर साइकिल	24-02-2018	स्वीकार्य

557	MP4673427	धुंधरसिंह बामनिया	जोरसिंह	धार	अरदा	12-01-2021		MP11NE1287	मोटर साइकिल	15-10-2020	स्वीकार्य
558	MP4688449	जबरसिंह भिड़े	जतनसिंह	धार	अरदा	24-11-2020		MP11ND7048	मोटर साइकिल	05-09-2020	स्वीकार्य
559	MP3981940	टेरा सिंह सोलंकी	टेटिया	धार	अतरसुमा	31-08-2019	1,20,000	MP11MW2630	मोटर साइकिल	07-03-2018	स्वीकार्य
560	MP4665052	मोहन पंवार	बसंतीलाल पवार	धार	बरदा	06-12-2020		MP11MX1701	मोटर साइकिल	31-08-2018	स्वीकार्य
561	MP3844464	भालसिंह मुजाल्दा	हरसिंह	धार	भागवा	18-07-2019	1,20,000	MP11MW0233	मोटर साइकिल	24-02-2018	स्वीकार्य
562	MP3565126	भुवनसिंह बघेल	नाहरसिंह	धार	भागवा	16-07-2019	1,20,000	MP11MV8970	मोटर साइकिल	29-01-2018	स्वीकार्य
563	MP3567795	भरतसिंह बघेल	माकनसिंह	धार	भागवा	11-07-2019	1,20,000	MP11MX4705	मोटर साइकिल	13-10-2018	स्वीकार्य
564	MP2359385	रमेश परिहार	कुवरसिंह	धार	बोडगाँव	14-06-2019	65,000	MP11MT5364	मोटर साइकिल	10-05-2017	स्वीकार्य
565	MP3542074	अमेंल सिंह	वगेरसिंह	धार	बोडगाँव	14-06-2019	65,000	MP11MQ7129	मोटर साइकिल	20-01-2016	स्वीकार्य
566	MP2436679	खजानिया निग्नवाल	धनिया	धार	दासना	03-07-2019	1,20,000	MP11MZ9195	मोटर साइकिल	06-03-2019	स्वीकार्य
567	MP4735996	भेरूसिंह भाबर	भवसिंह	धार	देवधा	06-05-2020	1,05,000	MP11MU3518	मोटर साइकिल	24-07-2017	स्वीकार्य
568	MP4175104	बोदरा सिंह अलावा	भोलिया	धार	धरमराय	17-12-2020		MP11MW5514	मोटर साइकिल	30-05-2018	स्वीकार्य
569	MP3924086	कमल सस्त्य	गंगाराम	धार	धरमराय	31-03-2018	1,20,000	MP11MU4479	मोटर साइकिल	05-08-2017	स्वीकार्य
570	MP5548571	किश्तर सिंह सोलंकी	जगदेव सिंह	धार	धरमराय	26-12-2020		MP11CC6416	मोटर	17-06-2019	स्वीकार्य

571	MP2511603	जगतसिंह चौहान	गंभीरसिंह	धार	दिगवी	21-04-2017	1,20,000	MP11MT3005	मोटर साइकिल	18-03-2017	स्वीकार्य
572	MP3142074	इड़ा मंडलोई	पहाड़सिंह	धार	गजगोटा	12-06-2019	1,20,000	MP11MT9984	मोटर साइकिल	10-06-2017	स्वीकार्य
573	MP4717848	गेहरिया	हाटू	धार	गजगोटा	29-04-2020	1,20,000	MP11MT8250	मोटर साइकिल	10-06-2017	स्वीकार्य
574	MP2599364	चंद्रसिंह निगवाल	रानिया	धार	बसनाली	24-12-2016	1,20,000	MP11MR9719	मोटर साइकिल	24-09-2016	स्वीकार्य
575	MP1915839	खजानसिंह सोलंकी	खुमसिंह	धार	गंगापुर	13-06-2019	1,20,000	MP11MY5137	मोटर साइकिल	13-11-2018	स्वीकार्य
576	MP1977521	रायदा सोलंकी	धुलसिंह	धार	गंगापुर	29-08-2019	1,20,000	MP11MS4213	मोटर साइकिल	01-12-2016	स्वीकार्य
577	MP2222455	काशीराम डावर	चंद्रसिंह	धार	गंगापुर	30-04-2020	1,20,000	MP11MS9248	मोटर साइकिल	30-11-2016	स्वीकार्य
578	MP1871241	रतनसिंह सोलंकी	रेमसिंह	धार	गंगापुर	13-06-2019	1,20,000	MP11MU2189	मोटर साइकिल	24-07-2017	स्वीकार्य
579	MP2246411	रामदा सोलंकी	सेखड़िया	धार	गंगापुर	29-04-2020	65,000	MP11MZ9564	मोटर साइकिल	05-03-2019	स्वीकार्य
580	MP2606345	राजेंद्र सिंह डावर	वलसिंह	धार	गंगापुर	30-04-2020	1,05,000	MP11MV5591	मोटर साइकिल	13-01-2018	स्वीकार्य
581	MP3506827	बक्ता	कालू	धार	जलवत	18-06-2019	1,20,000	MP11MQ6747	मोटर साइकिल	16-01-2016	स्वीकार्य
582	MP3476063	सुरसिंह अलावा	रेमसिंह	धार	कलमणि	28-06-2019	1,20,000	MP11MU2985	मोटर साइकिल	18-07-2017	स्वीकार्य
583	MP5451733	गणपत डोडवा	नारायण डोडवा	धार	कलमणि	30-04-2020	1,20,000	MP11MW6084	मोटर साइकिल	12-04-2018	स्वीकार्य
584	MP2990369	बोंदरसिंह डोडवा	रतनसिंह	धार	कलमणि	18-06-2019	1,20,000	MP11MU1891	मोटर साइकिल	15-06-2017	स्वीकार्य

585	MP3351511	रेलसिंह डावर	जंगरसिंह	धार	कलमणि	28-06-2019	1,20,000	MP11MW8843	मोटर साइकिल	10-05-2018	स्वीकार्य
586	MP3411347	केरामसिंह गहलोद	गुमानसिंग	धार	खेदी	07-03-2018	1,20,000	MP11MR2029	मोटर साइकिल	03-05-2016	स्वीकार्य
587	MP3449969	भेरसिंग गहलोद	सज्जनसिंह	धार	खेदी	09-07-2019	1,20,000	MP11MT3059	मोटर साइकिल	18-03-2017	स्वीकार्य
588	MP4851550	नारायण चौहान	भूरालाल	धार	कटार खेड़ा	30-11-2020		MP11AD4149	ट्रैक्टर	01-12-2017	स्वीकार्य
589	MP2974320	अमरसिंह मोरी	वेस्टा	धार	पलवत	18-06-2019	1,20,000	MP11MT7659	मोटर साइकिल	10-08-2017	स्वीकार्य
590	MP3122886	धनसिंह कनेश	नाहला	धार	पलवत	18-07-2019	1,20,000	MP11MV6874	मोटर साइकिल	24-12-2017	स्वीकार्य
591	MP3393997	हेमता कवच	धनसिंह	धार	पलवत	03-07-2019	1,05,000	MP11MT5811	मोटर साइकिल	10-05-2017	स्वीकार्य
592	MP2971128	भूरसिंह मोरी	वेस्टा	धार	पलवत	28-03-2018	1,20,000	MP11MT7713	मोटर साइकिल	04-08-2017	स्वीकार्य
593	MP1756340	सिकदर भिड़े	शिव भिड़े	धार	पलवत	10-05-2017	1,20,000	MP11MQ5751	स्कूटर	15-01-2016	स्वीकार्य
594	MP4912285	भालसिंह सोलंकी	काना	धार	खातमी	24-11-2020		MP11MS6577	मोटर साइकिल	14-01-2017	स्वीकार्य
595	MP5298014	सुंदरसिंह जमरा	भंगड़िया	धार	खातमी	24-11-2020		MP11NB8727	मोटर साइकिल	05-01-2020	स्वीकार्य
596	MP5441456	कालू सिंह डावर	मोतला	धार	कीकरवासा	23-11-2020		MP11MS8235	मोटर साइकिल	15-11-2016	स्वीकार्य
597	MP3564483	नवलसिंह सोलंकी	जोरसिंह	धार	मकड़वानी	31-08-2019	1,05,000	MP11MU8495	मोटर साइकिल	11-11-2017	स्वीकार्य
598	MP3645417	मेहताब सोलंकी	रामसिंह	धार	मकड़वानी	29-04-2020	1,05,000	MP11MS0667	मोटर साइकिल	09-10-2016	स्वीकार्य

599	MP3981279	धनसिंह जामोद	कालूसिंह	धार	पन्हाल	29-04-2020	65,000	MP11MQ7118	मोटर साइकिल	20-01-2016	स्वीकार्य
600	MP5033863	हगरिया सोलंकी	रतन	धार	पन्हाल	20-11-2020		MP11MR5924	मोटर साइकिल	24-06-2016	स्वीकार्य
601	MP5088429	सरदार सोलंकी	हगरिया	धार	पन्हाल	24-11-2020		MP11ND7052	मोटर साइकिल	05-09-2020	स्वीकार्य
602	MP4919975	प्रेमसिंह मंडलोई	रायसिंह	धार	पिपलूद	23-11-2020		MP11MR1571	मोटर साइकिल	09-04-2016	स्वीकार्य
603	MP4929770	जोरसिंह मंडलोई	भाटू	धार	पिपलूद	24-11-2020		MP11MY9416	मोटर साइकिल	05-12-2018	स्वीकार्य
604	MP3768221	पूनम सिंह	जगत सिंह	धार	पिपलूद	30-04-2020	65,000	MP11MZ4505	मोटर साइकिल	23-01-2019	स्वीकार्य
605	MP5712505	सखाराम मंडलोई	देवीसिंह	धार	पिपलूद	18-12-2020		MP11ND6592	मोटर साइकिल	10-07-2020	स्वीकार्य
606	MP5638883	बकसिंह अहोरिया	धेडू	धार	सिद्दी	02-12-2020		MP11MW0231	मोटर साइकिल	24-02-2018	स्वीकार्य
607	MP4729651	सुभन सिंह	बर सिंह	धार	सिद्दी	06-12-2020		MP11MX2073	मोपेड	01-06-2018	स्वीकार्य
608	MP3948289	चंदन चौहान	गेंदालाल	धार	सिद्दी	08-03-2018	1,20,000	MP11MV5873	मोटर साइकिल	22-11-2017	स्वीकार्य
609	MP4176719	केमता अलावा	टंटिया	धार	टेमरिया	03-05-2020	65,000	MP11MV7202	मोटर साइकिल	10-04-2018	स्वीकार्य
610	MP2520329	भूपेंद्र अलावा	कोतवाल	धार	टेमरिया	31-03-2018	1,20,000	MP11MW4139	मोटर साइकिल	14-03-2018	स्वीकार्य
611	MP3730657	गंगारामालावा	भायसिंह	धार	टेमरिया	22-08-2019	1,20,000	MP11MU9764	मोटर साइकिल	08-11-2017	स्वीकार्य
612	MP3420960	वेचला मुजाल्दा	बटसिंह	धार	थांदला	18-06-2019	1,20,000	MP11MZ0655	मोटर साइकिल	19-12-2018	स्वीकार्य

613	MP3164850	रामसिंह चौहान	जुवानसिंह	धार	उमराली	14-06-2019	1,20,000	MP11MT3764	मोटर साइकिल	24-03-2017	स्वीकार्य
614	MP4440448	प्रह्लाद चौहान	तोलाराम चौहान	धार	कलसादा खुर्द	01-01-2021		MP11MY8213	मोटर साइकिल	26-11-2018	एन/ए
615	MP3169725	गोबा डामर	शंकर डाबर	धार	खिलचीपुरा	21-03-2017	1,20,000	MP11MR2419	मोपेड	07-05-2016	स्वीकार्य
616	MP4568163	पप्पू	निहालसिंग	धार	उतावद	13-01-2021		MP11MZ7817	मोटर साइकिल	14-02-2019	एन/ए
617	MP1727210	चंपालाल पटेल	मूलचंद	धार	लसागांव	02-03-2018	1,20,000	MP11MS9198	मोटर साइकिल	25-11-2016	स्वीकार्य
618	MP1148588	गणेश	भीम	धार	बलवारी	05-02-2017	1,20,000	MP11AC8094	ट्रैक्टर	01-03-2016	एन/ए
619	MP2879702	मंशाराम	कालू	धार	बासवी	24-07-2018	1,20,000	MP11MW6818	मोटर साइकिल	20-03-2018	एन/ए
620	MP4176568	मुनीम	कोला	धार	चिकत्याबाद	28-04-2020	1,20,000	MP11MQ7822	मोटर साइकिल	02-02-2016	एन/ए
621	MP4978094	प्यार सिंह	नारायण	धार	अहमदपुरा	20-11-2020		MP11MR5318	मोटर साइकिल	16-06-2016	स्वीकार्य
622	MP2606380	दिनेश	ननका	धार	अहमदपुरा	20-02-2018	1,20,000	MP11MW0273	मोटर साइकिल	01-02-2018	स्वीकार्य
623	MP2023599	दिलीप	मोहन	धार	पंचघाटी	16-07-2018	1,20,000	MP11MT5456	मोटर साइकिल	10-06-2017	स्वीकार्य
624	MP1730075	चंदर	सीताराम	धार	संकोटा	24-07-2018	1,20,000	MP11MT1969	मोटर साइकिल	31-05-2017	स्वीकार्य
625	MP5534917	महेश	रूमाल	धार	सरजापुर	17-11-2020		MP11MZ2338	मोटर साइकिल	11-12-2018	स्वीकार्य
626	MP1900289	शोभाराम	बेथरिया	धार	सरजापुर	16-08-2018	1,05,000	MP11AD2491	ट्रैक्टर	19-05-2017	स्वीकार्य

627	MP2109802	धनिया गिरवाल	नगिया	धार	सिरसोदिया	09-04-2018	1,20,000	MP11MV7761	मोटर साइकिल	08-02-2018	स्वीकार्य
628	MP1852802	विक्रम	मालसिंग	धार	सिरसोदिया	01-03-2018	1,20,000	MP11MT1748	मोटर साइकिल	26-02-2017	स्वीकार्य
629	MP3122427	संतोष	रमेश	धार	सिरसोदिया	25-07-2018	1,20,000	MP11MU6882	मोटर साइकिल	11-11-2017	एन/ए
630	MP4182429	दिलीप	नानूराम	धार	सुंदरेल	17-11-2020		MP11MR7829	मोटर साइकिल	09-08-2016	स्वीकार्य
631	MP2382605	रमेश	नगरिया	धार	तारापुर	20-02-2018	1,20,000	MP11MT3947	मोटर साइकिल	21-03-2017	स्वीकार्य
632	MP4625217	बच्चू सिंह	तेर सिंह	धार	अवलदमन	12-12-2020		MP11NA4654	मोटर साइकिल	20-05-2019	एन/ए
633	MP5425667	लाल सिंह	मदिया	धार	चकदूद	26-11-2020		MP11AD0739	ट्रैक्टर	02-09-2016	एन/ए
634	MP5153318	मोहन	फूल सिंह	धार	बखाताला	27-11-2020		MP11AD9428	ट्रैक्टर	19-12-2019	स्वीकार्य
635	MP4020416	प्रचंद	कालू	धार	कड़ाडा	04-12-2020		MP11AE0380	ट्रैक्टर	09-06-2020	स्वीकार्य
636	MP5014703	करन सिंह	जाम सिंह	धार	बेकल्या(बलवारी)	26-11-2020		MP11AD9543	ट्रैक्टर	03-01-2020	एन/ए
637	MP2539885	हर सिंह	भाव सिंह	धार	धवाददा	22-07-2019	1,20,000	MP11AD6933	ट्रैक्टर	21-01-2019	स्वीकार्य
638	MP4019540	नंदराम	मुन्ना	धार	ढोला हनुमान	26-11-2020		MP11AD6820	ट्रैक्टर	06-01-2019	एन/ए
639	MP4846531	भागीरथ मेड़ा	मांगीलाल मेड़ा	धार	मछलाई	07-12-2020		MP11MR1813	मोटर साइकिल	21-04-2016	एन/ए
640	MP4878475	मांगीलाल कवचे	नारन	धार	करोंदिया	21-12-2020		MP11NB7958	मोटर साइकिल	24-11-2019	स्वीकार्य

641	MP1044007	अंतर	कालू	धार	केली कलां	12-02-2017	1,20,000	MP11AD0216	ट्रैक्टर	24-05-2016	एन/ए
642	MP1685678	भवसिंह	डिटाला	धार	केली खुर्द	07-02-2017	40,000	MP11AD0782	ट्रैक्टर	25-09-2016	स्वीकार्य
643	MP5378682	प्रेम सिंह	नर सिंह	धार	चोटिया खेड़ी	26-11-2020		MP11AD8132	ट्रैक्टर	15-05-2019	एन/ए
644	MP2254031	मदिया	दमदिया	धार	ग्वाल मगरी	31-03-2018	1,20,000	MP11MS6267	मोटर साइकिल	02-01-2017	एन/ए
645	MP4420313	रंगू	मोहन	धार	रामगढ़	18-05-2020	65,000	MP11AD1242	ट्रैक्टर	19-12-2016	एन/ए
646	MP3204738	नूरला डावर	आपसिंह	धार	रोडाडा	19-06-2019	1,20,000	MP11MT4294	मोटर साइकिल	21-03-2017	स्वीकार्य
647	MP2792378	गुल सिंह	भुवन	धार	रोडाडा	31-03-2018	1,20,000	MP11BE1143	निजी उपयोग के लिए ओमनी बस	07-10-2016	स्वीकार्य
648	MP3693211	सेकु	दुलिया	धार	धमा खेड़ी	19-06-2019	1,20,000	MP11BE1582	निजी उपयोग के लिए ओमनी बस	26-04-2019	स्वीकार्य
649	MP5171831	कसम	धूम सिंह	धार	सोयला	12-12-2020		MP11AD7020	ट्रैक्टर	28-01-2019	एन/ए
650	MP4474114	राजा राम	बट्टू सिंह	धार	टोंगाँव	12-12-2020		MP11MT4005	मोटर साइकिल	06-07-2017	एन/ए
651	MP2399686	सुखलाल	दमसिंह	धार	अवली	15-07-2019	1,20,000	MP11AD0598	ट्रैक्टर	11-07-2016	एन/ए

652	MP5043919	चंचल बघेल	मुकाम	धार	चिकली	26-11-2020		MP11NA8525	मोटर साइकिल	17-07-2019	एन/ए
653	MP4915228	चन्द्र सिंह चौहान	जामसिंह	धार	ढोल्या	18-11-2020		MP11MQ8812	मोटर साइकिल	16-02-2016	एन/ए
654	MP4678329	भीमसिंह कामरा	हेकदिया	धार	ढोल्या	28-09-2020		MP11MW5396	मोटर साइकिल	26-10-2018	एन/ए
655	MP4514349	भीमसिंह सोलंकी	कालू	धार	ढोल्या	28-11-2020		MP11MW0623	मोटर साइकिल	22-02-2018	एन/ए
656	MP3867604	नानसिंह डावर	नरसिंह	धार	गिरवान्या	06-08-2019	1,20,000	MP11NA0304	मोटर साइकिल	14-03-2019	एन/ए
657	MP3394451	थानसिंह	गुमानसिंह	धार	गिरवान्या	29-07-2019	1,20,000	MP11R0499	ऑटो रिक्शा	17-07-2018	एन/ए
658	MP5440080	चन्द्र सिंह	भीमसिंह	धार	खंडलाई	03-05-2020	65,000	MP11MY9728	मोटर साइकिल	29-12-2018	एन/ए
659	MP4767507	नानसिंह	रायसिंह	धार	बामनबर्दी	23-11-2020		MP11AD8746	ट्रैक्टर	18-09-2019	एन/ए
660	MP5058492	उगर सिंह	अमर सिंह	धार	लेंगसारी	26-11-2020		MP11MQ7876	मोटर साइकिल	02-02-2016	एन/ए
661	MP4281845	सकाराम	दरियाव	धार	अजंदा	18-12-2020		MP11AD6702	ट्रैक्टर	13-12-2018	स्वीकार्य
662	MP3001008	राम लाल चौहान	हीरालाल	धार	कोसवाड़ा	05-03-2018	1,20,000	MP11MS4367	मोटर साइकिल	01-12-2016	एन/ए
663	MP4226367	प्यार सिंह	लक्ष्मण	धार	सोंदुल	17-02-2021		MP11NA4159	मोटर साइकिल	28-04-2019	एन/ए
664	MP5720727	रंजीत	चंदर सिंह	धार	सोंदुल	01-02-2021		MP11AD3427	ट्रैक्टर	25-08-2017	एन/ए
665	MP5011813	दयाराम	बाबू	धार	भील्टलवाड़ा	14-05-2020	65,000	MP11NA0148	मोटर साइकिल	18-03-2019	स्वीकार्य

666	MP4701480	पीरूलाल	मांगीलाल	धार	बिलोदा	30-04-2020	1,20,000	MP11MV5536	मोटर साइकिल	29-01-2018	स्वीकार्य
667	MP1766237	रमेश	रणछोड़	धार	जूनापानी	10-03-2018	1,20,000	MP11AD4270	ट्रैक्टर	29-12-2017	स्वीकार्य
668	MP2310281	जामसिंह	मुकुंद	धार	अंबापुरा	24-12-2016	1,20,000	MP11AC9920	ट्रैक्टर	12-04-2016	स्वीकार्य
669	MP4440264	बुड़िया	धूलिया	धार	भूराकुवा	10-05-2020	25,000	MP11MY3784	मोटर साइकिल	03-11-2018	स्वीकार्य
670	MP1522121	राजुकतारे	गोबरिया	धार	बंगरेड	12-04-2017	1,20,000	MP11MS6586	मोटर साइकिल	13-01-2016	स्वीकार्य
671	MP4279005	सिंग्या	नानूराम	धार	करमतलाई	08-05-2020	1,20,000	MP11T1704	पब सर्विस वैन	03-05-2019	स्वीकार्य
672	MP1578046	मेवसिंह डावर	करन सिंह	धार	सामरिया	28-03-2018	1,20,000	MP11MW3461	मोटर साइकिल	13-02-2018	स्वीकार्य
673	MP4176420	मुकेश	अनसिंह	धार	कुराडिया	23-05-2020	1,20,000	MP11G3755	पिक अप वैन	18-02-2019	स्वीकार्य
674	MP4545279	हिन्दू सिंह	नरसिंह	धार	हीरापुरा	03-05-2020	1,20,000	MP11AD0602	ट्रैक्टर	21-07-2016	स्वीकार्य
675	MP4815753	इस्माइल	छोटे खान	धार	नालछा	23-05-2020	1,20,000	MP11MY0484	मोटर साइकिल	11-10-2018	स्वीकार्य
676	MP5460841	राजेश	हरिसिंह	धार	नालछा	17-11-2020		MP11MR3363	मोटर साइकिल	12-05-2016	स्वीकार्य
677	MP5424735	बाबूलाल	हीरालाल	धार	नालछा	17-11-2020		MP11G3198	पिक अप वैन	06-08-2018	स्वीकार्य
678	MP4241244	नानसिंह	रामनाथ	धार	सोदपुर	03-05-2020	65,000	MP11AD6173	ट्रैक्टर	08-10-2018	स्वीकार्य

679	MP4242888	बनसिंह	छगन	धार	सोदपुर	03-05-2020	1,20,000	MP11R0690	ऑटो रिक्शा	29-04-2020	स्वीकार्य
680	MP4302402	जमनालाल	रमेश	धार	तलवाड़ा	01-05-2020	1,20,000	MP11MV7990	मोटर साइकिल	27-12-2017	स्वीकार्य
681	MP3647677	उमकार	प्यार सिंह	धार	उमरपुरा	30-06-2019	1,20,000	MP11AD5630	ट्रैक्टर	07-07-2018	स्वीकार्य
682	MP5334640	सुरपाल चौहान	पहाड़सिंह चौहान	धार	चंदनखेड़ी	26-11-2020	25,000	MP11MW7754	मोटर साइकिल	12-04-2018	एन/ए
683	MP3103306	रतन जमरा	वेर सिंह जमरा	धार	चंदनखेड़ी	05-06-2017	1,20,000	MP11MT1707	मोटर साइकिल	30-03-2017	एन/ए
684	MP2951204	सुरेश चौहान	रामसिंह	धार	देहर	16-03-2018	1,20,000	MP11MV5846	मोटर साइकिल	22-11-2017	एन/ए
685	MP5627937	रामसिंह	वेर सिंह	धार	देहर	30-07-2020	1,05,000	MP11MS5552	मोटर साइकिल	10-12-2016	एन/ए
686	MP2215021	इंदरसिंह चौहान	गुलाबसिंह	धार	देहर	21-11-2020	25,000	MP11MY2574	मोटर साइकिल	23-11-2018	एन/ए
687	MP4230608	दिनेश	टंटिया	धार	ननोडा	29-04-2020	1,20,000	MP11MT2481	मोटर साइकिल	05-05-2017	एन/ए
688	MP1753122	बद्रीलाल भूरिया	हिन्दू भूरिया	धार	चुनियागडी	16-04-2018	1,20,000	MP11MU0957	मोटर साइकिल	07-06-2017	आरएनजी
689	MP4616707	गोपाल	थावराजी	धार	बडोदिया	28-09-2020		MP11MS3080	मोटर साइकिल	01-01-2017	आरएनजी
690	MP1230418	कलाम सिंह भूरिया	बावा	धार	बटियाबर्दी	11-01-2017	1,20,000	MP11MS0121	मोटर साइकिल	08-10-2016	आरएनजी
691	MP3909353	मुन्नालाल	नरसिंह	धार	भानगढ़	28-11-2020		MP11AE0880	ट्रैक्टर	29-07-2020	एन/ए
692	MP5481492	गिरधारी	बाबूलाल	धार	भानगढ़	17-11-2020		MP11AD6324	ट्रैक्टर	02-11-2018	एन/ए

693	MP5535616	शांतिलाल	गोपाल	धार	भानगढ़	28-09-2020		MP11G4213	पिक अप वैन	16-09-2019	एन/ए
694	MP5434286	कैलाश	मांगीलाल	धार	भानगढ़	06-05-2020	1,20,000	MP11AC9673	ट्रैक्टर	15-03-2016	आरएनजी
695	MP3226004	कालूराम	भगीरथ	धार	मोयल खेड़ा	20-06-2019	1,20,000	MP11MQ7166	मोटर साइकिल	20-01-2016	आरएनजी
696	MP3912978	शांतिलाल	फूलचंद	धार	मोयल खेड़ा	15-04-2018	1,20,000	MP11MQ6943	मोटर साइकिल	19-01-2016	आरएनजी
697	MP2072203	धनराज	रामसिंह	धार	बोरखेड़ी	18-06-2019	1,20,000	MP11AD6256	ट्रैक्टर	18-10-2018	आरएनजी
698	MP2570618	पारु भूरिया	राडू भूरिया	धार	अम्बापाड़ा	19-04-2018	1,20,000	MP11MU2361	मोटर साइकिल	24-07-2017	आरएनजी
699	MP3230585	नंदी बाई	गबुरिया	धार	फुलगांवडी	27-08-2019	1,20,000	MP11AD2156	ट्रैक्टर	18-12-2016	आरएनजी
700	MP1677877	शंभु	बीजल	धार	खुंटपाला	03-04-2018	1,20,000	MP11MU3927	मोटर साइकिल	17-08-2017	आरएनजी
701	MP1704922	गिरधारी	रतन	धार	खुंटपाला	15-06-2019	1,20,000	MP11G2132	पिक अप वैन	01-04-2016	एन/ए
702	MP1828223	बहादुर	भुवन	धार	नयापुरा	10-05-2017	1,20,000	MP11AD1744	ट्रैक्टर	22-08-2016	एन/ए
703	MP2123028	धनसिंग	हिम्मतसिंह	धार	गोविंदपुरा	03-05-2017	1,20,000	MP11AD1763	ट्रैक्टर	03-03-2017	एन/ए
704	MP3795340	रमेश	जावशिंग	धार	रिंगनोद	09-07-2019	1,20,000	MP11MX3511	मोटर साइकिल	27-06-2018	आरएनजी
705	MP3031173	भगलाल	मांगेलाल	धार	रिंगनोद	24-06-2019	25,000	MP11MZ4133	मोटर साइकिल	05-02-2019	आरएनजी
706	MP2650045	दिनेश	रमेश	धार	रिंगनोद	25-04-2018	1,20,000	MP11MW4128	मोटर साइकिल	20-03-2018	आरएनजी

707	MP4461535	रमेश	भगीरथ	धार	रिंगनोद	23-11-2020		MP11AD1921	ट्रैक्टर	08-03-2017	स्वीकार्य
708	MP3824852	मेहताब	नाथू	धार	रिंगनोद	17-07-2019	1,20,000	MP11MX6430	मोपेड	03-08-2018	आरएनजी
709	MP3121682	रमेश वसुनिया	लोबान	धार	सेमल्या	15-04-2018	1,20,000	MP11MR9325	मोटर साइकिल	20-09-2016	आरएनजी
710	MP3876346	धूलिया गामड	छिता	धार	टांडा खेड़ा	07-03-2018	1,20,000	MP11MS0461	मोटर साइकिल	08-10-2016	आरएनजी
711	MP3115285	जगन	झितरा	धार	गुवाड़ी	03-05-2018	1,20,000	MP11AD4273	ट्रैक्टर	29-12-2017	स्वीकार्य
712	MP1779569	भूरू	देवसिंह	धार	भुवाड़ा	25-06-2019	1,20,000	MP11MR1877	मोटर साइकिल	21-04-2016	स्वीकार्य
713	MP4540743	चेत्य	हटिया	धार	बोरी	04-12-2020		MP11AD1814	ट्रैक्टर	04-03-2017	एन/ए
714	MP5494314	आलमसिंह कटारे	जामसिंह	धार	जूनापानी	23-11-2020		MP11MY8993	मोटर साइकिल	13-12-2018	एन/ए
715	MP4221835	सर्पू	गोमला	धार	खिडकियाकलां	26-11-2020		MP11NA0799	मोटर साइकिल	13-03-2019	एन/ए
716	MP4553175	शंभु	घेघरिया	धार	कुंडी	04-05-2020	1,20,000	MP11AD0458	ट्रैक्टर	25-06-2016	स्वीकार्य
717	MP5379680	वरसिंह	गमरिया	धार	कुवा	15-05-2020	1,20,000	MP11MX9207	मोटर साइकिल	17-11-2018	स्वीकार्य
718	MP4445013	गुलाब	नानसिंग	धार	चेलाई	05-05-2020	1,20,000	MP11AD7555	ट्रैक्टर	01-03-2019	एन/ए
719	MP3594923	गलिया भूरिया	खिमा	धार	मोहनपुर	19-06-2019	1,20,000	MP11MQ8141	मोटर साइकिल	07-02-2016	एन/ए
720	MP2814059	गुलसिंह डावर	नानसिंह	धार	मोहनपुर	25-06-2019	1,20,000	MP11MU7678	मोटर साइकिल	20-11-2017	एन/ए

721	MP3843930	नानूराम डावर	नानसिंह	धार	मोहनपुर	03-05-2020	65,000	MP11NA2974	मोटर साइकिल	30-04-2019	एन/ए
722	MP5639425	कैलाश सोलंकी	देवीसिंह	धार	पदाल्या	20-11-2020		MP11NC4453	मोटर साइकिल	25-01-2020	स्वीकार्य
723	MP3458040	नेपाल	फट्टू	धार	पर्वतपुरा	21-06-2019	1,05,000	MP11MX3229	मोटर साइकिल	23-06-2018	स्वीकार्य
724	MP4559672	गुलसिंह	जुआनसिंह	धार	सिंध कुवा	23-11-2020		MP11MZ3582	मोटर साइकिल	29-12-2018	स्वीकार्य
725	MP4051130	रमेश नाथ	कालू नाथ	धार	तिरला	01-05-2020	1,20,000	MP11MU3899	मोपेड	09-08-2017	स्वीकार्य
726	MP4359843	राजा राम	बाउओ	धार	अमलथा	14-12-2020		MP11AD7669	ट्रैक्टर	09-03-2019	एन/ए
727	MP3160506	राजेंद्र	लालसिंह	धार	अमलता	12-03-2018	1,20,000	MP11AD2319	ट्रैक्टर	25-04-2017	एन/ए
728	MP5335091	मदन	भारत	धार	अमलता	03-12-2020		MP11MT7813	स्कूटर	10-05-2017	एन/ए
729	MP3830356	भरेटी	जोगेलाल	धार	देवलरा	29-06-2019	1,20,000	MP11MS9230	मोटर साइकिल	07-01-2017	एन/ए
730	MP4817000	दिवान	गलसिंह	धार	बंजारी	06-12-2020		MP11MP4938	मोटर साइकिल	19-01-2016	एन/ए
731	MP2661558	राजाराम नायक	लक्ष्मण	धार	पाठमोती	23-04-2018	1,20,000	MP11MV9388	मोटर साइकिल	02-02-2018	एन/ए
732	MP2033949	सुभाष नायक	मिश्रीलाल	धार	पाठमोती	27-02-2018	1,20,000	MP11MV9869	मोटर साइकिल	01-02-2018	एन/ए
733	MP2084966	धूमासिंह नायक	जगदीश	धार	पाठमोती	20-04-2018	1,20,000	MP11MU4097	मोटर साइकिल	13-07-2017	एन/ए
734	MP2620870	दिनेश	गोविंद	धार	रामधामा	22-07-2019	1,20,000	MP11MQ7613	मोटर साइकिल	01-03-2016	एन/ए

735	MP4045323	सकाराम	सोभाराम	धार	किशनपुर खेड़ी	09-05-2020	25,000	MP11MV8481	मोटर साइकिल	13-01-2018	स्वीकार्य
736	MP5559194	शेतान सिंह कुशवाह	कमर लाल	गुना	खिरनी	29-01-2021		MP08MR2379	मोटर साइकिल	24-03-2018	आरएनजी
737	MP5271749	अमन यादव	गजराज सिंह	गुना	अमोदा	11-05-2020	1,20,000	MP08MS6398	मोटर साइकिल	19-12-2018	आरएनजी
738	MP3919292	दिनेश शर्मा	भैयालाल	गुना	अमोदा	17-07-2019	1,05,000	MP08CA8408	मोटर	23-02-2018	आरएनजी
739	MP5688673	अमोल सिंह यादव	उत्तम सिंह	गुना	बरोद	07-12-2020		MP08MT0474	मोटर साइकिल	07-03-2019	आरएनजी
740	MP4225129	हरिओम गुर्जर	कमल सिंह	गुना	अरस खेड़ा	02-05-2020	1,05,000	MP08MR4139	मोटर साइकिल	02-05-2018	आरएनजी
741	MP2048704	गोविंद बंजारा	भगवान सिंह	गुना	बरखेड़ा हाट	16-03-2017	1,20,000	MP08MP0256	मोटर साइकिल	18-11-2016	आरएनजी
742	MP3785174	गणेशराम धाकड़	कमल सिंह	गुना	बरखेड़ा हाट	21-06-2019	1,05,000	MP08AC5740	ट्रैक्टर	25-04-2018	आरएनजी
743	MP2596579	संतोष	नथुआ	गुना	बरोद	22-02-2018	1,20,000	MP08AC5468	ट्रैक्टर	30-12-2017	आरएनजी
744	MP4934954	मुकेश अहिरवार	गणेश राम	गुना	भादौर	22-06-2019	1,20,000	MP08MN2171	मोटर साइकिल	11-03-2016	आरएनजी
745	MP1852989	अमीन खान	इस्माइल खान	गुना	डेहरी कलां	06-07-2018	1,20,000	MP08MP4468	मोटर साइकिल	25-07-2017	आरएनजी
746	MP5515030	मेवाराम शर्मा	तुलाराम	गुना	इकोदिया	22-11-2020		MP08MS0603	मोटर साइकिल	07-08-2018	आरएनजी
747	MP5320937	खुमान सिंह कुशवाह	महाराजसिंह	गुना	हापा खेड़ी	13-12-2020		MP08MR8623	मोटर साइकिल	17-07-2018	आरएनजी
748	MP2272518	नारायण बंजारा	मान सिंह	गुना	झाझों	01-03-2018	1,20,000	MP08MR0993	मोटर साइकिल	23-02-2018	आरएनजी

749	MP2287895	नारायण बंजारा	मान सिंह	गुना	झाझों	25-02-2018	1,20,000	MP08MR0993	मोटर साइकिल	23-02-2018	आरएनजी
750	MP5272598	विक्रम सिंह कुशवाह	लक्ष्मण सिंह	गुना	झाझों	22-11-2020	25,000	MP08MS0358	मोटर साइकिल	02-08-2018	आरएनजी
751	MP1523931	सोनू अहिरवार	खिल्लू	गुना	बिशन खेड़ा	16-02-2018	1,20,000	MP08MQ4618	मोटर साइकिल	15-11-2017	आरएनजी
752	MP2894793	रोडिया बंजारा	प्रेमा	गुना	बिशन खेड़ा	07-12-2020		MP08MS2786	मोटर साइकिल	15-10-2018	आरएनजी
753	MP3831133	कप्तान सिंह	कमल सिंह	गुना	तिघरा अहमद	01-03-2018	1,20,000	MP08MP5590	मोटर साइकिल	24-04-2017	आरएनजी
754	MP2092725	गिर्राज सिंह गुर्जर	लक्ष्मी नारायण	गुना	खैरा	29-06-2019	1,20,000	MP08MT2009	मोटर साइकिल	24-05-2019	आरएनजी
755	MP2310714	मोहन सिंह	नीलम सिंह	गुना	पटलेश्वार	31-03-2018	1,20,000	MP08MQ7715	मोटर साइकिल	05-01-2018	आरएनजी
756	MP3931867	गुड्डा मीना	दाताराम	गुना	चिरोला	03-12-2020		MP08MP0833	मोटर साइकिल	02-12-2016	आरएनजी
757	MP1690993	कमलिश मीणा	मूलचंद	गुना	चिरोला	14-03-2018	1,20,000	MP08MQ7968	मोटर साइकिल	05-01-2018	आरएनजी
758	MP4834021	महेश मीणा	मूलचंद	गुना	चिरोला	15-12-2020		MP08MR5759	मोटर साइकिल	10-05-2018	आरएनजी
759	MP4794625	महाराज सिंह	नारायण सिंह	गुना	चिरोला	15-12-2020		MP08MR5165	मोटर साइकिल	10-05-2018	आरएनजी
760	MP5367462	अमोल सिंह प्रजापति	रामकिशन	गुना	पिपरौदा मैना	27-12-2020		MP08MP1886	मोटर साइकिल	28-12-2016	आरएनजी
761	MP5368944	सागर सिंह मीणा	चतर सिंह	गुना	पिपरौदा मैना	04-12-2020		MP08MP6237	मोटर साइकिल	05-05-2017	आरएनजी
762	MP2366405	बलराम खेरुआ	धन सिंह	गुना	रिजोडा	13-04-2018	1,20,000	MP08MQ2320	मोटर साइकिल	22-09-2017	आरएनजी

763	MP3058106	नवल सिंह अहिरवार	मान सिंह	गुना	रोरिया	16-03-2017	1,20,000	MP08MN6796	मोटर साइकिल	15-07-2016	आरएनजी
764	MP4846906	रघुनंदन सिंह कुशवाह	चंपा लाल	गुना	शोहरोक	01-12-2020		MP08MT6888	मोटर साइकिल	19-06-2019	आरएनजी
765	MP1492184	रमेशबंजारा	जयकिशन	गुना	मोहरी खुर्द	05-07-2019	1,20,000	MP08MR1203	मोटर साइकिल	27-02-2018	आरएनजी
766	MP5355058	इंद्रभान सिंह	सरदार सिंह	गुना	शाहवाजपुर	01-12-2020		MP08MQ8781	मोटर साइकिल	22-01-2018	आरएनजी
767	MP2673282	रामकृष्ण अहिरवार	प्रभुलाल	गुना	ऊर्जन्यी	19-12-2016	1,20,000	MP08MN5934	मोटर साइकिल	20-06-2016	आरएनजी
768	MP4456270	हरवीर सिंह ओझा	ऊधम सिंह	गुना	ऊर्जन्यी	01-05-2020	1,20,000	MP08MU5407	मोटर साइकिल	21-11-2019	आरएनजी
769	MP5719657	राजेंद्र सिंह रघुवंशी	बुंदेल सिंह	गुना	सलय	15-12-2020		MP08MW1843	स्कूटर	21-09-2020	आरएनजी
770	MP5354211	धीरू कुशवाह	देवी सिंह	गुना	सराय	13-12-2020		MP08MT8180	मोटर साइकिल	02-07-2019	आरएनजी
771	MP2361789	तेज सिंह बंजारा	लालू	गुना	इस्माइलपुर	25-02-2018	1,20,000	MP08MQ8799	मोटर साइकिल	22-01-2018	आरएनजी
772	MP2332566	कमल सिंह बंजारा	डालू	गुना	इस्माइलपुर	27-06-2019	1,20,000	MP08MP1055	मोटर साइकिल	06-12-2016	आरएनजी
773	MP2353958	हीरा लाल बंजारा	मागी लाल	गुना	इस्माइलपुर	25-02-2018	1,20,000	MP08MQ4659	मोटर साइकिल	15-11-2017	आरएनजी
774	MP2332270	धर्म बंजारा	शिवलाल	गुना	इस्माइलपुर	04-07-2019	1,20,000	MP08MR9138	मोटर साइकिल	04-07-2018	आरएनजी
775	MP2381256	मावहर सिंह बंजारा	भाव सिंह	गुना	इस्माइलपुर	27-06-2019	1,05,000	MP08MR5952	मोटर साइकिल	14-05-2018	आरएनजी
776	MP5523980	रामसिंह बंजारा	भर्तु	गुना	जसवंतपुर	18-12-2020		MP08MT9895	मोटर साइकिल	25-07-2019	आरएनजी

777	MP4861918	धर्मेंद्र बगड़ी	चैन सिंह	गुना	सुंगयई	20-06-2019	1,20,000	MP08MQ8772	मोटर साइकिल	22-01-2018	आरएनजी
778	MP4190115	राम सिंह अहिरवार	पंचू	गुना	सुंगयई	30-04-2020	1,20,000	MP08MR6106	मोटर साइकिल	14-05-2018	आरएनजी
779	MP4418823	भगवान सिंह वंजारा	हजारी	गुना	टंकपरोरिया	28-06-2020	65,000	MP08MR9768	मोटर साइकिल	20-07-2018	आरएनजी
780	MP5075423	नंद किशोर ओझा	देवीलाल	गुना	ग्वारखेड़ा	04-09-2020		MP08MT2740	मोटर साइकिल	28-05-2019	आरएनजी
781	MP2650335	कैलाश लोढ़ा	बेजनाथ लोढ़ा	गुना	गणेशपुरा	13-03-2018	1,05,000	MP08MN5521	मोटर साइकिल	08-06-2016	आरएनजी
782	MP5407023	रमेश अहिरावर	सुख लाल	गुना	मगरोड़ा	26-06-2019	25,000	MP08MR2658	मोटर साइकिल	09-04-2018	आरएनजी
783	MP2911826	सुखदेव सिंह	रणजीत सिंह	गुना	मगरोड़ा	07-07-2019	1,20,000	MP08MT2017	मोटर साइकिल	24-05-2019	आरएनजी
784	MP1885543	पप्पू प्रजापति	छोटे लाल	गुना	मुहाल कालोनी	03-07-2019	1,20,000	MP08MN8940	मोटर साइकिल	29-09-2016	आरएनजी
785	MP5571282	जगदीश लोढ़ा	गोपीलाल	गुना	सुहाया	28-08-2020	25,000	MP08MQ5634	मोटर साइकिल	12-12-2017	आरएनजी
786	MP5083885	गजेंद्र सिंह मीणा	हरभजन	गुना	अजगरा	02-05-2020	1,20,000	MP08MQ5343	मोटर साइकिल	23-11-2017	आरएनजी
787	MP5196715	मोहन शर्मा	मिश्री लाल	गुना	अर्न्या	05-01-2021		MP08MU3381	मोटर साइकिल	19-11-2019	आरएनजी
788	MP3966729	मनोज कुमार बैरागी	प्रेम नारायण	गुना	लामा खेड़ा	18-06-2019	1,20,000	MP08MQ5551	मोटर साइकिल	30-11-2017	आरएनजी
789	MP2323189	पुरुषोत्तम बैरागी	लक्ष्मी नारायण बैरागी	गुना	लामा खेड़ा	27-04-2017	1,20,000	MP08MP2527	मोटर साइकिल	09-01-2017	आरएनजी

790	MP1921294	बाबू लाल	बंशी लाल	गुना	बंसहेड़ा कलां	01-04-2018	1,20,000	MP08MQ4543	मोटर साइकिल	08-11-2017	आरएनजी
791	MP4419390	नारायण मीना	राधे लाल	गुना	बरखेड़ी माफ़ी	24-11-2020		MP08MQ8771	मोटर साइकिल	11-01-2018	आरएनजी
792	MP5675504	रमेश केवट	चिरौंजी लाल	गुना	रायपुरा	06-11-2020	25,000	MP08MT7194	मोटर साइकिल	28-06-2019	आरएनजी
793	MP4524319	केवल सिंह कुशवाहा	जगन्नाथ कुशवाहा	गुना	बडोदिया	28-09-2020	25,000	MP08MQ5302	मोटर साइकिल	23-11-2017	आरएनजी
794	MP5390727	हरि सिंह	धूलि लाल	गुना	भुमला खेड़ी	27-09-2020	25,000	MP08MV9456	मोटर साइकिल	04-08-2020	आरएनजी
795	MP4527377	कोमल सिंह लोढ़ा	श्याम लाल	गुना	भुमला खेड़ी	27-09-2020	25,000	MP08MP3959	मोटर साइकिल	08-03-2017	आरएनजी
796	MP2926878	राम बाबू	मिंटू लाल	गुना	बिरयाई	07-04-2018	1,20,000	MP08MR0277	मोटर साइकिल	19-02-2018	आरएनजी
797	MP3963931	राम दयाल	मिंटू लाल	गुना	बिरयाई	28-06-2019	1,20,000	MP08MN5545	मोटर साइकिल	08-06-2016	आरएनजी
798	MP3090374	दिनेश शर्मा	रामनारायण शर्मा	गुना	लाखोरी	09-07-2018	1,20,000	MP08MR6324	मोटर साइकिल	19-05-2018	आरएनजी
799	MP5732881	ओमप्रकाश शर्मा	भवर लाल	गुना	डेडला	27-09-2020	25,000	MP08BA1722	निजी उपयोग के लिए ओमनी बस	30-06-2016	आरएनजी
800	MP3866070	मुकेश मीणा	हरि सिंह मीणा	गुना	बीबा खेड़ी	10-07-2019	1,20,000	MP08MR6953	मोटर साइकिल	11-06-2018	आरएनजी
801	MP3876778	गोपाल सिंह मीणा	रघुवीर सिंह	गुना	इंतखेड़ी खुर्द	04-07-2019	1,20,000	MP08GA2818	पिक अप वैन	05-09-2018	आरएनजी

802	MP5707086	ओम प्रकाश मीणा	राम दयाल	गुना	मदन खालसा	28-09-2020	25,000	MP08MN2254	मोटर साइकिल	14-03-2016	आरएनजी
803	MP2592551	देव सिंह भील	पन्ना लाल	गुना	फतेहपुर	31-03-2018	1,20,000	MP08MQ8411	मोटर साइकिल	11-01-2018	आरएनजी
804	MP5720641	ओम प्रकाश अहिरवार	रामचरण	गुना	घाटा खेड़ी	04-05-2020	1,20,000	MP08MT5604	मोटर साइकिल	30-05-2019	आरएनजी
805	MP2766197	पर्वत सिंह अहिरवार	रामविलास	गुना	खेजड़ा बेहरा	10-04-2017	1,20,000	MP08MP3454	मोटर साइकिल	18-02-2017	आरएनजी
806	MP2372606	कमलेश मीणा	हरि सिंह	गुना	गुलवाड़ा	07-07-2018	1,20,000	MP08MN4276	मोटर साइकिल	20-05-2016	आरएनजी
807	MP5582484	राम प्रसाद अहिरवार	बाबू लाल	गुना	रामसिंहपुरा खुर्द	09-02-2021	25,000	MP08MQ8831	मोटर साइकिल	11-01-2018	आरएनजी
808	MP1701351	मोर सिंह बंजारा	रत्ना	गुना	झिरी	07-04-2018	1,20,000	MP08MN5987	मोटर साइकिल	24-06-2016	आरएनजी
809	MP5710876	पवन मीना	तखत सिंह	गुना	कुरवाई	29-09-2020	25,000	MP08MT7938	मोटर साइकिल	17-07-2019	आरएनजी
810	MP4879650	रूपनारायण शर्मा	मथरा लाल	गुना	कंकण हेरु	29-09-2020	25,000	MP08MS4068	मोटर साइकिल	19-11-2018	आरएनजी
811	MP5150691	दीमन सिंह	प्रभुलाल	गुना	डेहरी कुम्भराज	28-09-2020	25,000	MP08MQ8821	मोटर साइकिल	23-01-2018	आरएनजी
812	MP5427454	गजराज सिंह मीणा	मांगी लाल	गुना	भोगीपुरा	06-10-2020	25,000	MP08MP3745	मोटर साइकिल	28-02-2017	आरएनजी
813	MP2049297	हीरा लाल लोधी	सावल जी	गुना	बुद्ध खेड़ा	31-01-2017	1,20,000	MP08MN7214	मोटर साइकिल	29-07-2016	आरएनजी
814	MP4840859	पप्पू लाल लोढ़ा	राधेलाल	गुना	खानपुरा	06-10-2020	25,000	MP08MR3979	मोटर साइकिल	17-05-2018	आरएनजी
815	MP2723680	हरिचरण अहिरवार	किशोरी लाल	गुना	निजामपुर	16-04-2018	1,20,000	MP08MQ6208	मोटर साइकिल	14-12-2017	आरएनजी

816	MP4764048	गुड्डू लाल	रामनारायण	गुना	खेड़ी कलां	06-06-2020	65,000	MP08MR0679	मोटर साइकिल	23-02-2018	आरएनजी
817	MP5298818	दशरथ सिंह मीणा	नारायण सिंह	गुना	सांका खुर्द	22-11-2020	25,000	MP08MV5726	मोटर साइकिल	02-07-2020	आरएनजी
818	MP2084552	हनुमत मीणा	राम प्रसाद	गुना	खेजरा कलां	05-05-2017	1,20,000	MP08MP4426	मोटर साइकिल	28-03-2017	आरएनजी
819	MP5580797	प्रथ्वीराज लोढ़ा	मांगी लाल	गुना	खेजरा राम	06-11-2020	25,000	MP08MR8502	मोटर साइकिल	26-06-2018	आरएनजी
820	MP4969158	बद्री लाल कुशवाह	राम प्रसाद कुशवाह	गुना	कीता खेड़ी	22-11-2020	25,000	MP08MR7096	मोटर साइकिल	11-06-2018	आरएनजी
821	MP3146396	श्री किशन गुर्जर	देवलाल	गुना	भोजपुरा	13-03-2018	1,20,000	MP08MQ4158	मोटर साइकिल	06-11-2017	आरएनजी
822	MP3265937	घासीलाल लोढ़ा	प्रेम सिंह	गुना	मदन माफ़ी	06-07-2018	1,20,000	MP08MQ5860	मोटर साइकिल	13-12-2017	आरएनजी
823	MP3704264	राम चरण गुर्जर	गुलाब सिंह	गुना	मैग्रॉन	07-07-2019	1,20,000	MP08MR6833	मोटर साइकिल	30-05-2018	आरएनजी
824	MP4042434	सुरेश शर्मा	कन्हैया लाल	गुना	भानपुरा मीना	22-11-2020	25,000	MP08MP5396	मोटर साइकिल	21-04-2017	आरएनजी
825	MP5149005	नवी खा	नईम खा	गुना	मिर्गवास	05-01-2021		MP08MP3915	मोटर साइकिल	04-03-2017	आरएनजी
826	MP4894174	जमना लाल जादव	छोटे लाल	गुना	मोहम्मदपुर	23-06-2019	1,20,000	MP08MP3956	मोटर साइकिल	08-03-2017	आरएनजी
827	MP3795978	रंगलाल लोढ़ा	किशन लाल लोढ़ा	गुना	बमोरी	07-07-2019	1,20,000	MP08AC5482	ट्रैक्टर	06-01-2018	आरएनजी
828	MP3964116	शंकर सिंह गूजर	इंदर सिंह गूजर	गुना	मुरेला	09-07-2019	1,05,000	MP08MT6213	मोटर साइकिल	27-06-2019	आरएनजी
829	MP5590698	मन्ती लाल मीणा	कन्हैया लाल	गुना	नारायणपुरा	05-01-2021		MP08MP0997	मोटर साइकिल	06-12-2016	आरएनजी

830	MP5424011	गजराज सिंह गुर्जर	प्रभु लाल	गुना	खेरबेह	01-12-2020		MP08MR9179	मोटर साइकिल	20-07-2018	आरएनजी
831	MP5634586	मुकेश कुमार	मुन्ना लाल साहू	गुना	पखरियापुरा	05-12-2020		MP08MN1472	मोटर साइकिल	16-02-2016	आरएनजी
832	MP3286261	मुकेश कुमार	राम किशन	गुना	परवरिया	14-03-2018	1,20,000	MP08MR1216	मोटर साइकिल	27-02-2018	आरएनजी
833	MP1004267	राजू बैरागी	चंपा दास बैरागी	गुना	परवरिया	11-07-2019	1,20,000	MP08MQ0745	मोटर साइकिल	23-08-2017	आरएनजी
834	MP5619695	सुरेश माली	नन्नू लाल माली	गुना	रोड़ा खेड़ी	27-09-2020	25,000	MP08MU6021	मोटर साइकिल	27-11-2019	आरएनजी
835	MP2982311	कन्हैया लाल	शंकर लाल	गुना	सनाई	09-04-2018	1,20,000	MP08MP9631	मोटर साइकिल	20-07-2017	आरएनजी
836	MP3154424	मदन लाल अहिरवार	चंपालाल	गुना	बांदराय	01-03-2018	1,20,000	MP08MQ6821	मोटर साइकिल	16-12-2017	आरएनजी
837	MP3552182	इंदर सिंह गुर्जर	हरिकिशन	गुना	जमोनिया खुर्द	17-04-2017	1,20,000	MP08MN2305	मोटर साइकिल	16-03-2016	आरएनजी
838	MP4395368	पर्वत अहिरवार	गणेशराम	गुना	जस्ट खेड़ी	05-07-2019	1,20,000	MP08MQ4977	मोटर साइकिल	17-11-2017	आरएनजी
839	MP5380061	राम दयाल	मांगी लाल	गुना	तातुजा खेड़ी	05-12-2020		MP08MR3017	मोटर साइकिल	02-05-2018	आरएनजी
840	MP1671833	शिवराज सिंह मीणा	बाबू लाल मीणा	गुना	तुलसी खेड़ी	22-06-2019	1,20,000	MP08MQ7940	मोटर साइकिल	15-01-2018	आरएनजी
841	MP4172668	मंटी	रामदयाल	गुना	तुलसी खेड़ी	06-10-2020	25,000	MP08AC3225	ट्रैक्टर	05-02-2016	आरएनजी
842	MP3829440	सुभाष ओझा	घासी लाल	गुना	बजरंगगढ़	26-06-2019	1,20,000	MP08MQ6580	मोटर साइकिल	16-12-2017	आरएनजी
843	MP1915137	जहीर खान	बाबू खा	गुना	बजरंगगढ़	21-06-2018	1,20,000	MP08MQ1253	मोटर साइकिल	06-09-2017	आरएनजी

844	MP2871409	पप्पू अहिरवार	दल्लू	गुना	बजरंगगढ़	26-06-2019	1,20,000	MP08R2731	ऑटो रिक्शा	07-09-2017	आरएनजी
845	MP4298161	घनश्याम माली	प्रेम नारायण	गुना	बजरंगगढ़	15-09-2020		MP08R3044	ऑटो रिक्शा	23-10-2019	आरएनजी
846	MP4407571	सुखदेव कुशवाह	शंकरलाल	गुना	कोठिया	03-09-2020	25,000	MP08MU5359	मोटर साइकिल	14-11-2019	आरएनजी
847	MP4443145	मानसिंह भिलाला	जूर सिंह	गुना	ताजपुर	27-04-2020	1,20,000	MP08MR1832	मोटर साइकिल	17-03-2018	आरएनजी
848	MP4372305	किशन सिंह	भगवान सिंह	गुना	गेदा बर्रा	01-09-2020		MP08AC4107	ट्रैक्टर	26-12-2016	आरएनजी
849	MP5599472	शहीद खान	खुदावक्श खान	गुना	भौंरा गिर्ड	01-01-2021		MP08MR9880	मोटर साइकिल	26-07-2018	आरएनजी
850	MP3030149	खुमान सिंह अहिरवार	मथुरा लाल	गुना	धामनार	02-05-2020	1,20,000	MP08MQ3371	मोटर साइकिल	10-10-2017	आरएनजी
851	MP4735003	काशीरामाहिरवार	कालूराम	गुना	धामनार	29-04-2020	1,20,000	MP08AC5647	ट्रैक्टर	20-03-2018	आरएनजी
852	MP4581607	मन्ना बंजारा	दल्ला	गुना	गिद खोह	29-08-2020		MP08MV6064	मोटर साइकिल	30-06-2020	आरएनजी
853	MP2812458	रघुनंदन सिंह राजपूत	पूरन सिंह	गुना	गिद खोह	16-06-2019	1,20,000	MP08MT2278	मोटर साइकिल	24-05-2019	आरएनजी
854	MP3919476	ब्रजेश शर्मा	भागीरथ शर्मा	गुना	डुंगसरा	24-06-2019	1,20,000	MP08MN8378	मोटर साइकिल	16-09-2016	आरएनजी
855	MP5070925	हरवीर सिंह रघुवंशी	हरिसिंह	गुना	गोमची खेड़ा	29-04-2020	1,20,000	MP08MR5507	मोटर साइकिल	05-07-2018	आरएनजी
856	MP5049520	सरदार कुशवाह	कमल सिंह	गुना	गजनई	03-09-2020		MP08MS9981	मोटर साइकिल	07-03-2019	आरएनजी
857	MP5055865	राजू कुशवाह	रमेश कुशवाह	गुना	गजनई	03-09-2020	25,000	MP08MU3681	मोटर साइकिल	19-11-2019	आरएनजी

858	MP5503880	बादल सिंह कुशवाहा	कर्ण सिंह	गुना	बल्लापुर	28-08-2020	25,000	MP08MR4693	मोटर साइकिल	02-06-2018	आरएनजी
859	MP5044352	ईश्वर लाल शिभारे	गोविंद शिभारे	गुना	इम्झरा	26-09-2020		MP08MR0398	स्कूटर	16-02-2018	आरएनजी
860	MP5459345	गेंदा लाल अहिरावर	गप्पा	गुना	इम्झरा	28-08-2020		MP08MS4980	मोटर साइकिल	02-01-2019	आरएनजी
861	MP5746039	कल्याण सिंह यादव	हनमन सिंह	गुना	पिपरौदा केशराज	15-09-2020		MP08MN5708	मोटर साइकिल	14-06-2016	आरएनजी
862	MP4985646	भानु सिंह यादव	सिरनाम सिंह	गुना	पिपरौदा केशराज	15-09-2020	25,000	MP08AC7057	ट्रैक्टर	11-01-2019	आरएनजी
863	MP5727951	हरि सिंह यादव	संग्राम सिंह	गुना	पिपरौदा केशराज	15-09-2020		MP08MS7932	स्कूटर	04-01-2019	आरएनजी
864	MP3841877	रामकृष्ण धाकड़	चिरौंजी लाल	गुना	सगोरिया	21-12-2016	1,20,000	MP08MN1372	मोटर साइकिल	05-02-2016	आरएनजी
865	MP4675864	अमर सिंह वरेला	सूर सिंह	गुना	मदाई	02-09-2020	25,000	MP08AC4358	ट्रैक्टर	17-05-2017	आरएनजी
866	MP4601414	रतिराम यादव	उधमसिंह	गुना	करोद	07-09-2020	25,000	MP08MP6554	मोटर साइकिल	12-05-2017	आरएनजी
867	MP4650312	देवेंद्र शर्मा	बृजेश शर्मा	गुना	करोद	07-09-2020	25,000	MP08MQ3558	मोटर साइकिल	16-10-2017	आरएनजी
868	MP5267456	फूल सिंह जाटव	हरिराम	गुना	करोद	07-09-2020	25,000	MP08MV9612	मोटर साइकिल	17-08-2020	आरएनजी
869	MP2893787	रामवीर सिंह	कल्याण सिंह	गुना	करोद	07-09-2020	25,000	MP08AC9749	ट्रैक्टर	18-03-2020	आरएनजी
870	MP4573781	ब्रजभान सिंह यादव	हमीर सिंह	गुना	करोद	07-09-2020		MP08MU7230	मोटर साइकिल	02-01-2020	आरएनजी
871	MP4244624	नारायण अहिरवार	नन्नू लाल	गुना	खेजड़ा (गुना)	10-11-2020	25,000	MP08MP6220	मोटर साइकिल	05-05-2017	आरएनजी

872	MP3833573	राह गोपाल कुशवाह	राम सिंह	गुना	खेजड़ा (गुना)	23-06-2019	1,20,000	MP08MR1136	मोटर साइकिल	27-02-2018	आरएनजी
873	MP3055772	अकवार अली	नियामत अली	गुना	खुटियावाड़	14-12-2016	1,20,000	MP08MP0467	मोपेड	22-11-2016	आरएनजी
874	MP1957160	तुकाराम भील	जतन भील	गुना	महोदरा	27-02-2018	1,20,000	MP08AC5280	ट्रैक्टर	12-12-2017	आरएनजी
875	MP3795888	जमना लाल यादव	सुंदर लाल	गुना	महूगढ़ा	16-06-2019	1,20,000	MP08MQ4076	मोटर साइकिल	30-10-2017	आरएनजी
876	MP3753160	जगदीश लोढ़ा	विजय सिंह	गुना	महूगढ़ा	16-06-2019	1,20,000	MP08MR8670	मोटर साइकिल	18-07-2018	आरएनजी
877	MP5465119	नरेश अहिरवार	सुनका	गुना	विजयपुरा	26-09-2020	25,000	MP08MV5030	मोटर साइकिल	24-06-2020	आरएनजी
878	MP5699703	अमोल सिंह धाकड़	पूरन सिंह	गुना	पूनम खेड़ी	23-01-2021		MP08MR0161	मोटर साइकिल	23-02-2018	आरएनजी
879	MP2868746	रामप्रसाद अहिरवार	इमरतिया	गुना	मावन	17-09-2020	25,000	MP08MR8665	मोटर साइकिल	18-07-2018	आरएनजी
880	MP5448339	राजू कुसवाह	राम भरोसा	गुना	म्याणा	31-08-2020	25,000	MP08MS9163	मोटर साइकिल	07-02-2019	आरएनजी
881	MP5426511	दलूप सिंह धाकड़	सेवाराम धाकड़	गुना	परसोदा	29-08-2020	25,000	MP08MR5637	मोटर साइकिल	09-05-2018	आरएनजी
882	MP4640875	माखन दास वैरागी	गिरवर दास	गुना	पिपरौदा खुर्द	11-09-2020		MP08MN9660	मोटर साइकिल	29-10-2016	आरएनजी
883	MP4603449	तोतारामाहिरवार	गोपीलाल	गुना	पिपरौदा खुर्द	28-04-2020	1,20,000	MP08MR7424	मोटर साइकिल	13-07-2018	आरएनजी
884	MP2629018	गंगाराम कुसवाह	गोरा लाल	गुना	पिपरौदा खुर्द	09-03-2018	1,20,000	MP08R2506	ऑटो रिक्शा	04-01-2016	आरएनजी
885	MP5514612	बुंदेल सिंह यादव	पर्वत सिंह	गुना	सिंगवासा	11-09-2020	25,000	MP08MT9127	मोटर साइकिल	10-02-2020	आरएनजी

886	MP4492339	गोविन्द प्रजापति	गुलाब सिंह	गुना	सिंगवासा	11-09-2020		MP08MQ1826	मोटर साइकिल	18-09-2017	आरएनजी
887	MP5285605	गोलू यादव	परमल सिंह यादव	गुना	बरखेड़ा ढेंकनी	29-09-2020		MP08MV1852	मोटर साइकिल	06-03-2020	आरएनजी
888	MP1732837	कनिया पटेलिया	कोडर	गुना	रतनपुर	27-02-2018	1,20,000	MP08MQ2769	मोटर साइकिल	28-09-2017	आरएनजी
889	MP3847379	सुल्तान कुशवाह	मान सिंह	गुना	सतनपुर	18-06-2019	1,20,000	MP08MQ3341	मोटर साइकिल	10-10-2017	आरएनजी
890	MP5499106	कमल सिंह कुशवाह	पहाड़ सिंह कुशवाह	गुना	सतनपुर	28-08-2020	25,000	MP08MN9870	मोटर साइकिल	03-11-2016	आरएनजी
891	MP3607712	अशोक ओझा	गोरेलाल	गुना	सतनपुर	18-06-2019	1,20,000	MP08MP2165	मोटर साइकिल	02-01-2017	आरएनजी
892	MP5522577	लाखन सिंह कुशवाह	हरि राम कुशवाह	गुना	सतनपुर	28-08-2020		MP08AC6270	ट्रैक्टर	26-07-2018	आरएनजी
893	MP4997729	हलकेराम धाकड़	भोगीराम	गुना	चिरखेड़ा	05-09-2020		MP08MU1552	मोटर साइकिल	28-09-2019	आरएनजी
894	MP2633228	लालाराम धाकड़	खेमचंद्र	गुना	चिरखेड़ा	03-07-2019	1,20,000	MP08MP7088	मोटर साइकिल	29-05-2017	आरएनजी
895	MP5500700	गुमान सिंग ऐहरावर	कमल सिंह	गुना	तिल्ली खेड़ा	30-04-2020	1,20,000	MP08AC9086	ट्रैक्टर	14-01-2020	आरएनजी
896	MP5393272	भागीरथ जाटव	मांगलिया	गुना	उकावड़	05-05-2020	1,20,000	MP08MU0241	मोटर साइकिल	03-08-2019	आरएनजी
897	MP4133859	मुरारी लाल जाटव	रोडे लाल	गुना	अचकलपुर	21-06-2019	1,20,000	MP08MR9737	मोटर साइकिल	20-07-2018	आरएनजी
898	MP3403884	प्रधान सिंह धाकड़	मांगी लाल	गुना	अचकलपुर	30-03-2017	1,20,000	MP08MP1149	मोटर साइकिल	06-12-2016	आरएनजी
899	MP5082519	मुकेश कुशवा	कमर लाल	गुना	अहीर खेड़ी	08-10-2020	25,000	MP08MU7379	मोटर साइकिल	07-12-2019	आरएनजी

900	MP5501870	कमल सिंह मेर	रामदयाल मेर	गुना	अवान	22-11-2020	25,000	MP08MP9923	मोटर साइकिल	24-07-2017	आरएनजी
901	MP4754001	रवि मीना	अतर सिंह	गुना	अमलियावाड़ा	22-11-2020	25,000	MP08MS8569	मोटर साइकिल	21-01-2019	आरएनजी
902	MP4649009	संतोष धाकड़	शिवनारायण	गुना	महू	22-11-2020		MP08MP0174	मोटर साइकिल	17-11-2016	आरएनजी
903	MP3345956	जमना लाल भील	माधोजी	गुना	सहर खेड़ा	01-03-2018	1,20,000	MP08MP7499	मोटर साइकिल	01-06-2017	आरएनजी
904	MP5355444	भजन सिंह भील	कमर लाल	गुना	गोरीपुरा	28-04-2020	65,000	MP08MP6477	मोटर साइकिल	12-05-2017	आरएनजी
905	MP5005060	हरि सिंह भील	कैलाश	गुना	ठुकरावाड़ा	28-04-2020	65,000	MP08MR5545	मोटर साइकिल	06-06-2018	आरएनजी
906	MP4176724	भीकम	मदनलाल	गुना	बरोद	26-06-2020	1,05,000	MP08MS6087	मोटर साइकिल	22-12-2018	आरएनजी
907	MP5423260	बाबू लाल मीणा	शंकर लाल	गुना	बरसात	22-11-2020	25,000	MP08MU5872	मोटर साइकिल	27-11-2019	आरएनजी
908	MP3909621	रामप्रसाद मीणा	मिश्रीलाल	गुना	बरसात	23-06-2019	1,05,000	MP08MN1882	मोटर साइकिल	01-03-2016	आरएनजी
909	MP5655535	रामहेत मीणा	राधेकिशन	गुना	धापरई	08-10-2020	25,000	MP08MS8314	मोटर साइकिल	21-01-2019	आरएनजी
910	MP5626213	दशरथ सिंह मीणा	जगन्नाथ	गुना	धापरई	08-10-2020	25,000	MP08MS1596	मोटर साइकिल	26-09-2018	आरएनजी
911	MP5569006	गिर्राज लोढ़ा	देवी लाल	गुना	इकोदिया	28-09-2020	25,000	MP08MQ3660	मोटर साइकिल	25-10-2017	आरएनजी
912	MP4842911	जगदीश	उदम	गुना	बरखुआ	05-12-2020		MP08AC7218	ट्रैक्टर	07-02-2019	आरएनजी
913	MP4002143	रामकिशन अहिरवार	कोमल सिंह	गुना	चांदपुरा	04-03-2018	1,20,000	MP08MQ6659	मोटर साइकिल	16-12-2017	आरएनजी

914	MP2085258	चिरौंजी लाल बंजारा	गुलाब सिंह	गुना	लक्ष्मणपुरा	03-03-2018	1,20,000	MP08MP4869	मोटर साइकिल	01-04-2017	आरएनजी
915	MP2685935	अर्जन सिंह बंजारा	खन्ना बंजारा	गुना	लक्ष्मणपुरा	21-06-2019	1,20,000	MP08MR9627	मोटर साइकिल	16-07-2018	आरएनजी
916	MP3098410	सुंदर लाल रजक	भोगीराम	गुना	दावतपुरा	25-06-2018	1,20,000	MP08MN5264	मोटर साइकिल	04-06-2016	आरएनजी
917	MP5453382	देवी सिंह मीणा	घासीराम	गुना	डिटालवाड़ा	08-10-2020	25,000	MP08MP6394	स्कूटर	06-05-2017	आरएनजी
918	MP5692346	निरंजन सिंह राजपूत	प्रेम सिंह	गुना	बांसखेड़ी	01-12-2020		MP08AD0995	ट्रैक्टर	24-08-2020	आरएनजी
919	MP2253817	कमलेश यादव	हीरा लाल	गुना	बापची	25-02-2018	1,20,000	MP08MQ7732	मोटर साइकिल	06-01-2018	आरएनजी
920	MP5609898	नारायण सिंह लोढ़ा	वेणी राम	गुना	गवरी	26-12-2020		MP08MP6457	मोटर साइकिल	06-05-2017	आरएनजी
921	MP4199303	धीरज सिंह मीणा	धुरी लाल	गुना	शंकरपुरा	08-10-2020	25,000	MP08MT7130	मोटर साइकिल	06-07-2019	आरएनजी
922	MP4358849	राजेंद्र सिंह मीणा	लातूर सिंह	गुना	ताजपुरा	08-10-2020	25,000	MP08AC7066	ट्रैक्टर	11-01-2019	आरएनजी
923	MP3091365	रघुवीर सिंह राजपूत	गोपाल सिंघ	गुना	राजा हेडी	03-03-2018	1,20,000	MP08MN3690	मोटर साइकिल	06-05-2016	आरएनजी
924	MP2438015	जमना लाल लोधी	अमर चंद	गुना	राजपुरा	10-03-2018	1,20,000	MP08MQ3063	मोटर साइकिल	07-10-2017	आरएनजी
925	MP5649269	नरेंद्र सिंह छोहन	भगवान सिंह चौहान	गुना	कंजई	03-10-2020	25,000	MP08MU9512	मोटर साइकिल	10-02-2020	आरएनजी
926	MP4348993	भरत सिंह अहिरवार	शिव लाल	गुना	करेला	21-06-2019	1,20,000	MP08MS5036	मोटर साइकिल	24-12-2018	आरएनजी
927	MP3307431	ओम बाबू अहिरवार	छोटे लाल	गुना	खेजड़ा	03-03-2018	1,20,000	MP08MQ8790	मोटर साइकिल	22-01-2018	आरएनजी

928	MP3270392	भरत सिंह अहिरवार	मिश्री लाल	गुना	खेजड़ा	03-03-2018	1,20,000	MP08MP9370	मोटर साइकिल	14-07-2017	आरएनजी
929	MP3955575	सुरेंद्र भार्गव	ब्रज मोहन	गुना	खेजड़ा	19-06-2019	1,20,000	MP08MS7157	मोटर साइकिल	03-01-2019	आरएनजी
930	MP2916848	नन्नू लाल बंजारा	शोभाराम	गुना	क्रोंडी	19-06-2019	1,20,000	MP08MR3635	मोटर साइकिल	02-05-2018	आरएनजी
931	MP4865626	मांगी लाल मीणा	बाबू लाल	गुना	कड़ाई खेड़ा	03-10-2020	25,000	MP08MV3835	मोटर साइकिल	30-04-2020	आरएनजी
932	MP5075861	मांगी लाल भील	बलदेव	गुना	उनीगंजपुरा	28-04-2020	1,05,000	MP08MQ3652	मोटर साइकिल	25-10-2017	आरएनजी
933	MP4786792	करण सिंह अहिरवार	कमोद सिंह	गुना	सोहन खेड़ी	22-06-2019	1,20,000	MP08AC7015	ट्रैक्टर	09-01-2019	आरएनजी
934	MP1891307	लाखन सिंह कुशवाह	दशरथ सिंह	गुना	नादनेर	25-12-2016	1,20,000	MP08MN9047	मोटर साइकिल	04-10-2016	आरएनजी
935	MP2671651	संतोष गुर्जर	परमल	गुना	गूजर खेड़ी	05-04-2018	1,20,000	MP08AC3253	ट्रैक्टर	04-03-2016	आरएनजी
936	MP2618790	कल्याण सिंह परिहार	राम सिंह	गुना	मोतीपुर	22-06-2019	1,20,000	MP08MS6290	मोटर साइकिल	12-12-2018	आरएनजी
937	MP3245041	घासी लाल कुशवाह	मिश्री लाल	गुना	परवरिया	20-06-2019	1,20,000	MP08MS5227	मोटर साइकिल	20-12-2018	आरएनजी
938	MP1922169	विजय सिंह भील	बापू लाल	गुना	पाटन	03-03-2018	1,20,000	MP08MN4935	मोटर साइकिल	30-05-2016	आरएनजी
939	MP5038616	बनवारी लाल गुर्जर	चंदन सिंह	गुना	सकोनिया	28-04-2020	1,20,000	MP08MN2299	मोटर साइकिल	16-03-2016	आरएनजी
940	MP4930844	इमरतलाल सपेरा	किशन लाल सपेरा	गुना	सलोटा	08-10-2020	25,000	MP08MU9985	मोटर साइकिल	11-02-2020	आरएनजी
941	MP3049397	करण सिंह अहिरवार	जमना लाल	गुना	पीपल खेड़ी	30-07-2019	1,20,000	MP08MR8299	मोटर साइकिल	16-07-2018	आरएनजी

942	MP4756690	देवेंद्र सिंह मीणा	प्रेम नारायण मीणा	गुना	पीपल खेड़ी	08-10-2020	25,000	MP08MP4725	मोटर साइकिल	31-03-2017	आरएनजी
943	MP4865281	भगत सिंह कुशवाह	प्रेमनारायण	गुना	सावत खेड़ी	29-09-2020	25,000	MP08MT4997	मोटर साइकिल	01-06-2019	आरएनजी
944	MP4972340	हरतुम सिंह यादव	कोमल सिंह	गुना	रतनपुर	05-10-2020	25,000	MP08MT2070	मोटर साइकिल	22-05-2019	आरएनजी
945	MP1484524	हरचरण	सतोलेराम	ग्वालियर	आदमपुर	08-04-2018	1,20,000	MP07SK0769	मोपेड	24-10-2017	स्वीकार्य
946	MP3809514	द्वारिका पीरसाद	नाडु राम	ग्वालियर	बगवई	26-06-2019	1,20,000	MP07SL9774	मोपेड	08-12-2018	स्वीकार्य
947	MP1221296	नीलेश	रामचरण	ग्वालियर	भरथरी	26-12-2016	1,20,000	MP07MY6427	मोटर साइकिल	30-03-2016	स्वीकार्य
948	MP1126262	धनपाल	बैजू	ग्वालियर	भरथरी	26-12-2016	1,20,000	MP07NA2157	मोटर साइकिल	01-12-2016	स्वीकार्य
949	MP2628169	सुरेंद्र	भरोसा	ग्वालियर	भरथरी	21-03-2017	1,20,000	MP07CE1573	मोटर	16-03-2016	स्वीकार्य
950	MP4304217	दिनेश	मोहन सिंह	ग्वालियर	भोरी	30-06-2018	1,20,000	MP07ND4860	मोटर साइकिल	23-03-2018	स्वीकार्य
951	MP5035266	मुन्ना खान	सरदार खान	ग्वालियर	बरखेड़ा	24-06-2019	1,20,000	MP07ND1490	मोटर साइकिल	25-01-2018	स्वीकार्य
952	MP4987425	मलखान	केसरिया	ग्वालियर	हरसी	11-07-2018	1,20,000	MP07NE2379	मोटर साइकिल	28-05-2018	स्वीकार्य
953	MP4960686	रज्जन	निब्बू	ग्वालियर	इटमा	14-07-2018	1,20,000	MP07NB5890	मोटर साइकिल	26-08-2017	स्वीकार्य
954	MP4520643	कमलेश	बद्री	ग्वालियर	खेड़ाभितरवार	12-06-2018	1,20,000	MP07AB2095	ट्रैक्टर	24-02-2016	स्वीकार्य
955	MP5136725	काशीराम	राम सिंह	ग्वालियर	किथोड़ा	12-06-2018	1,20,000	MP07NA7837	मोटर साइकिल	16-03-2017	स्वीकार्य

956	MP3280297	कमल सिंह	कप्तान सिंह	ग्वालियर	मैना	01-02-2018	1,20,000	MP07NA5772	मोटर साइकिल	13-02-2017	स्वीकार्य
957	MP5228237	जंडेल सिंह	लाल सिंह	ग्वालियर	मेहगाँव	22-07-2019	1,20,000	MP07MZ9654	मोटर साइकिल	02-11-2016	स्वीकार्य
958	MP5416000	रघुवीर सिंह	दाताराम	ग्वालियर	नॉनकिसराय	11-07-2018	1,20,000	MP07NB7060	मोटर साइकिल	12-07-2017	स्वीकार्य
959	MP4273709	पवन	जंडेल	ग्वालियर	सिन्हारन	29-06-2019	1,20,000	MP07NA9330	मोटर साइकिल	09-05-2017	स्वीकार्य
960	MP2548208	गोपाल सिंह	ओमप्रकाश	ग्वालियर	सिन्हारन	08-04-2018	1,20,000	MP07NA1869	मोटर साइकिल	26-11-2016	स्वीकार्य
961	MP4310866	भगवान सिंह	खरगा	ग्वालियर	सिन्हारन	11-07-2018	1,20,000	MP07NA1875	मोटर साइकिल	26-11-2016	स्वीकार्य
962	MP4466936	हरि सिंह	लक्खू	ग्वालियर	भानगढ़	19-08-2018	1,20,000	MP07NC2276	मोटर साइकिल	23-10-2017	स्वीकार्य
963	MP5194987	सरमन	गिलुराम	ग्वालियर	भानगढ़	19-06-2019	1,05,000	MP07MY6920	मोटर साइकिल	06-04-2016	स्वीकार्य
964	MP4541727	रंजीत	रमेश	ग्वालियर	उर्वा	16-07-2018	1,20,000	MP07NC6133	मोटर साइकिल	13-11-2017	स्वीकार्य
965	MP4230896	केदार सिंह	सुखा राम	ग्वालियर	बडेराबाज़ुर्ग	13-06-2019	1,20,000	MP07NE0132	मोटर साइकिल	02-06-2018	स्वीकार्य
966	MP4244919	राकेश	राम सराय	ग्वालियर	बडेराबाज़ुर्ग	13-06-2019	1,20,000	MP07NF4625	मोटर साइकिल	30-11-2018	स्वीकार्य
967	MP2928651	आशाराम	अर्जुन	ग्वालियर	भैंसनारी	10-06-2019	1,20,000	MP07AB4728	ट्रैक्टर	29-09-2018	स्वीकार्य
968	MP2849410	दिनेश	भगवान सिंह	ग्वालियर	लखिया	05-04-2017	1,20,000	MP07NA6544	मोटर साइकिल	22-02-2017	स्वीकार्य
969	MP4590024	मदन	बलराम	ग्वालियर	लखिया	08-07-2018	1,20,000	MP07MZ0507	मोटर साइकिल	12-05-2016	स्वीकार्य

970	MP4518750	विजय सिंह	रामकिशुआन	ग्वालियर	गढ़ी	02-07-2019	1,20,000	MP07ND3496	मोटर साइकिल	26-02-2018	स्वीकार्य
971	MP1103623	रामा	रामदीन	ग्वालियर	झाड़ोली	26-07-2018	1,20,000	MP07NC1525	मोटर साइकिल	28-09-2017	स्वीकार्य
972	MP5084848	बलवीर सिंह बघेल	पोशन सिंह	ग्वालियर	सिली	02-07-2019	1,20,000	MP07NF4565	मोटर साइकिल	21-11-2018	स्वीकार्य
973	MP4534873	सतेंद्र	रघुवीर सिंह	ग्वालियर	मिलघन	13-06-2019	25,000	MP07CE2393	मोटर	04-05-2016	स्वीकार्य
974	MP5677485	लखन वाथम	ख्यालीराम	ग्वालियर	भरोली	13-06-2019	1,20,000	MP07MY4645	मोटर साइकिल	26-02-2016	स्वीकार्य
975	MP5544662	भूपेंद्र	प्राण सिंह	ग्वालियर	सेकराजागीर	12-06-2018	1,20,000	MP07NB2244	मोटर साइकिल	27-04-2017	स्वीकार्य
976	MP4249394	सलीम खा	अलादीन	ग्वालियर	सिसगांव	27-09-2019	1,20,000	MP07NJ0763	मोटर साइकिल	16-08-2019	स्वीकार्य
977	MP4480138	आशाराम	मोहनसिंह	ग्वालियर	सुखापथ	16-07-2018	1,20,000	MP07ND7554	मोटर साइकिल	07-04-2018	स्वीकार्य
978	MP5055752	सुरेश कुमार	पतिराम	ग्वालियर	टेकनपुर (सीटी)	10-07-2019	1,20,000	MP07NA4350	मोटर साइकिल	23-01-2017	स्वीकार्य
979	MP4647620	भगीरथ	राम सिंह	ग्वालियर	हुकमगढ़	20-06-2018	1,20,000	MP07NA1945	मोटर साइकिल	24-11-2016	आरएनजी
980	MP1767109	किरण	कप्तान	ग्वालियर	पनिहार	26-12-2016	1,20,000	MP07MZ0390	मोटर साइकिल	10-05-2016	आरएनजी
981	MP2065923	अंतरम	उदय सिंह	ग्वालियर	सिमरियाटंका	25-05-2017	1,20,000	MP07MY3329	मोटर साइकिल	01-02-2016	आरएनजी
982	MP5121306	ज्ञान सिंह	राजा राम	ग्वालियर	बेहट	20-06-2018	1,20,000	MP07ND2703	मोटर साइकिल	23-03-2018	आरएनजी
983	MP5614783	आशाराम	सीताराम शाक्य	ग्वालियर	बेहट	05-07-2018	1,20,000	MP07NC8548	मोटर साइकिल	01-01-2018	आरएनजी

984	MP3263968	दर्शन	काशीराम	ग्वालियर	घुसगवां	15-04-2017	1,20,000	MP07NA1844	मोटर साइकिल	27-12-2016	आरएनजी
985	MP3476997	रुस्तम सिंह	भगवान सिंह	ग्वालियर	गुरी	07-10-2017	1,20,000	MP07NA0503	मोटर साइकिल	24-11-2016	आरएनजी
986	MP4977464	धनपाल सिंह	गेंदालाल	ग्वालियर	सयावरी	26-06-2018	1,20,000	MP07MZ6498	मोटर साइकिल	06-09-2016	आरएनजी
987	MP3010353	हेमंत जाटव	भोलाराम	ग्वालियर	हिमापुरा	21-12-2016	1,20,000	MP07MZ6752	मोटर साइकिल	09-09-2016	आरएनजी
988	MP2905246	अशोक कुमार पटेल	भुल्ली लाल	मंडला	अंजनिया	23-06-2019	25,000	MP51MG2651	मोटर साइकिल	30-11-2018	आरएनजी
989	MP2568860	संजीत पटेल	गिरीश पटेल	मंडला	अंजनिया	04-07-2018	1,30,000	MP51ME7669	मोटर साइकिल	13-10-2017	आरएनजी
990	MP2575518	राजेश पटेल	नंद कुमार पटेल	मंडला	अंजनिया	23-06-2019	1,30,000	MP51S9507	स्कूटर	20-12-2016	आरएनजी
991	MP5439452	सियाराम	राम सिंह	मंडला	औराई रायत।(उराई राय।)	12-11-2020		MP51MH8817	मोटर साइकिल	30-07-2020	आरएनजी
992	MP2848610	अनिल नंदा	नरेश नंदा	मंडला	बरबसपुर	30-04-2020	1,30,000	MP51MF8526	मोटर साइकिल	29-05-2018	आरएनजी
993	MP4792517	बखत मरकाम	सुंदर लाल	मंडला	बरबसपुर	29-12-2020		MP51MG3649	मोटर साइकिल	20-12-2018	आरएनजी
994	MP3055154	बुधराम मरावी	मट्टू लाल मरावी	मंडला	धमनगाँव	17-04-2018	1,30,000	MP51MF6206	मोटर साइकिल	09-02-2018	आरएनजी
995	MP5352193	वल्दौ मरकाम	लाल सिंह मरकाम	मंडला	धमनगाँव	03-12-2020		MP51ME3109	मोटर साइकिल	04-02-2017	आरएनजी
996	MP5063599	संत कुमार	पतिराम	मंडला	चतुवाखर	24-11-2020		MP51MH6490	मोटर साइकिल	15-06-2020	आरएनजी
997	MP5442471	मिही लाल	हरे सिंह	मंडला	चतुवाखर	24-11-2020		MP51AA8437	ट्रॉली	15-11-2019	आरएनजी

998	MP2021440	नंद कुमार मर्सकोले	मैसू लाल	मंडला	मलारा	09-07-2019	1,30,000	MP51ME1647	मोटर साइकिल	28-10-2016	आरएनजी
999	MP5442950	मूर्ति लाल	पीतम	मंडला	दुदका	11-12-2020		MP51CA1682	मोटरकार	20-04-2017	आरएनजी
1000	MP4673003	शिव प्रसाद	शोभा राम	मंडला	सुरपति	05-12-2020		MP51MG0586	मोटर साइकिल	25-08-2018	आरएनजी
1001	MP5352447	अमर सिंह	छत्तर सिंह	मंडला	उमरिया मल	05-12-2020		MP51MG1140	मोटर साइकिल	12-09-2018	आरएनजी
1002	MP4770810	घनराम साहू	चेतराम	मंडला	घोंट	30-10-2020		MP51MG6518	मोटर साइकिल	09-04-2019	आरएनजी
1003	MP4368367	हम्मी	हरि लाल	मंडला	घोंट	30-10-2020		MP51MG3121	मोटर साइकिल	04-12-2018	आरएनजी
1004	MP4742001	पारस राम यादव	गोधन	मंडला	घोंट	29-12-2020		MP51MG0962	मोटर साइकिल	06-09-2018	आरएनजी
1005	MP4404157	बेनीराम	बलराम	मंडला	घोंट	29-12-2020		MP51MJ2458	मोटर साइकिल	20-11-2020	आरएनजी
1006	MP4685367	जवाहर लाल यादव	गेंद लाल	मंडला	घोंट	29-12-2020		MP51SA8644	मोपेड	11-06-2019	आरएनजी
1007	MP5351377	घनश्याम	होरी	मंडला	नरेनिजर	04-12-2020		MP51MF9365	मोटर साइकिल	28-06-2018	आरएनजी
1008	MP1032248	रियाज अली	अबरार अली	मंडला	इमलिया मल	02-01-2017	1,30,000	MP51ME0490	मोटर साइकिल	21-07-2016	आरएनजी
1009	MP5434583	रामलाल वारकड़े	सुक्खू लाल	मंडला	इमलिया मल	03-12-2020		MP51MH6834	मोटर साइकिल	18-06-2020	आरएनजी
1010	MP3749485	बाला राम पंड्रे	पिट्ठू लाल	मंडला	इमलिया मल	02-01-2017	85,000	MP51ME1030	मोटर साइकिल	14-09-2016	आरएनजी
1011	MP5315152	खेतू	रामू	मंडला	जेलवाड़ा रैयत	24-11-2020		MP51MJ0244	मोटर साइकिल	11-09-2020	आरएनजी

1012	MP3420579	छत्रु सिंह	सुख राम	मंडला	बिरसा मल.	11-01-2017	1,30,000	MP51MD8568	मोटर साइकिल	18-04-2016	आरएनजी
1013	MP5393711	आत्मा राम	कन्हैया लाल	मंडला	मंगवेली मल	06-05-2020	1,15,000	MP51ME5548	मोटर साइकिल	09-06-2017	आरएनजी
1014	MP5408508	श्रवण कुमार सिगोटिया	परसराम सिगोटिया	मंडला	केवलारी रैयत	03-05-2020	1,30,000	MP51ME2138	मोटर साइकिल	25-11-2016	आरएनजी
1015	MP5461511	किशोर वयम	जौहर वयम	मंडला	खमरौती रैयत	04-05-2020	1,30,000	MP51MH5601	मोटर साइकिल	17-03-2020	आरएनजी
1016	MP4933913	चमरू लाल यादव	गोपाल यादव.	मंडला	खमरौती रैयत	12-11-2020		MP51MH3910	मोटर साइकिल	24-01-2020	आरएनजी
1017	MP4841866	अवतार गोप	प्यारे लाल गोप	मंडला	खटिया नारंगी	03-12-2020		MP51SA9020	मोपेड	20-08-2019	आरएनजी
1018	MP4807950	अघन सिंह परते	लखन सिंह	मंडला	चंदिया रैयत	02-12-2020		MP51MG5348	मोटर साइकिल	27-02-2019	आरएनजी
1019	MP3966179	आदित्य चंद्रोल	दशरथ चंद्रोल	मंडला	लाफरा	03-07-2019	1,30,000	MP51AA6745	ट्रैक्टर	17-04-2018	आरएनजी
1020	MP5662002	कन्हैया लाल उइके	राम बगास	मंडला	मंड	08-03-2021		MP51MG5148	मोटर साइकिल	20-02-2019	आरएनजी
1021	MP5326126	नारायण	महू	मंडला	मांझीपुर	05-06-2020	1,30,000	MP51MG1780	मोटर साइकिल	23-10-2018	आरएनजी
1022	MP3696250	राम सनेही	बैसाखू	मंडला	बरखेड़ा	29-12-2016	1,30,000	MP51MD7607	मोटर साइकिल	29-02-2016	आरएनजी
1023	MP4784946	हिमांशु झरिया	लेखराम झरिया	मंडला	रतनपुर रैयत	02-05-2020	1,30,000	MP51ME4839	मोटर साइकिल	03-05-2017	आरएनजी
1024	MP4791025	जय सिंह मरावी	बाबू लाल	मंडला	सिझौरा	09-06-2020	1,15,000	MP51ME7852	मोटर साइकिल	24-10-2017	आरएनजी
1025	MP5748801	जगदीश प्रसाद कुशराम	जहरा	मंडला	देवझिर (सलैया)	12-11-2020		MP51MG2656	मोटर साइकिल	31-01-2019	स्वीकार्य

1026	MP4608521	प्रवींद्र	बसोरी लाल	मंडला	बड़गांव (खनौरा)	10-08-2019	1,30,000	MP51ME9237	मोटर साइकिल	08-12-2017	स्वीकार्य
1027	MP4216280	हीरा लाल	लल्लू लाल	मंडला	मीरा टोला एफ.वी.	10-08-2019	1,30,000	MP51MG1906	मोटर साइकिल	23-10-2018	स्वीकार्य
1028	MP5158963	सम्मु लाल	सुकल सिंह	मंडला	मीरा टोला एफ.वी.	18-12-2020		MP51AA6228	ट्रैक्टर	11-12-2017	स्वीकार्य
1029	MP5459601	दान सिंह	सुपेटा	मंडला	भाटा डूंगरिया रैयत।	21-10-2020		MP51ME7040	मोटर साइकिल	06-09-2017	स्वीकार्य
1030	MP3503741	भगत सिंह	रतनसिंह	मंडला	खाम्ही	12-07-2019	1,30,000	MP51MD9814	मोटर साइकिल	20-06-2016	स्वीकार्य
1031	MP3462258	राम जी मरावी	जय सिंह	मंडला	सिंघनपुरी(जेवरा)	03-07-2019	1,30,000	MP51MG5384	मोटर साइकिल	27-02-2019	स्वीकार्य
1032	MP5441933	दिलराज कुशाराम	प्रताप सिंह	मंडला	दूधुवा	29-10-2020		MP51MG4534	मोटर साइकिल	24-01-2019	स्वीकार्य
1033	MP5451036	धनी राम परते	भड्डा	मंडला	बरगा	12-11-2020		MP51R3999	ऑटो रिक्शा	29-04-2020	आरएनजी
1034	MP2612955	दशरथ सिंह उइके	पेशी लाल	मंडला	खानौरा मल.(खनौरा मल)	22-06-2019	1,30,000	MP51R3298	ऑटो रिक्शा	23-01-2019	स्वीकार्य
1035	MP2994602	रामदास पावले	धन्नू	मंडला	मैली (गुमटी)	22-06-2019	70,000	MP51R3393	ऑटो रिक्शा	16-03-2019	स्वीकार्य
1036	MP4831428	केहर	फागू लाल	मंडला	मानिकसरा	04-06-2020	70,000	MP51MG2904	मोटर साइकिल	30-11-2018	स्वीकार्य
1037	MP5717970	दशरथ	गणपत	मंडला	पिंडराई मल.(खापा)	02-12-2020		MP51MG1056	मोटर साइकिल	12-09-2018	स्वीकार्य
1038	MP4846566	भाग सिंह मरावी	सुकल सिंह	मंडला	चौरई (कटंगी)	01-05-2020	25,000	MP51MG0534	मोटर साइकिल	13-08-2018	स्वीकार्य
1039	MP4906839	भरत सिंह उइके	प्रेम लाल	मंडला	चौरई (कटंगी)	01-05-2020	70,000	MP51R3504	ऑटो रिक्शा	21-05-2019	स्वीकार्य

1040	MP4643938	रंगमत सिंह	फुंडी लाल	मंडला	बनिया	11-11-2020		MP51AA6636	ट्रैक्टर	21-03-2018	आरएनजी
1041	MP4086391	राजेश	लालाराम	मंडला	कंदरा	30-12-2020		MP51MJ0239	मोटर साइकिल	10-09-2020	आरएनजी
1042	MP2742025	रवि दास	अतीप दास	मंडला	अंडिया उर्फ छिवाला टोला	23-06-2019	1,30,000	MP51MG0233	मोटर साइकिल	04-08-2018	आरएनजी
1043	MP1618058	ब्रज लाल	सहंकर लाल	मंडला	चुरिया	20-03-2017	1,30,000	MP51ME2532	मोटर साइकिल	23-12-2016	आरएनजी
1044	MP4591732	युवराज नरता	तेज लाल	मंडला	डोंगर मंडला	11-12-2020		MP51MH6539	मोटर साइकिल	12-06-2020	आरएनजी
1045	MP5724449	जगत सिंह	रन्नू सिंह	मंडला	दुलादार	25-02-2021		MP51MG1268	मोटर साइकिल	19-09-2018	आरएनजी
1046	MP5698606	चुन्नू दास	रामकली	मंडला	घुरघुति एफ.वी.	08-06-2020	1,30,000	MP51MH0237	मोटर साइकिल	21-10-2019	आरएनजी
1047	MP4842450	कमलेश झरिया	भादुआ झरिया	मंडला	घुघरी	04-05-2020	1,15,000	MP51MG0685	मोटर साइकिल	28-08-2018	आरएनजी
1048	MP4882000	विजय	पंसारी	मंडला	घुघरी	01-01-2021		MP51MH8245	मोटर साइकिल	16-07-2020	आरएनजी
1049	MP1087060	सुनील नंदा	जगदीश नंदा	मंडला	घुघरी	04-05-2020	1,15,000	MP51R3439	ऑटो रिक्शा	02-04-2019	आरएनजी
1050	MP3898269	गुलाब	चरण सिंह	मंडला	किसली	12-11-2020		MP51AA6305	ट्रैक्टर	25-12-2017	आरएनजी
1051	MP4501165	कमल सिंह धुर्वे	हवलदार	मंडला	रहंगी (रिहंगी)	24-12-2020		MP51MG4698	मोटर साइकिल	05-02-2019	आरएनजी
1052	MP3955415	अनिल कुमार	प्रताप सिंह	मंडला	भानपुर	05-05-2020	1,30,000	MP51AA6390	ट्रैक्टर	24-01-2018	आरएनजी
1053	MP3557946	नारायण प्रसाद मरावी	थान सिंह	मंडला	पांड कलां	25-05-2018	1,30,000	MP51R2228	ऑटो रिक्शा	28-02-2017	आरएनजी

1054	MP3899165	राजेंद्र	कमल सिंह	मंडला	सलवाह	19-06-2019	1,30,000	MP51ME3234	मोटर साइकिल	08-02-2017	आरएनजी
1055	MP2364064	बलम	बजरू	मंडला	सलवाह	20-06-2018	1,30,000	MP51ME6351	मोटर साइकिल	18-07-2017	आरएनजी
1056	MP4235934	गुलाब सिंह मरावी	धुंधी मरावी	मंडला	साल्हेघोरी	31-10-2020		MP51MD8305	मोटर साइकिल	02-04-2016	आरएनजी
1057	MP4506302	रमेश विश्कर्मा	गोधन लाल	मंडला	खैरी (सीटी)	24-11-2020		MP51SA6828	मोपेड	19-09-2018	स्वीकार्य
1058	MP4077148	चरण	छोटे लाल	मंडला	बरबसपुर	03-05-2020	1,30,000	MP51MH2134	मोटर साइकिल	20-11-2019	स्वीकार्य
1059	MP5726412	उमाशंकर मरावी	सहदेव सिंह मरावी	मंडला	बोरिया	11-11-2020		MP51AA4870	ट्रैक्टर	28-07-2016	स्वीकार्य
1060	MP4718498	मंगल सिंह मरावी	हीरा लाल	मंडला	खैरी	12-11-2020		MP51MG6042	मोटर साइकिल	30-03-2019	स्वीकार्य
1061	MP4726305	सुनील कुमार मार्को	सरदारी	मंडला	खैरी	22-12-2020		MP51ME2749	मोटर साइकिल	02-01-2017	स्वीकार्य
1062	MP5326226	संजय	मनीराम	मंडला	हरदुवा	23-10-2020		MP51MG1690	मोटर साइकिल	09-10-2018	स्वीकार्य
1063	MP5324330	मनोज	तुलसीराम	मंडला	झालपानी	23-10-2020		MP51R3790	ऑटो रिक्शा	30-12-2019	स्वीकार्य
1064	MP5197048	श्याम लाल मरावी	अघनु सिंह	मंडला	खारी	28-11-2020		MP51SB0839	स्कूटर	11-06-2020	स्वीकार्य
1065	MP5416974	इमरत धुर्वे	माथु लाल धुर्वे	मंडला	डूंगरिया एफ.वी.	28-11-2020		MP51MH7904	मोटर साइकिल	10-07-2020	स्वीकार्य
1066	MP3597295	नर्मदे सिंगोर	बुद्धू लाल सिंगोर	मंडला	लिमरूआ	28-06-2019	1,30,000	MP51MF5940	मोटर साइकिल	27-01-2018	स्वीकार्य
1067	MP1018000	विष्णु उइके	शोभा उइके	मंडला	मुहगाँव (मोहगाँव)	09-02-2017	1,30,000	MP51MD7504	मोटर साइकिल	24-02-2016	स्वीकार्य

1068	MP3317245	अनिल कुमार उइके	मैकू सिंह	मंडला	मनादेई	16-06-2019	1,30,000	MP51AA4678	ट्रैक्टर	02-05-2016	आरएनजी
1069	MP3215086	रम लाल ठाकुर	श्री कमल सिंह ठाकुर	मंडला	ओघाट खपरी	18-12-2020		MP51MH7561	मोटर साइकिल	23-06-2020	स्वीकार्य
1070	MP3807347	संतोष कुमार ठाकुर	घनश्याम सिंह ठाकुर	मंडला	पदमी	30-04-2020	1,30,000	MP51MG1929	मोटर साइकिल	13-11-2018	स्वीकार्य
1071	MP5631392	बेनीराम मरावी	धनी राम मरावी	मंडला	पटपारा सिंगारपुर	28-11-2020		MP51MD7829	मोटर साइकिल	08-03-2016	स्वीकार्य
1072	MP4714887	संदीप नामदेव	दीप चंद नामदेव	मंडला	पोंडी रैयत	16-12-2020		MP51ME6562	मोटर साइकिल	03-08-2017	स्वीकार्य
1073	MP4293480	फंटू सिंह	तुखराम	मंडला	साल्हे डंडा	05-05-2020	1,15,000	MP51AA6782	ट्रैक्टर	26-04-2018	स्वीकार्य
1074	MP4914301	सुमरू लाल कार्तिकेय	पीतम लाल	मंडला	खारी	29-04-2020	1,30,000	MP51MG8203	मोटर साइकिल	13-06-2019	स्वीकार्य
1075	MP4696060	संतराम उइके	निरंजन	मंडला	सिल्गी	24-11-2020		MP51AA5250	ट्रैक्टर	03-02-2017	स्वीकार्य
1076	MP5131492	कोमल सिंह	महू लाल	मंडला	सुनेहरा मल.	09-11-2020		MP51MG7845	मोटर साइकिल	17-05-2019	स्वीकार्य
1077	MP4645958	दीपचंद भलावी	सदाराम	मंडला	देवरी	18-11-2020		MP51MH4094	मोटर साइकिल	22-01-2020	स्वीकार्य
1078	MP4014181	शिव कुमार	चमरू	मंडला	छापरतला	24-12-2020		MP51ME1089	मोटर साइकिल	19-09-2016	आरएनजी
1079	MP4149544	सेव लाल	तुलसी	मंडला	पुनगाँव रैयत	21-11-2020	25,000	MP51R2503	ऑटो रिक्शा	18-10-2017	आरएनजी
1080	MP4586993	भजन दास	गिरानी दास	मंडला	इन्द्री रायत।	18-12-2020		MP51MG1745	मोटर साइकिल	23-10-2018	आरएनजी
1081	MP1966497	समरू	अमरलाल	मंडला	धेंको	31-07-2019	1,30,000	MP51MG8060	मोटर साइकिल	21-05-2019	आरएनजी

1082	MP5702132	फलन	पटेल	मंडला	जामगांव	18-12-2020		MP51AA6001	ट्रैक्टर	01-11-2017	आरएनजी
1083	MP1892521	रिंकू दास	सुफल दास	मंडला	खलौंदी मल.	25-05-2017	1,30,000	MP51MD7982	मोटर साइकिल	15-03-2016	आरएनजी
1084	MP5434396	रामसे	आनंद सिंह	मंडला	मैनपुरी	21-11-2020	25,000	MP51MH7809	मोटर साइकिल	10-07-2020	आरएनजी
1085	MP2852328	अमृत लाल	आनंद सिंह	मंडला	लुरी	23-07-2019	1,30,000	MP51R2880	ऑटो रिक्शा	28-04-2018	आरएनजी
1086	MP5150338	रमेश सिंह	सुकर सिंह	मंडला	बड़गांव एफ.वी.	27-11-2020	25,000	MP51ME6825	मोटर साइकिल	24-08-2017	आरएनजी
1087	MP3578955	मंत राम	अक्कल सिंह	मंडला	बड़गांव एफ.वी.	21-03-2018	1,30,000	MP51ME1799	मोटर साइकिल	08-11-2016	आरएनजी
1088	MP4039663	प्रेम सिंह	सुखराम	मंडला	पखवार मल.	27-11-2020	25,000	MP51MH1901	मोटर साइकिल	08-11-2019	आरएनजी
1089	MP1146417	सतीश	शुकदेव	मंडला	पखवार मल.	26-12-2016	1,30,000	MP51MD9480	मोटर साइकिल	31-05-2016	आरएनजी
1090	MP4956054	परसादी चीचम	राम शाय	मंडला	बडवार	23-11-2020	25,000	MP51MH8324	मोटर साइकिल	17-07-2020	आरएनजी
1091	MP2651945	नैन सिंह	बालाराम	मंडला	पोंडी उर्फ बहार मुंडा	24-06-2019	1,30,000	MP51MF6313	मोटर साइकिल	19-02-2018	आरएनजी
1092	MP3433826	राज कुमार	मंगल दास	मंडला	सकवाह रैयत	30-04-2020	1,30,000	MP51MG5239	मोटर साइकिल	20-02-2019	आरएनजी
1093	MP4053743	लाल सिंह	शेखलाल	मंडला	बिलगाँव जार	16-12-2020		MP51ME6695	मोटर साइकिल	14-08-2017	आरएनजी
1094	MP3377766	कोमल दास	राम दास	मंडला	मोहगांव जार	17-02-2017	1,30,000	MP51ME0882	मोटर साइकिल	30-08-2016	आरएनजी
1095	MP4289698	श्याम लाल	छिद्दी लाल	मंडला	टिकरिया	26-11-2020	25,000	MP51MH5535	मोटर साइकिल	16-03-2020	आरएनजी

1096	MP5679537	विष्णु महेश	भगत	मंडला	सुन्तिकरी	01-02-2021		MP51MH8219	मोटर साइकिल	17-07-2020	आरएनजी
1097	MP5246382	राजा राम	गुलाब सिंह	मंडला	बिलगढ़ा माल।	17-12-2020		MP51AA6611	ट्रैक्टर	07-03-2018	आरएनजी
1098	MP3965549	देवी सिंह नरेटी	रतिराम	मंडला	कौवा डोंगरी	22-01-2021		MP51AA9041	ट्रॉली	06-03-2020	आरएनजी
1099	MP5162976	मुकेश कुमार	जमनू सिंह	मंडला	मालवथर	08-05-2020	70,000	MP51R3953	ऑटो रिक्शा	17-03-2020	आरएनजी
1100	MP4796607	ओम प्रकाश मरावी	गुलाब सिंग मरावी	मंडला	खर्रा छापर रैयत।	22-11-2020	25,000	MP51ME1022	मोटर साइकिल	14-09-2016	आरएनजी
1101	MP4796580	सुरेश कुमार यादव	राम चरण यादव	मंडला	खर्रा छापर रैयत।	22-11-2020	25,000	MP51MH5633	मोटर साइकिल	16-03-2020	आरएनजी
1102	MP4920269	कलीराम उइके	हुल्कर सिंह उइके	मंडला	डोनी	06-11-2020		MP51MH2377	मोटर साइकिल	18-11-2019	आरएनजी
1103	MP5707503	भदे सिंह	जियान लाल	मंडला	भरभेली	21-11-2020		MP51MG6335	मोटर साइकिल	09-04-2019	आरएनजी
1104	MP4430858	नेमी लाल साहू	लखन लाल	मंडला	बोरी पिपरदही	20-11-2020		MP51MJ0290	मोटर साइकिल	04-09-2020	आरएनजी
1105	MP5411237	अर्जुन सिंह मरावी	रामू	मंडला	पोंडी	21-11-2020		MP51MH2677	मोटर साइकिल	02-12-2019	आरएनजी
1106	MP5159197	अनिल कुमार	गोपाल	मंडला	मानेगांव माल।	24-02-2021		MP51MG6947	मोटर साइकिल	01-05-2019	आरएनजी
1107	MP4937486	लखन लाल दहिया	सुमरन लाल	मंडला	मुग्दरा	23-07-2019	1,30,000	MP51MG6396	मोटर साइकिल	01-04-2019	आरएनजी
1108	MP4595920	तिवारी लाल परते	धनु लाल	मंडला	लखमा डूंगरिया	20-11-2020		MP51MH0443	मोटर साइकिल	06-09-2019	आरएनजी
1109	MP2509309	शेख हबीब	शेख हरीफ	मंडला	पिंडराई (सीटी)	25-07-2018	1,30,000	MP51MD8508	मोटर साइकिल	12-04-2016	आरएनजी

1110	MP3602223	बाबूलाल झरिया	सोनूलाल झरिया	मंडला	पिंडराई (सीटी)	27-03-2018	1,30,000	MP51R1934	ऑटो रिक्शा	15-06-2016	आरएनजी
1111	MP4726724	रमन सिंह	लिखनी	मंडला	खिरसारू	21-11-2020		MP51ME5278	मोटर साइकिल	19-05-2017	आरएनजी
1112	MP4850210	परसोत्तम	शनि लाल यादव	मंडला	देवरी	20-11-2020		MP51ME9279	मोटर साइकिल	12-12-2017	आरएनजी
1113	MP3013863	शिवचरण यादव	तेजू लाल यादव	मंडला	सकवाह कलां	17-06-2019	1,30,000	MP51MF7192	मोटर साइकिल	27-03-2018	आरएनजी
1114	MP3005317	जगन्नाथ झरिया	पुरुषोत्तम झरिया	मंडला	सकवाह कलां	07-05-2018	1,30,000	MP51S9739	मोपेड	01-02-2017	आरएनजी
1115	MP4870074	हीरा सिंह उइके	जोगीराम	मंडला	देवरी कलां (बबलिया)	01-12-2020	25,000	MP51MH2714	मोटर साइकिल	02-12-2019	आरएनजी
1116	MP4951876	रमेश प्रसाद	सुकल सिंह उइके	मंडला	बनार	12-05-2020	1,30,000	MP51MH4269	मोटर साइकिल	03-02-2020	आरएनजी
1117	MP3199815	अशोक कुमार कुशराम	संतोष कुमार	मंडला	मालधा	16-03-2018	1,30,000	MP51ME2246	मोटर साइकिल	06-12-2016	आरएनजी
1118	MP4952243	रमेश यादव	मथुरा	मंडला	भावल	29-10-2020	25,000	MP51AA5337	ट्रैक्टर	09-03-2017	आरएनजी
1119	MP4914861	इंदल सिंह उइके	प्रेमलाल	मंडला	बिजेगांव (खम्हरिया)	06-05-2020	1,30,000	MP51MF8799	मोटर साइकिल	30-05-2018	आरएनजी
1120	MP3133994	नन्द किशोर	चमरू लाल	मंडला	तिलगाँव	24-04-2018	1,30,000	MP51ME3418	मोटर साइकिल	27-02-2017	आरएनजी
1121	MP5136054	गन्नु कुशराम	रामप्रसाद	मंडला	सहजनी	23-10-2020	25,000	MP51MJ0195	मोटर साइकिल	11-09-2020	आरएनजी
1122	MP3996350	भैया लाल मरावी	इंदर लाल	मंडला	दलखापा	19-06-2019	1,30,000	MP51MG3833	मोटर साइकिल	04-01-2019	आरएनजी
1123	MP5220032	सुकल सिंह टेकाम	मंगल सिंह	मंडला	सजपानी एफ.वी.	22-10-2020	25,000	MP51MF5466	मोटर साइकिल	11-01-2018	आरएनजी

1124	MP2183203	राजेंद्र	कोमल	मंडला	तरवानी (दोभी)	22-06-2019	1,30,000	MP51MG6903	मोटर साइकिल	16-04-2019	आरएनजी
1125	MP3135531	धर्म सिंह	अकाली	मंडला	चटी (मानेगांव)	17-07-2019	1,30,000	MP51MG5277	मोटर साइकिल	27-02-2019	आरएनजी
1126	MP5460542	झाम सिंह	विष्णु	मंडला	चटी (मानेगांव)	09-11-2020	25,000	MP51MD8612	मोटर साइकिल	18-04-2016	आरएनजी
1127	MP2167028	नरसिंह	गोविंद	मंडला	चटी (मानेगांव)	24-06-2019	1,30,000	MP51MG7739	मोटर साइकिल	14-05-2019	आरएनजी
1128	MP4810173	रमेश कुमार	दान सिंह	मंडला	घोंट खेड़ा	09-11-2020	25,000	MP51MH2428	मोटर साइकिल	18-11-2019	आरएनजी
1129	MP2287420	हिंदू	दशरथ	मंडला	गूजर सानी	21-05-2018	1,30,000	MP51ME8896	मोटर साइकिल	24-11-2017	आरएनजी
1130	MP5626744	सहदेव उड्डे	हरि सिंह	मंडला	जिओरा (खिन्हा)	26-11-2020	70,000	MP51SA1813	स्कूटर	22-11-2017	आरएनजी
1131	MP5331665	हेमंत कुमार झरिया	सहजू प्रसाद	मंडला	खम्हरिया (झांझनगर)।	06-10-2020	25,000	MP51MG2634	मोटर साइकिल	30-11-2018	आरएनजी
1132	MP5210628	कलीराम वर्कडे	सहजू सिंह	मंडला	मुकास कलां	08-05-2020	70,000	MP51MG7836	मोटर साइकिल	17-05-2019	आरएनजी
1133	MP3126102	कुंदन लाल	इमरत	मंडला	गधर	24-06-2019	1,30,000	MP51ME8251	मोटर साइकिल	03-11-2017	आरएनजी
1134	MP3355316	इंदर सिंह मरावी	नवल सिंह	मंडला	चारगांव (कुदामैली)	19-06-2019	1,30,000	MP51MG6890	मोटर साइकिल	16-04-2019	आरएनजी
1135	MP2365138	धीरा सिंह	हरदयाल	मंडला	चारगांव (कुदामैली)	16-06-2019	1,30,000	MP51SA0656	स्कूटर	20-06-2017	आरएनजी
1136	MP5240223	नेमलाल	हेमसिंह मरावी	मंडला	कुदा मैली	26-11-2020	25,000	MP51MF9996	मोटर साइकिल	04-08-2018	आरएनजी
1137	MP4742372	ऊदल	बहादुर	मंडला	कुम्हा	12-11-2020	25,000	MP51MG3154	मोटर साइकिल	07-12-2018	आरएनजी

1138	MP2928004	अशोक	सुकली	मंडला	देवरी (खैरी)	14-04-2018	1,30,000	MP51ME3212	मोटर साइकिल	08-02-2017	आरएनजी
1139	MP3666457	माखन साहू	भरत साहू	मंडला	पड़रिया उर्फ नारायणगंज	18-04-2018	1,30,000	MP51S9988	स्कूटर	27-03-2017	आरएनजी
1140	MP4537887	सियाराम उइके	गोपाल	मंडला	टिकरिया (नारायणगंज)	12-05-2020	1,30,000	MP51MD9142	मोटर साइकिल	17-05-2016	आरएनजी
1141	MP3488566	अनिल कुमार यादव	खिल्लू लाल	मंडला	टाटीघाट	09-05-2017	1,30,000	MP51ME3306	मोटर साइकिल	15-02-2017	आरएनजी
1142	MP3473933	राजेंद्र	दशरथ	मंडला	सिंघनपुरी(घुघरी)	18-06-2019	1,30,000	MP51MG7162	मोटर साइकिल	23-04-2019	आरएनजी
1143	MP3915222	धरम सिंह मरावी	मुलवा सिंह	मंडला	मोहपानी जार (महोपानी जार)	28-07-2019	1,30,000	MP51MG4410	मोटर साइकिल	30-01-2019	आरएनजी
1144	MP5405405	अमर सिंह मार्को	काशी राम	मंडला	अमदारी रियात।	06-05-2020	25,000	MP51MH0386	मोटर साइकिल	24-08-2019	आरएनजी
1145	MP3676133	उत्तम लाल झरिया	मटरू लाल झरिया	मंडला	पिपरिया (सिंहपुर)	01-01-2019	1,30,000	MP51AA6377	ट्रैक्टर	17-01-2018	आरएनजी
1146	MP5424154	मुल्लू सिंह वरकाड़े	शुक्ला सिंह	मंडला	मुदझौर	20-11-2020		MP51MH9103	मोटर साइकिल	11-08-2020	आरएनजी
1147	MP4167966	गोपाल सिंह	मानसिंह	मंडला	खरखरा	07-05-2020	1,30,000	MP51AA4552	ट्रैक्टर	29-02-2016	आरएनजी
1148	MP4322835	बनेसिंह	भवसिंह	राजगढ़	काली कराड	30-12-2020	25,000	MP39AB7425	ट्रैक्टर	23-03-2017	आरएनजी
1149	MP2567989	मुकेश शर्मा	कैलाश शर्मा	राजगढ़	खंडिया	03-03-2018	1,20,000	MP39MK9769	मोटर साइकिल	09-06-2017	आरएनजी
1150	MP3290674	जगदीश	सोबगस	राजगढ़	अमदोर	02-07-2019	1,20,000	MP39AC4861	ट्रैक्टर	26-02-2019	आरएनजी
1151	MP2609074	जितेंद्र जाटव	कमल सिंह	राजगढ़	खेर खेड़ी	26-09-2018	1,20,000	MP39MH8532	मोटर साइकिल	22-01-2016	आरएनजी

1152	MP5050187	इंदर सिंह मीणा	हजारी लाल मीणा	राजगढ़	खुचनी	01-12-2020		MP39ML5422	मोटर साइकिल	12-09-2017	आरएनजी
1153	MP1587474	नानक राम यादव	जगन्नाथ	राजगढ़	बरखेड़ा	25-06-2019	1,20,000	MP39MH8578	मोटर साइकिल	22-01-2016	आरएनजी
1154	MP3623438	घीसालाल	प्रताप	राजगढ़	नालबंदी	01-04-2017	1,20,000	MP39MJ4128	मोटर साइकिल	17-06-2016	आरएनजी
1155	MP2826205	हजारी	बंशीलाल	राजगढ़	बेलास	23-04-2018	1,20,000	MP39MK9509	मोटर साइकिल	19-04-2017	आरएनजी
1156	MP3714945	भरत सिंह	पुर जी	राजगढ़	गुजरीबे	07-07-2019	1,20,000	MP39ML0487	मोटर साइकिल	28-06-2017	आरएनजी
1157	MP3645597	विष्णु प्रसाद दांगी	शिवलाल	राजगढ़	लसूड़िया गूजर	14-06-2019	1,20,000	MP39MK1205	मोटर साइकिल	14-03-2017	आरएनजी
1158	MP3796144	मांगीलाल	बंशीलाल	राजगढ़	चाचा खेड़ी	17-04-2018	1,20,000	MP39MK1842	मोपेड	25-03-2017	आरएनजी
1159	MP2649300	रूप सिंह	भरत सिंह	राजगढ़	नपलियाखेड़ी	31-03-2018	1,20,000	MP39MM1018	मोटर साइकिल	22-12-2017	आरएनजी
1160	MP3319669	जगदीश डांगी	रामचंदर	राजगढ़	ढकोरा	28-04-2020	1,20,000	MP39MK1810	मोटर साइकिल	24-03-2017	आरएनजी
1161	MP1808465	सुनील	लक्ष्मीनारायण	राजगढ़	दमदिया	04-07-2019	1,20,000	MP39G3267	पिक अप वैन	28-03-2019	आरएनजी
1162	MP2087504	मेहरवन	बंशीलाल	राजगढ़	बोर्डा	20-06-2018	1,20,000	MP39AB8404	ट्रैक्टर	03-08-2017	आरएनजी
1163	MP5403567	गजराज सिंह	सोलालजी	राजगढ़	जरकाडिया खेड़ी	11-02-2021		MP39AC4115	ट्रैक्टर	03-01-2019	आरएनजी
1164	MP4000550	विष्णु प्रसाद दागी	दौलत राम	राजगढ़	खजुरिया	06-05-2020	1,20,000	MP39MM3143	मोटर साइकिल	07-02-2018	आरएनजी
1165	MP4525976	करन सिंह	बापूलाल	राजगढ़	खंकरा तेजा	19-12-2020		MP39MK9469	मोटर साइकिल	24-08-2017	आरएनजी

1166	MP3830043	रामबाबू	घासीराम	राजगढ़	खनोता	30-04-2020	1,20,000	MP39MQ1886	मोटर साइकिल	31-05-2019	आरएनजी
1167	MP2837945	जगदीश	बद्री लाल	राजगढ़	खनोता	04-05-2020	1,20,000	MP39AB8938	ट्रैक्टर	22-07-2017	आरएनजी
1168	MP3874003	सुरेशगिर	जगदीशगीर	राजगढ़	खेजड़ा महाराजा	07-07-2019	1,20,000	MP39ML1608	मोटर साइकिल	20-07-2017	आरएनजी
1169	MP3901395	प्रेम गिर	प्रसाद गिर	राजगढ़	खेजड़ा महाराजा	05-07-2019	1,20,000	MP39MN7267	मोटर साइकिल	01-11-2018	आरएनजी
1170	MP2633632	शिवगीर	प्यारगीर	राजगढ़	खेजड़ा महाराजा	07-07-2019	1,20,000	MP39MP4317	मोटर साइकिल	08-02-2019	आरएनजी
1171	MP5721284	हरिगीर	नानू गिर	राजगढ़	भगोरा	26-12-2020		MP39MP4491	मोटर साइकिल	12-02-2019	आरएनजी
1172	MP3956542	रास मोहन	अमरत लाल	राजगढ़	मोतीपुरा	06-05-2020	1,20,000	MP39AC6232	ट्रैक्टर	22-07-2019	आरएनजी
1173	MP2738173	महेंद्र सेन	हरि सिंह सेन	राजगढ़	चमारी	09-07-2019	1,20,000	MP39MJ3246	मोटर साइकिल	30-05-2016	आरएनजी
1174	MP2781887	भागीरथ सेन	हर चंद सेन	राजगढ़	चमारी	25-06-2019	1,20,000	MP39MM0920	मोटर साइकिल	23-12-2017	आरएनजी
1175	MP2552282	किशन लाल	मेहताब जी	राजगढ़	हरिपुरा	07-08-2019	1,20,000	MP39MN2931	मोटर साइकिल	09-08-2018	आरएनजी
1176	MP3690957	करन सिंह	गंगाधर	राजगढ़	पनाली	19-06-2019	1,20,000	MP39MK0946	मोटर साइकिल	09-03-2017	आरएनजी
1177	MP2612406	कमल सिंह	भरत सिंह	राजगढ़	बाल्यपुरा	04-03-2018	1,20,000	MP39AB7558	ट्रैक्टर	23-03-2017	आरएनजी
1178	MP3424715	सुरेंद्र सिंह	अर्जुन सिंह	राजगढ़	पीपल्या खेड़ी	29-04-2020	1,20,000	MP39MN7320	मोटर साइकिल	01-11-2018	आरएनजी
1179	MP3714615	देवफ सिंह	रामलाल	राजगढ़	पीपल्या खेड़ी	29-04-2020	1,20,000	MP39G2853	पिक अप वैन	25-05-2018	आरएनजी

1180	MP3746754	प्रतापसिंह राणा	अमर सिंह	राजगढ़	पीपलबे	20-04-2018	1,20,000	MP39R0880	ऑटो रिक्शा	24-01-2018	आरएनजी
1181	MP1912432	सुमेर सिंह	उमराव सिंह	राजगढ़	पाटनपुर	11-07-2019	1,20,000	MP39AB9568	ट्रैक्टर	30-08-2017	आरएनजी
1182	MP4289921	राजेंद्र	दरियाव सिंह	राजगढ़	पाटनपुर	12-01-2021		MP39AB9998	ट्रैक्टर	23-11-2017	आरएनजी
1183	MP4572424	कमल सिंह	नारायण सिंह	राजगढ़	घेहू खेड़ी	31-12-2020		MP39MK0751	मोटर साइकिल	07-03-2017	आरएनजी
1184	MP3926559	कवरलाल	मोतीलाल	राजगढ़	सैलारिया खेड़ी	29-05-2020	1,20,000	MP39AB8072	ट्रैक्टर	13-07-2017	आरएनजी
1185	MP3066536	सागर सिंह	मोर सिंह	राजगढ़	कांकरिया गूजर	31-12-2020		MP39MP4202	मोटर साइकिल	08-02-2019	आरएनजी
1186	MP3960390	बापू लाल	सोमा जी	राजगढ़	सेमलापार	31-12-2020		MP39MJ4540	मोटर साइकिल	25-06-2016	आरएनजी
1187	MP3408388	मांगीलाल	भैरू जी	राजगढ़	पाडली महाराजा	11-07-2019	1,20,000	MP39AB9959	ट्रैक्टर	16-11-2017	आरएनजी
1188	MP3735677	गोपाल शर्मा	सुंदर लाल शर्मा	राजगढ़	धुरला	01-05-2017	1,20,000	MP39MJ0835	स्कूटर	18-03-2016	आरएनजी
1189	MP3975279	जगमोहन	मोती लाल	राजगढ़	टोडी	17-05-2020	65,000	MP39AB9818	ट्रैक्टर	27-09-2017	आरएनजी
1190	MP4557619	रितु राज सिंह	प्रहलाद सिंह	राजगढ़	टोंका	12-01-2021		MP39AC3461	ट्रैक्टर	05-12-2018	आरएनजी
1191	MP3033301	रामबाबू	देवसिंह	राजगढ़	बडबेली	17-09-2019	1,20,000	MP39AB8583	ट्रैक्टर	26-07-2017	आरएनजी
1192	MP5397104	शिव नारायण दांगी	गुलाब जी	राजगढ़	बामनगाँव	06-01-2021		MP39MM1129	मोटर साइकिल	28-12-2017	आरएनजी
1193	MP3592801	गोपाल	गेंदा लाल	राजगढ़	सिंगनपुर	03-07-2019	1,20,000	MP39MM9358	मोटर साइकिल	31-05-2018	आरएनजी

1194	MP2281616	जसरथसिंह	रतनसिंह	राजगढ़	बावड़ी खेड़ा	07-03-2018	1,05,000	MP39MJ4196	मोटर साइकिल	13-06-2016	आरएनजी
1195	MP4749972	हर सिंह	देवी लाल	राजगढ़	भट खेड़ा	06-08-2018	1,20,000	MP39MJ3123	मोटर साइकिल	30-05-2016	आरएनजी
1196	MP2916000	रमेश चंद्र	भंवर लाल	राजगढ़	भट खेड़ा	11-07-2019	1,20,000	MP39AC1785	ट्रैक्टर	16-03-2018	आरएनजी
1197	MP2201913	हरि सिंह	करन सिंह	राजगढ़	भवानीपुरा	25-06-2019	1,20,000	MP39MP7637	मोटर साइकिल	08-04-2019	आरएनजी
1198	MP3561238	गोपाल	मदन लाल	राजगढ़	भोजपुर	19-04-2018	1,20,000	MP39MK0642	मोटर साइकिल	06-03-2017	आरएनजी
1199	MP3417988	राम बाबू डांगी	राम सिंह	राजगढ़	ब्यावरा कलां	02-05-2020	1,20,000	MP39MK5596	मोटर साइकिल	18-04-2017	आरएनजी
1200	MP2916479	देवी लाल	बापू लाल	राजगढ़	ब्यावरा कलां	28-04-2020	1,20,000	MP39AC3255	ट्रैक्टर	18-10-2018	आरएनजी
1201	MP3860885	प्रह्लाद डांगी	नरसंग लाल	राजगढ़	अंक खेड़ी	09-07-2019	1,20,000	MP39AB6913	ट्रैक्टर	06-03-2017	आरएनजी
1202	MP2642737	दशरथ सिंह	भेरू सिंह	राजगढ़	बिस्न्या	29-06-2019	1,20,000	MP39MK4483	मोटर साइकिल	12-04-2017	आरएनजी
1203	MP2027977	श्याम सिंह	बनेसिंह	राजगढ़	बिस्न्या	25-06-2019	1,20,000	MP39C2098	मोटर	25-04-2016	आरएनजी
1204	MP2715583	एलकर	सुलतान	राजगढ़	बिस्न्या	30-04-2020	1,20,000	MP39AC3129	ट्रैक्टर	28-09-2018	आरएनजी
1205	MP2033976	अजब सिंह	भेरू सिंह	राजगढ़	बिस्न्या	10-03-2018	1,20,000	MP39AB9947	ट्रैक्टर	30-11-2017	आरएनजी
1206	MP3343566	सुल्तान सिंह	करन सिंह	राजगढ़	हरियाला	26-06-2019	1,20,000	MP39AB5654	ट्रैक्टर	06-01-2016	आरएनजी
1207	MP1343664	सुल्तान सिंह	करन सिंह	राजगढ़	हरियाली	03-04-2017	1,05,000	MP39AB5654	ट्रैक्टर	06-01-2016	आरएनजी

1208	MP3769398	हजारी लाल सौंधिया	बबरू जी	राजगढ़	लक्ष्मणपुरा	16-07-2019	1,20,000	MP39C3148	मोटर	22-05-2018	आरएनजी
1209	MP1570538	कुशल सिंह	दुलीलाल	राजगढ़	चितावलिया	27-06-2019	1,20,000	MP39ML7730	मोटर साइकिल	10-11-2017	आरएनजी
1210	MP3840429	रमेश	विजय सिंग	राजगढ़	चितावलिया	06-05-2020	1,20,000	MP39MS1851	मोटर साइकिल	12-03-2020	आरएनजी
1211	MP1510662	राधेश्याम डांगी	अमर सिंह	राजगढ़	चितावलिया	27-05-2017	1,20,000	MP39MK1955	मोटर साइकिल	25-03-2017	आरएनजी
1212	MP1648939	गोपी लाल	रूप जी	राजगढ़	सेदरा	04-08-2019	1,20,000	MP39MJ4620	मोटर साइकिल	25-06-2016	आरएनजी
1213	MP5474057	गोपाल सिंह	रूप सिंह	राजगढ़	छतरपुरा	03-12-2020		MP39MS4083	मोटर साइकिल	19-03-2020	आरएनजी
1214	MP3929211	भरत सिंह	सुल्तान सिंह	राजगढ़	धबली कलां	13-11-2019	1,20,000	MP39MH9907	मोटर साइकिल	05-03-2016	आरएनजी
1215	MP3118186	मेहरवान सिंह	निहाल सिंह	राजगढ़	धबली कलां	10-05-2018	1,20,000	MP39MH7640	मोटर साइकिल	01-01-2016	आरएनजी
1216	MP3899921	जगन्नाथ डांगी	मांगीलाल	राजगढ़	धुवा खेड़ी	29-04-2020	1,05,000	MP39MQ5347	मोटर साइकिल	23-07-2019	आरएनजी
1217	MP2308081	शिव सिंह	भागीरथ	राजगढ़	धुवा खेड़ी	03-03-2018	1,20,000	MP39MK1491	मोटर साइकिल	21-03-2017	आरएनजी
1218	MP5685355	सुल्तान सिंह	भोन सिंह	राजगढ़	भवरपुरा	27-11-2020		MP39AB7653	ट्रैक्टर	28-03-2017	आरएनजी
1219	MP3586702	रोडुलाल	देबीलाल	राजगढ़	डोलज	10-05-2018	1,20,000	MP39AB8601	ट्रैक्टर	26-07-2017	आरएनजी
1220	MP3940342	हजारीलाल डांगी	हरलाल	राजगढ़	फतेहपुर	21-07-2019	1,05,000	MP39MH9419	मोटर साइकिल	16-02-2016	आरएनजी
1221	MP3749422	रामबाबू	फते सिंह	राजगढ़	गदाहेत	30-04-2020	25,000	MP39MR8177	मोटर साइकिल	07-02-2020	आरएनजी

1222	MP4848715	रामबाबू	गंगाधर	राजगढ़	गदाहेत	03-12-2020		MP39AC1684	ट्रैक्टर	28-02-2018	आरएनजी
1223	MP3430576	पर्वत सिंह	प्यार सिंह	राजगढ़	रतनपुरिया	28-06-2019	1,20,000	MP39ML9178	मोटर साइकिल	28-11-2017	आरएनजी
1224	MP4298134	गोपी लाल	गुलाब जी	राजगढ़	अम्बाबे	11-12-2020	25,000	MP39MK4833	मोटर साइकिल	25-04-2017	आरएनजी
1225	MP2825235	राम नारायणी दांगी	बिहारी लाल	राजगढ़	गुगहेड़ा	11-10-2019	1,20,000	MP39MK4070	मोटर साइकिल	06-04-2017	आरएनजी
1226	MP1588658	मनोहर दांगी	श्री लाल	राजगढ़	गुगहेड़ा	26-06-2019	1,20,000	MP39AB8294	ट्रैक्टर	12-07-2017	आरएनजी
1227	MP4936402	हरि सिंह दांगी	लक्ष्मी नारायण	राजगढ़	गुना खेड़ी	04-12-2020		MP39MJ9458	मोटर साइकिल	22-12-2016	आरएनजी
1228	MP3873143	बदी लाल दांगी	मदन लाल	राजगढ़	गुना खेड़ी	07-05-2020	1,20,000	MP39G3326	पिक अप वैन	15-05-2019	आरएनजी
1229	MP3028810	शिव प्रसाद	रोड़ी लाल	राजगढ़	हलहेदी	28-06-2019	1,05,000	MP39ML1315	मोटर साइकिल	19-07-2017	आरएनजी
1230	MP3118966	उम्मेद सिंह दांगी	कालू राम दांगी	राजगढ़	सेदरा	28-04-2020	1,20,000	MP39ML5988	मोटर साइकिल	22-09-2017	आरएनजी
1231	MP1801015	शिव चरण दांगी	कालू राम दांगी	राजगढ़	सेदरा	29-04-2020	1,20,000	MP39MP1154	मोटर साइकिल	02-01-2019	आरएनजी
1232	MP3142121	रामचरण डांगी	किशन लाल	राजगढ़	सेदरा	03-03-2018	1,20,000	MP39MJ6056	मोटर साइकिल	28-07-2016	आरएनजी
1233	MP2752355	घीसा लाल डांगी	मांगी लाल डांगी	राजगढ़	सेदरा	07-07-2019	1,20,000	MP39MK4756	मोटर साइकिल	12-04-2017	आरएनजी
1234	MP3045874	प्रेम सिंह दांगी	रतन लाल	राजगढ़	सेदरा	28-04-2020	1,20,000	MP39ML4779	मोटर साइकिल	26-08-2017	आरएनजी
1235	MP3898483	मान सिंह दांगी	पुरी लाल	राजगढ़	सेदरा	07-07-2019	1,20,000	MP39MK3919	मोटर साइकिल	06-04-2017	आरएनजी

1236	MP3074661	राहुल कुमार दांगी	गंगाधर दांगी	राजगढ़	सेदरा	30-04-2020	1,20,000	MP39MQ5350	मोटर साइकिल	23-07-2019	आरएनजी
1237	MP2084034	हेमराज डांगी	बिहारी लाल दांगी	राजगढ़	सेदरा	11-07-2019	1,20,000	MP39C2869	मोटर	12-12-2017	आरएनजी
1238	MP1845614	राधेश्याम डांगी	नरभे सिंह	राजगढ़	जैतपुरा कलां	20-12-2020		MP39MR8411	मोटर साइकिल	13-02-2020	आरएनजी
1239	MP1756282	गोरी लाल	भैरू सिंह दांगी	राजगढ़	जैतपुरा कलां	12-04-2017	1,20,000	MP39MJ7510	मोटर साइकिल	02-09-2016	आरएनजी
1240	MP3801784	मांगीलाल डांगी	हजारीलाल	राजगढ़	जैतपुरा कलां	20-12-2020		MP39ML5094	मोटर साइकिल	05-09-2017	आरएनजी
1241	MP1804018	मधु सिंह	कन्हैया लाल	राजगढ़	जैतपुरा कलां	06-05-2020	65,000	MP39AC1477	ट्रैक्टर	07-02-2018	आरएनजी
1242	MP3318145	कुशल दांगी	गंगाराम	राजगढ़	जैतपुरा कलां	29-04-2020	1,20,000	MP39AC2814	ट्रैक्टर	14-08-2018	आरएनजी
1243	MP1801372	कमल सिंह	पुर सिंह	राजगढ़	करणपुरा	17-04-2018	1,20,000	MP39MJ0394	मोटर साइकिल	10-03-2016	आरएनजी
1244	MP2825553	विष्णु प्रसाद दंडी	देव सिंह	राजगढ़	कछोतिया	03-05-2020	1,05,000	MP39ML9123	मोटर साइकिल	27-11-2017	आरएनजी
1245	MP4266309	मनोहर	फूल सिंह	राजगढ़	कछोतिया	08-12-2020		MP39MK5017	मोटर साइकिल	13-04-2017	आरएनजी
1246	MP1582605	शिव नारायण दांगी	धूली लाल दांगी	राजगढ़	कछोतिया	27-06-2019	1,20,000	MP39AC3139	ट्रैक्टर	28-09-2018	आरएनजी
1247	MP3243750	विष्णु	बकंत लाल	राजगढ़	रामपुरिया	27-06-2019	1,20,000	MP39MM6317	मोटर साइकिल	06-04-2018	आरएनजी
1248	MP3977728	रामप्रसाद	प्रभुलाल डांगी	राजगढ़	कुवा खेड़ा	02-05-2020	1,20,000	MP39ML1999	मोटर साइकिल	25-07-2017	आरएनजी
1249	MP3977739	विष्णु डांगी	कँवर लाल	राजगढ़	कुवा खेड़ा	05-05-2020	1,20,000	MP39MK4644	मोटर साइकिल	12-04-2017	आरएनजी

1250	MP3116167	मांगीलाल	श्रीलाल	राजगढ़	कुवा खेड़ा	02-05-2020	1,20,000	MP39MM6286	मोटर साइकिल	06-04-2018	आरएनजी
1251	MP3028079	जगदीश दागी	कालूराम दागी	राजगढ़	कुवा खेड़ा	02-05-2020	1,20,000	MP39MS5313	मोटर साइकिल	23-03-2020	आरएनजी
1252	MP2986988	रामनारायण दांगी	मुकुंदराम	राजगढ़	कुवा खेड़ा	10-12-2020	25,000	MP39MQ9589	मोटर साइकिल	10-10-2019	आरएनजी
1253	MP2559380	श्री लाल दांगी	कनीराम	राजगढ़	कुवा खेड़ा	22-06-2019	1,20,000	MP39MK7649	स्कूटर	18-04-2017	आरएनजी
1254	MP4185863	कालूसिंह दांगी	पुरीलाल	राजगढ़	लसोड़ली	04-02-2021		MP39AB7352	ट्रैक्टर	14-03-2017	आरएनजी
1255	MP3715389	भरत सिंह	नारायण सिंह	राजगढ़	सालरी	19-06-2019	1,20,000	MP39MJ8577	मोटर साइकिल	06-10-2016	आरएनजी
1256	MP2714877	अमर लाल	राय सिंह	राजगढ़	खोखरिया	29-06-2019	1,20,000	MP39MQ2071	मोटर साइकिल	14-06-2019	आरएनजी
1257	MP1978715	इंदर सिंह	गंगाराम	राजगढ़	बरखेड़ा	05-03-2018	1,20,000	MP39MJ3150	मोटर साइकिल	24-05-2016	आरएनजी
1258	MP1749643	रामेश्वर	वीरम सिंह	राजगढ़	महराजपुरा	10-03-2018	1,20,000	MP39MJ3146	मोटर साइकिल	24-05-2016	आरएनजी
1259	MP1963967	सुजान सिंह	कंवर लाल	राजगढ़	मोहकमपुरा	22-02-2018	1,20,000	MP39MJ7040	मोटर साइकिल	22-08-2016	आरएनजी
1260	MP2440241	रामनारायण दांगी	भगीरथ	राजगढ़	पिपलिया कलां	12-08-2019	1,20,000	MP39MQ0113	मोटर साइकिल	21-05-2019	आरएनजी
1261	MP2496899	राम प्रसाद डांगी	गोवर्धन लाल	राजगढ़	पिपलिया कलां	10-04-2018	1,20,000	MP39MJ4226	मोटर साइकिल	17-06-2016	आरएनजी
1262	MP3562553	देवनारायण	भंवर लाल डांगी	राजगढ़	पिपलिया कलां	05-05-2020	1,05,000	MP39MJ1482	मोटर साइकिल	01-04-2016	आरएनजी
1263	MP3380569	प्रेम नारायण	राम सिंह	राजगढ़	पिपलिया कलां	05-05-2020	1,20,000	MP39MP3142	मोटर साइकिल	24-01-2019	आरएनजी

1264	MP2453054	देवनारायण	भगीरथ	राजगढ़	पिपलिया कलां	30-09-2019	1,20,000	MP39AC3884	ट्रैक्टर	12-12-2018	आरएनजी
1265	MP4375063	मांगी लाल	बलराम	राजगढ़	गोकुलपुरा	10-12-2020		MP39MJ7461	मोटर साइकिल	02-09-2016	आरएनजी
1266	MP3273435	नंदा लाल	किशन लाल	राजगढ़	रामपुरिया	01-05-2020	1,20,000	MP39MK4920	मोटर साइकिल	13-04-2017	आरएनजी
1267	MP2323485	अनार सिंह सिसोदिया	प्यार सिंह	राजगढ़	पीपाखेड़ी	05-03-2018	1,20,000	MP39MJ9179	मोटर साइकिल	15-11-2016	आरएनजी
1268	MP2124694	रामबाबू दांगी	लक्ष्मीनारायण	राजगढ़	रणारा	05-03-2018	1,20,000	MP39MJ6065	मोटर साइकिल	28-07-2016	आरएनजी
1269	MP3318500	रामप्रसाद दांगी	रॉड सिंह	राजगढ़	रणारा	05-05-2020	1,20,000	MP39ML8225	मोटर साइकिल	17-11-2017	आरएनजी
1270	MP3819294	प्रेम सिंह	राम सिंह	राजगढ़	रणारा	05-05-2020	1,20,000	MP39MP1017	मोटर साइकिल	29-12-2018	आरएनजी
1271	MP3929480	बदरी लाल	करन सिंह	राजगढ़	मोग्यपुरा	05-09-2018	1,20,000	MP39MH7632	मोटर साइकिल	01-01-2016	आरएनजी
1272	MP3916214	घसवंत सिंह	बने सिंह	राजगढ़	मोग्यपुरा	02-07-2019	1,20,000	MP39MH7638	मोटर साइकिल	01-01-2016	आरएनजी
1273	MP1655732	भागीरथ सिंह	गंगाराम	राजगढ़	रूपाहेडा	08-07-2019	1,20,000	MP39AC2190	ट्रैक्टर	22-05-2018	आरएनजी
1274	MP4373666	माखन सिंह	अर्जुन	राजगढ़	सेमली कांकड़	03-12-2020	25,000	MP39MQ9721	मोटर साइकिल	15-10-2019	आरएनजी
1275	MP2550701	सुल्तान सिंह	कैवर लाल	राजगढ़	खुरचनिया खुर्द	08-05-2018	1,20,000	MP39ML3225	मोटर साइकिल	04-09-2017	आरएनजी
1276	MP3906956	नरसंग लाल डांगी	हरलाल	राजगढ़	मिनागांव	04-04-2018	1,20,000	MP39MJ6401	मोटर साइकिल	05-08-2016	आरएनजी
1277	MP2407807	मुकेश कुम्भकर	गोकुलप्रसाद	राजगढ़	सोनखेड़ा खुर्द	08-07-2019	1,20,000	MP39MN2636	मोटर साइकिल	08-08-2018	आरएनजी

1278	MP4288279	फूल सिंह	बापू लाल	राजगढ़	खादरबेह	11-12-2020	25,000	MP39AC4824	ट्रैक्टर	26-02-2019	आरएनजी
1279	MP4442520	लक्ष्मी नारायण	जय राम	राजगढ़	बड़नगर	04-12-2020		MP39MH9604	मोटर साइकिल	17-02-2016	आरएनजी
1280	MP2629495	आजाद सिंह	दयाकल सिंह	राजगढ़	बरखेड़ा अमरदास	08-01-2021		MP39MJ1796	मोटर साइकिल	04-04-2016	आरएनजी
1281	MP3496103	सूरज सिंह	मोर सिंह	राजगढ़	बरखेड़ी गढ़ी	08-12-2020		MP39AB6764	ट्रैक्टर	01-09-2016	आरएनजी
1282	MP2674752	चंदन सिंह कुशवाहा	मोती लाल	राजगढ़	चरपुरा	12-05-2018	1,20,000	MP39MM5504	मोटर साइकिल	23-03-2018	आरएनजी
1283	MP3245088	मनोज गिर	सुरेश गिर	राजगढ़	चरपुरा	06-07-2019	1,20,000	MP39MJ1030	मोटर साइकिल	18-03-2016	आरएनजी
1284	MP2754711	सुमेर सिंह	सरजत सिंह	राजगढ़	भैसाना	12-05-2020	1,20,000	MP39ML2333	मोटर साइकिल	01-08-2017	आरएनजी
1285	MP4893127	हरि गाओ	नत्थूलाल	राजगढ़	बुचा खेड़ी	10-12-2020		MP39MK6327	मोटर साइकिल	18-04-2017	आरएनजी
1286	MP2954351	दिनेश	उदय सिंह	राजगढ़	चांदबाद	25-06-2019	1,20,000	MP39AB7252	ट्रैक्टर	09-03-2017	आरएनजी
1287	MP1625846	श्यामलाल	बापूलाल	राजगढ़	रूपरेल	02-04-2017	1,20,000	MP39MJ4023	मोटर साइकिल	16-06-2016	आरएनजी
1288	MP3596305	दिनेश यादव	नानक राम राडव	राजगढ़	चैनपुरा कलां	19-06-2019	1,20,000	MP39ML0657	मोटर साइकिल	29-06-2017	आरएनजी
1289	MP4191757	रामसिंह	देवसिंह	राजगढ़	ढाबला	20-12-2020		MP39AB7018	ट्रैक्टर	07-03-2017	आरएनजी
1290	MP2429010	भरत पुरी	सुखराम पुरी	राजगढ़	गादिया	28-04-2020	1,20,000	MP39MM7708	मोटर साइकिल	08-05-2018	आरएनजी
1291	MP5115225	रज्जाक खान	इब्राहिम खान	राजगढ़	सरस खेड़ी	10-12-2020		MP39MJ7786	मोटर साइकिल	03-09-2016	आरएनजी

1292	MP3181653	राधेश्याम	रामचरण	राजगढ़	जमोनिया गोव चौहान	03-07-2019	1,20,000	MP39AB7851	ट्रैक्टर	31-03-2017	आरएनजी
1293	MP1078888	रामचरण	ग्यारासीराम	राजगढ़	जंगीबाद	31-12-2016	1,20,000	MP39MJ7798	मोटर साइकिल	03-09-2016	आरएनजी
1294	MP1600409	रामनारायण	शंकरलाल	राजगढ़	झाड़ला	03-03-2018	1,20,000	MP39ML0452	मोटर साइकिल	28-06-2017	आरएनजी
1295	MP1010654	रामगोपाल	शिव नारायण	राजगढ़	गुरदिया	04-02-2017	40000	MP39AB5856	ट्रैक्टर	29-01-2016	आरएनजी
1296	MP1198696	आजाद सिंह	अर्जुन सिंह	राजगढ़	जाटखेड़ी	02-02-2017	1,20,000	MP39MJ8923	स्कूटर	31-10-2016	आरएनजी
1297	MP2641515	कोमल	मदन लाल	राजगढ़	खानपुरा	08-01-2021		MP39AC5227	ट्रैक्टर	18-04-2019	आरएनजी
1298	MP3089812	बंशीलाल	कालूराम	राजगढ़	नैहेड़ी	17-12-2019	1,20,000	MP39MM9374	मोटर साइकिल	31-05-2018	आरएनजी
1299	MP5307025	गोविंद सिंह	रामचरण	राजगढ़	नैहेड़ी	02-02-2021		MP39MK8823	मोपेड	19-05-2017	आरएनजी
1300	MP4229529	ओमप्रकाश	अमर सिंह	राजगढ़	कोटरा कलां	20-12-2020		MP39ML3258	मोटर साइकिल	09-08-2017	आरएनजी
1301	MP2470782	गुलाब सिंह	गंगाधर	राजगढ़	लसुदलिया हाजी	12-05-2020	1,20,000	MP39MR8286	मोटर साइकिल	11-02-2020	आरएनजी
1302	MP2116415	शाहिद खान	मोहम्मद खान	राजगढ़	लसुदलिया हाजी	20-05-2020	1,20,000	MP39AC1326	ट्रैक्टर	25-01-2018	आरएनजी
1303	MP1870515	विक्रम सिंह	नारायण सिंह	राजगढ़	भोपाल पुरा	07-04-2018	1,20,000	MP39MH8984	मोटर साइकिल	01-02-2016	आरएनजी
1304	MP3343334	संजयपुरी	गोरीशंकरपुरी	राजगढ़	लसूडल्या जागीर	23-02-2018	1,20,000	MP39AB8458	ट्रैक्टर	13-07-2017	आरएनजी
1305	MP2666485	हरिओम मीणा	किशन लाल मीणा	राजगढ़	लसूड़िया भामा	08-01-2021		MP39MK3208	मोटर साइकिल	30-03-2017	आरएनजी

1306	MP1235158	देव करण	दुर्गा प्रसाद	राजगढ़	मुगल खेड़ी	27-06-2019	1,20,000	MP39MN1254	मोटर साइकिल	05-07-2018	आरएनजी
1307	MP3902926	बंशीलाल	हरिप्रसाद	राजगढ़	मुंडला बरोल	14-05-2020	65,000	MP39AC6407	ट्रैक्टर	30-07-2019	आरएनजी
1308	MP2632002	श्याम सिंह	अभय सिंह	राजगढ़	मुंडला बरोल	08-12-2020		MP39MM0370	मोटर साइकिल	15-12-2017	आरएनजी
1309	MP4189113	सुनील	रामनारायण	राजगढ़	निपन्या गढ़ी	04-12-2020		MP39AB8711	ट्रैक्टर	26-07-2017	आरएनजी
1310	MP3953183	बाला बगास	गोकल प्रसाद	राजगढ़	नुनियाहेडी	07-03-2018	1,20,000	MP39MJ2825	मोटर साइकिल	27-05-2016	आरएनजी
1311	MP5474417	लाड सिंह बैस	करन सिंह	राजगढ़	पडल्यादन	10-12-2020		MP39MQ6339	मोटर साइकिल	24-07-2019	आरएनजी
1312	MP2075438	गजराज सिंह	रामगोपाल	राजगढ़	बिल्वा भाट	26-02-2018	1,20,000	MP39MJ2608	मोटर साइकिल	20-04-2016	आरएनजी
1313	MP4547175	हिकमत खा	सैद खा	राजगढ़	साहू खेड़ी	23-02-2021		MP39AC3190	ट्रैक्टर	09-10-2018	आरएनजी
1314	MP2161116	अकील खा	रशीद खा	राजगढ़	शिवपुरा	10-03-2018	1,20,000	MP39ML1398	मोटर साइकिल	20-07-2017	आरएनजी
1315	MP2179482	मुन्ने खा	वासल खा	राजगढ़	शिवपुरा	23-02-2021		MP39ML1383	मोटर साइकिल	20-07-2017	आरएनजी
1316	MP3153990	सुधीर कुमार यादव	देव चरण यादव	राजगढ़	ताजपुरा	08-01-2021		MP39MK0793	मोटर साइकिल	07-03-2017	आरएनजी
1317	MP1589680	होकम सिंह	कमल सिंह	राजगढ़	तेरनी धाकड़	23-02-2018	1,20,000	MP39MM2579	मोटर साइकिल	27-01-2018	आरएनजी
1318	MP2760241	सुरेश	गिरधारी	राजगढ़	तेरनी धाकड़	06-07-2019	1,20,000	MP39AB8811	ट्रैक्टर	29-07-2017	आरएनजी
1319	MP1909227	याकूब बेग	मोहम्मद बेग	राजगढ़	तुर्कीपुरा	07-02-2017	1,20,000	MP39MJ7789	मोटर साइकिल	03-09-2016	आरएनजी

1320	MP1982926	रूप स्विंघ	धन सिंह	राजगढ़	मोहनपुरा	12-02-2021		MP39MS8752	मोटर साइकिल	31-03-2020	आरएनजी
1321	MP2927533	भगवा सिंह	कनीराम	राजगढ़	विजयगढ़	05-03-2018	1,20,000	MP39MJ8459	मोटर साइकिल	03-10-2016	आरएनजी
1322	MP2412210	करन सिंह	अमर सिंह	राजगढ़	बैहेड़ा	08-05-2018	1,20,000	MP39MK6375	मोटर साइकिल	18-04-2017	आरएनजी
1323	MP3968145	लमी नारायण	हरलाल	राजगढ़	बखेड	15-07-2019	25,000	MP39AC0488	ट्रैक्टर	11-12-2017	आरएनजी
1324	MP4663133	चंदन सिंह	प्रभुलाल	राजगढ़	मुंडला	18-12-2020		MP39MQ7342	मोटर साइकिल	08-08-2019	आरएनजी
1325	MP1484882	भवर लाल	पुरा जी	राजगढ़	मुंडला	03-04-2018	1,20,000	MP39MH8910	मोटर साइकिल	01-02-2016	आरएनजी
1326	MP4261175	मुकेश यादव	बने सिंह यादव	राजगढ़	चोंडापुरा	18-12-2020	25,000	MP39MR2043	मोटर साइकिल	26-11-2019	आरएनजी
1327	MP4889887	बने सिंह	मथुरा लाल	राजगढ़	डेहरी बामन	07-12-2020	25,000	MP39AC6268	ट्रैक्टर	24-07-2019	आरएनजी
1328	MP4501057	मदन लाल सौधिया	भों जी सौधिया	राजगढ़	देहरी कराड	07-12-2020	25,000	MP39MH8967	मोटर साइकिल	01-02-2016	आरएनजी
1329	MP3358196	देव सिंह भिलाला	शंकर लाल भिलाला	राजगढ़	देहरी कराड	28-02-2018	1,20,000	MP39MJ2885	मोटर साइकिल	27-05-2016	आरएनजी
1330	MP2897963	मुकेश वर्मा	राम सिंह	राजगढ़	मोतीपुरा खाती	23-12-2020		MP39ML7376	मोटर साइकिल	28-10-2017	आरएनजी
1331	MP3786456	सुल्तान सिंह सिसोदिया	कालू सिंह	राजगढ़	खर्चा खेड़ी	23-06-2020	1,20,000	MP39MM2612	मोटर साइकिल	27-01-2018	आरएनजी
1332	MP4799178	बंशीलाल तंवर	पन्नालाल	राजगढ़	हिनोटी	24-11-2020		MP39MR2220	मोटर साइकिल	26-11-2019	आरएनजी
1333	MP2666698	केसर सिंह	करन सिंह	राजगढ़	घोगड़िया कलां	05-02-2021		MP39AC7693	ट्रैक्टर	04-01-2020	आरएनजी

1334	MP2654463	नारायण	छगन लाल	राजगढ़	घोगड़िया कलां	23-12-2020		MP39AC8002	ट्रैक्टर	30-01-2020	आरएनजी
1335	MP3224369	राम प्रसाद	भागचंद	राजगढ़	काली तलाई	10-03-2018	1,20,000	MP39MK9652	मोटर साइकिल	06-09-2017	आरएनजी
1336	MP4535340	लखन	हरि सिंह	राजगढ़	खरना	07-12-2020		MP39MS3432	मोटर साइकिल	17-03-2020	आरएनजी
1337	MP4886669	छगन लाल	रति राम	राजगढ़	खरना	07-12-2020		MP39MR8632	मोटर साइकिल	18-02-2020	आरएनजी
1338	MP5234213	हरि सिंह	राम सिंह	राजगढ़	खेड़ी	04-12-2020	25,000	MP39C2563	मोटर	12-07-2017	आरएनजी
1339	MP4799124	जगदीश	गोर्धन	राजगढ़	लावाबे	02-12-2020		MP39AC8905	ट्रैक्टर	03-07-2020	आरएनजी
1340	MP3768740	छीटा लाल सौधिया	मोग एनजी	राजगढ़	रावतपुरा	18-08-2020		MP39ML9690	मोटर साइकिल	05-12-2017	आरएनजी
1341	MP4422594	इकबाल खान	ख्वाजू खान	राजगढ़	गोरधनपुरा	18-12-2020	25,000	MP39G2939	पिक अप वैन	14-09-2018	आरएनजी
1342	MP4743305	रोड जी	राम सिंह	राजगढ़	जुगलपुरा	18-12-2020	25,000	MP39MK0673	मोटर साइकिल	06-03-2017	आरएनजी
1343	MP4743260	देवीलाल	कँवर लाल	राजगढ़	जुगलपुरा	18-12-2020		MP39MJ4054	मोटर साइकिल	17-06-2016	आरएनजी
1344	MP4467676	जगदीश	शंकर लाल	राजगढ़	दलेलपुरा	15-12-2020		MP39AC1154	ट्रैक्टर	08-01-2018	आरएनजी
1345	MP5317844	मांगीलाल मेवाडे	नंदराम मेवाडे	राजगढ़	पाटन कलां	04-12-2020		MP39MM3749	मोटर साइकिल	16-02-2018	आरएनजी
1346	MP5315281	गणेश राम मेवाडे	राम सिंह मेवाडे	राजगढ़	पाटन कलां	04-12-2020		MP39MQ9659	मोटर साइकिल	10-10-2019	आरएनजी
1347	MP4585166	दरियाव सिंह	भगीरथ	राजगढ़	सलपुरा	27-11-2020		MP39AC0756	ट्रैक्टर	20-12-2017	आरएनजी

1348	MP2494460	मगनिराम नगर	खेमचंद	राजगढ़	पीपल खेड़ा	28-04-2017	1,20,000	MP39MJ2240	मोटर साइकिल	05-05-2016	आरएनजी
1349	MP2102647	रामप्रसाद	हरचंद जी	राजगढ़	कालीतलाई	27-02-2018	1,20,000	MP39MK9652	मोटर साइकिल	06-09-2017	आरएनजी
1350	MP4642379	हेमराज	दरबार सिंह	राजगढ़	कड़िया खींची कलापुरा	24-11-2020	25,000	MP39MR1560	मोटर साइकिल	21-11-2019	आरएनजी
1351	MP4452844	मुकेश	राम सिंह	राजगढ़	सुस्तानी	24-11-2020	25,000	MP39MN6883	मोटर साइकिल	25-10-2018	आरएनजी
1352	MP4375362	कँवर लाल	गृधारी लाल	राजगढ़	तुमादिया खेड़ी	11-02-2021		MP39MP5384	मोटर साइकिल	08-02-2019	आरएनजी
1353	MP2430726	मुकेश कुमार	नारायण सिंह	राजगढ़	अमलारोड	21-02-2018	1,20,000	MP39MK3762	मोटर साइकिल	06-04-2017	आरएनजी
1354	MP3671828	दीरप सिंह	रामनाथ सिंह	राजगढ़	सुस्याहेदी	26-02-2018	1,20,000	MP39MH9892	मोटर साइकिल	04-03-2016	आरएनजी
1355	MP4638895	हामिद खान	नामदार खान	राजगढ़	चन्तु खेड़ी	22-02-2021		MP39AB8185	ट्रैक्टर	26-07-2017	आरएनजी
1356	MP5658109	चैन सिंह	रामचंदर	राजगढ़	दयाखेड़ी	01-12-2020		MP39MS6698	मोटर साइकिल	21-03-2020	आरएनजी
1357	MP3634374	शंकर सिंह	साजन सिंह	राजगढ़	चांदनी जागीर	04-05-2020	1,20,000	MP39MM1947	मोटर साइकिल	15-01-2018	आरएनजी
1358	MP5491880	प्रेम सिंह राजपूत	हरि सिंह जी	राजगढ़	देवोलीमन खालसा	21-12-2020		MP39AB7011	ट्रैक्टर	07-03-2017	आरएनजी
1359	MP5698973	नाथू सिंह	शिव सिंह	राजगढ़	पिपल्या मोची	28-11-2020		MP39MQ7995	मोटर साइकिल	20-08-2019	आरएनजी
1360	MP3340159	महेश नगर	रंग लाल	राजगढ़	मेहरिमोती	17-04-2018	1,20,000	MP39MH9845	मोटर साइकिल	02-03-2016	आरएनजी
1361	MP3155593	गोवर्धनलाल	चुन्नीलाल	राजगढ़	दुग्या	26-11-2019	1,20,000	MP39MJ5745	मोटर साइकिल	22-07-2016	आरएनजी

1362	MP3964694	चतर सिंह	भगवान सिंह	राजगढ़	बिरगाड़ी	11-01-2021		MP39MN8713	मोटर साइकिल	06-12-2018	आरएनजी
1363	MP4831151	दिनेश कुमार	मुरलीधर	राजगढ़	लीमाचौहान	28-11-2020	25,000	MP39MR9117	मोटर साइकिल	24-02-2020	आरएनजी
1364	MP5033677	बदरी लाल	कनीराम	राजगढ़	मगराना	15-12-2020		MP39MP9268	मोटर साइकिल	16-05-2019	आरएनजी
1365	MP3560896	पूनम चंद	हजारीलाल	राजगढ़	मुंडला लोढ़ा	06-05-2020	1,20,000	MP39AB8913	ट्रैक्टर	17-10-2017	आरएनजी
1366	MP4325567	दयाराम	देव सिंह	राजगढ़	निपुणतुला	15-12-2020		MP39MQ7759	मोटर साइकिल	07-08-2019	आरएनजी
1367	MP4343177	प्रक्षा	किशनलाल	राजगढ़	निपन्या तुला	15-12-2020		MP39MN7965	मोटर साइकिल	13-11-2018	आरएनजी
1368	MP4112567	दिलीप	बिया राम सिंह	राजगढ़	रायपुरिया	22-12-2020		MP39G3639	पिक अप वैन	16-12-2019	आरएनजी
1369	MP1724589	राजेश	मोहन सिंह	राजगढ़	हाजीपुर	28-02-2018	1,20,000	MP39ML1056	मोटर साइकिल	04-07-2017	आरएनजी
1370	MP2422843	कैलाश	केवल सिंह	राजगढ़	सैदाबाग	03-07-2019	1,20,000	MP39MN6335	मोटर साइकिल	11-10-2018	आरएनजी
1371	MP3112678	चरण सिंह	पुरा लाल	राजगढ़	सेमली लोड़ा	02-05-2020	1,20,000	MP39MN2647	मोटर साइकिल	08-08-2018	आरएनजी
1372	MP1774269	गिरिराज	नत्थूलाल	राजगढ़	सेमली लोड़ा	01-03-2018	1,20,000	MP39MM2421	मोटर साइकिल	25-01-2018	आरएनजी
1373	MP1944528	दुर्गाप्रसाद	बनेसिंह	राजगढ़	सेमली लोड़ा	02-05-2020	65,000	MP39AB7144	ट्रैक्टर	07-03-2017	आरएनजी
1374	MP3641127	दिलीप सिंह	मधे सिंह	राजगढ़	सेमली लोड़ा	10-05-2020	1,20,000	MP39AC7110	ट्रैक्टर	06-12-2019	आरएनजी
1375	MP3674613	कमल दास	कन्हैया लाल	राजगढ़	सेमली लोड़ा	26-05-2020	1,20,000	MP39AB8043	ट्रैक्टर	20-06-2017	आरएनजी

1376	MP2011233	गोविंद गुर्जर	केशर सिंह	राजगढ़	खेरखेड़ी	02-02-2021		MP39MJ0820	मोटर साइकिल	18-03-2016	आरएनजी
1377	MP3156292	कालू सिंह	साजन सिंह	राजगढ़	शामगी घाटा	05-05-2020	1,20,000	MP39MQ7670	मोटर साइकिल	14-08-2019	आरएनजी
1378	MP3717226	कमल सिंह	सूरत सिंह	राजगढ़	शामगी घाटा	29-04-2020	1,20,000	MP39MP6235	मोटर साइकिल	13-03-2019	आरएनजी
1379	MP2885319	मांगीलाल	गब्बा जी	राजगढ़	शामगी घाटा	19-06-2019	1,20,000	MP39MP0749	मोटर साइकिल	28-12-2018	आरएनजी
1380	MP1804308	जितेंद्र	हरनाथ सिंह	राजगढ़	शामगी घाटा	29-04-2020	1,05,000	MP39AB9892	ट्रैक्टर	02-11-2017	आरएनजी
1381	MP2814479	जय नारायण	विष्णु प्रसाद	राजगढ़	तिसाई	29-04-2020	1,20,000	MP39MS1046	मोटर साइकिल	03-03-2020	आरएनजी
1382	MP1944053	राम सिंह	प्रताप सिंह	राजगढ़	भीकनपुर	17-02-2017	1,20,000	MP39MJ5734	मोटर साइकिल	22-07-2016	आरएनजी
1383	MP4310147	मुकेश	नंदराम	राजगढ़	बड़गांव	18-12-2018	1,20,000	MP39MN8523	मोटर साइकिल	05-12-2018	आरएनजी
1384	MP3065995	मुमताज खान	इब्रेन खान	राजगढ़	बड़गांव	08-05-2020	1,20,000	MP39MQ5968	मोटर साइकिल	25-07-2019	आरएनजी
1385	MP1570363	छगन सिंह	मोती लाल	राजगढ़	बाँस खेड़ी	01-12-2020	25,000	MP39AB9303	ट्रैक्टर	10-08-2017	आरएनजी
1386	MP1518088	प्रेम सिंह	भवन सिंह	राजगढ़	बाँस खेड़ी	01-12-2020		MP39AC0479	ट्रैक्टर	11-12-2017	आरएनजी
1387	MP3982385	बालचंद डांगी	भंवरलाल डांगी	राजगढ़	भगोरा	01-05-2020	1,20,000	MP39MK2406	मोटर साइकिल	27-03-2017	आरएनजी
1388	MP3781747	गोपीलाल	कान्हा जी	राजगढ़	भगोरा	01-05-2020	1,20,000	MP39MM6099	मोटर साइकिल	05-04-2018	आरएनजी
1389	MP3593396	गोकुल प्रसाद शर्मा	गोवर्धन लाल	राजगढ़	भंडावाड़	02-12-2020	25,000	MP39MJ4187	मोटर साइकिल	13-06-2016	आरएनजी

1390	MP4633665	दिलीप सिंह सारावत	मांगीलाल	राजगढ़	ब्राह्मण खेड़ा	18-11-2020		MP39ML3715	मोटर साइकिल	14-08-2017	आरएनजी
1391	MP2664029	कन्हैया लाल	रामनारायण	राजगढ़	धनोदा	24-07-2019	1,20,000	MP39MN9983	मोटर साइकिल	18-12-2018	आरएनजी
1392	MP3994519	योगेंद्र सिंह	बने सिंह	राजगढ़	धनोदा	10-05-2020	1,05,000	MP39AB7626	ट्रैक्टर	25-03-2017	आरएनजी
1393	MP2955213	राजेन्द्र सिंह	मनमोहन सिंह	राजगढ़	धनोदा	03-05-2020	65,000	MP39AC3829	ट्रैक्टर	18-12-2018	आरएनजी
1394	MP2708616	कृष्ण पाल सिंह	विक्रम सिंह	राजगढ़	धतरौदा	03-06-2020	1,20,000	MP39MR2701	मोटर साइकिल	29-11-2019	आरएनजी
1395	MP2570311	केवल सिंह	अनार सिंह	राजगढ़	धतूरिया	11-05-2020	1,20,000	MP39MJ0137	मोटर साइकिल	09-03-2016	आरएनजी
1396	MP3231727	अमर सिंह	बनेसिंह	राजगढ़	धतूरिया	11-05-2020	65,000	MP39MQ3040	मोटर साइकिल	15-07-2019	आरएनजी
1397	MP2408720	बालू सिंह	बापूलाल	राजगढ़	धतूरिया	05-07-2019	1,20,000	MP39MJ5725	मोटर साइकिल	22-07-2016	आरएनजी
1398	MP3247226	भगवान सिंह	बनेसिंह	राजगढ़	धतूरिया	07-05-2020	65,000	MP39MP8538	मोटर साइकिल	03-05-2019	आरएनजी
1399	MP2405056	मुकेश	बड़े सिंह	राजगढ़	धतूरिया	05-07-2019	1,20,000	MP39AB8428	ट्रैक्टर	13-07-2017	आरएनजी
1400	MP3005710	राम चंद्र	केसर सिंह	राजगढ़	कुंडी खेड़ा	11-05-2020	1,20,000	MP39MK4857	मोटर साइकिल	12-04-2017	आरएनजी
1401	MP2263365	होकमसिंह	मांगीलाल	राजगढ़	कुंडी खेड़ा	09-07-2019	1,20,000	MP39R1223	ऑटो रिक्शा	13-03-2019	आरएनजी
1402	MP3967494	बनेसिंह	देवीलाल	राजगढ़	कुंडी खेड़ा	13-05-2020	1,20,000	MP39AB9482	ट्रैक्टर	22-08-2017	आरएनजी
1403	MP2323873	बाजेसिंह	शंकरलाल	राजगढ़	कुंडी खेड़ा	29-04-2020	1,20,000	MP39AC5731	ट्रैक्टर	14-06-2019	आरएनजी

1404	MP3005785	बाजे सिंह	रामबागस	राजगढ़	कुंडी खेड़ा	06-05-2020	1,05,000	MP39AB8605	ट्रैक्टर	26-07-2017	आरएनजी
1405	MP2171289	तुपन सिंह	कनीराम	राजगढ़	गड़िया	03-05-2020	1,20,000	MP39G3692	पिक अप वैन	09-01-2020	आरएनजी
1406	MP4499400	कालूलाल	खानीराम	राजगढ़	शिवपुरा	18-11-2020	25,000	MP39MT3555	मोटर साइकिल	23-09-2020	आरएनजी
1407	MP5209192	राम रतन	अनार सिंह	राजगढ़	केर खेड़ी	31-12-2020		MP39BB1093	निजी उपयोग के लिए ओमनी बस	16-08-2017	आरएनजी
1408	MP2713020	महेंद्र सिंह	सुजान सिंह	राजगढ़	गुल खेड़ी	24-06-2019	1,20,000	MP39MP7633	मोटर साइकिल	08-04-2019	आरएनजी
1409	MP5343940	राजेश कुमार	प्रभुलाल	राजगढ़	गोरधनपुरा	10-12-2020		MP39MQ4925	मोटर साइकिल	17-07-2019	आरएनजी
1410	MP3581258	मदन लाल	नत्थूलाल	राजगढ़	कहार खेड़ा	07-07-2019	1,20,000	MP39MQ1696	मोटर साइकिल	07-06-2019	आरएनजी
1411	MP4398028	हेमराज	रतन लाल	राजगढ़	खरपा	04-09-2018	1,20,000	MP39MM9617	मोटर साइकिल	07-06-2018	आरएनजी
1412	MP3765428	बालूसिंह	भेरूसिंह	राजगढ़	कुमदी	27-07-2019	1,20,000	MP39AB8513	ट्रैक्टर	13-07-2017	आरएनजी
1413	MP3152688	भागचंद	रूपाजी	राजगढ़	रामगढ़	02-05-2018	1,20,000	MP39MM5730	मोटर साइकिल	28-03-2018	आरएनजी
1414	MP1973876	दरियाव सिंह सिसोधजिया	कालू सिंह	राजगढ़	लसूड़िया खेरज	05-07-2019	1,20,000	MP39MP3407	मोटर साइकिल	29-01-2019	आरएनजी
1415	MP3219180	बाजे सिंह	शिव सिंह	राजगढ़	लसूड़िया खेरज	28-04-2020	1,20,000	MP39MK6014	मोटर साइकिल	18-04-2017	आरएनजी

1416	MP2742125	विष्णु सिंह	इंद्र सिंह	राजगढ़	चमार खेड़ा	28-06-2019	1,20,000	MP39MN3532	मोटर साइकिल	24-08-2018	आरएनजी
1417	MP3656260	बाल चंद	नारायण सिंह	राजगढ़	मल्हारपूरा	23-05-2020	1,20,000	MP39MQ1615	मोटर साइकिल	04-06-2019	आरएनजी
1418	MP2208399	दीवान सिंह	रोशन सिंह	राजगढ़	मुकुंदपुरा	25-06-2019	1,20,000	MP39MQ1632	मोटर साइकिल	04-06-2019	आरएनजी
1419	MP2201249	भवन सिंह	चैन सिंह	राजगढ़	मुकुंदपुरा	03-03-2018	1,20,000	MP39ML6544	मोटर साइकिल	05-10-2017	आरएनजी
1420	MP3801262	बालसिंह	मांगीलाल	राजगढ़	मुकुंदपुरा	07-03-2018	1,20,000	MP39AC1578	ट्रैक्टर	15-02-2018	आरएनजी
1421	MP4619582	मनोहर सिंह	करन सिंह	राजगढ़	नंदनी	19-11-2020	25,000	MP39MP4964	मोटर साइकिल	22-02-2019	आरएनजी
1422	MP3523195	पुरी लाल	बापू लाल	राजगढ़	पीपलिया बिजारी	22-06-2019	1,20,000	MP39ML5298	मोटर साइकिल	12-09-2017	आरएनजी
1423	MP2764503	रामप्रसाद	रामेश्वर	राजगढ़	पीपल्या कुलमी	02-05-2020	1,20,000	MP39MR3463	मोटर साइकिल	03-12-2019	आरएनजी
1424	MP2847271	भगवान सिंह	शिव सिंह	राजगढ़	पोल खेड़ा	28-04-2020	1,20,000	MP39MK4679	मोटर साइकिल	12-04-2017	आरएनजी
1425	MP1730802	श्री लाल परिहार	कालू सिंह परिहार	राजगढ़	राजाहेड़ी	03-03-2018	1,20,000	MP39MJ2862	मोटर साइकिल	27-05-2016	आरएनजी
1426	MP3816068	मोहन सिंह	देवी सिंह	राजगढ़	राजपुरा	06-05-2020	1,05,000	MP39MN7345	मोटर साइकिल	01-11-2018	आरएनजी
1427	MP3628830	सीता राम	राम गोपाल	राजगढ़	राजपुरा	01-05-2020	1,20,000	MP39AC2741	ट्रैक्टर	09-08-2018	आरएनजी
1428	MP3962424	गोपाल सिंह	दुले सिंह	राजगढ़	रामनगर	29-04-2020	1,20,000	MP39MQ5234	मोटर साइकिल	23-07-2019	आरएनजी
1429	MP2982455	भगवान सिंह	अनार सिंह	राजगढ़	लक्ष्मणपुरा	04-07-2019	1,20,000	MP39MK9655	मोटर साइकिल	06-09-2017	आरएनजी

1430	MP2309532	रवि सिंह	धुल जी	राजगढ़	लक्ष्मणपुरा	11-04-2018	1,20,000	MP39MJ3684	मोटर साइकिल	09-06-2016	आरएनजी
1431	MP2940582	वीरम सिंह	प्रशु लाल	राजगढ़	लक्ष्मणपुरा	04-07-2019	1,20,000	MP39G3177	पिक अप वैन	31-01-2019	आरएनजी
1432	MP3010900	गोकुल	भागचंद	राजगढ़	सदलपुर	30-04-2020	1,20,000	MP39MM9772	मोटर साइकिल	11-06-2018	आरएनजी
1433	MP5568646	रोडसिंह	बापूलाल	राजगढ़	सूरजपुरा	18-11-2020		MP39MK1335	मोटर साइकिल	14-03-2017	आरएनजी
1434	MP1648133	मांगीलाल	बलराम	राजगढ़	सूरजपुरा	29-05-2020	65,000	MP39MS8839	मोटर साइकिल	31-03-2020	आरएनजी
1435	MP2237282	सुल्तान सिंह	पर्वत सिंह	राजगढ़	गोरधनपुरा	25-05-2018	1,20,000	MP39AB8298	ट्रैक्टर	12-07-2017	आरएनजी
1436	MP3960025	नारायण सिंह	हरि सिंह	राजगढ़	तमोलिया	13-05-2020	1,20,000	MP39ML5377	मोटर साइकिल	12-09-2017	आरएनजी
1437	MP3989905	मदनसिंह	नानूराम	राजगढ़	तमोलिया	13-05-2020	1,20,000	MP39AB7260	ट्रैक्टर	09-03-2017	आरएनजी
1438	MP2489672	बीरम सिंह	कालू सिंह	राजगढ़	तमोलिया	02-05-2020	1,20,000	MP39AC8382	ट्रैक्टर	12-03-2020	आरएनजी
1439	MP3124753	निहाल सिंह	रतनलाल	राजगढ़	टपरिया खेड़ी	07-05-2020	1,20,000	MP39G2818	पिक अप वैन	27-03-2018	आरएनजी
1440	MP2345764	राधेश्याम	पर्वत सिंह	राजगढ़	किशनपुरा	08-05-2018	1,20,000	MP39AB9332	ट्रैक्टर	10-08-2017	आरएनजी
1441	MP3872459	नारायण सिंह	गंगाराम	राजगढ़	उचावाड़ा	29-04-2020	1,20,000	MP39AC1075	ट्रैक्टर	03-01-2018	आरएनजी
1442	MP3869981	किशन लाल	राम सिंह	रतलाम	अंक्य कलां	02-07-2018	1,20,000	MP43AB6176	ट्रैक्टर	01-07-2016	एन/ए
1443	MP1828055	तेज सिंह	चन सिंह	रतलाम	चार खेड़ी	05-04-2017	1,20,000	MP43DV3015	मोटर साइकिल	04-11-2016	एन/ए

1444	MP3094021	सविर खान	सत्तार खान	रतलाम	नारायणगढ़	13-06-2019	1,20,000	MP43DY9872	मोटर साइकिल	19-12-2017	एन/ए
1445	MP3950930	दशरथ शर्मा	प्रभुलाल जी	रतलाम	बरखेड़ा खुर्द	15-07-2019	1,20,000	MP43EC7150	मोटर साइकिल	28-03-2019	एन/ए
1446	MP3270883	शंकर सिंह	रतन सिंह	रतलाम	बरखेड़ा खुर्द	04-07-2019	1,20,000	MP43AB9477	ट्रैक्टर	07-10-2017	एन/ए
1447	MP4646774	भरत सिंह	सरतन सिंह	रतलाम	भोजा खेड़ी	27-10-2020		MP43EF3017	मोटर साइकिल	15-01-2020	एन/ए
1448	MP5114655	अशोक सिंह	तेज सिंह	रतलाम	भोजा खेड़ी	17-10-2020		MP43AC1413	ट्रैक्टर	03-08-2018	एन/ए
1449	MP4640219	देवी सिंह	सरतन सिंह	रतलाम	भोजा खेड़ी	24-11-2020		MP43AC0181	ट्रैक्टर	21-12-2017	एन/ए
1450	MP3952281	भेरू सिंह	सरदार सिंह	रतलाम	भोजा खेड़ी	14-06-2019	1,20,000	MP43AC2238	ट्रैक्टर	15-01-2019	एन/ए
1451	MP3970715	शंभू लाल	कैशुराम	रतलाम	भूटिया	31-03-2018	1,20,000	MP43AB7854	ट्रैक्टर	11-01-2017	एन/ए
1452	MP2544866	रुमनाथ	भग्गा जी	रतलाम	बोर खेड़ी (आलोट)	02-05-2018	1,20,000	MP43AB9397	ट्रैक्टर	22-09-2017	एन/ए
1453	MP2345929	मोहन नाथ	माला नाथ	रतलाम	लंगर खेड़ी	17-02-2017	1,20,000	MP43DV8632	मोटर साइकिल	24-10-2016	एन/ए
1454	MP3612453	शीतल सिंह	धुइल सिंह	रतलाम	दूधिया	03-03-2018	1,20,000	MP43DW3247	मोटर साइकिल	26-12-2016	एन/ए
1455	MP5689983	शंकर सिंह	हिन्दू सिंह	रतलाम	गोयल	16-10-2020		MP43DZ7175	मोटर साइकिल	14-04-2018	एन/ए
1456	MP4848136	आनंदीलाल शर्मा	शंकरलाल	रतलाम	दूधावती	14-10-2020		MP43DZ1424	मोटर साइकिल	11-01-2018	एन/ए
1457	MP4208407	विजय सिंह	राम सिंह	रतलाम	दूधावती	16-10-2020		MP43AB9987	ट्रैक्टर	25-11-2017	एन/ए

1458	MP4201912	ईश्वर सिंह	बापू सिंह	रतलाम	दूधावती	17-10-2020	25,000	MP43AB6472	ट्रैक्टर	13-10-2016	एन/ए
1459	MP4298009	मेहरबान सिंह	गुमान सिंह	रतलाम	गुरादिया	03-11-2020		MP43G2805	पिक अप वैन	26-04-2016	एन/ए
1460	MP3751814	पुर सिंह	राम सिंह	रतलाम	बेटी खेड़ी	22-06-2019	1,20,000	MP43AB7804	ट्रैक्टर	03-01-2017	एन/ए
1461	MP5155331	बापूलाल	कालूराम	रतलाम	इसमपुर	31-07-2020	65,000	MP43EB2668	मोटर साइकिल	21-02-2019	एन/ए
1462	MP4576563	रूप सिंह	सरदार सिंह	रतलाम	इसमपुर	19-10-2020	25,000	MP43DY9921	मोटर साइकिल	26-12-2017	एन/ए
1463	MP1812426	प्रताप सिंह	चंदर सिंह	रतलाम	सारंगा खेड़ा	03-04-2018	1,20,000	MP43DX3002	मोटर साइकिल	15-05-2017	एन/ए
1464	MP3574545	मोहन लाल	देवा जी	रतलाम	धपना	10-04-2018	1,20,000	MP43DU3688	मोटर साइकिल	27-01-2016	एन/ए
1465	MP4925794	सोदान सिंह	बलवंत सिंह	रतलाम	कलसिया	21-10-2020		MP43DZ9699	मोटर साइकिल	04-05-2018	एन/ए
1466	MP5689051	बने सिंह	नैन सिंह	रतलाम	कलसिया	01-12-2020		MP43AB7825	ट्रैक्टर	03-01-2017	एन/ए
1467	MP3619813	बापू सिंह	लक्ष्मण सिंह	रतलाम	बाजपुर	22-06-2019	1,20,000	MP43DW2702	मोटर साइकिल	06-12-2016	एन/ए
1468	MP3607049	उमराव सिंह	गोकुल सिंह	रतलाम	बाजपुर	22-06-2019	1,20,000	MP43AB9705	ट्रैक्टर	28-10-2017	एन/ए
1469	MP2362689	राधू सिंह	कान सिंह	रतलाम	नापा खेड़ा	14-03-2018	1,20,000	MP43DU4896	मोटर साइकिल	24-02-2016	एन/ए
1470	MP5494981	शंकर लाल	जगन्नाथ	रतलाम	करवा खेड़ी	03-11-2020	25,000	MP43DX7298	मोटर साइकिल	21-07-2017	एन/ए
1471	MP3931859	गोपाल सिंह	शंभुसिंह	रतलाम	केलूखेड़ा	10-04-2018	1,20,000	MP43DY2030	मोटर साइकिल	26-09-2017	एन/ए

1472	MP5125684	राम सिंह	उमराव सिंह	रतलाम	भावगढ़	27-10-2020	25,000	MP43AB5594	ट्रैक्टर	02-03-2016	एन/ए
1473	MP5611153	गोपाल सिंह	शंभु सिंह	रतलाम	खारवा कलां	17-10-2020	25,000	MP43DW8150	मोटर साइकिल	27-02-2017	एन/ए
1474	MP3106516	किशोर सिंह	प्रहलाद सिंह	रतलाम	नकटवाड़ा	02-05-2018	1,20,000	MP43DV9155	मोटर साइकिल	26-10-2016	एन/ए
1475	MP1887048	नरू नाथ	राम नाथ	रतलाम	लूनी	17-05-2018	1,20,000	MP43DU4277	मोटर साइकिल	10-02-2016	एन/ए
1476	MP3900977	बदर सिंह	राम सिंह	रतलाम	माधोपुर	03-07-2019	1,20,000	MP43AB7086	ट्रैक्टर	23-11-2016	एन/ए
1477	MP3947552	नारायण सिंह	उमराव सिंह	रतलाम	माल्या (ताल))	22-06-2019	1,20,000	MP43EC1045	मोटर साइकिल	01-01-2019	एन/ए
1478	MP3912592	नत्थूलाल	सत्यनारायण	रतलाम	माल्या (ताल))	14-06-2019	1,20,000	MP43EB1358	मोटर साइकिल	24-09-2018	एन/ए
1479	MP3299281	उमराव सिंह	कारू सिंह	रतलाम	मंडावल	03-04-2018	1,20,000	MP43DX4958	मोटर साइकिल	12-07-2017	एन/ए
1480	MP5590868	नवाज	लाल खान	रतलाम	नीग्रोन	27-01-2021		MP43EA6120	मोटर साइकिल	25-07-2018	एन/ए उपलब्ध नहीं
1481	MP5702689	तेज सिंह	रूप सिंह	रतलाम	नीग्रोन	10-12-2020		MP43AB7892	ट्रैक्टर	20-01-2017	एन/ए
1482	MP3929318	सरफराज खान	हुसैन खान	रतलाम	नीग्रोन	10-04-2018	1,20,000	MP43BD2372	निजी उपयोग के लिए ओमनी बस	17-02-2016	एन/ए
1483	MP5570590	भरत सिंह	राम सिंह	रतलाम	नीग्रोन	25-11-2020		MP43DZ2156	मोटर साइकिल	11-01-2018	एन/ए

1484	MP5526487	करन सिंह	रघुनाथ सिंह	रतलाम	ददिया खेड़ा	24-11-2020		MP43AB5407	ट्रैक्टर	09-03-2016	एन/ए
1485	MP4504612	बगदीराम	नंदा जी	रतलाम	पाटन	28-04-2020	1,20,000	MP43AB8592	ट्रैक्टर	19-06-2017	एन/ए
1486	MP1924502	बापूलाल	बगदीराम	रतलाम	पाटन	12-01-2017	1,05,000	MP43AB7819	ट्रैक्टर	03-01-2017	एन/ए
1487	MP2285993	रामचंद्र	कचरू लाल	रतलाम	पिपल्या सिसोदिया	07-07-2019	1,20,000	MP43DX9837	मोटर साइकिल	25-08-2017	एन/ए
1488	MP3405759	बन्ने सिंह	भेरूसिंह	रतलाम	पिपल्या मारू	01-12-2020		MP43EF4119	मोटर साइकिल	19-03-2020	एन/ए
1489	MP5627792	वीरम लाल	मधु जी	रतलाम	अलखेड़ा	29-04-2020	1,20,000	MP43EF5048	मोटर साइकिल	07-03-2020	एन/ए
1490	MP3969345	शंभू लाल	शंकर लाल	रतलाम	अलखेड़ा	17-05-2017	1,20,000	MP43DV2911	मोटर साइकिल	05-07-2016	एन/ए
1491	MP5393090	भोपाल सिंह	बापू सिंह	रतलाम	रणयरा	17-10-2020		MP43AB4806	ट्रैक्टर	29-01-2016	एन/ए
1492	MP3283885	भारूलाल	रामचंद्र	रतलाम	सेमलिया	21-06-2019	1,20,000	MP43AB6842	ट्रैक्टर	10-10-2016	एन/ए
1493	MP4702065	नागा सिंह	मधु सिंह	रतलाम	शेरपुर खुर्द	27-10-2020		MP43AB7011	ट्रैक्टर	02-11-2016	एन/ए
1494	MP5589476	बालू सिंह	रायसिंह	रतलाम	हनुमंत्य	19-10-2020		MP43G4167	लोडर	19-02-2020	एन/ए
1495	MP1966067	राजेन्द्र सिंह	मनोहर सिंह	रतलाम	शिसाखेड़ी	01-12-2020		MP43EG8332	मोटर साइकिल	06-10-2020	एन/ए
1496	MP4337506	बदर सिंह	राम सिंह	रतलाम	ताजखेड़ा	28-04-2020	1,20,000	MP43DU9885	मोपेड	10-05-2016	एन/ए
1497	MP2707395	भरत लाल प्रजापत	शोभाराम	रतलाम	तलोद	01-04-2018	1,20,000	MP43DY8190	मोटर साइकिल	06-12-2017	एन/ए

1498	MP3875846	बदरी लाल	हिंदू	रतलाम	तलोद	29-06-2019	1,20,000	MP43DU8737	मोटर साइकिल	28-04-2016	एन/ए
1499	MP5206341	नाथू झोडिया	देवजी	रतलाम	अमरपुरा कलां	25-05-2020	1,20,000	MP43EC9618	मोटर साइकिल	23-05-2019	स्वीकार्य
1500	MP5578855	सप्पू	रतना	रतलाम	अमरपुरा कलां	09-10-2020		MP43EA6507	मोटर साइकिल	27-07-2018	आरएनजी
1501	MP3409475	दमना कटारा	सोहन	रतलाम	पौनबट्टा	09-07-2018	1,20,000	MP43DX0955	मोटर साइकिल	24-04-2017	स्वीकार्य
1502	MP3324895	धूलिया	जला	रतलाम	बाजना	11-03-2018	1,20,000	MP43AB9557	ट्रैक्टर	15-12-2017	स्वीकार्य
1503	MP3561075	सुरपाल	सकुदा	रतलाम	बजरंगगढ़	03-05-2020	25,000	MP43EC0663	मोटर साइकिल	18-12-2018	स्वीकार्य
1504	MP3931652	भांजी	जीवला	रतलाम	बजरंगगढ़	10-07-2019	1,20,000	MP43AC1361	ट्रैक्टर	26-07-2018	स्वीकार्य
1505	MP3634492	नारू	कालू	रतलाम	बजरंगगढ़	13-09-2019	1,20,000	MP43G3572	पिक अप वैन	01-09-2018	स्वीकार्य
1506	MP2934621	तोलिया	उकार	रतलाम	बरखेड़ा	06-05-2020	65,000	MP43DZ0687	मोटर साइकिल	02-01-2018	स्वीकार्य
1507	MP2539124	तोलु	उंकार	रतलाम	बरखेड़ा	27-04-2020	1,20,000	MP43EB3845	मोटर साइकिल	27-10-2018	स्वीकार्य
1508	MP2861355	लक्ष्मण	कचारू	रतलाम	भादन कलां	22-06-2019	1,20,000	MP43EC9496	मोटर साइकिल	29-04-2019	स्वीकार्य
1509	MP2788095	कमल	कालू	रतलाम	भादन कलां	31-03-2018	1,20,000	MP43AB7546	ट्रैक्टर	31-12-2016	स्वीकार्य
1510	MP3844945	रामचंद	नारजी	रतलाम	जम्बू वनिया	14-03-2018	1,20,000	MP43DU3034	मोटर साइकिल	21-01-2016	स्वीकार्य
1511	MP4940039	वाग्जी मैदा	डाहलिंग	रतलाम	अमलिया मल	09-10-2020		MP43DZ1778	मोटर साइकिल	10-01-2018	स्वीकार्य

1512	MP3782251	रमेश निनामा	नारू	रतलाम	अमलिया मल	14-05-2018	1,20,000	MP43DW6175	मोटर साइकिल	30-12-2016	स्वीकार्य
1513	MP4488447	गवजी निनामा	कालू	रतलाम	अमलिया मल	09-10-2020	25,000	MP43DZ0727	मोटर साइकिल	02-01-2018	स्वीकार्य
1514	MP3433572	पुना मैदा	रत्ना	रतलाम	अमलिया मल	02-05-2020	25,000	MP43EF5641	मोटर साइकिल	29-04-2020	स्वीकार्य
1515	MP1660001	डाकू	प्रभु	रतलाम	भूतपदा	10-03-2018	1,20,000	MP43DU7334	मोटर साइकिल	02-04-2016	स्वीकार्य
1516	MP1688501	नाकु	खाटू	रतलाम	भूतपदा	31-03-2018	1,20,000	MP43DW9492	मोटर साइकिल	01-04-2017	स्वीकार्य
1517	MP1660105	अंतर कटारा	मंगु	रतलाम	कुपड़ा छत्री	07-03-2018	1,20,000	MP43DX4581	मोटर साइकिल	27-05-2017	स्वीकार्य
1518	MP2637573	लक्ष्मण	धारजी	रतलाम	रहत कुआ	31-03-2018	1,20,000	MP43AB7541	ट्रैक्टर	24-12-2016	स्वीकार्य
1519	MP3189412	लालू वसुनिया	नागजी वसुनिया	रतलाम	तलाई खेड़ा	31-03-2018	1,20,000	MP43DZ1570	मोटर साइकिल	10-01-2018	स्वीकार्य
1520	MP2632247	ईश्वरलाल भूरिया	जवरिया भूरिया	रतलाम	बिलादि	07-05-2020	1,20,000	MP43EE8677	मोटर साइकिल	03-01-2020	स्वीकार्य
1521	MP2721268	गोपी परमार	हेमराज	रतलाम	बिलादि	06-07-2019	1,20,000	MP43DW4737	मोटर साइकिल	03-01-2017	स्वीकार्य
1522	MP2983650	रमेश डाबी	बिजल डाबी	रतलाम	मोरिया	31-03-2018	1,20,000	MP43DZ3251	मोटर साइकिल	09-02-2018	स्वीकार्य
1523	MP4803795	गलिया दोडियार	गोतम	रतलाम	झामलपाड़ा	20-05-2020	25,000	MP43DX3004	मोटर साइकिल	15-05-2017	स्वीकार्य
1524	MP1701051	कालू	हुकिया	रतलाम	छावनी झोडिया	02-05-2020	1,20,000	MP43EF4687	मोटर साइकिल	20-02-2020	स्वीकार्य
1525	MP2287485	राजू	जालू	रतलाम	छावनी झोडिया	07-07-2019	1,20,000	MP43EA3344	मोटर साइकिल	26-05-2018	स्वीकार्य

1526	MP1898709	शम्भू	वालू	रतलाम	चिकनी	25-04-2020	1,20,000	MP43DZ0721	मोटर साइकिल	02-01-2018	स्वीकार्य
1527	MP3534437	हुरचंद्र झोडिया	हकरू	रतलाम	चिकना	07-09-2019	1,20,000	MP43EA3068	मोटर साइकिल	26-05-2018	स्वीकार्य
1528	MP1997964	नानूराम	मदन	रतलाम	हलीवाड़ा चरपोटा	31-03-2018	1,20,000	MP43DY1381	मोटर साइकिल	18-09-2017	स्वीकार्य
1529	MP5046594	रमेश गामड	डेलजी	रतलाम	मेघला खली	25-05-2020	1,05,000	MP43DX9943	मोटर साइकिल	04-09-2017	स्वीकार्य
1530	MP2185993	नान जी मैदा	वेस्टा	रतलाम	गडिकातरा कलां	02-07-2019	1,20,000	MP43EB3712	मोटर साइकिल	27-10-2018	स्वीकार्य
1531	MP3121934	कांटू	खीमा	रतलाम	बगाली	17-07-2019	1,20,000	MP43AB5652	ट्रैक्टर	11-03-2016	स्वीकार्य
1532	MP3834349	रमेश	दल्लू	रतलाम	घोड़ा खेड़ा	10-04-2018	1,20,000	MP43DZ2725	मोटर साइकिल	23-01-2018	स्वीकार्य
1533	MP3631081	हम जी	वेशा	रतलाम	रामपुरिया	23-04-2018	1,20,000	MP43DY1715	मोटर साइकिल	22-09-2017	स्वीकार्य
1534	MP3500937	भूराजी	कामाजी	रतलाम	रामपुरिया	31-08-2019	1,05,000	MP43DX7457	मोटर साइकिल	14-07-2017	स्वीकार्य
1535	MP5295887	रमेश गढ़वाल	जालू गढ़वाल	रतलाम	हरथल	20-05-2020	1,20,000	MP43DX9331	मोटर साइकिल	19-08-2017	स्वीकार्य
1536	MP3960633	नाथू खराड़ी	तहजीग खराड़ी	रतलाम	हेवड़ाडामर कलां	10-07-2019	1,05,000	MP43AB6301	ट्रॉली	26-07-2016	स्वीकार्य
1537	MP2536301	छगन	उंकार	रतलाम	खीरपुर	02-07-2018	1,20,000	MP43DU5385	मोटर साइकिल	05-03-2016	स्वीकार्य
1538	MP2536775	रूपा	फटिया	रतलाम	खीरपुर	07-07-2019	1,20,000	MP43DW2874	मोटर साइकिल	16-12-2016	स्वीकार्य
1539	MP3287713	शंकर लाल	बडिया	रतलाम	सेरा	17-07-2019	1,20,000	MP43DU8953	मोटर साइकिल	29-04-2016	स्वीकार्य

1540	MP3554923	वागजी	खुमा	रतलाम	लालपुरा	29-07-2019	25,000	MP43DZ3896	मोटर साइकिल	20-02-2018	स्वीकार्य
1541	MP3199623	गोतम	रामा	रतलाम	छावनी कनवा	13-09-2019	1,20,000	MP43EA6540	मोटर साइकिल	19-07-2018	स्वीकार्य
1542	MP2062210	हालु	मन्नू	रतलाम	जम्बू खानदान	30-03-2018	1,20,000	MP43DV6721	मोटर साइकिल	23-09-2016	स्वीकार्य
1543	MP3514626	छगन	वक्ता	रतलाम	कगली खोरा	10-04-2018	1,20,000	MP43DW8573	मोटर साइकिल	20-03-2017	स्वीकार्य
1544	MP5525586	गोतम	चतारा	रतलाम	रूपपुरा	09-10-2020		MP43DW5144	मोटर साइकिल	03-01-2017	स्वीकार्य
1545	MP3582267	तोलाराम	मोगाजी	रतलाम	हलीवाड़ा भगोरा	23-04-2018	1,20,000	MP43DX2633	मोटर साइकिल	09-05-2017	स्वीकार्य
1546	MP3550770	शंकरलाल भगोरा	कांटू	रतलाम	हलीवाड़ा भगोरा	14-03-2018	1,20,000	MP43DX2616	मोटर साइकिल	09-05-2017	स्वीकार्य
1547	MP3970092	हकरू	नाथू	रतलाम	लुखीपाड़ा	31-08-2019	65,000	MP43EB3284	मोटर साइकिल	18-10-2018	स्वीकार्य
1548	MP2999138	रमेश	डोला	रतलाम	लुखीपाड़ा	10-04-2018	1,20,000	MP43DU4584	मोटर साइकिल	17-02-2016	स्वीकार्य
1549	MP1658678	पंकज दिन्दौर	बरजी दिनौर	रतलाम	अमरपुरा खुर्द	15-05-2020	1,05,000	MP43EF4763	मोटर साइकिल	29-04-2020	स्वीकार्य
1550	MP1687639	मांगीलाल दिनदौर	रामा	रतलाम	अमरपुरा खुर्द	06-07-2019	1,20,000	MP43DW9497	मोटर साइकिल	01-04-2017	स्वीकार्य
1551	MP4235086	रमेश मुनिया	थावरा मुनिया	रतलाम	खेड़ी (बजरंगगढ़)	21-10-2020		MP43DV2001	मोटर साइकिल	27-06-2016	स्वीकार्य
1552	MP5109392	विराजी डाबी	वालिया	रतलाम	खेड़ी (बजरंगगढ़)	20-05-2020	65,000	MP43DX9885	मोटर साइकिल	04-09-2017	स्वीकार्य
1553	MP3571676	लक्ष्मण मुनिया	दित्या जी	रतलाम	खेड़ी (बजरंगगढ़)	05-04-2017	1,20,000	MP43AB7429	ट्रैक्टर	23-12-2016	स्वीकार्य

1554	MP5131347	नारू मुनिया	शम्भू	रतलाम	खेड़ी (बजरंगगढ़)	21-10-2020		MP43ED3854	मोटर साइकिल	05-07-2019	आरएनजी
1555	MP3016175	सज्जन पारगी	रणजी	रतलाम	खेरदा	07-07-2019	1,20,000	MP43EC8696	मोटर साइकिल	14-05-2019	स्वीकार्य
1556	MP3431565	कांति लाल	रामा	रतलाम	मझोदिया	07-07-2019	1,20,000	MP43EB8694	मोटर साइकिल	03-01-2019	स्वीकार्य
1557	MP3772733	रमेश	परतु	रतलाम	मझोदिया	22-06-2019	1,20,000	MP43EB9671	मोटर साइकिल	08-01-2019	स्वीकार्य
1558	MP1498452	नारायण	बलवंत सिंह	रतलाम	कुंदनपुर	14-03-2018	1,20,000	MP43DZ0635	मोटर साइकिल	02-01-2018	स्वीकार्य
1559	MP2609182	रामचंद्र डोडियार	रंग जी	रतलाम	कुंदनपुर	15-07-2019	1,20,000	MP43AC1195	ट्रैक्टर	22-06-2018	स्वीकार्य
1560	MP5714800	देवीलाल	धूलिया	रतलाम	हांडीखोरा	19-10-2020	25,000	MP43DZ9371	मोटर साइकिल	14-04-2018	स्वीकार्य
1561	MP2657539	गणेश	थवारा	रतलाम	नाहरपुरा	08-05-2020	1,05,000	MP43AB7430	ट्रैक्टर	23-12-2016	स्वीकार्य
1562	MP2653180	रक्मा	हुकिया	रतलाम	चंद्रगढ़ मल	07-07-2019	1,20,000	MP43EC3929	मोटर साइकिल	05-02-2019	स्वीकार्य
1563	MP2016847	राजू	विराजी	रतलाम	चंद्रगढ़ मल	08-05-2017	1,20,000	MP43DW7187	मोटर साइकिल	22-02-2017	स्वीकार्य
1564	MP1865573	रोशनलाल	अमर सिंह	रतलाम	रायपाड़ा	04-07-2019	1,20,000	MP43DV5932	मोटर साइकिल	30-08-2016	स्वीकार्य
1565	MP3832875	बापुरम डोडियार	रायचंद	रतलाम	रायपाड़ा	15-07-2019	1,20,000	MP43DU8627	मोटर साइकिल	29-04-2016	स्वीकार्य
1566	MP5487844	रमेश डोडियार	बदर	रतलाम	रायपाड़ा	09-10-2020		MP43EA8532	मोटर साइकिल	21-08-2018	स्वीकार्य
1567	MP3832853	मोहन तवीयार	भेरिया	रतलाम	रायपाड़ा	02-05-2020	1,20,000	MP43DZ6944	मोटर साइकिल	04-04-2018	स्वीकार्य

1568	MP2016950	कालू	मंगु	रतलाम	देवीपाडा	07-08-2019	1,20,000	MP43EC0936	मोटर साइकिल	01-01-2019	स्वीकार्य
1569	MP1550812	नानूराम झोडिया	हीरजी	रतलाम	पडलिया घाटा	03-09-2019	1,20,000	MP43ED6731	मोटर साइकिल	05-08-2019	स्वीकार्य
1570	MP2819261	गोतम झाड़िया	कालू	रतलाम	पडलिया घाटा	06-07-2019	1,20,000	MP43AC0521	ट्रैक्टर	05-02-2018	स्वीकार्य
1571	MP2622668	कालू	जीवन	रतलाम	राजापुरा	06-05-2020	65,000	MP43EC2262	मोटर साइकिल	16-01-2019	स्वीकार्य
1572	MP2660523	लालू डामौर	पंजा	रतलाम	राजपुरा	15-07-2019	1,20,000	MP43EA3149	मोटर साइकिल	26-05-2018	स्वीकार्य
1573	MP3221650	बदरू	गावजी	रतलाम	डूंगरा मुनिया	15-05-2018	1,20,000	MP43DW4160	मोटर साइकिल	28-12-2016	स्वीकार्य
1574	MP2828408	लखन सिंह	रामा	रतलाम	रतनगढ़ पीठ	27-07-2019	1,20,000	MP43EC5430	मोटर साइकिल	08-03-2019	स्वीकार्य
1575	MP2900180	कैलाश	कालू	रतलाम	संदला	03-05-2020	65,000	MP43DZ9218	मोटर साइकिल	14-04-2018	स्वीकार्य
1576	MP3150406	बापू भाबर	रत्ना भाभर	रतलाम	संदला	05-05-2020	1,20,000	MP43EC3058	मोटर साइकिल	21-02-2019	स्वीकार्य
1577	MP1759401	गणेश चारेल	कलजी	रतलाम	संदला	04-09-2019	25,000	MP43DX8723	मोटर साइकिल	17-08-2017	स्वीकार्य
1578	MP1815522	दिनेश चारेल	केसरीमल	रतलाम	संदला	15-05-2018	1,20,000	MP43DX6552	मोटर साइकिल	28-06-2017	आरएनजी
1579	MP1753567	भर्टू चारेल	हीरा	रतलाम	संदला	26-06-2019	1,20,000	MP43DZ4531	मोटर साइकिल	19-02-2018	आरएनजी
1580	MP4710309	नारायण	जीवना	रतलाम	सेलेकदेवदा	13-10-2020	25,000	MP43EE8573	मोटर साइकिल	03-01-2020	स्वीकार्य
1581	MP4818109	गलिया	भावजी	रतलाम	सेलेकमैडा	21-10-2020		MP43DV3310	मोटर साइकिल	22-07-2016	स्वीकार्य

1582	MP4726138	मूर्तिलाल मैदा	लालचंद	रतलाम	कोठारिया	19-10-2020	25,000	MP43EB9846	मोटर साइकिल	04-01-2019	स्वीकार्य
1583	MP3356877	गणपत सिंह	उंकार सिंह	रतलाम	नंदावता	29-03-2018	1,20,000	MP43DV8789	मोटर साइकिल	26-10-2016	एन/ए
1584	MP4188694	गेंदालाल डिंडोर	नंदा जी	रतलाम	भैसाना	19-10-2020	25,000	MP43DY4208	मोटर साइकिल	31-10-2017	एन/ए
1585	MP3911771	प्रेम चंद्र	नंद राम	रतलाम	भैसाना	05-03-2018	1,20,000	MP43DX4991	मोटर साइकिल	20-06-2017	एन/ए
1586	MP5613851	लाल सिंह	पौर सिंह	रतलाम	भुट्टा खेड़ी	29-10-2020	25,000	MP43DZ1126	मोटर साइकिल	02-01-2018	एन/ए
1587	MP4765597	नेपाल सिंह	रतन सिंह	रतलाम	भुट्टा खेड़ी	02-11-2020	25,000	MP43DZ5939	मोटर साइकिल	15-03-2018	एन/ए
1588	MP3488340	गोविंद सिंह	रामसिंह	रतलाम	बिनोली	11-03-2018	1,20,000	MP43DW7033	मोटर साइकिल	25-01-2017	एन/ए
1589	MP5491075	बाला राम	केशुराम	रतलाम	गोंडी शंकर	29-10-2020	25,000	MP43EC3350	मोटर साइकिल	18-02-2019	एन/ए
1590	MP2839567	जुझार लाल	बालाराम	रतलाम	गोंडी शंकर	23-10-2020	25,000	MP43AC0219	ट्रैक्टर	21-12-2017	एन/ए
1591	MP4604001	उदलजी	बालूजी	रतलाम	गोठड़ा	21-10-2020	25,000	MP43DU8601	मोटर साइकिल	29-04-2016	एन/ए
1592	MP4344730	बद्रीनाथ	भग्गानाथ	रतलाम	हनुमंत्य	15-05-2020	65,000	MP43DV5920	मोटर साइकिल	30-08-2016	एन/ए
1593	MP2966003	सुरेश	लक्ष्मण	रतलाम	पिपलोदी	05-05-2017	1,20,000	MP43DU7094	मोटर साइकिल	02-04-2016	एन/ए
1594	MP5673037	रामलाल	रणछोड़	रतलाम	हाटपिपल्या	15-05-2020	1,20,000	MP43AB6683	ट्रैक्टर	21-09-2016	एन/ए
1595	MP4728145	तारा चंद्रा	बाला राम	रतलाम	कलालिया (देवास)	27-04-2020	1,20,000	MP43DU6717	मोटर साइकिल	24-03-2016	एन/ए

1596	MP2882546	प्रेम सिंह	धन सिंह	रतलाम	चौकी	15-03-2017	1,20,000	MP43DU5223	मोटर साइकिल	27-02-2016	एन/ए
1597	MP5546371	दिलीप	मांगीलाल	रतलाम	मुंडला	15-05-2020	1,20,000	MP43ED5526	मोटर साइकिल	17-07-2019	एन/ए
1598	MP5273824	शेरू सिंह	किशन सिंह	रतलाम	खजुरिया	19-10-2020	25,000	MP43DY6327	मोटर साइकिल	20-11-2017	एन/ए
1599	MP3518465	शम्भू	शंकर लाल	रतलाम	हनुमंत्य	15-03-2017	1,20,000	MP43DW7462	मोटर साइकिल	22-02-2017	एन/ए
1600	MP3138606	गोपाल	मोहन लाल	रतलाम	लोद	02-03-2018	1,20,000	MP43DW5056	मोटर साइकिल	03-01-2017	एन/ए
1601	MP5627933	चांद खा	बाबू खा	रतलाम	मांडवी	23-01-2021		MP43EC4220	मोटर साइकिल	01-03-2019	एन/ए
1602	MP3079872	मदन लाल	मांगी लाल	रतलाम	मीना खेड़ा	08-03-2018	1,20,000	MP43DX6676	मोटर साइकिल	30-06-2017	एन/ए
1603	MP2927605	महबूब शाह	मकबूल शाह	रतलाम	मीना खेड़ा	24-04-2018	1,20,000	MP43DU5113	मोटर साइकिल	25-02-2016	एन/ए
1604	MP2926578	सत्तार	मुबारिक शाह	रतलाम	मीना खेड़ा	24-04-2018	1,20,000	MP43DU2691	मोटर साइकिल	15-01-2016	एन/ए
1605	MP3539739	उकरलाल	स्वरूप	रतलाम	नागपिपल्या	16-04-2018	1,20,000	MP43DV6154	मोपेड	02-09-2016	एन/ए
1606	MP5025989	धारा सिंह	राजेन्द्र सिंह	रतलाम	मुंडला राम	19-10-2020	25,000	MP43DV2163	मोटर साइकिल	27-06-2016	एन/ए
1607	MP4800019	रईस खान	कल्लू खान	रतलाम	मुंडला राम	11-05-2020	1,20,000	MP43DV9905	मोटर साइकिल	02-11-2016	एन/ए
1608	MP2243254	मनोहरलाल	रतनलाल	रतलाम	पिपलिया (जोधा)	15-03-2017	1,20,000	MP43DU6233	मोटर साइकिल	11-03-2016	एन/ए
1609	MP5713974	फंडा सिंह	गुलाब सिंह	रतलाम	तारा खेड़ी	14-10-2020	25,000	MP43DX0458	मोटर साइकिल	06-04-2017	एन/ए

1610	MP3768544	दिनेश	अंबराम	रतलाम	अक्यादेह	10-03-2018	1,20,000	MP43DY4038	मोटर साइकिल	31-10-2017	एन/ए
1611	MP3553137	केलाश	भेरू	रतलाम	अंबा	24-04-2020	65,000	MP43DW8572	मोटर साइकिल	20-03-2017	एन/ए
1612	MP3761088	भेरू लाल	नंदा जी	रतलाम	अंबा	24-04-2020	1,20,000	MP43AB8864	ट्रैक्टर	04-08-2017	एन/ए
1613	MP5587018	हीरालाल	गंगाराम	रतलाम	बछोड़िया	27-04-2020	1,20,000	MP43AB6771	ट्रैक्टर	01-10-2016	एन/ए
1614	MP5328985	सलीम शाह	इस्माइल शाह	रतलाम	बदायला चौरासी	04-05-2020	1,20,000	MP43DZ4837	मोटर साइकिल	26-02-2018	एन/ए
1615	MP1244890	भंवर सिंह	शंभू सिंह	रतलाम	चिकलाना	16-05-2017	1,20,000	MP43DU2991	मोटर साइकिल	05-02-2016	एन/ए
1616	MP2796179	दादू खान	याकुन खान	रतलाम	धतूरिया	27-01-2021		MP43EC0839	मोटर साइकिल	21-12-2018	एन/ए
1617	MP3696366	मदनसिंह	जुझार सिंह	रतलाम	धतूरिया	10-05-2018	1,20,000	MP43DW2053	मोटर साइकिल	03-12-2016	एन/ए
1618	MP5315511	चंपालाल	किशनलाल	रतलाम	धतूरिया	29-01-2021		MP43EB8848	मोटर साइकिल	18-12-2018	एन/ए
1619	MP5471446	अनार सिंह	राम सिंह	रतलाम	धतूरिया	23-10-2020	25,000	MP43AB9984	ट्रैक्टर	25-11-2017	एन/ए
1620	MP3340337	दिलीप सिंह	राम सिंह	रतलाम	कलालिया (पिपलोदा)	12-06-2019	1,20,000	MP43AB9328	ट्रैक्टर	18-09-2017	एन/ए
1621	MP2284493	शंकरलाल	नन्नूराम	रतलाम	खेड़ा(पिपलोदा)	10-05-2018	1,20,000	MP43DW3698	मोटर साइकिल	09-12-2016	एन/ए
1622	MP2189393	वकील नाथ	अमर नाथ	रतलाम	हरियाखेड़ा	01-07-2017	1,20,000	MP43DV2968	मोटर साइकिल	05-07-2016	एन/ए
1623	MP2602904	वाहिद खा	सतार खा	रतलाम	कुशलगढ़ अमेठी	02-05-2018	1,20,000	MP43AB7122	ट्रैक्टर	30-11-2016	एन/ए

1624	MP3804902	मागीलाल	शोभाराम	रतलाम	माचुन	10-03-2018	1,20,000	MP43DW4718	मोटर साइकिल	28-12-2016	एन/ए
1625	MP3699299	गोपाल	राजा राम	रतलाम	मावता	15-03-2017	1,20,000	MP43DV2784	मोटर साइकिल	01-07-2016	एन/ए
1626	MP5399520	नाहरू शा	हक़मिद शा	रतलाम	पिंडवासा	21-10-2020	25,000	MP43L1628	पिक अप वैन	28-09-2016	एन/ए
1627	MP2645856	भगत सिंह	रतन सिंह	रतलाम	सेमल खेड़ी	18-08-2017	1,20,000	MP43DU9870	मोटर साइकिल	10-05-2016	एन/ए
1628	MP5737720	प्रकाश प्रजापत	भेरूलाल	रतलाम	रियावान	21-10-2020	25,000	MP43EC0166	मोटर साइकिल	27-12-2018	एन/ए
1629	MP5711587	गजेंद्र सिंह	मोती सिंह	रतलाम	बडोदा	29-10-2020	25,000	MP43DU3229	मोटर साइकिल	21-01-2016	एन/ए
1630	MP3425181	दशरथ	नुन्द राम	रतलाम	बडोदा	01-07-2017	1,20,000	MP43DW3770	मोटर साइकिल	22-12-2016	एन/ए
1631	MP3217752	विक्रम सिंह चौहान	स्वरूप सिंह	रतलाम	शेरपुर	01-07-2017	1,20,000	MP43DV8947	मोटर साइकिल	26-10-2016	एन/ए
1632	MP3925984	शिवनारायण सिंह	शंभु सिंह	रतलाम	शेरपुर	10-03-2018	1,20,000	MP43DW8831	मोपेड	22-03-2017	एन/ए
1633	MP2838021	गोकुल	जगजी	रतलाम	बादिनल	18-06-2019	65,000	MP43AB9261	ट्रैक्टर	01-09-2017	एन/ए
1634	MP1593590	लालू	बाबू	रतलाम	सबलगढ़	18-06-2019	1,20,000	MP43DW1334	मोटर साइकिल	29-11-2016	एन/ए
1635	MP1570997	प्रकाश	सोहन	रतलाम	सबलगढ़	18-06-2019	1,20,000	MP43DZ5434	स्कूटर	27-03-2018	एन/ए
1636	MP2888805	रामलाल	हुमा	रतलाम	उम्मेदपुरा	04-04-2018	1,20,000	MP43DW3809	मोटर साइकिल	16-12-2016	एन/ए
1637	MP1145459	शांतिलाल	भगीरथ	रतलाम	दिवेल	07-01-2017	1,20,000	MP43DW5684	मोटर साइकिल	02-01-2017	एन/ए

1638	MP5104107	मोहन लाल परमार	अंबरम परमार	रतलाम	धराड़	05-05-2020	1,20,000	MP43DW5626	मोटर साइकिल	02-01-2017	एन/ए
1639	MP3953453	कांति लाल	कालू जी	रतलाम	माथुरी	06-04-2018	1,20,000	MP43DY6181	मोटर साइकिल	20-11-2017	एन/ए
1640	MP5009055	शहजाद खा	घीसे खा	रतलाम	हाथनारा	18-02-2021		MP43DY8332	मोटर साइकिल	13-12-2017	एन/ए
1641	MP4717603	रमेश	ननजी	रतलाम	जामथून	24-11-2020		MP43EC4341	मोटर साइकिल	22-02-2019	एन/ए
1642	MP4920108	संजय डाबी	डंग सिंह	रतलाम	नंदलाई	21-10-2020		MP43DW7684	मोटर साइकिल	09-02-2017	एन/ए
1643	MP5169367	दिनेश वान	बाबूवान	रतलाम	नंदलाई	29-04-2020	1,20,000	MP43EF2927	मोटर साइकिल	23-01-2020	एन/ए
1644	MP4335112	धर्मेंद्र सिंह	बापू सिंह	रतलाम	कंदरवासा	30-04-2020	1,05,000	MP43DY0235	मोटर साइकिल	06-09-2017	एन/ए
1645	MP2918622	मोहन नाथ	गुलाब नाथ	रतलाम	कर्मादी	10-03-2018	1,20,000	MP43DZ5091	मोटर साइकिल	27-02-2018	एन/ए
1646	MP4421784	तेजुनाथ	बापूनाथ	रतलाम	कर्मादी	29-04-2020	1,20,000	MP43EB1643	मोटर साइकिल	22-09-2018	एन/ए
1647	MP1132507	महेश	अंबा राम	रतलाम	खारा खेड़ी	27-12-2016	1,20,000	MP43DW1178	मोटर साइकिल	22-11-2016	एन/ए
1648	MP5666220	सुमेर सिंह	सोहन सिंह	रतलाम	मेवासा	29-10-2020		MP43EC9715	मोटर साइकिल	08-05-2019	एन/ए
1649	MP4808020	शंकर लाल	कारू	रतलाम	मेवासा	06-05-2020	1,05,000	MP43AB9133	ट्रैक्टर	08-12-2017	एन/ए
1650	MP3680133	नगुलाल बागरी	गंगाराम	रतलाम	मोर्डा	07-01-2017	1,20,000	MP43DU9376	मोटर साइकिल	05-05-2016	एन/ए
1651	MP4926492	बहादुर सिंह	प्रहलाद सिंह	रतलाम	नागरा	16-10-2020		MP43DZ4805	मोटर साइकिल	19-02-2018	एन/ए

1652	MP4021255	गुडा	थावरा	रतलाम	पलसोदी	24-11-2020		MP43ED3805	मोटर साइकिल	22-06-2019	एन/ए
1653	MP2494181	करुनाथ	अमरनाथ	रतलाम	पंछेड	11-01-2017	1,20,000	MP43DV1142	मोटर साइकिल	02-06-2016	एन/ए
1654	MP4468279	लाल सिंह	रामा	रतलाम	रामपुरिया	02-11-2020		MP43DZ1662	मोटर साइकिल	11-01-2018	एन/ए
1655	MP4100619	बापू	मंगल	रतलाम	रामपुरिया	28-10-2020		MP43EB5489	मोटर साइकिल	06-11-2018	एन/ए
1656	MP3240973	हाकम सिंह	दुले सिंह	रतलाम	घाटवास	04-05-2017	1,20,000	MP43DV0458	मोटर साइकिल	27-05-2016	एन/ए
1657	MP3858496	वीरेन्द्र सिंह	दशरथ सिंह	रतलाम	सिखेड़ी	14-03-2018	1,20,000	MP43DZ1689	मोटर साइकिल	10-01-2018	एन/ए
1658	MP2345975	सुखाराम	मनाजी	रतलाम	जनपालिया	17-04-2018	1,20,000	MP43DX4288	मोटर साइकिल	27-05-2017	स्वीकार्य
1659	MP2548672	प्रेमचंद	देवा	रतलाम	रिछखोरा	01-04-2018	1,20,000	MP43DY7584	मोटर साइकिल	28-11-2017	स्वीकार्य
1660	MP3124551	हुमला	काचरू	रतलाम	अम्बापाड़ा	12-07-2019	1,20,000	MP43AC1939	ट्रैक्टर	10-12-2018	स्वीकार्य
1661	MP2821653	शांति लाल	रामा	रतलाम	ताराघाटी	13-06-2018	1,20,000	MP43DU3289	मोटर साइकिल	27-01-2016	स्वीकार्य
1662	MP2652356	मगन	वीरजी	रतलाम	कुपड़ा	19-04-2018	1,20,000	MP43DW4024	मोटर साइकिल	28-12-2016	स्वीकार्य
1663	MP4426068	चंद्रभान सिंह भाभर	शंभु भाभर	रतलाम	बरदा	30-05-2020	25,000	MP43EB6788	मोटर साइकिल	07-12-2018	स्वीकार्य
1664	MP4328411	हेमराज भाभर	धनजी भाभर	रतलाम	ब्याटोंक	20-05-2020	1,20,000	MP43DV7923	मोटर साइकिल	13-10-2016	स्वीकार्य
1665	MP4328388	शांति लाल भाभर	अर्जुन भाभर	रतलाम	ब्याटोंक	06-06-2020	65,000	MP43DZ5895	मोटर साइकिल	16-03-2018	स्वीकार्य

1666	MP5317155	सुखराम गनावा	दल्ला गनावा	रतलाम	ब्याटोंक	20-05-2020	65,000	MP43DZ6678	स्कूटर	22-03-2018	स्वीकार्य
1667	MP2818464	बद्री	रतन	रतलाम	बावड़ी	17-05-2018	1,20,000	MP43DU5715	मोटर साइकिल	05-03-2016	स्वीकार्य
1668	MP4223655	मागू	बाबू	रतलाम	नल	27-05-2020	65,000	MP43DZ9237	मोटर साइकिल	14-04-2018	स्वीकार्य
1669	MP3421852	नानूराम	मंगु	रतलाम	जम्बूदिया	10-07-2019	65,000	MP43DU8391	मोटर साइकिल	23-04-2016	स्वीकार्य
1670	MP2547173	कमल	वगला	रतलाम	तोरी	21-06-2019	1,20,000	MP43DW9937	मोटर साइकिल	17-04-2017	स्वीकार्य
1671	MP2547362	कांतिलाल	कामाजी	रतलाम	तोरी	21-06-2019	1,20,000	MP43DX2401	मोटर साइकिल	09-05-2017	स्वीकार्य
1672	MP2547104	केवाजी	उकार	रतलाम	तोरी	21-06-2019	1,20,000	MP43EB1697	मोटर साइकिल	25-09-2018	स्वीकार्य
1673	MP3725841	मागू	कागाजी	रतलाम	तोरी	30-04-2020	1,05,000	MP43EC6431	मोटर साइकिल	11-03-2019	स्वीकार्य
1674	MP2546838	गोतम	छगन	रतलाम	तोरी	24-06-2019	1,20,000	MP43K3611	ऑटो रिक्शा	24-02-2018	स्वीकार्य
1675	MP3580276	शांति लाल	केहरिंग	रतलाम	राजाखोरी	11-04-2017	1,20,000	MP43DW7322	मोटर साइकिल	31-01-2017	स्वीकार्य
1676	MP3497369	बापूड़ा	रूपा	रतलाम	बोर्डा	17-07-2019	1,20,000	MP43DW1433	मोटर साइकिल	24-11-2016	स्वीकार्य
1677	MP3573718	गोतम लाल	हुमला	रतलाम	बोर्डा	17-07-2019	1,20,000	MP43EC7069	मोटर साइकिल	18-04-2019	स्वीकार्य
1678	MP3721965	कामजी	वेस्टा	रतलाम	बंदरिया का मल	05-07-2019	1,20,000	MP43DU3703	मोटर साइकिल	01-02-2016	स्वीकार्य
1679	MP3229482	बदरू	कचरू	रतलाम	चंदेरा	05-07-2019	1,20,000	MP43EA9138	मोटर साइकिल	13-09-2018	स्वीकार्य

1680	MP4855412	राजेंद्र डिंडोर	विजय सिंह डिंडोर	रतलाम	चावड़ा खेड़ी भीलन	15-05-2020	25,000	MP43AB9046	ट्रैक्टर	11-08-2017	स्वीकार्य
1681	MP5034526	शंटू मैदा	कांजी मैदा	रतलाम	डूंगरा पुंजा	27-05-2020	65,000	MP43DX7627	मोटर साइकिल	02-08-2017	स्वीकार्य
1682	MP5609961	मगू	थावरा	रतलाम	डूंगरा पुंजा	23-06-2020	65,000	MP43EF2477	मोटर साइकिल	25-01-2020	स्वीकार्य
1683	MP3047021	दिनेश	जीवना	रतलाम	घोड़ापल्ला	17-06-2019	1,20,000	MP43EA6091	मोटर साइकिल	19-07-2018	स्वीकार्य
1684	MP5315882	कैलाश	लालू	रतलाम	घोड़ापल्ला	18-05-2020	65,000	MP43EE1958	मोटर साइकिल	25-10-2019	स्वीकार्य
1685	MP5293885	कैलाश	कामजी	रतलाम	घोड़ापल्ला	18-05-2020	1,05,000	MP43EF5701	मोटर साइकिल	13-03-2020	स्वीकार्य
1686	MP2129362	रमेश	नकुड़ा	रतलाम	गरद	01-04-2018	1,20,000	MP43DZ4329	मोटर साइकिल	16-02-2018	स्वीकार्य
1687	MP2197787	तोलाराम	थावरा	रतलाम	गरद	24-06-2019	1,20,000	MP43DV1318	मोटर साइकिल	08-06-2016	स्वीकार्य
1688	MP3636393	मान सिंह	देवा जी	रतलाम	रामपुरिया	18-05-2018	1,20,000	MP43DZ3879	मोटर साइकिल	26-02-2018	स्वीकार्य
1689	MP4899386	प्रकाश भाभर	लालू	रतलाम	कांगसी	19-05-2020	1,20,000	MP43ED6371	मोटर साइकिल	31-07-2019	स्वीकार्य
1690	MP2066391	धुल्ला	हिन्दू जी	रतलाम	सेलियारुंडी	19-04-2018	1,20,000	MP43DW7522	मोटर साइकिल	08-02-2017	स्वीकार्य
1691	MP2651544	रामचंद	नागजी	रतलाम	सेलियारुंडी	19-06-2019	1,05,000	MP43EA5620	मोटर साइकिल	25-07-2018	स्वीकार्य
1692	MP2708976	तोलाराम	कानाजी	रतलाम	सेलियारुंडी	19-06-2019	1,05,000	MP43EB7821	मोटर साइकिल	18-12-2018	स्वीकार्य
1693	MP3553610	सोहन निनामा	राकामा	रतलाम	हरसोरा	23-07-2019	1,20,000	MP43DZ6273	मोटर साइकिल	15-03-2018	स्वीकार्य

1694	MP3917585	भेरू कटारा	वेस्टा	रतलाम	कोटड़ा	15-05-2020	25,000	MP43EB9132	मोटर साइकिल	05-12-2018	स्वीकार्य
1695	MP2629457	राजू	जिराना	रतलाम	कोटड़ा	01-04-2018	1,20,000	MP43DV8845	मोटर साइकिल	01-11-2016	स्वीकार्य
1696	MP2616111	कालू	जिया	रतलाम	कोटड़ा	01-04-2018	1,20,000	MP43DU5973	मोटर साइकिल	11-03-2016	स्वीकार्य
1697	MP2723790	जालू	मेगा	रतलाम	कोटड़ा	24-07-2019	1,20,000	MP43DY8546	मोटर साइकिल	08-12-2017	स्वीकार्य
1698	MP3932158	राजू	कालू	रतलाम	बांकी	29-04-2020	1,05,000	MP43EA3344	मोटर साइकिल	26-05-2018	स्वीकार्य
1699	MP3499514	ईश्वर	कचारू	रतलाम	कुवा झगर	27-04-2020	65,000	MP43ED8492	मोटर साइकिल	10-10-2019	स्वीकार्य
1700	MP3565639	रमेश	कालू	रतलाम	परनाला	29-04-2020	1,20,000	MP43EE9617	मोटर साइकिल	28-01-2020	स्वीकार्य
1701	MP3622478	नन्दुदा	शम्भू	रतलाम	परनाला	01-05-2020	1,05,000	MP43DZ0433	मोटर साइकिल	01-01-2018	स्वीकार्य
1702	MP3201108	मान सिंह	वाग जी	रतलाम	बरपति	12-04-2017	1,20,000	MP43AB5442	ट्रैक्टर	01-02-2016	स्वीकार्य
1703	MP1814782	परतु	होक्मा	रतलाम	बरपति का मल	24-06-2019	1,20,000	MP43EA8049	मोटर साइकिल	15-08-2018	स्वीकार्य
1704	MP1827898	बापू राम	सरदार	रतलाम	बरपति का मल	24-06-2019	1,20,000	MP43DZ2235	मोटर साइकिल	19-01-2018	स्वीकार्य
1705	MP3174063	फानिया	होक्मा	रतलाम	लूनी	01-05-2018	1,20,000	MP43DY7610	मोटर साइकिल	28-11-2017	स्वीकार्य
1706	MP3970511	केशव	थवारा	रतलाम	कोठारिया	17-06-2019	1,20,000	MP43EB9735	मोटर साइकिल	04-01-2019	स्वीकार्य
1707	MP3230008	देवा	हेरा	रतलाम	महापुरा	05-07-2019	1,20,000	MP43EA2463	मोटर साइकिल	08-05-2018	स्वीकार्य

1708	MP3227503	गोपाल	रामा	रतलाम	महापुरा	05-07-2019	1,20,000	MP43DW8545	मोटर साइकिल	20-03-2017	स्वीकार्य
1709	MP5720570	बाबूलाल मैदा	जालम मैदा	रतलाम	नयापुरा	11-05-2020	1,20,000	MP43AB5243	ट्रैक्टर	05-01-2016	स्वीकार्य
1710	MP1678000	दिनेश	कांजी	रतलाम	डोकरिया कुंड	28-01-2017	1,20,000	MP43DU6678	मोटर साइकिल	24-03-2016	स्वीकार्य
1711	MP2853594	मोहन	खिमा	रतलाम	भल्ला का मल	05-07-2019	1,05,000	MP43EB8097	मोटर साइकिल	27-12-2018	स्वीकार्य
1712	MP2258586	कैलाश	नाथू	रतलाम	नटवरपुरा	05-07-2019	1,20,000	MP43DW8588	मोटर साइकिल	20-03-2017	स्वीकार्य
1713	MP2361552	सामिया	नारजी	रतलाम	पाटडी	11-03-2018	1,20,000	MP43DZ4784	मोटर साइकिल	22-02-2018	स्वीकार्य
1714	MP2544454	बालू	हिरिया	रतलाम	पाटडी	05-07-2019	1,20,000	MP43DX9972	मोटर साइकिल	04-09-2017	स्वीकार्य
1715	MP3914095	गोतम मैदा	कोडर	रतलाम	पाटडी	05-07-2019	1,20,000	MP43DZ5013	मोटर साइकिल	27-02-2018	स्वीकार्य
1716	MP3012609	विजया	काचरू	रतलाम	सनकद	07-07-2019	1,20,000	MP43DW5607	मोटर साइकिल	02-01-2017	स्वीकार्य
1717	MP1768876	प्रकाश	राजू	रतलाम	गनावा	23-01-2017	1,20,000	MP43DU7798	मोटर साइकिल	12-04-2016	स्वीकार्य
1718	MP2413440	रमेश	अमारा	रतलाम	महुदीपदा	26-08-2017	1,20,000	MP43DU4566	मोटर साइकिल	17-02-2016	स्वीकार्य
1719	MP4945601	मोहन	लालसिंह	रतलाम	माकनपुरा	19-05-2020	1,20,000	MP43DW3628	मोटर साइकिल	22-12-2016	स्वीकार्य
1720	MP1763217	बाबूलाल	देवा	रतलाम	भातखेड़ी	01-05-2018	1,20,000	MP43DV3533	मोटर साइकिल	27-07-2016	स्वीकार्य
1721	MP2939267	रमेश निनाम	दीपा	रतलाम	पड़ाव	18-05-2018	1,20,000	MP43DZ4367	मोटर साइकिल	13-02-2018	स्वीकार्य

1722	MP1919635	लक्ष्मण	मानसिंह	रतलाम	सेमल खेड़ा	01-04-2018	1,20,000	MP43DY0311	मोटर साइकिल	06-09-2017	स्वीकार्य
1723	MP1965957	अनिल	मेघजी	रतलाम	सेमल खेड़ा	01-04-2018	1,20,000	MP43DY9520	मोटर साइकिल	23-12-2017	स्वीकार्य
1724	MP1906204	वरसिंह	गोतम	रतलाम	सेमल खेड़ा	01-05-2018	1,20,000	MP43DX9915	मोटर साइकिल	04-09-2017	स्वीकार्य
1725	MP2638970	जीवनलाल	रग्गाजी	रतलाम	गैरेथी	19-04-2017	1,20,000	MP43DU4449	मोटर साइकिल	15-02-2016	स्वीकार्य
1726	MP2637884	दुधा	देवा	रतलाम	संसार	15-07-2019	1,20,000	MP43EB5761	मोटर साइकिल	09-11-2018	स्वीकार्य
1727	MP2027678	मुकेश	शंकर	रतलाम	संसार	06-07-2019	1,20,000	MP43EB5891	मोटर साइकिल	26-11-2018	स्वीकार्य
1728	MP2826007	राम बापू	रग्गा	रतलाम	अंबाकुडी	01-05-2018	1,20,000	MP43DW7836	मोटर साइकिल	14-02-2017	स्वीकार्य
1729	MP4714037	भांजी	हिंदू	रतलाम	सेमल खेड़ा	19-05-2020	1,20,000	MP43DW6250	मोटर साइकिल	10-01-2017	स्वीकार्य
1730	MP5002351	सरदार	झुझार सिंह	रतलाम	सुंडी	03-05-2020	1,20,000	MP43EE6272	मोटर साइकिल	03-01-2020	स्वीकार्य
1731	MP3860888	रामा	गोना	रतलाम	तालाब बोरदी (भिलन)	01-07-2017	1,20,000	MP43DU9451	मोटर साइकिल	05-05-2016	स्वीकार्य
1732	MP2853342	देवी लाल	कालू	रतलाम	गोपालपुरा	01-04-2018	1,20,000	MP43DX9774	मोटर साइकिल	25-08-2017	स्वीकार्य
1733	MP4630781	दितिया	देवा	रतलाम	गोपालपुरा	11-05-2020	25,000	MP43DV3229	मोटर साइकिल	13-07-2016	स्वीकार्य
1734	MP1550018	अनीश	रंग जी	रतलाम	अंडर	11-03-2018	1,20,000	MP43DY6595	मोटर साइकिल	25-11-2017	स्वीकार्य
1735	MP1502359	किशन	हिर जी	रतलाम	अंडर	15-07-2019	1,20,000	MP43DY8851	मोटर साइकिल	23-12-2017	स्वीकार्य

1736	MP1501306	पिंटूलाल	शांतिलाल	रतलाम	अंडर	24-06-2019	1,20,000	MP43DY8563	मोटर साइकिल	08-12-2017	स्वीकार्य
1737	MP2643133	छगन	मनाजी	रतलाम	अंडर	24-06-2019	1,20,000	MP43DV6816	मोटर साइकिल	20-09-2016	स्वीकार्य
1738	MP2588363	लक्ष्मण	कालू	रतलाम	वाली	01-04-2018	1,20,000	MP43DZ2390	मोटर साइकिल	16-01-2018	स्वीकार्य
1739	MP2715708	कैलाश	मंगु	रतलाम	वाली	05-07-2019	1,20,000	MP43DU5751	मोटर साइकिल	05-03-2016	स्वीकार्य
1740	MP5116154	राजभान साकेत	लक्ष्मण प्रसाद	सतना	अमीन	30-01-2021		MP19GA3402	पिक अप वैन	03-01-2017	आरएनजी
1741	MP5218367	संतोष कोल	देवीदयाल कोल	सतना	बच्चारा	28-10-2020	25,000	MP19MZ4654	मोटर साइकिल	29-04-2020	आरएनजी
1742	MP4608788	मनसुखलाल	रामदास साकेत	सतना	बच्चारा	28-10-2020	25,000	MP19MP1381	मोटर साइकिल	23-04-2016	आरएनजी
1743	MP4214534	रविकरण कोल	समीलाल कोल	सतना	बेला	13-10-2020		MP19MW9231	मोटर साइकिल	06-06-2019	आरएनजी
1744	MP5185656	उमेश रावत	श्यामलाल रावत	सतना	भद्र	31-10-2020		MP19MZ2567	मोटर साइकिल	30-04-2020	आरएनजी
1745	MP4503079	भोले पाव	रामदास पाव	सतना	भद्र	05-05-2020	65,000	MP19MV7724	मोटर साइकिल	25-01-2019	आरएनजी
1746	MP3573936	ब्रजेश केवट	रामनारायण केवट	सतना	कुसमाहत	02-07-2019	1,20,000	MP19MS5574	मोटर साइकिल	05-12-2017	आरएनजी
1747	MP4204591	दिनेश पटेल	रामप्रसाद पटेल	सतना	कुसमाहत	31-10-2020		MP19MY5975	मोटर साइकिल	05-02-2020	आरएनजी
1748	MP4163523	रामनाथ पटेल	श्यामलाल पटेल	सतना	कुसमाहत	31-10-2020		MP19MZ4638	मोटर साइकिल	29-04-2020	आरएनजी
1749	MP3540883	राजेंद्र प्रसाद सोढ़िया	रामप्रसाद सोढ़िया	सतना	भीष्मपुर	30-06-2019	1,20,000	MP19MU4623	मोटर साइकिल	18-07-2018	आरएनजी

1750	MP3522836	अशोक कुमार सोनी	रामदीन सोनी	सतना	भीष्मपुर	22-07-2019	1,20,000	MP19MT9067	मोटर साइकिल	28-05-2018	आरएनजी
1751	MP3523167	रामानुज कुशवाहा	रामनरेश कुशवाहा	सतना	भीष्मपुर	30-06-2019	1,20,000	MP19MU4867	मोटर साइकिल	19-07-2018	आरएनजी
1752	MP4947709	महेंद्र उपाध्याय	दयानिधि उपाध्याय	सतना	तुर्की गोसाईं	05-10-2020	25,000	MP19MZ0418	मोटर साइकिल	12-02-2020	आरएनजी
1753	MP3356587	अजेंद्र उपाध्याय	रामभन उपाध्याय	सतना	तुर्की गोसाईं	29-03-2018	1,20,000	MP19MQ0319	स्कूटर	21-10-2016	आरएनजी
1754	MP5114817	राजू साकेत	मनीराम साकेत	सतना	धतुआ	14-07-2020	65,000	MP19MZ3675	मोटर साइकिल	18-03-2020	आरएनजी
1755	MP4574605	दयाराम कोल	रामकृपाल कोल	सतना	धतुआ	27-10-2020		MP19MQ9144	मोटर साइकिल	30-03-2017	आरएनजी
1756	MP4578798	परदेशी कोल	लल्लू प्रसाद कोल	सतना	धतुआ	27-10-2020		MP19MQ5462	मोटर साइकिल	19-01-2017	आरएनजी
1757	MP3556690	मिथलेश सोनी	राम नरेश सोनी	सतना	देवरी (जगदीशपुर)	13-07-2019	1,20,000	MP19MS0171	मोटर साइकिल	28-08-2017	आरएनजी
1758	MP4381392	राज कुमार साकेत	राम शरण	सतना	धौरहरा	27-12-2020		MP19MZ6117	मोटर साइकिल	30-04-2020	आरएनजी
1759	MP3275830	इंद्रजीत सिंह	मणिलोचन	सतना	धोबहाटा	22-07-2019	1,20,000	MP19MR8650	मोटर साइकिल	02-08-2017	आरएनजी
1760	MP5013303	राजमन साकेत	रामदास	सतना	दीनापुर	05-10-2020		MP19MR1184	मोटर साइकिल	27-04-2017	आरएनजी
1761	MP4743322	शिव प्रसाद साकेत	कोदूलाल साकेत	सतना	दीनापुर	26-10-2019	1,20,000	MP19MT4060	मोटर साइकिल	05-04-2018	आरएनजी
1762	MP4709611	रामकलेश साकेत	रामविश्वास साकेत	सतना	दीनापुर	05-10-2020		MP19MX7111	मोटर साइकिल	22-08-2019	आरएनजी
1763	MP4165453	रमेश साकेत	गयादीन साकेत	सतना	ढिथौरा	06-08-2020	65,000	MP19MV2743	मोटर साइकिल	12-11-2018	आरएनजी

1764	MP4627550	बद्री प्रसाद साकेत	जगन्नाथ साकेत	सतना	ढिथौरा	27-10-2020	25,000	MP19MP9576	मोटर साइकिल	01-10-2016	आरएनजी
1765	MP4682422	गोविन्द प्रजापति	छंगा प्रजापति	सतना	ढिथौरा	27-10-2020	25,000	MP19MZ8067	मोटर साइकिल	30-03-2020	आरएनजी
1766	MP5339740	दिनेश कोल	होरिल	सतना	डोमा	05-10-2020		MP19AC8310	ट्रैक्टर	15-09-2020	आरएनजी
1767	MP4167455	रामबालक सिंह	जागेश्वर सिंह	सतना	दुरा	31-10-2020	25,000	MP19MU2008	मोटर साइकिल	27-06-2018	आरएनजी
1768	MP4470233	अनिल कुमार कुशवाहा	सुंदर लाल कुशवाहा	सतना	जुदयमनिया	27-10-2020		MP19R5336	ऑटो रिक्शा	28-12-2016	आरएनजी
1769	MP3595285	कमलेश कोल	मायका कोल	सतना	कस्तरा	03-12-2019	1,20,000	MP19MS6312	मोटर साइकिल	12-12-2017	आरएनजी
1770	MP4046266	मथुरा प्रसाद साकेत	मोतीलाल साकेत	सतना	झिनना	31-10-2020	25,000	MP19MP7502	स्कूटर	08-08-2016	आरएनजी
1771	MP4646012	सुरेंद्र प्रसाद तिवारी	श्री सूर्य पाल तिवारी	सतना	बरदाहा	29-10-2020		MP19MS0446	मोटर साइकिल	04-09-2017	आरएनजी
1772	MP4937926	चंद्रमणि साकेत	विश्वनाथ साकेत	सतना	करही लमी	29-10-2020		MP19MR2655	मोटर साइकिल	16-05-2017	आरएनजी
1773	MP5616116	रामनिरंजन सिंह	कामता सिंह	सतना	गुजर	28-10-2020	25,000	MP19MS9306	मोटर साइकिल	18-01-2018	आरएनजी
1774	MP2127544	बबलू विश्वकर्मा	रामकुमार	सतना	कोरिगावन	25-04-2018	1,20,000	MP19MP1148	मोटर साइकिल	12-04-2016	आरएनजी
1775	MP2877534	खेम सिंह	राम सजीवन सिंह	सतना	कोरिगावन	01-07-2019	1,20,000	MP19MQ8553	मोटर साइकिल	09-03-2017	आरएनजी
1776	MP4937090	शंकर साकेत	कालू साकेत	सतना	कोरिगावन	30-10-2020	25,000	MP19MT7567	मोटर साइकिल	09-05-2018	आरएनजी
1777	MP3155549	पुष्पेंद्र सिंह	लखन लाल सिंह	सतना	कोरिगावन	01-07-2019	25,000	MP19MR1195	मोटर साइकिल	27-04-2017	आरएनजी

1778	MP4878776	लक्ष्मण साकेत	हरिलाल साकेत	सतना	सुकुलगावन	02-05-2020	1,20,000	MP19MR9557	मोटर साइकिल	11-08-2017	आरएनजी
1779	MP2655358	दयाराम दहिया	मुन्नालाल दहिया	सतना	कुम्हारी	27-02-2018	1,20,000	MP19MQ5463	मोटर साइकिल	19-01-2017	आरएनजी
1780	MP3367072	अजय कुमार साकेत	लालमन साकेत	सतना	धम्ना	29-03-2018	1,20,000	MP19MQ8821	मोटर साइकिल	17-03-2017	आरएनजी
1781	MP2762858	विशोक कुमार कुशवाहा	गया प्रसाद	सतना	नौगावां(नौगामा)	09-07-2019	1,20,000	MP19MU1491	मोटर साइकिल	22-06-2018	आरएनजी
1782	MP4326677	शिवपाल साकेत	सामली साकेत	सतना	नौगावां(नौगामा)	26-10-2019	1,20,000	MP19MV5760	मोटर साइकिल	28-05-2019	आरएनजी
1783	MP4402628	रामकलेश कोरी	रंपति कोरी	सतना	पगरा	28-10-2020	25,000	MP19MU6317	मोटर साइकिल	11-09-2018	आरएनजी
1784	MP4665660	राकेश कोल	जगजाहिर	सतना	कोट्रा	29-10-2020	25,000	MP19MR6190	मोटर साइकिल	03-07-2017	आरएनजी
1785	MP2533523	अनंत सिंह तिवारी	विश्वनाथ तिवारी	सतना	कोट्रा	02-07-2019	1,05,000	MP19AC1628	ट्रैक्टर	07-01-2017	आरएनजी
1786	MP4920566	सुखलाल कोल	मुनिया कोल	सतना	पाल	29-10-2020	25,000	MP19R8047	ऑटो रिक्शा	22-01-2020	आरएनजी
1787	MP2240830	रामकलेश कोल	रामनाथ कोल	सतना	पपरा	05-03-2018	1,20,000	MP19MN9096	मोटर साइकिल	19-02-2016	आरएनजी
1788	MP4581438	मोतीलाल साकेत	बलदेव	सतना	पोड़ी खुर्द	09-07-2019	1,20,000	MP19MU5129	मोटर साइकिल	04-08-2018	आरएनजी
1789	MP5451663	विनय पटेल	जगतदेव पटेल	सतना	बेदुरा कलां	29-10-2020	25,000	MP19MX3941	मोटर साइकिल	19-07-2019	आरएनजी
1790	MP5104434	रमई साकेत	चेलाराम साकेत	सतना	बहेलिया भात	28-10-2020	25,000	MP19MP8168	मोटर साइकिल	11-08-2016	आरएनजी
1791	MP3826126	सुदर्शन साकेत	लल्लू	सतना	रुहिया	26-06-2018	1,20,000	MP19R4865	ऑटो रिक्शा	24-08-2016	आरएनजी

1792	MP5612974	रामरूप सिंह	सीताराम	सतना	बरी	30-10-2020		MP19MQ6264	मोपेड	25-01-2017	आरएनजी
1793	MP5212576	रामनरेश केवट	भगवान दीन केवट	सतना	पुत्रिहा	28-10-2020	25,000	MP19MU9388	मोटर साइकिल	19-09-2018	आरएनजी
1794	MP4996766	संतोष सिंह	लखपति सिंह	सतना	समोगर कोठार	28-10-2020	25,000	MP19MT2228	मोटर साइकिल	21-02-2018	आरएनजी
1795	MP4229384	बैजनाथ साकेत	दाबोली साकेत	सतना	समोगर उनमुक्त	28-10-2020	25,000	MP19MQ1131	मोटर साइकिल	17-11-2016	आरएनजी
1796	MP4770494	अशोक साकेत	ब्रजलाल साकेत	सतना	सेमरिया	06-05-2020	1,20,000	MP19MW4267	मोटर साइकिल	11-04-2019	आरएनजी
1797	MP3200726	अर्जुन कोल	विश्राम	सतना	त्योंधारा नंबर 1	18-04-2018	1,20,000	MP19AC3084	ट्रैक्टर	11-01-2018	आरएनजी
1798	MP4818188	रामलाल कोल	जेठू कोल	सतना	त्योंधारा नंबर 2	31-10-2020		MP19MT8456	मोटर साइकिल	23-05-2018	आरएनजी
1799	MP3179481	राजबली सेन	जगदीश सेन	सतना	त्योंधारी	09-07-2019	1,20,000	MP19MQ6167	मोटर साइकिल	25-01-2017	आरएनजी
1800	MP2800822	दान बहादुर सिंह	श्यामनारायण सिंह	सतना	त्योंधारी	02-07-2019	1,20,000	MP19MR6131	मोटर साइकिल	03-07-2017	आरएनजी
1801	MP4314470	रामायण गोस्वामी	दशरथ गोस्वामी	सतना	उमरी उर्फ शिवराजी	30-10-2020	25,000	MP19MV0173	मोटर साइकिल	22-10-2018	आरएनजी
1802	MP3992413	दीपक चतुर्वेदी	धीरज प्रसाद चतुर्वेदी	सतना	बडेरा	25-06-2019	1,20,000	MP19MW3965	मोटर साइकिल	11-04-2019	आरएनजी
1803	MP3020012	वृजेंद्र	अमृत लाल पटेल	सतना	बरही	26-11-2020		MP19MX6703	मोटर साइकिल	08-09-2019	आरएनजी
1804	MP2537953	अमृतलाल कोल	कामता कोल	सतना	बड़ा खुर्द	24-06-2018	1,20,000	MP19MQ5076	मोटर साइकिल	17-01-2017	आरएनजी
1805	MP4173163	गुलाब कोल	राम दास कोल	सतना	अमाटोला	02-11-2020		MP19MZ1375	मोटर साइकिल	14-03-2020	आरएनजी

1806	MP2518158	राजेश शुक्ला	कमला प्रसाद शुक्ला	सतना	भदनपुर (एनडब्ल्यू)	28-07-2019	1,20,000	MP19R5180	ऑटो रिक्शा	28-12-2016	आरएनजी
1807	MP3225691	संतोष कोल	भोंडू कोल	सतना	भदनपुर (द.प.)	08-07-2018	1,20,000	MP19MS2449	मोटर साइकिल	09-10-2017	आरएनजी
1808	MP4277898	राम प्रकाश साकेत	रामकुमार साकेत	सतना	भदनपुर (द.प.)	03-05-2020	1,05,000	MP19MZ2860	मोटर साइकिल	12-03-2020	आरएनजी
1809	MP1707865	हरिलाल कोल	गुलाई	सतना	भदनपुर (द.प.)	24-06-2018	1,20,000	MP19R6311	ऑटो रिक्शा	15-05-2018	आरएनजी
1810	MP3275879	विक्रम साहू	रामलखन साहू	सतना	भैसासुर	25-06-2019	1,20,000	MP19MT7849	मोटर साइकिल	17-05-2018	आरएनजी
1811	MP3382121	सोमू सिंह	अमरत लाल सिंह	सतना	भटगवां	23-06-2019	1,20,000	MP19MN8523	मोटर साइकिल	10-02-2016	आरएनजी
1812	MP4804559	राधेलाल दहिया	रामकृपाल दहिया	सतना	भेडा	22-10-2020	25,000	MP19MX7533	मोटर साइकिल	01-10-2019	आरएनजी
1813	MP4270418	नत्थू कोल	कुंजल	सतना	बुडरुआ	15-07-2020	65,000	MP19MQ2679	मोटर साइकिल	27-12-2016	आरएनजी
1814	MP4299635	विष्णु साकेत	कल्लू	सतना	बुडरुआ	21-10-2020	25,000	MP19MS4352	मोटर साइकिल	20-11-2017	आरएनजी
1815	MP4542738	शिव कुमार साकेत	भैयालाल	सतना	छपना	27-11-2020		MP19MW0616	मोटर साइकिल	20-02-2019	आरएनजी
1816	MP2658658	जुगल किशोर तिवारी	विश्वनाथ तिवारी	सतना	गोबरिया	09-05-2017	1,20,000	MP19MQ6265	मोपेड	25-01-2017	आरएनजी
1817	MP3948095	लखन सिंह	मलोक सिंह	सतना	पिपरहाट	26-06-2018	1,20,000	MP19MS6639	मोटर साइकिल	15-12-2017	आरएनजी
1818	MP4232408	रामसिया साकेत	भागीरथी	सतना	धनवाही कलां	03-05-2020	1,05,000	MP19MU8414	मोटर साइकिल	06-10-2018	आरएनजी
1819	MP2723649	वंश गोपाल पटेल	राम करण पटेल	सतना	दुबेही	10-03-2018	1,20,000	MP19MP6193	मोटर साइकिल	25-07-2016	आरएनजी

1820	MP4234112	मन सुख लाल बसोर	गणेश बसोर	सतना	घुनवारा	24-10-2020		MP19R4966	ऑटो रिक्शा	30-09-2016	आरएनजी
1821	MP2210884	बब्बू साहू	मोहन	सतना	घुनवारा	17-07-2019	1,05,000	MP19MP9029	मोटर साइकिल	19-09-2016	आरएनजी
1822	MP4196671	मनोज तिवारी	लालू राम तिवारी	सतना	गोरैया	02-11-2020		MP19MP2164	मोटर साइकिल	11-05-2016	आरएनजी
1823	MP2612289	दीपक पाण्डेय	जुगुलकिशोर पाण्डेय	सतना	करैया बिजुरिया	31-07-2019	1,20,000	MP19MQ6416	मोटर साइकिल	13-02-2017	आरएनजी
1824	MP5286898	कमलेश कुशवाहा	राम गोपाल	सतना	कुसियारी	21-10-2020		MP19MW2551	मोटर साइकिल	16-03-2019	आरएनजी
1825	MP4366648	बाबू लाल सेन	कुटिया	सतना	हिनौता गजगौना	24-10-2020		MP19MX8525	मोटर साइकिल	03-10-2019	आरएनजी
1826	MP2949374	अच्छे लाल कुशवाहा	सहदेव	सतना	हिनौता गजगौना	02-07-2019	1,20,000	MP19MU6539	मोटर साइकिल	27-08-2018	आरएनजी
1827	MP3998774	मानवेंद्र सिंह	बसंत सिंह	सतना	हिनौता गजगौना	19-06-2019	1,20,000	MP19MU3557	मोटर साइकिल	11-07-2018	आरएनजी
1828	MP3717911	विजय कुमार पटेल	राजेन्द्र प्रसाद	सतना	इटामा	09-02-2018	1,20,000	MP19R4645	ऑटो रिक्शा	17-03-2016	आरएनजी
1829	MP4166841	रामबहोर कोल	झल्ला	सतना	जरियारी	29-10-2019	1,20,000	MP19MX0935	मोटर साइकिल	08-07-2019	आरएनजी
1830	MP4207449	कमलेश कोल	रामधनी कोल	सतना	हिनौता खुर्द	02-11-2020		MP19MQ4258	मोटर साइकिल	12-01-2017	आरएनजी
1831	MP4201493	कमलेश कोल	गिरवर कोल	सतना	हिनौता खुर्द	03-05-2020	1,05,000	MP19MY3831	मोटर साइकिल	31-12-2019	आरएनजी
1832	MP4206767	सूरज साकेत	रमधनी साकेत	सतना	हिनौता खुर्द	26-11-2020		MP19AC7454	ट्रैक्टर	16-07-2020	आरएनजी
1833	MP4640330	दादा भाई कोल	पचैया	सतना	काकरा	26-11-2020	25,000	MP19MW8432	मोटर साइकिल	28-05-2019	आरएनजी

1834	MP4448153	रामसिया साकेत	दुकौदी	सतना	काकरा	26-11-2020	25,000	MP19NA5423	मोटर साइकिल	11-09-2020	आरएनजी
1835	MP2762559	पंकज तिवारी	प्रभुदयाल तिवारी	सतना	कर्ताहा	10-05-2017	1,20,000	MP19MP0305	मोटर साइकिल	31-03-2016	आरएनजी
1836	MP4698423	महेंद्र सिंह	बलवीर सिंह	सतना	टिस्की कलां	01-05-2020	1,20,000	MP19MQ1041	मोटर साइकिल	11-11-2016	आरएनजी
1837	MP2614989	मुन्नू कुशवाहा	मथुरा प्रसाद	सतना	नक्तरा	27-02-2018	1,20,000	MP19MS9974	मोटर साइकिल	27-01-2018	आरएनजी
1838	MP3302470	सुरेंद्र कोल	विश्राम कोल	सतना	नक्तरा	01-07-2018	1,20,000	MP19MT2494	मोटर साइकिल	01-03-2018	आरएनजी
1839	MP3152726	बलदेव सिंह	मोहन सिंह	सतना	मोहनिया	10-03-2018	1,20,000	MP19AC1605	ट्रैक्टर	07-01-2017	आरएनजी
1840	MP5097164	रजनीश सिंह	रामपाल सिंह	सतना	घोटारी	19-11-2020		MP19MU9380	मोटर साइकिल	30-10-2018	आरएनजी
1841	MP4308567	तिलकराज सिंह	दलन सिंह	सतना	गोदिन	19-11-2020		MP19MV9759	मोटर साइकिल	13-02-2019	आरएनजी
1842	MP5377762	राजेश्वर प्रसाद द्विवेदी	भैयालाल	सतना	गोदिन	03-05-2020	1,20,000	MP19R4584	ऑटो रिक्शा	10-02-2016	आरएनजी
1843	MP5222739	उमेश सिंह	सरदार सिंह	सतना	पटेहरा	26-11-2020		MP19MY6502	मोटर साइकिल	08-01-2020	आरएनजी
1844	MP5249925	बद्री सिंह	राम बदन सिंह	सतना	पटेहरा	10-08-2020		MP19MV0478	मोटर साइकिल	22-10-2018	आरएनजी
1845	MP4227288	श्याम लाल पटेल	जगन्नाथ पटेल	सतना	श्रीनगर	24-10-2020	25,000	MP19MW2870	मोटर साइकिल	22-05-2019	आरएनजी
1846	MP5100255	काशी प्रसाद पटेल	गंगादीन	सतना	श्रीनगर	24-10-2020	25,000	MP19MQ9512	मोटर साइकिल	04-04-2017	आरएनजी
1847	MP4219308	उदयभान सिंह	जयकरण सिंह	सतना	सुकवारी	05-09-2019	1,20,000	MP19MT6731	मोटर साइकिल	05-05-2018	आरएनजी

1848	MP5110127	राजेन्द्र सिंह	राम कर्ण सिंह	सतना	सुकवारी	21-10-2020	25,000	MP19MV0851	मोटर साइकिल	26-10-2018	आरएनजी
1849	MP4829820	रति राम यादव	सौखी लाल	सतना	धनवाही खुर्द	24-10-2020	25,000	MP19MQ5297	मोटर साइकिल	19-01-2017	आरएनजी
1850	MP4754405	अड्डू सिंह	माधव सिंह	सतना	भार्गवन	30-10-2020		MP19MT2080	मोटर साइकिल	20-02-2018	आरएनजी
1851	MP2087948	सुखबदन साकेत	भागवत	सतना	मोटवा	19-01-2017	1,20,000	MP19R5289	ऑटो रिक्शा	28-12-2016	आरएनजी
1852	MP4627714	दल्लू प्रसाद	धनी राम	सतना	गोपालपुर	07-05-2020		MP19MP0276	मोटर साइकिल	30-03-2016	आरएनजी
1853	MP5129251	सुखेंद्र कोरी	चैतराम कोरी	सतना	बरहा	30-10-2020		MP19MW9627	मोटर साइकिल	03-06-2019	आरएनजी
1854	MP3478512	राजीव रंजन पाठक	बाला प्रसाद पाठक	सतना	जवारीन	08-05-2017	1,20,000	MP19MN8895	मोटर साइकिल	15-02-2016	आरएनजी
1855	MP4934361	रामेश्वर मवासी	झल्लू मवासी	सतना	कुथिला पहाड़	04-10-2020		MP19MY6332	मोटर साइकिल	03-02-2020	आरएनजी
1856	MP4428807	शिव कुमार दोहर	मायका	सतना	कोनिया	05-05-2020	1,20,000	MP19MY2280	मोटर साइकिल	20-11-2019	आरएनजी
1857	MP5631890	विकास सिंह	सूर्य बाली सिंह	सतना	हार्डीकोथर	04-10-2020		MP19AC7889	ट्रैक्टर	23-08-2020	आरएनजी
1858	MP4328905	रामसुमेर	सूरजदीन	सतना	खरहा	01-05-2020	1,20,000	MP19MS6802	मोटर साइकिल	23-12-2017	आरएनजी
1859	MP4817271	छेदीलाल सिंह	दादोली सिंह	सतना	चकर	04-11-2020		MP19MT5891	मोटर साइकिल	24-04-2018	आरएनजी
1860	MP1642638	राजविश्वकर्मा	गोविंद विश्वकर्मा	सतना	मझगवां (सीटी)	20-05-2017	1,20,000	MP19MN6943	मोटर साइकिल	15-01-2016	आरएनजी
1861	MP4214487	शिव लाल साकेत	रजवा साकेत	सतना	मेहुती	10-11-2020		MP19MR4482	मोटर साइकिल	07-06-2017	आरएनजी

1862	MP5565882	वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी	कौशल प्रसाद	सतना	पचाली कलां	02-11-2020		MP19MP1784	मोटर साइकिल	02-05-2016	आरएनजी
1863	MP5113346	कोदू लाल साकेत	रामदास	सतना	पादुहर	02-11-2020		MP19MZ8492	मोटर साइकिल	28-06-2020	आरएनजी
1864	MP2974160	मोतीलाल कुशवाहा	रामायण प्रसाद	सतना	पगड़ खुर्द	21-01-2018	1,20,000	MP19MN6320	मोटर साइकिल	05-01-2016	आरएनजी
1865	MP5274362	मनभरन साकेत	एडेना	सतना	पटना कलां	30-10-2020		MP19MQ4697	मोटर साइकिल	12-01-2017	आरएनजी
1866	MP2992288	राजा भैया	बुद्धे लाल	सतना	पिंडरा	07-03-2018	1,20,000	MP19R5211	ऑटो रिक्शा	10-04-2017	आरएनजी
1867	MP5189958	समय लाल साकेत	चुनवाड़ी	सतना	पिपरिटोला	30-10-2020		MP19MS7146	मोटर साइकिल	21-12-2017	आरएनजी
1868	MP1815336	पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा	बालमुकुंद	सतना	रिमारी	13-05-2017	1,20,000	MP19MN6754	मोटर साइकिल	09-01-2016	आरएनजी
1869	MP4836378	रमा दोहर	ददावा दोहर	सतना	तेलानी	30-10-2020		MP19MP5734	मोटर साइकिल	20-07-2016	आरएनजी
1870	MP2062118	छत्रपाल कुशवाहा	रामस्वरूप	सतना	अकोउना साथिया	06-03-2018	1,20,000	MP19MS4588	मोटर साइकिल	21-11-2017	आरएनजी
1871	MP3234867	उपेंद्र सिंह	हीरामणि सिंह	सतना	अकोउना साथिया	30-07-2019	1,20,000	MP19MU9919	स्कूटर	12-10-2018	आरएनजी
1872	MP3215794	महेंद्र प्रताप सिंह	त्रिभुवन सिंह	सतना	अकोउना साथिया	21-06-2018	1,20,000	MP19AC1181	ट्रैक्टर	26-08-2016	आरएनजी
1873	MP3646038	लाली प्रसाद कुशवाहा	चुनुवादा	सतना	एमिलिया	26-06-2018	1,20,000	MP19MR2561	मोटर साइकिल	12-05-2017	आरएनजी
1874	MP4462148	लल्लू साहू	ठकुरिया साहू	सतना	अतरौरा	06-10-2020		MP19MT6270	मोटर साइकिल	04-05-2018	आरएनजी
1875	MP2130689	मंगल प्रसाद लोनिया	राजधर लोनिया	सतना	तिलगावां	25-04-2017	1,20,000	MP19MP6075	मोटर साइकिल	23-07-2016	आरएनजी

1876	MP5063130	पुष्पेंद्र पाठक	रामलाल पाठक	सतना	बराज	06-10-2020		MP19MS6402	मोटर साइकिल	14-12-2017	आरएनजी
1877	MP5427198	दिनेश कुमार तिवारी	रामप्यारे तिवारी	सतना	बराज	06-10-2020		MP19MS0711	मोटर साइकिल	07-09-2017	आरएनजी
1878	MP5465713	संत लाल अहिरवार	नत्थू लाल	सतना	बेला	16-07-2020	65,000	MP19MZ3258	मोटर साइकिल	18-03-2020	आरएनजी
1879	MP2454276	राम गोपाल गर्ग	राम चरण गर्ग	सतना	बेला	06-07-2019	1,05,000	MP19MT8491	मोटर साइकिल	23-05-2018	आरएनजी
1880	MP4519120	सोनेलाल यादव	जगत राज	सतना	दुदाहा	22-10-2020		MP19MR6345	मोटर साइकिल	05-07-2017	आरएनजी
1881	MP3359853	विजय कुमार मिश्रा	हनुमान दीन	सतना	उमरहाई	27-02-2018	1,20,000	MP19MP9521	मोटर साइकिल	30-09-2016	आरएनजी
1882	MP3483070	राजे कोल	लालमणि	सतना	कुड़िया	04-06-2017	1,20,000	MP19R4641	ऑटो रिक्शा	17-03-2016	आरएनजी
1883	MP2396486	नरेंद्र लोधी	रामकिशोर लोधी	सतना	इटमा	30-07-2019	65,000	MP19MR5383	मोटर साइकिल	16-06-2017	आरएनजी
1884	MP5121191	रमैया अहिरवार	जग्गू	सतना	गिंजारा	06-10-2020		MP19MT9563	मोटर साइकिल	31-05-2018	आरएनजी
1885	MP3048494	प्रमोद कुमार उपाध्याय	काशी प्रसाद उपाध्याय	सतना	घोरहाटी	24-06-2018	1,20,000	MP19R6259	ऑटो रिक्शा	12-04-2018	आरएनजी
1886	MP5394019	जगत राज पटेल	रामकृपाल	सतना	इटमा	25-10-2019	1,20,000	MP19AC4033	ट्रैक्टर	07-09-2018	आरएनजी
1887	MP5294371	रामरतन पाल	लच्छू पाल	सतना	जासो	30-10-2020		MP19MP1707	मोटर साइकिल	02-05-2016	आरएनजी
1888	MP5300098	शिव चरण वर्मा	मिठाई लाल	सतना	कलावल	02-05-2020	1,05,000	MP19MP3191	मोटर साइकिल	27-05-2016	आरएनजी
1889	MP4947407	राम सजीवन दहायत	जगनंदन प्रसाद	सतना	कल्प	31-10-2020		MP19MR6343	मोटर साइकिल	05-07-2017	आरएनजी

1890	MP4499601	अशोक कोरी	श्री मांगलिया कोरी	सतना	खैरा	06-10-2020		MP19NA3309	मोटर साइकिल	23-08-2020	आरएनजी
1891	MP4602818	पुष्पराज सोनी	रामप्रकाश	सतना	खाखरौधा	31-10-2020		MP19MZ3627	मोटर साइकिल	08-03-2020	आरएनजी
1892	MP5275443	मौजी लाल विश्वकर्मा	कन्हैया लाल विश्वकर्मा	सतना	सतना पट्टी रघुनाथ	31-10-2020		MP19MY8628	मोटर साइकिल	13-03-2020	आरएनजी
1893	MP5159876	अरविन्द द्विवेदी	श्री केदारनाथ द्विवेदी	सतना	माढा	06-05-2020	1,05,000	MP19MX5030	मोटर साइकिल	06-08-2019	आरएनजी
1894	MP4773839	रमेश चौधरी	रामशरण चोधरी	सतना	कोडर	21-12-2020		MP19MP4221	मोटर साइकिल	04-06-2016	आरएनजी
1895	MP4385587	संतोष चिकवा	नरेश चिकवा	सतना	कोडर	22-10-2020		MP19MW2354	मोपेड	22-02-2019	आरएनजी
1896	MP5296700	चंद्रिका प्रसाद पाण्डेय	राधिका प्रसाद	सतना	करहिया	04-05-2020	1,20,000	MP19MV0992	मोटर साइकिल	22-10-2018	आरएनजी
1897	MP3888206	विनय प्रकाश गर्ग	रामप्यारे गर्ग	सतना	कोटा	30-07-2019	1,20,000	MP19MP9338	मोटर साइकिल	24-09-2016	आरएनजी
1898	MP5205355	पीपक सिंह	दशरथ सिंह	सतना	कोटा	31-10-2020		MP19MT2781	मोटर साइकिल	08-03-2018	आरएनजी
1899	MP4275121	जैमिनी सरदार	अभिमन्यु सरदार	सतना	चौपड़ा	02-05-2020	1,05,000	MP19MT4936	मोपेड	13-04-2018	आरएनजी
1900	MP4699757	महादेव दास	तरुणी दास	सतना	मेधकानी	22-10-2020		MP19MU5562	मोटर साइकिल	23-09-2018	आरएनजी
1901	MP4401928	जगदीश पाल	सौखीलाल पाल	सतना	मेधकानी	22-10-2020		MP19MX3863	मोपेड	25-07-2019	आरएनजी
1902	MP5160893	संजय गतिदार	शिवपद गतिदार	सतना	पहाड़िया	22-10-2020		MP19MP1688	मोटर साइकिल	02-05-2016	आरएनजी
1903	MP3582723	राजेश कुमार शर्मा	राम चरण शर्मा	सतना	मझियारी	16-06-2018	1,20,000	MP19MN6734	मोटर साइकिल	09-01-2016	आरएनजी

1904	MP3427657	श्री कांत द्विवेदी	राम मिलन द्विवेदी	सतना	मझियारी	16-06-2018	1,20,000	MP19MN6196	मोटर साइकिल	01-01-2016	आरएनजी
1905	MP3105493	भोला कोल	मल्हनी कोल	सतना	रौन्द	02-08-2019	1,20,000	MP19MW8016	मोटर साइकिल	01-06-2019	आरएनजी
1906	MP3384310	रमेश पाल	छब्बू पाल	सतना	सेमरी	07-12-2019	1,05,000	MP19MW9591	मोटर साइकिल	01-06-2019	आरएनजी
1907	MP3984008	नत्थू लाल पाण्डेय	रामदास पाण्डेय	सतना	शिवराजपुर	21-06-2018	1,20,000	MP19MQ7907	मोटर साइकिल	02-03-2017	आरएनजी
1908	MP4020570	राजमन कोल	तिरात	सतना	सितपुरा	25-10-2019	1,20,000	MP19MV4953	मोटर साइकिल	10-01-2019	आरएनजी
1909	MP4173425	दद्दू चौधरी	सिमली	सतना	सुरदाहा कलां	22-10-2020		MP19MX5803	मोटर साइकिल	22-08-2019	आरएनजी
1910	MP5255414	लाल जी बागरी	लाला प्रसाद बागरी	सतना	बिरहुली	02-05-2020	1,05,000	MP19AC3329	ट्रैक्टर	03-04-2018	आरएनजी
1911	MP3588457	पुरुषोत्तम कुशवाहा	विश्रामदास कुशवाहा	सतना	उमरिहा	13-07-2019	1,20,000	MP19MS8930	मोटर साइकिल	10-01-2018	आरएनजी
1912	MP5397608	सुग्रीव प्रसाद साकेत	बंशधारी	सतना	इटमा खास (बड़ा इटमा)	25-10-2020	25,000	MP19MW5874	मोटर साइकिल	23-04-2019	आरएनजी
1913	MP3717706	संजय बसोर	सुहाने बसोर	सतना	इटमा खास (बड़ा इटमा)	26-06-2018	1,20,000	MP19MR6597	मोपेड	07-07-2017	आरएनजी
1914	MP4909578	परमजीत	बाबू लाल कोल	सतना	करौंदी	05-02-2021		MP19MW5889	मोटर साइकिल	24-07-2019	आरएनजी
1915	MP4904349	राजभान साकेत	रामशिया साकेत	सतना	बटैया	25-10-2020	25,000	MP19MY8865	मोटर साइकिल	13-02-2020	आरएनजी
1916	MP3925710	रामनरेश पटेल	रामस्वरूप पटेल	सतना	गांजा	18-06-2018	1,20,000	MP19MP8251	मोपेड	29-08-2016	आरएनजी
1917	MP5708981	बिहारी कोल	बसंतलाल कोल	सतना	किताहा	06-05-2020	1,05,000	MP19MY7395	मोटर साइकिल	16-01-2020	आरएनजी

1918	MP3398837	राजमणि गौतम	ददन प्रसाद	सतना	मनकहारी	30-06-2019	1,20,000	MP19MT8855	मोटर साइकिल	28-05-2018	आरएनजी
1919	MP3406061	प्रेम लाल सिंह	सौखी लाल सिंह	सतना	मनकहारी	19-06-2018	1,20,000	MP19MQ0534	मोटर साइकिल	26-10-2016	आरएनजी
1920	MP4326634	राकेश द्विवेदी	रामप्रिया द्विवेदी	सतना	मर्यादपुर	27-10-2020	25,000	MP19MT4420	मोटर साइकिल	09-04-2018	आरएनजी
1921	MP4777863	शंकर प्रसाद पटेल	रामकृपाल पटेल	सतना	मिरगौती	23-12-2020		MP19MX4578	मोटर साइकिल	06-08-2019	आरएनजी
1922	MP4901753	श्याम लाल कोल	राम विशाल कोल	सतना	दगनिहा टोला	25-10-2020	25,000	MP19NA3034	मोटर साइकिल	18-08-2020	आरएनजी
1923	MP4965528	छकौड़ी लाल साकेत	मोलाई साकेत	सतना	एमिलिया	05-10-2020	25,000	MP19MS4380	मोटर साइकिल	20-11-2017	आरएनजी
1924	MP4729444	मनोज कुमार साकेत	देवीदीन साकेत	सतना	सगौनी खुर्द	29-04-2020	1,20,000	MP19MN8219	मोटर साइकिल	05-02-2016	आरएनजी
1925	MP3180576	पुष्पेंद्र सिंह	चंद्रशेखर प्रसाद	सतना	असरार	09-07-2019	1,20,000	MP19MV6147	मोटर साइकिल	31-12-2018	आरएनजी
1926	MP3697818	रामपाल सिंह	दुवारिका सिंह	सतना	असरार	16-07-2019	1,20,000	MP19MT1456	मोटर साइकिल	06-04-2018	आरएनजी
1927	MP3437747	गंगादीन यादव	राम खेलावन यादव	सतना	असरार	26-06-2019	65,000	MP19MQ9458	मोपेड	03-04-2017	आरएनजी
1928	MP4163173	मनोज शुक्ला	बालाप्रसाद शुक्ल	सतना	बधौरा 278	13-05-2020	1,20,000	MP19R4544	ऑटो रिक्शा	30-01-2016	आरएनजी
1929	MP5147456	राम विश्वास साकेत	रामबालक	सतना	बरदाडीह	24-10-2020		MP19MR1512	मोटर साइकिल	04-05-2017	आरएनजी
1930	MP2716312	रमेश कुशवाहा	लल्लू	सतना	बेलहटी	14-04-2018	1,20,000	MP19MS0501	मोटर साइकिल	06-09-2017	आरएनजी
1931	MP3191750	बृजेश कुमार सेन	बरलाल सेन	सतना	बिहारा नंबर 2	06-03-2018	1,20,000	MP19MR0897	मोटर साइकिल	02-05-2017	आरएनजी

1932	MP4300910	राम आदिवासी	मुन्ना आदिवासी	सतना	छिबौरा	24-10-2020	25,000	MP19MW5477	मोटर साइकिल	24-04-2019	आरएनजी
1933	MP4367256	रामप्रताप साहू	रामकुमार साहू	सतना	छिबौरा	24-10-2020		MP19MX4304	मोटर साइकिल	15-07-2019	आरएनजी
1934	MP4425101	रामहित आदिवासी	सुखाई आदिवासी	सतना	गंजन	07-10-2020		MP19MP8133	मोटर साइकिल	11-08-2016	आरएनजी
1935	MP4396891	रामगोपाल दहिया	रामप्रसाद दहिया	सतना	गौहरी	25-11-2020	25,000	MP19MQ8284	मोटर साइकिल	04-03-2017	आरएनजी
1936	MP2882254	पवन कुमार तिवारी	इंद्रभान तिवारी	सतना	गोलहटा	05-09-2019	1,20,000	MP19MX3723	मोटर साइकिल	02-08-2019	आरएनजी
1937	MP4274452	अशोक दहिया	लक्ष्मी शंकर	सतना	पतारहाई	07-10-2020	25,000	MP19MX4679	मोटर साइकिल	24-07-2019	आरएनजी
1938	MP2171476	राकेश साहू	छोटा साहू	सतना	करपवाह भाईप	26-06-2019	65,000	MP19MV6891	मोटर साइकिल	05-01-2019	आरएनजी
1939	MP1571482	रामदीन यादव	भूरा यादव	सतना	करपवाह कोठार	05-03-2018	1,20,000	MP19MP5303	मोटर साइकिल	02-07-2016	आरएनजी
1940	MP2656887	उमेश साकेत	भूरेलाल साकेत	सतना	लेदारा	05-03-2018	1,20,000	MP19R4936	ऑटो रिक्शा	22-09-2016	आरएनजी
1941	MP2569806	अशोक साकेत	दयाराम साकेत	सतना	लेदारा	05-03-2018	1,20,000	MP19R5143	ऑटो रिक्शा	03-01-2017	आरएनजी
1942	MP2596423	राकेश साकेत	बिहारीलाल साकेत	सतना	लेदारा	05-03-2018	1,20,000	MP19R4515	ऑटो रिक्शा	18-01-2016	आरएनजी
1943	MP3081722	मनीराज सिंह	रामाधार सिंह	सतना	खम्हरिया	16-04-2018	1,20,000	MP19MR5901	मोटर साइकिल	29-06-2017	आरएनजी
1944	MP2530594	तेजभान सिंह	सीताराम सिंह	सतना	खम्हरिया	02-07-2018	1,20,000	MP19MS9519	मोटर साइकिल	22-01-2018	आरएनजी
1945	MP4964223	राजेश प्रजापति	दयाराम प्रजापति	सतना	चोराहा	03-05-2020	1,20,000	MP19MP1582	मोटर साइकिल	26-04-2016	आरएनजी

1946	MP3754617	कमलेंद्र सिंह	रामकृपाल सिंह	सतना	खुखदा कोठार	30-07-2019	1,20,000	MP19MS1339	मोटर साइकिल	18-09-2017	आरएनजी
1947	MP3316358	नरेंद्र केवट	भट्यालाल केवट	सतना	कृष्णागढ़	30-07-2019	1,20,000	MP19MR8610	मोटर साइकिल	02-08-2017	आरएनजी
1948	MP3296083	मातादीन सिंह	मोतीलाल सिंह	सतना	कृष्णागढ़	16-07-2019	1,20,000	MP19MP2812	मोटर साइकिल	26-05-2016	आरएनजी
1949	MP3724018	अमर सिंह	समय लाल सिंह	सतना	कृष्णागढ़	09-07-2019	1,20,000	MP19MT0834	मोटर साइकिल	06-02-2018	आरएनजी
1950	MP1680694	गंगा साकेत	खुनमुन साकेत	सतना	कृष्णागढ़	16-04-2018	1,20,000	MP19MQ8599	मोटर साइकिल	09-03-2017	आरएनजी
1951	MP3719411	रामकरण सिंह	रामेश्वर सिंह	सतना	कृष्णागढ़	19-08-2019	1,20,000	MP19MW9768	मोटर साइकिल	29-05-2019	आरएनजी
1952	MP3709794	राकेश सिंह	रामराज सिंह	सतना	कृष्णागढ़	09-07-2019	1,20,000	MP19AC1559	ट्रैक्टर	20-12-2016	आरएनजी
1953	MP1924586	मनभरन साकेत	होरिल साकेत	सतना	महिदल खुर्द	02-04-2018	1,20,000	MP19MN6855	मोटर साइकिल	13-01-2016	आरएनजी
1954	MP3559384	चिंतामणि साकेत	मोहनलाल साकेत	सतना	महिदल खुर्द	06-03-2018	1,05,000	MP19MQ2317	मोटर साइकिल	20-12-2016	आरएनजी
1955	MP5233127	महेश सिंह	भैया लाल सिंह	सतना	घाटबेलवा	13-10-2020		MP19MR1218	मोटर साइकिल	01-05-2017	आरएनजी
1956	MP5047770	अशोक सिंह	राजरूप सिंह	सतना	मझियार	25-10-2020		MP19MQ2453	मोटर साइकिल	21-12-2016	आरएनजी
1957	MP5016090	रामखेलावन प्रजापति	रतीवा प्रजापति	सतना	चुल्ही	03-05-2020	1,20,000	MP19MN9055	मोटर साइकिल	19-02-2016	आरएनजी
1958	MP4528886	पुष्पेंद्र साकेत	भगवानदीन	सतना	डेलौरा	24-10-2020		MP19NA6588	मोटर साइकिल	27-09-2020	आरएनजी
1959	MP5333494	राम बहादुर केवट	होरी लाल केवट	सतना	किचवारिया	11-11-2020		MP19MR7103	मोटर साइकिल	18-07-2017	आरएनजी

1960	MP4473557	महेश सिंह	रामदेव	सतना	दधिया	25-11-2020		MP19MN9912	मोटर साइकिल	16-03-2016	आरएनजी
1961	MP4995589	नंद किशोर	बालक सिंह	सतना	रिछाहारी	25-11-2020		MP19MP5881	मोटर साइकिल	23-07-2016	आरएनजी
1962	MP4294161	चंद्र केतु सिंह	रामनारायण सिंह	सतना	रिछाहारी	11-11-2020		MP19MY8477	मोपेड	07-01-2020	आरएनजी
1963	MP5596962	अरुणेश पाठक	श्री पति पाठक	सतना	लखहा	25-10-2020		MP19NA1208	मोटर साइकिल	22-07-2020	आरएनजी
1964	MP2237204	पीआर एम लाल साकेत	गणपत साकेत	सतना	तप	03-05-2017	1,20,000	MP19MQ7712	मोटर साइकिल	02-03-2017	आरएनजी
1965	MP2297009	आशुतोष सेन	प्रमोद कुमार सेन	सतना	तप	02-07-2018	1,20,000	MP19MQ2411	मोटर साइकिल	21-12-2016	आरएनजी
1966	MP4741833	मोहन लाल साकेत	चुंकई	सतना	तप	07-10-2020		MP19MV8610	मोटर साइकिल	15-01-2019	आरएनजी
1967	MP4246375	दादूलाल कोल	मुन्ना कोल	सतना	अहीरगांव	18-02-2021		MP19MU3957	मोटर साइकिल	11-07-2018	आरएनजी
1968	MP1845615	रामकरण दोहर	रामनाथ दोहर	सतना	बछवाई	15-03-2017	1,20,000	MP19MN6257	मोटर साइकिल	02-01-2016	आरएनजी
1969	MP4824283	फुलेश कोरी	चुनबड़ी कोरी	सतना	बरकलां	22-10-2020		MP19NA5265	मोटर साइकिल	05-09-2020	आरएनजी
1970	MP4294937	शिवपाल साकेत	रामलाल साकेत	सतना	बारी खुर्द	05-05-2020	1,05,000	MP19MN8730	मोटर साइकिल	11-02-2016	आरएनजी
1971	MP4931007	चेतराम पाण्डेय	श्यामलाल	सतना	बेला	21-11-2020		MP19MQ3750	मोपेड	10-01-2017	आरएनजी
1972	MP4993042	जोगेंद्र दहिया	बाबू लाल	सतना	उमरी	06-10-2020	25,000	MP19MX6008	मोटर साइकिल	22-08-2019	आरएनजी
1973	MP3761948	दया निदान सिंह	राज बहादुर सिंह	सतना	करसरा	05-07-2019	1,20,000	MP19MV4099	मोटर साइकिल	12-04-2019	आरएनजी

1974	MP4602078	राज किशोर कोल	रामदीन कोल	सतना	बिरहुली	21-11-2020		MP19MR3733	मोटर साइकिल	30-05-2017	आरएनजी
1975	MP4601767	सौखीलाल चौधरी	किशोर चौधरी	सतना	बिरहुली	21-11-2020		MP19MP8102	मोटर साइकिल	11-08-2016	आरएनजी
1976	MP4438490	शिरोमन कोल	जेठुआ	सतना	कोरगवान	17-11-2020		MP19MX2983	मोटर साइकिल	01-08-2019	आरएनजी
1977	MP3871332	प्रेम प्रकाश सिंह	शंकर सिंह	सतना	दिदौंध	25-05-2018	1,20,000	MP19R4742	ऑटो रिक्शा	18-05-2016	आरएनजी
1978	MP2920379	जय सिंह	राम जी	सतना	गोरैया	06-07-2019	1,20,000	MP19MX1088	मोटर साइकिल	25-06-2019	आरएनजी
1979	MP2475625	नागेंद्र सिंह	गणेश सिंह	सतना	गोरैया	24-03-2018	1,20,000	MP19R5648	ऑटो रिक्शा	06-09-2017	आरएनजी
1980	MP4453521	राम प्रसाद अहिरवार	शिवबालक अहिरवार	सतना	झाली	22-12-2020		MP19MP1088	मोटर साइकिल	07-04-2016	आरएनजी
1981	MP4540436	तेजराम कुशवाहा	माणिकलाल	सतना	कल्हारी	22-10-2020	25,000	MP19MX7443	मोटर साइकिल	08-09-2019	आरएनजी
1982	MP4964353	रामबालक बागरी	नत्थूलाल बागरी	सतना	सैपुरा	06-07-2019	1,20,000	MP19MP9525	मोटर साइकिल	30-09-2016	आरएनजी
1983	MP2721571	प्रदीप त्रिपाठी	गया प्रसाद त्रिपाठी	सतना	करसरा	06-09-2019	1,20,000	MP19MS8613	मोटर साइकिल	08-01-2018	आरएनजी
1984	MP2865748	नीरज पाण्डेय	राजेंद्रमन	सतना	करसरा	06-08-2019	1,20,000	MP19MP8620	मोटर साइकिल	01-09-2016	आरएनजी
1985	MP2908441	रणधीर सिंह	धर्मदास सिंह	सतना	खम्हरिया	10-07-2018	1,20,000	MP19MT4508	मोटर साइकिल	12-04-2018	आरएनजी
1986	MP2468576	भोज राज सिंह	बलराम सिंह	सतना	खम्हरिया	19-04-2018	1,20,000	MP19MR5314	मोटर साइकिल	16-06-2017	आरएनजी
1987	MP2923664	राजेश्वर सिंह	काशी सिंह	सतना	खम्हरिया	30-06-2019	1,20,000	MP19MS8261	मोटर साइकिल	30-12-2017	आरएनजी

1988	MP4215880	रमेश दहिया	रामश्रय दहिया	सतना	सरभाना	17-11-2020	25,000	MP19MZ8950	मोटर साइकिल	05-07-2020	आरएनजी
1989	MP3472905	बुद्धमान चौधरी	जागेश्वर चौधरी	सतना	कुड़िया	13-01-2017	1,20,000	MP19R5072	ऑटो रिक्शा	02-12-2016	आरएनजी
1990	MP2882946	राजाराम चौधरी	सुखाई चौधरी	सतना	मझगवां	20-04-2018	1,20,000	MP19MN9774	मोटर साइकिल	16-03-2016	आरएनजी
1991	MP3009215	रामरूप दहिया	रामदत्त दहिया	सतना	बडेरा	10-04-2018	1,20,000	MP19MP2545	मोटर साइकिल	18-05-2016	आरएनजी
1992	MP2497144	बाल्मीक केवट	रामकेतन केवट	सतना	मथेना	20-04-2018	1,20,000	MP19MS5889	मोपेड	06-12-2017	आरएनजी
1993	MP3498506	मनसुख साहू	दासियां साहू	सतना	मौहर	08-09-2019	1,20,000	MP19MV9044	मोटर साइकिल	12-02-2019	आरएनजी
1994	MP5604954	चंद्र कांत सिंह	शिवबहादुर सिंह	सतना	घुघुवर	31-10-2020		MP19MN6284	मोटर साइकिल	02-01-2016	आरएनजी
1995	MP3072661	कंछेड़ीलाल कुशवाहा	कल्याण चंद्रा	सतना	नारायणपुर	05-09-2019	1,05,000	MP19MN9603	मोटर साइकिल	15-03-2016	आरएनजी
1996	MP4427255	जयलाल कोल	शंकर	सतना	नयागांव	28-10-2019	1,05,000	MP19MT4887	मोटर साइकिल	12-04-2018	आरएनजी
1997	MP4649565	राजन नामदेव	इंद्र पाल नामदेव	सतना	लिलौरी	18-02-2021		MP19MY2726	मोटर साइकिल	03-02-2020	आरएनजी
1998	MP3076539	सत्येंद्र सिंह	उदयराज सिंह	सतना	पवैया	06-07-2019	1,20,000	MP19MP9105	मोटर साइकिल	21-09-2016	आरएनजी
1999	MP5043062	भैया किशोर	शंकर	सतना	पवैया	22-10-2020		MP19MX2905	मोटर साइकिल	19-07-2019	आरएनजी
2000	MP2419544	विनोद साकेत	राम सुदर्शन साकेत	सतना	पोइंधा कलां	03-04-2017	1,20,000	MP19MP4915	मोटर साइकिल	16-06-2016	आरएनजी
2001	MP5675270	राजेश सेन	जागेश्वर सेन	सतना	गुलु	22-10-2020	25,000	MP19MW6637	मोटर साइकिल	16-05-2019	आरएनजी

2002	MP5340078	भगवान दीन दोहर	शिवबालक दोहर	सतना	खम्हा	07-05-2020	1,20,000	MP19MW9938	मोटर साइकिल	25-05-2019	आरएनजी
2003	MP2952031	अशोक	रामसिया	सतना	रायगांव	10-03-2018	1,20,000	MP19MP7283	मोटर साइकिल	06-08-2016	आरएनजी
2004	MP4973837	अरविन्द प्रताप सिंह	पुष्पेंद्र सिंह	सतना	धनखेर कलां	07-10-2020	25,000	MP19MS6922	मोटर साइकिल	15-12-2017	आरएनजी
2005	MP4317530	तेजपाल केवट	रामकरण	सतना	सेजरा	22-10-2020		MP19NA6596	मोटर साइकिल	27-09-2020	आरएनजी
2006	MP4662470	राजेश चौधरी	लालमन चौधरी	सतना	सोहौला	31-10-2020		MP19MW1778	मोटर साइकिल	15-03-2019	आरएनजी
2007	MP5201570	निजर अहमद	नूर मोहम्मद	सतना	सोहावल	05-02-2021		MP19MZ8681	मोटर साइकिल	30-06-2020	आरएनजी
2008	MP5010369	कमलेश प्रसाद	संपतलाल	सतना	उदय सागर	22-10-2020		MP19R7829	ऑटो रिक्शा	04-12-2019	आरएनजी
2009	MP5365859	घनश्याम सिंह	राम शिरोमणि सिंह	सतना	उजरौधा	21-11-2020	25,000	MP19R5174	ऑटो रिक्शा	17-01-2017	आरएनजी
2010	MP4531657	राम यश कोरी	राम निवास कोरी	सतना	बंदी मोहर	19-10-2020		MP19MT4238	मोपेड	06-04-2018	आरएनजी
2011	MP4549961	रवेंद्र सिंह	सियाशरण सिंह	सतना	दादरी	10-11-2020		MP19MT1638	स्कूटर	16-02-2018	आरएनजी
2012	MP5441494	नरेश पटेल	जयकरण पटेल	सतना	चकाहाट	06-10-2020		MP19MZ6614	मोटर साइकिल	30-04-2020	आरएनजी
2013	MP3429417	मिराई सिंह	लालू सिंह	सतना	कड़िया	02-04-2018	1,20,000	MP19CB4860	मोटर	08-12-2016	आरएनजी
2014	MP4588374	नरेश सिंह	मंगल सिंह	सतना	बसाहा	02-05-2020	1,20,000	MP19MY5763	मोटर साइकिल	07-01-2020	आरएनजी
2015	MP2782345	नरेंद्र सिंह	पंचम सिंह	सतना	डोंगरिया	11-05-2017	1,20,000	MP19MN8373	मोटर साइकिल	06-02-2016	आरएनजी

2016	MP4375073	लल्लू सिंह	पूरन सिंह	सतना	करौंदी	05-05-2020	1,20,000	MP19MU7283	मोटर साइकिल	15-09-2018	आरएनजी
2017	MP4519129	शिव कुमार वर्मन	मंगल प्रसाद वर्मन	सतना	करही खुर्द	17-10-2020		MP19MU8054	मोटर साइकिल	11-10-2018	आरएनजी
2018	MP1425854	अम्बिका दहायत	मोहन दहायत	सतना	लोहरौरा	13-05-2017	1,20,000	MP19MR1041	मोटर साइकिल	27-04-2017	आरएनजी
2019	MP3056923	जयकरण कुशवाहा	मौनी	सतना	मानिकपुर	24-06-2019	1,20,000	MP19MV8879	मोटर साइकिल	15-02-2019	आरएनजी
2020	MP4396121	रमाशंकर	दुर्गा प्रसाद	सतना	पिपरा	29-04-2020	1,20,000	MP19MU8940	मोटर साइकिल	05-11-2018	आरएनजी
2021	MP5445644	बालेंद्र सिंह	रामखेलावन सिंह	सतना	पंगरी	07-10-2020		MP19MY2343	मोटर साइकिल	06-02-2020	आरएनजी
2022	MP5459521	कमलेंद्र सिंह	बिहारीलाल सिंह	सतना	पंगरी	19-10-2020		MP19AC8051	ट्रैक्टर	28-08-2020	आरएनजी
2023	MP4671132	राम नरेश सिंह	माधव सिंह	सतना	जमुनिया कलां	05-05-2020	1,05,000	MP19MW0275	मोटर साइकिल	28-02-2019	आरएनजी
2024	MP5074440	रवेंद्र सिंह	केवल सिंह	सतना	खाखरा	19-10-2020		MP19MZ2307	मोटर साइकिल	30-04-2020	आरएनजी
2025	MP5303546	हुकुम सिंह	मंगल सिंह	सतना	खम्हा	03-11-2020		MP19MU9236	मोटर साइकिल	12-10-2018	आरएनजी
2026	MP5372952	राजेन्द्र सिंह	रघुवर सिंह	सतना	खम्हा	19-10-2020		MP19MW2056	मोटर साइकिल	22-02-2019	आरएनजी
2027	MP4327046	जय पाल सिंह	महवर सिंह	सतना	खम्हा	05-05-2020	1,20,000	MP19MZ0223	मोटर साइकिल	16-03-2020	आरएनजी
2028	MP5333640	मोहन सिंह	किशोर सिंह	सतना	खम्हा	03-11-2020		MP19MP2058	मोटर साइकिल	04-05-2016	आरएनजी
2029	MP2928103	शिव बहादुर	सुंदर सिंह	सतना	पटौरा	01-08-2019	1,20,000	MP19GA3826	माल ट्रक	15-12-2017	आरएनजी

2030	MP3075900	शिवनारायण कुशवाहा	कंछेड़ी लाल	सतना	अंतरबेदिया खुर्द	10-03-2018	1,20,000	MP19MN6826	मोटर साइकिल	13-01-2016	आरएनजी
2031	MP3078915	रज्जू कोल	कोदूलाल	सतना	पिथौराबाद	24-07-2019	1,20,000	MP19MR7296	मोटर साइकिल	20-07-2017	आरएनजी
2032	MP3532896	प्रदीप सिंह	राजभान	सतना	पिथौराबाद	02-07-2019	1,20,000	MP19MU6845	मोटर साइकिल	24-08-2018	आरएनजी
2033	MP4348952	विजय भान	राम खेलावन	सतना	कोनिया	19-10-2020		MP19MW0649	मोटर साइकिल	21-02-2019	आरएनजी
2034	MP4532024	राम प्रकाश कोल	महिपाल	सतना	महाराज	07-10-2020		MP19MY6851	मोटर साइकिल	20-03-2020	आरएनजी
2035	MP5283729	गिरजा मिश्रा	नंदी लाल मिश्र	सतना	रागौली	20-10-2020		MP19MV5085	मोटर साइकिल	11-01-2019	आरएनजी
2036	MP5340018	देवी सिंह	श्यामल सिंह	सतना	करीमती	20-10-2020		MP19MW6149	मोटर साइकिल	23-04-2019	आरएनजी
2037	MP5144154	रामलखन साकेत	ब्रजलाल साकेत	सतना	उमरी	09-02-2021		MP19MU4486	मोपेड	17-07-2018	आरएनजी

(नोट: एन/ए: स्वीकृत नहीं; आरएनजी: उत्तर नहीं दिया गया)

परिशिष्ट-2.2.4

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.6.4(ख)i, पृष्ठ संख्या 116)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्मित और पूर्ण आवासों का विवरण जिनका आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था

स.क्र.	पीएमएवाईजी पंजीकरण संख्या	लाभार्थी का नाम	पिता का नाम	लिंग	श्रेणी	गांव, पंचायत, ब्लॉक और जिला	स्वीकृति वर्ष	आवास की स्थिति आवास सॉफ्ट के अनुसार	घर की वास्तविक स्थिति	क्या आवास लाभार्थी के द्वारा उपयोग किया जाता है	यदि उपयोग किया जाता है, तो किस प्रयोजन के लिए	कारण
1	MP5548571	किशोर सिंह सोलंकी	जगदेव सिंह	पुरुष	अन्य	धरमराइ धरमराइ, डही धार	2020-21	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	लागू नहीं	उनके पास पहले से ही एक पक्का मकान है जिसमें वह रहते हैं
2	MP5213750	जलाकिया	--	महिला	अन्य	धरमराइ धरमराइ, डही धार	2020-21	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	लागू नहीं	लाभार्थी पुराने कच्चे मकान में निवास करता है
3	MP2591365	गिरिराज सिंह सोलंकी	भवानी सिंह	पुरुष	अन्य	धरमराइ धरमराइ, डही धार	2017-18	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	लागू नहीं	लाभार्थी पुराने कच्चे मकान में निवास करता है
4	MP4300823	निर्भयसिंह चौहान	जुरा सिंह	पुरुष	अजजा	अज्गांव, पडियाल, डही धार	2020-21	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	लागू नहीं	लाभार्थी पुराने कच्चे मकान में निवास करता है
5	MP3684470	अमृत सिंह	विजय सिंह	पुरुष	अन्य	कोटरा, पहाडगढ़, ब्याबरा राजगढ़	2019-20	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	मवेशी	लाभार्थी पुराने कच्चे मकान में निवास करता है

6	MP1910226	अजुध्या बाई	गोपीलाल	महिला	अजा	सम्भुपुर, पहाडगढ़, ब्याबरा राजगढ़	2016-17	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	सामग्री रखने के लिए	लाभार्थी पुराने कच्चे मकान में निवास करता है
7	MP1285765	भावरी बाई	शंकर लाल	महिला	अन्य	सम्भुपुर, पहाडगढ़, ब्याबरा राजगढ़	2016-17	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	सामग्री रखने के लिए	लाभार्थी पुराने कच्चे मकान में निवास करता है
8	MP3421691	दिनेश	भावजी	पुरुष	अजजा	बरडा, बरडा, सैलाना, रतलाम	2019-20	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	लागूनहीं	लाभार्थी पुराने कच्चे मकान में निवास करता है
9	MP1882904	रमेश	राम स्वरूप	पुरुष	अन्य	रैगावान, रैगावान, मैहर, सतना	2017-18	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	मवेशी	लाभार्थी पुराने कच्चे मकान में निवास करता है

(स्रोत: संयुक्त भौतिक सत्यापन के रिकॉर्ड)

परिशिष्ट-2.2.5

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.6.4(ख)i, पृष्ठ संख्या 117)

आवास सॉफ्ट के अनुसार पूर्ण किए गए और संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान अपूर्ण पाए गए आवासों को दर्शाने वाला विवरण

स.क्र.	पीएमएवाई-जी पंजीकरण संख्या	लाभार्थी का नाम	पिता का नाम	लिंग	श्रेणी	गांव, पंचायत, ब्लॉक और जिला	स्वीकृति वर्ष	आवास सॉफ्ट के अनुसार आवास की स्थिति	घर की वास्तविक स्थिति	निरीक्षण के दौरान मकान के निर्माण की वास्तविक अवस्था	यदि अधूरा है, तो कारण बताएं
1	MP1017072	हरबाई		महिला	अन्य	ओटापुरवा, औंटापुरवा, राजनगर, छतरपुर	2020-21	पूर्ण	अपूर्ण	कार्य प्रगतिरत	कार्य प्रगतिरत
2	MP3206934	बिहारी पटेल	मन्नू पटेल	पुरुष	अन्य	रामपुरा, औंटापुरवा, राजनगर, छतरपुर	2019-20	पूर्ण	अपूर्ण	लिंटल लेवल	अग्रिम किश्त बाकी
3	MP2773149	शकुंतला अहिरवार	घनश्याम अहिरवार	महिला	अजा	ओटापुरवा, औंटापुरवा, राजनगर, छतरपुर	2019-20	पूर्ण	अपूर्ण	लिंटल लेवल	लागू नहीं
4	MP2554023	कैलाशरानी अहिरवार		महिला	अजा	धरमपुरा, धरमपुरा, बक्सवाहा, छतरपुर	2019-20	पूर्ण	अपूर्ण	लिंटल लेवल	कार्य प्रगतिरत
5	MP4248326	खूबलाल पटेल	जगन्नाथ	पुरुष	अन्य	कटारा, कटारा, राजनगर, छतरपुर	2020-21	पूर्ण	अपूर्ण	लिंटल लेवल	बड़े साइज़ के कारण
6	MP4060904	सती	सोबन	महिला	अजजा	हरदुवा, बीरमपुरा, बक्सवाहा, छतरपुर	2019-20	पूर्ण	अपूर्ण	लिंटल लेवल	बारिश के कारण
7	MP4084172	ब्रजलाल प्रजापति	भागीरथ प्रजापति	पुरुष	अजा	राजपुर, सुरजपुरा, राजनगर, छतरपुर	2019-20	पूर्ण	अपूर्ण	लिंटल लेवल	पैसे की कमी के कारण

8	MP3622287	संजली बहू	भगोनी	महिला	अजजा	बंसनी, बंसनी, दमोह, दमोह	2019-20	पूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण	कार्य प्रगतिरत
9	MP3924691	कैलाश	मंगत सिंह	पुरुष	अजजा	पीथमपुर, पडियाल, डही, धार	2020-21	पूर्ण	अपूर्ण	लिंटल लेवल	रूचि नहीं
10	MP1036223	लल्लू	जुवन सिंह पांचाल	पुरुष	अजजा	पडियाल, पडियाल, डही, धार	2020-21	पूर्ण	अपूर्ण	लिंटल लेवल	कार्य प्रगतिरत
11	MP2310281	जामसिंह	मुकुंद	पुरुष	अजजा	अम्बापुरा, इमलीपुरा, नालछा, धार	2016-17	पूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण	बड़े साइज़ के कारण
12	MP4113615	संजदी	मुनिया	महिला	अजजा	रातीतलाई, मालीपुरा, नालछा, धार	2019-20	पूर्ण	अपूर्ण	लिंटल लेवल	रूचि नहीं
13	MP3644555	सावित्री बाई	शंकरलाल	महिला	अन्य	तोडी, तोडी, ब्याबरा, राजगढ़	2019-20	पूर्ण	अपूर्ण	लिंटल लेवल	पैसे की कमी के कारण
14	MP2639223	लक्ष्मण		पुरुष	अजजा	हालीवाडा, चरपोटा, चिकनी, बाजना, रतलाम	2019-20	पूर्ण	अपूर्ण	लिंटल लेवल	रूचि नहीं
15	MP1608075	लिम्बजी	मेघ जी	पुरुष	अजजा	चिकनी, चिकनी, बाजना, रतलाम	2019-20	पूर्ण	अपूर्ण	लिंटल लेवल	कोई कारण नहीं
16	MP2944241	नारायण	हरि सिंह	पुरुष	अजजा	संकड़, पटदी, सैलाना, रतलाम	2019-20	पूर्ण	अपूर्ण	लिंटल लेवल	रूचि नहीं
17	MP3192750	राय सिंह मायरा	विराजी	पुरुष	अजजा	पटदी, पटदी, सैलाना, रतलाम	2019-20	पूर्ण	अपूर्ण	लिंटल लेवल	कार्य प्रगतिरत
18	MP3219452	सुखाराम	हीराजी	पुरुष	अजजा	पटदी, पटदी, सैलाना, रतलाम	2019-20	पूर्ण	अपूर्ण	लिंटल लेवल	आजीविका के लिए पलायन
19	MP3012739	बालू	नागजी	पुरुष	अजजा	संकड़, पटदी, सैलाना, रतलाम	2019-20	पूर्ण	अपूर्ण	लिंटल लेवल	रूचि नहीं

परिशिष्ट-2.2.6

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.6.4(ख)i, पृष्ठ संख्या 118)

पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के स्वीकृत आवास एवं संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान उनके स्वामित्व में 2/3/4 पहिया वाहन को दर्शाये जाने वाला विवरण

स.क्र.	पीएमएवाईजी पंजीकरण सं.	हितग्राही का नाम	पिता का नाम	लिंग	वर्ग	ग्राम, पंचायत, जनपद, जिला	स्वीकृति वर्ष	आवास सॉफ्ट के अनुसार आवास की स्थिति	घर की वास्तविक स्थिति	यदि लाभार्थी के पास 2/3/4 पहिया वाहन है?
1	MP2478531	रोशनी	सरजू यादव	महिला	अन्य	चौका कोदन, कटारा, राजनगर, छतरपुर	2019-20	पूर्ण	पूर्ण	हां
2	MP5548571	किशोर सिंह सोलंकी	जगदेव सिंह	पुरुष	अन्य	धरमराइ, धरमराइ, डही, धार	2020-21	पूर्ण	पूर्ण	हां
3	MP3809514	द्वारिका प्रसाद	नंदू राम	पुरुष	अजा	बागवई, बागवई(पी), भितरवार, ग्वालियर	2019-20	पूर्ण	पूर्ण	हां
4	MP5194987	सरमन	गिलुराम	पुरुष	अन्य	भानगढ़, सोताखिरिया(पी), भितरवार, ग्वालियर	2019-20	पूर्ण	पूर्ण	हां

स.क्र.	पीएमएवाईजी पंजीकरण सं.	हितग्राही का नाम	पिता का नाम	लिंग	वर्ग	ग्राम, पंचायत, जनपद, जिला	स्वीकृति वर्ष	आवास सॉफ्ट के अनुसार आवास की स्थिति	घर की वास्तविक स्थिति	यदि लाभार्थी के पास 2/3/4 पहिया वाहन है?
5	MP4466936	हरी सिंह	लक्खू	पुरुष	अन्य	भानगढ़, सोताखिरिया(पी), भितरवार, ग्वालियर	2018-19	पूर्ण	पूर्ण	हां
6	MP5084848	बलवीर सिंह बघेल	पोशन सिंह	पुरुष	अन्य	सिली, कुम्हार्रा(पी), डबरा, ग्वालियर	2019-20	पूर्ण	पूर्ण	हां
7	MP1801015	शिवचरण दांगी	कालूराम डांगी	पुरुष	अन्य	सेन्द्रा, जतामादी, खिलचीपुर, राजगढ़	2019-20	पूर्ण	पूर्ण	हां
8	MP2752355	घीसालाल डांगी	मांगीलाल डांगी	पुरुष	अन्य	सेन्द्रा, जतामादी, खिलचीपुर, राजगढ़	2018-19	पूर्ण	पूर्ण	हां
9	MP3074661	राहुल कुमार दांगी	गंगाधर दांगी	पुरुष	अन्य	सेन्द्रा, जतामादी, खिलचीपुर, राजगढ़	2019-20	पूर्ण	पूर्ण	हां
10	MP2084034	हेमराज दांगी	बिहारीलाल दांगी	पुरुष	अन्य	सेन्द्रा, जतामादी, खिलचीपुर, राजगढ़	2019-20	पूर्ण	पूर्ण	हां

स.क्र.	पीएमएवाईजी पंजीकरण सं.	हितग्राही का नाम	पिता का नाम	लिंग	वर्ग	ग्राम, पंचायत, जनपद, जिला	स्वीकृति वर्ष	आवास सॉफ्ट के अनुसार आवास की स्थिति	घर की वास्तविक स्थिति	यदि लाभार्थी के पास 2/3/4 पहिया वाहन है?
11	MP2496899	रामप्रसाद	गोवर्धनलाल	पुरुष	अन्य	पिपरियाकला, पिपलियाकला,खिलचीपुर, राजगढ़	2018-19	पूर्ण	पूर्ण	हां
12	MP3562553	देवनारायण	भवरलाल	पुरुष	अन्य	पिपरियाकला, पिपलियाकला,खिलचीपुर, राजगढ़	2019-20	पूर्ण	पूर्ण	हां
13	MP2440241	रामनारायण	भगीरथ	पुरुष	अन्य	पिपरियाकला, पिपलियाकला,खिलचीपुर, राजगढ़	2019-20	पूर्ण	पूर्ण	हां
14	MP3819294	प्रेम सिंह	राम सिंह	पुरुष	अन्य	रनारा, रनारा, खिलचीपुर, राजगढ़	2019-20	पूर्ण	पूर्ण	हां
15	MP3318500	राम प्रसाद सिंह	रॉड सिंह	पुरुष	अन्य	रनारा, रनारा, खिलचीपुर, राजगढ़	2019-20	पूर्ण	पूर्ण	हां

स.क्र.	पीएमएवाईजी पंजीकरण सं.	हितग्राही का नाम	पिता का नाम	लिंग	वर्ग	ग्राम, पंचायत, जनपद, जिला	स्वीकृति वर्ष	आवास सॉफ्ट के अनुसार आवास की स्थिति	घर की वास्तविक स्थिति	यदि लाभार्थी के पास 2/3/4 पहिया वाहन है?
16	MP2837945	जगदीश	बदरी लाल	पुरुष	अन्य	खनोता, खनोता, ब्याबरा, राजगढ़	2019-20	पूर्ण	पूर्ण	हां
17	MP1582646	नारायण सिंह	विजय सिंह	पुरुष	अन्य	शेखपुरा, पहाडगढ़, ब्याबरा, राजगढ़	2018-19	पूर्ण	पूर्ण	हां
18	MP2544454	बालू	हिरिया	पुरुष	अजजा	पटदी पटदी सैलाना रतलाम	2019-20	पूर्ण	पूर्ण	हां
19	MP2547362	कांति लाल	कामाजी	पुरुष	अजजा	टोरी, बरदा, सैलाना रतलाम	2019-20	पूर्ण	पूर्ण	हां

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: कण्डिका 3.3, पृष्ठ क्रमांक 136)

आवंटन और व्यय का विवरण अवधि 2017-18 से 2019-20

(₹करोड़ में)

क्रमांक	इकाई का नाम	वर्ष 2017-18			वर्ष 2018-19			वर्ष 2019-20		
		जि.पं./ज.पं. को आंवटित राशि	जि.पं./ज.पं. द्वारा व्यय राशि	बचत	जि.पं./ज.पं. को आंवटित राशि	जि.पं./ज.पं. द्वारा व्यय राशि	बचत	जि.पं./ज.पं. को आंवटित राशि	जि.पं./ज.पं. द्वारा व्यय राशि	बचत
1	जिला पंचायत विदिशा	2.10	1.90	0.20	2.10	1.69	0.41	3.25	0.00	3.25
2	जनपद पंचायत नटेरन, विदिशा	1.24	1.04	0.20	1.24	1.08	0.16	1.60	0.00	1.60
3	जिला पंचायत सागर	2.90	2.49	0.41	2.90	2.45	0.45	4.45	0.00	4.45
4	जनपद पंचायत रहली, सागर	1.12	0.98	0.14	1.12	0.96	0.16	1.45	0.00	1.45
5	जिला पंचायत मंडला	1.80	1.52	0.28	1.80	1.72	0.08	2.80	0.00	2.80
6	जनपद पंचायत मंडला	1.12	1.01	0.11	1.12	1.00	0.12	1.45	0.00	1.45
7	जिला पंचायत जबलपुर	1.90	1.54	0.36	1.90	1.26	0.64	2.95	0.00	2.95
8	जनपद पंचायत मझौली, जबलपुर	1.12	1.10	0.02	1.12	1.09	0.03	1.45	0.00	1.45
9	जिला पंचायत धार	2.90	2.46	0.44	2.90	2.26	0.64	4.45	0.00	4.45
10	जनपद पंचायत सरदारपुर, धार	1.12	1.01	0.11	1.12	0.90	0.22	1.45	0.00	1.45
11	जिला पंचायत टीकमगढ़	2.00	1.95	0.05	2.00	1.65	0.35	3.10	0.00	3.10
12	जनपद पंचायत बलदेवगढ़, टीकमगढ़	1.12	1.12	0.00	1.12	1.12	0.00	1.45	0.00	1.45
13	जिला पंचायत ग्वालियर	1.50	1.28	0.22	1.50	1.24	0.26	2.35	0.00	2.35
14	जनपद पंचायत मोरार, ग्वालियर	1.12	0.90	0.22	1.12	0.86	0.26	1.45	0.00	1.45
	कुल	23.06	20.30	2.76	23.06	19.28	3.78	33.65	0.00	33.65

(स्त्रोत का आधारः चयनित जिला/जनपद पंचायतों द्वारा प्रदाय अभिलेख)

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: कण्डिका 3.4.1, पृष्ठ क्रमांक 138)

जीपीडीपी में शामिल नहीं किये गये कार्यो का विवरण

क्रमांक	वर्ष	कार्य का नाम	जि.पं./ज.पं./ग्रा.पं. का नाम
1.	2017-18	मेन रोड से संतोष बसोर के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर/शाहपुरा/शिवनगर टोला
2.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर/सीहोरा/गोसलपुर
3.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर / मझौली /गौरहा
4.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर / मझौली /गांधीगंज
5.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /पनागर/मोहनिया
6.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /पनागर/तिवारीखेडा
7.	2017-18	सी.सी. के साथ फर्श	जबलपुर /पनागर/चित्री
8.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर / मझौली /गथौरा
9.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर / मझौली /रिवंझा
10.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर / मझौली /महगवा
11.	2017-18	निकास निर्माण	जबलपुर /पाटन/रामखिरिया
12.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /पनागर/गुरगांव
13.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /पनागर/बडखेडा
14.	2017-18	पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/पलेरा/तोरिया
15.	2017-18	पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/जतारा/बसनेरा
16.	2017-18	पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/ टीकमगढ़/मउघाट
17.	2017-18	पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/पलेरा/खारो
18.	2017-18	मेन रोड से मिडिल स्कूल तक पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/ बलदेवगढ/लडवाडी
19.	2017-18	जमुनिया नाला पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/ बलदेवगढ/लडवाडी
20.	2017-18	सामुदायिक भवन	टीकमगढ़/ बलदेवगढ/लडवाडी
21.	2017-18	रतिराम के घर से स्कूल तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/सागर/हिलग्न
22.	2017-18	प्राथमिक विघालय और उच्च विघालय पर सी.सी. रोड निर्माण	सागर/जैसनगर/महुआखेडा पेगावर
23.	2017-18	दिलीप सिंह के खेत से मंदिर वाली मडिया तक नाली के साथ सी.सी. रोड निर्माण	सागर/जैसनगर/विलहारा
24.	2017-18	चौपाल और सी.सी. रोड निर्माण गोपालपुरा	सागर/रहली/संजरा
25.	2017-18	खैरमाता परिसर चौपाल और सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/जुडा
26.	2017-18	सामुदायिक भवन का विस्तार ग्राम पंचायत पटनाबुजुर्ग जानकीरामन मंदिर	सागर/रहली/पटनाबुजुर्ग
27.	2017-18	सामुदायिक भवन का सौदर्यकरण ग्राम पंचायत पटनाबुजुर्ग जानकीरामन मंदिर	सागर/रहली/पटनाबुजुर्ग
28.	2017-18	निर्मल नीर के घर से मूले सिंह तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/देवरी/भररायी
29.	2017-18	बद्री के घर से कालीमाता तिगडा सी.सी. रोड निर्माण	सागर/कैसली/थावरीभिलिया
30.	2017-18	त्रिवेदी मंदिर से तुलसीराम पटेल के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/खुरई/खिमलसा
31.	2017-18	पुलिस थाना से हरदास के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/मालथन/मालथन
32.	2017-18	पीपरासार में पाइपलाइन विस्तारिकरण	सागर/बीना/पीपरासार
33.	2017-18	ग्राम बरखेडीताडा में सी.सी. रोड निर्माण	सागर/बीना/बरखेडीताडा
34.	2017-18	संतोष कुमार जैन के घर से बाबू लोधी के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/शाहगढ/किशनपुरा

35.	2017-18	कुलदीप शर्मा के घर से मानसिह के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/संजरा
36.	2017-18	मथुरा साहू के घर से भगवान दास के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/संजरा
37.	2017-18	हरसता नाले पर पुलिया सह स्टापडेम का निर्माण	मंडला/मंडला/बक्छेरागोंदी
38.	2017-18	चिडीलाल के घर से ऐजुकेशन गांरटी स्कूल तक सी.सी. रोड निर्माण	मंडला/मोहगाव/झुरकीपोडी
39.	2017-18	गरमदा तट पर घाघी में घाट निर्माण	मंडला/मंडला/घाघा
40.	2017-18	चाटुमार जिलेहारी में घाट निर्माण	मंडला/मंडला/चाटुमार
41.	2017-18	शासकीय हैडपम्प के पास पुलिया निर्माण	मंडला/नैनपुर/रमगढी
42.	2017-18	बजार टोला काटकीनाला पुलिया निर्माण	मंडला/मोहगाव/अंडिया माल
43.	2017-18	खलवारा रोड से पंचम के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	मंडला/मंडला/बक्छेरागोंदी
44.	2017-18	लखन के घर से अशोक के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	मंडला/मंडला/बक्छेरागोंदी
45.	2017-18	संजय चौरसिया के घर से डिडोरी रोड तक सी.सी. रोड निर्माण	मंडला/मंडला/बडीखैरी
46.	2017-18	हनुमान मंदिर से बैकपुरा रोड तक पुलिया निर्माण	धार/धरमापुरी/मेहगाव
47.	2017-18	नाकाफलिया देवी सामुदायिक भवन	धार/बाघ/आंबासोटी
48.	2017-18	घाटबोरी परदा रोड से कब्रिसतान तक सी.सी. आंतरिक मार्ग निर्माण	धार/बाघ/घारबोडी
49.	2017-18	सामूहिक महिला स्नानगृह और लैटबाथ	धार/डही/पडियाल
50.	2017-18	भीम के खेत के पास पुलिया निर्माण	धार/तिरला/बडलीपुरा
51.	2017-18	मायाराम के खेत के पास पुलिया निर्माण	धार/तिरला/खिडक्याकला
52.	2017-18	मेन रोड से चौकीदार के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	धार/गंधवानी/धोला हनुमान
53.	2017-18	लीलाबाई के घर से सागरीबाई तक सी.सी. रोड निर्माण	धार/गंधवानी/खरबयडी
54.	2017-18	सलीम के घर से नाले तक सी.सी. रोड निर्माण	धार/उमरबन/भिकन्याखेडी
55.	2017-18	मिडिल स्कूल से मदन लाल के घर तक सी.सी. रोड निकासी निर्माण	धार/बदनावर/मनासा
56.	2017-18	विजय श्यामलाल के घर से मोहन नन्दराम मौर्या के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	धार/सरदारपुर/भोपावर
57.	2017-18	हरिजन बस्ती मंगल भवन से गोपीलाल हरिजन के घर तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम आटासेमर	विदिशा/बसोदा/आटासेमर
58.	2017-18	कचौडी हरिजन के घर से प्रेम हरिजन के घर तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम खेरोदा	विदिशा/बसोदा/खेरोदा
59.	2017-18	कुंजीलाल के घर से रामचरण के घर तक सी.सी. रोड सह निकासी प्रणाली	विदिशा/ विदिशा/सहजाखेडी
60	2017-18	खिलन सिंह के घर से नन्हे सिंह के घर तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम ककरूआ	विदिशा/कुरवई/मुटर्रा
61.	2017-18	हरिमन से नाबार्ड और बबिया से हरिमन तक सी.सी. रोड निर्माण	विदिशा/नटेरन/मुडराशेरपुर
62.	2017-18	महेन्द्र सिंह कुर्मी के घर से देवीचन्द्र कुर्मी तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम बमूरियां	विदिशा/नटेरन/बमूरियां
63.	2017-18	ग्राम पंचायत भालबामोरा मेन रोड से ग्राम तक सी.सी. रोड सह निकासी प्रणाली	विदिशा/कुरवई/भालबामोरा
64.	2017-18	जितेन्द्र के घर से मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम उमरखेडी	विदिशा/सिरोंज/मुडराभागल
65.	2017-18	फातिमा कौर के घर से माता मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण	विदिशा/नटेरन / डाँगवाडा
66.	2017-18	राजेन्द्र के घर से शंकरलाल के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	विदिशा/नटेरन /खाइखेडा
67.	2017-18	कब्रिस्तान बाउड्रीवाल सुपावली	ग्वालियर/मोरार/सुपावली
68.	2018-19	सी.सी. रोड सह निकासी निर्माण	जबलपुर /पनागर/नौनीकला
69.	2018-19	पुलिया निर्माण	जबलपुर /कुण्डम/खेरी

70.	2018-19	सामुदायिक भवन के सामनें सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /पाटन/मिडकी
71.	2018-19	रमेश बालमिकि के घर से बाली सेन के घर तक सी.सी. रोड सह निकासी	जबलपुर /शाहपुरा/चारगाव पुराना
72.	2018-19	शंकर गढ कालोनी सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /मझाली/हटौली
73.	2018-19	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /जबलपुर /बारबटी
74.	2018-19	चबूतरा निर्माण और फर्शीकरण	जबलपुर /जबलपुर /जोगीधारा
75.	2018-19	चबूतरा निर्माण	जबलपुर /जबलपुर /मुकनवारा
76.	2018-19	आर.सी.सी. पानी की टंकी	जबलपुर /जबलपुर/बरगी
77.	2018-19	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /पनागर/मोहनिया
78.	2018-19	निकासी निर्माण	जबलपुर /पनागर/खिरहनी
79.	2018-19	सी.सी. रोड सह निकासी निर्माण	जबलपुर /शाहपुरा/झालोन
80.	2018-19	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /मझाली/गथौरा
81.	2018-19	सी.सी. रोड निर्माण	टीकमगढ़/ बलदेवगढ/छिदारी
82.	2018-19	पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/पलेरा/दरियापुर
83.	2018-19	बाउड्रीवाल निर्माण	टीकमगढ़/ टीकमगढ़/अन्नतपुरा
84.	2018-19	दीनदयाल प्रजापति के घर से नाले तक नाली निर्माण	टीकमगढ़/निवांडी/जमुनिया
85.	2018-19	नौरापारा मार्ग पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/बलदेवगढ/चंद्रपुरा
86.	2018-19	हरदौल बाबा के पास चबूतरा निर्माण	टीकमगढ़/बलदेवगढ/चंद्रपुरा
87.	2018-19	हरदौल बाबा के पास बाउड्रीवाल निर्माण	टीकमगढ़/बलदेवगढ/चंद्रपुरा
88.	2018-19	मेन रोड से इटरमीडिएट स्कूल तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/ राहतगढ/ औसनखेडी
89.	2018-19	पुलिया से स्कूल तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/ राहतगढ/ किटुआ
90.	2018-19	विरेन्द्र के घर से लालू के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/खुरई/बसाहरी
91.	2018-19	हनुमान मंदिर पर सामुदायिक भवन निर्माण	सागर/खुरई/गंधौली जवाहर
92.	2018-19	घासीराम के घर से मुक्तिधाम तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/खुरई/मुडिया
93.	2018-19	पूरनसिंह के घर से घनश्याम के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/बीना/ढांड
94.	2018-19	मेन रोड से पंचायत भवन तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/बेरखेरीकलां
95.	2018-19	धनिराम पटेल के घर से गोकुल पटेल के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/झुंडा
96.	2018-19	प्रेम आदिवासी के घर से खदान तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/देवरी/डोगरसलैया
97.	2018-19	सेमपाल राजपूत के घर से श्रीराम के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/देवरी/मुआर खास
98.	2018-19	मेन रोड से बडेकुआ तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/केसली/पठार्खुद
99.	2018-19	नन्हे भाई के घर से हेमन्त के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/केसली /थावरी भिलैया
100.	2018-19	शासकीय विघालय में बाउड्रीवाल निर्माण	सागर /शाहगढ/पुराशाहगढ
101.	2018-19	रामेश्वर कुर्मी के घर से भगवानदास के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/जरियाखिरिया
102.	2018-19	मेन रोड से चन्द्रभान दूबे के घर तक और कजरावन से मुक्तिधाम तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/जरियाखिरिया
103.	2018-19	चाटुआमार से गाजीपुर रोड नाला तक पुलिया निर्माण	मंडला/मंडला/गाजीपुर
104.	2018-19	आस्तिक बाबा बिनैका से कटारा रोड तक पुलिया निर्माण	मंडला/मंडला/बिलेका
105.	2018-19	भागवत के घर से खलवाडा मेन रोड तक तक सी.सी. रोड निर्माण	मंडला/मंडला/बक्छेरागोंदी
106.	2018-19	झीकाराम के घर से डिंडोरी रोड तक तक सी.सी. रोड निर्माण	मंडला/मंडला/बडीखैरी
107.	2018-19	टीनशेड और चबूतरा का निर्माण	मंडला/मंडला/बडीखैरी
108.	2018-19	हनुमान मंदिर तक सी.सी. रोड सह नाली निर्माण	धार/बदनवार/खेडा
109.	2018-19	अखडीयापुरा आमघाट पुलिया निर्माण	धार/गंधवानी/धोला हनुमान

110.	2018-19	इलेक्ट्रिक ट्रासफार्मर से सिंह सोबान के घर तक सी.सी. रोड	धार/सरदारपुर/उटावा
111.	2018-19	रूकमा डामा के खेत के पास पुलिया निर्माण	धार/मनावर/सिंघाना
112.	2018-19	संतोष केशा के घर से शंकर तक सी.सी. रोड सह नाली निर्माण	धार/मनावर/दशवी
113.	2018-19	टुटलया के घर से मोहन के घर तक सी.सी. रोड	धार/उमरबन/भुवादा
114.	2018-19	रिर्टनिग वाल निर्माण	धार/उमरबन/रणगांव
115.	2018-19	प्रेत सिंह के खेत के पास रपटा निर्माण	धार/उमरबन/लवानी
116.	2018-19	मोहन के खेत से प्राथमिक विघालय तक सी.सी. रोड निर्माण	धार/उमरबन/बोहारला
117.	2018-19	अमलापुरा में पुलिया निर्माण	धार/बाघ/घोटियादेव
118.	2018-19	बोडिया में पुलिया निर्माण	धार/सरदारपुर/बोडिया
119.	2018-19	द्वारकाप्रसाद कुर्मी के घर से रमेश्वर कुर्मी तक सी.सी. रोड ग्राम चेवला	विदिशा/बसोदा/खेरोदा
120.	2018-19	गप्पूराम रघुवंशी के घर से परशुराम रघुवंशी तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम पवई	विदिशा/बसोदा/पवई
121.	2018-19	हरिजन बस्ती में सी.सी. रोड निर्माण ग्राम सुलतानियाँ	विदिशा/ विदिशा/सुलतानियाँ
122.	2018-19	हरिजन बस्ती से मुक्तिधाम तक सी.सी. रोड सह निकास प्रणाली ग्राम अम्बानगर पुरा	विदिशा/बसोदा/अम्बानगर
123.	2018-19	शान्तिधाम में पेवर ब्लाक,प्लेटफार्म और टीन शेड का निर्माण ग्राम बिछिया	विदिशा/नटेरन/बिछिया
124.	2018-19	मेन रोड से नानकपुर टाउन तक पुलिया निर्माण	विदिशा/नटेरन/नानकपुर
125.	2018-19	प्रेम सिंह के घर से शान्तिधाम तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम मोमनखेडी	विदिशा/नटेरन/घोघरा
126.	2018-19	सलीम के घर से जरूर के घर तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम भालबामोरा	विदिशा/कुरवई/भालबामोरा
127.	2018-19	शान्तिधाम में बाउड्रीवाल निर्माण	विदिशा/नटेरन /डगरवाडा
128.	2018-19	कृपाराम के घर से प्रकाश वार्ड तक सी.सी. रोड सह नाली निर्माण	विदिशा/नटेरन /खाइखेडा
129.	2018-19	सामुदायिक भवन ग्राम चिरोली	ग्वालियर/भितरवार/ चिरोली
130.	2018-19	सामुदायिक भवन बाथम मोहल्ला सेलाइन कुआसालवाई	ग्वालियर/डबरा/सालई
131.	2018-19	सामुदायिक भवन जाटव मोहल्ला सुपावली	ग्वालियर/मोरार/सुपावली
132.	2018-19	शान्तिधाम का बाउड्रीवाल सुपावली	ग्वालियर/मोरार/सुपावली

(स्त्रोत का आधारः चयनित जिला/जनपद पंचायतों द्वारा प्रदाय अभिलेख)

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: कण्डिका 3.4.2, पृष्ठ क्रमांक 138)

स्वीकृत, पूर्ण और अपूर्ण कार्यों का विवरण अवधि 2017-18, 2018-19 (नवम्बर 2020 तक)

क्रमांक	इकाई का नाम	वर्ष 2017-18			वर्ष 2018-19			कुल (नवम्बर 2020 तक)		
		स्वीकृत	पूर्ण	अपूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	अपूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	अपूर्ण
1	जिला पंचायत विदिशा	84	73	11	68	63	05	152	136	16
2	जनपद पंचायत नटेरन, विदिशा	31	31	00	28	28	00	59	59	00
3	जिला पंचायत सागर	135	74	61	127	81	46	262	155	107
4	जनपद पंचायत रहली, सागर	23	22	01	23	23	00	46	45	1
5	जिला पंचायत मंडला	29	23	06	46	33	13	75	56	19
6	जनपद पंचायत मंडला	29	25	04	36	27	09	65	52	13
7	जिला पंचायत जबलपुर	93	53	40	86	30	56	179	83	96
8	जनपद पंचायत मझौली, जबलपुर	60	57	03	63	59	04	123	116	7
9	जिला पंचायत धार	110	45	65	89	56	33	199	101	98
10	जनपद पंचायत सरदारपुर, धार	28	16	12	29	20	09	57	36	21
11	जिला पंचायत टीकमगढ़	35	34	01	37	31	06	72	65	7
12	जनपद पंचायत बलदेवगढ़, टीकमगढ़	27	25	02	35	28	07	62	53	9
13	जिला पंचायत ग्वालियर	24	21	03	26	24	02	50	45	5
14	जनपद पंचायत मोरार, ग्वालियर	32	27	05	33	09	24	65	36	29
	कुल	740	526	214	726	512	214	1466	1038	428

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: कण्डिका 3.4.2, पृष्ठ क्रमांक 139)

उन कार्यों का विवरण जिनमें विलम्ब सुनिश्चित नहीं किया जा सका और कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ

(₹ लाख में)

क्रमांक	वर्ष	कार्य का नाम	जि.प./ज.प./ग्रा.प. का नाम	लागत	कुल व्यय	प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की तिथि	प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार पूर्ण होने की तिथि	पूर्ण होने की तिथि	कार्य की स्थिति
1.	2017-18	मेन रोड से संतोष बसोर के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर/शाहपुरा/सूखा	10.00	10.00	07.11.17	प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लेखित नहीं है	22.07.19	पूर्ण
2.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /मझौली/गौरहा	5.00	5.00	07.11.17	--तदैव--	22.07.18	--तदैव--
3.	2017-18	शांतिधाम सी.सी. रोड	जबलपुर /मझौली/गांधीगंज	5.00	5.00	07.11.17	--तदैव--	12.04.18	--तदैव--
4.	2017-18	रामकृष्ण के घर से शांतिधाम तक सी.सी. रोड	जबलपुर /पनागर/मोहनिया	5.00	5.00	07.11.17	--तदैव--	तिथि स्पष्ट नहीं है	--तदैव--
5.	2017-18	हैण्डपम्प से खिरीमाता सी.सी. रोड	जबलपुर/पनागर/तिवारीखेडा	4.00	4.00	07.11.17	--तदैव--	25.06.18	--तदैव--
6.	2017-18	सी.सी. के साथ फर्श	जबलपुर/पनागर/चित्री (धरहर)	4.00	4.00	01.05.18	--तदैव--	तिथि स्पष्ट नहीं है	--तदैव--
7.	2017-18	जनक के घर से चदरी पटेल के घर तक सी.सी. रोड	जबलपुर/मझौली/गथौरा	4.00	4.00	07.11.17	--तदैव--	13.02.18	--तदैव--
8.	2017-18	सी.सी. रोड	जबलपुर/मझौली/रिवंझा	3.00	3.00	07.11.17	--तदैव--	पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है	--तदैव--
9.	2017-18	सी.सी. रोड	जबलपुर/मझौली/महगवा	3.00	3.00	07.11.17	--तदैव--	26.02.18	--तदैव--
10.	2017-18	नाली निर्माण	जबलपुर/पाटन/रामखिरिया	3.00	3.00	07.11.17	--तदैव--	14.03.18	--तदैव--
11.	2017-18	राम मनोहर के घर से ललित पटेल के घर तक सी.सी. रोड	जबलपुर/पनागर/गुरगांव	3.00	3.00	07.11.17	--तदैव--	02.02.19	--तदैव--
12.	2017-18	चन्डी माई के पास सी.सी. रोड	जबलपुर/पनागर/बडखेडा	3.00	3.00	07.11.17	--तदैव--	पूर्णता प्रमाण	--तदैव--

								पत्र में तिथि उल्लेखित नहीं है	
13.	2017-18	काली माता मंदिर के पास चबूतरा निर्माण	जबलपुर/मझौली/मुडिया मडोद	2.00	2.00	10.01.18	--तदैव--	04.05.19	--तदैव--
14.	2017-18	पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/पलेरा/तोरिया	24.02	24.00	तिथि उल्लेखित नहीं है	प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लेखित नहीं है	पूर्णता प्रमाण पत्र में तिथि उल्लेखित नहीं है	पूर्ण
15.	2017-18	पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/जतारा/बसनेरा	9.50	9.50	उपलब्ध नहीं	.	13.09.19	--तदैव--
16.	2017-18	पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/टीकमगढ़/मउघाट	10.00	10.00	उपलब्ध नहीं	.	02.04.18	--तदैव--
17.	2017-18	कुलदीप शर्मा के घर से मानसिह के घर तक सी.सी. रोड	सागर/रहली/संजरा	4.00	4.00	24.11.17	प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लेखित नहीं है	26.01.18	--तदैव--
18.	2017-18	मथुरा साहु के घर से भगवान दास के घर तक सी.सी. रोड	सागर/रहली/संजरा	10.00	10.00	24.11.17	--तदैव--	03.04.18	--तदैव--
19.	2017-18	लखन के घर से अशोक के घर तक सी.सी. रोड	मंडला/मंडला/बक्छेरागोंदी	5.00	4.99	26.10.17	25.01.18	पूर्णता प्रमाण पत्र में तिथि उल्लेखित नहीं है	--तदैव--
20.	2017-18	हनुमान मंदिर से बकपुरा रोड तक पुलिया निर्माण	धार/धरमापुरी/मेहगाव	10.00	10.00	03.04.18	प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लेखित नहीं है	05.08.18	--तदैव--
21.	2017-18	नाकाफलिया कालीदेवी सामुदायिक भवन	धार/बाघ/अंबासेटी	10.00	8.00	31.05.18	--तदैव--	10.05.19	--तदैव--
22.	2017-18	घाटबोरी परद रोड से कब्रिसतान तक आंतरिक सी.सी.मार्ग निर्माण	धार/बाघ/ घाटबोरी	7.00	6.99	05.03.18	--तदैव--	15.02.19	--तदैव--
23.	2017-18	सामूहिक महिला स्नानगृह और शौचालय	धार/डही/पडियाल	6.50	6.50	03.03.18	--तदैव--	20.12.19	--तदैव--
24.	2017-18	भीम के खेत के पास पुलिया निर्माण	धार/तिरला/बदलीपुरा	5.00	5.00	25.11.17	--तदैव--	पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है	--तदैव--

25.	2017-18	मायाराम के खेत के पास पुलिया निर्माण	धार/तिरला/खिडक्याकला	5.00	5.00	25.11.17	--तदैव--	18.03.19	--तदैव--
26.	2017-18	मेन रोड से चौकीदार के घर तक सी.सी. रोड	धार/गंधवानी/धोला हनुमान	5.00	4.98	22.11.17	--तदैव--	22.12.17	--तदैव--
27.	2017-18	लीलाबाई के घर से सागरीबाई तक सी.सी. रोड	धार/गंधवानी/खरबयडी	5.00	5.00	22.11.17	--तदैव--	25.07.18	--तदैव--
28.	2017-18	सलीम के घर से नाले तक सी.सी. रोड के साथ नाली निर्माण	धार/उमरबन/भिकन्याखेडी	5.00	5.00	19.12.17	18.02.18	पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है	--तदैव--
29.	2017-18	विजय श्यामलाल के घर से मोहन नन्दराम मौर्या के घर तक सी.सी. रोड	धार/सरदारपुर/भोपावर	12.00	12.00	06.01.18	प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लेखित नहीं है	22.10.18	--तदैव--
30.	2017-18	समुदायिक भवन निर्माण बंगालीपुरा आदिवासी मोहल्ला	ग्वालियर/बरई/बरई	10.00	9.97	10.10.2017	09.01.18	पूर्णता प्रमाण पत्र में तिथि स्पष्ट नहीं है	पूर्ण
31.	2018-19	नाली के साथ सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /पनागर/नौनीकला	5.00	5.00	03.10.18	प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लेखित नहीं है	08.01.19	--तदैव--
32.	2018-19	पुलिया निर्माण	जबलपुर /कुण्डम/खेरी	5.00	5.00	03.10.18	--तदैव--	30.06.19	--तदैव--
33.	2018-19	समुदायिक भवन के सामनें सी.सी. रोड	जबलपुर /पाटन/मिडकी	5.00	5.00	03.10.18	--तदैव--	पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है	--तदैव--
34.	2018-19	शंकर गढ कालोनी सी.सी. रोड	जबलपुर //मझौली/हटौली	5.00	5.00	03.10.18	--तदैव--	15.03.19	--तदैव--
35.	2018-19	चबूतरा निर्माण और फर्शीकरण	जबलपुर /जबलपुर /जोगीधारा	4.00	4.00	03.10.18	--तदैव--	03.11.19	--तदैव--
36.	2018-19	चबूतरा निर्माण	जबलपुर /जबलपुर /मुकनवारा	4.00	4.00	03.10.18	--तदैव--	10.02.19	--तदैव--
37.	2018-19	सी.सी. रोड	जबलपुर /पनागर/मोहनिया	4.00	4.00	03.10.18	--तदैव--	पूर्णता प्रमाण पत्र में तिथि स्पष्ट नहीं है	--तदैव--
38.	2018-19	नाली के साथ सी.सी. रोड	जबलपुर /शाहपुरा/झालोन	4.00	4.00	03.10.18	--तदैव--	15.03.19	--तदैव--

39.	2018-19	किशोर के घर से कृश्ण कुमार के घर तक सी.सी. रोड	जबलपुर /मझौली/गथौरा	4.00	4.00	03.10.18	--तदैव--	01.04.19	--तदैव--
40.	2018-19	सी.सी. रोड निर्माण	टीकमगढ़/ बलदेवगढ/छिदारी	10.00 6.00	10.00 6.00	25.09.18 29.09.18	--तदैव--	09.02.19 09.02.19	--तदैव--
41.	2018-19	पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/पलेरा/दरियापुर	10.00	10.00	20.09.18	--तदैव--	21.07.19	--तदैव--
42.	2018-19	बाउड्रीवाल निर्माण	टीकमगढ़/टीकमगढ़/अनंतपुरा	10.00	4.46	27.09.18	--तदैव--	14.01.20	--तदैव--
43.	2018-19	दीनदयाल प्रजापति के घर से नाले तक नाली निर्माण	टीकमगढ़/निवांडी/जमुनिया	10.00	10.00	29.09.18	--तदैव--	22.08.19	--तदैव--
44.	2018-19	नौरापारा मार्ग पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/बलदेवगढ/चंद्रपुरा	10.00	10.00	उपलब्ध नहीं	-	18.12.19	--तदैव--
45.	2018-19	हरदौल बाबा के पास चबूतरा निर्माण	टीकमगढ़/बलदेवगढ/चंद्रपुरा	0.50	0.50	तिथि उल्लेखित नहीं है	प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लेखित नहीं है	04.03.19	--तदैव--
46.	2018-19	हरदौल बाबा के पास बाउड्रीवाल निर्माण	टीकमगढ़/बलदेवगढ/चंद्रपुरा	1.50	1.50	तिथि उल्लेखित नहीं है	--तदैव--	04.03.19	--तदैव--
47.	2018-19	मेन रोड से पंचायत भवन तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/बेरखेरीकलां	4.00	4.00	18.09.18	17.10.18	पूर्णता प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं है	--तदैव--
48.	2018-19	रामेश्वर कुर्मी के घर से भगवानदास के घर तक सी.सी. रोड	सागर/रहली/जरियाखिरिया	4.00	4.00	20.09.18	प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लेखित नहीं है	पूर्णता प्रमाण पत्र में तिथि उल्लेखित नहीं है	पूर्ण
49.	2018-19	मेन रोड से चन्द्रभान दूबे के घर तक और कजरवा से मुक्तिधाम तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/जरियाखिरिया	12.00	12.00	20.09.18	--तदैव--	--तदैव--	--तदैव--
50.	2018-19	हनुमान मंदिर तक सी.सी. रोड और नाली निर्माण	धार/बदनावर/खेडा	9.50	9.42	11.07.18	--तदैव--	23.10.18	--तदैव--
51.	2018-19	अखडीयापुरा आमघाट पुलिया निर्माण	धार/गंधवानी/धोला हनुमान	6.00	6.00	03.10.18	02.12.18	पूर्णता प्रमाण	--तदैव--

								पत्र उपलब्ध नहीं है	
52.	2018-19	विद्युत ट्रासफार्मर से सिंह सोबान के घर तक सी.सी. रोड	धार/सरदारपुर/उटावा	5.00	5.00	28.06.18	प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लेखित नहीं है	पूर्णता प्रमाण पत्र में तिथि उल्लेखित नहीं है	--तदैव--
53.	2018-19	रूकमा डामा के खेत के पास पुलिया निर्माण	धार/मनावर/सिंघाना	5.00	5.00	28.07.18	--तदैव--	14.08.18	--तदैव--
54.	2018-19	संतोष केशा के घर से शंकर तक सी.सी. रोड सह नाली निर्माण	धार/मनावा/दशवी	5.00	4.98	20.08.18	--तदैव--	24.09.18	--तदैव--
55.	2018-19	टुटलया के घर से मोहन के घर तक सी.सी. रोड	धार/उमरबन/भुवादा	5.00	5.00	28.07.18	--तदैव--	पूर्णता प्रमाण पत्र में तिथि उल्लेखित नहीं है	--तदैव--
56.	2018-19	रिर्टनिग वाल निर्माण	धार/उमरबन/रणगांव	5.00	5.00	28.07.18	--तदैव--	09.03.19	--तदैव--
57.	2018-19	प्रेत सिंह के खेत के पास रपटा निर्माण	धार/उमरबन/लवानी	5.00	5.00	25.08.18	--तदैव--	06.09.18	--तदैव--
58.	2018-19	मोहन के खेत से प्राथमिक विघालय तक सी.सी. रोड	धार/उमरबन/बोहारला	5.00	5.00	03.08.18	--तदैव--	08.09.18	--तदैव--
59.	2018-19	अमलापुरा में पुलिया निर्माण	धार/बाघ/घोटियादेव	5.00	4.89	29.09.18	--तदैव--	24.12.18	--तदैव--
60	2018-19	बोडिया में पुलिया निर्माण	धार/सरदारपुर/बोडिया	12.00	11.96	21.12.18	--तदैव--	पूर्णता प्रमाण पत्र में तिथि उल्लेखित नहीं है	--तदैव--
61.	2018-19	हरिजन बस्ती में सी.सी. रोड निर्माण ग्राम सुलतानियाँ	विदिशा/ विदिशा/सुलतानियाँ	5.00	5.00	18.09.18	31.03.19	पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है	--तदैव--
62.	2018-19	शान्तिधाम में पेवर ब्लाक,प्लेटफार्म और टीन शेड का निर्माण ग्राम बिछिया	विदिशा/नटेरन/बिछिया	7.00	7.00	06.09.18	प्रशासकीय स्वीकृति में	10.06.19	पूर्ण

							उल्लेखित नहीं है		
63.	2018-19	मेन रोड से नानकपुर टाउन तक पुलिया निर्माण	विदिशा/नटेरन/नानकपुर	7.50	7.47	27.09.18	31.03.19	पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है	--तदैव--
64.	2018-19	सामुदायिक भवन ग्राम चिरोली	ग्वालियर/भितरवार/ चिरोली	10.00	10.00	01.09.18	31.03.19	पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है	--तदैव--
65.	2018-19	सामुदायिक भवन ग्राम बाजना	ग्वालियर/भितरवार/बाजना	10.00	10.00	01.09.18	31.03.19	पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है	--तदैव--
66.	2018-19	देवनारायण मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण	ग्वालियर/घाटीगाव/सिरसा	10.00	10.00	01.09.18	31.03.19	पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है	--तदैव--
67.	2018-19	सिद्वा के पास सामुदायिक भवन ग्राम करसवा	ग्वालियर/मोरार/वीरमपुरा	10.00	10.00	01.09.18	31.03.19	पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है	--तदैव--
68.	2018-19	समुदायिक भवन निर्माण बाथम मोहल्ला सेलाइन कुआसालवाई	ग्वालियर/डबरा/सालई	10.00	10.00	01.09.18	31.03.19	पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है	--तदैव--
69.	2018-19	सामुदायिक भवन जाटव मोहल्ला	ग्वालियर/मोरार/सुपावली	4.00	1.60	05.10.2018	प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लेखित नहीं है	----	अप्रारम्भ
70.	2018-19	शान्तिधाम का बाउड्रीवाल	ग्वालियर/मोरार/सुपावली	5.00	2.00	05.10.2018	--तदैव--	----	अप्रारम्भ

(स्त्रोत:चयनित जिला/जनपद पंचायतों द्वारा प्रदाय अभिलेख)

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: कण्डिका 3.4.3, पृष्ठ क्रमांक 141)

उन कार्यों का विवरण जिनमें प्रयोगशाला परीक्षण नही किया गया

(₹ लाख में)

क्रमांक	वर्ष	कार्य का नाम	जि.पं./ज.पं./ग्रा.पं. का नाम	कार्य की स्वीकृत लागत
1.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर/सीहोरा/गोसलपुर	5.00
2.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /मझौली/गौरहा	5.00
3.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /मझौली/गांधीगंज	5.00
4.	2017-18	हैण्डपम्प बोरिंग	जबलपुर /मझौली/मुडिया मडोद	1.00
5.	2017-18	हैण्डपम्प बोरिंग	जबलपुर /मझौली/मुडिया मडोद	1.00
6.	2017-18	सी.सी. रोड के साथ नाली निर्माण	जबलपुर /मझौली/मुडिया मडोद	2.00
7.	2017-18	सोनू पटेल के घर के सामने चबूतरा निर्माण	जबलपुर /मझौली/मुडिया मडोद	1.00
8.	2017-18	लखन के घर से बुद्व तक सी.सी. रोड के साथ नाली निर्माण	जबलपुर /मझौली/मुडिया मडोद	1.50
9.	2017-18	चबूतरा निर्माण	जबलपुर /मझौली/मुडिया मडोद	2.00
10.	2017-18	विष्णु के घर से बारा तक सी.सी. रोड के साथ नाली निर्माण	जबलपुर /मझौली/मुडिया मडोद	1.00
11.	2017-18	झिरिया के पास प्लेटफार्म निर्माण	जबलपुर /मझौली/मुडिया मडोद	0.50
12.	2017-18	सी.सी. रोड के साथ नाली निर्माण	जबलपुर /मझाली/गथौरा	4.00
13.	2017-18	पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/पलेरा/तोरिया	24.02
14.	2017-18	पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/जतारा/बसनेरा	9.50
15.	2017-18	पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/ टीकमगढ़/मउघाट	10.00
16.	2017-18	पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/पलेरा/खारो	10.00
17.	2017-18	मेन रोड से मिडिल स्कूल तक पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/ बलदेवगढ/लडवाडी	5.50
18.	2017-18	जमुनिया नाला पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/ बलदेवगढ/लडवाडी	6.50
19.	2017-18	सामुदायिक भवन	टीकमगढ़/ बलदेवगढ/लडवाडी	2.00
20.	2017-18	रतीराम सौर के घर से स्कूल तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/सागर/हिलग्न	5.00
21.	2017-18	प्राथमिक विघालय और उच्च विघालय पर सी.सी. रोड निर्माण	सागर/जैसनगर/महुआखेडा पेगवार	5.60
22.	2017-18	दिलीप सिंह के खेत से मंदिर वाली मडिया तक नाली के साथ सी.सी. रोड निर्माण	सागर/जैसनगर/विलहारा	5.00
23.	2017-18	चौपाल गोपालपुरा और सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/संजरा	5.00
24.	2017-18	खैरमाता परिसर चौपाल और सी.सी. रोड	सागर/रहली/जुडा	5.00

		निर्माण		
25.	2017-18	सामुदायिक भवन का विस्तार ग्राम पंचायत पटनाबुंर्जग जानकीरामन मंदिर	सागर/रहली/पटनाबुंर्जग	5.00
26.	2017-18	सामुदायिक भवन का सौदर्यकरण ग्राम पंचायत पटनाबुंर्जग जानकीरामन मंदिर	सागर/रहली/पटनाबुंर्जग	5.00
27.	2017-18	निर्मल नीर के घर से मूले सिंह तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/देवरी/भररायी	10.00
28.	2017-18	बद्री के घर से कालीमाता तिगडा सी.सी. रोड निर्माण	सागर/कैसली/थावरीभिलिया	5.00
29.	2017-18	त्रवेदी मंदिर से तुलसीराम पटेल के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/खुरई/खिमलसा	5.80
30.	2017-18	पुलिस थाना से हरदास के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/मालथन/मालथन	12.50
31.	2017-18	पीपरासार में पाइपलाइन विस्तारिकरण	सागर/बीना/पीपरासार	7.50
32.	2017-18	ग्राम बरखेडीताडा में सी.सी. रोड निर्माण	सागर/बीना/बरखेडीताडा	5.00
33.	2017-18	संतोष कुमार जैन के घर से बाबू लोधी के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/शाहगढ/किशनपुरा	5.00
34.	2017-18	हरसता नाले पर पुलिया सह स्टापडेम का निर्माण	मंडला/मंडला/बक्छेरागोंदी	15.00
35.	2017-18	चिडीलाल के घर से ऐजुकेशन गांरटी स्कूल तक सी.सी. रोड निर्माण	मंडला/मोहगाव/झुरकीपोडी	10.00
36.	2017-18	गरमदा तट पर घाघी में घाट निर्माण	मंडला/मंडला/घाघा	10.00
37.	2017-18	चाटुमार जिलेहारी में घाट निर्माण	मंडला/मंडला/चाटुमार	10.00
38.	2017-18	शासकीय हैडपम्प के पास पुलिया निर्माण	मंडला/नैनपुर/रमगढी	10.00
39.	2017-18	बंजार टोला काटकीनाला पुलिया निर्माण	मंडला/मोहगाव/अंडिया माल	10.00
40.	2017-18	खलवारा रोड से पंचम के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	मंडला/मंडला/बक्छेरागोंदी	5.00
41.	2017-18	लखन के घर से अशोक के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	मंडला/मंडला/बक्छेरागोंदी	5.00
42.	2017-18	संजय चौरसिया के घर से डिडोरी रोड तक सी.सी. रोड निर्माण	मंडला/मंडला/बडीखैरी	8.00
43.	2017-18	हनुमान मंदिर से बैकपुरा रोड तक छोटी पुलिया निर्माण	धार/धरमापुरी/मेहगाव	10.00
44.	2017-18	नाकाफलिया देवी सामुदायिक भवन	धार/बाघ/आंबासेटी	10.00
45.	2017-18	घाटबोरी परदा रोड से कब्रिसतान तक सी.सी. आंतरिक मार्ग निर्माण	धार/बाघ/घारबोडी	7.00
46.	2017-18	सामूहिक महिला स्नानगृह और लैटबाथ	धार/डही/पडियाल	6.50
47.	2017-18	भीम के खेत के पास छोटी पुलिया निर्माण	धार/तिरला/बडलीपुरा	5.00
48.	2017-18	मायाराम के खेत के पास पुलिया निर्माण	धार/तिरला/खिडक्याकला	5.00
49.	2017-18	मेन रोड से चौकीदार के घर तक सी.सी. रोड	धार/गंधवानी/धोला हनुमान	5.00

		निर्माण		
50.	2017-18	लीलाबाई के घर से सागरीबाई तक सी.सी. रोड निर्माण	धार/गंधवानी/खरबयडी	5.00
51.	2017-18	सलीम के घर से नाले तक सी.सी. रोड के साथ नाली निर्माण	धार/उमरबन/भिकन्याखेडी	5.00
52.	2017-18	मिडिल स्कूल से मदन लाल के घर तक सी.सी. रोड के साथ निकासी निर्माण	धार/बदनवार/मनासा	5.00
53.	2017-18	विजय श्यामलाल के घर से मोहन नन्दराम मौर्या के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	धार/सरदारपुर/भोपावर	12.00
54.	2017-18	हरिजन बस्ती मंगल भवन के सामने से गोपीलाल हरिजन के घर तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम आटासेमर	विदिशा/बसोदा/आटासेमर	4.95
55.	2017-18	कचौडी हरिजन के घर से प्रेम हरिजन के घर तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम खेरोदा	विदिशा/बसोदा/खेरोदा	5.00
56.	2017-18	कुंजीलाल के घर से रामचरण के घर तक सी.सी. रोड सह निकासी प्रणाली	विदिशा/ विदिशा/सहजाखेडी	4.95
57.	2017-18	खिलन सिंह के घर से नन्हे सिंह के घर तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम ककरूआ	विदिशा/कुरवई/मुटर्रा	7.90
58.	2017-18	हरिमन से नाबार्ड और बबिया से हरिमन तक सी.सी. रोड निर्माण	विदिशा/नटेरन/मुडराशेरपुर	5.90
59.	2017-18	महेन्द्र सिंह कुर्मी के घर से देवीचन्द्र कुर्मी तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम बमूरियां	विदिशा/नटेरन/बमूरियां	9.85
60.	2017-18	ग्राम पंचायत भालबामोरा मेन रोड से ग्राम तक सी.सी. रोड सह निकासी प्रणाली	विदिशा/कुरवई/भालबामोरा	9.85
61.	2017-18	जितेन्द्र के घर से मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम उमरखेडी	विदिशा/सिरोंज/मुडराभागल	6.90
62.	2017-18	फातिमा कौर के घर से माता मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण	विदिशा/नटेरन /डगरवाडा	6.00
63.	2017-18	राजेन्द्र के घर से शंकरलाल के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	विदिशा/नटेरन /खाइखेडा	2.00
64.	2017-18	सामुदायिक भवन ग्राम खजभराई माता मंदिर	ग्वालियर/ भितरवार/बदरवास	10.00
65.	2017-18	सामुदायिक भवन ग्राम निकोडी	ग्वालियर/भितरवार/माउच	10.00
66.	2017-18	सामुदायिक भवन निर्माण समधर बघेल के घर के पास	ग्वालियर/भितरवार/सोतखिरिया	10.00
67.	2017-18	सामुदायिक भवन निर्माण	ग्वालियर/डबरा/चितावनी	10.00
68.	2017-18	सामुदायिक भवन बुद्व विहार मोहल्ला के पास	ग्वालियर/भितरवार/घोवट	10.00
69.	2017-18	सामुदायिक भवन हनुमान जी मोहल्ला	ग्वालियर/डबरा/अक्याइबिडी	10.00
70.	2017-18	सामुदायिक भवन निर्माण बंगालीपुरा आदिवासी मोहल्ला	ग्वालियर/बरई/बरई	10.00

71.	2017-18	सामुदायिक भवन निर्माण पीपरी माता मंदिर के पास	ग्वालियर/बरई/उम्मेदगढ	10.00
72.	2017-18	चौपाल निर्माण श्री बाबू सिंह गुर्जर के घर के सामने ग्राम लखापुरा	ग्वालियर/मुरार/फुसावली	4.00
73.	2017-18	सी.सी. रोड गुर्जर बस्ती ग्राम लखापुरा	ग्वालियर/मुरार/फुसावली	1.10
74.	2017-18	मेन रोड से जग्न्नाथ के घर तक सी.सी. रोड ग्राम लखापुरा	ग्वालियर/मुरार/फुसावली	0.30
75.	2017-18	जाटव बस्ती से गुर्जर बस्ती तक सी.सी. रोड ग्राम लखापुरा	ग्वालियर/मुरार/फुसावली	5.90
76.	2017-18	सुपावली में क्रबिस्तान बाउडीवाल निर्माण	ग्वालियर/मुरार/सुपावली	8.00
77.	2018-19	छोटी पुलिया निर्माण	जबलपुर /कुण्डम/खेरी	5.00
78.	2018-19	समुदायिक भवन के सामने सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /पाटन/मिडकी	5.00
79.	2018-19	रमेश बालमिकि के घर से बाली सेन के घर तक सी.सी. रोड सह निकासी निर्माण	जबलपुर /शाहपुरा/चारगाव पुराना	5.00
80.	2018-19	चबूतरा निर्माण और फर्शीकरण	जबलपुर /जबलपुर /जोगीधारा	4.00
81.	2018-19	चबूतरा निर्माण	जबलपुर /जबलपुर /मुकनवारा	4.00
82.	2018-19	आर.सी.सी. पानी की टंकी	जबलपुर /जबलपुर/बरगी	4.00
83.	2018-19	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /पनागर/मोहनिया	4.00
84.	2018-19	निकासी निर्माण	जबलपुर /पनागर/खिरहनी	4.00
85.	2018-19	चबूतरा निर्माण कुम्हार मोहल्ला	जबलपुर/मझौली/मुडिया मडोद	1.00
86.	2018-19	शंकर जी के मंदिर के पास चबूतरा निर्माण	जबलपुर/मझौली/मुडिया मडोद	1.50
87.	2018-19	उमा शंकर के घर से शिवदास पटेल के घर तक सी.सी. रोड	जबलपुर/मझौली/मुडिया मडोद	1.00
88.	2018-19	घसीटा के घर से घोचू के घर तक सी.सी. रोड चौधरी मौहल्ला	जबलपुर/मझौली/मुडिया मडोद	1.20
89.	2018-19	मुन्नु पंडा के घर से महेश चौधरी के घर तक सी.सी. रोड	जबलपुर/मझौली/मुडिया मडोद	3.00
90.	2018-19	सी.सी. रोड सह निकासी निर्माण	जबलपुर /मझौली/गथौरा	4.00
91.	2018-19	सी.सी. रोड निर्माण	टीकमगढ़/ बलदेवगढ/छिदारी	10.00
92.	2018-19	छोटी पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/पलेरा/दरियापुर	10.00
93.	2018-19	बाउड्रीवाल निर्माण	टीकमगढ़/ टीकमगढ़/अन्नतपुरा	10.00
94.	2018-19	दीनदयाल प्रजापति के घर से नाले तक नाली निर्माण	टीकमगढ़/निवांडी/जमुनिया	10.00
95.	2018-19	नौरापारा मार्ग छोटी पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/बलदेवगढ/चंद्रपुरा	10.00
96.	2018-19	हरदौल बाबा के पास चबूतरा निर्माण	टीकमगढ़/बलदेवगढ/चंद्रपुरा	0.50
97.	2018-19	हरदौल बाबा के पास बाउड्रीवाल निर्माण	टीकमगढ़/बलदेवगढ/चंद्रपुरा	1.50
98.	2018-19	मेन रोड से इटरमीडिएट स्कूल तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/राहतगढ/औसनखेडी	4.50
99.	2018-19	पुलिया से स्कूल तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/राहतगढ/किटुआ	4.50

100.	2018-19	विरेन्द्र के घर से लालू के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/खुरई/बसाहरी	5.00
101.	2018-19	हनुमान मंदिर पर सामुदायिक भवन निर्माण	सागर/खुरई/गंधौली जवाहर	5.00
102.	2018-19	घासीराम के घर से मुक्तिधाम तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/खुरई/मुडिया	5.00
103.	2018-19	पूरनसिंह के घर से घनश्याम के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/बीना/ढांड	7.00
104.	2018-19	मेन रोड से पंचायत भवन तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/बेरखेरीकलां	4.00
105.	2018-19	धनिराम पटेल के घर से गोकुल पटेल के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/झुंडा	5.00
106.	2018-19	प्रेम आदिवासी के घर से खदान तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/देवरी/डोगरसलैया	5.70
107.	2018-19	सेमपाल राजपूत के घर से श्रीराम के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/देवरी/मुआर खास	5.00
108.	2018-19	मेन रोड से बडेकुआ तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/केसली/पठार्खुद	10.00
109.	2018-19	नन्हे भाई के घर से हेमन्त के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/केसली /थावरी भिलैया	10.00
110.	2018-19	शासकीय विघालय में बाउड्रीवाल निर्माण	सागर /शाहगढ/पुराशाहगढ	5.00
111.	2018-19	चाटुआमार से गाजीपुर रोड नाला तक पुलिया निर्माण	मंडला/मंडला/गाजीपुर	10.00
112.	2018-19	आस्तिक बाबा बिनैका के पास से कटारा रोड तक पुलिया निर्माण	मंडला/मंडला/बिनैका	15.00
113.	2018-19	भागवत के घर से खलवाडा मेन रोड तक सी.सी. रोड निर्माण	मंडला/मंडला/बक्छेरागोंदी	7.00
114.	2018-19	झीकाराम के घर से डिंडोरी रोड तक सी.सी. रोड निर्माण	मंडला/मंडला/बडीखैरी	4.00
115.	2018-19	टीनशेड और चबूतरा का निर्माण	मंडला/मंडला/बडीखैरी	4.00
116.	2018-19	हनुमान मंदिर तक सी.सी. रोड सह नाली निर्माण	धार/बदनवार/खेडा	9.50
117.	2018-19	अखडीयापुरा आमघाट छोटी पुलिया निर्माण	धार/गंधवानी/धोला हनुमान	6.00
118.	2018-19	इलेक्ट्रिक ट्रासफार्मर से सिंह सोबान के घर तक सी.सी. रोड	धार/सरदारपुर/उटावा	5.00
119.	2018-19	रूकमा डामा के खेत के पास छोटी पुलिया निर्माण	धार/मनावर/सिंघाना	5.00
120.	2018-19	संतोष केशा के घर से शंकर तक सी.सी. रोड सह नाली निर्माण	धार/मनावार/दशवी	5.00
121.	2018-19	टुटलया के घर से मोहन के घर तक सी.सी. रोड	धार/उमरबन/भुवादा	5.00
122.	2018-19	रिर्टनिग वाल निर्माण	धार/उमरबन/रणगांव	5.00

123.	2018-19	प्रेत सिंह के खेत के पास रपटा निर्माण	धार/उमरबन/लवानी	5.00
124.	2018-19	मोहन के खेत से प्राथमिक विघालय तक सी.सी. रोड निर्माण	धार/उमरबन/बोहारला	5.00
125.	2018-19	अमलापुरा में पुलिया निर्माण	धार/बाघ/घोटियादेव	5.00
126.	2018-19	बोडिया में पुलिया निर्माण	धार/सरदारपुर/बोडिया	12.00
127.	2018-19	द्वारकाप्रसाद कुर्मी के घर से रमेश्वर कुर्मी तक सी.सी. रोड ग्राम चेवला	विदिशा/बसोदा/खेरोदा	5.00
128.	2018-19	गप्पूराम रघुवंशी के घर से परशुराम रघुवंशी तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम पवई	विदिशा/बसोदा/पवई	5.00
129.	2018-19	हरिजन बस्ती में सी.सी. रोड निर्माण ग्राम सुलतानियाँ	विदिशा/विदिशा/सुलतानियाँ	5.00
130.	2018-19	हरिजन बस्ती से मुक्तिधाम तक सी.सी. रोड सह निकास प्रणाली ग्राम अम्बानगर पुरा	विदिशा/बसोदा/अम्बानगर	10.00
131.	2018-19	शान्तिधाम में पेवर ब्लाक,प्लेटफार्म और टीन शेड का निर्माण ग्राम बिछिया	विदिशा/नटेरन/बिछिया	7.00
132.	2018-19	मेन रोड से नानकपुर टाउन तक छोटी पुलिया निर्माण	विदिशा/नटेरन/नानकपुर	7.50
133.	2018-19	प्रेम सिंह के घर से शान्तिधाम तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम मोमनखेडी	विदिशा/नटेरन/घोघरा	5.00
134.	2018-19	शान्तिधाम में बाउड्रीवाल निर्माण	विदिशा/नटेरन /डगरवाडा	12.00
135.	2018-19	कृपाराम के घर से प्रकाश वार्ड तक सी.सी. रोड सह नाली निर्माण	विदिशा/नटेरन /खाइखेडा	6.00
136.	2018-19	सामुदायिक भवन ग्राम चिरोली	ग्वालियर/भितरवार/ चिरोली	10.00
137.	2018-19	सामुदायिक भवन ग्राम बाजना	ग्वालियर/भितरवार/बाजना	10.00
138.	2018-19	देवनारायण मंदिर के पास समुदायिक भवन निर्माण	ग्वालियर/घाटीगांव/सिरसा	10.00
139.	2018-19	सिद्वा पैलेस पर सामुदायिक भवन ग्राम करसवा	ग्वालियर/मोरार/वीरमपुरा	10.00
140.	2018-19	सामुदायिक भवन बाथम मोहल्ला सेलाइन कुआसालवाई	ग्वालियर/डबरा/सालई	10.00
141.	2018-19	चौपाल कम टीनशेड ग्राम फुसावली	ग्वालियर/मोरार/फुसावली	4.00
142.	2018-19	सामुदायिक भवन जाटव मोहल्ला ग्राम सुपावली	ग्वालियर/मोरार/सुपावली	4.00
143.	2018-19	शान्तिधाम का बाउड्रीवाल सुपावली	ग्वालियर/मोरार/सुपावली	5.00
		योग		911.42

(स्त्रोत:चयनित जिला/जनपद पंचायतों द्वारा प्रदाय अभिलेख)

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: कण्डिका 3.4.4, पृष्ठ क्रमांक 142)

उन कार्यों का विवरण जिनके माप-पुस्तिका में विस्तृत माप दर्ज नहीं किया गया

(₹ लाख में)

क्रमांक	वर्ष	कार्य का नाम	जि.पं./ज.पं./ग्रा.पं. का नाम	कार्य पर कुल व्यय
1.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर/सीहोरा/गोसलपुर	2.40
2.	2017-18	हैण्डपम्प बोरिंग	जबलपुर /मझौली/मुडिया मडोद	1.00
3.	2017-18	हैण्डपम्प बोरिंग	जबलपुर /मझौली/मुडिया मडोद	1.00
4.	2017-18	चबूतरा निर्माण	जबलपुर /मझौली/मुडिया मडोद	2.00
5.	2017-18	सी.सी. रोड के साथ नाली निर्माण	जबलपुर / मझौली/गथौरा	4.00
6.	2017-18	रतीराम सौर के घर से स्कूल तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/सागर/हिलग्न	5.00
7.	2017-18	दिलीप सिंह के खेत से मंदिर वाली मडिया तक नाली के साथ सी.सी. रोड निर्माण	सागर/जैसनगर/विलहारा	5.00
8.	2017-18	खैरमाता परिसर चौपाल और सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/जुडा	5.00
9.	2017-18	निर्मल नीर के घर से मूले सिंह तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/देवरी/भराई	10.00
10.	2017-18	बद्री के घर से कालीमाता तिगडा सी.सी. रोड निर्माण	सागर/कैसली/थावरीभिलिया	5.00
11.	2017-18	त्रवेदी मंदिर से तुलसीराम पटेल के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/खुरई/खिमलसा	5.80
12.	2017-18	पुलिस थाना से हरदास के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/मालथन/मालथन	12.50
13.	2017-18	ग्राम बरखेडीताडा में सी.सी. रोड निर्माण	सागर/बीना/बरखेडीताडा	5.00
14.	2017-18	संतोष कुमार जैन के घर से बाबू लोधी के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/शाहगढ/किशनपुरा	5.00
15.	2017-18	कुलदीप शर्मा के घर से मानसिह के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/संजरा	4.00
16.	2017-18	मथुरा साहू के घर से भगवान दास के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/संजरा	10.00
17.	2017-18	खलवारा रोड से पंचम के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	मंडला/मंडला/बक्छेरागोंदी	4.82
18.	2017-18	लखन के घर से अशोक के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	मंडला/मंडला/बक्छेरागोंदी	4.99
19.	2017-18	संजय चौरसिया के घर से डिडोरी रोड	मंडला/मंडला/बडीखैरी	8.00

		तक सी.सी. रोड निर्माण		
20.	2017-18	नाकाफलिया कालीदेवी सामुदायिक भवन	धार/बाघ/अंबासेटी	8.00
21.	2017-18	घाटबोरी परद रोड से कब्रिस्तान तक सी.सी. आंतरिक मार्ग निर्माण	धार/बाघ/घारबोडी	6.99
22.	2017-18	सलीम के घर से नाले तक सी.सी. रोड सह नाली निर्माण	धार/उमरबन/भिकन्याखेडी	5.00
23.	2017-18	विजय श्यामलाल के घर से मोहन नन्दराम मौर्या के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	धार/सरदारपुर/भोपावर	12.00
24.	2017-18	हरिजन बस्ती मंगल भवन के सामने से गोपीलाल हरिजन के घर तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम आटासेमर	विदिशा/बसोदा/आटासेमर	4.95
25.	2017-18	कचौडी हरिजन के घर से प्रेम हरिजन के घर तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम खेरोदा	विदिशा/बसोदा/खेरोदा	5.00
26.	2017-18	कुंजीलाल के घर से रामचरण के घर तक सी.सी. रोड सह निकासी प्रणाली	विदिशा/ विदिशा/सहजाखेडी	4.79
27.	2017-18	महेन्द्र सिंह कुर्मी के घर से देवीचन्द्र कुर्मी तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम बमूरियां	विदिशा/नटेरन/बमूरियां	9.72
28.	2017-18	ग्राम पंचायत भालबामोरा मेन रोड से ग्राम तक सी.सी. रोड सह निकासी प्रणाली	विदिशा/कुरवई/भालबामोरा	9.85
29.	2017-18	जितेन्द्र के घर से मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम उमरखेडी	विदिशा/सिरोंज/मुडराभागल	6.90
30.	2017-18	फातिमा कौर के घर से माता मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण	विदिशा/नटेरन /डगरवाडा	6.00
31.	2017-18	राजेन्द्र के घर से शंकरलाल के घर तक सी.सी. रोड	विदिशा/नटेरन /खाइखेडा	2.00
32.	2017-18	सामुदायिक भवन ग्राम खजभराई माता मंदिर	ग्वालियर/ भितरवार/बडेसभारस	10.00
33.	2017-18	सामुदायिक भवन ग्राम निकोडी	ग्वालियर/भितरवार /माउच	10.00
34.	2017-18	सामुदायिक भवन निर्माण समधर बघेल के घर के पास	ग्वालियर/भितरवार /सोतखिरिया	10.00
35.	2017-18	सामुदायिक भवन निर्माण	ग्वालियर/डबरा/चितावनी	5.00
36.	2017-18	सामुदायिक भवन बुद्व विहार मोहल्ला के पास	ग्वालियर/भितरवार /घोवट	10.00
37.	2017-18	सामुदायिक भवन हनुमान जी मोहल्ला	ग्वालियर/डबरा/अक्याइबिडि	10.00
38.	2017-18	सामुदायिक भवन निर्माण बंगालीपुरा आदिवासी मोहल्ला	ग्वालियर/बरई/बरई	9.97

39.	2017-18	सामुदायिक भवन निर्माण पीपरी माता के पास	ग्वालियर/बरई/उम्मेदगढ	9.42
40.	2017-18	सी.सी. रोड गुर्जर बस्ती ग्राम लखापुरा	ग्वालियर/मुरार/फुसावली	1.09
41.	2017-18	मेन रोड से जगन्नाथ के घर तक सी.सी. रोड ग्राम लखापुरा	ग्वालियर/मुरार/फुसावली	0.30
42.	2017-18	जाटव बस्ती से गुर्जर बस्ती तक सी.सी. रोड ग्राम लखापुरा	ग्वालियर/मुरार/फुसावली	5.90
43.	2018-19	सी.सी. रोड सह निकासी निर्माण	जबलपुर /पनागर/नौनीकला	5.00
44.	2018-19	रमेश बालमिकि के घर से बाली सेन के घर तक सी.सी. रोड सह निकासी निर्माण	जबलपुर /शाहपुरा/चारगाव पुराना	2.00
45.	2018-19	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /जबलपुर /बारबटी	1.60
46.	2018-19	आर.सी.सी. पानी की टंकी	जबलपुर /जबलपुर/बरगी	1.60
47.	2018-19	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /पनागर/मोहनिया	4.00
48.	2018-19	निकासी निर्माण	जबलपुर /पनागर/खिरहनी	1.60
49.	2018-19	विरेन्द्र के घर से लालू के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/खुरई/बसाहरी	5.00
50.	2018-19	घासीराम के घर से मुक्तिधाम तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/खुरई/मुडिया	5.00
51.	2018-19	पूरनसिंह के घर से घनश्याम के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/बीना/ढांड	7.00
52.	2018-19	मेन रोड से पंचायत भवन तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/बेरखेरीकलां	4.00
53.	2018-19	धनिराम पटेल के घर से गोकुल पटेल के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/झुंडा	2.50
54.	2018-19	प्रेम आदिवासी के घर से खदान तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/देवरी/डोगरसलैया	5.70
55.	2018-19	सेमपाल राजपूत के घर से श्रीराम के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/देवरी/मुआर खास	5.00
56.	2018-19	मेन रोड से बडेकोन तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/केसली/पठार्खुद	10.00
57.	2018-19	नन्हे भाई के घर से हेमन्त के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/केसली /थावरी भिलैया	10.00
58.	2018-19	शासकीय विघालय में बाउड्रीवाल निर्माण	सागर /शाहगढ/पुराशाहगढ	5.00
59.	2018-19	रामेश्वर कुर्मी के घर से भगवानदास के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/जरियाखिरिया	4.00
60.	2018-19	मेन रोड से चन्द्रभान दूबे के घर तक और कजरावन से मुक्तिधाम तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/जरियाखिरिया	12.00

61.	2018-19	चाटुआमार से गाजीपुर रोड नाला तक पुलिया निर्माण	मंडला/मंडला/गाजीपुर	10.00
62.	2018-19	भागवत के घर से खलवाडा मेन रोड तक तक सी.सी. रोड निर्माण	मंडला/मंडला/बक्छेरागोंदी	6.99
63.	2018-19	झीकाराम के घर से डिंडोरी रोड तक तक सी.सी. रोड निर्माण	मंडला/मंडला/बडीखैरी	4.00
64.	2018-19	टीनशेड और चबूतरा का निर्माण	मंडला/मंडला/बडीखैरी	2.00
65.	2018-19	इलेक्ट्रिक ट्रासफार्मर से सिंह सोबान के घर तक सी.सी. रोड	धार/सरदारपुर/उटावा	5.00
66.	2018-19	संतोष केशा के घर से शंकर तक सी.सी. रोड सह नाली निर्माण	धार/मनावा/दशवी	4.98
67.	2018-19	बोडिया में पुलिया निर्माण	धार/सरदारपुर/बोडिया	11.96
68.	2018-19	द्वारकाप्रसाद कुर्मी के घर से रमेश्वर कुर्मी तक सी.सी. रोड ग्राम चेवला	विदिशा/बसोदा/खेरोदा	5.00
69.	2018-19	गप्पूराम रघुवंशी के घर से परशुराम रघुवंशी तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम पवई	विदिशा/बसोदा/पवई	5.00
70.	2018-19	हरिजन बस्ती में सी.सी. रोड निर्माण ग्राम सुलतानियाँ	विदिशा/ विदिशा/सुलतानियाँ	5.00
71.	2018-19	हरिजन बस्ती से मुक्तिधाम तक सी.सी. रोड सह निकास प्रणाली ग्राम अम्बानगर पुरा	विदिशा/बसोदा/अम्बानगर	10.00
72.	2018-19	मेन रोड से नानकपुर टाउन तक पुलिया निर्माण	विदिशा/नटेरन/नानकपुर	7.47
73.	2018-19	सलीम के घर से जरूर के घर तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम भालबामोरा	विदिशा/कुरवई/भालबामोरा	6.00
74.	2018-19	कृपाराम के घर से प्रकाश वार्ड तक सी.सी. रोड सह नाली निर्माण	विदिशा/नटेरन /खाइखेडा	6.00
75.	2018-19	सामुदायिक भवन ग्राम चिरोली	ग्वालियर/भितरवार/ चिरोली	10.00
76.	2018-19	सामुदायिक भवन ग्राम बाजना	ग्वालियर/भितरवार/बाजना	10.00
77.	2018-19	देवनारायण मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण	ग्वालियर/घाटीगांव/सिरसा	10.00
78.	2018-19	सिद्वा पैलेस पर सामुदायिक भवन ग्राम करसवा	ग्वालियर/मोरार/वीरमपुरा	10.00
79.	2018-19	सामुदायिक भवन निर्माण बाथम मोहल्ला सेलाइन कुआसालवाई	ग्वालियर/डबरा/सालई	10.00
		योग		493.79

(स्त्रोत:चयनित जिला/जनपद पंचायतों द्वारा प्रदाय अभिलेख)

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ: कण्डिका 3.4.7, पृष्ठ क्रमांक 144)

उन कार्यों का विवरण जिनमें जियोटैग फाटोग्राफ पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये थे

क्रमांक	वर्ष	कार्य का नाम	जि.पं./ज.पं./ग्रा.पं. का नाम	कार्य पर कुल व्यय
1.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर/सीहोरा/गोसलपुर	2.40
2.	2017-18	सी.सी. रोड के साथ नाली निर्माण	जबलपुर /मझाली/गौरहा भिटानी	5.00
3.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /मझौली/गांधीगंज	5.00
4.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /पनागर/मोहनिया	5.00
5.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /पनागर/तिवारीखेड	4.00
6.	2017-18	सी.सी. के साथ फर्श	जबलपुर /पनागर/धरहर	4.00
7.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण सह निकास	जबलपुर /मझाली/गथौरा	4.00
8.	2017-18	निकास निर्माण	जबलपुर /पाटन/रामखिरिया	3.00
9.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /पनागर/गुरगांव	3.00
10.	2017-18	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /पनागर/बडखेडा	3.00
11.	2017-18	हैण्डपम्प बोरिंग	जबलपुर /मझौली/मुडिया मरोद	1.00
12.	2017-18	हैण्डपम्प बोरिंग	जबलपुर /मझौली/मुडिया मरोद	1.00
13.	2017-18	सी.सी. रोड के साथ नाली निर्माण	जबलपुर /मझौली/मुडिया मरोद	2.00
14.	2017-18	विष्णु के घर से बारा तक सी.सी. रोड के साथ नाली निर्माण	जबलपुर /मझौली/मुडिया मरोद	1.00
15.	2017-18	झिरिया के पास चबूतरा निर्माण	जबलपुर /मझौली/मुडिया मरोद	0.50
16.	2017-18	सी.सी. रोड के साथ नाली निर्माण	जबलपुर /मझाली/गथौरा	4.00
17.	2017-18	पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/पलेरा/तोरिया	24.00
18.	2017-18	पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/जतारा/बसनेरा	9.50
19.	2017-18	पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/पलेरा/खारो	10.00
20.	2017-18	प्राथमिक विघालय और उच्च विघालय पर सी.सी. रोड निर्माण	सागर/जैसनगर/महुआखेडा पेगवार	5.60
21.	2017-18	दिलीप सिंह के खेत से मंदिर वाली मडिया तक नाली के साथ सी.सी. रोड निर्माण	सागर/जैसनगर/विलहारा	5.00
22.	2017-18	चौपाल और सी.सी. रोड निर्माण गोपालपुरा	सागर/रहली/संजरा	5.00
23.	2017-18	सामुदायिक भवन का विस्तार ग्राम पंचायत पटनाबुजुर्ग जानकीरामन मंदिर	सागर/रहली/ पटनाबुजुर्ग	5.00
24.	2017-18	सामुदायिक भवन का सौदर्यकरण ग्राम पंचायत पटनाबुजुर्ग जानकीरामन मंदिर	सागर/रहली/ पटनाबुजुर्ग	5.00
25.	2017-18	निर्मल नीर के घर से मूले सिंह तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/देवरी/भररायी	10.00

26.	2017-18	बद्री के घर से कालीमाता तिगडा सी.सी. रोड निर्माण	सागर/कैसली/थावरीभिलिया	5.00
27.	2017-18	त्रवेदी मंदिर से तुलसीराम पटेल के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/खुरई/खिमलसा	5.80
28.	2017-18	पुलिस थाना से हरदास के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/मालथन/मालथन	12.50
29.	2017-18	पीपरासार में पाइपलाइन विस्तारिकरण	सागर/बीना/पीपरासार	7.50
30.	2017-18	ग्राम बरखेडीताडा में सी.सी. रोड निर्माण	सागर/बीना/बरखेडीताडा	5.00
31.	2017-18	संतोष कुमार जैन के घर से बाबू लोधी के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/शाहगढ/किशनपुरा	5.00
32.	2017-18	मथुरा साहु के घर से भगवान दास के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/संजरा	10.00
33.	2017-18	हरसता नाले पर पुलिया सह स्टापडेम का निर्माण	मंडला/मंडला/बक्छेरागोंदी	14.99
34.	2017-18	चिडीलाल के घर से ऐजुकेशन गांरटी स्कूल तक सी.सी. रोड निर्माण	मंडला/मोहगाव/झुरकीपोडी	10.00
35.	2017-18	गरमदा तट पर घाघी में घाट निर्माण	मंडला/मंडला/घाघा	10.00
36.	2017-18	चाटुमार जिलेहारी में घाट निर्माण	मंडला/मंडला/चाटुमार	10.00
37.	2017-18	शासकीय हैडपम्प के पास पुलिया निर्माण	मंडला/नैनपुर/रमगढी	10.00
38.	2017-18	बंजारा टोला काटकीनाला पुलिया निर्माण	मंडला/मोहगाव/अंडिया माल	10.00
39.	2017-18	खलवारा रोड से पंचम के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	मंडला/मंडला/बक्छेरागोंदी	4.82
40.	2017-18	नाकाफलिया देवी सामुदायिक भवन	धार/बाघ/आंबासोटी	8.00
41.	2017-18	घाटबोरी परद रोड से कब्रिस्तान तक सी.सी. आंतरिक मार्ग निर्माण	धार/बाघ/घारबोडी	6.99
42.	2017-18	सामूहिक महिला स्नानगृह और शौचालय	धार/डही/पडियाल	6.50
43.	2017-18	भीम के खेत के पास पुलिया निर्माण	धार/तिरला/बडलीपुरा	5.00
44.	2017-18	मायाराम के खेत के पास पुलिया निर्माण	धार/तिरला/खिडक्याकला	5.00
45.	2017-18	मेन रोड से चौकीदार के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	धार/गंधवानी/धोला हनुमान	4.98

46.	2017-18	लीलाबाई के घर से सागरीबाई तक सी.सी. रोड निर्माण	धार/गंधवानी/खरबयडी	5.00
47.	2017-18	सलीम के घर से नाले तक सी.सी. रोड सह नाली निर्माण	धार/उमरबन/भिकन्याखेडी	5.00
48.	2017-18	मिडिल स्कूल से मदन लाल के घर तक सी.सी. रोड सह निकासी निर्माण	धार/बदनवार/मनासा	5.00
49.	2017-18	कचौडी हरिजन के घर से प्रेम हरिजन के घर तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम खेरोदा	विदिशा/बसोदा/खेरोदा	5.00
50.	2017-18	जितेन्द्र के घर से मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम उमरखेडी	विदिशा/सिरोंज/मुडराभागल	6.90
51.	2017-18	फातिमा कौर के घर से माता मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण	विदिशा/नटेरन /डाँगवाडा	6.00
52.	2017-18	राजेन्द्र के घर से शंकरलाल के घर तक सी.सी. रोड	विदिशा/नटेरन /खाइखेडा	2.00
53.	2017-18	सामुदायिक भवन निर्माण	ग्वालियर/डबरा/चितावनी	5.00
54.	2017-18	सामुदायिक भवन बुद्व विहार मोहल्ला के पास	ग्वालियर/भीतरवार/घोवट	10.00
55.	2017-18	सी.सी. रोड गुर्जर बस्ती ग्राम लखापुरा	ग्वालियर/मुरार/फुसावली	1.09
56.	2017-18	जाटव बस्ती से गुर्जर बस्ती तक सी.सी. रोड ग्राम लखापुरा	ग्वालियर/मुरार/फुसावली	5.90
57.	2017-18	सुपावली में क्रबिस्तान बाउडीवाल निर्माण	ग्वालियर/मुरार/सुपावली	7.25
58.	2018-19	सी.सी. रोड सह निकासी निर्माण	जबलपुर /पनागर/नुनियाकला	5.00
59.	2018-19	पुलिया निर्माण	जबलपुर /कुण्डम/खेरी	5.00
60.	2018-19	सामुदायिक भवन के सामनें सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /पाटन/मिडकी	5.00
61.	2018-19	शंकर गढ कालोनी सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /मझौली/हटौली	5.00
62.	2018-19	चबूतरा निर्माण	जबलपुर /जबलपुर /मुकनवारा	4.00
63.	2018-19	आर.सी.सी. पानी की टंकी	जबलपुर /जबलपुर/बरगी	1.60
64.	2018-19	सी.सी. रोड निर्माण	जबलपुर /पनागर/मोहनिया	4.00
65.	2018-19	निकासी निर्माण	जबलपुर /पनागर/खिरहनी	1.60
66.	2018-19	चबूतरा निर्माण कुम्हार मौहल्ला	जबलपुर /मझौली/मुडिया मडोद	1.00
67.	2018-19	शंकर जी के मंदिर के पास चबूतरा निर्माण	जबलपुर /मझौली/मुडिया मडोद	0.60
68.	2018-19	शंकर के घर से शिवदास पटेल के घर तक सी.सी. रोड	जबलपुर /मझौली/मुडिया मडोद	1.00

69.	2018-19	सी.सी. रोड के साथ नाली निर्माण	जबलपुर / मझौली/गथौरा	4.00
70.	2018-19	पुलिया निर्माण	टीकमगढ़/पलेरा/दरियापुर	10.00
71.	2018-19	दीनदयाल प्रजापति के घर से नाले तक नाली निर्माण	टीकमगढ़/निवांडी/जमुनिया	10.00
72.	2018-19	हनुमान मंदिर पर सामुदायिक भवन निर्माण	सागर/खुरई/गंधौली जवाहर	5.00
73.	2018-19	पूरनसिंह के घर से घनश्याम के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/बीना/ढांड	7.00
74.	2018-19	धनिराम पटेल के घर से गोकुल पटेल के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/झुंडा	2.50
75.	2018-19	प्रेम आदिवासी के घर से खदान तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/देवरी/डोगरसलैया	5.70
76.	2018-19	नन्हे भाई के घर से हेमन्त के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/केसली /थावरी भिलैया	10.00
77.	2018-19	शासकीय विघालय में बाउड्रीवाल निर्माण	सागर /शाहगढ/पुराशाहगढ	5.00
78.	2018-19	रामेश्वर कुर्मी के घर से भगवानदास के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/जरियाखिरिया	4.00
79.	2018-19	मेन रोड से चन्द्रभान दूबे के घर तक और कजरावन से मुक्तिधाम तक सी.सी. रोड निर्माण	सागर/रहली/जरियाखिरिया	12.00
80.	2018-19	चाटुआमार से गाजीपुर रोड नाला तक पुलिया निर्माण	मंडला/मंडला/चाटुआमार	10.00
81.	2018-19	भागवत के घर से खलवाडा मेन रोड तक तक सी.सी. रोड निर्माण	मंडला/मंडला/बक्छेरागोंदी	6.99
82.	2018-19	हनुमान मंदिर तक सी.सी. रोड सह नाली निर्माण	धार/बदनवार/खेडा	9.42
83.	2018-19	अखडीयापुरा आमघाट पुलिया निर्माण	धार/गंधवानी/धोला हनुमान	6.00
84.	2018-19	इलेक्ट्रिक ट्रासफार्मर से सिंह सोबान के घर तक सी.सी. रोड	धार/सरदारपुर/उटावा	5.00
85.	2018-19	टुटलया के घर से मोहन के घर तक सी.सी. रोड	धार/उमरबन/भुवादा	5.00
86.	2018-19	प्रेत सिंह के खेत के पास रपटा निर्माण	धार/उमरबन/लवानी	5.00
87.	2018-19	मोहन के खेत से प्राथमिक विघालय तक सी.सी. रोड निर्माण	धार/उमरबन/बोहारला	5.00
88.	2018-19	द्वारकाप्रसाद कुर्मी के घर से	विदिशा/बसोदा/खेरोदा	5.00

		रमेश्वर कुर्मी तक सी.सी. रोड ग्राम चेवला		
89.	2018-19	शान्तिधाम में पेवर ब्लाक,प्लेटफार्म और टीन शेड का निर्माण ग्राम बिछिया	विदिशा/नटेरन/बिछिया	7.00
90.	2018-19	प्रेम सिंह के घर से शान्तिधाम तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम मोमनखेडी	विदिशा/नटेरन/घोघरा	5.00
91.	2018-19	शान्तिधाम में बाउड्रीवाल निर्माण	विदिशा/नटेरन / डाँगवाडा	12.00
92.	2018-19	कृपाराम के घर से प्रकाश वार्ड तक सी.सी. रोड सह नाली निर्माण	विदिशा/नटेरन /खाइखेडा	6.00
93.	2018-19	सामुदायिक भवन ग्राम चिरोली	ग्वालियर/भितरवार/चितौली	10.00
94.	2018-19	सामुदायिक भवन जाटव मोहल्ला ग्राम सुपावली	ग्वालियर/मोरार/सुपावली	1.60
95.	2018-19	शान्तिधाम का बाउड्रीवाल सुपावली	ग्वालियर/मोरार/सुपावली	2.00
		योग		**558.23**

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ: कण्डिका 4.3, पृष्ठ सं. 152)

नगरीय स्थानीय निकायों को कार्यों के हस्तांतरण को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	कार्यों का नाम
1	नगर योजना सहित शहर योजना
2	भूमि उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन
3	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना
4	सड़क एवं सेतु
5	घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति
6	सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
7	अग्निशमन सेवाएँ
8	शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना
9	विकलांग और मानसिक रूप से आसक्त सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना
10	मलिन बस्ती सुधार एवं उन्नयन
11	शहरी निर्धनता उन्मूलन
12	शहरी सुविधाओं और पार्कों, उद्यानों और खेल के मैदानों जैसी सुविधाओं का प्रावधान
13	सांस्कृतिक, शैक्षिणिक और सौंदर्य पक्षों को बढ़ावा देना
14	कब्र एवं कब्रिस्तान, अंत्येष्टि एवं श्मशान भूमि और विद्युत शवदाहगृह
15	कांजी हाउस, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम
16	जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी
17	स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप सहित सार्वजनिक सुविधाएँ
18	बूचड़खानों और चर्म शोधन कारखानों का विनियमन

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ: कण्डिका 4.3.1, पृष्ठ सं. 154)

नगरीय स्थानीय निकायों को दर्शाने वाला विवरण जिनमें कार्यरत पद स्वीकृत पद से अधिक हैं

क्र.सं.	निकाय का नाम	पद	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	स्टाफ का आधिक्य
1	नगर पालिक निगम, भोपाल	अपर आयुक्त	4	6	2
		सहायक ग्रेड-3	252	289	37
		चैकीदार/ बेलदार	36	56	20
2	नगर पालिक निगम, ग्वालियर	अपर आयुक्त	2	6	4
		आशुलिपिक ग्रेड-3	7	8	1
		चैकीदार	25	44	19
		चालक (हल्के वाहन)	11	27	16
3	नगर पालिक निगम, इंदौर	अपर आयुक्त	4	5	1
		चैकीदार/ बेलदार	36	758	722
		माली प्रशिक्षित	39	180	141
		चालक (भारी वाहन) केटेगरी-ए	20	58	38
4	नगर पालिक निगम, जबलपुर	चालक (हल्के वाहन) केटेगरी-बी	12	19	7
		भृत्य/ चैकीदार	254	289	35
5	नगर पालिक निगम, सागर	भृत्य	74	77	3
		सहायक राजस्व निरीक्षक	32	40	8
		चालक (हल्के वाहन) केटेगरी ए	3	7	4
		सफाई संरक्षक	181	285	104
6	नगर पालिक निगम, उज्जैन	अपर आयुक्त	2	3	1
		उप पर्यवेक्षक	17	20	3
7	नगर पालिका परिषद, ब्यावरा	सहायक ग्रेड-1	1	2	1
		भृत्य	5	14	9
		सफाई संरक्षक	33	43	10
8	नगर पालिका परिषद, बीना	भृत्य नियमित	8	24	16
		सहायक राजस्व निरीक्षक	10	18	8
		फिल्टर अटेंडेंट/ पम्प अटेंडेंट	1	4	3
		पलंबर/ फिटर	1	3	2
		सफाई संरक्षक नियमित पद	43	59	16
9	नगर पालिका परिषद, चंदेरी	मुख्य लिपिक सह लेखाकर	0	1	1
		पंप सहायक	1	2	1
		स्वच्छता पर्यवेक्षक	3	4	1
		लाईनमेन	0	2	2
10		सहायक राजस्व निरीक्षक	5	7	2

क्र.सं.	निकाय का नाम	पद	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	स्टाफ का आधिक्य
	नगर पालिका परिषद, महिदपुर	उप यंत्री	1	2	1
11	नगर पालिका परिषद, पीथमपुर	सहायक लेखाकार	1	2	1
12	नगर पालिका परिषद, शाजापुर	सहायक लेखाकार	1	2	1
		सफाई संरक्षक	140	162	22
13	नगर पालिका परिषद, विदिशा	भृत्य	16	30	14
		क्लीनर	0	2	2
		सहायक राजस्व निरीक्षक	19	23	4
		पाठक	0	1	1
		सफाई संरक्षक	111	123	12
		भिश्ती	0	4	4
		माली (प्रशिक्षित)	5	6	1
14	नगर परिषद, आलोट	भृत्य	4	5	1
		पंप कुली	0	2	2
		वालमैन	0	1	1
		गेंगमैन	0	2	2
15	नगर परिषद, देपालपुर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	1	2	1
		उप. यंत्री	1	2	1
		चैकीदार	2	3	1
16	नगर परिषद, खिलचीपुर	भृत्य	4	6	2
		फिल्टर अटेंडेंट	1	2	1
		लाइब्रेरियन	0	1	1
		ऑयलमैन	0	1	1
17	नगर परिषद, टिमरनी	भृत्य	4	5	1
		सहायक राजस्व निरीक्षक	6	9	3
योग			**1,439**	**2,758**	**1,319**

परिशिष्ट-4.3

(संदर्भ: कण्डिका 4.7, पृष्ठ सं. 161)

राज्य शासन द्वारा निकाली गयी और यूएलबी को स्थानांतरित की गयी धनराशि की स्थिति और विलंब पर ब्याज दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख ₹ में)

क्र. स.	वर्ष	भारत सरकार से प्रदाय किया गया अनुदान		यू.ए.डी.डी. द्वारा आहरण		यूएलबी को स्थानांतरण		15/ 10 दिनों से अधिक विलंब (दिनों में)	एसडीएल की आरबीआई बैंक दर/ भारित औसत ब्याज दर (प्रति वर्ष)	ब्याज की राशि
		दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि			
1	2016-17	10.06.2016	34,394.50	30.08.2016	34,394.50	30.08.2016	34,394.50	81	7	532.83
2	2016-17	13.01.2017	34,394.50	14.03.2017	34,394.50	14.03.2017	34,394.50	60	6.75	380.59
3	2016-17	18.01.2017	18,271.80	31.01.2017	18,271.80	31.01.2017	18,271.80	...	...	...
4	2016-17	18.01.2017	2,030.20	09.02.2017	2,030.20	09.02.2017	2,030.20	22	6.75	8.26
5	2017-18	04.08.2017	32,189.40	11.08.2017	32,189.40	11.08.2017	32,189.40	---	---	---
6	2017-18	04.08.2017	7,550.60	17.08.2017	7,550.60	17.08.2017	7,550.60	---	---	---
7	2017-18	23.01.2018	39,740.00	31.01.2018	39,740.00	31.08.2017	39,740.00	---	---	---
8	2018-19	23.07.2018	45,972.00	26.07.2018	45,972.00	26.07.2018	45,972.00	---	---	---
9	2018-19	21.01.2019	45,972.00	23.01.2019	45,972.00	23.01.2019	45,972.00	---	---	---

क्र. स.	वर्ष	भारत सरकार से प्रदाय किया गया अनुदान		यू.ए.डी.डी. द्वारा आहरण		यूएलबी को स्थानांतरण		15/ 10 दिनों से अधिक विलंब (दिनों में)	एसडीएल की आरबीआई बैंक दर/ भारित औसत ब्याज दर (प्रति वर्ष)	ब्याज की राशि
		दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि			
10	2019-20	04.07.2019	32,364.29	08.07.2019	32,364.29	08.07.2019	32,364.29	---	---	---
11	2019-20	04.07.2019	8,091.08	30.07.2019	8,091.08	30.07.2019	8,091.08	26	6	34.58
12	2019-20	04.07.2019	11,479.00	31.07.2019	11,479.00	31.07.2019	11,479.00	27	6	50.95
13	2019-20	04.07.2019	10,183.63	31.08.2019	10,183.63	31.08.2019	10,183.63	58	6	97.09
14	2020-21	19.05.2020	33,000.00	04.06.2020	33,000.00	04.06.2020	33,000.00	16	7.24	104.45
15	2020-21	02.11.2020	14,950.00	10.11.2020	14,950.00	10.11.2020	14,950.00	...	...	...
16	2020-21	05.11.2020	14,950.00	01.01.2021	14,950.00	01.01.2021	14,950.00	57	7.24	168.57
17	2020-21	05.11.2020	33,000.00	10.11.2020	33,000.00	10.11.2020	33,000.00	...	...	...
18	2020-21	01.03.2021	33,000.00	02.03.2021	33,000.00	02.03.2021	33,000.00	---	---	---
19	2020-21	10.03.2021	33,000.00	12.03.2021	33,000.00	12.03.2021	33,000.00	---	---	---
20	2020-21	31.03.2021	14,950.00	03.04.2021	14,950.00	03.04.2021	14,950.00	...	...	...
योग			**4,99,483.00**		**4,99,483.00**		**4,99,483.00**			**1,377.32**

परिशिष्ट-5.1.1

(संदर्भ: कण्डिका 5.1.6.7, पृष्ठ सं. 189)

कार्य की धीमी प्रगति एवं विलम्ब के लिए शास्ति का न लगाया जाना

क्र.सं.	इकाई का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत (₹ करोड़ में)	कार्य की तिथि	पूर्ण करने की अवधि	पूरा किया जाने वाला कार्य/पूरा होने की वास्तविक तिथि	मार्च 2021 तक कार्य विलंब/वास्तविक पूर्णता (दिनों में)
1	उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उज्जैन	नूतन स्कूल में स्कूल परिसर का निर्माण	19.90	05/10/2018	18 महीने	04/04/2020	361
2		चरण-1 के तहत महाकाल रुद्रसागर एकीकृत विकास क्षेत्र का विकास एवं निर्माण	96.98	07/03/2019	18 महीने	06/09/2020	206
3		परिसर में चरण- 2 के तहत विकास कार्य सहित स्विमिंग पूल और खेल परिसर का निर्माण	17.60	07/03/2019	18 महीने	06/09/2020	206
4		गणेश नगर जयसिंहपुरा में स्कूल परिसर का निर्माण	5.11	21/12/2018	18 महीने	20/06/2020	284
5	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल	स्मार्ट पार्क का डिजाइन और विकास	7.83	01/10/2018	6 महीने	31/03/2019/ 31/01/2021	670
6		भोपाल शहर के लिए जल उपयोगिता प्रबंधन प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण और कमीशनिंग	40.19	01/10/2018	24 महीने	30/09/2020	182
7		स्मार्ट स्कूलों का डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और प्रबंधन	12.00	01/08/2019	7 महीने	29/02/2020	396
8		कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सिग्नेचर टावर का निर्माण	34.93	06/10/2018	15 महीने	05/01/2020	451
9		दशहरा मैदान का निर्माण	25.38	04/10/2018	12 महीने	03/10/2019	545
10		मल्टीस्टोरी 'एफ टाइप' और 'जी टाइप' सरकारी आवासों का निर्माण चरण-1	186.86	29/12/2017	24 महीने	28/12/2019	459
11		बुलेवार्ड स्ट्रीट का निर्माण	39.46	01/09/2017	11 महीने	31/03/2018/ 04/02/2021	1096
12		भारत माता स्क्वायर फोर	27.40	18/02/2017	9 महीने	17/11/2017/	1230

क्र.सं.	इकाई का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत (₹ करोड़ में)	कार्य की तिथि	पूर्ण करने की अवधि	पूरा किया जाने वाला कार्य/पूरा होने की वास्तविक तिथि	मार्च 2021 तक कार्य विलंब/वास्तविक पूर्णता (दिनों में)
		लेन स्मार्ट रोड के लिए पॉलिटेक्निक जंक्शन का विकास (कुल लंबाई- 2.205 किमी)				03/12/2020	
13		स्मार्ट रोड का निर्माण - द्वितीय चरण	18.52	04/10/2018	12 महीने	03/10/2019	545
14		पुनर्वास के तहत ट्रांजिट हाउस का निर्माण	2.42	01/11/2019	6 महीने	30/05/2020	305
15		हाट बाजार का निर्माण एवं विकास	34.34	05/10/2018	12 महीने	04/10/2019	544
16		सदर मंजिल का जीर्णोद्धार और पुनर्विकास	8.92	28/07/2017	12 महीने	27/07/2018	978
17		मल्टीस्टोरी जी, एच एंड आई गवर्नमेंट हाउसिंग चरण II	314.4	5/10/2018	24 महीने	04/10/2020	178
18		स्मार्ट रोड का निर्माण - चरण III	32.12	06/10/2018	12 महीने	05/10/2019	543
19		स्मार्ट रोड का निर्माण - चरण IV	44.34	06/10/2018	12 महीने	05/10/2019	543
20		स्मार्ट रोड का निर्माण - चरण V	34.6	06/10/2018	12 महीने	05/10/2019	543
21	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इंदौर	राजवाड़ा का संरक्षण, जीर्णोद्धार और पुनर्विकास	17.22	16/01/2018	24 महीने	15/01/2020	441
22		सिटी इंटरप्राइज जीआईएस प्लेटफॉर्म के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर	12.82	01/07/2019	9 महीने	31/03/2020	365
23		चंद्रभागा पुल का निर्माण	5.03	31/03/2017	11 महीने	28/02/2018/ 26/10/2018	240
24		एकीकृत स्मार्ट सड़क नेटवर्क चरण-V का विकास	60.59	19/09/2018	24 महीने	18/09/2020	194
25		बड़ा गणपति से राज मोहल्ला तक सड़क का	10.44	03/03/2017	6 महीने	02/09/2017/ 31/07/2019	665

क्र.सं.	इकाई का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत (₹ करोड़ में)	कार्य की तिथि	पूर्ण करने की अवधि	पूरा किया जाने वाला कार्य/पूरा होने की वास्तविक तिथि	मार्च 2021 तक कार्य विलंब/वास्तविक पूर्णता (दिनों में)
		सुधार					
26		महू नाका से टोरी कार्नर सड़क का निर्माण	18.46	18/02/2017	36 महीने	17/02/2020	407
27		राजकीय मालवा कन्या विद्यालय का उन्नयन	3.60	14/08/2018	9 महीने	13/05/2019/ 24/12/2019	225
28		स्लज हाइजीनाइजेशन के लिए स्लज इरेडिएशन प्लांट का निर्माण	10.78	08/03/2019	12 महीने	07/03/2020	389
29		लक्ष्मण सिंह गौड़ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल	1.65	26/07/2018	12 महीने	25/11/2019	492
30		कबीतखेड़ी में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट निपटान केंद्र का सिविल कार्य	1.39	23/10/2017	4 महीने	22/02/2018/ 15/12/2019	630
31		कृष्णपुरा से जवाहर पुल के बीच विकास कार्य	21.32	16/10/2017	18 महीने	15/04/2019	716
32		गणगौर घाट पुल से जयराम पुल तक रिवरफ्रंट एवं पार्क विकास का निर्माण	9.18	07/09/2018	15 महीने	06/12/2019	481
33		प्लेस मेकिंग एंड विजुअल इम्प्रूवमेंट पैकेज - 6	5.22	03/10/2018	8 महीने	02/06/2019/ 28/01/2020	240
34		प्लेस मेकिंग एंड विजुअल इम्प्रूवमेंट पैकेज -7	5.34	04/10/2018	8 महीने	20/07/2019/ 05/09/2019	45
35		प्लेस मेकिंग एंड विजुअल इम्प्रूवमेंट पैकेज - 8	5.22	06/10/2018	8 महीने	05/06/2019/ 28/10/2020	510
36		मॉड्यूलर प्रकार के वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण	6.71	07/03/2019	6 महीने	06/09/2019/ 25/11/2020	450
37		ड्रम कम्पोजिट प्लांट शेड	0.30	23/10/2017	3 महीने	22/01/2018	1164
38		आईसीसीसी भवन का निर्माण	2.22	11/05/2018	6 महीने	10/11/2018/ 03/09/2019	297
39	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	स्मार्ट क्लासरूम सिविल वर्क्स	0.59	20/07/2018	60 दिन	19/09/2018	924
40		एक शहर एक ऐप	0.39	15/12/2017	5 महीने	14/05/2018	1052
41		वर्षा जल संचयन चरण-3	4.91	08/03/2019	180 दिन	05/09/2019	573
42		पब्लिक बाइक शेयरिंग	5.6	05/06/2018	12 महीने	04/06/2019	666

क्र.सं.	इकाई का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत (₹ करोड़ में)	कार्य की तिथि	पूर्ण करने की अवधि	पूरा किया जाने वाला कार्य/पूरा होने की वास्तविक तिथि	मार्च 2021 तक कार्य विलंब/वास्तविक पूर्णता (दिनों में)
43		महिला पार्क का उन्नयन	2.42	06/12/2017	7 महीने	05/07/2018	1000
44		स्मार्ट साइनेज	13.40	27/04/2018	15 महीने	26/07/2019	614
45		आईटीएमएस	53.41	01/10/2019	12 महीने	30/09/2020	182
46		कटोरा ताल सिविल कार्य	2.17	15/03/2018	180 दिन	14/09/2018	929

परिशिष्ट 5.1.2

(संदर्भ: कण्डिका 5.1.6.10, पृष्ठ सं. 194)

अनुचित आकलन

क्र.सं.	इकाई का नाम	कार्य का नाम	आकलन (₹ करोड़ में)	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	अतिरिक्त/ अधिक मात्रा की राशि (₹ करोड़ में)	ठेकेदार प्रतिशत	मात्रा (₹ करोड़ में)	भिन्नता (प्रतिशत में)
1	उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उज्जैन	एमआरआईडीए परियोजना के तहत नूतन स्कूल में स्कूल परिसर का निर्माण	21.68	19.90	6.18	-8.22	5.67	28.49
2		चरण-1 के तहत महाकाल रुद्रसागर एकीकृत विकास क्षेत्र (एमआरआईडीए) का विकास एवं निर्माण	97.72	96.98	61.28	-0.76	60.81	62.70
3		यूएमसी परिसर में चरण-2 के तहत विकास कार्य सहित स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण	17.92	17.60	0.52	-1.8	0.51	2.90
4		गणेश नगर जयसिंहपुरा उज्जैन में स्कूल परिसर का निर्माण	5.51	5.11	1.06	-7.2	0.98	19.25
5		ओलम्पिक साइज स्वीमिंग पूल चरण-1 के निर्माण में गलत आकलन	6.83	6.96	1.67	1.91	1.70	24.45
6	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल	स्मार्ट पार्क का डिजाइन और विकास	9.68	7.83	1.96	-19.11	1.59	20.25
7		कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सिग्नेचर टावर का निर्माण	42.03	34.93	30.70	-16.89	25.51	73.05
8		दशहरा मैदान का निर्माण	30.18	26.40	2.04	-15.9	1.72	6.76
9		मल्टीस्टोरी 'एफ टाइप' और 'जी टाइप' सरकारी आवासों का	204.6	186.86	37.26	-8.58	34.06	18.23

क्र.सं.	इकाई का नाम	कार्य का नाम	आकलन (₹ करोड़ में)	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	अतिरिक्त/ अधिक मात्रा की राशि (₹ करोड़ में)	ठेकेदार प्रतिशत	मात्रा (₹ करोड़ में)	भिन्नता (प्रतिशत में)
		निर्माण चरण-1						
10		बुलेवार्ड स्ट्रीट का निर्माण	45.85	39.46	6.60	-13.94	5.68	14.39
11		भारत माता स्क्वायर फोर लेन स्मार्ट रोड के लिए पॉलिटेक्निक जंक्शन का विकास (कुल लंबाई-2.205 कि.मी)	31.76	27.40	16.60	-13.7	14.33	52.28
12		स्मार्ट रोड का निर्माण चरण-प्प्	21.82	18.52	3.64	-15.13	3.09	16.68
13		एबीडी क्षेत्र और स्मार्ट रोड के पुनर्वास के तहत ट्रांजिट हाउस का निर्माण	2.53	2.42	0.72	-4.35	0.69	28.46
14		हाट बाजार का निर्माण एवं विकास	41.45	34.34	5.25	-17.15	4.34	12.64
15	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इंदौर	राजवाड़ा का संरक्षण, जीर्णोद्धार और पुनर्विकास	19.92	17.22	5.08	-13.53	4.39	25.51
16		चंद्रभागा पुल का निर्माण	3.56	5.03	1.19	41.2	1.68	33.41
17		एकीकृत स्मार्ट सड़क नेटवर्क का विकास (पैकेज-4)	36.49	45.17	13.52	23.8	16.74	37.06
18		चरण-ट एकीकृत स्मार्ट सड़क नेटवर्क का विकास	48.51	60.59	27.81	24.9	34.73	57.33
19		बड़ा गणपति से राज मोहल्ला तक सड़क का सुधार	10.44	10.44	0.28	0	0.28	2.68
20		महू नाका से टोरी कार्नर सड़क का निर्माण	14	18.46	3.42	31.86	4.51	24.43
21		राजकीय मालवा कन्या विद्यालय का उन्नयन	3.81	3.60	0.43	-5.51	0.41	11.29
22		स्लज हाइजीनाइजेशन	9.5	10.78	1.72	13.47	1.95	18.10

क्र.सं.	इकाई का नाम	कार्य का नाम	आकलन (₹ करोड़ में)	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	अतिरिक्त/ अधिक मात्रा की राशि (₹ करोड़ में)	ठेकेदार प्रतिशत	मात्रा (₹ करोड़ में)	भिन्नता (प्रतिशत में)
		के लिए स्लज इरेडिएशन प्लांट का निर्माण						
23		लक्ष्मण सिंह गौड़ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल	1.92	1.65	0.42	-14.06	0.36	21.88
24		कबीतखेड़ी में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट निपटान केंद्र का सिविल कार्य।	1.57	1.39	0.08	-11.3	0.07	5.11
25		कृष्णापुरा से जवाहर पुल के बीच विकास कार्य	21.41	21.32	5.33	-0.41	5.31	24.90
26		गणगौर घाट पुल से जयराम पुल तक रिवरफ्रंट एवं पार्क विकास का निर्माण	8.36	9.18	2.35	9.81	2.58	28.11
27		लालबाग में गारबेज ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण	0.99	0.91	0.49	-8.25	0.45	49.40
28		आजाद नगर में गारबेज ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण	0.83	0.74	0.31	-11.21	0.28	37.20
29		प्लेस मेकिंग एंड विजुअल इम्प्रूवमेंट पैकेज -6	5	5.22	0.20	4.44	0.21	4.00
30		प्लेस मेकिंग एंड विजुअल इम्प्रूवमेंट पैकेज -7	5	5.34	3.04	6.83	3.25	60.82
31		प्लेस मेकिंग एंड विजुअल इम्प्रूवमेंट पैकेज -8	5	5.22	0.60	4.44	0.63	12.00
32		ड्रम कम्पोजिट प्लांट शेड	0.33	0.30	0.10	-11.54	0.09	29.49
33		आईसीसीसी भवन का निर्माण	2.4	2.22	0.21	-7.66	0.19	8.73

क्र.सं.	इकाई का नाम	कार्य का नाम	आकलन (₹ करोड़ में)	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	अतिरिक्त/ अधिक मात्रा की राशि (₹ करोड़ में)	ठेकेदार प्रतिशत	मात्रा (₹ करोड़ में)	भिन्नता (प्रतिशत में)
34	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्वालियर	वर्षा जल संचयन चरण-3	4.94	4.91	.0.16	-0.61	.0.16	.3.24
35		कटोरा ताल सिविल कार्य	2.66	2.17	0.79	-18.42	0.64	29.70
योग			**786.2**	**756.57**	**242.69**		**239.27**	

परिशिष्ट 5.1.3

(संदर्भ: कण्डिका 5.1.6.11, पृष्ठ सं. 194)

जमा/कटौती नहीं किए गए रॉयल्टी शुल्कों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	रेत की मात्रा (घनमीटर)	धातु की मात्रा (घनमीटर)	मूरम की मात्रा (घनमीटर)	दर प्रति घनमीटर	राशि ₹ में
1	कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सिग्नेचर टावर का निर्माण	मेसर्स एसआरएस इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	7,637.054	15,963.68	0	120	28,32,088.08
2	हाट बाजार का निर्माण एवं विकास	मेसर्स भाषा एसोसिएट	12,481	11,356	0	120	28,60,440
3	दशहरा मैदान का निर्माण	मेसर्स सुप्रीम बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	3,975	6,339	0	120	12,37,680
4	चरण-1 बहुमंजिला 'एफ टाइप' और 'जी टाइप' सरकारी आवासों का निर्माण	मेसर्स यशनंद इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	3,08,608.2	25,102.85	0	120	4,00,45,326.00
5	सरकारी आवास चरण-II	मेसर्स क्यूब कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड	22,148	38,186	0	120	72,40,080
6	भारत माता स्क्वायर फोरलेन स्मार्ट रोड के लिए पॉलिटेक्निक जंक्शन का	मेसर्स शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी, रीवा	-	-	-	-	33,88,429[1]

[1] *भोपाल एससीसी एवं खनन विभाग के बीच हुए पत्राचार के अनुसार ।*

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	रेत की मात्रा (घनमीटर)	धातु की मात्रा (घनमीटर)	मूरम की मात्रा (घनमीटर)	दर प्रति घनमीटर	राशि ₹ में
	विकास (कुल लंबाई- 2.205 कि.मी.)						
7	स्मार्ट रोड नेटवर्क का निर्माण- बोलवर्ड स्ट्रीट, चरण -II का निर्माण	मेसर्स शेपर्स कॉन्ट्रैक्टर्स	10,898	23,189	0	120	40,90,440
8	कीचड़ विकिरण संयंत्र का निर्माण	मेसर्स आकार कंस्ट्रक्शन्स	2,294.79	4,079.63	5,321.82	120/50	10,31,021.4
9	एकीकृत स्मार्ट सड़क चरण-V का निर्माण	मेसर्स लैंडमार्क कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	12,531.8	1,26,468	5,049.29	120/50	1,69,32,440.5
10	महू नाका से तोरीकोनर सड़क का निर्माण	मैसर्स पी.डी. अग्रवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	19,932.8	15,204.7	14,440.6	120/50	49,38,530
11	बड़ा गणपति से राज मोहल्ला तक सीसी रोड का निर्माण	मेसर्स सोम प्रोजेक्ट प्राइवेट, लिमिटेड	4,879.8	6,639.3	2,558.5	120/50	15,10,217
12	एबीडी क्षेत्र चरण-IV में एकीकृत स्मार्ट सड़क नेटवर्क का विकास	मेसर्स लैंडमार्क कॉर्पोरेशन प्राइवेट, लिमिटेड-	91,252.7	12,707.4	84,899	120/50	1,67,20,162

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	रेत की मात्रा (घनमीटर)	धातु की मात्रा (घनमीटर)	मूरम की मात्रा (घनमीटर)	दर प्रति घनमीटर	राशि ₹ में
13	प्लेस मेकिंग पैकेज-8	मेसर्स भगवत सिंह रघुवंशी	268.52	616.4	1,138.4	120/50	1,63,110.4
14	प्लेस मेकिंग पैकेज-6	मेसर्स भगवत सिंह रघुवंशी	174.67	765.25	81.2	120/50	1,16,850.4
15	प्लेस मेकिंग पैकेज-7	मेसर्स संजय व्यास ठेकेदार	578.94	1476.36	3,698.26	120/50	4,31,549
16	स्ट्रेच-2	मैसर्स एस.के. सोडानी	5,455.68	10,713.6	8,069.08	120/50	23,43,767.6
17	स्ट्रेच-7	मेसर्स विजय प्रताप शर्मा	405.03	1,024.75	954.15	120/50	2,19,281.1
18	लक्ष्मण सिंह गौर स्कूल	मैसर्स बरकत कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी	207.45	324.35	1,213.92	120/50	1,24,512
योग							**10,62,25,924.48**

परिशिष्ट 5.2.1

(संदर्भ: कण्डिका 5.2.5.2, पृष्ठ सं. 206)

वार्षिक किराया मूल्य/कर योग्य संपत्ति मूल्य की त्रुटिपूर्ण गणना

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	पाए गए प्रकरण
1	नगर पालिक निगम, भोपाल	6,830
2	नगर पालिक निगम, छिंदवाड़ा	822
3	नगर पालिक निगम, देवास	1,361
4	नगर परिषद, महूगांव	119
5	नगर परिषद, नलखेड़ा	255
6	नगर पालिका परिषद, शाजापुर	44
7	नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़	95
8	नगर परिषद, बनखेड़ी	47
	योग	**9,573**

परिशिष्ट 5.2.2

(संदर्भ: कण्डिका 5.2.5.3, पृष्ठ सं. 207)

सम्पत्ति कर के बकाया की वसूली न होना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	प्रकरणों की संख्या जिनमें आपत्ति ली गयी थी	बकाया संपत्ति कर
1	नगर पालिक निगम, भोपाल	1,07,219	333.72
2	नगर पालिक निगम, छिंदवाड़ा	2,170	3.19
3	नगर पालिका परिषद, बीना	909	1.90
4	नगर पालिका परिषद, ब्यावरा	87	0.22
5	नगर पालिका परिषद, मंडीदीप	158	2.47
6	नगर पालिका परिषद, पीथमपुर	161	2.57
7	नगर पालिका परिषद, शाजापुर	1,566	1.66
8	नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़	1,083	1.45
9	नगर परिषद, बनखेड़ी	68	0.08
10	नगर परिषद, देपालपुर	221	0.25
11	नगर परिषद, खातेगांव	24	0.02
12	नगर परिषद, खिलचीपुर	12	0.01
13	नगर परिषद, महूगांव	100	0.14
14	नगर परिषद, नलखेड़ा	21	0.03
15	नगर परिषद, टिमरनी	231	0.27
	योग	**1,14,030**	**347.98**

परिशिष्ट 5.2.3

(संदर्भ: कण्डिका 5.2.5.4, पृष्ठ सं. 208)

बोर्ड/निगम कार्यालयों के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर संपत्ति कर का अनारोपण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	विभाग का नाम	क्षेत्रफल (वर्गफुट)	बकाया अवधि	संपत्ति कर की राशि
1	नगर पालिका परिषद, ब्यावरा	बीएसएनएल	53,193	2015-16 से 2020-21	0.02
2	नगर परिषद, देपालपुर	मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी	4,10,246	2012-13 से 2020-21	0.48
		बीएसएनएल	32,843	2000-01 से 2020-21	0.08
3	नगर परिषद, खातेगांव	बीएसएनएल	21,290	2007-08 से 2020-21	0.05
4	नगर परिषद, नलखेड़ा	बीएसएनएल	97,808	2007-08 से 2020-21	0.04
		कृषि उपज मंडी	10,51,139	2007-08 से 2020-21	0.46
5	नगर पालिका परिषद, पीथमपुर	बीएसएनएल	2,07,334	2000-01 से 2020-21	0.24
6	नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़	बीएसएनएल	41,260	2000-01 से 2020-21	0.03
		कृषि उपज मंडी	8,71,564	2005-06 से 2020-21	0.31
	योग				**1.71**

परिशिष्ट 5.2.4

(संदर्भ: कण्डिका 5.2.5.5, पृष्ठ सं. 209)

केंद्र सरकार की संपत्तियों पर सेवा प्रभार का आरोपण न किया जाना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	केंद्र सरकार के विभाग का नाम	केंद्र सरकार के विभागों की संपत्तियों की संख्या	सेवा प्रभार की बकाया अवधि	सेवा प्रभार की राशि
1	नगर पालिका परिषद, बीना	रेलवे	1	2011-12 से 2020-21	0.33
2	नगर पालिका परिषद, ब्यावरा	रेलवे एवं डाक घर	2	2015-16 से 2020-21	0.14
3	नगर पालिका परिषद, मंडीदीप	रेलवे	1	2018-19 से 2020-21	0.01
4	नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़	डाक घर	1	2010-11 से 2020-21	0.01
	योग		**5**		**0.49**

परिशिष्ट 5.2.5

(संदर्भ: कण्डिका 5.2.5.8, पृष्ठ सं. 212)

खुली भूमि/भूखंडों पर संपत्ति कर का अनारोपण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	पाए गए प्रकरणों की संख्या	संपत्ति कर की राशि
1	नगर परिषद, बनखेड़ी	5	0.10
2	नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़	18	0.02
	योग	**23**	**0.12**

परिशिष्ट 5.2.6

(संदर्भ: कण्डिका 5.2.6.1, पृष्ठ सं. 214)

दुकानों का प्रीमियम वसूली हेतु बकाया रहना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	प्रकरणों की संख्या	प्रीमियम राशि	प्रीमियम जमा	बकाया प्रीमियम	120 दिनों के पश्चात विलम्ब (दिनों में)
1	नगर पालिक निगम, भोपाल	18	16.08	7.84	8.24	3 से 853
2	नगर पालिक निगम, छिंदवाड़ा	17	2.74	1.51	1.23	43 से 875
3	नगर पालिका परिषद, ब्यावरा	38	2.36	0.94	1.42	663
4	नगर पालिका परिषद, बीना	3	0.22	0.03	0.19	397 से 817
5	नगरपरिषद, बनखेड़ी	12	0.7	0.01	0.69	37
6	नगर पालिका परिषद, शाजापुर	6	0.77	0.44	0.33	64 से 84
	योग	**94**	**22.87**	**10.77**	**12.10**	**3 से 875**

परिशिष्ट 5.2.7

(संदर्भ: कण्डिका 5.2.6.2, पृष्ठ सं. 215)

किराए के बकाया राशि की वसूली न होना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकायों का नाम	आपत्ति लिए गए प्रकरणों की संख्या	बकाया किराया
1	नगर पालिक निगम, भोपाल	2,362	14.93
2	नगर पालिक निगम, छिंदवाड़ा	342	1.16
3	नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़	342	1.38
4	नगर पालिका परिषद, बीना	8	0.04
5	नगर पालिका परिषद, ब्यावरा	68	0.18
6	नगर पालिका परिषद, मंडीदीप	34	0.13
7	नगर पालिका परिषद, शाजापुर	139	0.49
8	नगर परिषद, खातेगांव	63	0.16
9	नगर परिषद्, खिलचीपुर	23	0.10
10	नगर परिषद, नलखेड़ा	4	0.01
11	नगर परिषद, बनखेड़ी	7	0.01
12	नगर परिषद, देपालपुर	4	0.01
	योग	**3,396**	**18.6**

परिशिष्ट 5.3.1

(संदर्भ: कण्डिका 5.3.8.1, पृष्ठ सं. 232)

ग्वालियर नगर पालिक निगम और जबलपुर नगर पालिक निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अशुद्ध पानी की आपूर्ति के कुछ प्रकरणों का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन

ग्वालियर समाचार पत्र

गंदे पानी की शिकायतों पर जिम्मेदारों ने नहीं दिया ध्यान, दो बच्चे पहुंचे अस्पताल

शिकायतों के बाद पहुंचा निगम अमला

नलों में आ रहा पीला-गंदा पानी, फिल्टर पानी खरीदने को मजबूर लोग

सड़ी-गली लाइन से घरों में पहुंच रहा दूषित पानी

ग्वालियर 21-08-2021

पंचशील नगर में आया गंदा पानी

जबलपुर समाचार पत्र

जबलपुर फ्रंट पेज

149 करोड़ खर्च फिर भी लोगों के हिस्से में आ रहा बदबूदार पानी, बढ़ा रोगों के संक्रमण का खतरा, जिम्मेदार बेफिक्र

गंदा व बदबूदार पानी पीने मजबूर हैं सुहागी के वाशिंदे, त्वचा व पेट के मरीजों की बढ़ी संख्या

सरस्वती कॉलोनी के लोग 15 दिनों से पी रहे गंदा पानी

शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई

1 साल से निगम के नलों से नहीं आ रहा पानी अवैध कनेक्शनों से छलनी हो गई पाइप लाइन

दक्षिण मिलौनीगंज के निवासियों ने की निगमायुक्त से शिकायत, कहा किस बात का जलशुल्क वसूल रहा निगम

परिशिष्ट 5.3.2

(संदर्भ: कण्डिका 5.3.8.3, पृष्ठ सं. 236)

ग्वालियर नगर पालिक निगम और जबलपुर नगर पालिक निगम द्वारा नियमित परीक्षण करने में देरी को दर्शाने वाला विवरण

ग्वालियर नगर पालिक निगम (मोतीझील प्रयोगशाला)			जबलपुर नगर पालिक निगम		
पिछली परीक्षण तिथि	आगामी परीक्षण तिथि	दिनों में अंतर	पिछली परीक्षण तिथि	बाद की परीक्षण तिथि	दिनों में अंतर
20/04/2018	23/04/2018	2	भोंगाद्वार निस्पंदन सयंत्र द्वारा 01 अप्रैल 2018 से 17 मार्च 2020 की अवधि के लिए डेटा का संधारण नहीं किया गया है।		
25/05/2018	28/05/2018	2			
15/06/2018	19/06/2018	3			
20/07/2018	23/07/2018	2			
16/08/2018	20/08/2018	3			
01/09/2018	04/09/2018	2			
12/10/2018	15/10/2018	2			
08/11/2018	12/11/2018	3			
28/12/2018	31/12/2018	2			
11/01/2019	14/01/2019	2			
08/02/2019	11/02/2019	2			
15/03/2019	18/03/2019	2			
18/04/2019	22/04/2019	3			
10/05/2019	13/05/2019	2			
14/06/2019	17/06/2019	2			
26/07/2019	29/07/2019	2			
08/08/2019	13/08/2019	4	18/03/2020	23/03/2020	4
18/10/2019	21/10/2019	2	23/03/2020	16/04/2020	23
08/11/2019	11/11/2019	2	16/04/2020	24/04/2020	7
13/12/2019	16/12/2019	2	24/04/2020	28/04/2020	3
10/01/2020	13/01/2020	2	28/04/2020	01/05/2020	2
14/02/2020	17/02/2020	2	01/05/2020	13/07/2020	72
09/03/2020	12/03/2020	2	13/07/2020	17/07/2020	3
17/04/2020	20/04/2020	2	17/07/2020	21/07/2020	3
08/05/2020	11/05/2020	2	21/07/2020	23/07/2020	1
12/06/2020	15/06/2020	2	23/07/2020	27/07/2020	3
24/07/2020	27/07/2020	2	27/07/2020	10/08/2020	13
07/08/2020	10/08/2020	2	10/08/2020	24/08/2020	13
14/08/2020	17/08/2020	2	24/08/2020	28/08/2020	3
11/09/2020	14/09/2020	2	28/08/2020	04/09/2020	6
18/09/2020	21/09/2020	2	04/09/2020	08/09/2020	3

ग्वालियर नगर पालिक निगम (मोतीझील प्रयोगशाला)			जबलपुर नगर पालिक निगम		
पिछली परीक्षण तिथि	आगामी परीक्षण तिथि	दिनों में अंतर	पिछली परीक्षण तिथि	बाद की परीक्षण तिथि	दिनों में अंतर
09/10/2020	12/10/2020	2	08/09/2020	30/09/2020	21
16/10/2020	19/10/2020	2	30/09/2020	06/11/2020	36
13/11/2020	17/11/2020	3	06/11/2020	04/12/2020	27
24/12/2020	28/12/2020	3	04/12/2020	14/12/2020	9
15/01/2021	18/01/2021	2	14/12/2020	19/12/2020	4
27/03/2021	31/03/2021	3	19/12/2020	06/05/2021	137

संक्षिप्त शब्दों की शब्दावली

पंचायतीराज संस्थाएं

क्र.सं.	संक्षिप्त शब्द	पूर्ण रूप
1	73वां सं.स.अ.	73वां संविधान संशोधन अधिनियम
2	जि.यो.स.	जिला योजना समिति
3	पीआरआई	पंचायती राज संस्थायें
4	म.प्र.शा.	मध्य प्रदेश शासन
5	जि.पं.	जिला पंचायत
6	ज.पं.	जनपद पंचायत
7	ग्रा.पं.	ग्राम पंचायत
8	पीआरडीडी	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
9	मु.का.अ.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
10	पेसा	पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम
11	जीपीडीपी	ग्राम पंचायत विकास योजना
12	डीडीओ	आहरण संवितरण अधिकारी
13	आरटीसी	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र
14	ईटीसी	विस्तारित प्रशिक्षण केंद्र
15	एनसीबीएफ	राष्ट्रीय क्षमता वर्धन फ्रेम वर्क नेशनल कैपासिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क
16	ख.वि.अ.	खण्ड विकास अधिकारी
17	टीएनए	प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण
18	डीपीडीपी	जिला पंचायत विकास योजना
19	बीपीडीपी	ब्लॉक पंचायत विकास योजना
20	म.प्र.रा.सा.स.स.	मध्य प्रदेश राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति
21	एनआरईजीए	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम
22	ईआर्स	निर्वाचित प्रतिनिधियों
23	डीएलएफए	संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा
24	एलबीपीएसी	स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति
25	पीआरआई अधिनियम	मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम,1993
26	पीएमएवाई-जी	प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण
27	जीओआई	भारत सरकार
28	एसईसीसी	सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना
29	एसएनए	राज्य नोडल खाते
30	डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
31	पीएफएमएस	पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम
32	अ.मु.स.सह.वि.आ.	अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त
33	पीओ	परियोजना अधिकारियों
34	पीएमयू	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
35	पीडब्ल्यूएल	स्थायी प्रतीक्षा सूची

36	एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
37	आरटीओ	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय
38	एसएफसी	राज्य वित्त आयोग
39	सीएफसी	केंद्रीय वित्त आयोग
40	एस.आई. आर.डी.	राज्य ग्रामीण विकास संसथान
41	एस.ओ.आर.	दरों की अनुसूची

नगरीय स्थानीय निकाय

क्र.सं.	संक्षिप्त शब्द	पूर्ण रूप
1	एबीडी	क्षेत्र आधारित विकास
2	एएलवी	वार्षिक किराया मूल्य
3	एएमआरयूटी	शहरी परिवर्तन और पुनरुद्धार के लिए अटल मिशन
4	एओई	प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय
5	बीआईएस	भारतीय मानक ब्यूरो
6	सीएंडएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
7	सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
8	सीजीडब्ल्यूबी	केंद्रीय भूजल बोर्ड
9	सीएमओ	मुख्य नगर पालिका अधिकारी
10	सीपीएचईईओ	केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन
11	ईई	अधिशासी अभियंता
12	ईपीएफ	कर्मचारी भविष्य निधि
13	एफपी	छनन संयंत्र
14	जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
15	जीएसएलआर	भूमि स्तरीय सेवा जलाशय
16	जीओआई	भारत सरकार
17	जीओएमपी	मध्य प्रदेश शासन
18	आईसीटी	सूचना व संचार प्रौद्योगिकी
19	आईआर	निरीक्षण प्रतिवेदन
20	एलबीपीएसी	स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति
21	एलपीसीडी	प्रति व्यक्ति प्रति दिन लीटर
22	एमआईसी	मेयर-इन-काउंसिल
23	एनआईटी	निविदा आमंत्रण सूचना
24	एनएन	नगर पालिक निगम
25	एनपी	नगर परिषद
26	एनपीपी	नगर पालिका परिषद
27	एनआरडब्ल्यू	गैर-राजस्व जल
28	ओएंडएम	संचालन और अनुरक्षण
29	ओएचटी	ओवर हेड टैंक
30	पीसीडी	पैन-सिटी विकास

31	पीआईसी	प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल
32	पीपीपी	सरकारी-निजी भागीदारी
33	पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
34	पीटी	संपत्ति कर
35	पीटीबी	संपत्ति कर बोर्ड
36	एससीसी	स्मार्ट सिटी कंपनी
37	एससीएम	स्मार्ट सिटी मिशन
38	एससीपी	स्मार्ट सिटी आयोजना
39	एसएफसी	राज्य वित्त आयोग
40	एसएलबी	सर्विस लेवल बेंचमार्क
41	एसपीवी	विशेष प्रयोजन साधन
42	टीपीवी	कर योग्य संपत्ति मूल्य
43	यूएडीडी	शहरी प्रशासन और विकास संचालनालय
44	यूडीएचडी	नगरीय विकास एवं आवास विभाग
45	यूएलबी	नगरीय स्थानीय निकाय

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/madhya-pradesh/hi